मालिका, खंड 9, अंक 21

मंगलवार, 19 अप्रैल, 2005
29 चैत्र, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 31/10/02

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 21, मंगलवार, 19 अप्रैल, 2005/29 चैत्र, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–4
सदस्यों द्वारा निवेदन	
रक्षा खरीद के संबंध में सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में कथित रूप से विभिन्न शपथ-पत्र दायर किए जाने तथा न्यायमूर्ति फूकन आयोग का प्रतिवेदन सभापटल पर न रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में	4–8
जार्डन के हैशेमाइट किंगडम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 340 (18.4.2005)	18–64
तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 360 (19.4.2005)	64–188
अतारांकित प्रश्न संख्या 3455 से 3684 (18.4.2005)	189–524
अतारांकित प्रश्न संख्या 3685 से 3914 (19.4.2005)	524–920
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (18.4.2005)	921–922
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (19.4.2005)	922–923
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (18.4.2005)	923–931
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (19.4.2005)	931–940
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (18.4.2005)	941–942
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (19.4.2005)	941–942
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (18.4.2005)	941–944
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (19.4.2005)	943–946

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

*मंगलवार, 19 अप्रैल, 2005/29 चैत्र, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, बजट सत्र के दूसरे भाग में आपका स्वागत करते हुए मुझे सभा को परम पावन पोप जॉन पॉल द्वितीय तथा अपने भूतपूर्व सहयोगियों श्री एम. पलानीयंडी, श्री ओम प्रकाश जिन्दल, श्री सुरेन्द्र सिंह और श्री संत राम सिंगला के दुखद निधन की सूचना देनी है।

यह सभा परम पावन पोप जॉन पॉल-द्वितीय का, 85 वर्ष की आयु में 2 अप्रैल, 2005 को हुए निधन पर गहरा दुख प्रकट करती है। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने शांति तथा दलितों के विकास के लिए अथक कार्य किया। वे धार्मिक सहिष्णुता तथा मानव मूल्यों की वकालत के लिए भी जाने जाते हैं। यह सभा उनकी 1986 और 1999 में भारत की दो ऐतिहासिक यात्राओं को स्मरण करती है जिसके दौरान उन्होंने भारतीय बहुलता और "सर्व धर्म समभाव" की अवधारणा का पुरजोर समर्थन किया था। सभा मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिए जाने में पोप जॉन पॉल द्वितीय के विशिष्ट प्रयासों को भी स्मरण करती है जो नि:स्वार्थ सेवा के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है।

श्री एम. पलानीयंडी, वर्ष 1957 से 1962 तक दूसरी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के पेरम्बलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पलानीयंडी, एक समर्पित सांसद थे तथा वह वर्ष 1986 से 1992 तक राज्य सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इसके पूर्व श्री पलानीयंडी, वर्ष 1952 से 1957 तक मद्रास विधान सभा के सदस्य थे।

मजदूर संघ के एक सक्रिय नेता श्री पलानीयंडी, तमिलनाडु नेशनल सीमेंट वर्कर्स फेडरेशन्स और तमिलनाडु नेशनल शूगर वर्कर्स फेडरेशन्स के अध्यक्ष थे। वह नाटकों तथा संगीत से भी जुड़े हुए थे।

श्री एम. पलानीयंडी का निधन कुछ दिन बीमार रहने के पश्चात् 8 मार्च, 2005 को 87 वर्ष की आयु में तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ।

माननीय सदस्यो जैसा कि आपको ज्ञात है 31 मार्च, 2005 को सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे दो भूतपूर्व सहयोगियों श्री ओ.पी. जिन्दल और श्री सुरेन्द्र सिंह का निधन हुआ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल, वर्ष 1986 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री जिन्दल वर्ष 1996 से 1997 तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य थे।

वह फरवरी, 2005 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गए थे तथा अपने निधन के समय वह हरियाणा सरकार में विद्युत मंत्री थे।

व्यवसाय से उद्योगपति श्री जिन्दल, जिन्दल औद्योगिक ग्रुप के संस्थापक थे। अपने अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के द्वारा उन्होंने जिन्दल ग्रुप को देश में एक प्रमुख औद्योगिक घराने के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसकी शुरुआत थोड़ी सी पूंजी के साथ की गयी थी। उनका नाम "फोर्ब्स" द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों की सूची में शामिल था।

एक स्वप्नदृष्टा और परोपकारी श्री जिन्दल ने श्रमिकों और दलितों के कल्याण के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने विभिन्न समुदायों को एक करने तथा कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

श्री जिन्दल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे तथा वह देश के उद्यमियों के लिए एक आदर्श थे। वह एन.सी. जिन्दल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन तथा अग्रोहा विकास ट्रस्ट और आग्रोहा मेडिकल कॉलेज के पैट्रन और ट्रस्टी थे।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

श्री सुरेन्द्र सिंह, वर्ष 1996 से 1999 तक ग्यारहवीं तथा बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने हरियाणा के भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

* लोक सभा की बैठक 18 अप्रैल, 2005 को होनी थी, किन्तु बाद में 18 अप्रैल, 2005 को राम नवमी के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित कर दिया गया।

इसके पूर्व श्री सुरेन्द्र सिंह वर्ष 1986 से 1992 तक राज्य सभा के सदस्य थे। एक कुशल सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह विभिन्न संसदीय तथा सलाहकार समितियों के सदस्य थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह वर्ष 1977 से 1986 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य थे। वह वर्ष 1982 से 1983 तक राज्य सरकार में कृषि तथा वन्य जीव संरक्षण मंत्री थे। वह फरवरी, 2005 में हरियाणा विधानसभा के लिए पुन: निर्वाचित हुए थे तथा अपने निधन तक हरियाणा सरकार में कृषि तथा राजस्व मंत्री थे।

व्यवसाय से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह वर्ष 1970 से 1971 तक बार एसोसिएशन, भिवानी के अध्यक्ष थे। उन्होंने वर्ष 1978 के दौरान तथा वर्ष 1980 से 1982 तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बार काउंसिल के सभापति के पद पर भी कार्य किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यकलाप और वाद-विवाद आदि से भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे। वह कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् तथा सी.आर. जाट कॉलेज, हिसार की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह अपने कॉलेज के दिनों में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। क्रिकेट के प्रति काफी रुचि रखने वाले श्री सिंह भारतीय ओलम्पिक संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह ने अनेक देशों की यात्रा की तथा वह वर्ष 1998 में इंग्लैंड गए। वह वहां भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह का 59 वर्ष की आयु में दुखद निधन हुआ।

श्री संत राम सिंगला, वर्ष 1992 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने पंजाब के पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री सिंगला वर्ष 1980 से 1985 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य थे। वह राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (पंजाब शाखा) की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे।

एक कुशल सांसद श्री सिंगला वर्ष 1993 से 1996 तक पेट्रोलियम और रसायन संबंधी समिति के सदस्य थे।

अपने विद्यार्थी जीवन से ही श्री सिंगला अनेक सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे।

पेशे से वकील श्री सिंगला वर्ष 1975 के दौरान पंजाब कानून पुनरीक्षा समिति के सदस्य थे और वर्ष 1977 के दौरान "पेप्सू" सड़क परिवहन निगम के प्रशासनिक सदस्य थे।

उन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द के संवर्धन के लिए तथा पंजाब के सांस्कृतिक और भाषायी उत्थान के लिए कार्य किया।

लेखन पठन में रुचि रखने वाले श्री सिंगला ने "भारत में लोक प्रशासकों के संवैधानिक अधिकार" पर एक शोध कार्य भी किया है।

श्री संत राम सिंगला का 7 अप्रैल, 2005 को 71 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में निधन हुआ।

हम परम पावन पोप जॉन पॉल द्वितीय और इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इंडोनेशिया में सुमात्रा के दक्षिणी तट के नियास द्वीप पर 28 मार्च, 2005 को आए भूकम्प के कारण एक हजार से अधिक लोग मारे गए यह सभा इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

रक्षा खरीद के संबंध में सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में कथित रूप से विभिन्न शपथ पत्र दायर किये जाने तथा न्यायमूर्ति फूकन आयोग का प्रतिवेदन सभापटल पर न रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे अनुमति मांगी थी। ...*(व्यवधान)* एक बहुत ही इल्लिगल, अनकांस्टीट्यूशनल ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह क्वैश्चन आवर के बाद भी यह मामला उठा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारा भी सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपका सुझाव महत्वपूर्ण है, लेकिन जब अध्यक्ष ने कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है, तो आप को उन्हें सुनने की शिष्टता दिखानी चाहिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, आप उन्हें समझायें कि कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सरकार ने रक्षा सौदों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडैविट दिया। उस एफिडैविट से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, पूरी तरह से विरोधी, एक दूसरा एफिडैविट कुछ दिनों के बाद वहां दाखिल किया। वह न केवल इम्फमॉरल था, इल्लीगल था, अनकॉस्टीट्यूशनल था, बल्कि वह पूरी तरह से प्रतिशोध की भावना से दाखिल किया गया। ...*(व्यवधान)* लगातार ढाई वर्षों तक ये लोग जब तक ऑपोजिशन में रहे तो जॉर्ज साहब के खिलाफ निराधार और गलत आरोप लगाते रहे। अब सत्ता में आने के बाद उन्हीं आरोपों को लेकर चल रहे हैं। बात यह हुई थी कि जो पहला एफिडैविट दाखिल हुआ था, उसमें जॉर्ज साहब को क्लीन चिट दे दी गई और यह कहा गया कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, किसी नियम की अवहेलना नहीं हुई, कोई नियम नहीं तोड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको मामला उठाने की अनुमति दी है। कृपया प्रश्नकाल शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह अभी अपनी बात समाप्त कर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार डिसाइड करेगी कि क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार पर छोड़ा। ...*(व्यवधान)* सरकार इतनी बेईमानी के साथ व्यवहार करेगी, यह काफी आश्चर्यजनक है। तीन साल तक लगातार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा के नेता उत्तर देना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मुझे अपनी बात समाप्त करने दें, वह मुझे न टोकें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सारे हिन्दुस्तान में श्रीमती सोनिया गांधी जी चुनाव का प्रचार करती रहीं, यहां तक कि कफन चोर कहा गया ...*(व्यवधान)* श्रीमती सोनिया गांधी जी को लगा कि उनकी फजीहत हो रही है, उनके आरोप झूठे साबित हो रहे हैं तो दूसरा एफिडेविट देने के लिए दबाव डाला। पहले झारखंड में, फिर गोवा में, और फिर झारखंड और गोवा के बाद यहां पर आ कर रक्षा सौदों में इस तरह से व्यवहार करना ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): विपक्ष के कुछ सदस्यों की आदत है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: हमें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। श्री मल्होत्रा आप मामला उठाना चाहते थे, मैंने आपको अनुमति दी। अब मुझे एक वाक्य बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

आप बैठिए। उनको पहले ही इजाजत दी गई है। सब एक साथ खड़े होंगे तो वे भी खड़े होंगे। आप बैठिए, आपके लीडर भी बैठे हैं। हमने उनको पहले इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, हमने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। एक-एक करके सुनेंगे।

[अनुवाद]

सभा के नेता उत्तर देना चाहते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: विपक्ष के कुछ सदस्यों की आदत है कि वे मुद्दा उठा देंगे और सरकार का उत्तर सुने बिना शोर मचाना शुरू कर देंगे। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा सभा के ध्यान में लाए गए मामले पर सरकार किसी भी तरह की सूचना पर, किसी भी समय पूर्ण चर्चा कराने के लिए पूर्णत: तैयार है। विपक्ष जिस रूप में चर्चा कराना चाहता है, हम उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। यदि माननीय अध्यक्ष सहमत हों तो आज ही दोपहर में या कल किसी भी रूप में चर्चा शुरू कर सकते हैं। यदि माननीय सदस्य चर्चा करवाना चाहते हैं तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाए गए आक्षेप का खंडन करता हूं कि शपथपत्र विरोधाभाषी है। ऐसा नहीं हुआ है। इस मामले में कानून और व्यवहार के अनुसार सामान्य कार्यवाही की गई है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सी.वी.सी. की पूरी रिपोर्ट नहीं रखी गई *...(व्यवधान)* यहां पर पूरी तरह से झूठा एफिडेविट *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, यह क्या है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

जार्डन के हैशेमाइट किंगडम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। माननीय सदस्यो, मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए जार्डन के हैशेमाइट किंगडम के संसद सदस्य, महामहिम श्री सामी अली मोहम्मद खसावनेह और वहां के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का सम्मानित अतिथियों के रूप में स्वागत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

अतिथिगण आज प्रात: भारत पहुचे हैं। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद होगा। हम उनके माध्यम से जार्डन के हैशेमाइट किंगडम के राजा, संसद, सरकार और वहां की मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, क्या आपने अपनी बात समाप्त नहीं की है?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया कम समय में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें। इस पर चर्चा करने के लिए सभा के नेता पहले ही प्रस्ताव कर चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने यह बात रख रहा था कि एक कंट्राडिक्टरी एफिडेविट देकर सारे सिस्टम को मौकरी किया गया है। क्योंकि तीन साल से *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): हमें इस बात पर आपत्ति है। क्या वह किसी आधार पर ऐसा बोल रहे हैं? अथवा वह इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं?

[हिन्दी]

उस पर बहुत कुछ कहने को है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, जॉर्ज साहब ने 10 महीने पहले सरकार को एक चिट्टी लिखी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे शीघ्र बात समाप्त करने का अनुरोध किया है। कृपया संक्षेप में बोलिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जिसमें यह कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई आरोप हों तो कार्यवाही की जाये लेकिन 10 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: किसी को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उस मामले में एक केस भी ऐसा नहीं बतलाया गया जिसमें कोई गड़बड़ की बात हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सारी बातें रूल के मुताबिक हुई हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार फैसला करे, नहीं तो हम बीच में आयेंगे *...(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, यहां पर गलत तरीके से तीन साल तक सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी इसी बात पर लड़ती रही। *...(व्यवधान)* सारे के सारे चुनाव असत्य और बेईमानी पर आधारित थे। जब फजीहत हुई और पता चला कि इसमें कोई बात नहीं हुई है, तब 10-जपथ से ऑर्डर दिया गया *...(व्यवधान)* इनका ऑर्डर दिया गया और ऑर्डर देकर एफिडेविट बदलवाया गया। इसलिए हमारी मांग है कि यह सैकिंड एफिडेविट वापस लिया जाये, सी.वी.सी. की रिपोर्ट यहां रखी जाये, फूकन कमीशन की रिपोर्ट यहां रखी जाये। और इन सारी बातों पर विचार किया जाये *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उनका प्रश्न काल निलंबित करने का कोई इरादा नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह जी। मैं सब से रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि एक-एक करके बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके सबको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: इस पर चर्चा पूर्ण होने दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार, उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय में एक के बाद दूसरा हलफनामा देने के संबंध में जहां देश में विवाद उठा है, वहां देश की जनता की नजर में एक संशय की स्थिति भी बनी हुई है। हमने आपके यहां एक नोटिस दिया है, उस नोटिस में हमने कहा है कि ऐसे गंभीर सवाल पर सदन की कार्रवाई स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाए। इससे पहले जब एन.डी.ए. की सरकार थी और श्री जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे तो दो मामलों को लेकर इस सदन में जो उस समय के विपक्ष के लोग थे, बहिष्कार किया करते थे। उसी संबंध में नानावती आयोग और फूकन आयोग ने पूर्ण जांच करके एक रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट के आधार पर सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा भी दाखिल किया गया था। लेकिन हलफनामा के बाद जब मीडिया में यह बात आने लगी कि श्री जॉर्ज फर्नांडीज को क्लीन चिट दी गई तो एक बवाल मचा। बवाल मचने के बाद इसमें दो सवाल खड़े होते हैं—पहला सवाल है कि जिस पदाधिकारी ने हलफनामा दिया था, क्या उसने रक्षा मंत्री को विश्वास में लिया था या नहीं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): यह लोक महत्व का मामला नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अगर रक्षा मंत्री को विश्वास में लिये बिना उसने इस तरह का हलफनामा दिया तो क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई है। अगर रक्षा मंत्री को विश्वास में लेकर उसने हलफनामा दिया तो क्यों ऐसी परिस्थिति आई, किसके दबाव में रक्षा मंत्री ने वह हलफनामा बदलने का काम किया है। हम जानना चाहते हैं कि अगर किसी के दबाव में हलफनामा में बदलाव किया गया है और श्री जॉर्ज फर्नांडीज के चरित्रहनन का प्रयास किया गया है। श्री प्रणब मुखर्जी देश के बहुत सीनियर लीडर हैं, वह विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। भले ही उनकी साख बंगाल में हो या नहीं हो, कांग्रेस पार्टी में उनकी साख बराबर रही है। आज नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह का गलत हलफनामा क्यों दिया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाए। यह हमारी आपसे मांग है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, यद्यपि यह प्रश्न काल था, फिर भी मैंने कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। श्री मल्होत्रा जी ने बोला। उन्होंने सूचना दी थी। श्री प्रभुनाथ सिंह ने बोला। श्री बृजकिशोर त्रिपाठी ने सूचना दी है। मैं उन्हें बोलने के लिए बुला रहा हूं। मैं इस मामले के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ की बात सुनिए। सभा के माननीय नेता पहले ही हस्तक्षेप कर चुके हैं और उन्होंने सभा में स्वयं कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मुझे इस मामले पर पूर्ण चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते आप यह निर्णय करें कि यह किस समय और किस रूप में होगी। अत:, यदि आप अभी इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं और यदि कोई माननीय सदस्य निवेदन करना चाहता है तो मैं उसे अनुमति दूंगा। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं इतना भी विरोध न करें कि सभा का कार्यसंचालन न हो सके। देश को पता चले कि आप क्या कह रहे हैं। मैं रोज आप से यह अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया एक-दूसरे की बात आप सुनें और उसके बाद अपना निर्णय लें। अब, श्री त्रिपाठी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: रूल्स के मुताबिक छ: महीने में फूकन कमीशन की रिपोर्ट ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उस मुद्दे पर आऊंगा। उन्होंने सूचना दी है। यह एक अलग मुद्दा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां एक सूचना है। मैं माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज को बता सकता हूं कि मैं यह मामला पहले ही सरकार के साथ उठा चुका हूं और मुझे आशा है कि कोई कार्यवाही की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): यह एक गंभीर मामला है। एक ओर सरकार शपथपत्र दाखिल कर रही है और दूसरी ओर ...*(व्यवधान)* कुछ प्रति शपथपत्र हैं जो अस्पष्ट हैं। दूसरा शपथपत्र अपने आप में विरोधाभासी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: केन्द्र सरकार ने सी.वी.सी. की रिपोर्ट पी.ए.सी. के पास नहीं आने दी, आप कहां की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: पहले वे शपथपत्र दाखिल कर रहे हैं। दूसरे शपथपत्र में वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वह अस्पष्ट और भ्रामक है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी तो उन्हें बोलने का मौका दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह सरकार कैसी है? महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कतिपय कांग्रेस के लोगों, जो अब वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, द्वारा न्यायाधीश के. वेंकटास्वामी की ईमानदारी पर आक्षेप लगाने के बाद. उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह इसमें नहीं आयेगा।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: न्यायाधीश फूकन ने संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक अलग मामला है। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: न्यायाधीश फूकन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो संसद में प्रस्तुत नहीं की जा रही है। यह एक गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

फूकन कमीशन के बारे में आपने बोला है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि श्री मोहम्मद सलीम के पश्चात् माननीय रक्षा मंत्री की बात अवश्य सुनी जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद सलीम की बात को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। मैंने श्री सलीम का नाम पुकारा है; केवल श्री सलीम की बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अगर आप अपनी बात कहते हैं तो सुनने का साहस भी रखना चाहिए ...*(व्यवधान)* रक्षा सौदों के मामले में शुरू से हम वामपंथियों का रुख रहा है कि यह कोई होली काउ, सैक्रेड काउ नहीं है। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए और सदन को विश्वास में लेना चाहिए और खासकर एनडीए सरकार के जमने में रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री खुद सरे आम जिस तरह से मशहूर हुए हैं, पूरा देश जानता है। पिछले चुनावों में भी यह एक बड़ा मुद्दा रहा है और हम चाहते हैं कि उस बारे में चर्चा हो और यहां पर सरकार से हम कहते हैं कि रक्षा मंत्रालय में कौन ऐसे लोग हैं जो सरकार के अंदर रहकर भी पुरानी एनडीए सरकार की दलाली करते हैं। उनको भी निकाला जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.41 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक औचित्य का प्रश्न है। एक सवाल के ऊपर एक ही सरकार के दो कैबिनेट मंत्री आपस में सार्वजनिक रूप से लड़ते हैं। एक मंत्री कहता है कि हमारे विभाग द्वारा दिए हुए शपथपत्र को दूसरे विभाग ने अपने आप बदल दिया। यह संवैधानिक औचित्य का प्रश्न है, जब सरकार के दो कैबिनेट मंत्री जो एक ही घटक के हैं, आपस

में एक सवाल के ऊपर दो राय रखते हैं, तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि यह सारी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है और कोई भी कार्रवाई जो राजनैतिक बदले की भावना से की जा रही है, उस पर इस सदन के भीतर चर्चा के बाद ही देश के सामने तथ्य लाए जाने चाहिए, यह हमारी मांग है। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: ये इस ढंग से सदन में सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्रवाई सरकार कर रही है, वह कार्रवाई सरकार न करे। ये जानते हैं कि ये गुनहगार हैं, ये जानते हैं कि घोटाले हुए हैं। इसलिए ये इस मामले पर डिसकशन नहीं चाहते। सिर्फ दबाव डालने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* जो कार्रवाई सरकार कर रही है, जो मैटर सीबीआई को रैफर किये हुए हैं, उनके लिए सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया अपने अपने स्थान चले जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, वे सभा स्थगित करने हेतु आप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है, यह देश के रक्षा सौदों से जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी सरकार हो, उसके द्वारा सदन को विश्वास में नहीं लिया जाता है जिसके चलते इस तरह का घपला होता है। तहलका कांड के वीडियो टेप भी सदन में लाये जाने चाहिए और उस मामले पर बहस होनी चाहिए। यह देश के रक्षा सौदे से जुड़ा हुआ मामला है जो अति संवेदनशील मामला है। इसलिए इसके गुण और दोष पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए और सदन में इस बात का कोई नतीजा निकलना चाहिए। दो हलफनामों के बीच जो लोग हांफ रहे हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* दो हलफनामों के बीच कुछ लोग हांफने लगे हैं। *...(व्यवधान)* सरकार द्वारा सदन को विश्वास में न लेने की जो परिपाटी है, उसके चलते यह मामला इतना गंभीर हो गया है। यह मामला संवैधानिक भी है, गंभीर भी है और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला मामला है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सभी नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए। *...(व्यवधान)* मैं मांग करता हूं कि रक्षा सौदों के मामले पर इस सदन में चर्चा हो। इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके तीन प्रख्यात माननीय नेता पहले ही बोल चुके हैं। तत्काल चर्चा कराने का प्रस्ताव है। यह निर्णय करना पूरी तरह दलों तथा सभा के माननीय नेताओं पर निर्भर करता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे कम से कम थोड़ा संतोष होने दीजिए।

[हिन्दी]

हम लोग छह बजे तक काम करने के लिए आए हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अत:, सभा में यह प्रस्ताव किया गया है कि सभा के नेता इस मामले पर तत्काल चर्चा करवाना चाहते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं। यहां कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, हमें भी बोलने की अनुमति दी जाए। हमें आशंका है कि हमारे नेता कलैंगर एम. करुणानिधि को आज जयललिता सरकार ने गिरफ्तार किया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपका मामला क्या है। मुझे कुछ नहीं पता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं विपक्ष के माननीय नेता से जान सकता हूं? आप क्या चाहते हैं आज यह सभा चले या नहीं? आपके माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: तो क्या मैं उनसे जान सकता हूं? कृपया उनसे अनुरोध करें कि वे अपने-अपने स्थान पर चले जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

[हिन्दी]

इस तरह से कुछ भी बात नहीं हो सकती है। आप सभी अपनी सीट पर जा कर बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि इस सरकार को बरदाश्त करो। मेरा अनुरोध केवल इतना है कि सभा को चलने दीजिए।

[हिन्दी]

जो बोलना है, वहां से बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। माननीय सदस्यो, कृपया मुझे कम से कम एक बात कहने दी जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यहां बोलने से कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपना दु:ख व्यक्त करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आज मेरे लिए अत्यधिक दु:ख का एक और दिन है। दुर्भाग्य से प्रश्नकाल शुरू नहीं किया जा सका।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गंगा में प्रदूषण स्तर

[हिन्दी]

***321. डॉ. राजेश मिश्रा:**
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा कार्य योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गंगा नदी में लगभग 36 करोड़ लीटर औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ बहाये जाने के कारण बनारस और कानपुर में प्रदूषण खरतनाक स्तर तक पहुंच गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए आपसी सहयोग से कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) गंगा कार्य योजना चरण-I, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के 25 शहर शामिल थे, 31.3.2000 को पूरा हो चुका है। योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन 865 मिलियन लीटर सीवेज शोधन की क्षमता तैयार की गई थी। चरण-II के अन्तर्गत 52 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(ख) सरकार को गंगा नदी में औद्योगिक बहिस्राव के निस्तारण के कारण वाराणसी और कानपुर में हो रहे प्रदूषण की जानकारी है। औद्योगिक बहिस्राव की मात्रा सीवेज की तुलना में बहुत कम है। औद्योगिक निस्तारण भी 36 करोड़ लीटर से बहुत कम है। वाराणसी और कानपुर में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित रूप से नदी जल गुणता की निगरानी की जा रही है। जल गुणता में जैव आक्सीजन मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। निगरानी स्टेशनों के नदी उर्ध्वप्रवाह में स्थित शहरों और नगरों में 100% जनसंख्या वृद्धि के बावजूद औसत लीन मौसम (जब प्रदूषण सान्द्रता उच्चतम होती है) में कानुपर में बी ओ डी स्तर 1986 में 8.6 मिलिग्राम प्रतिलीटर से कम होकर 2004 में 5.7 मिलीग्राम प्रतिलीटर हो गया है। इसी प्रकार, वाराणसी में 1986 में लगभग 11 मिलीग्राम प्रतिलीटर बी ओ डी कम होकर 2004 में 3 मिलीग्राम प्रतिलीटर से भी कम है।

(ग) और (घ) गंगा में प्रदूषण स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाती है। अधिकतर कार्रवाई केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के परस्पर सहयोग से की जाती है। इनमें संयुक्त सर्वेक्षण, निगरानी और अनुवर्ती कर्रवाई शामिल है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम में प्राक्सी मजदूर

***322. श्री गणेश प्रसाद सिंह:**
श्री सीता राम यादव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विभिन्न डिपुओं में प्राक्सी मजदूर के कई मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान एफ सी आई को डिपुवार कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में मनमाड जिले में भारतीय खाद्य निगम के श्रीरामपुर डिपु में और हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के सिरसा डिपु में छद्म श्रमिक के एक-एक मामले का पता चला था। श्रीरामपुर के मामले का 14 मई, 2004 को पता चला था जबकि सिरसा डिपु के मामले का 30 जुलाई, 2004 को पता चला था। एक अन्य मामले में पश्चिम बंगाल में सीलीगुडी जिले के देबग्राम डिपु से छद्म श्रमिक के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे बाद में जांच के बाद सही नहीं पाया गया था।

छद्म श्रमिक की संभावना भारतीय खाद्य निगम के केवल 30 प्रतिशत डिपुओं तक सीमित है जहां भारतीय खाद्य निगम के अपने विभागीय/सीधे भुगतान की प्रणाली के श्रमिक कार्यरत हैं। प्रशासनिक जांच करके इस पद्धति में संलिप्त पाए गए दोषी श्रमिकों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी।

लम्बित उपभोक्ता मामले

***323. श्रीमती पी. सतीदवी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता विवाद पिटान उायोग में राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए उनमें से कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ख) क्या 90 दिनों के भीतर ऐसे मामलों को न निपटाए जाने के कारण लम्बित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्य में उपभोक्ता न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में दायर किए गए और निपटाए गए मामलों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राज्य आयोगों में मामले मुख्य रूप से अपर्याप्त आधार ढांचा, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण कुछ राज्य आयोगों के कार्य न करने और उनके द्वारा एक ही खण्डपीठ के माध्यम से कार्य किए जाने के कारण लम्बित हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार राज्यों को राज्य आयोगों और उनकी पीठों तथा जिला मंचों के साथ-साथ अतिरिक्त जिला मंचों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान दायर, निपटाए और लंबित मामलों की कुल संख्या

राष्ट्रीय आयोग:

2002		2003		2004	
दायर किए गए मामले	निपटाए गए मामले*	दायर किए गए मामले	निपटाए गए मामले*	दायर किए गए मामले	निपटाए गए मामले*
3971	3097	4625	4074	4046	4171

राष्ट्रीय आयोग:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002		2003		2004	
	दायर किए गए मामले	निपटाए गए मामले*	दायर किए मामले	निपटाए गए मामले*	दायर किए गए मामले	निपटाए गए मामले*
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1121	645	1337	1563	1741	452
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13	8	7	12		
अरुणाचल प्रदेश	6	1	3	3	1	0
असम	717	39	813	40		
बिहार	595	202	867	507		
चंडीगढ़	513	331	876	702	520	581
छत्तीसगढ़	–	–	1442	463	807	1054
दादरा व नगर हवेली/ दमन व दीव	0	1	1	4	2	2
दिल्ली	2779	2763	1785	1741	1775	2131
गोवा	69	49	145	51	76	98
गुजरात	1441	1402	2504	1530	1910	2419
हरियाणा	4095	3115	3325	1493	3079	1479
हिमाचल प्रदेश	1444	1099	1210	810	1409	763
जम्मू-कश्मीर	364	360	283	284	238	253
झारखण्ड	0	0	580	505	658	666
कर्नाटक	1078	1421	1244	1198	1711	1267

1	2	3	4	5	6	7
केरल	1550	1100	967	545	1083	562
लक्षद्वीप	0	0	0	0	2	0
मध्य प्रदेश	2144	2284	2246	2467	2353	2193
महाराष्ट्र	2487	1053	2332	1640	2420	1520
मणिपुर	–	–	–	–	–	–
मेघालय	20	12	15	6	14	5
मिजोरम	18	1	13	26	8	0
नागालैण्ड	9	6	2	1	4	1
उड़ीसा	942	533	1122	854	1772	742
पाण्डिचेरी	30	19	28	28	36	29
पंजाब	1662	1111	2413	1823	1886	1129
राजस्थान	1751	1975	1715	2500	2293	2745
सिक्किम	1	2	2	1	3	1
तमिलनाडु	1115	568	1206	633	930	660
त्रिपुरा	78	20	63	96	65	84
उत्तर प्रदेश	3517	649	2820	311	3774	128
उत्तरांचल	0	0	2401	520	683	910
पश्चिम बंगाल	867	894	895	701	795	1112
योग:	30456	22649	32281	20991	34323	24191

*पिछले वर्ष दायर किए गए मामलों सहित

उद्योग स्थापित करने हेतु पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

***324. श्री जुएल ओराम: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उद्योगों/संयंत्रों की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने मामलों को स्वीकृति प्रदान की गयी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देते समय वायु और जल प्रदूषण के प्रभावों की भली-भांति जांच नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन राज्यों में वायु और जल प्रदूषण की अधिक घटनाओं के होने का क्या औचित्य है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के अनुसार 32 औद्योगिक श्रेणियों में से 23 श्रेणियों को अनुसूची-I में सूचीबद्ध विकासीय कार्यों की नई और विस्तारित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित है।

1 जनवरी, 2002 से 31 मार्च, 2005 तक स्वीकृत की गई औद्योगिक परियोजनाओं की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	32
2.	असम	04
3.	छत्तीसगढ़	07
4.	गुजरात	109
5.	हरियाणा	20
6.	हिमाचल प्रदेश	02
7.	झारखंड	02
8.	कर्नाटक	17
9.	मध्य प्रदेश	03
10.	महाराष्ट्र	55
11.	उड़ीसा	08
12.	अन्य	49
13.	पंजाब	16
14.	राजस्थान	13
15.	तमिलनाडु	113
16.	उत्तर प्रदेश	13
17.	उत्तरांचल	01
18.	पश्चिम बंगाल	18
	कुल	482

(ग) और (घ) उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी का मूल्यांकन करते समय वायु और जल प्रदूषण के प्रभावों सहित सभी पर्यावरणीय पहलुओं के प्रभावों की विधिवत जांच की जाती है और तदनुसार ऐसी सभी इकाईयों को जारी किए जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरी पत्रों में विशिष्ट स्थितियों के अन्तर्गत निवारण उपायों का उल्लेख किया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुबंध मंजूरी शर्तों की निरन्तर निगरानी की जाती है।

(ङ) विभिन्न राज्यों में वायु एवं जल प्रदूषण की अधिक घटनाओं के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:-

- अपर्याप्त प्रदूषण निवारण सुविधाओं की स्थापना;
- उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों का अनुपालन न करना;
- प्रदूषण निवारण उपकरणों का प्रचालन एवं रखरखाव ठीक प्रकार से न करना;
- लघु उद्योगों से प्रदूषण की बढ़ती मात्रा;
- प्राकृतिक मौसम स्थितियों और धूल के पुन: निलंबन के कारण उच्च निलंबित कणिकीय पदार्थों और श्वासीय निलंबित कणिकीय पदार्थों की मात्रा;
- सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों और मजजल शोधन संयंत्रों का सक्षम न होना।

(च) प्रदूषण निवारण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कारवाई में निम्नलिखित शामिल हैं-

- विकासीय परियोजनाओं की 32 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया है।
- निर्धारित पर्यावरणीय उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों का प्रवर्तन
- स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों और उत्पाद प्रणालियों का प्रयोग
- नगरीय ठोस अपशिष्ट और घाटक अपशिष्ट का पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन
- पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय निर्धारित किए गए पर्यावरणीय उपायों की सुनिश्चितता हेतु निरन्तर निगरानी
- निर्धारित बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानकों का अनुपालन न करने वाली दोषी इकाईयों को नोटिस/निर्देश जारी करना

- प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कारपोरेट उत्तरदायित्व पर चार्टर का कार्यान्वयन
- परिवेशी वायु और जल गुणता निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क की स्थापना की जा चुकी है।

गंगोत्री ग्लेशियर का आकार घटने के कारण बाढ़

*325. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रकृति संबंधी वर्ल्ड वाइल्ड फंड (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार गंगोत्री सहित हिमालयन ग्लेशियरों का आकार ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रतिवर्ष घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. ने आरंभिक चरण में भारत में भारी बाढ़ आने और बाद के दशकों में पानी की भारी कमी होने की चेतावनी दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने डब्ल्यू.डब्ल्य.एफ. की टिप्पणियों का अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपाल कार्यक्रम की ''ग्लेशियर, ग्लेशियर का आकार घटने (ग्लेशियर रिट्रीट) और नेपाल, भारत और चीन में पड़ने वाले अनुवर्ती प्रभावों की समीक्षा'' नामक रिपोर्ट से पता चलता है कि गंगोत्री ग्लेशियर सहित हिमालयी ग्लेशियर का आकार सामान्यतया घटा (रिट्रीट) है। रिपोर्ट में यह माना गया है कि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण अगले कुछ दशकों में नदी के स्तर में वृद्धि हो सकती है जिसके कारण प्रारंभ में बाढ़ और भूस्खलन की अधिक घटनाएं होंगी लेकिन दीर्घकालिक रूप से पिघलने के लिए उपलब्ध बर्फ की मात्रा में कमी होने के साथ ग्लेशियर अपवाह और नदी के प्रवाहों में कमी हो सकती है।

(घ) और (ङ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित देश में विभिन्न संगठनों द्वारा ग्लेशियरों की विशेषताओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों से भी यह पता चलता है कि ग्लेशियरों का आकार घट रहा है। सामान्य से कम हिमपात, गर्मी के दौरान अधिक तापमान, कम सर्दी अथवा इन सभी की वजह से ऐसा होता है इस प्रकार, यहां तक कि आवाह क्षेत्र में हिमपात में कमी से पिघलने वाले क्षेत्र में बिना किसी उल्लेखनीय परिवर्तन के ग्लेशियरों में कमी आ सकती है, केवल गलेशियरों के आकार में कमी आना ही अनिवार्य रूप से ग्लेशियर पोषित हिमालयी नदियों में अतिरिक्त जल के प्रवाह का कारण नहीं है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आगे यह बताया है कि यदि यह कमी केवल ग्लेशियर के अधिक पिघलने के कारण है तो नदी के निस्सरण में कुछ वृद्धि हो सकती है। तथापि, यह प्रक्रिया बहुत धीमी है और यदि बीते समय का भविष्य से कुछ संबंध है तो भारी बाढ़ मात्र एक आशंका हो सकती है।

(च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्लेशियर के आकार में कमी को कम करने के लिए संभावित उपायों की पहचान की है जिसमें वनरोपण, कूड़े-कचरे को हटाने, ग्लेशियरों पर मानवीय हस्तेक्षप पर प्रतिबंध लगाने और सतत पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे संरक्षण क्रियाकलाप शामिल हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने ''जल संसाधनों पर जलवायुवीय परिवर्तनों के कारण संभावित प्रभाव'' संबंधी अध्ययन को अधिक बल देने वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है।

प्रयुक्त/अपशिष्ट तेल के संबंध में एन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी दिशा-निर्देश

*326. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-2005 में कितने अपशिष्ट तेल का पुनर्चक्रण/पुनर्परिशोधन किया गया;

(ख) क्या डा. त्यागराजन समिति ने प्रयुक्त/अपशिष्ट तेल के पुनर्परिशोधन/पुर्चक्रण के संबंध में कोई एन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी (ईएसटी) दिशा-निर्देश बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) वर्ष 2004-2005 के दौरान पंजीकृत यूनिटों और उनकी पंजीकृत क्षमता के पूरे प्रयोग के आधार पर प्रयुक्त आयल री-रीफाइन्ड और अपशिष्ट आयल पुन:चक्रण की गणित मात्रा क्रमश: 40,615 किलोलीटर और 51,810 किलोलीटर है।

(ख) से (घ) डा. जी. त्यागराजन की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय निगरानी समिति ने प्रयुक्त और अपशिष्ट आयल के लिए पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रौद्योगिकी मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय निगरानी समिति की उप समिति गठित करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

वन्य पशु-पक्षियों की मौत

*327. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री रविप्रकाश वर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान/अभयारण्य/आरक्षित-क्षेत्र वार और श्रेणी-वार वन्य पशुओं और पक्षियों की अद्यतन संख्या संबंधी आंकड़े क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक उनकी संख्या में कितनी वृद्धि/कमी दर्ज की गई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन पशुओं और पक्षियों में से काफी पशु-पक्षी मारे गए हैं अथवा मर गए हैं/लुप्त हो गए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि कोई जांच की है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या इस संबंध में किसी कृतक बल का गठन किया गया है और क्या सरकार ने वन्य पशुओं की स्थिति का पता लगाने हेतु एक विस्तृत अध्ययन करने का निर्देश दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा वन्य पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा सहित उनकी तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में प्रमुख वन्य जीवों की अनुमानित संख्या, पिछले आकलनों के साथ उसकी तुलना और गिरावट तथा वृद्धि विवरण-I में दी गई है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के संबंध में आकलन विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वन्य जीवों और पक्षियों की मौत के लिए प्राकृतिक और मानव प्रेरित कारक जिम्मेदार हैं।

(ङ) वन्य जीवों की मौत के प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई के संबंध भारत सरकार के स्तर पर कोई सूचना संकलित नहीं की गई है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के साथ उनकी तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन्यजीवों के शिकार और वाणिज्यिक विदोहन के संबंध में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्यजीवों की कई विरल और संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की अनुसूचियों में शामिल किया गया है इससे उन्हें अधिकतम सुरक्षा मिली है।

(3) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 का संशोधन करके उसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराध के मामलों में सजा बढ़ाई गई है। इस अधिनियम में ऐसे किसी भी उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का प्रावधान है जिसका इस्तेमाल वन्यजीव अपराध को करने के लिए किया गया हो।

(4) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां प्रदान की गई है।

(5) वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

(6) वन्यजीवों की प्रभावी सुरक्षा के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(7) भारत सरकार, जैव विविधता संरक्षण और वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के अवैध व्यापार के नियंत्रण से सम्बन्धित कई अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों की हस्ताक्षरकर्ता हैं।

विवरण-I

प्रमुख वन्य जीवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	बाघ		तेंदुआ		एशियाई शेर		हाथी		गैंडा		संगई		जंगली गधा	
		1997	2001-02	1997	2001-02	1997	2001-02	1997	2001-02	1993	1998-99	1996	1997	1999	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	171	192	138	505	शून्य	शून्य	57	74	शून्य	शून्य				
2.	अरुणाचल प्रदेश	**	61***	98	एन आर	शून्य	शून्य	1800	1607	शून्य	शून्य				
3.	असम	458	354	246	248	शून्य	शून्य	5312	5246	1440	1684				
4	बिहार	103	76	203	164	शून्य	शून्य	618	शून्य	शून्य	शून्य				
5.	छत्तीसगढ़	*****	227	-	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-				
6.	गोवा/दमन एवं दीव	6	5	25	41	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य				
7.	गुजरात	1	0	832	999	304	327	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य			2839	3863
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	30	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य				
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	821	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य				
10.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	एनआर	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य				
11.	झारखंड	*****	34	-	-	-	-	*****	772	-	-				
12.	कर्नाटक	350	401	620	एनआर	शून्य	शून्य	6088	5838	शून्य	शून्य				
13.	केरल	73	71	16	एनआर	शून्य	शून्य	3600	3850	शून्य	शून्य				
14.	मध्य प्रदेश	927	710	1851	2206	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य				
15.	महाराष्ट्र	257	238	431	513	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	मणिपुर	**	शून्य	एनआर	एनआर	शून्य	शून्य	30	12	शून्य	शून्य	143	147		
17.	मेघालय	**	47	एनआर	एनआर	शून्य	शून्य	1840	1868	शून्य	शून्य				
18.	मिजोरम	12	28	28	एनआर	शून्य	शून्य	22	33	शून्य	शून्य				
19.	नागालैंड	**	****23	एनआर	42	शून्य	शून्य	158	145	शून्य	शून्य				
20.	उड़ीसा	194	173	422	457	शून्य	शून्य	1800	1841	शून्य	शून्य				
21.	राजस्थान	58	58	474	481	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य				
22.	सिक्किम	**	एनआर	एनआर	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य				
23.	तमिलनाडु	62	60	110	41	शून्य	शून्य	2971	3052	शून्य	शून्य				
24.	त्रिपुरा	**	एनआर	18	एनआर	शून्य	शून्य	70	40	शून्य	शून्य				
25.	उत्तरांचल	*****	251	-	-	शून्य	शून्य	******	1582	-	-				
26.	उत्तर प्रदेश	475	284	1412	2168	शून्य	शून्य	1200	85	12	13				
					1200	85	12	13							
27.	पश्चिम बंगाल	361	349	108	331	शून्य	शून्य	276	328	44	120				
28.	दादर नागर हवेली	शून्य	शून्य	15	एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य				
29.	अंडमान एवं निकोबार				एनआर	शून्य	शून्य	शून्य	35	40	शून्य				
	कुल	3508	3642	7898	8203	304	327	25877	26413	1496	1817	143	147	2839	3863

एनआर–राज्य द्वारा सूचित नहीं।
**विरोध आदि के कारण सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सका।
***केवल नामदफा बाघ रिजर्व के लिए
****संपूर्ण राज्य शामिल नहीं है
*****आंकड़े अविभाजित राज्य में शामिल किए गए हैं।

विवरण II

प्रजातियां	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
पक्षी	66	56	53	76	78
स्तनधारी जीव	455	507	497	509	436
रेंगनेवाले जीव	27	41	39	40	52

खाद्य तेल का आयात

*328. श्री मदन लाल शर्मा:
श्री अनंत गुढ़े:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश में खाद्य तेल के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेशों से खाद्य तेल/सरसों सहित, तिलहनों का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमत में वृद्धि को रोकने हेतु देश में इसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य तेलों के उत्पादन के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(लाख टन में)

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्टूबर)	तिलहनों का घरेलू उत्पादन	सभी घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की निवल उपलब्धता/ उत्पादन
2001-2002	206.63	61.46
2002-2003	150.58	47.28
2003-2004	251.42 (चौथा अग्रिम अनुमान)	71.09

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरसों सहित खाद्य तेलों/तिलहनों के आयात के संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	खाद्य तेलों का आयात	सरसों के बीज का आयात	सरसों के बीज सहित तिलहनों का आयात*
2001-2002	43.22	0.021	0.026
2002-2003	43.65	0.018	0.044
2003-2004	52.95	0.018	0.047

*तिलहन उदाहरणार्थ सोयाबीन के टोटे अथवा अन्य, फलीयुक्त मूंगफली, असली, रेप/कोल्जा के बीज, सूरजमुखी के बीज, कपास के बीज, एरण्ड के बीज, तिल के बीज, सरसों, कुसुम के बीज।

(घ) सरकार द्वारा देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के जरिए किसानों को बढ़ा हुआ प्रोत्साहन देना, कुछ राज्यों में तिलहनों, दलहनों, पाम तेल और मक्के के केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत योजना का क्रियान्वयन, पाम तेल विकास हेतु वित्तीय सहायता देना, ब्रीडर बीज की खरीद के लिए सहायता देना, फाउंडेशन बीज का उत्पादन करना, प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण करना, एकीकृत जन्तुबाधा प्रबंधन आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

कृषक आय बीमा योजना

*329. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषक आय बीमा योजना (एफआईआईएस) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने एफआईआईएस को खरीफ की फसल के लिए भी बढ़ाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने किसानों को लाभ हुआ है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में इस योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) किसानों को स्थायी आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जो उपज मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कुछ चुनिंदा जिलों/राज्यों में रबी 2003-04 तथा खरीफ 2004 के दौरान एक नीतिगत तंत्र के माध्यम से कृषि आय बीमा स्कीम (एफआईआईएस) का कार्यान्वयन प्रायोगिक (पायलट) आधार पर किया गया। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) इसमें केवल चावल तथा गेहूं की फसल को कवर किया गया।

(2) यह स्कीम "एकसमान क्षेत्र" (होमोजिनस एरिया) दृष्टिकोण पर आधारित है। अधिसूचित क्षेत्र कोई भी प्रशासनिक यूनिट जैसे ग्राम पंचायत, मंडल, राजस्व वृत्त, ब्लॉक, तालुक्का अथवा जिला हो सकती है।

(3) यह स्कीम ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

(4) प्रीमियम दरें बीमांकिक होती हैं, जिन्हें जिला स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित किया जाता है।

(5) बीमित किसानों द्वारा अदा की जाने वाली प्रीमियम पर भारत सरकार द्वारा संब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रीमियम की 75% तथा अन्य किसानों के लिए 50% होगी।

(6) इण्डेम्निटी के दो स्तर रखे गए हैं, अर्थात कम जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए 90% और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए 80%।

(7) यदि बीमित किसान की वास्तविक आय (वर्तमान उपज × वर्तमान बाजार मूल्य) गारंटीशुदा आय (7 वर्षों की औसत उपज ×इण्डेम्निटी का स्तर (80% अथवा 90%) × न्यूनतम समर्थन मूल्य) से कम होती है, तो उसे प्रतिपूर्ति दी जाती है।

(8) चुनिंदा जिलों/फसलों के लिए, जहां कृषि आय बीमा स्कीम (एफआईआईएस) प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित की जा रही है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनआईआईएस) का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया जाता है।

कुछ राज्यों ने इस स्कीम को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आधारित खरीद को स्थगित रखना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी थे, जैसे उपज तथा, मूल्य की ''आफ सेटिंग'' प्रवृत्ति, प्रीमियम दरें अधिक होना, अनाकर्षक गारंटीशुदा आय तथा केवल दो फसलों अर्थात गेहूं व चावल को कवर किया जाना।

अतएव, समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों एवं फसल बीमा संबंधी संयुक्त दल की सिफारिशों को देखते हुए इस स्कीम को रबी 2004-05 मौसम से समाप्त कर दिया गया है।

(घ) इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न है।

(ङ) चूंकि इस स्कीम को रबी 2004-05 से समाप्त कर दिया गया है, अत: इसका प्रचार-प्रसार करना अपेक्षित नहीं है।

विवरण

कृषि आय बीमा स्कीम

लाभान्वित किसानों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	मौसम रबी 2003-04 लाभान्वित किसानों की संख्या
1.	असम	1740
2.	बिहार	11
3.	छत्तीसगढ़	2146
4.	गुजरात	0
5.	झारखंड	570
6.	कर्नाटक	0
7.	मध्य प्रदेश	0
8.	महाराष्ट्र	124
9.	तमिलनाडु	0
10.	उत्तर प्रदेश	6709
11.	उत्तरांचल	23
12.	जम्मू-कश्मीर	0
	कुल	11323
	मौसम	खरीफ 2004*

*अन्य राज्यों से खरीफ 2004 के बाजार मूल्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: दावों का हिसाब अभी लगाया जाना है।

प्रतिरक्षण अपशिष्ट का निपटान

***330. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिरक्षण अपशिष्टों का उचित रूप से निपटान नहीं किया जाता है और देश के विभिन्न अस्पतालों में उनका पुनर्चक्रण और पुन: प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिरक्षण अपशिष्टों के जलाये जाने से घातक गैसें निकलती हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षण अपशिष्टों को निपटाने के लिए कोई नई प्रौद्योगिकी अपनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं लायी गयी हैं।

(ग) से (च) प्रतिरक्षण अपशिष्ट भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट है और उनका जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार निपटान किया जाना अपेक्षित है। प्रतिरक्षण अपशिष्ट में शार्पस, नीडल्स, सिरिंज, सकैल्प्स, ब्लेड्स और ग्लास शामिल हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अंतर्गत प्रतिरक्षण के दौरान उत्पन्न सिरिंज को भस्म करने/जलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि ऐसा करने से हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन हो सकता है। नियमों की अनुसूची-। के अनुसार इन अपशिष्टों के निपटान की निर्धारित विधियां रासायनिक शोधन/हस्तशोधन/सूक्ष्म शोधन और विकृति/उड़ाना हैं। हस्त शोधन और सूक्ष्म शोधन सहित जैव चिकित्सा अपशिष्टों के शोधन एवं निपटान के मानक नियम की अनुसूची-5 में निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

कपास की उत्पादन लागत

***331. श्री नंद कुमार सिंह चौहान:**
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों के दौरान कपास की उत्पादन लागत में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या किसानों को उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कपास का उचित बिक्री मूल्य नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कपास की उत्पादन लागत और उसके बिक्री मूल्य में संतुलन स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह अनौचित्यपूर्ण असन्तुलन भी कपास उत्पादकों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में वृद्धि होने के कारणों में से एक कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्ष 2002-03, 20003-04 और 2004-05 में कपास उत्पादक प्रमुख राज्यों में कपास उत्पादन की लागत के आधार पर कपास की भारित औसत सी2 उत्पादन लागत जिसमें नकद और वस्तु के रूप में किया गया वास्तविक व्यय, पट्टे की भूमि का किराया, और स्वामित्व वाली भूमि के आरोपित मूल्य, पारिवारिक श्रम की मजदूरी तथा निर्धारित पूंजी पर ब्याज शामिल है, क्रमश: 1775.04 रुपये, 1937.86 रुपये और 2020.76 रुपये प्रति क्विंटल रही है। कपास की उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी जो 2002-03 के मुकाबले 2003-04 में 9.2% हो गयी थी 2003-04 के मुकाबले 2004-05 में 4.3% कम हो गई है।

(ख) अन्य जिंसों की तरह कपास का मूल्य भी केवल इसकी उत्पादन लागत पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर मांग और आपूर्ति की स्थिति पर भी निर्भर करता है। चूंकि 2003-04 में कपास की आपूर्ति इसकी मांग से कम हो गयी थी, अत: इस वर्ष इसके मूल्य में काफी वृद्धि हो गयी, जब कि 2004-05 में कपास की आपूर्ति ज्यादा होने और इसकी तुलना में मांग में वृद्धि न हो पाने के कारण इस वर्ष कपास का मूल्य कम रखना पड़ा।

(ग) से (ङ) कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार बेहतर औसत गुणवत्ता वाले (एफ.ए.क्यू.) कपास (सीड कॉटन) के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। जब भी कपास का बाजार मूल्य इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रहता है, भारतीय कपास निगम मूल्य समर्थन प्रचालन कार्य करता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद करता है। कपास की खरीद के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय कपास निगम के अलावा कपास की खरीद के लिये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) को फरवरी 2005 में अतिरिक्त एजेन्सी के रूप में घोषित किया है। 11 अप्रैल 2005 तक भारतीय कपास निगम ने 137.8 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है जो कि 26.89 लाख लिन्ट गांव के समान है। नेफेड ने 183 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है जो कि 0.36 लिन्ट गांठ होती है। जहां तक किसानों की आत्महत्याओं का सवाल है, इस प्रकार की ज्यादातर मौतें कर्ज, पट्टे की जमीन के अतिदेयता, एकल

फसलन (मोनोक्रॉपिंग) और 'बोर-वेलों' की असफलता के कारण हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए अधिकांश राज्य सरकारों ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किये हैं। इनमें वे सामाजिक और आर्थिक उपाय भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर, अल्पावधिक सहकारी ऋणों पर ब्याज को माफ कर असफल कुओं पर बकाया ऋण और उस पर लगने वाले ब्याज को माफ करके, दिये गये ऋण पर ब्याज की दर कम करके तथा रियायती दर पर आदानों की आपूर्ति करके सभी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

***332. श्री विक्रम केशरी देव:**
श्री डी. विट्टल राव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई बैठक की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(च) मिशन के अंतर्गत राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(छ) क्या राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि का उपयोग करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ज) राष्ट्रीय बागवानी मिशन को शीघ्र की शुरू किए जाने की आशा है। प्रस्तावित मिशन में बागवानी अनुसंधान, विकास, फसल कटाई पश्चात प्रबंध, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है ताकि उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार लाया जा सके। इस मिशन में अच्छी गुणवत्ता के बीजों और पौधे सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने, एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर उन्नत किस्मों के साथ नए क्षेत्रों की कवरेज, हाई-टैंक हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादकता सुधार, पैक हाउसेज, शीतागार तथा नियंत्रित वातावरण की भण्डारण यूनिटों के माध्यम से फसल कटाई पश्चात प्रबंध के लिए बुनियादी ढांचे का सृजन, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों एवं मण्डी की स्थापना के प्रस्ताव हैं।

21.12.2004 को नई दिल्ली में राज्य कृषि मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक के दौरान राज्य कृषि मंत्रयों को निम्नलिखित मुद्दों पर कार्रवाई सहित तैयारी सुनिश्चित करने की जरूरत के बारे में अवगत कराया गया था:

1. प्रत्येक फसल के लिए संभावना वाले क्षेत्र की पहचान करना और इसके समग्रतावादी विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
2. उपर्युक्त कार्यान्वयक एजेन्सियों की पहचान करके एक प्रभावी डिलीवरी तंत्र सुनिश्चित करना।
3. क्षति को कम करने के लिए प्रसंस्करण और फसल कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना।
4. बागवानी उत्पादों के विपणन को सरल और कारगर बनाने के लिए एएमपीसी अधिनियम को संशोधित करना, तथा
5. किसानों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं/नाबार्ड के साथ वार्ता शुरू करना।

वर्ष 2005-06 के दौरान इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए 630.00 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। राज्यों की उपलब्ध संभावित अवसंरचना और अवशोषित क्षमता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को प्रत्येक वर्ष हेतु कार्य योजनाओं के आधार पर निधियां मुहैया किए जाने का प्रस्ताव है।

इस स्कीम के अनुमोदन के पश्चात शीघ्र ही स्कीम के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाएंगे।

राष्ट्रीय कृषक आयोग की रिपोर्ट

***333. श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग द्वारा अंतिम रिपोर्ट 13.10.2006 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

यह रिपोर्ट भारी विवशताओं का सामना कर रहे कृषक परिवारों के लिए समेकित जीवन बचाव समर्थन कार्यक्रम, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने, कृषि में लगी महिलाओं के लिए एक नई डील, बागवानी क्रान्ति को सुदृढ़ बनाने और इसका विस्तार करने, कपास की उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, कृषि जिन्सों के व्यापार को बनाए रखने और विस्तार करने तथा इसकी स्वच्छता व पादप स्वच्छता विस्तार, ज्ञान केन्द्र के रूप में गांव तथा चारा और आजीविकाओं की खाद्य एवं पोषक-तत्व सुरक्षा के संबंध में है। इस रिपोर्ट में सुनामी के कारण मछुआरों और कृषि परिवारों को बेचारगी से उबारकर पुर्नवास तथा उपशमन (एलिवियेशन) समुदाय आधारित संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं हेतु ग्राम पंचायत महिला कोष बनाने जैसी प्रशासनिक पहलों को भी शामिल किया गया है। अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशें आयोग के विचारार्थ विषयों के पूर्णरूप से अनुरूप नहीं हैं और सरकार इस संबंध में आयोग से वार्ता कर रही है। आयोग द्वारा की गई कई सिफारिशों को पहले ही सरकार की विद्यमान स्कीमों और इस वर्ष वार्षिक योजनाओं में चलाई जाने वाली स्कीमों के अधीन कवर हैं।

सिफारिशों की विभिन्न विभागों द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कारखानों/पत्तनों में घातक दुर्घटनाएं

*334. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कारखानों और पत्तनों में राज्यवार और वर्षवार कितनी घातक दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए;

(ख) क्या कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थानों के महानिदेशक ने दुर्घटनाएं होने के कारणों का पता लगाने हेतु कारखानों और गोदियों का निरीक्षण किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कारखानों तथा पत्तनों में श्रमिकों की कार्यदशा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थितियों में सुधर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की कारखानों और पत्तनों आदि में हुई दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों के परिवारों का पुनर्वास करने संबंधी कोई नीति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) मुख्य कारखाना निरीक्षकों से प्राप्त कारखाना दुर्घटनाओं के दौरान सांघातिकताओं (फैटेलिटीज) का राज्यवार ब्यौरा क्या गोदी सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त प्रमुख पत्तनों से संबंधित इसी प्रकार का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को उनके कारखाना निरीक्षणालयों, जिन्हें कारखानों का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है, के माध्यम से करवाने के लिए सौंपा गया है। कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय एक परामर्शी निकाय है, अत: वे कारखानों का कोई निरीक्षण नहीं करते हैं।

गोदियों तथा पत्तनों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अन्तर्गत कवर किया जाता है। इस अधिनियम के प्रवर्तन का कार्य बड़े पत्तनों के लिए गठित गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय को सौंपा जाता है। डी जी फासली, गोदी, सुरक्षा का मुख्य निरीक्षक भी है। गोदी सुरक्षा निरीक्षक पानी के जहाजों, टैंकरों, लूज गियरों, कंटेनर हैंडलिंग उपस्कर, गोदियों, कंटेनर यार्ड तथा टर्मिनल, जोखिमकारी संस्थापना तथा एकाकी स्टोरेज टैंकों में नियमित निरीक्षण और दुर्घटनाओं (घातक तथा गंभीर) एवं खतरनाक घटनाओं की जांच-पड़ताल करते हैं।

मुख्य कारखाना निरीक्षकों से कारखानों में दुर्घटनाओं तथा गोदी, सुरक्षा निरीक्षकों से गोदियों/पत्तनों में दुर्घटनाओं के बारे में प्राप्त ब्यौरे के आधार पर, डी जी फासली कारणवार विश्लेषण करता है।

(ग) विनिर्माण क्षेत्र और पत्तनों/गोदियों में संसूचित की गई दुर्घटनाओं में कामगारों की मृत्यु तथा गंभीर चोटों के लिए मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

	विनिर्माण क्षेत्र		पत्तन/गोदियां
1.	ऊंचाई से गिरना (सुरक्षा कवच का प्रयोग न करना)	1.	सामान से आघात अथवा चोट लगना
2.	परिवहन उपस्कर द्वारा कुचलना	2.	वस्तुओं का गिरना
3.	जहरीले रसायनों के सम्पर्क में आना	3.	व्यक्तियों का गिरना
4.	आग के कारण जलना	4.	मशीनों वाहनों आदि के पार्ट्स के बीच फंसना।
5.	विस्फोट	5.	बिजली का करंट लगना अथवा उसके संपर्क में आना
6.	ऑक्सीजन की कमी वाले सीमित स्थान में कार्य करना, तथा अन्य खतरनाक गैसों की उपस्थिति के कारण	6.	विस्फोट
7.	असुरक्षित मशीनों पर मूविंग पार्ट्स के बीच अंगों का फंस जाना		
8.	वस्तुओं से आघात तथा चोट लगना। सामान का गिरना भी प्राय: दुर्घटना के कारण हैं		
9.	संयन्त्र तथा यन्त्रों का अनुचित रखरखाव		
10.	फिसलन वाली सतहों पर गिरने के कारण दुर्घटनाएं।		

प्रवर्तन एजेंसियां अपने निरीक्षणों के दौरान उन्हें पता चली दुर्घटनाओं के कारणों का निराकरण करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करती हैं। कानूनों में भी चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ दांडिक कार्रवाई का प्रावधान है।

(घ) और (ङ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में रोजगार के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु होने के मामले में आश्रितों के लिए लाभों का प्रावधान है।

विवरण

कारखानों में घातक चोटों का राज्यवार ब्यौरा (अनंतिम)

राज्य	घातक दुर्घटनाएं		
	2002	2003	2004
1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
आंध्र प्रदेश	99	98	90
असम	9	6	12
बिहार	5	6	6
चंडीगढ़	0	0	0
छत्तीसगढ़	34	26	47
दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली	2	4	2
गोवा	13	3	13
गुजरात	230	229	221
हरियाणा	58	53	60
हिमाचल प्रदेश	–	1	
जम्मू एवं कश्मीर	–	–	
झारखंड	–	14	
कर्नाटक	54	61	48
केरल	18	18	10
मध्य प्रदेश	49	28	30
महाराष्ट्र	150	156	–
मणिपुर		0	0
मेघालय	–	–	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	13	6	5
नागालैंड	0	0	0
उड़ीसा	32	49	39
पांडिचेरी	5	5	4

1	2	3	4
पंजाब	24	36	45
राजस्थान	58	65	58
तमिलनाडु	54	43	53
त्रिपुरा	0	1	0
उत्तर प्रदेश	126	74	86
उत्तरांचल	8	8	12
पश्चिम बंगाल	56	57	63

टिप्पणी: शेष राज्यों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 को अभी तक लागू नहीं किया गया है/ कोई पंजीकृत कारखाने नहीं।

उपलब्ध नहीं

	बड़े पत्तनों में घातक दुर्घटनाएं		
पत्तन का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
मुंबई	7	3	3
जवाहर लाल नेहरू पत्तन	2	1	5
कांडला	6	4	3
मरमगांव	–	–	2
कोलकाता	4	3	3
पारादीप	1	2	3
विशाखापत्तनम	1	2	4
चेन्नई	5	4	3
कोचीन	–	–	–
न्यू मंगलौर	1	–	1
तूतीकोरीन	2	5	2

बाढ़ और भूक्षरण नियंत्रण संबंधी कृतक-बल

***335. डा. अरूण कुमार शर्मा:**
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाढ़ और भूक्षरण नियंत्रण संबंधी कृतक-बल की विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन की कार्य योजना और उसके लिए बनाए गए क्रियान्वयन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) असम सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत तथा स्वीकृति हेतु लंबित बाढ़ और भूक्षरण नियंत्रण परियोजनाओं को उनके कुल परिव्यय और स्वीकृति की स्थिति सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ तथा भूक्षरण नियंत्रण संबंधी किसी विशेष योजना को अंतिम रूप दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी): (क) जल संसाधन मंत्रालय ने असम और पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या की जांच करने हेतु अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में अगस्त, 2004 में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियन्त्रण संबंधी एक कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल ने दिनांक 31.12.2004 को जल संसाधन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस कार्यबल की विस्तृत सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

इस कार्यबल ने बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका बढ़ाने की सिफारिश की है। इसने यह सिफारिश की है कि बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का वित्तपोषण वर्तमान 75:25 से 90% केन्द्र और राज्य 10% राज्य के अनुपात में केन्द्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस कार्यबल ने सिफारिश की है कि सभी गंभीर बाढ़ प्रबंधन और गंभीर कटावरोधी कार्यों को समायोजित करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के संग्रह में भी पर्याप्त वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

कार्यबल ने आगामी बाढ़ मौसम के पहले तत्काल उपाय के रूप में 316.14 करोड़ रुपये की स्कीमों की सिफारिश की है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों अर्थात वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान अल्पकालिक एक उपाय के अंतर्गत 2030.15 करोड़ रुपये की स्कीमों की सिफारिश की गई है तथा 11वीं योजना के दौरान आवश्यकता के रूप में 2635.81 करोड़ रुपयों का अनुमान लगाया गया है।

कार्यबल ने सिफारिश की है कि योजना/बाढ़ प्रबंधन के लिए कुल निवेश को कुल परिव्यय के विद्यमान आधे प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 1% कर दिया जाए।

इसने तटबंधों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य क्षेत्र में निधि निर्धारित करने की सिफारिश की है।

केन्द्रीय वित्तपोषण के पात्र मानदंड को प्रति स्कीम 3 करोड़ रुपये की विद्यमान सीमा से घटाकर 1 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

कार्यबल ने 50 करोड़ रुपये के रिवोल्विंग निधि के सृजन की सिफारिश की है जिसे आपातिक बाढ़ प्रबंधन स्कीमों को प्रारंभ करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय को वार्षिक तौर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इस विशेष मामले में योजना आयोग के "सैद्धान्तिक" अनुमोदन की सामान्य आवश्यकता को छोड़ दिए जाने की सिफारिश की जाती है। सीडब्ल्यूसी/ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा निरीक्षण के पश्चात राज्यों/बोर्ड द्वारा इस निधि के अंतर्गत आने वाली स्कीमों को कार्यान्वित किया जा सकता है। कार्यबल ने आगे यह सिफारिश की है कि इस रिवाल्विंग निधि के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते बाढ़ प्रवण राज्यों में सड़क, भवन, विद्युत संयंत्र जैसे नए अवसंरचनाओं पर 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक बाढ़ उपकर लगाया जा सकता है।

कार्यबल ने यह सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार जलाशय परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक के वित्तपोषण पर विचार कर सकती है।

संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतर्गत, कार्यबल ने सभी सांविधिक शक्तियों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की है। इसी बीच इसने ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सुदृढ़ करने तथा इसे पुनर्गठित करने की सिफारिश की है।

कार्यबल ने सिक्किम और उत्तर बंगाल नदी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के साथ-साथ एक सदस्य (कार्य) को शामिल करते हुए गंगा बाढ़ नियंत्रक आयोग को सुदृढ़ करने तथा गंभीर बाढ़ प्रबंधन कार्य के अन्वेषण और निष्पादन के लिए अपयुक्त क्षेत्र निर्माण की सिफारिश की है।

कार्यबल ने फरक्का बैराज संगठन के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने की सिफारिश की है।

नीति निर्माण तथा कार्यबल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय को ध्यान में रखते हुए इसने पूर्व में समाप्त किए गए सदस्य (बाढ़) की पुनर्बहाली तथा मुख्य अभियंता, दो निदेशक तथा अन्य निम्न स्तरीय कार्यकर्ताओं के पदों की भी पुन: तैनाती द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ प्रबंधन संगठनों को सुदृढ़ करने की भी सिफरिश की है।

कार्यबल ने यह भी सिफारिश की है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड और प्रस्तावित सिक्किम और उत्तर बंगाल नदी प्रबंधन बोर्ड को निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत करने के वास्ते स्कीमों की प्रौद्यो-आर्थिक जांच का कार्य सौंपा जाए।

कार्यबल ने पूर्वोत्तर में तथा नेपाल और भूटान में जलाशय परियोजनाएं शीघ्र प्रारंभ करने के लिए दीर्घकालिक उपायों को भी काफी महत्व दिया है।

कार्यबल की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों/योजना आयोग तथा संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित कर दी गई है। कार्यबल की इस रिपोर्ट पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

(ख) स्वीकृति के लिए लम्बित बाढ़ प्रबन्धन स्कीमों के मूल्यांकन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	जांच की जा रही स्कीमें		स्कीमें जिनके लिए टिप्पणी भेजी गई	
		स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)	स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)
क. केन्द्रीय जल आयोग**					
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	14.69	1	4.90
2.	असम	5(2*)	68.88	22(12*)	266.11
3.	मेघालय	-	-	1*	1.80
4.	मिजोरम	-	-	1	5.60
5.	नागालैंड	1*	1.81	-	-
6.	त्रिपुरा	-	-	5(1*)	37.30
7.	जम्मू एवं कश्मीर	7	14.80	7	146.29
8.	गुजरात	-	-	1	1427.30
9.	पंजाब	1	8.19	1	128.29
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	1	241.57
11.	आंध्र प्रदेश	-	-	2	12.50
12.	उड़ीसा	-	-	6	740.95
13.	कर्नाटक	-	-	1	183.20
14.	केरल	-	-	1	5.80
ख. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग***					
15.	बिहार	2	357.98	15	93.86
16.	झारखंड	-	-	-	-
17.	पश्चिम बंगाल	5	12.32	6	6.78
18.	उत्तर प्रदेश	6	122.80	9	296.35

*ब्रह्मपुत्र बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीमें।
**मार्च, 2005 तक
*** जनवरी, 2005 तक

(ग) भारत सरकार ने तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) के अन्तर्गत संसद के एक अधिनियम अर्थात ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड को सिंचाई, जल विद्युत, नौवहन तथा अन्य लाभकारी प्रयोजन के लिए जल संसाधनों के विकास और उपयोग पर भी उचित ध्यान देते हुए ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़, तट कटाव को नियन्त्रित करने और जल निकास में सुधार लाने के लिए मास्टर योजना तैयार करने संबंधी

उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तदनुसार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने नीचे दर्शाये गए अनुसार तीन भागों में मास्टर योजना तैयार की है:

(क) भाग-1 - ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा

(ख) भाग-2 - बराक नदी

(ग) भाग-3 - ब्रह्मपुत्र एवं बराक की सहायक नदियां एवं त्रिपुरा की नदियां

भारत सरकार द्वारा मास्टर योजना भाग-1 एवं भाग-2 का अनुमोदन कर दिया गया है। भाग-3 के तहत भारत सरकार द्वारा 32 मास्टर योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

भारत सरकार ने दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार के हिस्से (90% अनुदान और 10% ऋण) के रूप में 150.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत "ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियन्त्रण एवं कटावरोधी स्कीमें" नामक स्कीम को अनुमोदित किया है। इसमें से असम राज्य के लिए 81 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है

[हिन्दी]

संगठित/असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन

***336. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री टी. के. हमजा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने कह कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र द्वारा कितने प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2004-05 के दौरान सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में आई कमी को देखते हुए संगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रोजगार कार्यालयों में कुल कितने शिक्षित व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं और राज्यवार कितने प्रतिशत शिक्षित महिलाओं के नाम दर्ज हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सृजित किए गए रोजगार का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार 1994-2000 की अवधि के दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्र का अंशदान क्रमश: 7% तथा 93% के लगभग था।

चूंकि संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक एवं निजी) का अंशदान बहुत अधिक नहीं है तथा अधिकांश रोजगार सृजन असंगठित क्षेत्र में हो रहा है अत: 10वीं योजना के दौरान सरकार की नीति संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में एक साथ लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने की है।

31 दिसम्बर, 2002 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित रोजगार चाहने वालों तथा रोजगार चाहने वाली शिक्षित महिलाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I पर संलग्न है।

वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान प्रमुख राज्यों हेतु संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार शिक्षित रोजगार चाहने वालों की संख्या और रोजगार चाहने वाली शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत

क्रमांक	राज्य	कुल शिक्षित (हजार में)	शिक्षित महिलाएं (%)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2872.2	23.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.2	31.4
3.	असम	1024.9	20.0
4.	बिहार	1484.1	7.9
5.	छत्तीसगढ़	687.4	18.3
6.	दिल्ली	845.1	33.0
7.	गोवा	84.1	37.9
8.	गुजरात	864.4	20.7
9.	हरियाणा	596.8	17.4
10.	हिमाचल प्रदेश	695.6	30.8
11.	जम्मू-कश्मीर	90.7	11.5
12.	झारखंड	709.7	12.7

1	2	3	4
13.	कर्नाटक	1273.1	24.6
14.	केरल	3026.4	53.3
15.	मध्य प्रदेश	1474.0	19.9
16.	महाराष्ट्र	3350.2	20.0
17.	मणिपुर	263.2	34.7
18.	मेघालय	20.3	55.1
19.	मिजोरम	21.6	41.7
20.	नागालैंड	21.5	34.9
21.	उड़ीसा	618.2	18.8
22.	पंजाब	383.1	23.7
23.	राजस्थान	523.1	10.1
24.	सिक्किम*		
25.	तमिलनाडु	3128.7	43.9
26.	त्रिपुरा	105.7	34.7
27.	उत्तरांचल	275.7	19.5
28.	उत्तर प्रदेश	1392.0	9.9
29.	प. बंगाल	3483.9	26.0
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	16.9	40.0
31.	चण्डीगढ़	57.3	36.6
32.	दादर व नगर हवेली	4.0	35.1
33.	दमन व दीव	4.5	33.3
34.	लक्षद्वीप	5.7	38.5
35.	पाण्डिचेरी	138.8	44.7
	कुल योग	29555.1	26.8

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

विवरण-II

क्र.सं.	प्रमुख राज्य	1994 (हजार में)			2000 (हजार में)		
		कुल रोजगार	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र	कुल रोजगार	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	35899	1877.7	34021.3	36148	2071.6	34076.4
2.	असम	8075	1069.3	7005.7	9357	1084.5	8272.5
3.	बिहार	31328	1701.3	29626.7	36437	1613.9	34823.1
4.	गुजरात	19233	1701.7	17531.3	22931	1690.3	21240.7
5.	हरियाणा	6528	631.9	5896.1	7159	651.6	6507.4
6.	कर्नाटक	22166	1530.4	20635.6	23599	1863.3	21735.7
7.	केरल	11437	1198.1	10238.9	12444	1209.8	11234.2
8.	मध्य प्रदेश	31634	1676.8	29957.2	34424	1593.7	32830.3

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	महाराष्ट्र	37933	3766.2	34166.8	41241	3759.8	37481.2
10.	उड़ीसा	14155	794.3	13360.7	14981	797.9	14183.1
11.	पंजाब	8073	833.5	7239.5	9885	845.8	9039.2
12.	राजस्थान	21897	1223.7	20673.3	23212	1275.7	21936.3
13.	तमिलनाडु	28430	2381.5	26048.5	28895	2524.5	26370.5
14.	उत्तर प्रदेश	54238	2656.7	51581.3	58924	2552.7	56371.3
15.	प. बंगाल	26639	2332.1	24306.9	28237	2352.3	25884.7
	सभी प्रमुख राज्य	357665	25375.2	332289.8	387950	25887.4	362062.6
	अखिल भारत	374450	27374.8	347075.2	397000	27959.7	369140.3

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट का निपटान

*337. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मात्रावार और मूल्यवार वार्षिक रूप से कितनी इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न हो रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलेक्ट्रानिक-अपशिष्ट सामग्री में सीसा, केडमियम, पारा और गैर-जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक जैसे विषैले पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक हैं और इनसे मृदा और जल प्रदूषण होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी अपशिष्ट सामग्री के सुरक्षित निपटान हेतु कोई संतोषजनक तकनीक खोजने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस संबंध में कितनी सफलता मिली है;

(ङ) क्या पश्चिमी देशों में पुनर्चक्रण हेतु एकत्रित की गई 60 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट सामग्री को भारत सहित एशिया के अन्य देशों में भेजा जाता है जहां पर पुनर्चक्रण की लागत सस्ती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक-अपशिष्ट सामग्री के सुरक्षित निपटान और इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) और (ख) ई-अपशिष्ट, जिसमें इलैक्ट्रानिक सामान का अपशिष्ट, जो पर्सनल कम्प्यूटर से लेकर विभिन्न घरेलू उपकरण जैसे टी.वी., फ्रिज, सैलफोन आदि से होता है, शामिल है। मात्रा और मूल्य के संदर्भ में ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। ई-अपशिष्ट में विषैले तत्व जैसे सीसा, कैडमियम, मरकरी और गैर-जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक शामिल हैं, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर घातक हो सकते हैं और इसका यदि पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रणाली से निपटान नहीं किया गया हो तो इससे मृदा और जल प्रदूषण हो सकता है।

(ग) और (घ) ई-अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन में पुन: प्रयोग, पुन: चक्रण, संसाधन प्राप्ति और सुरक्षित रूप से भूमिभरण के रूप में अंतिम रूप से निपटान शामिल है।

(ङ) से (छ) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के उपबंधों और उनके संशोधनों के अनुसार अपशिष्ट

इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रानिक असैम्बली अनुसूची-3 (भाग ए) की सूची क और ख में श्रेणी ए-1180 और श्रेणी बी-1110 के अंतर्गत शामिल है जो परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात और निर्यात के लिए लागू है और इस श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट की केवल प्रत्यक्ष पुन: प्रयोग की न कि पुन: चक्रण अथवा अंतिम निपटान की अनुमति है। इसलिए इस अपशिष्ट के आयात के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से विशिष्ट अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। इस मंत्रालय द्वारा अभी तक किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

बी.टी. कॉटन की खेती हेतु अनुमति

***338. श्री बी. विनोद कुमार:**
श्री सी. के. चन्द्रप्पन:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने मोन्सेंटों-मायको बायोटेक बी.टी. कॉटन किस्म की खेती करने की दी गई अनुमति की समीक्षा करने हेतु हाल ही में एक बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों ने मोन्सेंटों-मायको बी.टी. कॉटन किस्म की खेती का विरोध किया है क्योंकि इससे फसल पैदावार में वृद्धि नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस संबंध में मोन्सेंटों-मायको बायोटेक के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा पैदावार कम होने के कारण घाटा उठाने वाले किसानों को राहत/क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने 4.3.2005 और 13.4.2005 को हुई अपनी बैठकों में मैसर्स महाराष्ट्र हाइब्रीड सीड कंपनी लि. (मायको) मुंबई के मार्च 2005 के उनकी अपनी बीटी काटन किस्मों के अनुमोदन के नवीकरण के अनुरोध पर विचार किया।

(ख) कुछ अन्य गैर सरकारी संगठनों और कृषक एसोसिएशनों के मतों को सुनने के बाद और इस मामले में विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने मैसर्स मायको के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों से कुछ अतिरिक्त सूचना मंगवाने का निर्णय लिया है।

(ग) विभिन्न संगठनों और निजी व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिवेदनों में अन्य बातों के साथ कुछ स्थानों पर घटिया उपज और पैदावार न होने के आरोप लगाए हैं।

(घ) आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने के बाद इस मामले पर अपना मत देगी।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) कृषकों को मुआवजे राहत, यदि कोई हो, का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित कानूनों के मद्देनजर लिया जाता है।

[हिन्दी]

वन भूमि का अतिक्रमण

***339. श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्रीमती नीता पटैरिया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में बड़े पैमाने पर वन भूमि का अतिक्रमण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) विभिन्न राज्य/संघ शासित सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में लगभग 13.43 लाख हैक्टयर वनभूमि पर अतिक्रमण है। यह देश में कुल वन का लगभग 0.203% है।

(ख) जी हां। वनभूमि पर अतिक्रमण भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत है। अतिक्रमण के ऐसे मामलों से निपटने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मिर्च पाउडर में मिलावट

*340. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत से निर्यात किए गए मिर्च पाउडर के एक बैच में 'कारसिनोजेनिक' अपमिश्रण का पता चलने से हाल में मचे हड़कंप की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में उपभोक्ता कल्याण के लिए मिलावटी तथा नकली उत्पादों का प्रसार प्रमुख चुनौती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों और उपभोक्ता संगठनों सहित अन्य एजेंसियों को ऐसे मामलों को उजागार करने के लिए लिखा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर इन एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्या है तथा इसके तत्काल कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में मिलावट और नकली चीजों के संकट को टालने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने नवंबर, 2003 में सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने खाद्य उद्योग द्वारा किए जा रहे सुडान-। के प्रयोग को रोकने के विशेष उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों के प्राधिकारियों से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने हेतु अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से लाल मिर्च की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने और कथित अधिनियम के अंतर्गत सभी स्रोतों से अधिक से अधिक नमूने उठाने का अनुरोध किया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग ने भी 15 मार्च, 2005 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर शुरू किए गए ''मिलावटी, नकली और जाली उत्पादों के विरुद्ध अभियान'' की थीम के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखा है। इसी प्रकार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से भी उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण के महत्व को रेखांकित करने और मिलावटी/प्रदूषित खाद्य सामग्रियों से स्वयं की सुरक्षा करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने हेतु अपील की गई थी। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाई गई मुहिम से भी उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा की गई है। इनमें से एक थीम है: ''मिलावट के विरुद्ध सुरक्षा''। इन प्रयासों की सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

*341. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस वर्ष आरंभिक स्तर पर अनेक नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकार द्वारा संचालित अन्य शैक्षिक संस्थाओं में भी ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना क्या है; और

(ङ) देश में किन-किन संस्थाओं में इस प्रकार के पाठ्यक्रम पहले से ही शुरू किए जा चुके हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान विश्वविद्यालय ने तृणमूल स्तर पर 'सर्टिफिकेट इन काफ्ट एंड डिजाइन' और 'कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम' नामक दो व्यावसायोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसके

अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 'बैचलर ऑफ सोशल वर्क', विज्ञान (आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन) स्नातक', रेडियो प्रसारण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' तथा 'कॉपीएडिटिंग और प्रूफरीडिंग में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र' जैसे अनेक अन्य व्यावसायोन्मुख पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने दसवी योजना के दौरान प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/एडवान्स्ड डिप्लोमा स्तर पर 'वृत्तिका-उन्मुख कार्यक्रम' स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अन्तर्गत, परंपरागत अवर स्नातक स्तरीय डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्र ऐसे विविध क्षेत्रों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आवश्यक रूप से उनके मुख्य विषय से जुड़े हुए नहीं हैं। इसका उद्देश्य रोजगार और बाजार उन्मुख, कौशल उन्नयन, क्षमता-वृद्धि पाठ्यक्रम शुरू करना है जो विद्यार्थी को रोजगार, स्वरोजगार और अधिकारिताप्राप्त करने में सहायक हों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विश्वविद्यालयों कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो अपने 'आवश्यकता आधारित' रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों का अभिनिर्धारण कर सकते हैं।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार शैक्षिक सत्र 2004-05 से व्यावसोन्मुख/वृत्तिका उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान 370 कालेजों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इन संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

उन कालेजों/विश्वविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा, जिन्होंने वर्ष 2004-05 से व्यावसायोन्मुख/वृत्तिका उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालयों/कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12
2.	असम	28
3.	बिहार	16
4.	दिल्ली	5 (एक विश्वविद्यालय सहित)
5.	गोवा	3
6.	गुजरात	10
7.	हरियाणा	17
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	4
10.	झारखंड	3
11.	कर्नाटक	24
12.	केरल	31
13.	मध्य प्रदेश	13
14.	महाराष्ट्र	63
15.	मणिपुर	1
16.	उड़ीसा	15
17.	पंजाब	29
18.	राजस्थान	12
19.	तमिलनाडु	43 (एक सम-विश्वविद्यालय सहित)
20.	उत्तर प्रदेश	20
21.	उत्तरांचल	2
22.	पश्चिम बंगाल	18
	कुल	370 (दो विश्वविद्यालयों सहित)

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

***342. श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की, विशेष रूप से देश के अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा 10वीं योजनावधि के दौरान ऐसे जिलों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) 10वीं योजनावधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और अभी तक कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं तथा सरकार

द्वारा हाल ही में इस संबंध में और कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में 12 राज्यों में शैक्षिक रूप से पिछड़े (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में महिला साक्षरता 10% से कम तथा सामान्य श्रेणी के मामले में 20% से कम) 146 जिलों की पहचान की गई थी।

तत्पश्चात् शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 1991 की जनगणना के आधार पर कुल 2656 ब्लॉकों की पहचान की है जिनमें महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा स्त्री-पुरुष अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, जो सर्व शिक्षा अभियान का घटक है, को कार्यान्वित करने वाले इन ब्लॉकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसरण में उन जिलों से पुन: मिलान के आधार पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले जिलों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं जनमें (1) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/तहसील (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए 10% से कम अनुसूचित जाति महिला साक्षरता वाले जिले, तथा (3) समेकित आदिवासी विकास परियोजना वाले ब्लॉक (4) अनुसूचित-V तथा (5) अनुसूचित-VI क्षेत्र, सभी तीन की पहचान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है, शामिल है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की इस सूची का आधार के रूप में उपयोग करते हुए उन जिलों की एक सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिनमें केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों तथा सामुदायिक पॉलिटेक्निक की कोई संस्था नहीं है।

(ग) और (घ) यद्यपि, इन श्रेणियों के लिए कोई अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन प्रमुख स्कीमों/उपयों को जारी रखा गया है वे हैं -सभी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार करना, क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिनमें दो घटक नामत: (क) अवसंरचनात्मक विकास, और (ख) मदरसा आधुनिकीकरण विकास शामिल हैं, स्कीम में संशोधन करना, प्राथमिक/मिडिल विद्यालयों को खोलने हेतु मानदण्ड में छूट देना, फ्रीशिप/छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्ति, वर्दी, लेखन-सामग्री, स्कूल बैग, शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले हेतु सीटों का आरक्षण, दाखिले/नियुक्ति हेतु अंकों में छूट देना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महिला समाख्या, सर्व शिक्षा अभियान हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, आवासीय विद्यालय खोलना, कम साक्षरता वाले पॉकिटों में शैक्षिक कॉम्पलेक्स तथा आश्रम विद्यालय खोलना और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास खोलना आदि। अन्य उपायों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलना, सर्व शिक्षा अभियान के एक भाग के रूप में प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम स्कीम प्रारंभ करना, शैक्षिक कौशलों में सुधार करने हेतु उपचारी तथा विशेष कोचिंग की व्यवस्था करना, जनजातीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार करना, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु कम साक्षरता वाले पॉकिटों में शैक्षिक कॉम्पलेक्स स्थापित करना शामिल है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 1961 में 10.27% से बढ़कर 2001 में 54.69% हो गई है। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 1961 में 8.53% से बढ़कर 2001 में 47.10% हो गई है।

अवैध आप्रवासन

***343. श्री रामदास आठवले:**
श्री राजेश पाठक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तिथि तक विभिन्न अधिकरणों द्वारा अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम, 1983 के अंतर्गत कितनी शिकायतें/आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आज की तिथि तक वर्षवार कितनी शिकायतों/आवेदनों का निपटान किया गया है;

(ग) इन अधिकरणों द्वारा कितने अवैध आप्रवासियों का पता लगाया गया है;

(घ) इन अधिकरणों द्वारा आज की तिथि तक ऐसे आप्रवासियों के विरुद्ध की गई कर्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त अधिकरणों द्वारा वर्षवार कितनी शिकायतों/आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अधीन गठित अधिकरणों को वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान क्रमश: 12033, 17270 और 20079 शिकायतें/आवेदन भेजे गए थे।

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान अधिकरणों द्वारा क्रमशः 1150, 1399 और 1853 शिकायतों/आवेदनों का निपटान किया गया है।

(ग) तीन वर्षों के दौरान इन अधिकरणों द्वारा अवैध आप्रवासियों के रूप में घोषित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 669, 551 और 558 है।

(घ) अधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर 2002, 2003 और 2004 के दौरान क्रमशः 146, 217 और 253 व्यक्तियों को निष्कासन नोटिस जारी किए गए थे।

(ङ) 28.02.2005 की स्थिति के अनुसार अधिकरणों के पास कुल 81522 शिकायतें/आवेदन लंबित हैं।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

*344. **श्री सुव्रत बोसः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और उसके बाद विश्व बैंक, यूनेस्कों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों (एजेन्सियों) द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या शिक्षा के विकास के लिए उक्त सहायता का समुचित उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) विश्व बैंक (अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ-आई.डी.ए.), अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के. (डी.एफ.आई.डी.), यूनिसेफ तथा नीदरलैंड फिलहाल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का वित्तपोषण कर रहे हैं तथा आई.डी.ए., डी.एफ.आई.डी. और यूरोपीय आयोग (ई.सी.) का एक संघ सर्व शिक्षा अभियान का वित्तपोषण कर रहा है जिसे गोवा को छोड़कर पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना का निधियन फिलहाल डी.एफ.आई.डी. द्वारा किया जा रहा है। 'जनशाला' नामक एक अन्य कार्यक्रम भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित था। गत तीन वर्षों के दौरान इस एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सहायता का उपयोग उन्हीं कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है जिनके लिए यह सहायता मिल रही है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

डी.पी.ई.पी.

एजेंसी का नाम	प्रदान की गई सहायता		
	2002-03	2003-04	2004-05
आई.डी.ए.	725.70	588.99	331.15
डी.एफ.आई.डी.	115.86	117.63	130.59
नीदरलैंड	21.96	35.73	13.97
जोड़	863.52	742.35	475.71

सर्व शिक्षा अभियान

एजेंसी का नाम	प्रदान की गई सहायता	
	2003-04	2004-05
आई.डी.ए.	352	576
डी.एफ.आई.डी.	242	396
ई.सी.	139	228
जोड़	733	1200

जनशाला

एजेंसी का नाम	प्रदान की गई सहायता			
	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी., यूनेस्को, आई.एल.ओ. और यू.एन.एफ.पी.ए.	18.08	15.93	12.60	46.61

शिक्षाकर्मी परियोजना

एजेंसी का नाम	प्रदान की गई सहायता			
	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
डी.एफ.आई.डी.	15.02	10.00	39.04	64.06

वन क्षेत्रों में जनजातियों के कल्याणार्थ योजनाएं

***345. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा सिकुड़ते वन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इन जनजातीय लोगों की आजीविका के लिए कौन-कौन से वैकल्पिक कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ जनजातियां अपने अस्तित्व के लिए वृक्षों की जड़ और घास इत्यादि खाने के लिए विवश हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इनके उत्थान के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों समेत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम चला रहा है। मंत्रालय की ये योजनाएं जनजातियों के शैक्षणिक विकास, साक्षरता सुधार, तथा अवस्थापना विकास एवं आय तथा रोजगार सृजन से संबंधित हैं। कुछ योजनाएं जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़वा देने के अतिरिक्त लघु वन उत्पाद हेतु उचित मूल्य सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश में चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों अथवा वन क्षेत्र के संकुचन से प्रभावित होने वाले जनजातीय लोगों के लिए अलग से कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में वन-ग्रामों का एकीकृत विकास करने का निर्णय लिया है। यह विकास न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं, यथा, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा तथा संपर्क सड़क व अन्य अवस्थापना सुविधाओं के रूप में होगा। योजना आयोग ने वर्ष 2005-06 के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 230 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया है।

(ग) मंत्रालय को ऐसी किसी घटाना की सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय की मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

1. अनुसूचित जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना।
2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान।

3. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए टू टीएसपी)।

4. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र।

5. कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर।

6. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन।

7. आदिम जनजातीय समूहों का विकास।

8. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास निगमों को सहायता-अनुदान।

9. अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान।

10. अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य।

अन्तर्राज्यीय परिषद् की बैठकें

*346. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राज्यीय परिषद् राज्य सरकारों से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसकी कितनी बैठकें हुई और उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गयी; और

(ग) सरकार द्वारा परिषद को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) अंतर्राज्यीय परिषद, उसके सम्मुख प्रस्तुत किए गए उन विषयों, जिनमें कुछ या सभी राज्यों या संघ और एक या अधिक राज्यों का समान हित निहित होता है, पर चर्चा करती है। यह परिषद, राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी चर्चा करती है जिन्हें अध्यक्ष द्वारा परिषद को भेजा गया हो। अभी तक अंतर्राज्यीय पषिद ने मुख्य रूप से सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की है।

गत तीन वर्षों के दौरान, अंतर्राज्यीय परिषद की 27-28, अगस्त, 2003 को एक बैठक हुई है। इस बैठक से पहले अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा सरकारिया आयोग की 230 सिफारिशों पर पहले ही विचार किया जा चुका था। 27-28 अगस्त, 2003 को हुई बैठक में सरकारिया आयोग की बाकी 17 सिफारिशों पर विचार किया गया था। उक्त बैठक में अंतर्राज्यीय परिषद ने "सुशासन-कार्य योजना" और ठेका मजदूरी तथा ठेके पर नियुक्तियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की।

(ग) परिषद को सौंपे गए कर्तव्यों के अनुसार, इसके विचारार्थ, नए मुद्दों का पता लगाने और चयन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यह परिषद, सुशासन पर कार्य योजना तैयार करने, राज्यों में नागरिक सेवा सुधारों की स्थिति का अध्ययन करने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धातों के मुद्दों को कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपायों के आकलन हेतु राष्ट्रीय ढांचा विकसित करने तथा अन्य संघीय/प्रजातांत्रिक देशों में अंतर-सरकारी परामर्शदात्री प्रक्रिया और विवाद समाधान तंत्र का अध्ययन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है।

भारत-अमरीका व्यापार

*347. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत-अमरीका व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है;

(ग) क्या अमरीका ने भारत से समुद्री उत्पादों का आयात करने से इंकार कर दिया है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) सरकार भारत-अमरीका व्यापार का विस्तार करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। कुछ क्षेत्र जिन्हें बढ़ोत्तरी की अच्छी संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र और कपड़ा, भेषज, रसायन, समुद्री उत्पाद, लोहा और इस्पात; ऑटो और ऑटो पार्ट्स सहित इंजीनियरी का सामान, प्रसंस्कृत कृषि मदें और चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एन सी ई आर टी की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न होना

***348. श्री एस.के. खारवेनथन:**
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एन सी ई आर टी की पाठ्यपुस्तकें समय पर उपलब्ध न होने के कारण छात्रों और अध्यापकों के सामने आ रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) बाजार में एन सी ई आर टी की पाठ्यपुस्तकें समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि एन सी ई आर टी की जाली/अनधिकृत पाठ्यपुस्तकें दिल्ली में प्रकाशित की जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो जाली/अनधिकृत पाठ्यपुस्तकों को पहचानने का तरीका क्या है और उन पुस्तकों के प्रकाशकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की आवश्यकता के प्रति सरकार गम्भीर है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने बाजार में पहले ही लगभग 217 विषयों की पाठ्यपुस्तकें जारी कर दी हैं और आशा है कि अगले एक सप्ताह के भीतर शेष 20 पुस्तकें भी जारी कर दी जाएंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने पहरो से ही कक्षा IX से XII तक की 54 पाठ्यपुस्तकें अपनी बेबसाइट www.ncert.nic.in पर प्रदर्शित की हुई है ताकि ये सामग्रियां आसानी से सुलभ हो सके। आशा है कि इस प्रकार के वेब आधारित उपायों के जरिए यहां तक कि उन विद्यालयों के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की सामग्रियां सुलभ होंगी जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् अपनी पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा संवितरण प्रणाली की समीक्षा करने तथा इसमें सुधार लाने हेतु कदम उठा रही है।

(घ) और (ङ) असली पुस्तकों की पहचान हेतु उपाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् अब वाटर मार्क कागज (एन.सी.ई.आर.टी. वाटर मार्क प्रतीक चिह्न) का उपयोग कर रही है। प्रत्येक पाठ्यपुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर इस आशय की जानकारी दी जा रही है और मीडिया के जरिए इस संदेश का प्रचार किया गया है। जब कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा अथवा पुलिस की अपराध शाखा के माध्यम से एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों की चोरी के बारे में कोई सुराग मिलता है तो उस इलाके की पुलिस के सहयोग से अपराधियों को पकड़ने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

कार्यस्थलों पर महिलाओं का उत्पीड़न

***349. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्यस्थलों पर महिला उत्पीड़न के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद सरकार तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने आए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में निपटाए गए/लम्बित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) इनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ङ) कार्यस्थलों पर महिला उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में सामाजिक संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) कार्य स्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को सरकार या राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) के पास दर्ज कराना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों का निपटारा विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार संबंधित संगठनों की शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाना होता है। ऐसे मामलों में जहां तक रा.म.आ. तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों का सम्बन्ध है, शिकायतों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। रा.म.आ. द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या, निपटान की गई शिकायतों की संख्या तथा कार्रवाई की जा रही शिकायतों की संख्या पर राज्य-वार विवरण-I में दर्शायी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध में इसी प्रकार की सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) मामलों के लम्बित होने का कारण संबंधित संगठनों से रिपोर्टों को प्राप्त न होना है।

(ङ) ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(च) से (ज) महिला/सामाजिक संगठनों से परामर्श करके रा.म.आ. ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु एक प्रारूप विधेयक का सुझाव दिया था। मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संबंधित महिला एवं सामाजिक संगठनों के साथ परामर्श के आधार पर एक संशोधित विधेयक को महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु डाल दिया गया है।

विवरण-I

रा.म.आ. द्वारा प्राप्त एवं निपटान की गई शिकायतों की वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002			2003			2004			2005 (आज तक)		
		प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	कार्रवाई का जा रही शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	कार्रवाई का जा रही शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	कार्रवाई का जा रही शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	कार्रवाई का जा रही शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	3	2	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
4.	बिहार	2	2	0	3	2	1	2	0	2	4	0	4
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	8	7	1	4	1	3	0	0	0	2	0	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10.	जम्मू-कश्मीर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	झारखण्ड	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12.	कर्नाटक	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	1	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
15.	महाराष्ट्र	3	2	1	5	4	1	2	1	1	1	0	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	2	1	1	2	2	0	0	0	0	2	0	2
21.	पंजाब	5	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	9	8	1	6	2	4	5	0	5	2	0	2
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	2	0	5	3	2	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	23	16	7	14	6	8	17	1	16	13	0	13
27.	उत्तरांचल	2	2	0	1	0	1	2	0	2	2	0	2
28.	पश्चिम बंगाल	3	3	0	3	3	0	0	0	0	1	0	1
	कुल (राज्य)		59	13	57	30	27	40	2	38	33	0	33
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	0	0	0	3	1	2	0	0	0	3	0	3
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	14	14	0	12	4	8	7	1	6	4	0	4
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	14	14	0	15	5	10	7	1	6	7	0	7
	कुल (अखिल भारत)	86	73	13	72	35	37	47	3	44	40	0	40

विवरण-II

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त एवं निपटान की गई शिकायतों की वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002			2003			2004			2005 (आज तक)		
		प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	कार्रवाई का जा रही शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	कार्रवाई का जा रही शिकायतो की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	कार्रवाई का जा रही शिकायतों की संख्या	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	कार्रवाई का जा रही शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	1	1	0	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	0
7.	गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	1
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	1	1	0	1	0	1	–	–	–	3	1	2
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	–	–	1	1	0	–	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	1	0	1	–	–	–
23.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	–	–	1	0	1	–	–	–	1	0	1
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	2	2	0	–	–	–
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	1	1	0	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल (राज्य)	2	1	1	3	1	2	5	4	1	6	2	4
29.	अंडमान एवं निकोबार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	1	1	0	1	1	0
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	0	1
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–	–	–	–	–	1	1	0	2	1	1
	कुल (अखिल भारत)	2	1	1	3	1	2	6	5	1	8	3	5

विवरण-III

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

— सरकार ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से शिकायत निवारण समितियों को गठन करने तथा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

— राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ.) ने कार्य स्थल हेतु आचार संहिता का निरूपण किया है। जिसमें उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को सरल तरीके से बताया गया है। इस आचार संहिता को राज्य महिला आयोगों, गैर-सरकारी संगठनों, निगमित क्षेत्र के शीर्ष निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जन-प्रचार माध्यमों, मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संस्थानों को परिचालित किया गया है।

— रा.म.आ. ने दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/होलटों/प्रचार-माध्यमों विचार-विमर्श बैठकों का आयोजन किया है।

— लोक उद्यम विभाग ने मई 1998 में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को परिपत्र जारी किया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के कार्यकारी प्रमुखों से कहें कि वे अपने सी.डी.ए. नियमों में संशोधन करके कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के निवारण के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

— इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया है। वर्ष 2004 के दौरान, समिति की बैठक 27.7.2004 को आयोजित की गई। बैठक के उनुवर्तन के रूप में, सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से शिकायत निवारण समितियों का गठन एवं इनकी सही कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर कहा गया।

— उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में जहां तक दुकानों एवं कॉल सेंटरों जैसे छोटे संस्थानों में समितियों के गठन का सम्बन्ध है, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 की धारा 1 (3) उन सभी संस्थानों पर लागू होती है, जहां 100 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों। तथापि, सक्षम सरकार अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी औद्योगिक संस्थान, जिसमें 100 से कम व्यक्ति कार्यरत हों, पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकती है। चूंकि दुकानों तथा कॉल सेंटरों जैसे व्यावसायिक संस्थानों के मामले में राज्य सरकारें सक्षम करकारें हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2005 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत दुकानों तथा कॉल सेंटरों जैसे छोटे संस्थानों पर औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 के प्रावधानों को लागू करने हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए सभी श्रम सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

— यौन उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में संशोधन किया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण तथा अपील), नियमावली, 1965 में भी जुलाई 2004 में संधोधन किया गया है, ताकि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग अथवा कार्यालय में गठित शिकायत निवारण समिति अनुशासन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण जानी जायेगी तथा शिकायत निवारण समिति जहां तक सम्भव हो इन नियमों में उल्लिखित कार्य विधि (अर्थात् बड़ी सजा देने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच करने हेतु कार्यविधि) के अनुसार जांच कर सकेगी।

— महिला एवं बाल विकास विभाग कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु एक कानून के अधिनियमन पर विचार कर रहा है।

— औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में संशोधन किए गए हैं ताकि निजी क्षेत्र में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को एक अपराध माना जा सके तथा उत्पीड़न करने वाले कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

— जनवरी, 2005 में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्य श्रम सचिवों को असंगठित क्षेत्र में कॉल सेंटरों तथा दुकानों जैसे छोटे संस्थानों पर औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के प्रावधान लागू करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए।

— महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने सहित महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार अभियान चलाया है।

नगरों/शहरों का विकास

***350. श्री बापू हरी चौरे:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और तत्पश्चात एकीकृत लघु तथा मध्यभ नगर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास हेतु राजधानी शहरों समेत नगरों/शहरों के विकास के लिए कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगरों तथा शहरों को शामिल करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक नगर/शहर के लिए राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकास हेतु शामिल किए गए नगरों/शहरों की लम्बित सूची को कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी हां।

(ख) छोटे और मझौले कस्बों के एकीकृत विकास सम्बन्धी (आईडीएसएमटी) स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से 875 प्रस्ताव (जिनमें से कुछ इस समय चल रहे हैं और कुछ नए कस्बों से सम्बंधित हैं) प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों का कस्बावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश से आईडीएसएमटी स्कीम के तहत अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आईडीएसएमटी स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार इस स्कीम के अन्तर्गत कस्बों को शामिल करने के मानदण्ड इस प्रकार हैं:

(1) 1991 की जनगणना के अनुसार उसकी आबादी 5 लाख तक होनी चाहिए।

(2) उसे राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार चुना जाए और प्राथमिकता दी जाए।

(3) उसमें निर्वाचित निकाय बना हो।

(4) उसमें क्षेत्रीय विकास केन्द्र के रूप में विकसित होने की संभावना होनी चाहिए। पहले जिला मुख्यालयों और बाद में मंडी नगरों तथा औद्योगिक विकास केन्द्रों, पर्यटन स्थानों, तीर्थ स्थलों आदि को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में दी गई केन्द्रीय सहायता का कस्बावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष (2005-06) के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) गठित करने और शहरों/कस्बों में अवस्थापना विकास तथा बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए छोटे और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) नामक नई स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव है। मौजूदा आईडीएसएमटी स्कीम को राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) और छोटे तथा मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) में मिला दिया गया जाएगा। तदनुसार भारत सरकार द्वारा एनयूआरएम अथवा यूआईडीएसएसएमटी का अनुमोदन कर दिये जाने पर नई परियोजनाओं को एमयूआरएम अथवा यूआईडीएसएसएमटी का अनुमोदन कर दिये जाने पर नई परियोजनाओं को एमयूआरएम अथवा यूआईडीएसएसएमटी के तहत शामिल किया जाएगा। आईडीएसएमटी के तहत शामिल मौजूदा परियोजनाओं/कस्बों को मौजूदा स्कीम के अनुसार केन्द्रीय राहायता मुहैया किया जाना जारी रहेगा।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2002-03, 2003-04 और 2004-05) में प्रत्येक वर्ष के दौरा आईडीएसएमटी के अंतर्गत प्राप्त राज्यवार तथा कस्बावार प्रस्ताव (नये तथा चालू)

अनुमोदित परियोजना लागत, जारी केन्द्रीय सहायता

(रुपए लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजना लागत	जारी केन्द्रीय सहायता			
			वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	कुल 3 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश						
1.	तिरूपति आई	14.17	53.14			53.14
2.	गडवाल	119.80	18.91			18.91
3.	भोंगीर	172.00	26.40			26.40

1	2	3	4	5	6	7
4.	एलुरू	499.37	105.67			105.67
5.	करीमनगर	484.65		142.04		142.04
6.	मचेर्ल	134.10		40.34		40.34
7.	गजुवक	9.94		109.15		109.15
8.	रमगुंदम	550.00			140.00	140.00
9.	महबूबनगर	482.13		120.10		120.10
10.	मंदपेटा	267.83		60.00		60.00
11.	तेनाली	454.13			8.22	8.22
12.	नलगोंडा	275.70			74.28	74.28
13.	नांदयाल	498.89	32.50		94.98	127.48
14.	सूर्यपेट	414.41		75.00		75.00
15.	बापटला	271.01			58.15	58.15
16.	कोव्वूर	263.90		45.00		45.00
17.	सिर्सिल्ल	195.43			41.85	41.85
18.	पेदन	252.95		30.80	45.00	75.80
19.	अनंतपुर	793.42	57.50			57.50
20.	सदसिव्पेट	166.70			37.51	37.51
21.	अनकपल्ले	224.50			48.21	48.21
22.	कादिरी	346.22	4.00			4.00
23.	मंचेरिअल	403.32	75.00			75.00
24.	नरसापुर	316.45	67.50			67.50
25.	बेल्लामपल्ली	136.26	29.00			29.00
26.	सगल्कोट	317.69	45.00			45.00
27.	सलुर	67.89	20.00	25.00		45.00
28.	पीठापुरम	194.77	44.00			44.00
29.	रायदुर्ग	230.08	45.00			45.00
30.	पलकोल	402.95		75.00	75.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7
31.	पुंगानुर	105.67		24.00		24.00
32.	गुंतकल	546.14		104.00		104.00
33.	सथेनपल्लि	277.83		45.00		45.00
34.	येम्मिगनुर	418.92		70.75		70.75
35.	ताड़िपत्री	475.16		52.00		52.00
36.	पेद्दडापुरम	224.91		35.00		35.00
37.	तंदुर	200.89		28.00		28.00
38.	जगितिअल	292.84		26.25		26.25
39.	भैंस	351.20		45.00		45.00
40.	कुतुबुल्लपुर	576.01		105.00		105.00
41.	कप्र	644.56		75.00		75.00
42.	उप्पल्कलन	789.55		75.00		75.00
43.	निर्मल	213.13			45.50	45.50
44.	मंगलागिरी	142.53			30.50	30.50
45.	पलस कसिबुग्ग	304.91			45.00	45.00
46.	नर्सरॉपित	725.66			61.25	61.25
47.	फारुकनगर (साधनगर)	125.66			28.25	28.25
48.	जानगांव	153.60			34.50	34.50
49.	सिद्दिपेट	347.10			69.00	69.00
50.	विनुकोंडा	140.85			31.50	31.50
51.	भीमावरम	293.99			56.00	56.00
52.	पर्वतीपुरम	222.26			45.00	45.00
53.	जग्गैअह्पेत	120.38			5.00	5.00
54.	तदेपल्लीगुड़म	171.27			15.00	15.00
55.	ओंगोले	580.05			82.00	82.00
56.	पोन्नुर	352.00			35.00	3500
57.	श्रीकाकुलम	382.74			75.00	75.00

1	2	3	4	5	6	7
58.	इचपुराम	168.41			4.00	4.00
59.	नरसन्नपेत	149.12			4.00	4.00
	उप योग	19277.90	623.62	1298.28	1398.85	3320.75
अरुणाचल प्रदेश						
60.	तेजू	77.00	25.00			25.00
61.	सेप्पा	113.12	38.00			38.00
62.	रोइंग	203.10	8.00			8.00
63.	पसिघत	213.55		24.00		24.00
64.	खोंसा	101.99		24.00		24.00
65.	देओमलि	101.65		24.00		24.00
66.	युपिअ	100.00		24.00		24.00
67.	जिरो	130.00		24.00		24.00
68.	दपोरिजो	155.60		24.00		24.00
69.	आलॉग	100.00		24.00		24.00
70.	बसर	100.00		24.00		24.00
	उप योग	1396.01	71.00	192.00		263.00
असम						
71.	बरपेटा	135.20		40.00		40.00
72.	गोस्सैगांव	100.00	24.00		24.00	
73.	सोनरि	175.03	24.00		24.00	
74.	गोहपुर	100.00	24.00		24.00	
75.	उदल्गुरि	100.00	24.00		24.00	
76.	बिजनी	100.00	24.00		24.00	
77.	एनओआरटीएच-गुवाहाटी	101.39	24.00		24.00	
78.	बिलासीपाड़ा	196.00	24.00		24.00	
79.	देरगांव	140.98			24.00	24.00
80.	गोलाघाट	200.00		32.50	32.50	

1	2	3	4	5	6	7
81.	नाझिरा	140.00			24.00	24.00
82.	दिफू	200.82			24.00	24.00
83.	जोरहाट	350.00			75.00	75.00
84.	अंगूरी	47.02			11.00	11.00
85.	मर्घिरत	188.17			42.34	42.34
86.	तिहु	100.00			24.00	24.00
87.	बिहुपुरिया	39.75			10.00	10.00
88.	पथ्सल	116.23			24.00	24.00
89.	लखिपुर	100.00			24.00	24.00
90.	अभयपुरी	100.00			3.00	3.00
91.	बरपेटा रोड	200.46			3.00	3.00
92.	तेजपुर	350.00			3.00	3.00
93.	मरिआनी	200.00			3.00	3.00
94.	ढकुआखाना	86.65			3.00	3.00
95.	सपत्गराम	100.14			3.00	3.00
96.	होव्ल्य	100.23			3.00	3.00
97.	नलबाड़ी	72.46			3.00	3.00
98.	धुब्री	237.12			3.00	3.00
99.	सिलचर	382.32			3.00	3.00
	उप योग	4459.97	168.00	40.00	344.84	552.84
बिहार						
100.	दरभांगा	551.62	90.00			90.00
101.	मोतीपुर	100.00		24.00		24.00
102.	कांति	99.26		23.50		23.50
103.	बाढ़	174.88		39.00		39.00
104.	जमुइ	199.15		44.50		44.50
105.	फतुह	159.80		36.00		36.00

1	2	3	4	5	6	7
106.	लालगंज	182.42		25.00		25.00
107.	मोतीहारी	257.26		55.00		55.00
108.	देहिर	326.44		70.00		70.00
109.	दल्सिंग्सरै	100.00			24.00	24.00
110.	रोसेरा	199.40			44.87	44.87
111.	सुगुअलि	199.98			45.00	45.00
112.	झंझरपुर	199.87			44.97	44.97
113.	इस्लामपुर	200.00			45.00	45.00
114.	सोनपुर	199.96			44.99	44.99
115.	बेतिया	350.00			75.00	75.00
	उप योग	3500.04	90.00	317.00	323.83	730.83
छत्तीसगढ़						
116.	बिकुंथपुर	100.00			25.80	25.80
117.	दुर्ग	564.47	105.00			105.00
118.	पेंद्रा	102.10	24.00			24.00
119.	डीएएलएलआई-रझर	350.18	61.00			61.00
120.	अरंग	123.11	24.00			24.00
121.	रतनपुर	100.58	24.00			24.00
122.	कुम्हरि	183.63		45.00		45.00
123.	महासमुंद	218.81		45.00		45.00
124.	अंबिकापुर	339.85		72.82		72.82
125.	कुरूड़	122.26		12.00		12.00
126.	गंदल	127.77		12.00		12.00
127.	तिल्द नेवरा	236.22			45.00	45.00
128.	सक्ति	115.23			24.00	24.00
129.	दोंगरगांव	136.49			20.00	20.00
130.	बिलासपुर	721.46			70.00	70.00

1	2	3	4	5	6	7
131.	रमनुज्गंज	129.54			20.00	20.00
132.	जगदलपुर	577.45			44.00	44.00
133.	कोंडगांव	203.85			35.00	35.00
134.	पत्थलगांव	128.08			20.00	20.00
135.	मनेंद्रगढ़	239.46			35.00	35.00
136.	सरंगर्ह	127.55			20.00	20.00
137.	बलोद	103.70			16.00	16.00
138.	भाटपाड़ा	208.89			60.00	60.00
139.	कण्गोर	104.89	8.00		24.00	32.00
140.	धमतरी	357.80	25.00	75.00		100.00
141.	कोरबा	550.00	35.00			35.00
	उप योग	6273.35	306.00	337.82	382.80	1026.62
गोवा						
142.	कनकोना	50.18			16.08	16.08
	उप योग	50.18			16.08	16.08
गुजरात						
143.	अंबाजी	87.06		14.75		14.75
144.	ढोलका	183.95			62.40	62.40
145.	उना	216.04			60.00	60.00
146.	उम्रेथ	216.81			60.00	60.00
147.	गांधीधाम	603.04		140.00	140.00	
148.	धरंगधारा	336.27			102.00	102.00
149.	कपड्वंज	227.01		60.00	60.00	
150.	लिमब्डी	215.45			45.00	45.00
151.	धंधुक	219.65			45.00	45.00
152.	खेद	24.36			45.00	45.00
153.	प्रंतिज	212.74			45.00	45.00

1	2	3	4	5	6	7
154.	कदि	343.41	43.60			43.60
155.	बगसर	207.42	5.00		45.00	50.00
156.	खम्भलिया	209.75	5.00			5.00
157.	मनसा	172.32	32.00		58.00	90.00
158.	बलसिनोर	211.04	45.00			45.00
159.	थंगथ	219.63	45.00			45.00
160.	वीजापुर	211.61	25.00	20.00		45.00
161.	वदनगर	278.43		45.00		45.00
162.	जम्बूसर	225.76		45.00		45.00
163.	खेरलु	203.14		24.0	24.00	48.00
164.	गर्ल्यधर	153.81		24.00		24.00
165.	वापी	197.13		44.00		44.00
166.	छोटा उदेपुर	107.94		24.00		24.00
167.	शिहोर	203.09		45.00	45.00	90.00
168.	हलोल	200.00	45.00			45.00
169.	मंगरोल	209.86		25.00	20.00	45.00
170.	जासदन	200.20		25.00	20.00	45.00
171.	लुनवाहा	210.95		25.00	20.00	45.00
172.	रजुल	200.68		25.00	20.00	45.00
173.	धारी	195.53		25.00	19.00	44.00
174.	गधद	201.63		25.00	20.00	45.00
175.	कलोल	88.61		10.00	11.00	21.00
176.	जमजोधपुर	205.02		25.00	20.00	45.00
177.	सलय	127.75		15.00	9.00	24.00
178.	थराड	113.70		15.00	9.00	24.00
179.	तलज	150.03		15.00	9.00	24.00
180.	देवगध्धरिअ	91.59		10.00	12.00	22.00

1	2	3	4	5	6	7
181.	कुटियना	118.49		15.00	9.00	24.00
182.	खेदबह्मा	98.95		15.00	8.75	23.75
183.	धरमपुर	103.04		15.00	9.00	24.00
184.	चनस्मा	131.31		15.00	9.00	24.00
185.	तलोद	106.43		15.00	9.00	24.00
186.	राजपीपला	219.41			45.00	45.00
187.	व्यरा	229.56			45.00	45.00
188.	राधनपुर	204.12			45.00	45.00
189.	मंवदर	207.00			40.85	40.85
190.	हलवाह	126.37			4.00	4.00
191.	रानावव	102.91			4.00	4.00
192.	कर्जन	125.91			4.00	4.00
193.	जफ्रबाद	109.85			4.00	4.00
194.	हरिज	132.23			4.00	4.00
195.	लथि	99.46			4.00	4.00
196.	चलल	100.04			4.00	4.00
197.	सोंगध	120.14			4.00	4.00
198.	अदित्यन	120.36			4.00	4.00
199.	बंत्व	102.96			4.00	4.00
200.	नवसारी	587.82			4.00	4.00
	उप योग	10828.77	200.60	845.75	1090.00	2136.35
हरियाणा						
201.	यमुनानगर	475.82	62.58			62.58
202.	पेहोवा	223.30	30.00			30.00
203.	भिवानी	499.52	109.82			109.82
204.	अम्बाला सिटी	516.17	131.14			131.14
205.	सिरसा	550.00	35.00			35.00

1	2	3	4	5	6	7
206.	हांसी	358.50	25.00	75.00		100.00
207.	कुरूक्षेत्र	597.43			75.00	75.00
208.	शासबाद-मारकंडा	202.55	45.00			45.00
209.	चीक	237.25	45.00		45.00	90.00
210.	लल्दुअ	136.53			24.00	24.00
211.	इंद्रि	160.76		24.00		24.00
212.	अस्संथ	142.10		24.00	24.00	48.00
213.	कैथल	392.21		75.00		75.00
214.	सफीदों	210.42		45.00	45.00	90.00
215.	गोहन	203.59		45.00		45.00
216.	रोहतक	442.34		40.00	44.44	84.44
217.	नरवाना	202.55		25.00	20.00	45.00
218.	अम्बाला सदर	352.92		5.00		5.00
219.	नारनौल	345.29		5.00		5.00
220.	महेन्द्रगढ़	106.34		5.00		5.00
221.	रतिया	100.30		5.00		5.00
222.	फतेहाबाद	204.59		5.00		5.00
223.	पलवल	358.81		5.00		5.00
	उप योग	7019.28	483.54	377.00	283.44	1143.98
हिमाचल प्रदेश						
224.	सोलन	209.65	60.00			60.00
225.	चम्बा	161.30			32.00	32.00
226.	थेओग	82.60	27.64			27.64
227.	कुल्लु	126.25	32.00			32.00
228.	ज्वालामुखि	114.74	8.00		24.00	32.00
229.	पाओंता साहिब	139.96	16.00		4.00	20.00
230.	बिलासपुर	140.80	24.00			24.00

1	2	3	4	5	6	7
231.	सुंदर नगर	230.95	45.00			45.00
232.	कोल्खै	136.34	24.00			24.00
233.	बद्दि	141.05	24.00			24.00
234.	मनलि	135.64	24.00			24.00
235.	नर्कंद	136.01		14.00		14.00
236.	नरपुर	130.24		14.00		14.00
237.	संतोखाई	101.93			5.00	5.00
238.	मेहतपुर	109.80			5.00	5.00
	उन योग	2097.26	284.64	28.00	70.00	382.64
जम्मू-कश्मीर						
239.	पुलवामा	193.35	44.40			44.40
240.	उधमपुर	385.75		65.00		65.00
241.	कत्र	101.95		20.00		20.00
242.	रामनगर	97.50		20.00		20.00
243.	राजौरी	183.26		38.00		38.00
244.	बारामूला	350.00		70.00		70.00
245.	कुंजर	103.44		20.00		20.00
246.	कुलगाम	102.60		20.00		20.00
247.	बिज्बेहर	114.63			24.00	24.00
248.	शोपिअन	64.37			15.00	15.00
249.	पम्पोरे	99.19			23.00	23.00
250.	बसलि	103.00			24.00	24.00
251.	रियासी	92.45			22.19	22.19
252.	किस्त्वर	106.09			24.00	24.00
	उप योग	2097.58	44.40	253.00	132.19	429.59
झारखंड						
253.	हजारीबाग	967.55	75.00			75.00
	उप योग	967.55	75.00			75.00

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक						
254.	शिमोग	271.68	73.73			73.73
255.	होस्कोते	200.00		60.00		60.00
256.	गुंजलूपेट	194.40		72.50		72.50
257.	नवलगुंड	89.54			30.00	30.00
258.	मानवी	175.50			49.01	49.01
259.	दवंगेरे	592.86			140.00	140.00
260.	गुलबर्ग	692.30			156.96	156.96
261.	अथनी	103.34			31.50	31.50
262.	बिरूर	200.00			60.00	60.00
263.	देवंहल्लि	92.20			27.49	27.49
264.	चामराजनगर	200.00	15.00			15.00
265.	केरूर	95.15			4.00	4.00
266.	इंडी	417.80			45.00	45.00
267.	तुमकुर	817.15	55.00			55.00
268.	कोन्नुर	110.35	24.00			24.00
269.	खानपुर	77.07	19.00			19.00
270.	यादगिरी	157.10	35.50			35.50
271.	अरकल्गुद	35.47	8.50			8.50
272.	महलिंगपुर	171.86	38.00		39.33	77.33
273.	मुलकगुंड	104.05	24.00			24.00
274.	भलकी	174.82	43.70			43.70
275.	चितगुप्प	96.56	23.17			23.17
276.	अनेकल	147.22	32.62			32.62
277.	नेलमंगला	70.00	16.80			16.80
278.	हलियल	82.50	19.80			19.80
279.	चन्नरयपत्न	135.60	30.51			30.51

1	2	3	4	5	6	7
280.	बंतवाला	115.50	25.98			25.98
281.	अल्नवर	100.00	24.00			24.00
282.	अन्निगेरी	200.00	45.00			45.00
283.	होसदुर्ग	59.70	14.32			14.32
284.	बेल्लारी	1128.00	52.98		52.98	105.96
285.	बगत्कोते	320.33	68.64			68.64
286.	हुमनाबाद	200.01	10.00		35.00	45.00
287.	कनकपुर	126.05		28.36		28.36
288.	मुइबिद्रे	163.33		36.75		36.67
289.	नरगुंद	171.87		38.67		38.67
290.	कुनिगल	112.22		25.25		25.25
291.	तिपतूर	200.00		18.16		18.16
292.	गुब्बी	68.00		16.32		16.32
293.	रायबाग	105.17		24.00	24.00	48.00
294.	गोकक	364.91		52.00		52.00
295.	तुरूवुकेरे	71.50		17.16		17.16
296.	कुदुचि	100.00		24.00	24.00	48.00
297.	मोलकल्मुरू	72.00		17.28		17.28
298.	बसवन बगेवाडी	217.64		45.00		45.00
299.	मुधोल	190.30		42.82		42.82
300.	स्लिंगेरि	171.10		24.00		24.00
301.	सागरा	162.69		36.61		36.61
302.	बेल्लूर	100.00		24.00		24.00
303.	तरिकेरे	143.90		32.38		32.38
304.	कोप्पा	58.30		13.99		13.99
305.	चिक्कनायकनहल्ली	128.00		28.80		28.00
306.	सिरूगुप्पा	85.22		19.18		19.18

1	2	3	4	5	6	7
307.	जोग कर्गल	84.14		20.19		20.19
308.	कमलापुर	125.81		24.00		24.00
309.	रमदुर्ग	122.77		27.62		27.62
310.	तीर्थहल्ली	73.73		17.70		17.70
311.	सुल्य	73.57		17.66		17.66
312.	नरसिम्हरजपुर	74.33		17.84		17.84
313.	तेक्कलकोते	85.00		20.40		20.40
314.	मदकेरि	151.47		34.08		34.08
315.	सोरब	55.00		13.20		13.20
316.	जेवारगी	78.80			18.91	18.91
317.	सिंधगि	97.08			23.30	23.30
318.	तलिकोते	251.77			45.00	45.00
319.	चित्तपुर	92.90			22.30	22.30
320.	हुनगुंद	102.34			24.00	24.00
321.	हूविन हदयगलि	105.83			24.00	24.00
322.	होन्नवर	64.60			15.50	15.50
323.	बसवकल्यन	180.99			33.23	33.23
324.	तर्डल	73.48			17.63	17.63
325.	यल्लपुर	51.85			11.53	11.53
326.	चिकमगलूर	310.23			56.48	56.48
327.	होन्नली	91.00			21.84	21.84
328.	चिक्बल्लपुर	319.00			49.54	49.54
329.	आरएबीकेएवीआई-बनहति	355.50			70.00	70.00
330.	अंकोला	73.92			17.74	17.74
331.	पुत्तुर	88.19			33.73	33.73
332.	स्रिनिवसपुर	128.85			24.00	24.00
333.	रोबेर्त्सोपेत	550.00			105.00	105.00

1	2	3	4	5	6	7
334.	हावेरी	120.00			5.73	5.73
335.	बागेपल्ली	100.00			15.00	15.00
336.	कुमता	174.79			39.32	39.32
337.	गंगावती	239.23			51.26	51.26
338.	शिरहति	78.22			18.77	18.77
339.	मधुगीरी	154.00			28.65	28.65
340.	क्रिश्नरज्पेत	59.68			14.32	14.32
341.	सदलग	51.00			12.24	12.24
342.	चिक्कोड़ी	113.75			25.59	25.59
343	भद्रवधि	161.00			34.50	34.50
	उप योग	15554.08	700.25	889.92	1578.38	3168.55
केरल						
344.	ओत्तपलम	267.62	60.00			60.00
345.	कोथमंगलम	228.35	60.00			60.00
346.	उत्तर पेरवुर	208.00			59.55	59.55
347.	कुदुंगल्लुर	101.90	7.50			7.50
348.	पाला	321.25	5.00		45.00	50.00
349.	पोन्नानि	434.00	25.00			25.00
350.	कुन्नमकुलम	345.00	24.00			24.00
351.	अंगमल्य	325.75	45.00			45.00
352.	पेरुम्बवूर	387.00	45.00			45.00
353.	वैकोम	191.33		43.00		43.00
354.	अत्तिंगल	160.18		36.00		36.00
355.	मवेलिक्कर	250.28	35.00	10.00		45.00
356.	कलमस्सेर्य	555.00	70.00	5.00		75.00
357.	त्रिपुनितुर	307.10	60.00	5.80		65.80
358.	थलिपरम्ब	428.50	70.00	5.00		75.00

1	2	3	4	5	6	7
359.	कोयिलंद्य	393.91		70.00	5.00	75.00
360.	कंहगड	372.65			17.50	17.50
361.	पय्यन्नुर	332.58			17.50	17.50
362.	सीएचआईटीटीओओआर-थतमंगलम	338.00			10.00	10.00
363.	कुथुपरम्ब	258.38			10.00	10.00
364.	परवूर	230.75			10.00	10.00
365.	मतन्नुर	220.46			10.00	10.00
366.	पेरिंथलमन्न	191.99			10.00	10.00
367.	अदूर	0.00			4.65	4.65
	उप योग	6849.98	271.50	384.00	225.00	880.50
मध्य प्रदेश						
368.	आस्था	200.84	60.00			60.00
369.	खजुराहो	127.95		32.00		32.00
370.	झबुआ	201.21		60.00		60.00
371.	खुराइ	201.40		60.00		60.00
372.	नागोड	103.17		4.00		4.00
373.	सीधी	204.60	5.00			5.00
374.	अकोडीया	101.55	24.00			24.00
375.	जीरपुर	107.06	24.00			24.00
376.	मंगवन	95.50	22.92			22.92
377.	बीरसिंघपुर	106.34	24.00			24.00
378.	खिलचीपुर	101.46	24.00			24.00
379.	तेंदुखेड़ा	103.59	24.00			24.00
380.	रामपुर-नाइकिन	104.34	24.00			24.00
381.	मनसा	102.46	24.00			24.00
382.	शाजापुर	206.87	45.00			45.00
383.	रामपुर-बागेलन	104.28	24.00			24.00

1	2	3	4	5	6	7
384.	शिवपुरि	520.98	86.95			86.95
385.	शुजलपुर	205.09	45.00			45.00
386.	आरोन	104.75	24.00		4.00	28.00
387.	राघोगढ़	202.72	45.00			45.00
388.	भिंड	555.69	91.25			91.25
389.	मचलपुर	107.74	24.00			24.00
390.	अमर्वर	106.50	24.00			24.00
391.	खुज्मेर	116.25	24.00			24.00
392.	गोविंदर्ह	103.80	24.00			24.00
393.	आगर	205.54		45.00		45.00
394.	चक्घत	102.59		24.00		24.00
395.	करेड़ा	69.74		16.50		16.50
396.	बैकुंठपुर	104.16		24.00		24.00
397.	सांवेर	105.94		24.00		24.00
398.	चंदेरी	57.80		10.00		10.00
399.	अकोदा	42.82		10.25		10.25
400.	करेली	63.77		15.00		15.00
401.	कतंगी	75.35		18.00	4.00	22.00
402.	सिरोंजि	202.67		45.00		45.00
403.	वारा-स्योनी	158.03		35.00		35.00
404.	उदयपुर	82.68		20.00		20.00
405.	समरिय	97.95		23.50		23.50
406.	बड़ा गांव टीकमगढ	101.64		24.00		24.00
407.	कनद	84.90		21.00		21.00
408.	बड़ा गांव (शाहजहांपुर)	101.59		21.00		21.00
409.	सुसनेर	103.25		21.00		21.00
410.	बद मलह्र	70.90		21.00		21.00

1	2	3	4	5	6	7
411.	अमंगग	104.54		21.00		21.00
412.	कोथि	103.92		21.00		21.00
413.	शाहपुर	79.90		21.00		21.00
414.	प्रिथ्विपुर	76.20		21.00		21.00
415.	जुन्नर्देव	201.00		45.00		45.00
416.	बरही	105.95		21.00		21.00
417.	महेश्वर	101.52			24.00	24.00
418.	देवेंद्र नगर	105.60			24.00	24.00
419.	बांदा	100.24			24.00	24.00
420.	जीरन	96.92			23.26	23.26
421.	सैलाना	103.19			24.00	24.00
422.	बेगमगंज	202.74			45.00	45.00
423.	सिंगोल्य	100.45			24.00	24.00
424.	मुंदि	105.18			24.00	24.00
425.	दिकेन	100.22			24.00	24.00
426.	तरना	101.10			24.00	24.00
427.	ओम्करेश्वर	552.93			24.00	24.00
428.	हर्पलपुर	101.90			24.00	24.00
429.	नसरूल्लागंज	100.81			24.00	24.00
430.	रेवा	103.30			46.74	46.74
431.	अंजद	100.53			4.00	4.00
432.	नल्खेद	101.45			4.00	4.00
433.	मझोली	100.69			4.00	4.00
434.	दमोह	498.29			4.00	4.00
435.	खिड़किया	103.68			4.00	4.00
436.	गुर्ह	101.67			4.00	4.00
437.	पनगर	202.09			4.00	4.00

1	2	3	4	5	6	7
438	मंडीदीप	203.66			4.00	4.00
439.	शोहगपुर	102.04			4.00	4.00
440.	नैनपुर	200.33			4.00	4.00
	उप योग	10389.50	713.12	568.25	583.00	1864.37
महाराष्ट्र						
441.	गंगाखेड़	194.20			12.48	12.48
442.	सतन	200.00			60.00	60.00
443.	धमनगांव	199.66			59.85	59.85
444.	उमेर्खेद	211.15			60.00	60.00
445.	फैजपुर	247.38			60.00	60.00
446.	रेवर	147.28			36.28	36.28
447.	खेद	118.10	24.00			24.00
448.	राजापुर	114.92	24.00			24.00
449.	जव्हर	102.85	24.00			24.00
450.	लातूर	859.11	75.00		4.00	79.00
451.	तुमसर	248.30	23.00			23.00
452.	वाणी	232.91	24.50			24.50
453.	जलगांव	550.28	55.00			55.00
454.	धुले	630.36	55.00			55.00
455.	सांगली-मिर्जा-कुपवाड़ा	757.13	80.00			80.00
456.	श्रीरामपुर	467.63	32.50			32.50
457.	शिरपुर-वरवाडे	241.63	25.00			25.00
458.	गाधिंगलाज	200.00	22.00			22.00
459.	उदगीर	351.19	75.00			75.00
460.	नादेड-वघाला	832.60	112.00			112.00
461.	चंद्रपुर	652.00	82.00			82.00
462.	इस्लामपुर	372.20	45.00			45.00

1	2	3	4	5	6	7
463.	पर्बनि	750.00	105.00			105.00
464.	बीइ	586.15	80.25			80.25
465.	शिर्दि	123.94	15.00			15.00
466.	शेगांव	418.32	15.00	3.00		18.00
467.	अहमदनगर	825.28	15.00	39.00		54.00
468.	खेमगांव	479.48	15.00	39.00		54.00
469.	पंढरपुर	227.00	15.00	10.00		25.00
470.	गडचिरोलि	273.44		25.00		25.00
471.	यवतमल	565.00		105.00		105.00
472.	रत्नागिरी	461.50		75.00		75.00
473.	पर्लिवैजनाथ	678.08		75.00		75.00
474.	अम्बजोगै	574.93		75.00		75.00
475.	भांदरा	418.59		75.00		75.00
476.	जालना	187.42		20.00		20.00
477.	कंरंजिअ	485.02		45.00		45.00
478.	चोपड़ा	487.00		22.00		22.00
479.	बर्शी	752.57		75.00		75.00
480.	हिंगोली	550.00		57.00		57.00
481.	उसमानाबाद	631.42		75.00		75.00
482.	चिपलुन	372.00		19.00	6.00	25.00
483.	पुसाद	384.78			48.00	48.00
484.	सिंमर	350.14			45.00	45.00
485.	मलकापुर	578.66			52.00	52.00
486.	नंदुरबार	580.69			52.00	52.00
487.	सैलु	323.13			45.00	45.00
488.	पंढरकवाडा	224.72			45.00	45.00
489.	बुल्दन	284.00			42.50	42.50

1	2	3	4	5	6	7
490.	वाशिम्	340.53			45.00	45.00
491.	हिंघत	450.00			75.00	75.00
492.	सतारा	492.99			75.00	75.00
493.	अचलपुर	113.77			24.00	24.00
494.	अमलनेर	549.44			75.00	75.00
495.	कलमेश्वर	136.24			24.00	24.00
496.	वर्धा	404.89			51.00	51.00
497.	कराद	350.00			52.00	52.00
498.	मोरशी	455.30			45.00	45.00
499.	कतोल	222.20			45.00	45.00
500.	कन्नद	170.19			38.00	38.00
501.	धर्मबाद	120.00			40.00	40.00
502.	पाउनी	207.00			45.00	45.00
503.	अकालकोट	259.10			45.00	45.00
504.	रहत	122.37			24.00	24.00
505.	चंदूर बाजार	91.00			21.50	21.50
506.	खप	30.35			9.29	9.29
507.	लोलवाला	250.00			45.00	45.00
508.	चिखली	210.00			45.00	45.00
509.	वेंगुरल	114.47			24.00	24.00
510.	करमाला	125.00			24.00	24.00
511.	सवद	82.03			20.00	20.00
512.	खोपली	189.74			42.50	42.50
513.	मालेगांव	714.33			116.00	116.00
514.	अहमदपुर	193.94			43.63	43.63
515.	गंगापुर	90.09			21.80	21.80
516.	मलवान	104.23			24.00	24.00
	उप योग	27093.57	1038.25	834.00	1767.83	3640.08

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर						
517.	सुग्नु	88.50	21.00			21.00
518.	काकचिंग-खोंगु	75.00	18.00		6.00	24.00
519.	वचत	100.00	24.00			24.00
520.	वग्नोड़	103.26	24.00			24.00
521.	समुरोठ	100.65	24.00			24.00
522.	ओइनम	102.64	24.00			24.00
523.	अंद्रो	100.25	24.00			24.00
524.	शिखोंग-सेकमाई	100.11	24.00			24.00
525.	हेइरोक	100.89	24.00			24.00
	उप योग	871.30	207.00		6.00	213.00
मेघालया						
526.	शिलांग	485.41	123.60			123.60
	उप योग	485.41	123.60			123.60
मिजोरम						
527.	लेंग्पुइ	100.00			4.00	4.00
528.	ममित	100.00	24.00		4.00	28.00
529.	बैरबि	100.00			24.00	24.00
530.	त्लबुंग	100.00			24.00	24.00
531.	कवपुइ	100.00			24.00	24.00
	उप योग	500.00	24.00		80.00	104.00
नागालैंड						
532.	फेक	97.00	16.00			16.00
533.	दीमापुर	471.00		100.00		100.00
534.	किफिरे	100.00		30.00		30.00
535.	कोहिमा	151.88		33.00		33.00
	उप योग	819.88	16.00	163.00		179.00

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा						
536.	बालासोर	628.29			140.00	140.00
537.	बंकि	118.56		32.00		32.00
538.	करंजिया	107.07	8.00			8.00
539.	तल्चर	228.81	5.00			5.00
540.	सोनपुर	108.20	24.00			24.00
541.	नयागढ़	107.44	24.00			24.00
542.	खुर्द	198.58	44.68			44.68
543.	हिंजलिकुत	112.56	24.00			24.00
544.	बौध	110.22	24.00			24.00
545.	यूडीएएलए (टी)	95.18	22.84			22.84
546.	कटक	590.97		106.00		106.00
547.	बारबिल	224.59			45.00	45.00
548.	मलकरलगिरि	109.56			24.00	24.00
549.	खरिअर	114.10			24.00	24.00
550.	खैरियार रोड	109.23			24.00	24.00
	उप योग	2963.36	176.52	138.00	257.00	571.52
पंजाब						
551.	आनंदपुर साहिब	88.00	14.24			14.24
552.	पट्टी	201.00	76.00			76.00
553.	सुलतानपुर लोधी	110.31		32.00		32.00
554.	कपुरथला	335.00		94.70		94.70
555.	गर्हशंकर	109.00	8.00			8.00
556.	आरएएमएएन-मंडी	100.00	24.00			24.00
557.	सरदुलगढ़	100.00	24.00			24.00
558.	समाना	201.69		30.72	14.28	45.00
559.	सुजानपुर	105.65		20.00	4.00	24.00
560.	दीना नगर	100.50			24.00	24.00
	उप योग	1451.15	146.24	177.42	42.28	365.94

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान						
561.	सलुमबेर	68.34	21.80			21.80
562.	हनुमानगढ़	399.12	100.00			100.00
563.	बलोत्र	220.36		60.00		60.00
564.	दिद्वन	223.28			60.00	60.00
565.	सूरतगढ़	274.20			45.00	45.00
566.	रावतभाटा	216.28	45.00			45.00
567.	टोंक	509.00	45.00		4.05	49.05
568.	पोकरन	138.30	24.00			24.00
569.	अमेथ	101.48	24.00			24.00
570.	भीलवाड़ा	558.80	22.99	82.01		105.00
571.	अनूपगढ़	420.69		45.00		45.00
572.	फलोदी	229.72		45.00		45.00
573.	सदुलशहर	227.28		24.00	24.00	48.00
574.	सुजानगढ़	350.32		75.00		75.00
575.	सांगरिया	255.13		45.00		45.00
576.	पिलिबंग	256.36		45.00		45.00
577.	रवत्सर	247.67		45.00		45.00
578.	भद्र	275.12		45.00		45.00
579.	मंडलगढ़	116.12		24.00		24.00
580.	केशोरैपत	106.59		24.00		24.00
581.	बीएआरआई-सदरि	105.34		24.00		24.00
582.	नोहर	217.03		45.00		45.00
583.	किशनगढ़	352.84		52.00		52.00
584.	मेरता सिटी	203.00		45.00		45.00
585	संचोरे	126.85		24.00		24.00
586.	कुशलगढ़	107.98		24.00		24.00

1	2	3	4	5	6	7
587.	लखेरि	229.19			45.00	45.00
588.	झालावर	149.44			33.62	33.62
589.	चिरैव	278.52			45.00	45.00
590.	सोजत सिटी	240.39			45.00	45.00
591.	कुचेर	114.08			24.00	24.00
592.	सिबिजयन नगर	0.00			24.00	24.00
	उप योग	7318.82	282.79	421.01	701.67	1405.47
तमिलनाडु						
593.	दिंदिगल	625.91	140.00			140.00
594.	देवकोट्टी	108.00			32.40	32.40
595.	वेल्लौर	215.00		54.00		54.00
596	विलथिकुलम	99.02	31.52			31.52
597.	पेरवूरनि	98.90			31.47	31.47
598.	चेंगम	95.32		30.66		30.66
599.	पेरियकुलम	203.77	15.00		45.00	60.00
600.	थंजावुर	530.00			67.86	67.86
601.	राजपलायम	672.36		105.00		105.00
602.	पल्लथुर	88.89			21.66	21.66
603.	सिवकसि	369.89			86.00	86.00
604.	उल्लंदुर्पेत	119.81	24.00			24.00
605.	गुडलूर	200.00	45.00			45.00
606.	थोंदि	100.17		24.00		24.00
607.	आर.एस. मंगलम	102.00	24.00			24.00
608.	चिन्नसलम	103.75	24.00			24.00
609.	कल्लक्कदु	177.50	4.00	39.90		43.90
610.	तिरूपपुर	719.74	105.00			105.00
611.	ओरथनदु	126.40	24.00	24.00		48.00

1	2	3	4	5	6	7
612.	पुदुवल्यल	66.70	16.00	16.02		32.02
613.	इरोड	463.95	88.57			88.57
614.	अलम्पल्यम	105.00	24.00		24.00	48.00
615.	पुदुकोतै	275.00	58.92		58.93	117.85
616.	पतुकोतै	370.37	31.75			31.75
617.	लल्गुदि	110.00	24.00		24.00	48.00
618.	अन्नुर	116.41	24.00	24.00	48.00	
619.	मुसिरी	199.96	44.99	44.99		89.98
620.	थिरूक्कतुपल्लि	69.00	16.56		16.56	33.12
621.	तिरूंवेलि	405.00	72.90			72.90
622.	जलगंदपुराम	76.20	18.28		29.72	48.00
623.	कल्लिदकुरिचि	172.91		38.90	38.90	77.80
624.	सिंगम्पुनरि	99.00		23.79	23.73	47.52
625.	करिअपत्ति	83.71		20.09		20.09
626.	कोउर्तल्लम	113.74		22.75		22.75
627.	अम्बासमुदरम	36.00		8.64		8.64
628.	नगेकोंइल	592.06		105.00		105.00
629.	एदंगनसलै	194.30		43.71		43.71
630.	विरूथ नगर	332.80		71.30		71.30
631.	अरंथंगि	141.00		14.80		14.80
632.	थूथुकुदि	188.70		13.02		13.02
633.	ओमलुर	136.05		13.00		13.00
634.	कंगायम	79.55		7.27		7.27
635.	चेरम्महदेवि	87.66		10.00	11.03	21.03
636.	उदंगुदि	117.63		10.00	38.00	48.00
637.	कृष्णागिरि	375.00		40.00	25.00	65.00
638.	थिंगलनगर	94.25		10.00	16.62	26.62

1	2	3	4	5	6	7
639.	नरनम्मल्पुराम	98.60		10.00	13.66	23.66
640.	भवानी	117.78		5.00	2.67	7.67
641.	अरूग्गनेरि	131.63			25.61	25.61
642.	सत्नकुलम	130.19			24.00	24.00
643.	कुजिथुरइ	60.00			14.40	14.40
644.	मेत्तुर	159.60			35.91	35.91
645.	वनिअम्बदि	186.00			31.84	31.84
646.	सिर्कलि	120.37			27.08	27.08
647.	अम्बुर	120.00			25.42	25.42
648.	गुदिअत्तम	351.00			75.00	75.00
649.	थिरूमंगलम	168.80			37.98	37.98
650.	मेलुर	193.50			43.50	43.50
651.	कोलचेल	182.50			41.06	41.06
652.	अर्कोत	145.60			20.56	20.56
653.	नाझेरथ	127.35			24.00	24.00
654.	संकरंकोविल	205.35			45.00	45.00
655.	कांचीपुरम	390.30			60.00	60.00
656.	कद्यनल्लुर	300.00			55.03	55.03
657.	सतुर	188.63			5.00	5.00
658.	सेंकोतै	123.50			5.00	5.00
659.	चेंगलपटटु	341.55			5.00	5.00
660.	स्त्रिविल्लिपुत्तुर	181.88			5.00	5.00
661.	पुलियंगुदि	314.00			5.00	5.00
662.	नेल्लिकुप्पम	212.10			5.00	5.00
	उप योग	14408.61	856.49	851.50	1201.94	2909.93
त्रिपुरा						
663.	सबूम	55.31	13.60			13.60
664.	रनिर्बजर	150.78	32.00			32.00

1	2	3	4	5	6	7
665.	अगरतला	1288.00		88.12		88.12
666.	धर्मनगर	200.00			22.00	22.00
667.	उदयपुर	100.00			24.00	24.00
668.	कैलशहर	100.07			24.00	24.00
669.	बैलोनिया	107.00			24.00	24.00
	उप योग	2001.16	45.60	88.12	94.00	227.72
उत्तरांचल						
670.	कोटद्वार	200.29		38.00		38.00
671.	उत्तरकाशी	121.11		24.00		24.00
672.	श्रीनगर	112.18		24.00		24.00
673.	जोशीमठ	116.62			24.00	24.00
674.	जशपुर	227.72			45.00	45.00
675.	बागेश्वर	114.92			24.00	24.00
	उप योग	892.84		86.00	93.00	179.00
उत्तर प्रदेश						
676.	कुशिनगर	103.42		32.00		32.00
677.	ननौत	72.20		22.65		22.65
678.	नवाबगंज	107.31		32.00		32.00
679.	जलालाबाद	55.80		16.67		16.67
680.	कुंद	83.44			27.05	27.05
681.	केमरि	108.76		32.00		32.00
682.	चित्रकूट धाम	291.46			60.00	60.00
683.	हरिहरपुर	62.33		19.92		19.92
684.	नियोतनि	85.80		27.18		27.18
685	हरैय	74.09	6.00			6.00
686.	बाबरपुर-अजीतमल	105.77			24.00	24.00
687.	झांसी	826.51			135.00	135.00

1	2	3	4	5	6	7
688.	मथुरा	474.33			93.72	93.72
689.	निवाड़ी	77.52			18.20	18.20
690.	तिलहर	90.09			20.54	20.54
691.	देवबंद	349.40	8.90			8.90
692.	गंगोह	112.22	25.00			25.00
693.	अग्रवाल ततिरि	128.40	24.00			24.00
694.	रनिपुर	101.12	24.00		24.00	48.00
695.	नगराम	114.26	24.00			24.00
696.	महामोदाबाद	74.06	18.00			18.00
697.	मऊ	501.99	80.00			80.00
698.	कासगंज	339.11	72.50		72.83	145.33
699.	गढ़मुक्तेश्वर	200.70	45.00		45.00	90.00
700.	कर्नवल	112.00	24.00			24.00
701.	पिल्खुवा	235.41	30.44			30.44
702.	मवाना	105.65	12.50			12.50
703.	सादाबाद	177.61	40.00		39.92	79.92
704.	घिरोर	100.26	24.00		5.00	29.00
705.	चर्थवल	98.77	23.00			23.00
706.	मुगल्सराय	293.37	60.00			60.00
707.	मोदीनगर	222.00	19.00			19.00
708.	मिर्जापुर	213.25	26.00			26.00
709.	मंझनपुर	120.72	24.00			24.00
710.	बलरामपुर	209.98	45.00			45.00
711.	बस्ती	393.70	15.00			15.00
712.	प्रतापगढ़	358.06	75.00			75.00
713.	निच्लौल	110.62	24.00			24.00
714.	हैदरगढ़	100.62	24.00			24.00

1	2	3	4	5	6	7
715.	बिसवान	175.98	23.00		5.00	28.00
716.	अमेठी	100.34	12.00	12.00		24.00
717.	हरदोइ	470.52		90.00		90.00
718.	मेहमुदाबाद	140.26		32.00		32.00
719.	झिंझक	98.34		23.50		23.50
720.	सिंकदर	98.74		23.50		23.50
721.	सैदपुर	56.83		14.00		14.00
722.	बिथुर	106.49		24.00		24.00
723.	सकित	106.15		24.00		24.00
724.	अलीगढ़	865.25		135.00		135.00
725.	वृंदावन	192.47		43.30		43.30
726.	सिस्वबज़र	57.13		13.70		13.70
727.	एरिच	122.92		24.00	24.00	48.00
728.	खुर्जा	317.95		68.35		68.35
729.	ककल	131.44		29.57		29.57
730.	मेह्रोनि	118.49		24.00		24.00
731.	बहेरी	181.03		40.72		40.72
732.	मुबारकपुर	104.66		23.50		23.50
733.	सिंधै	102.00		24.00		24.00
734.	घाटमपुर	198.88		44.75		44.75
735.	बिहोउर	96.97		23.28		23.28
736.	रसरा	130.86		29.45		29.45
737.	बुधना	150.08		22.23		22.23
738	सिसोउलि	58.74		14.10		14.10
739.	बेवर	108.40		10.64	13.36	24.00
740.	नवाबगंज	68.14		16.35		16.35
741.	शेओरजपुर	106.89		24.00		24.00

1	2	3	4	5	6	7
742.	मुर्सन	65.77		13.43	2.35	15.78
743.	अवगर्ह	106.01			24.00	24.00
744.	हाथरस	453.27			93.38	93.38
745.	ललितपुर	310.14			52.03	52.03
746.	शेओलि	100.98			24.00	24.00
747.	बोकेर्हिर	108.00			24.00	24.00
748.	रूदलि	118.00			26.55	26.55
749.	बकेवर	100.19			24.00	24.00
750.	पीयूआरडीआईएल-नगर	99.62			28.91	28.91
751.	भगैन	100.70			24.00	24.00
752.	उन्नाव	427.82			83.43	83.43
753.	महोन	102.98			24.00	24.00
754.	लख्न	105.80			24.00	24.00
755.	दस्न	100.00			24.00	24.00
756.	ककोद	100.00			24.00	24.00
757.	अतरौली	219.80			45.00	45.00
758.	भरथना	200.50			45.00	45.00
759.	कुरौलि	109.20			24.00	24.00
760.	रय	88.25			21.18	21.18
761.	फराह	99.40			23.85	23.85
762.	सिकंदरा राव	185.37			36.70	36.70
763.	ओरइ	249.49			53.65	53.65
764.	गंगघत	296.95			63.85	63.85
765.	अजमत्गर्ह	106.22			24.00	24.00
766.	चत	85.98			20.64	20.64
767.	बागपत	144.92			32.60	32.60
768.	अकबरपुर (कानपुर)	100.28			24.00	24.00

1	2	3	4	5	6	7
769.	ऐलुम	109.29				23.35
770.	चौमुह	74.35			17.85	17.85
771.	गोकुल	95.43			22.90	22.90
772.	सिधौली	92.87			22.25	22.25
773.	नंपरा	149.14			33.00	33.00
774.	बहरीच	125.50			10.00	10.00
775.	ऊन	47.31			11.35	11.35
776.	मोहन	67.58			16.00	16.00
777.	शाहगंज	86.18			20.68	20.68
778.	सोरोन	200.90			45.00	45.00
779.	मौरानीपुर	195.35			33.95	33.95
780.	कादीपुर	106.75			24.00	24.00
781.	बर्बर	101.97			24.00	24.00
782.	शामशाबाद	100.03			24.00	24.00
783.	अग्रौध	106.43			24.00	24.00
784.	आजमगढ़	179.26			38.55	38.55
785.	मोहम्मदबाद	55.75			12.50	12.50
786.	पैंथेपुर	86.98			20.80	20.80
787.	लखीमपुर	173.88			23.65	23.65
	उप योग	18298.65	828.34	1049.79	1972.57	3850.70
वेस्ट बंगाल						
788.	जोयनगर	183.00		59.85		59.85
789.	दुब्रजपुर	200.00			9.00	9.00
790.	दैंहत	100.00	30.00			30.00
791.	एग्र	202.50	51.00		13.50	64.50
792.	दुर्गापुर	750.67		202.00		202.00

1	2	3	4	5	6	7
793.	रम्जिबनपुर	100.00		32.00		32.00
794.	खरर	84.57		27.09		27.09
795.	खिपैं	90.00		34.00		34.00
796.	तहरेपुर	161.57	7.00		69.50	76.50
797.	बेल्दंग	200.56			75.00	75.00
798.	जमुरिअ	416.55			4.00	4.00
799.	जयगंज-आजिमगंज	139.81			13.00	13.00
800.	दार्जीलिंग	353.70	50.00			50.00
801.	रायगंज	500.76	65.00			65.00
802.	जलपाईगुड़ी	351.96	50.00		4.00	54.00
803.	बलुरघाट	543.29	70.00		137.44	207.44
804.	पुरुलिया	390.00	50.00		100.00	150.00
805.	कालना	217.80	25.00	23.50		48.50
806.	कातवा	358.12	50.00		100.00	150.00
807.	हल्दिया	1061.80	83.00		83.00	166.00
808.	बराहमपुर	791.20	105.00		105.00	210.00
809.	सिलिगुड़ी	725.00	130.50			130.50
810.	हावड़ा	141.14		84.00		84.00
811.	एंग्लिशबजा	147.85		88.50		88.50
812.	तरकेश्वर	163.76		45.00		45.00
813.	धुप्गुरि	171.18		45.00		45.00
814.	कूचबिहार	409.06		75.00		75.00
815.	बसिरहाट	687.10		85.00	20.00	105.00
816.	मिद्नपोरे	950.00		95.40	9.60	105.00
817.	खड़गपुर	554.93			105.00	105.00
818.	बंकुरा	550.67			105.00	105.00

1	2	3	4	5	6	7
819.	कलिम्पोंग	214.53			45.00	45.00
820.	कृष्णनगर	659.39			105.00	105.00
821.	सुरी	363.84			75.00	75.00
822.	बिश्नुपुर	369.78			75.00	75.00
823.	राणाघाट	370.24			75.00	75.00
824.	बोलपुर	360.63			52.00	52.00
825.	अरमबाग	200.00			22.00	22.00
826.	कोंटाइ	360.00			57.27	57.27
827.	रानीगंज	363.95			55.00	55.00
828.	झारग्राम	244.00			4.00	4.00
829.	जंगिपुर	358.86			4.00	4.00
830.	अलीपुरद्वार	363.77			4.00	4.00
831.	रघुनाथपुर	100.60			1.00	1.00
832.	इस्लामपुर	223.74			4.00	4.00
833.	घातल	227.71			4.00	4.00
834.	शांतीपुर	329.11			4.00	4.00
835.	मुर्शिदाबाद	203.97			4.00	4.00
836.	कुर्सेओंग	356.42			4.00	4.00
837.	तामलुक	201.99			4.00	4.00
838.	दलखोला	103.29			4.00	4.00
	उप योग	17674.37	766.50	896.34	1555.31	3218.15
पॉण्डीचेरी						
839.	पाण्डीचेरी	495.30		36.00		36.00
	उप योग	495.30		36.00		36.00
	सकल योग	186035.87	8543.00	10272.20	14200.01	33015.21

प्राप्त और प्रक्रियाधीन परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य/कस्बे का नाम
1	2
अरुणाचल प्रदेश	
840.	नमसाई
841.	अगिनी
842.	कोलोरियोग
बिहार	
843.	दिगवारा
844.	गोकागा
845.	हिल्सा
846.	फुलवारी सरीफ
847.	हाजीपुर
848.	गैहनाए
849.	मनेर
850.	दानापुर
851.	लखीसराय
झारखंड	
852.	मांगों
कर्नाटक	
853.	विजपुरा
854.	ननजगुड
855.	गुरमुटकल
महाराष्ट्र	
856.	एरनडोल
857.	बल्लारपुर
858.	कनकायाली
859.	कनधार
860.	सोनपीठ
861.	बोकारदान
862.	येयल्ला
863.	पुरना
864.	देवलालीपरवारा
865.	पेन
866.	पानवेल
मेघालय	
867.	रसूबेलपारा
उड़ीसा	
868.	बिरागित्रपुर
पंजाब	
869.	डेराबसी
राजस्थान	
870.	बहरोड़
871.	कूवामान सिटी
तमिलनाडु	
872.	कराईकुड्डी
873.	चिदंबरम
प. बंगाल	
874.	कल्याणी
875.	उलबेरिया

[अनुवाद]

अवैध आप्रवासन संबंधी भारत-ब्रिटेन समझौता

***351. श्री डी. विट्टल राव:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ब्रिटेन ने अवैध आप्रवासन और दोषसिद्ध कैदियों के प्रत्यावर्तन के संबंध में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौतों की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारत के अवैध आप्रवासियों की कोई सूची ब्रिटेन को दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भातीय आप्रवासी अपराधियों की युनाइटेड किंगडम से भारत को वापसी हेतु आधार के रूप में कार्य करने के लिए एक वर्ष हेतु एक पायलट परियोजना स्थापित करने के लिए 30 जनवरी, 2004 को भारत गणराज्य की सरकार और युनाइटेड किंगडम की सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का 29 जनवरी, 2006 तक एक और वर्ष के लिए पूर्व समझौते ज्ञापन के निबंधन और शर्तों पर नवीनीकरण किया गया था। इस पर 18 फरवरी, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे। उसी दिन देशों के मध्य दण्डादेशित व्यक्तियों के स्थानांतरण के बारे में एक अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) इन समझौतों के निबंधन और शर्तें नीचे दी गई हैं:

समझौता		निबंधन और शर्तें
1		2
1)	भारतीय आप्रवासी अपराधियों की युनाइटेड किंगडम से भारत वापसी के संबंध में समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण	एक पायलट परियोजना स्थापित करना जो कि भारतीय आप्रवासी अपराधियों की युनाइटेड किंगडम से भारत वापसी हेतु आधार तैयार करेगी: (क) यू.के. प्राधिकारी, भारतीय प्राधिकारियों को वापस भेजे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत ब्योरे उपलब्ध करवायेंगे। (ख) भारतीय प्राधिकारी आवश्यक राष्ट्रीयता जांच करेंगे तथा यह जांच सामान्यत: 3 महीनों के अंदर पूरी करनी होगी। (ग) यदि भारतीय राष्ट्रीयता स्थापित हो जाती है तो भारत सरकार ऐसे व्यक्तियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा कागजात जारी करने के लिए भारतीय उच्चायोग को प्राधिकृत करेगी। (घ) ऐसे व्यक्तियों को अनुसूचित उड़ानों अथवा इस उद्देश्यार्थ विशेष रूप से चार्टेड हवाई जहाजों से वापस लाया जाएगा। (ङ) ऐसे व्यक्तियों के शहर/गांव तक आगे की यात्रा की समग्र लागत का खर्चा यू.के. सरकार वहन करेगी।
2.	दण्डादेशित व्यक्तियों के स्थानांतरण पर समझौता	(क) स्थानांतरण हेतु अनुरोध दण्डादेशित कैदियों द्वारा अथवा उनकी आयु अथवा शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। (ख) स्थानांतरण हेतु अनुरोध पर स्थानांतरण करने वाले राज्य तथा प्राप्त करने वाले राज्य को सहमति देनी होगी। (ग) स्थानांतरण तभी प्रभावी होगा यदि सजा प्रदान करने संबंधी निर्णय भारत में अन्तिम है अर्थात किसी भी न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण लंबित नहीं है।

1	2
	(घ) स्थानांतरण तभी किया जाएगा जब दण्डादेशित कैदी उसको ग्रहण करने वाले राज्य का नागरिक होगा बावजूद इसके कि वह किसी अन्य विदेशी राज्य का नागरिक भी हो। (ङ) ग्रहण करने वाले राज्य के कानून के अनुसार सजा का प्रवर्तन लागू होगा। तथापि, ग्रहण करने वाला राज्य स्थानांतरण करने वाले राज्य द्वारा यथानिर्धारित सजा के कानूनी स्वरूप और सजा की अवधि का पालन करने के लिए बाध्य होगा। (च) ग्रहण करने वाले राज्य में सजा का प्रवर्तन, जिस सीमा तक इसका प्रवर्तन स्थानांतरण करने वाले राज्य में किया जा चुका है, उसके अनुसार सजा का पालन करेगा। (छ) निर्णय की समीक्षा हेतु किसी आवेदन पर निर्णय करने के लिए स्थानांतरण करने वाला राज्य ही सक्षम होगा। कोई भी राज्य अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुसार माफी, राजक्षमा अथवा न्यूनीकरण प्रदान कर सकता है। (ज) दोष सिद्ध कैदी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा यदि: (1) स्थानांतरण करने वाले राज्य का यह मत है कि ऐसा करना स्थानांतरण करने वाले राज्य की सम्प्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित के प्रतिकूल होगा; (2) दोषसिद्ध कैदी के विरूद्ध स्थानांतरण करने वाले राज्य में कोई अन्य मामला लंबित है; (3) स्थानांतरण करने वाले राज्य के सामान्य अपराधिक कानून के अन्तर्गत अपराध न होने के कारण उसे सेना के कानून के अन्तर्गत अपराध में दोष सिद्ध पाया गया हो, तथा (4) स्थानांतरण करने वाले राज्य में दोष सिद्ध कैदी को मृत्यु दंड प्रदान किया गया हो।

(घ) और (ङ) जी, नहीं श्रीमान। अवैध अप्रवासियों संबंधी समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत भारत सरकार को भारत से अवैध अप्रवासियों की कोई सूची ब्रिटेन को उपलब्ध करना अपेक्षित नहीं है। ब्रिटेन सरकार को ही राष्ट्रीयता सत्यापन के लिए भारत सरकार को संदिग्ध भारतीय अप्रवासी अपराधियों की सूची भेजनी है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

'सिमी' की गतिविधियां

***352. श्री अधीर चौधरी:**
श्री निखिल कुमार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एलईटी' से घने संबंध रखने वाला प्रतिबंधित संगठन ''स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया'' (सिमी) देश में अपने नेटवर्क का प्रसार करता रहा है जैसाकि दिनांक 9 मार्च, 2005 के 'दि हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'सिमी' के कार्यकर्ताओं के नेपाल स्थित कतिपय कट्टरवादी गुटों से भी संबंध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में 'सिमी' की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त है जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और जिनसे देश की शांति और सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने तथा देश के धर्म-निरपेक्ष ढांचे के भंग होने की संभावना है। सिमी का आतंकवादी गुटों, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा (एल ई टी) शामिल है, से घनिष्ठ संबंध हैं। इसके मद्देनजर सिमी को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अधीन गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इस संगठन पर प्रतिबंध लगने के कारण यह देश में अपने नेटवर्क का विस्तार करने में सफल नहीं हो पाया है। तथापि, इस आशय की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि सिमी, नेपाल इस्लामिक संघ, जो पाक मुस्लिम समर्थक कट्टरपंथी संगठन है, के संरक्षण में नेपाल में अपना आधार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। सिमी के क्रियाकलापों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि इसके क्रियाकलापों से देश की सुरक्षा पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके।

विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार

***353. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास केन्द्र सरकार से सहायता पाने वाले राज्यों में विज्ञान की शिक्षा में हो रहे सुधार का पता लगाने हेतु कोई तंत्र उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जैसी की वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में परिकल्पना है, विज्ञान की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा एक वैज्ञानिक मनोवृत्ति बढ़ाने के लिए वर्ष 1987-88 से विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने हेतु एक केंद्रीय प्रोयाजित योंजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किटों, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना/स्तरोन्नयन तथा पुस्तकालय संबंधी सुविधाओं और विज्ञान तथा गणित के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक तथा अभिनव कार्यक्रम चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों, जारी की गई राशि तथा उसके उपयोग की जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) से (च) विद्यालयों में वैज्ञानिक वातावरण तैयार करने तथा विज्ञान एवं गणित में शिक्षण-अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी इस योजना के प्रभाव को जानने के लिए वर्ष 1995 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने एक मूल्यांकन अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया। इस रिपोर्ट से यह पता चला कि यह योजना अत्यधिक उपयोगी है और विद्यालयों में वैज्ञानिक वातावरण पैदा करने की इसमें काफी संभावना है। 10वीं योजना के दौरान, इस योजना को ''विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार'' नामक संयुक्त योजना का अंग बना दिया गया है। इसके लिए कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव	जारी की गई राशि	जिनके उपयोग की जानकारी दी गई वे निधियां	खर्च न की गई बकाया राशि
1	2	3	4	5
2002-2003				
1.	असम	584.59	0.00	584.59
2.	छत्तीसगढ़	108.60	106.30	2.30

1	2	3	4	5
3.	कर्नाटक	500.00	500.00	0.00
4.	उत्तर प्रदेश	270.00	270.00	0.00
5.	दादरा और नगर हवेली	10.18	0.00	10.18
6.	पंजाब*	–	–	–
7.	महाराष्ट्र*	–	–	–
	कुल	1473.37	876.30	597.07
2003-2004				
1.	गोवा	1.92	0.30	1.62
2.	केरल	348.60	136.31	212.29
3.	मेघालय	207.60	0.00	207.60
4.	मिजोरम	0.88	0.00	0.88
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–
6.	जम्मू-कश्मीर*	–	–	–
7.	राजस्थान*	–	–	–
8.	मध्य प्रदेश*	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश*	–	–	–
10.	केरल*	–	–	–
11.	अरुणाचल प्रदेश*	–	–	–
	कुल	559.00	136.61	422.39
2004-05				
1.	मिजोरम	64.37	0.00	64.37
2.	कर्नाटक*	–	–	–
	कुल	64.37	0.00	64.37

*राज्य सरकार से जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव लम्बित पड़ा है।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मानदंडों को बदलना

*354. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:**
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले दो दशकों में शहरों की जनसंख्या में हुई वृद्धि के मद्देनजर त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मानदंडों को बदलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों तथा 20,000 से 1,00,000 के बीच की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस कार्यक्रम के मानदण्डों को बदलने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सरकार का विचार छोटे और मझौले नगरों के लिए एक नई शहरी अवसंरचना विकास स्कीम शुरू करने का है जिसमें मौजूदा त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) का विलय किया जाएगा। इस स्कीम में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को शामिल करने की व्यवस्था है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत शुरू किया जा सकता है। इन दोनों स्कीमों के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों की संख्या तथा 20,000 से 1,00,000 तक की जनसंख्या वाले नगरों की संख्या क्रमश: 2854 और 1884 हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) कई राज्य सरकारों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के मौजूदा मानदंडों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है; नामत: जनसंख्या सीमा का संशोधन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार छोटे नगरों को शामिल करना, प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति मानदंड, प्रति व्यक्ति लागत को बढ़ाना तथा वित्तपोषण पद्धति में संशोधन करना। जैसाकि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए मानदंडों की समीक्षा की जा रही है।

शून्य शुल्क पर आयात

***355. श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 25 प्रतिशत और उससे अधिक वार्षिक वृद्धि का निर्यात दर्ज करने वाले निर्यातकों को शून्य शुल्क पर आयात करने की अनुमति देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा लाभान्वित होने वाले निर्यातकों की संख्या कितनी है और इससे राजस्व की कितनी हानि होने की संभावना है;

(ग) क्या इससे गिन-चुने बड़े निर्यातकों, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसान पहुंच है, को दोहरा लाभ नहीं होगा; और

(घ) योजना का दुरूपयोग रोकने के लिए का उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) उन निर्यातकों को इस प्रकार शून्य शुल्क आयात की अनुमति देने की कोई योजना नहीं है जिन्होंने वार्षिक रूप से निर्यातों में 25 प्रतिशत अथवा अधिक वृद्धि की है। तथापि, उच्च निष्पादन के दर्जाधारक जिन्होंने वर्ष 2003-04 और 2004-05 में उत्तरोत्तर वृद्धि का विनिर्दिष्ट प्रतिशत प्राप्त किया है, को शुल्क साख हकदारी का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(ख) उच्च निष्पादन दर्जाधारक जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-04 में 25 प्रतिशत अथवा अधिक उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की है तथा 25 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है उनके द्वारा प्राप्त उत्तरोत्तर बढ़ोतरी पर 10 प्रतिशत की दर से शुल्क साख हकदारी प्रमाण-पत्र के पात्र हैं। वर्ष 2004-05 में टारगेट प्लस स्कीम के अंतर्गत उत्तरोत्तर वृद्धि दर 10 करोड़ रुपए के न्यूनतम कारोबार के साथ 20 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। शुल्क साख हकदारी अधिकतम 100 प्रतिशत पर 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। इस समय लगभग 3000 दर्जाधारक हैं और ऐसे सभी दर्जाधारक यदि वे संबंधित वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हासिल कर लेते हैं तो इस लाभ के हकदार होंगे। इस स्कीम का आशय अधिक निष्पादन वाले निर्यातकों को प्रोत्साहन देना है, इसलिए राजस्व के घाटे का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दोहरे लाभ का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि केवल एक प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, स्कीम बड़े निर्यातकों तक प्रतिबंधित नहीं है बल्कि अधिक निष्पादन करने वाले सभी निर्यातकों के लिए खुली है।

(घ) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत स्कीमों के दुरूपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

किशोरी शक्ति योजना

***356. श्री बी. विनोद कुमार:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के एक अंग के रूप में "किशोरी शक्ति योजना" शुरू की है;

(ख) क्या वह योजना ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 2000 एकीकृत बाल विकास योजना परियोजनाओं में क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लोगों की इस पर आम प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) देश की सभी आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं को इस योजना में कब तक शामिल कर लिये जाने की संभावना है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा इसके बाद इस योजना में शामिल की गई किशोरियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के तहत राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियों सहित आवंटित/जारी धनराशि कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) समस्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में किशोरी शक्ति योजना के विस्तार के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) और (च) राज्य-वार उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

विवरण-I

किशोरी शक्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत ब्लॉकों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ब्लॉकों की संख्या			
		मौजूदा किशोरी ब्लॉक (1991-92)	2000-01 के दौरान स्वीकृत ब्लॉक	2001-02 के दौरान स्वीकृत ब्लॉक	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	25	1	63
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	कोई नही	20	21
3.	असम	10	कोई नहीं	52	62
4.	बिहार	56	101	2	159
5.	छत्तीसगढ़	कोई नहीं	13	83	96
6.	गोवा	1	कोई नहीं	कोई नहीं	1
7.	गुजरात	15	25	कोई नहीं	40
8.	हरियाणा	4	81	कोई नहीं	85

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	1	14	कोई नहीं	15
10.	जम्मू-कश्मीर	2	कोई नहीं	कोई नहीं	2
11.	झारखण्ड	14	22	26	66
12.	कर्नाटक	23	8	7	38
13.	केरल	13	कोई नहीं	कोई नहीं	13
14.	मध्य प्रदेश	48	61	125	234
15.	महाराष्ट्र	39	46	13	98
16.	मणिपुर	1	कोई नहीं	13	14
17.	मेघालय	1	कोई नहीं	22	23
18.	मिजोरम	1	कोई नहीं	21	22
19.	नागालैण्ड	1	कोई नहीं	40	41
20.	उड़ीसा	24	31	57	112
21.	पंजाब	3	44	कोई नहीं	47
22.	राजस्थान	24	141	कोई नहीं	165
23.	सिक्किम	1	कोई नहीं	कोई नहीं	1
24.	तमिलनाडु	33	4	कोई नहीं	37
25.	त्रिपुरा	1	कोई नहीं	15	16
26.	उत्तरांचल	कोई नहीं	39	1	40
27.	उत्तर प्रदेश	99	324	कोई नहीं	423
28.	पश्चिम बंगाल	41	14	2	57
29.	दिल्ली	3	कोई नहीं	कोई नहीं	3
30.	पाण्डीचेरी	1	कोई नहीं	कोई नहीं	1
31.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	कोई नहीं	कोई नहीं	1
32.	चण्डीगढ़	1	कोई नहीं	कोई नहीं	1
33.	दादर व नगर हवेली	1	कोई नहीं	कोई नहीं	1
34.	दमन व दीव	1	कोई नहीं	कोई नहीं	1
35.	लक्षद्वीप	1	कोई नहीं	कोई नहीं	1
	भारत	507	993	500	2000

विवरण-II

वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान किशोरी शक्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्मुक्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03		2003-04		2004-05	
		कि.श.यो. ब्लॉकों की संख्या	प्रत्येक कि.श.यो. ब्लॉक के लिए 1.10 की दर से निर्मुक्त राशि	कि.श.यो.ब्लॉकों की संख्या	प्रत्येक कि.श.यो. ब्लॉक के लिए 1.10 की दर से निर्मुक्त राशि	कि.श.यो. ब्लॉकों की संख्या	प्रत्येक कि.श.यो. ब्लॉक के लिए 1.10 की दर से निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	63	69.30	63	69.30	63	69.30
2.	बिहार	159	174.90	159	174.90	159	174.90
3.	छत्तीसगढ	96	105.60	96	105.60	96	105.60
4.	गोवा	1	1.10	1	1.10	1	1.10
5.	गुजरात	40	44.00	40	44.00	40	44.00
6.	हरियाणा	85	93.50	85	93.50	83	93.50
7.	हिमाचल प्रदेश	15	16.50	15	16.50	15	16.50
8.	जम्मू-कश्मीर	2	2.20	2	2.20	2	2.20
9.	झारखण्ड	66	72.60	66	72.60	66	72.60
10.	कर्नाटक	38	41.80	38	41.80	38	41.80
11.	केरल	13	14.30	13	14.30	13	14.30
12.	मध्य प्रदेश	234	257.40	234	257.40	234	257.40
13.	महाराष्ट्र	98	107.80	98	107.80	98	107.80
14.	उड़ीसा	112	123.20	112	123.20	112	123.20
15.	पंजाब	47	51.70	47	51.70	47	51.70
16.	राजस्थान	165	181.50	165	181.50	165	181.50
17.	तमिलनाडु	37	40.70	37	40.70	37	40.70
18.	उत्तरांचल	40	44.00	40	44.00	40	44.00
19.	उत्तर प्रदेश	423	465.30	423	465.30	423	465.30
20.	पश्चिम बंगाल	57	62.70	57	62.70	57	62.70
21.	दिल्ली	3	3.30	3	3.30	3	3.30

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पाण्डिचेरी	1	1.10	1	1.10	1	1.10
23.	अण्डमान व निकोबार	1	1.10	1	1.10	1	1.10
24.	चण्डीगढ़	1	1.10	1	1.10	1	1.10
25.	दादर व नगर हवेली	1	1.10	1	1.10	1	1.10
26.	दमन व दीव	1	1.10	1	1.10	1	1.10
27.	लक्षद्वीप	1	1.10	1	1.10	1	1.10
28.	अरुणाचल प्रदेश	21	23.10	21	23.10	21	23.10
29.	असम	62	68.20	62	68.20	62	68.20
30.	मणिपुर	14	15.40	14	15.40	14	15.40
31.	मेघालय	23	25.30	23	25.30	23	25.30
32.	मिजोरम	22	24.20	22	24.20	22	24.20
33.	नागालैण्ड	41	45.10	41	45.10	41	45.10
34.	सिक्किम	1	1.10	1	1.10	1	1.10
35.	त्रिपुरा	16	17.60	16	17.60	16	17.60
	कुल जोड़	2000	2200.00	2000	2200.00	2000	2200.00

विवरण-III

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान किशोरी शक्ति योजना के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	उन आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या, जहां किशोरी शक्ति योजना स्वीकृत है	लाभार्थियों की संख्या (2003-04)				वर्ष 2004-05 में (दिसम्बर, 2004 तक) लाभार्थियों की संख्या			
			प्रशिक्षित	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त	पूरक पोषण कार्यक्रम से लाभान्वित	आई.एफ.ए. गोलियां/कृमि नाशक कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने वाले	प्रशिक्षित	पूरक पोषण कार्यक्रम से लाभान्वित	आई.एफ.ए. गोलियों/ कृमि नाशक कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने वाले	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने वाले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	63	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	62	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	बिहार	159	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	छत्तीसगढ़	96	45600	44776	37058	22391	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	गोवा	1	.....लाभार्थियों की कमी के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा रहा.....							
7.	गुजरात	40	33930	136307	23813	0	16879	39357	0	122568
8.	हरियाणा	85	38240		32433		19964	19905	19920	12541
9.	हिमाचल प्रदेश	15	1409	5547	4520		1541	2220	8373	10835
10.	झारखण्ड	66	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	जम्मू-कश्मीर	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	कर्नाटक	38	480	480	6840	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	केरल	13	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	मध्य प्रदेश	234	0	350106	139744	350864	0	67308	69672	67308
15.	महाराष्ट्र	98	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
16.	मणिपुर	14	390	4100	5409	0	650	0	0	1281
17.	मेघालय	23	3965	10932	10932	14435	4210	7378	17849	8035
18.	मिजोरम	22	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
19.	नागालैण्ड	41	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	उड़ीसा	112	0	0	0	0	3622	0	57679	7403
21.	पंजाब	47	6065	9892	2680	18164	16388	4407	4197	17246
22.	राजस्थान	165	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
23.	सिक्किम	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0	0
24.	त्रिपुरा	16	4344	4294	4294	4294	5260	5260	5260	5260
25.	तमिलनाडु	37	990			581949	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	उत्तरांचल	40	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	9355	5404/2430	9304
27	उत्तर प्रदेश	423	16050	16050		51986	16050	16050		51986
28.	पश्चिम बंगाल	57	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29.	दिल्ली	3		1698	1742	1692		2018	1691	2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	पाण्डिचेरी	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31.	अण्डमान व निकोबार	1	0	156	156	0	0	207	0	207
32.	चण्डीगढ़	1	120	294	294	294	141	141	0	141
33.	दादर व नगर हवेली	1	1000	1000	1000		429	429	0	500
34.	दमन व दीव	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	429	429	0	500
35.	लक्षद्वीप	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	2000	152583	585632	270915	1046069	85563	174464	184641	317133

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन का लक्ष्य

***357. श्री काशीराम राणा:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरों में व्याप्त गरीबी के उपशमन से संबंधित दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को संशोधित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) दसवी पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-2007) में वर्ष 2007 तक 5 प्रतिशत पाइंट तक तथा वर्ष 2012 तक 15 प्रतिशत पाइंट तक गरीबी को कम करने का लक्ष्य नियत किया गया है। शहरों में गरीबी स्तरों को कम करने के लिए दसवीं योजना में किसी अलग लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में, 1.12.1997 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) नाम एक रोजगारोन्मुख शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम में प्रथमत: 9वीं कक्षा तक पढ़े व्यक्तियों को स्व-रोजगार उद्यम लगाने हेतु प्रोत्साहित करके तथा द्वितीयत: सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार मुहैया कराकर शहरी बेरोजगार और अल्परोजगार प्राप्त गरीब लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने की परिकल्पना की गई हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय आधार पर लघु/समूह उद्यम स्थापित करके शहरी गरीब लोगों को 4,00,000 रोजगार अवसर मुहैया कराने तथा 5,00,000 लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य नियत किए गए हैं। दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों अर्थात 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान, राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2.40 लाख लघु उद्यम स्थापित करने तथा 3 लाख शहरी गरीब लोगों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने के संचयी लक्ष्य की तुलना में 2,97,419 लघु उद्यम स्थापित किए गए हैं तथा 3,55,868 शहरी गरीब लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

एन सी ई आर टी की इतिहास की पाठ्य-पुस्तक

***358. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य पुस्तकों के साथ-साथ एन सी ई आर टी की इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ की जाने वाली है;

(ङ) क्या शैक्षणिक सत्र, 2005 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के लिए एन सी ई आर टी की इतिहास की पुस्तकों को संशोधित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है; और

(छ) छात्रों को समय पर पर्याप्त संख्या में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचा 2000 के तहत तैयार की गई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की शीघ्र समीक्षा करने के लिए इतिहासकारों का एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने 5.7.2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक सिफारिशें की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ पैनल के निष्कर्ष ये थे कि 2000 के बाद तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें 'गलतियों से परिपूर्ण तथा घटिया' पक्षपातपूर्ण, गलत ढंग से लिखी गई थी इसलिए उनको जारी रखना अनुपयुक्त है।

(घ) से (छ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की कार्यकारी समिति ने रिपोर्ट पर विचार किया था और पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार करते समय यह निर्णय लिया कि शैक्षिक सत्र 2004-2005 से राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचा, 2000 पर आधारित इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को शैक्षिक सत्र के अन्तिम चरण को ध्यान में रखते हुए जारी रखा जाएगा। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया था कि शैक्षिक वर्ष 2004-2005 के लिए, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचा 2000 से पूर्व प्रयोग में लाई गई पाठ्यपुस्तकों की पांच प्रतियां शिक्षकों तथा छात्रों के लिए संदर्भ समग्री के रूप में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रत्येक स्कूल को निशुल्क प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के शिक्षण में एक उचित परिप्रेक्ष्य विकसित करने हेतु इतिहास शिक्षकों के लिए एक लघु परामर्श समिति भी गठित की है। शैक्षिक वर्ष 2005-06 के लिए, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचा 2000 से पूर्व प्रयोग में लाई गई पाठ्यपुस्तकों को सभी विद्यालयों में प्रयोग के बीच संगतता की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि कक्षा 6 से 8 तक तथा 9 और 11 के लिए पूर्व इतिहास पाठ्यपुस्तकों को बिना अधिक कठिनाई के प्रयोग में लाया जा सकता है क्योंकि वर्तमान पाठ्यचर्या में परिवर्तन कार्यकलापों और परियोजनाओं के जरिए किए जा सकते हैं परन्तु समिति ने सुझाव दिया है कि वर्तमान पाठ्यचर्या में कुछ संशोधनों के साथ समकालीन विश्व इतिहास से संबंधित अध्याय कक्षा 9 में शुरू किए जाएंगे, जबकि आधुनिक भारत से संबंधित अध्याय कक्षा 10 में शुरू किए जाएंगे। तद्नुसार वर्तमान सामाजिक विज्ञान तथा इतिहास पाठ्यविवरण में आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए हैं और इन किए गए परिवर्तनों से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अवगत करा दिया गया था। पुरानी (2000 से पूर्व) इतिहास की पाठ्यपुस्तकें आवश्यक संशोधन करने के बाद पुनः शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् इतिहास की पाठ्यपुस्तक सहित सभी पाठ्यपुस्तकों के तैयार करने तथा उनके वितरण की प्रणाली की समीक्षा तथा सुधार करने के लिए कदम उठा रही है ताकि पाठ्यपुस्तकें छात्रों को समय पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने पाठ्यपुस्तकों को असानी से सुलभ कराने के लिए अपनी वेबसाइट www.ncert.nic.in पर कक्षा 9 से 11 तक के लिए 54 पाठ्यपुस्तकें पहले से डाल रखी हैं।

परीक्षा प्रणाली

***359. श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं और ग्यारहवीं स्तर की परीक्षाओं में विद्यार्थियों पर बढ़ते दबाव के मद्देनजर परीक्षा प्रणाली में संशोधन पर विचार करने हेतु विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में पाठ्यक्रमों में संशोधन हेतु गठित निगरानी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) बोर्ड तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों पर अत्यधिक दबाव से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालय ने 24.3.2005 को एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, कुछ चुनिंदा केन्द्रीय विद्यालयों और पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसी अग्रणी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, परीक्षा बोर्ड के अध्यक्षों तथा मनोविज्ञान व परामर्श विशेषज्ञों ने भाग लिया था। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली के ऐसे विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया था जिनसे विद्यार्थियों पर दबाव बढ़ता है। इस मामले में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई थी क्योंकि इसमें हमारे समाज से जुड़े व्यापक मुद्दे निहित थे।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना की समीक्षा के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक 'राष्ट्रीय संचालन दल' का गठन किया गया है इस 'राष्ट्रीय संचालन दल' के कार्य में 21 'राष्ट्रीय फोकस दलों' द्वारा सहायता दी जा रही है। इनमें से एक फोकस दल 'परीक्षा सुधारों' से संबंधित है। इस फोकस दल में शिक्षाविद तथा कक्षा-कक्ष कर्मी, विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्ड तथा मध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद के प्रतिनिधि हैं। फोकस दल इस सम्बन्ध में स्थितिमूलक-पत्र तैयार कर रहा है।

राज्यों में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

***360. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को अलग-अलग पेंशन मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों ने हाल में उक्त पेंशन में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एकरूपता लाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) उन स्वतंत्रता सेनानियों, जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय राजस्व से पेंशन ले रहे हैं, की पेंशन की राशि, पूरे देश में एकसमान है। ब्योरे अनुलग्नक में संलग्न हैं। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं के अंतर्गत अपने राज्य राजस्व से स्वतंत्रता सेनानियों को देय राशि का संबंध है, ऐसी सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, 21 राज्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध है और वह संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) से (छ) केन्द्र सरकार का इस संबंध में एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि राज्य पेंशन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अंतिम रूप दिया जाता है और पेंशन प्रत्येक राज्य के अपने राजस्व से वितरित की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	मौजूदा पेंशन रु. प्रतिमाह	पहले की पेंशन रु. प्रतिमाह	टिप्पणी
1	2	3	4	5
केन्द्र सरकार की पेंशन योजना के ब्योरे				
1.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन	15 अगस्त 1997 से 3000/- + महंगाई राहत	14 अगस्त 1997 तक 1500/-	महंगाई राहत (डी आर) 1 अगस्त, 1998 से स्वीकार्य की गई थी। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचनांक से जोड़ा गया था और इसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है। वर्तमान में यह (1 अगस्त 2004 से) मूल पेंशन का 44% है।
2.	आश्रित परिवार पेंशन (स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु होने पर)			

1	2	3	4	5
	(क) पत्नी/पति	(क) 15 अगस्त 1997 से 3000/- + महंगाई राहत	(क) 14 अगस्त 1997 तक 1500/-	
	(ख) अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (ज्यादा से ज्यादा तीन)	(ख) 10 फरवरी 2005 से प्रत्येक को 1500/-+ महंगाई राहत, सभी तीनों पुत्रियों के लिए	(ख) 9 फरवरी 2005 तक सबसे बड़ी पुत्री को 600/- और अन्य दो पुत्रियों प्रत्येक को 350/- + महंगाई राहत	
	(ग) माता-पिता	(ग) 15 अगस्त 1997 के 1000/- + महंगाई राहत	(ग) 14 अगस्त 1997 तक 200/-	
राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं के राज्य-वार ब्योरे				
1.	आन्ध्र प्रदेश	1000/- (तारीखें उपलब्ध नहीं)	उपलब्ध नहीं	
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	लागू नहीं	कोई भी स्वतंत्रता सेनानी राज्य सरकार की पेंशन नहीं ले रहा है।
3.	असम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
4.	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
5.	छत्तीसगढ़	अगस्त 2003 से 5000/-	जुलाई 2003 तक 3000/-	
6.	गोवा			
	1. राज्य पेंशन	1. दिसम्बर 2001 से 2000/-	1. नवम्बर 2001 तक 1250/-	
	2. केन्द्रीय सम्मान पेंशन भोगियों को राज्य पेंशन	2. अप्रैल 2003 से 2000/-	2. मार्च 2003 तक 500/-	
7.	गुजरात			
	1. राज्य पेंशन	1. अगस्त 1997 से 1500/- + 44% महंगाई भत्ता + चिकित्सा भत्ते के रूप में 100/-	उपलब्ध नहीं	
	2. केन्द्रीय सम्मान पेंशन भोगियों को राज्य पेंशन	2. 200/-		
8.	हरियाणा	1525/- (पेंशन 1400 + चिकित्सा भत्ता 125)	उपलब्ध नहीं	पेंशन को 1400/- रु. से बढ़ाकर 3500/- करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है)

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2004 से 1535/-	मार्च 2004 तक 1000/-	
10.	जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
11.	झारखंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
12.	कर्नाटक		उपलब्ध नहीं	
	1. स्वतंत्रता सेनानी	1. नवम्बर 2000 से 1000/-		
		2. जनवरी 2005 से 1200/-		
	2. ताम्रपत्र धारक स्वतंत्रता सेनानी			
13.	केरल	अगस्त 2000 से 3000/- + अगस्त 2003 से महंगाई भत्ता 20%	जुलाई 2000 तक 2000/-	
14.	मध्य प्रदेश	अप्रैल 2002 से 4000/-	उपलब्ध नहीं	
15.	महाराष्ट्र			
	1. पुरूष	1. जून 2004 से 3000/-	1. मई 2004 तक 2000/-	
	2. महिला	2. जून 2004 से 3100/-	2 मई 2004 तक 2100/-	
16.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	राज्य सरकार किसी भी राज्य पेंशन योजना को कार्यान्वित नहीं करती है।
18.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
19.	नागालैण्ड	उपलबध नहीं	उपलब्ध नहीं	
20.	उड़ीसा			
	1. राज्य पेंशन	1. 1000/-	1. 700/-	
		2. 800/-	2. 500/-	
	2. केन्द्रीय सम्मान पेंशन भोगियों को राज्य पेंशन	(तारीखे उपलब्ध नहीं)	(तारीखें उपलब्ध नहीं)	
21.	पंजाब	जुलाई 2000 से 2500/-	जून 2004 तक 2000/-	

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	अप्रैल 1999 से 1500/-	उपलब्ध नहीं	पेंशन 1500/- रु. से बढ़ाकर 2000/- करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है)
23.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
24.	तमिलनाडु			
	1. राज्य पेंशन	1 अगस्त 1997 से 3000/-	उपलब्ध नहीं	
		2. 1500/-		
	2. स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी/पति या अवयस्क बच्चे को राज्य पेंशन	3. 5000/-		
	3. केन्द्रीय सम्मान पेंशन भोगियों को राज्य पेंशन	3.500/-		
25.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलबध नहीं	
26.	उत्तर प्रदेश	3339/ (2159/- पेंशन + 1189/ भत्ते)	2250/ (1900 - पेंशन + 350/- भत्ते	
27.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
28.	पश्चिम बंगाल	उपलबध नहीं	उपलब्ध नहीं	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3000/- + समय-समय पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता	उपलबध नहीं	
30.	चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
31.	दादरा और नागर हवेली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
32.	दमन एवं दीव	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
33.	दिल्ली	अगस्त 2004 से 3500/-	जुलाई 2004 तक 2251/-	
34.	लक्षद्वीप	शून्य	लागू नहीं	कोई भी स्वतंत्रता सेनानी राज्य सरकार से पेंशन नहीं ले रहा है।
35.	पांडिचेरी	अगस्त 2004 से 3000/-	जुलाई 2004 तक 2200/-	

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बीज बोर्ड का गठन

3455. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बोर्ड की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) उक्त बीज बोर्ड की कार्य योजना क्या है और तत्संबंधी प्रगति रिपोर्ट क्या है;

(ङ) क्या किसानों द्वारा उनके उपयोग के लिए उत्पादित बीज इस संबंध में कानून के क्षेत्राधिकार में आता है; और

(च) बीज और खाद्यान्न उत्पादन करने वाले किसानों पर उक्त कानून के क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) जी, नहीं। योजना आयोग के परामर्श पर वर्तमान केन्द्रीय बीज समिति प्रस्तावित राष्ट्रीय बीज बोर्ड का स्थान लेगी। केन्द्रीय बीज समिति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

* बीज विधेयक में सभी क्रियान्वयक एजेन्सियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।
* केन्द्रीय बीज समिति में किसानों, बीज उद्योग और विशेषज्ञों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।

केन्द्रीय समिति बीज संबंधी कार्यक्रम बनाने और बीज नियोजन, बीजों के विकास और उत्पादन, बीजों के निर्यात और आयात, पंजीकरण, प्रमाणन और बीज परीक्षण के लिए मानकों, बीज पंजीकरण और उसका प्रवर्तन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किए गए ऐसे अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ) किसानों को बीजों के पंजीकरण से छूट दी जाती है। किसानों पर उनके फार्म बीजों और पौध रोपण सामग्री को सुरक्षित रखने, प्रयोग करने, विनिमय करने, शेयर या बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते यह सामग्री ब्राण्डिड सामग्री न हो।

(च) बीज विधेयक, 2004 के अंतर्गत किसानों को अपने फार्म बीजों और पौध रोपण सामग्री को सुरक्षित रखने, प्रयोग करने, विनिमय करने, शेयर या बेचने के लिए अधिकार हैं। अत: किसान इस विधेयक के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

[अनुवाद]

गायों की आंत और जानवरों के खून से बनने वाले बैंडेज

3456. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चेन्नई स्थित केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सी.एल.आर.आई.) के वैज्ञानिक गायों की आंत और जानवरों के खून से बैंडेज बनाते हैं जो घावों को शीघ्र ठीक कर देते हैं और जिनका नाम क्रमश: फाइब्रोजेल एवं कोलैजेन है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इन बैंडजों को तैयार करने में जानवरों के साथ निर्दयता बरतने पर क्या रवैया अपनाया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) यह सच है कि वध किए गए जानवरों के कोलैजन टिश्यू से बनने वाली बैंडेज संबंधी प्रौद्योगिकी केन्द्रीय चर्म की अनुसंधान संस्थान (सी. एल. आर. आई.), प्रौद्योगिकियों के विकास कार्य से सम्बद्ध अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है। उक्त प्रक्रिया में देश के प्रमाणित बूचड़खानों के उपात्पादों को प्रयोग में लाया जाता है। चूंकि, सामग्री वास्तव में बूचड़खानों से लिए गए उपोत्पाद होते हैं, अत: पशुओं के प्रति क्रूरता का प्रश्न ही नहीं उठता।

सी.सी.बी.एफ. का कार्य निष्पादन

3457. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूरतगढ़, अलमढ़ी और चीपलिमा स्थित सेन्ट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स (सी.सी.बी.एफ) के गिरते कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन फार्मों के कार्यकरण को पुन: चुस्त-दुरूस्त करने के प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अच्छी नस्ल के सांड के प्रजनन और वितरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सूरतगढ़ अलामाधि तथा चिपलिमा स्थित केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों के खराब कार्य निष्पादन के मुख्य कारण चारा तथा जल की अपर्याप्त उपलब्धता, मौजूदा रोग दशा और फार्म भूमि का अधिक्रमण है।

(ख) और (ग) इन फार्मों के पुनर्वास के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से, विभाग ने प्रत्येक फार्म के लिए तकनीकी सलाहकार समितियों का गठन किया है। इन समितियों ने इन फार्मों के क्रियाकलापों की समीक्षा की है तथा सम्पूर्ण फार्म प्रबंधन एवं प्रणाली में सुधार, पर्याप्त आहार तथा चारे की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी, रोगग्रस्त पशुधन के निपटान, मौजूदा घटिया पशुओं को बदलने तथा उन्नत बायो-सुरक्षा की सिफारिश की है।

(घ) रोगों के खिलाफ पशुओं के परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। राज्यों, विशेषकर राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना में भाग लेने वाले राज्यों को कृत्रिम गर्भाधान तथा प्राकृतिक सेवा के लिए उपयुक्त जूनोटिक तथा यौन संक्रमित रोगों से मुक्त अच्छी किस्म के सांडों की उपलबधता के बारे में सूचित कर दिया गया है।

आवश्यक दवाओं के नियंत्रित और विनियंत्रित मूल्य

3458. श्री अधीर चौधरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवश्यक दवाओं का नियंत्रित और विनियंत्रित एक्स-फैक्ट्री मूल्य क्या है जिस पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है, और पैकिंग पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) क्या है; और

(ख) औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत निर्धारित मानदंड के अनुसार नियंत्रित और विनियंत्रित दवाओं दोनों के लिए इन दवाओं के व्यापारिक लाभ और नियत मूल्यों को घटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 2/2005-केंद्रीय उत्पाद (एन.टी.) दिनांक 7 जनवरी, 2005 के साथ पठित अधिसूचना सं. 4/2005-केंद्रीय उत्पाद (एन.टी.) दिनांक 23 फरवरी, 2005 के अनुसार खुदरा मूल्य पर 40% छूट देने के पश्चात् दवाओं के खुदरा मूल्य के आधार पर, जो भी प्रभार योग्य हो, उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। इससे विभिन्न औषधों के मुनाफे और ट्रेड-मार्जिन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

वर्तमान में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ 1995) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापारिक कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद सुधार, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में सरकार द्वारा उपचारी उपाय किए जाते हैं।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संख्या (सी) 3668/2003 पर सर्वोच्च न्यायालय के मत के आलोक में मूल्य नियंत्रण (ट्रेड मार्जिन सहित) की सीमा की जांच करने और उचित मूल्यों पर जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय सुझाने हेतु संयुक्त सचिव (फार्मा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ चयनित बास्केट (आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003) के उन सभी औषधों जो मूल्य नियंत्रण के अधीन नही हैं, की गहन मानिटरिंग, औषधों के ट्रेड मार्जिन की सीमा, नए पेटेंटशुदा औषधों के मूल्य सौदों का एक तंत्र, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए विशेष योजनाएं, विनिर्माताओं से औषधों की थोक खरीद और उन्हें कम दाम पर बेचने के लिए लाइफ लाइन फ्लयूड स्टोर्स (मेडिकेयर सोसायटियों द्वारा चालित अस्पताल फार्मेसी स्टोर्स) के राजस्थान मॉडल का प्रचालन, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए दंड, कर्नाटक के मॉडल पर सभी राज्यों में डी पी सी ओ प्रकोष्ठों की स्थापना, जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास, सरकार और एन पी पी ए के फैसलों और नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार आदि शामिल हैं।

जीवन रक्षक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु मूल्य नियंत्रण के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रधान सलाहकार (पी पी), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत कर्नाटक को आवंटन

3459. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक सहित अन्य राज्य सरकारों का आवंटन कम किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या सरकार कर्नाटक सहित राज्यों को की गई कटौती को पुन: नहीं करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया कराने के लिए राज्यवार कोई आबंटन नहीं है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई जाती है जोकि उस वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होती है। योजना आयोग द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004-05 के लिए वर्ष के शुरूआत में कर्नाटक राज्य के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता संबंधी सीमा 250.00 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर योजना आयोग द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर में इसे बढ़ा कर 567.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस राशि की तुलना में राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान 396.2952 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसमें 81.5031 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में और 314.7921 करोड़ रुपये ऋण के रूप में शामिल हैं।

मदर डेयरी के फल और सब्जी बिक्री केन्द्र

3460. मो. मुकीम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली में मदर डेयरी के कितने फल एवं सब्जी बिक्री केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली में मदर डेयरी के बिक्री केंद्रों में उपलब्ध फल एवं सब्जी प्रचलित बाजार मूल्य से मंहगे होते हैं और उनकी गुणवत्ता निम्न कोटि की होती है; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) इस समय दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में मदर डेयरी की 311 फल और सब्जी की दुकानें काम कर रही हैं।

(ख) दिल्ली में मदर डेयरी की दुकानों में फल और सब्जियां प्रचलित बाजार दर पर प्रतियोगी हैं। इनकी गुणवत्ता खराब नहीं है और ये स्थानीय बाजारों में उपलब्ध गुणवत्ता के समतुल्य है।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

महानगरों में प्रदूषण

3461. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी महानगरों तथा बड़े शहरों में विशेषकर मुम्बई में चिंताजनक प्रदूषण स्तर को कम करने हेतु कोई व्यापक एवं ठोस कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रदूषण स्तर पर सी.एन.जी. उपयोग के प्रभाव का मूल्यांकन करते हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महानगर और वृहत शहर कब तक प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) सरकार ने, मुम्बई सहित देश के बड़े शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की हैं। इन कार्य योजनाओं में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। वाहनीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन और अन्य जैव-पिंड के जलाने को नियंत्रित करने पर विशिष्ट रूप से बल दिया गया है। ये कार्य योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली की परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जा रही है और आंकड़े यह

दर्शाते हैं कि Nox जिसमें मामूली वृद्धि हुई है, को छोड़कर लगभग सभी प्रदूषकों के सांद्रण में कमी आई है। सार्वजनिक परिवहन में सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) को प्रारंभ करने से परिवेशी वायु गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं।

(ङ) उन्नत वायु गुणवत्ता हेतु मार्ग मानचित्र सहित ऑटो ईंधन नीति तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वच्छतर, ईंधन, ऑटोमोबाईल प्रौद्योगिकियां और प्रवर्तन उपाय भी शामिल हैं।

कर्नाटक में अवरोधी बांधों और बैराजों का निर्माण

3462. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदियों के ऊपरी हिस्सों में अवैध अवरोधी बांधों और छोटे बैराजों का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक ऐसा करके प्रति वर्ष 75 टीएमसी फीट जल पर कब्जा कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और अन्य शहरों में जल की अत्यधिक कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) कर्नाटक सरकार ने सूचना दी है कि राज्य सरकार कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदियों के ऊपरी हिस्सों में अवैध अवरोधी बांधों और छोटे बैराजों का निर्माण नहीं कर रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सेल के साथ एम.ई.एल. का विलय

3463. श्री सुबोध मोहिते: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम.ई.एल.) में 75 करोड़ रुपए की नई भट्टी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) के साथ एम.ई.एल. का विलय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। सिलिको मैंगनीज का उत्पादन करने के लिए महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एमईएल) में 33 एमवीए क्षमता की एक निमज्जित चाप भट्टी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए इससे संबंधित कार्य शुरू किया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु वित्तीय सहायता

3464. श्री सुव्रत बोस: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में बाल श्रम को समाप्त करने हेतु विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निकले परिणामों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादकों के सामने आ रही समस्याएं

3465. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के दूध उत्पादकों को दूध की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा और इसके आयात के संबंध में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनको राहत प्रदान करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई.एस.आई.सी. अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी

3466. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के नागदा में ई.एस.आई.सी. अति विशेषज्ञता प्राप्त अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं चिकित्सा विशेषज्ञों सहित कर्मचारी स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ई.एस.आई.सी. अस्पतालों में उपचार के लिए योग्य औद्योगिक इकाइयों की श्रेणियों का ब्यौरा और इसके अंतर्गत शामिल किए जाने को प्रस्तावित अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) मध्य प्रदेश में नागदा स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल एक सामान्य अस्पताल है न कि एक अति-विशिष्ट सेवा अस्पताल। वर्तमान में इस अस्पताल में बाल चिकित्सा, हड्डी, सर्जरी और मेडीसिन बाह्य-रोगी विभाग कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नागदा में विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों सहित 93 स्वीकृत पदों में से 56 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले और बिजली का प्रयोग करने वाले बारहमासी कारखानों; बिजली का प्रयोग न करने वाले कारखानों, दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, पूर्वदर्शन थियेटरों सहित सिनेमाओं, सड़क-मोटर, परिवहन उपक्रम और समाचार-पत्र प्रतिष्ठान जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों तथा जिनकी मजदूरी 7500/- रुपये प्रतिमाह तक हो और क्रियान्वित क्षेत्रों में स्थित हों कर्मचारी राज्या बीमा अस्पतालों में इलाज करवाने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले शैक्षिक संस्थानों को कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के अंतर्गत इलाज के लिए कवर करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा तैयार माल हेतु संयंत्र की स्थापना

3467. श्री सुनील खां: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एन.पी.) ने तैयार माल के लिए संयंत्र की स्थापना हेतु 'सेमीस' से धनराशि प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयंत्र में व्हील एक्सील के उत्पादन के बाद उसे अंतिम रूप इस्पात संयंत्र के बाहर प्रदान किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं? और

(च) बिना किसी विलंब के संयंत्र में माल को अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की निगमित योजना 2012 में सेमीज में कमी करने के लिए बार एंड रोड मिल्स (450 करोड़ रुपए प्रत्येक) और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में मिडियम स्ट्रक्चरल मिल (350 करोंड़ रुपए) जैसे दो फिनीशिंग मिल्स की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। निगमित योजना 2012 में परिकल्पित नई परियोजना शुरू करने के लिए सेल के पास अब पर्याप्त निधियां हैं। इन परियोजनाओं का वित्त पोषण आंतरिक उपार्जन या आवश्यकता पड़ने पर बाजार उधारी से किया जाएगा।

(घ) और (ङ) भारतीय रेलवे द्वारा विनिर्दिष्टियों में परिवर्तन किए जाने के कारण (जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक व्हील की 54% अधिक मशीनिंग करनी होगी) वर्तमान में लोको व्हील्स की मशीनिंग बाहर से कराई गई है। तथापि, मशीन व्हील्स को वापस संयंत्र में लाया जाता है और रेलवे को अंतिम रूप से प्रेषित करने से पूर्व उनकी जांच की जाती है।

(च) एक उच्च उत्पादकता वाली कम्प्यूटराईज्ड न्यूमैरीकली कंट्रोल्ड (सीएनसी) मशीन प्राप्त करने और इसके बाद दूसरी प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रगति पर है।

[हिन्दी]

कृषि वानिकी और फल उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहन

3468. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में कृषि वानिकी और फल उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग गैर-वन बंजर भूमि के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास विस्तार एवं प्रशिक्षण से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि वानिकी माडलों के परीक्षण के लिए विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/ आई.सी.ए.आर. के संस्थानों को पायलट परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि वानिकी में राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से देश में कृषि वानिकी संबंधी एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वृहद कृषि प्रबंधन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार सहित सभी राज्य सरकारों को वर्षा सिंचित क्षेत्रों में अभिज्ञात पनधाराओं में स्थित कृष्य तथा गैर-कृष्य भूमि में एवं नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में विविधीकृत कृषि प्रणाली की शुरूआत के लिए सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में फलों के विकास के लिए भी सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

शहद का मूल्य

3469. श्री रवेन बर्मन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को पश्चिम बंगाल में विशेषकर मालदा में उनके शहद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय को पश्चिम बंगाल से राज्य में शहद के कम मूल्यों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

नेचर पार्कों का विकास

3470. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में अब तक विकसित किए गए नेचर पार्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नेचर पार्कों को विकसित करने हेतु पृथक रूप से कितनी धनराशि रखी गई है;

(ग) क्या सकेन्द्र सरकार को महाराष्ट्र के सतारा जिले में 200 हेक्टेयर वन भूमि पर नेचर पार्क विकसित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) इस मंत्रालय ने देश में किसी भी नेचर पार्क के विकास के लिए सहायता प्रदान नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में जल संसाधन परियोजना

3471. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में जल संसाधन परियोजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान परियोजना को पूरा करने हेतु राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। गुजरात सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने सहायता के लिए 'गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में जल संसाधन परियोजना' नामक कोई परियोजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भेषज उद्योग

3472. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भेषज उद्योगों के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रशासन समिति बोर्ड में उनके मंत्रालय के नामितों के होने का क्या उद्देश्य है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) वाणिज्य विभाग ने 12 मई, 2004 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से भेषज निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल) को भेषज उत्पादों के निर्यात हेतु नई परिषद के रूप में अधिसूचित किया है। परिषद के कार्यों के निष्पादन में परिषद की सहायता करने के प्रयोजन से सरकार ने फार्मेक्सिल की प्रशासन समिति में वाणिज्य विभाग, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग तथा विदश व्यापार महानिदेशालय के प्रतिनिधियों को नामित किया है। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के नामिती द्वारा मूल रसायन, भेषज एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) की प्रसाधन समिति की बैठकों में भाग लिया जाता रहा है जिसके द्वारा पूर्व में भेषज उत्पादों के निर्यात संबंधी मामलों की देखरेख की जाती थी। केमेक्सिल की प्रशासन समिति की बैठकों में उठाए गए कुछ मुद्दों के बारे में वाणिज्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती थी जिसके द्वारा ये परिषद संचालित होती हैं।

[हिन्दी]

सर्कस में बच्चे

3473. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भातीय सर्कस कंपनियों में कार्यरत निर्धन बच्चों का दोहन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बाल दुर्व्यवहार और श्रम को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय सर्कस कंपनियां शामिल हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) सरकार की नीति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के फैक्ट्रियों, खानों तथा जोखिमकारी कार्यों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाना तथा अन्य नियोजनों में शामिल बच्चों के कार्य-परिस्थिति का विनियमन करना है।

(ग) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 इस अधिनियम की अनुसूची के भाग (क) और (ख) में सूचीबद्ध 13 जोखिमकारी व्यवसायों एवं 57 प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। दिनांक 26.5.1993 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय सर्कस कंपनी सहित सभी नियोजनों में शामिल बच्चों के कार्य-परिस्थतियों को विनियमित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

याक संबंधी प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन

3474. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 दिसम्बर, 2004 को भारत में अरुणाचल प्रदेश में सतत् याक पशुपालन संबंधी प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) यह सम्मेलन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा याक संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, दिरांग में आयोजित किया गया था। जिन मामलों पर विचार करके सिफारिशें की गई वे हैं - पाश्चर विकास, कमी के मौसम के दौरान पोषक प्रतिपूर्ति, पुनरूत्पादन, अकुशलता, प्रबंधन प्रणालियों का सुधार, स्वास्थ्य कवरेज, विस्तार लिंकेज, याक उत्पाद प्रौद्योगिकी।

(ग) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

बीज उद्योग के उदारीकरण के परिणाम

3475. श्री पी. मोहन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीज उद्योग का उदारीकरण करने से बीज कंपनियां देश में बाजार पर अपने अधिक मूल्य वाले संकर बीजों से एकाधिकार स्थापित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 और पौध किस्म के संरक्षण तथा किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। किसान ब्राण्डिड बीजों के सिवाय बिना पंजीकरण के बीज सहित अपने फार्म उत्पाद को सुरक्षित रखने, प्रयोग करने, बुआई करने, पुन: बुआई करने, विनिमय करने, शेयर या बेचने के हकदार हैं।

ई.एस.आई. औषधालय/अस्पताल

3476. श्री अनन्त नायक: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान उड़ीसा सहित देश के अन्य राज्यों में अतिरिक्त ई.एस.आई. अस्पताल/औषधालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) नए कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानकों और मानदंडों के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों की अधिकता के आधार पर की जाती है। अतिरिक्त चिकित्सा स्थापनाओं के लिए उड़ीसा सहित राज्य सरकारों के सभी आवेदनों पर इन मानकों के अनुसार विचार किया जाता है और आगे कार्रवाई की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा कवर किए जाने वाले कामगारों की संख्या में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

कृषि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

3477. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कृषि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिभागियों तथा उनके द्वारा व्यक्त विचार/सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या रहे;

(ग) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन पर भी चर्चा की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र, पूसा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली में सचिव (कृषि एवं सहकारिता) की अध्यक्षता में खरीफ अभियान-2005 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मलेन 22-23 मार्च, 2005 को हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कृषि उत्पादन आयुक्त, सचिव (कृषि), सचिव (बागवानी), निदेशक (कृषि), संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों नामत: जल संसाधन, ग्रामीण विकास, वित्त के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय स्तर के बहुत से संगठनों जैसे एसएफसी, एसएफसीआई, एनएससी, नाबार्ड, कृभको, एनसीडीसी, इफको, नैफेड आदि के अध्यक्ष और कृषि एवं सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों और उनके प्रतिनियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

इसमें खरीफ-2005 के लिए तैयारी के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्यों से सभी आदानों विशेषकर बीज, उर्वरक, जैव-कीटनाशकों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। कुछ राज्यों ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया। उर्वरक विभाग ने घोषणा की कि खरीफ-2005 के दौरान उर्वरकों की कोई कमी नहीं होगी। सभी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों की कमी नहीं होगी। प्रस्तावित स्कीमों जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई और शुष्कभूमि कृषि सहित विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित करने की तैयारी पर सभी राज्यों के साथ-साथ कृषि एवं सहकारिता विभाग के विषय वस्तु से संबंधित प्रभागों द्वारा प्रस्तुतियां तैयार की गई थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) वर्ष 1950-51 से पहली बार इस वर्ष (2004-05) खाद्यान्न का रबी उत्पादन (106.36 मिलियन टन) खरीफ उत्पादन (104.08 मिलियन टन) से अधिक हुआ। इस वर्ष तोरिया के बीज/सरसों, दलहन और कपास का उत्पादन अब तक सर्वाधिक हुआ है। वर्ष 2004-05 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 210.44 मिलियन टन अनुमानित है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का पुनरुद्धार

3478. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कंपनी को कितना घाटा हुआ है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा 2004-05 के बजट में घोषणा की गई है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एच ए एल) के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात् एच ए एल ने एक संशोधित प्रारूप पुनरूज्जीवन योजना प्रस्तुत की है जिसमें कंपनी के पुनरूज्जीवन के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त निधियों की प्राप्ति की परिकल्पना की गई है। इस योजना को बी आर पी एस ई को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है।

(ग) एच ए एल से प्राप्त सूचना के अनुसार इसे वर्ष 2002-03 के दौरान 2580 लाख रु. का और 2003-04 के दौरान 945 लाख रु. (अनंतिम) का निवल घाटा हुआ।

समेकित वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास परियोजना योजना

3479. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों में एक आश्रय पट्टी बनाने के लिए वनरोपण हेतु एक समेकित वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास परियोजना योजना शुरू की है ताकि चक्रवातों के प्रभाव को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक राज्यवार कुल कितनी राशि आबंटित/स्वीकृत तथा खर्च/उपयोग की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की समेकित वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास परियोजना योजना (आई ए ई पी एस) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पांडीचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तटीय आश्रय पट्टी पौधरोपण परियोजना कार्यान्वित की गई है। 10वीं योजना में 9वीं योजना के दौरान किए

गए पौधरोपण की केवल रखरखाव लागत ही उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) तटीय आश्रय पट्टी पौधरोपण के अन्तर्गत 14, 530 हे. क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(घ) आई ए ई पी एस एक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना थी जिसमें राज्यों को 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(ङ) अभी तक वित्तीय आबंटन, जारी की गई राशि और उपयोग किए गए धन का विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	9वीं एवं 10वीं योजना के लिए आबंटन	जारी की गई राशि			उपयोग किया गया धन
			9वीं योजना	10वीं योजना	कुल	
1.	आंध्र प्रदेश	472.44	184.96	0.00	184.96	179.09
2.	गुजरात	618.93	415.00	203.93	618.93	514.80
3.	कर्नाटक	55.58	42.65	0	42.65	35.45
4.	केरल	408.59	264.85	0	264.85	220.19
5.	उड़ीसा	1922.61	607.25	989.51	1596.76	1337.42
6.	पांडीचेरी	90.32	20.12	0	20.12	0
7.	तमिलनाडु	412.40	184.55	103.62	288.17	259.74
8.	पश्चिम बंगाल	30.02	23.82	0	23.82	16.62
	कुल	4010.89	1743.20	1297.06	3040.26	2563.31

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल में और उसके आस-पास पड़ा विषाक्त कचरा

3480. डा. रामचन्द्र डोम: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल में और उसके आसपास भारी मात्रा में अत्यधिक विषाक्त कचरा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विषाक्त कचरे से मिट्टी और जल लगातार प्रदूषित हो रहे हैं जिसे निवासियों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या विषाक्त कचरे की मात्रा और प्रकृति तथा आसपास स्थित आबादी पर उसके दुष्प्रभाव के बारे में सरकार ने कोई वैज्ञानिक आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विषाक्त कचरे के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यूनियन कार्बाइड के भोपाल कारखाने के परिसर में कुछ विषैले अपशिष्ट पड़े हुए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उक्त क्षेत्र के निवासियों को भोपाल नगर निगम द्वारा जल टैंकरों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, अत: उक्त क्षेत्र के निवासियों को किसी नुकसान का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां, विषैले अपशिष्ट की प्रकृति तथा मात्रा का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए गए थे।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार की सूचना के अनुसार विषैले कचरे के त्वरित निपटान का प्रस्ताव भोपाल गैस त्रासदी मामले से संबंधित मंत्रियों के समूह की अगली बैठक में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

बांस संवर्धन परियोजनाएं

3481. श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कतिपय राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के पास बांस संवर्धन और उसकी वृद्धि इत्यादि के बारे में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव/परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अन्तर्गत राज्य-वार कौन से स्थान शामिल किए जायेंगे; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इस हेतु राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) बांस विकास गतिविधियों के लिए चुने गए क्षेत्र विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बांस मिशन के लिए कृषि मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को निधिकरण के लिए योजना आयोग को अग्रेषित कर दिया गया है, क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत प्रस्तावित परियोजनाओं को धन दिया जा सके। आगे इन्हें अपने परियोजना घटकों को मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय निधिकरण हेतु संबंधित वन विकास अभिकरण (एफ डी ए) परियोजनाओं में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

विवरण

बांस संवर्धन हेतु राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	वास्तविक (हे.में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	50000
2.	असम	41800
3.	अरुणाचल प्रदेश	8000
4.	छत्तीसगढ़	80000
5.	गुजरात	13000
6.	झारखंड	50000
7.	कर्नाटक	100000
8.	महाराष्ट्र	100000
9.	मध्य प्रदेश	100000
10.	मणिपुर	11400
11.	मिजोरम	84000
12.	नागालैंड	25000
13.	उड़ीसा	2000
14.	पंजाब	15000
15.	त्रिपुरा	9000
16.	तमिलनाडु	227000
17.	उत्तरांचल	1550
	कुल	917750

[अनुवाद]

उत्तरांचल में ग्रामीण गोदाम

3482. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी के बारे में 20 दिसम्बर, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 272 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में जिला-वार और स्थान-वार विभिन्न एजेंसियों/मदों के अंतर्गत कुल भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत उत्तरांचल में भंडारण क्षमता को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश

प्रसाद सिंह): (क) उत्तरांचल राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास पहली मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार कुल भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप) 2.00 लाख टन है तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास कुल 0.75 लाख टन भण्डारण क्षमता है। जिलावार और स्थानावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) फिलहाल उत्तरांचल राज्य में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा नए भण्डारण गोदामों का निर्णय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम (ढकी हुई/कैप/अपनी और किराये की) और केन्द्रीय भंडारण निगम के पास उपलब्ध जिला-वार और स्थान-वार भंडारण गोदामों को दर्शाने वाला विवरण

भारतीय खाद्य निगम आंकड़े हजार टन में

राजस्व जिला का नाम	केन्द्र का नाम	क्षमता
1	2	3
देहरादून	देहरादून	6.61
	ऋषिकेश	2.16
	विकासनगर	5.65
	गुलेघाट	5.54
नैनीताल	हल्द्वानी	6.55
	हल्दाचौर	5.05
	रामनगर	0.50
	नानामाथा	3.03
	कासिमपुर	17.21
चंपावत	टनकपुर	2.63
उधम सिंह नगर	बाजपुर	10.00
		(कैप) 3.36
	गदरपुर	12.39
	जसपुर	5.68
	रुद्रपुर	46.56
		(कैप) 5.46
	खटीमा	10.12
	सितारगंज	11.80
		(कैप) 7.04
	किच्छा	12.43
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	4.17
हरिद्वार	ज्वालापुर	2.00
	रुड़की	5.00
चमोली	शिमली	5.00
पौड़ी गढ़वाल	श्रीनगर	1.11
	कोटद्वार	2.50
जोड़		199.55
		(अर्थात् 2.00 लाख टन)

केन्द्रीय भंडारण निगम

जिला का नाम	केन्द्र का नाम	क्षमता (टन में)
उधम सिंह नगर	बाजपुर	13860
	जसपुर	15200
	काशीपुर-1	11530
	काशीपुर-2	10000
	खटीमा	12200
देहरादून	निरंजनपुर	6000
पौड़ी गढ़वाल	श्रीनगर	6700
	जोड़	75490

निश्चित तिथि के बाद खाद्यान्न की खरीद

3483. श्री इलियास आजमी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** 20 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3020 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) के कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निश्चित तिथि के बाद चावल खरीद के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) ने 2 मार्च, 2005 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) से (ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

बड़े किसानों और भू-स्वामियों हेतु लाभ की घोषणा

3484. श्री जोवाकिम बखला:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित की गई विभिन्न रियायतें बड़े किसानों और भू-स्वामियों के लाभार्थ हैं और इसका बहुत कम लाभ छोटे किसानों को मिल सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बड़े, मझौले और सीमांत किसानों को प्राप्त रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार रियायत से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए बहुत सी स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिनसे बड़े, मध्यम, छोटे तथा सीमांत किसानों को लाभ मिलता है। प्रमुख स्कीमों में अनाज और मोटे अनाज, गन्ना, जूट के उत्पादन, पनधारा विकास, बागवानी और सहकारिता के लिए 27 स्कीमों को समाहित करके वृहत कृषि प्रबंध नामक प्रमुख स्कीम शामिल है। पूर्वोत्तर भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खेतों पर जल प्रबंध, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, नारियल प्रौद्योगिकी मिशन और सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन शामिल है।

जोखिम प्रबंध के अंतर्गत स्कीमें जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडी हस्तक्षेप स्कीम किसानों के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं। हाल ही में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धता के लिए नई स्कीमों की घोषणा की है।

बागवानी ध्यान केन्द्रित किये जाने के लिए अभिज्ञात किया गया एक अन्य क्षेत्र है। यह विभाग सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बागवानी के समेकित विकास से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन नामक एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता का लाभ न केवल बड़े किसानों बल्कि मध्यम, छोटे तथा सीमांत किसानों को भी दिया जा रहा है। इस पर किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि कृषि में कुल राजसहायता में छोटे तथा सीमांत किसानों का शेयर उनके प्रचालित क्षेत्र में शेयर से कम नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार, 1999-2000 के दौरान कुल राजसहायता में छोटे तथा सीमांत किसानों में शेयर 36.4% की तुलना में प्रचालित क्षेत्र में उनके शेयर का 36% था। मध्यम किसानों के बारे में कुल कृषि राजसहायता में शेयर 51.8% की तुलना में उनके प्रचालित क्षेत्र में 49.1% शेयर था। बड़े किसानों का शेयर उनके प्रचालित क्षेत्र में 14.8% के शेयर की तुलना में 11.8% था।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई) के प्राक्कलन में वृद्धि करना

3485. श्री राजेश गोहेन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सरकार से प्राक्कलन को 13.5 करोड़ रु. से बढ़ाकर 27 करोड़ रु. करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन पैकेज के रूप में कुल कितनी राशि जारी हुई है और लाभ प्राप्त विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में राशि जारी करने के लिए सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतनमानों के संशोधन के चलते कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमान के संशोधन के कारण राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कुल 409.9756 करोड़ रु. (चार सौ नौ करोड़ सतानवे लाख छप्पन हजार रुपये) की राशि जारी की गई। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को राशि जारी करने के लिए सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी, निधियां निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जारी की जायेंगी:

(1) वेतनमान के संशोधन के चलते होने वाले व्यय के 80 प्रतिशत तक सहायता राज्य सरकारों को भा.कृ.अ.प. द्वारा प्रदान की जायेगी

(2) उपर्युक्त उल्लिखित सहायता 1.1.1996 से 31.3.2000 की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय का शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों द्वारा पूरा किया जायेगा तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को जिम्मदारियां नहीं सौंपी जायेंगी।

(3) 1.4.2000 से संशोधित वेतनमान को बनाए रखने के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारियां राज्य सरकारों द्वारा ली जायेंगी।

(4) यह सहायता केवल उन पदों के संशोधित वेतनमानों के लिए सीमित होगी जो 1 जनवरी, 1996 से अस्तित्व में थी।

(5) 80 प्रतिशत सहायता उन राज्यों को केवल दी जायेगी जो राज्य सरकारें यह स्पष्ट वचनबद्धता दें कि वह 20 प्रतिशत व्यय को वहन करेगी।

विवरण

सारणी जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विवरण और जारी की गई राशि दी गई है

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राशि (लाख में)
1	2	3
1.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	1875.45
2.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	826.04
3.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर	1726.46
4.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	1262.77
5.	महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	844.28
6.	पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	1144.81
7.	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	563.28
8.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	1700.46
9.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	944.61
10.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	358.27
11.	डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	576.24
12.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	2818.67

1	2	3
13.	चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	8326.00
14.	चौ. श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	647.37
15.	आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	285.88
16.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1317.46
17.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर	2388.07
18.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1347.05
19.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, दंतियावाड़ा	1549.00
20.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर (पश्चिम बंगाल)	905.85
21.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1661.00
22.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	600.00
23.	गोबिंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	1030.76
24.	नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	501.70
25.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	994.84
26.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	561.36
27.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	194.90
28.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	197.17
29.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा बिहार	904.37
30.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	383.44
	कुल योग	40997.56

हरिद्वार का विकास

3486. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरिद्वार में महत्वाकांक्षी 'ग्रेट ग्रीन विस्टा' परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान एक पर्यटक गंतव्य के रूप में हरिद्वार-ऋषिकेश के एकीकृत विकास हेतु 557.50 लाख रुपयों की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की एक परियोजना स्वीकृत की गई है:

		स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
(1)	हरिद्वार में ग्रेट ग्रीन विस्टा का निर्माण	403.00
(2)	ऋषिकेश में गंगा नदी के साथ निर्माण/भूदृश्यांकन, पार्किंग और विकास	154.50
	कुल	557.50

परियोजना के लिए 557.50 लाख रुपए की समस्त राशि रिलीज कर दी गई है।

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा, राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन/कार्यान्वयन एजेंन्सी के साथ परामर्श से निर्धारित की जाती है।

भूजल दोहन

3487. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूजल के अवैध दोहन में लिप्त मिनरल वाटर कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो पैकबंद पेयजल और पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल की संबंधित भारतीय मानकों की अपेक्षाओं से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। भूजल का दोहन जल संसाधन मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है।

[हिन्दी]

जल क्षेत्र में चम्बल नियंत्रण बोर्ड के साथ समझौता

3488. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चम्बल नियंत्रण बोर्ड ने गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बांध परियोजनाओं के माध्यम से चम्बल के पानी के उपयोग हेतु राजस्थान सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई राज्य बिना अनुमति के दूसरे राज्यों में जल ग्रहण क्षेत्रों का अतिक्रमण करने को स्वतंत्र है;

(ग) यदि हां, तो गांधी सागर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में हाइड्रोलिक ढांचे का निर्माण करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार का विचार बिना अनुमति के राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे अवैध ढांचे को गिराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) चम्बल घाटी विकास परियोजनाओं के साथ-साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में सभी संबंधित कार्यों के कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से अप्रैल, 1955 में चम्बल नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था और इस बोर्ड ने 31.8.1973 तक कार्य किया। 29.7.73 को हुई इसकी 102वीं बैठक में चम्बल नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत) नियंत्रण बोर्ड अस्तित्व में आया और 1.9.73 से कार्य करना प्रारंभ किया। बोर्ड, चम्बल कम्प्लेक्स नामत: गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज के सामान्य कार्यों का प्रशासन, अनुरक्षण, संवर्धन, दायीं मुख्य नहर के शीर्ष से राजस्थान, मध्य प्रदेश सीमा तक नहरों में जल को छोड़ना, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध पर स्थित बिजली घरों तथा सतपुडा स्थित तापीय विद्युत केन्द्र के साथ-साथ, चंबल सतपुड़ा प्रणाली के अंतर्गत सभी साझे उपकेन्द्रों और साझी पारेषण लाइनों का कार्य देखता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 229.336 मिलियन घन मीटर की सकल क्षमता सहित मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना के आवाह क्षेत्र में लगभग 151 जल संचयन संरचनाएं निर्मित की गई हैं। मध्य प्रदेश के अनुसार, गांधी सागर परियोजना के प्रतिप्रवाह में इसके द्वारा निर्मित संरचनाएं मध्य प्रदेश के लिए अनुमत्य प्रतिप्रवाह प्राप्ति आबंटन के भीतर हैं। राजस्थान के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत निर्णय का उल्लघंन करते हुए गांधी सागर बांध के आवाह क्षेत्र में अप्राधिकृत संचयन संरचना का निर्माण किया है।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार ने चंबल घाटी परियोजना के आवाह क्षेत्र में कोई संरचना का निर्माण नहीं किया है। तथापि, नवम्बर, 2004 में इसने मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित जल संचयन संरचनाओं को गिराने का अनुरोध किया है क्योंकि इनसे गांधी सागर बांध के जल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

ईएसआईएस पर व्यय

3489. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का मानदंड क्या है;

(ख) क्या निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होने पर राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के न्यास मंडल की बैठक में राज्यों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कोई चर्चा हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के पूरे व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली और नौएडा के अलावा चिकित्सा देखभाल राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में किए जा रहे व्यय को अधिकतम सीमा के अधीन 7:1 के अनुपात में कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकारों के बीच वहन किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने हिस्से का 90 प्रतिशत भाग चार तिमाही किस्तों में अग्रिम रूप में अदा करता है। राज्यों को दी जाने वाली प्रमात्रा की गणना समय-समय पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन राज्य सरकारों के वास्तविक व्यय और बीमाकृत व्यक्तियों की अनुमोदित संख्या के आधार पर की जाती है। अंतिम भुगतान संबंधित राज्य के महालेखाकार द्वारा जारी लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर किया जाता है।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए सामान्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 27.2.2005 को निगम की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकारों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औषधों की कमी

3490. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इण्टरपोल द्वारा जारी चेतावनी के कारण भारत के औषध नियंत्रक को अपने अधीनस्थ करके मादक दवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शल्य चिकित्सा में प्रभावी औषधों यथा फोर्ट बिन और डायजपाम और कुछ अन्य औषधियां बाजार से गायब हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस औषधों की कालाबाजारी रोकने तथा उचित दर पर उन्हें बाजार में उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (च) नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों के नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्स्टांसेज नियमावली के अंतर्गत कतिपय अपेक्षाओं के आग्रह के मद्देनजर डायजपाम और फोर्टविन इंजेक्शन आदि जैसी साइकोट्रोपिक औषधियों की आपूर्ति में तात्कालिक अव्यवस्था हुई थी, चूंकि ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल्स एंड ड्रगिस्ट (ए आई ओ सी डी) ने इन औषधों का भंडारण नहीं करने का निर्णय लिया था। तथापि, जब से वित्त मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के परामर्श से अधिसूचना जी एस आर 104 (ई) दिनांक 25.2.2005 के माध्यम से नार्कोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्स्टांसेज नियमावली, 1985 (एन डी पी एस नियमावली, 1985) में आवश्यक संशोधन जारी किए, तब से इन औषधों की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पर्यटन स्थल और शहरों का विकास

3491. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रमंडल खेल के दौरान विदेशी पर्यटकों और खेल प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन स्थलों और शहरों को विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटक स्थलों का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। गंतव्यों एवं परिपथों के लिए परियोजना/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति पर अंतराष्ट्रीय स्तर पर विकास हेतु, ऐसे स्थानों की पहचान करता है।

[अनुवाद]

उदयपुर में पांच सितारा रिसोर्ट

3492. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी सी जी आई ने उदयपुर में पांच सितारा रिसोर्ट बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने डी सी जी आई की आस्तियों की सी बी आई जांच के आदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डी सी जी आई के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान

3493. श्री कृष्ण मुरारी मोघे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि जारी की गयी है;

(ख) उक्त राशि में से पीड़ितों को कितनी राशि दी गयी है; और

(ग) केन्द्र सरकार के पास कितनी राशि शेष है और इसे पीड़ितों को कब तक दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 1992 में कल्याण आयुक्त के खाते में 1039.08 करोड़ रु. की राशि अंतरित की थी जो कि यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, सं. राज्य अमरीका द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.2.1989 के आदेश के अनुपालन के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान की गई थी।

(ख) कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित कार्यालय, भोपाल द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 31.3.2005 तक गैस पीड़ितों को 1539.86 करोड़ रु. मूल प्रतिपूर्ति के रूप में और 393.90 करोड़ रु. यथानुपात प्रतिपूर्ति के रूप में (कुल 1933.76 करोड़ रु.) संवितरित किए गए हैं।

(ग) कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित कार्यालय, भोपाल द्वारा सूचित किए अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास लगभग 1000 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध है। कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा रहा है। तथापि, कल्याण अयुक्त ने सूचित किया है कि संवितरण की वास्तविक तारीख बता पाना कठिन है क्योंकि यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

[अनुवाद]

ग्लोबल वार्मिंग

3494. श्री खारबेल स्वाईं: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्लोबल वार्मिंग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) भारतीय मौसम विभाग से उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय उप महाद्वीप के ऊपरी सतही वायु तापमान में पिछले सौ वर्षों के दौरान लगभग 0.4 सैन्टीग्रेड की वृद्धि हुई है। तथापि, तापमान में यह वृद्धि किसी एक समय में या अंतरिक्ष में एक जैसी नहीं है। कुछ मौसमों में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी अन्य मौसमों

में, और देश के कुछ क्षेत्रों में कम गर्मी देखी गई है अथवा तापमान में गिरावट भी देखी गई है। देश के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकतर भागों के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तर-पश्चिमी भारत के कई भागों में तापमान में गिरावट देखी गई है। तथापि, आई पी सी सी ने वर्ष 2001 में अपनी तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट में यह पूर्वानुमान किया है कि वर्ष 1990-2100 के दौरान अधिकतम उष्णकटिबंधीय और उप-उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विश्व का औसतन सतही तापमान 1.4 डिग्री सैन्टीग्रेड से 5.8 डिग्री सैन्टीग्रेड तक बढ़ जाएगा और विश्व का औसतन समुद्र स्तर 0.09 से 0.88 मीटर तक बढ़ सकता है।

(ख) क्योटो प्रोटोकाल के अनुसार केवल विकसित देश को अपने उत्सर्जनों में कमी करने के उपाय करने अपेक्षित हैं। भारत सहित विकासशील देशों का ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जनों में कमी करने का ऐसा कोई दायित्व नहीं है। देश में पिछले दशक में आर्थिक प्रगति बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न सुधार कार्यों में ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा संरक्षण, विद्युत क्षेत्र सुधार, सक्रिय नवीकरण ऊर्जा कार्यक्रम, स्वच्छ ऊर्जा के लिए तेल का उपयोग, वनीकरण और वन संरक्षण; कोयले के सक्षम उपयोग के प्रोत्साहन के उपाय; तेल क्षेत्र में गैस लौ में कमी और अपशिष्ट तेल की पुन: प्राप्ति प्रणालियों की स्थापना; तेल-क्षम कृषि पंप सैटों का मानकीकरण, वर्तमान पंप सैटो को अधिक ऊर्जाक्षम बनाने के लिए उनको उन्नत करना, विद्युत दरों को नियंत्रित करना और कृषि क्षेत्र आदि में अच्छे कृषि जोपजाति अभ्यास आदि शामिल है।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

3495. श्री टेक लाल महतो: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर झारखंड में इस्पात संयंत्रों की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी, नहीं। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम द्वारा झारखंड राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, बेलाडिला खानों में सृजित आयरन और स्लाइम्स का लाभप्रद उपयोग करने और पर्यावरणात्मक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में नगरनार में लौह अयस्क के उत्पादन हेतु एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करने की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

लंबित समुद्री सम्पर्क परियोजनाएं

3496. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार विशेषकर महाराष्ट्र सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित समुद्री संपर्क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब से लंबित है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नगर निगम/परिषद् के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा

3497. श्री अतीक अहमद: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नगर निगम/परिषद् के सभी कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश भर में ई.एस.आई सुविधाओं के विस्तार हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पर्यटन सूची में स्थानों को शामिल करने हेतु मानदंड

3498. श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों की सूची में स्थानों को शामिल करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त सूची में बिहार विक्रमशिला महाविहार और बटेश्वर स्थल को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों से प्राप्त विशेष प्रस्तावों पर आधारित परियोजनाओं को मंजूरी देता है। राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों की कोई विशेष सूची नहीं है।

[अनुवाद]

समुद्री खाद्य पदार्थ उद्यान (सी फूड पार्क)

3499. डा. के. धनराजू: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में संयुक्त उद्यम में समुद्री खाद्य पदार्थ उद्यान (सी फूड पार्क) स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य तटवर्ती राज्यों में ऐसे समुद्री खाद्य पदार्थ उद्यान (सी फूड) स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो केंद्र सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ धनराशि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाने का है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) मछली के प्रसंस्करण के लिए समुद्री उत्पाद बुनियादी सुविधा विकास निगम (जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और केरल औद्योगिक बुनियादी सुविधा विकास निगम का एक संयुक्त उद्यम है) और समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा स्थापित एक अनुषंगी कंपनी मैसर्स सी फूड पार्क (इंडिया) लिमिटेड द्वारा अरूर (केरल) में एक खाद्य पार्क स्थापित किया गया है। यह परियोजना मछली प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी खाद्य पार्क की स्थापना नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय खाद्य पार्कों की स्थापना समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से व्यवहार्य परियोजनाओं को निर्धारित कार्यकलापों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 4.00 करोड़ रु. है। मंत्रालय राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर रहा है।

मंगलौर में विशाल पेट्रो-रसायन परिसर की स्थापना

3500. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 9 मार्च, 2005 को मंत्रालय के अधिकारियों और कर्नाटक राज्य के उद्योग और अवसंरचना विकास मंत्री के बीच मंगलौर में विशाल पेट्रो-रसायन परिसर की स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिए कोई चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी राज्य में उक्त परिसर की स्थापना में रुचि दर्शायी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (च) जी, हां। वृहत् रासायनिक एस्टेट (एम सी आई ई) स्थापित करने के लिए परामर्शदाताओं के माध्यम से संभाव्यता अध्ययन आरंभ किया गया है। वृहत् रासायनिक औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान का पता लगाने के लिए स्थान का अध्ययन जारी है इस कार्य के एक अंग के रूप में विभाग द्वारा नियुक्त परामर्शदाता कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। अभी तक स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। परामर्शदाताओं से अपनी अंतिम रिपोर्ट 2005 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है। इसके बाद वृहत् रासायनिक औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इसे राज्य सरकारों और उद्योग के ध्यान में लाया जाएगा।

लक्षद्वीप में मछलीपालन सुविधाएं

3501. डा. पी. पी. कोया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने विपणन और निर्यात के लिए लक्षद्वीप से मछलियों को मुख्य भूमि तक लाने हेतु शीतागार सुविधा से युक्त नावों और कुछ मुख्य पोतों का बेड़ा बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चेरियापानी, बलियापानी और पेरूमूला की तीन समुद्री चट्टानों में मछुआरों के लिए लंगर (बर्थिंग) प्लेटफार्म के निर्माण पर विचार करने का है जिसके निर्माण के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बढ़ती मांग और घटती उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए द्वीप में ट्यूना मछलियों को पकड़ने के लिए चारे के रूप में काम आने वाली मछलियों का पालन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या एक सजावटी मछलीपालन इकाई की स्थापना का कोई प्रस्ताव है जिसके निर्यात की विपुल संभावनाएं हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार लक्षद्वीप में मछली उतारने के केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) संघ शासित प्रदेश द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) प्रौद्योगिकी अंतरण, अंत: संरचनात्मक विकास तथा जीवित मत्स्य बेट पालन संबंधी तकनीकी जानकारी पर मात्स्यिकी विभाग लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश को सहायता देने के उद्देश्य से जीवित मत्स्य बेट की कुछ प्रजातियों के पालन पर केन्द्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन के मिनिकोय एकक ने प्रयास शुरू किए हैं।

(छ) और (ज) इस प्रयोजन के लिए अगात्ति द्वीपसमूह में लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक प्रायोगिक सजावटी मत्स्य हैचरी की स्थापना की जा रही है।

(झ) लक्षद्वीप द्वीपसमूह में मछली उतारने की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए, मात्स्यिकी विभाग, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश में विभिन्न द्वीपसमूहों में पहले ही कुछ फिश एग्रीगेशन डिवाइसों की स्थापना की है। मुख्य भूमि से डीजल, इंजिन कलपुर्जों आदि की खरीद की जा रही है तथा मछुआरों को लागत पर उनकी आपूर्ति की जाती है। अगात्ति, मिनिकोय तथा कावारत्ती द्वीपसमूहों के लैगूनों के भीतर प्रशासन ने मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण किए हैं।

बाघ परियोजना हेतु धनराशि जारी करने से संबंधित प्रक्रिया

3502. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाघ परियोजना के लिए धनराशि जारी करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और इसके समुचित उपयोग के लिए जवाबदेही को बढ़ाना सुनिश्चित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रणाली का आमूल-चूल परिवर्तन किस प्रकार होगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्यों को निधि जारी करने और उनसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए समय सीमा ढांचा तैयार किया है, जिसमें ये शामिल हैं;

(1) *केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त जारी करना:* संबंधित राज्य सरकारों से वार्षिक कार्य प्रचालन योजना प्राप्त होने के चार सप्ताह बाद जिसमें वित्तीय वर्ष के मई माह के बाद की देरी नहीं होनी चाहिए।

(2) *केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त जारी करना:* प्रथम किस्त के रूप में जारी सहायता निधि की 60% उपयोगिता की सूचना के साथ राज्यों से पिछले वर्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के दो सप्ताह बाद जिसमें वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह के बाद, की देरी नहीं होनी चाहिए। इसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त है जिसने रिट याचिका सं. 47/1998 में अपने दिनांक 21.2.2005 के आदेश में निर्देश दिए हैं कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र 15 दिन की अवधि के भीतर फ़ील्ड संरचानाओं को केन्द्रीय निधि जारी करेगा। राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अलावा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना कि धन का वास्तविक उपयोग उसी कार्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह मंजूर किया गया था। बाघ रिजर्वों की निगरानी और मूल्यांकन भी मंत्रालय के निर्धारित मार्गनिर्देशों के आधार पर विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा किया गया है।

(ग) उपयुक्त से उन उदेश्यों, जिनके लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है, को प्राप्त करने के अलावा फील्ड में प्रयोग के लिए राशि उपलब्ध होने से प्रणाली में सुधार होगा।

गहरे समुद्र वाले पत्तनों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

3503. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुजरात में गहरे समुद्र वाले पत्तन के रूप में धोलेरा के विकास में पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति न मिलने के कारण विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) मैसर्स धोलेरा पोर्ट लि. द्वारा धोलेरा, गुजरात में एक आल वैदर पोर्ट (लघु) के संबंध में दिया गया एक प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्राप्त हुआ है जिसकी अवसंरचना विकास और विविध परियोजनाओं के लिए दो अवसरों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई थी। उक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर मैसर्स धोलेरा पोर्ट लि. से अपेक्षित सूचना मांगी गई है, जिसकी पर्यावरणीय मंजूरी पर विचार करने के लिए प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

गैर-कृषि भूमि

3504. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय गैर-कृषि भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ऐसी भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जोत (कृष्ट) क्षेत्रों में निवल बुवाई क्षेत्र और वर्तमान परती भूमि शामिल है। अकृष्ट भूमि क्षेत्र में देश के सूचित क्षेत्र में से जोत क्षेत्र को छोड़कर बचा क्षेत्र आता है। भूमि उपयोग वर्गीकरण आंकड़ों से पता चलता है कि 2001-02 में अकृष्ट भूमि 149.48 मिलियन हैक्टेयर थी। अकृष्ट भूमि के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में हैं।

(ख) से (घ) भारत सरकार वर्षा सिंचित/अवक्रमित भूमि का उपचार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है, यथा (1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी और एफपीआर) के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण (3) क्षारीय मृदा का उपचार (आरएएफ), (4) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए), (5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (6) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), (7) कृषि भूमि के इष्टतम उपयोग के लिए भी समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम आदि (आईडब्ल्यूडीपी)। भूमि उपयोग वर्गीकरण आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि निवल बुआई क्षेत्र 1977 में 140.27 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 2001-02 में 141.15 मिलियन हैक्टेयर हो गया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित पनधारा विकास, वर्षा सिंचित कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यदल ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत से 15 मिलियन हैक्टेयर वर्षा सिंचित/ अवक्रमित भूमि के विकास के लिए एक संदर्शी योजना का सुझाव दिया है।

विवरण

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शाशित क्षेत्र	अकृष्ट भूमि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14023
2.	अरुणाचल प्रदेश	5303
3.	असम	5005
4.	बिहार	3133
5.	छत्तीसगढ़	8694
6.	गोवा	220
7.	गुजरात	8285
8.	हरियाणा	633
9.	हिमाचल प्रदेश	3937
10.	जम्मू-कश्मीर	3674
11.	झारखण्ड	4957
12.	कर्नाटक	7290
13.	केरल	1616
14.	मध्य प्रदेश	15260
15.	महाराष्ट्र	11917
16.	मणिपुर	2071
17.	मेघालय	1932
18.	मिजोरम	1973
19.	नागालैण्ड	1188
20.	उड़ीसा	9406
21.	पंजाब	742
22.	राजस्थान	15681
23.	सिक्किम	611
24.	तमिलनाडु	6793
25.	त्रिपुरा	768
26.	उत्तरांचल	4705
27.	उत्तर प्रदेश	6363
28.	पश्चिम बंगाल	2884
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	754
30.	चण्डीगढ़	5
31.	दादर एवं नगर हवेली	25
32.	दमन एवं दीव	6
33.	दिल्ली	108
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पांडिचेरी	24
	कुल	149986

मध्य प्रदेश की पेंच परियोजना

3505. **श्री अशोक अर्गल:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री गणेश सिंह:
श्रीमती नीता पटैरिया:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेंच परियोजना का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) के पास अनुमोदनार्थ लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पेंच डाइवर्जन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के पश्चात इस परियोजना प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति को और उसके पश्चात निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। इस परियोजना को स्वीकृति दिया जाना राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना की तत्परता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई) के लिए अधिक धनराशि

3506. **श्री राजेन्द्र कुमार:**
श्री नकुल दास राई:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान ने सरकार से अपने स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक धनराशि की मांग की है ताकि यह विश्व स्तर का निकाय बन सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) ने दसवीं योजनावधि के लिए मूलत: 7964.03 लाख रुपये की धनराशि की मांग की थी, तथापि, ई.एफ.सी. ने आई.ए.आर.आई. को दसवीं योजना के परिव्यय के रूप में 6194.70 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसे आर्थिक-कार्य की मंत्रिमंण्डल समिति के विचारार्थ कार्रवाई शुरू की गई है।

पर्यटन का विकास

3507. **श्री चन्द्रशेखर साहू:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटन के सतत विकास हेतु रणनीतियां तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के लिए स्थापित विद्यमान तंत्र की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस तंत्र में कौन-कौन सी त्रुटियां पायी गयीं;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित मंत्रालयों के समन्यवय से पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए व्यपक प्रक्रिया आरम्भ कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों और विरासत स्थलों हेतु सड़क सम्पर्क को बेहतर बनाने के लिए परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था;

(ङ) यदि हां, तो क्या ''क्रूज जहाजों'' के लंगर (बर्थिंग) के लिए समुद्री तटों पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास भी किया गया था;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुसूचित एयरलाइनों की क्षमता बढ़ाने, विमानपत्तनों के उन्नयन, करों का औचित्यकरण तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से पहचाने गये 100 पर्यटन स्थलों में बजट होटलों की स्थापना की आवश्यकता के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ इन मुद्दों पर बातचीत की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन को एक विषय के रूप में मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के बीच नजदीकी तालमेल और सहक्रिया की जरूरत है। सरकार ने अंतर संस्थागत समन्वय

हेतु पर्यटन उद्योग और व्यवसाय पर मंत्री समूह; कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की स्थायी समिति; पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार परिषद; राज्य पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन; मंत्रालयों आदि के साथ नियमित समन्वय जैसे अनेक फोरमों/तंत्रों का गठन किया है। इस व्यवस्थाओं में पर्यटन में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने में मदद की है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

(च) जी, हां।

(छ) एक समन्वित रास्ते ने एयर लाइन क्षमता को बढ़ाने, एयरपोर्टों का उन्नय करने, करों को तर्कसंगत बनाने तथा आगमन-पर-वीजा आदि से संबंधित रणनीतियों को तैयार करने में मदद की है।

बोतल भरने वाले संयंत्रों की स्थापना

3508. श्री एस. अजय कुमार: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बोतल भरने वाले संयंत्रों की स्थापना के लिए कोका-कोला और पेप्सी कम्पनियों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित किये निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों के बोतल भरने वाले संयंत्रों और इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक में राज्य-वार कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

गिर के सिंहों की नियति

3509. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गिर के सिंहों की नियति संबंधित राज्यों के बीच विवाद में फंसी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में सिंहों के लिए दूसरे अवास की परियोजना के बारे में सोचा गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ सिंहों को मध्य प्रदेश में क्यनो पलपुर भेज दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में स्थित क्यनो पलपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो एशियाई सिंहों की ऐतिहासिक रेंज है, की संकटग्रस्त एशियाई सिंहों, जो अब केवल गुजरात के गिर वनों तक सीमित है, के पुन: प्रवेश के लिए वैकल्पिक आवास स्थल के रूप में पहचान की गई है। भारत सरकार ने पहचान किए गए क्षेत्रों में सिंहों को पुन: प्रवेश के उद्देश्य से एक चरणबद्ध परियोजना प्रारंभ की है तथा एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत निधिकरण सहायता के साथ क्यनो पलपुर अभयारण्य से 18 गावों को अन्यत्र बसाया गया है। वर्तमान में परियोजना इसके दूसरे चरण में है जिसमें सिंहों का स्थानान्तरण तथा इनकी संख्या में वृद्धि किया जाना शामिल है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) स्थानांतरण किए जाने से पहले शिकार किए जा सकने वाले जानवरों की अपलब्धता जैसी कुछ पूर्वापेक्षाऐं अपेक्षित होती हैं अत: भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा क्यनों पलपुर अभयारण्य का शिकार आधार संबंधी मूल्यांकन किया गया था जिसमें पुन: प्रवेश संबंधी समय-सीमा दर्शायी गई हैं। गुजरात राज्य सरकार से क्यनो पलपुर अभयारण्य में स्थानांतरण हेतु सिंहों की एक व्यावाहारिक संख्या प्रदान करवाने का अनुरोध किया गया है।

रुग्ण भेषज इकाइयां

3510. श्री हरिन पाठक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा आज तक रुग्ण घोषित किए गए सरकारी क्षेत्र के रसायन उपक्रमों तथा अन्य भेषज सरकारी उद्यमों की संस्था के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इकाईयों के कामगारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पांच भेषज सा.क्षे. उपक्रमों नामत: इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आईडीपीएल), हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एच ए एल), बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बीसीपीएल), बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल) और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि. (एसएसपीएल) को बी आई एक आर को संदर्भित किया गया था और इन्हें रूग्ण घोषित किया गया था। बी सी पी एल के मामले में बी आई एफ आर ने एक संशोधित पुनरुज्जीवन स्कीम स्वीकृत की है। आई डी पी एल, बी आई एल तथा एस एस पी एल के संबंध में बी आई एफ आर ने परिसमापन आदेश जारी किए हैं। बी आई एल तथा एस एस पी एल बंद हैं। एच ए एल को बी आर पी एस ई को संदर्भित किया गया है। आई डी पी एल के मामले में सरकार ने परिसमापन आदेश के विरूद्ध ए ए आई एफ आर में अपील की है। इसके अलावा, दो रासायनिक सा.क्षे. उपक्रमों नामत: हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एच ओ सी एल) तथा हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. (एच आई एल) को बी आई एफ आर को संदर्भित किया गया है।

(ग) उन सा.क्षे. उपक्रमों जिनके संबंध में बी आई एफ आर ने परिसमापन आदेश जारी किए हैं, के मामले में सरकार ने संबंधित कर्मचारियों को वी एस एस/वीआरएस देयताओं का भुगतान कर दिया है। आई डी पी एल के हैदराबाद एकक के मामले में कुछ वी आर एस कर्मचारियों को काउंसलिंग रीट्रेनिंग एंड रीडिप्लाएमेंट स्कीम (सी आर आर एस) के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया था।

[हिन्दी]

जिमीकंद का उत्पादन

3511. श्री महावीर भगोरा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में विशेषकर उदयपुर डिविजन में जिमीकंद और अन्य कृषि उत्पादों का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) क्या किसानों को उक्त उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त डिविजन में इन उत्पादों के लिए प्रसंस्करण संयंत्र लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राजस्थान और उदयपुर डिविजन में पिछले तीन वर्षों में जिमीकंद और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन की मात्रा विवरण संलग्न में दी गई है।

(ख) और (ग) किसानों को अपने उत्पादों के लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं और किसानों से अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) चूंकि जिमीकंद और अन्य बागवानी उत्पादों के उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक नहीं है और इन उत्पादों का अधिकांश उपभोग स्थानीय स्तर पर ही किया जा रहा है इसलिए राजस्थान सरकार के पास इन उत्पादों के लिए नए प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य और उदयपुर डिविजन में जिमीकंद और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन की मात्रा का ब्यौरा

(उत्पादन टन में)

फसल	2001-02		2002-03		2003-04	
	राजस्थान	उदयपुर डिविजन	राजस्थान	उदयपुर डिविजन	राजस्थान	उदयपुर डिविजन
1	2	3	4	5	6	7
जिमीकंद	108	108	72	72	73	73
अन्य बागवानी उत्पाद :-						
फल	200724	23092	189258	20037	222814	21785

1	2	3	4	5	6	7
सब्जियां	433846	4393	334180	3587	480837	4348
मसाले	616727	2878	343823	1672	646953	2274
औषधीय फसलें	89552	15	78805	39	107770	88
फूल	2434	23	986	1	2161	47
कुल	1343283	30401	947052	25336	1460535	28542

[अनुवाद]

रसायनों के उत्पादन में वृद्धि

3512. श्री दुष्यंत सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रसायनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देशवार क्या लक्ष्य निर्धारत किए गए और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(ग) देश में इस समय रसायनों का उत्पादन करने वाली इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त इकाइयों का कार्यनिष्पादन क्या रहा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) सरकार निम्नलिखित सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से देश में रसायन उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायक की भूमिका निभाती है:

- इंडिया-केम का आयोजन।
- वृहद् रासायनिक औद्योगिक सम्पदा की स्थापना।
- रसायन क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक एसोसिएशनों के सहयोग से संगोष्ठियों/सम्मलेनों/कार्यशालाओं तथा अध्ययनों का आयोजन करना।

(ख) चूंकि रसायन उद्योग गैर-विनियमन स्थिति में है, इसलिए रसायनों के उत्पादन जो कि बाजार द्वारा संचालित होता है, पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ग) और (घ) वृहद् तथा मध्यम क्षेत्र और लघु उद्योग एवं असंगठित क्षेत्र में काफी अधिक संख्या में रसायन एकक, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायनों, रंजकों तथा कीटनाशकों के विनिर्माण में लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

बाघों के संरक्षण के लिए दी गयी धनराशि का सदुपयोग

3513. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए नये कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कोष कब स्थापित किया गया था;

(ग) आज की तिथि तक इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) क्या इस राशि का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) चूंकि चल रही बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत किसी नए कोष की स्थापना नहीं की गई है, इसलिए केन्द्र सरकार अप्रैल 1973 से नामित रिजर्वों में बाघों के संरक्षण के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवा रही है।

(ग) प्रारंभ से लेकर अब तक बाघ परियोजना के अंतर्गत राज्यों को 238.36 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(घ) और (ङ) राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया जाता है और यह उल्लेख करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी उसका वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया। खर्च न की गई राशि राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, यदि कोई हो, को भविष्य में जारी की जानेवाली राशि में समायोजित किया जाता है अथवा पुन: वैधीकृत किया जाता है।

इंडिया वाटर विजन

3514. श्री बालेश्वर यादव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-2000 के दौरान इंडिया वाटर पार्टनशिप (ई डब्ल्यू पी) द्वारा तैयार किये गए इंडिया वाटर विजन दस्तावेज 2025 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने जल संसाधनों के प्रबन्धन तथा दूरगामी प्रभावी कार्यक्रमों को तैयार करने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, यूनेस्को के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) इंडिया वाटर विजन दस्तावेज-2025 की मुख्य विशेषताएं तथा सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक तथा यूनेस्कों से जल प्रबंधन के संबंध में कोई विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, विभिन्न मंचों पर तथा प्रकाशनों आदि के माध्यम से इन संगठनों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की समय-समय पर जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सामान्यतया ऐसे मुद्दों का राष्ट्रीय जलनीति में उल्लेख किया गया है।

विवरण

इंडिया वाटर विजन-2025
कार्यकारी सारांश

इस अध्ययन में इंडिया वाटर विजन 2025 के विकास में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और यह अध्ययन कई राष्ट्रीय एवं क्षेत्र स्तरीय परिचर्चाओं एवं बैठकों पर आधारित है। इन परिचर्चाओं में मंत्री, वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी, परिषत्सदस्य, मिडिया के लोग तथा गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न दावाधारकों ने भाग लिया।

इन बैठकों में सामान्यत: इस बात पर सहमति हुई कि 'विजन' का अर्थ 'भावी भविष्य' एक संजोया हुआ स्वप्न से है। यह न तो पूर्वानुमान था और न ही अनुमान था। परिचर्चा के क्रम में, इंडिया वाटर विजन 2025 के लिए दो परिदृश्यों पर विचार किया गया: बिजनेस एज यूजुअल (बीएयू) तथा सस्टेनेबल वाटर वर्ल्ड (एसडब्ल्यूडब्ल्यू)। हालांकि, वर्तमान की वास्तविकताओं से इस विजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा फिर भी खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पारिस्थितिकीय सुरक्षा तथा जल संसाधन विकास के संबंध में स्थाई विश्व परिदृश्य के अर्थों को व्यापक करके देखना महत्वपूर्ण समझा गया।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परामर्शों के दौरान कई विजन पहलुओं का सुझाव दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण विजन घटकों में: उनके कुटम्ब के पास सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ताकि महिलाओं और लड़कियों को जल ले जाने में काफी समय न लगे; खाना पकाने, पीने तथा सामाजिक बेहतरी के रूप में साफ सफाई की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त जल की अवधारणा; पयेजल के उपयोग में सामानतया; गरीबों को उचित दर पर भोजन उपलब्ध कराना; जल संबंधी बीमारियों से मृत्यु-दर में कमी तथा स्वास्थ्य दर में कमी; कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार जल का इष्टतम उपयोग; स्वच्छ नदियों और झीलों तथा जल निकायों का अस्तित्व; नदियों में कम प्रवाह तथा कम से कम विवाद; वर्षा जल संचयन पर व्यापक तौर पर निर्भरता; उद्योगों तथा कृषि से कम से कम प्रदूषण; जल और ऊर्जा संसाधनों के बंटवारे में प्रभावकारी क्षेत्रीय सहयोग; तथा प्रभावशाली शासन तथा विकेन्द्रीकृत प्रबंधन शामिल है।

उपरोक्त दोनों परिदृश्यों के परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय तथा अंतराष्ट्रीय/विश्वव्यापी के रूप में पहचान की गई थी तथा उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया था। परिदृश्य को विकसित करने के लिए निम्नलिखित जिन प्रमुख कारकों का उपयोग किया गया था इनमें जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण तथा बड़े नगरों का उद्भव; आर्थिक विकास; शून्य निर्धनता स्तर तथा खाद्यान्न के आयात मूल्य शामिल हैं।

जिन विजन एलीमेंट तथा प्रमुख कारकों की पहचान की गई है, का उपयोग ऊपर लिखित 2025 के लिए दो परिदृश्यों का विकास करने के लिए किया गया था। सस्टेनेबल वाटर वर्ल्ड परिदृश्य के लिए जल की मांग का आकलन (क) खाद्य सुरक्षा (ख) आजीविका सुरक्षा (ग) स्वास्थ्य सुरक्षा, तथा (घ) पारिस्थितिकी

की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आधार के रूप में किया गया है। 2025 के लिए जल (सकल) की कुल अनुमानित मांग 1027 बीसीएम आंकी गई है। इन मांगों की पूर्ति करने के लिए जल की उपलब्धता में वर्ष 1997 के लगभग 520 बीसीएम को बढ़ाकर वर्ष 2025 में 1000 बीसीएम करना होगा। इससे अगले पच्चीस वर्षों में 5000 बिलियन रुपये अथवा लगभग 200 बिलियन रुपये प्रति वर्ष के अनुमानित निवेश परिव्यय की आवश्यकता होगी।

नई परियोजनाओं में इस प्रकार के बड़े निवेशों की आयोजना नदी बेसिन विकास योजना संबंधी एकीकृत स्कीम के ढ़ांचे के भीतर की जानी चाहिए। इन नई परियोजनाओं से जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल हस्तांतरण तथा जल अधिशेष अवधियों के दौरान भंडारण सुसाध्य होगा ताकि इसे जल भंडारण अवधियों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हस्तांतरित किया जा सके।

तथापि, इस प्रकार की बड़ी परियोजनाओं (भंडारण और डाइवर्जन स्कीमें) की आयोजना करने तथा निष्पादन प्रारंभ करने से पहले क्षेत्रवार मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन विकल्पों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- जीवनशैली, विकास प्रतिमान तथा उपभोक्तावाद के प्रति रवैया पर पुन: विचार करना;
- मृदा नमी तत्व में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचयन;
- फसल का इष्टतम उत्पादन तथा इसके स्थायित्व के लिए उपाय;
- वाटरशेड विकास;
- सिंचाई, हाउसहोल्ड और उद्योग में उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार;
- उपचरित जल का पुनर्चक्रण तथा पुन:उपयोग।

इसके अतिरिक्त, जल संसाधन परियोजनाओं के विकास के लिए पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभावों (अर्थात परियोजना प्रभावित लोगों का पुनर्वास) का स्पष्ट आकलन आवश्यक होगा। इस संदर्भ में विकास और पर्यावरण के बीच संबंध (ट्रेड ऑफ) का पता लगाया जाना चाहिए तथा विवाद को सुव्यवस्थित करने के लिए तथा विकासात्मक दर्शन के संबंध में यथोचित निर्णय लिए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

राज्यों में पर्यटकों की घटती संख्या

3515. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में पक्षीविहार और वन्यजीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों की घटती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान पर्यटकों की संख्या में कितनी कमी आई है; और

(ग) पर्यटन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त हुई है। पक्षीविहार और वन्यजीव अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों के बारे में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अलग से कोई सूचना नहीं रखी जाती है। गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़ों से उनके अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों की कोई कमी देखने में नहीं आई है। राजस्थान के मामले में, जबकि वर्ष 2002 से राज्य में सामान्य पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हो रही है, वर्ष भर में कुछ अभयारण्यों/उद्यानों में कमी-बेशी देखने में आई है।

(ख) राजस्थान में पक्षी/वन्यजीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों का निम्नानुसार अनुमान लगाया गया है:

क्र.सं.	पर्यटक स्थान	वर्ष		
		2002	2003	2004
1.	अलवर	123115	183762	205986
2.	सरिस्का	14910	8421	8992
3.	सवाई-माधोपुर	54817	48653	111373
4.	भरतपुर	66542	79285	107216

(ग) पर्यटन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पर्यटक परिपथों एवं गंतव्यों के अवसंरचनात्मक विकास की इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास;

- "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना;
- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन कराना;
- केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान;
- विदेशों में टूअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचार को अधिकतम करना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना;
- पर्यटन संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना;
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर ऑपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुन: प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा;
- यूरोप के प्रमुख स्रोत बाजारों में रोड़ शोज प्रारम्भ करना;
- होटल अवसंरचना विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना; और
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से सम्पर्क बेहतर करना।

[हिन्दी]

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना

3516. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
श्री महेश कनोडीया:
श्री चन्द्रभान सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त प्रत्येक प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या पर्यावरण और वन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुछ अन्य प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें राज्यवार कितनी अनुमानित लागत लगी है; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) से (ग) जी हां। वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के राज्यवार प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अभी तक महाराष्ट्र में 73 वन गांवों और मध्य प्रदेश में 311 वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित किया गया है।

(घ) से (च) वानिकी मंजूरी प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य/संघ शासित सरकारों से विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के निरंतर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और प्रत्येक मामले पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों और नियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव की जांच करते समय शामिल वन भूमि क्षेत्र को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है, न कि परियोजना की लागत पर। वन (संरक्षण) नियम, 2003 के अनुसार, राज्य/संघ शासित सरकारों से वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए केन्द्र सरकार के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है और ऐसे सभी प्रस्तावों पर इस समय सीमा के भीतर विचार किया जाता है।

विवरण

राज्य का नाम	वन ग्रामों की संख्या	टिप्पणी
महाराष्ट्र	73	राजस्व गांवों में परिवर्तित
मध्य प्रदेश	311	राजस्व गांवों में परिवर्तित
मध्य प्रदेश	517	राज्य सरकार के पास लंबित
छत्तीसगढ़	421	राज्य सरकार के पास लंबित
उत्तरांचल	76	राज्य सरकार के पास लंबित
गुजरात	112	राज्य सरकार के पास लंबित

टिड्डी दल की समस्या

3517. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों पर टिड्डी दल द्वारा हमला किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने सरकार की इस समस्या का निदान पाकिस्तान के साथ मिल कर करने की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) विश्व खाद्य संगठन ने भारत को उसके पश्चिमोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2005 के उत्तरोक्त भाग के दौरान टिड्डी आक्रमण की अपेक्षाकृत कम जोखिम की संभावना से अवगत कराया है बशर्ते लाल सागर, खाड़ी देशों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र में पारिस्थतिकीय पारिस्थितियां वसंत ऋतु के दौरान सफल प्रजनन के अनुकूल हों। विश्व खाद्य संगठन ने सुझाव दिया है कि भारत को वैश्विक टिड्डी स्थिति को मानिटर करना जारी रखना चाहिए तथा किसी भी तरह के टिड्डी के जमावड़े का पता लगाने के लिए अपने घरेलू क्षेत्र में और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित सर्वेक्षण करने चाहिए।

किसी भी तरह की टिड्डी की सम्भाव्यता से निपटने के लिए आकस्मिकता योजना तैयार है। आकस्मिकता योजना टिड्डी का समय पर पता लगाने और नियंत्रण, कृमिनाशियों और उपकरण सहित नियंत्रण उपायों के संबंध में तैयारी बनाएं रखने तथा पड़ोसी देशों और विश्व खाद्य संगठन के साथ सूचना के विनिमय के लिए देश के पश्चिमी क्षेत्र में अनुसूचित मरूस्थल क्षेत्र में नियमित सर्वेक्षण और निगरानी पर ध्यान केन्द्रित करती है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर (फैक्ट) लिमिटेड हेतु सहायता

3518. श्री पी.सी. थामस: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर (फैक्ट) लिमिटेड, केरल के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या 'फैक्ट' में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पद रिक्त पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जी हां, एफएसीटी से पुनर्गठन संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

(1) दिनांक 31.3.2004 तक बकाया ब्याज और दण्डात्मक ब्याज सहित कुल 609.26 करोड़ रुपए (जिसमें दिनांक 31.3.2004 तक ऋण में परिवर्तित वर्ष 2003-04 हेतु 34.80 करोड़ का ब्याज सम्मिलित है) के भारत सरकार के सभी बकाया ऋणों को बट्टे खाते डालना।

(2) अन्य 1000 कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के लिए भारत सरकार से 90 करोड़ रुपए का एकमुश्त अनुदान (अप्रतिदेय)।

(3) केरल सरकार से कुछ रियायतें।

(ग) पैकेज को अंतिम रूप देने की समय सीमा सक्षम प्रधिकारी के निर्णय पर निर्भर है।

(घ) और (ङ) जी हां, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने दिनांक 16.2.2005 को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियमित पदधारी के चयन हेतु साक्षात्कार लिया है और इस पद को भरने के लिए पीईएसबी की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग

3519. श्री किन्जरपु येरनमायडु: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व की तुलना में देश में कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता न्यूनतम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में परियोजना-दर-परियोजना और देश-दर-देश उल्लेखनीय अंतर होता है और यह सिंचाई का प्रकार, सिंचाई सुविधाओं, जलवायुवीय स्थितियों इत्यादि सहित अनेक कारकों से प्रभावित होती है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सतही जल उपयोग में 35 से 40 प्रतिशत दक्षता और भूजल उपयोग में 65 से 70 प्रतिशत दक्षता एक निष्पक्ष अनुमान होगी।

(ग) और (घ) भारत सरकार जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देती है। ''कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम)'' और ''कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' संबंधी स्कीमें इन मुद्दों पर ध्यान देती है और सिंचाई प्रणाली की जल उपयोग दक्षता में सुधार करने में सहायता करती है।

[हिन्दी]

बिहार में निजी चीनी मिलों का बंद होना

3520. श्री नीतीश कुमार:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में बड़ी संख्या में सरकारी और निजी क्षेत्र के चीनी मिल बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ये मिलें कब से बंद पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार ने पुनरुद्धार हेतु चीनी मिलों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन मिलों के पुनरुद्धार के लिए मिलवार कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। बिहार की 18 चीनी मिलें (15 सार्वजनिक क्षेत्र में और 3 निजी क्षेत्र में) बन्द पड़ी हैं। मिल-वार ब्यौरा, जिसमें उनके बन्द होने की तारीख दी गई है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) रुग्ण चीनी मिलों को पुन: आरम्भ करने/ जीवनक्षम बनाने के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी उद्यमी की है।

विवरण

बिहार राज्य में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बन्द चीनी मिलों की स्थिति

क्र.सं.	चीनी मिल का संक्षिप्त नाम	क्षेत्र	बंद होने की तारीख
1	2	3	4
1.	मरहोरा	निजी	21.03.97
2.	गरूल	सार्वजनिक	07.01.94
3.	रयाम	सार्वजनिक	20.02.94
4.	लोहाट	सार्वजनिक	03.03.97
5.	सकरी	सार्वजनिक	22.03.97
6.	समस्तीपुर	सार्वजनिक	05.03.97
7.	बनमंखी	सार्वजनिक	25.07.97
8.	लोरिया	सार्वजनिक	06.04.97

1	2	3	4
9.	सुगौली	सार्वजनिक	03.04.97
10.	मोतीपुर	सार्वजनिक	13.03.97
11.	मीरगंज	सार्वजनिक	23.03.97
12.	सीवान	सार्वजनिक	25.02.93
13.	न्यू सावन	सार्वजनिक	23.02.91
14.	चनपतिया/	निजी	16.03.98
15.	बाराचकिया	निजी	02.02.94
16.	बिहटा	सार्वजनिक	16.03.91
17.	वर सालीगंज	सार्वजनिक	26.02.93
18.	गुरारू	सार्वजनिक	18.03.91

[अनुवाद]

पर्यटन स्थलों पर ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन

3521. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री राजेश वर्मा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के मुख्य ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों पर ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सभी पर्यटन स्थलों पर ऐसे प्रदर्शन आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन स्थापित करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 8वीं, 9वीं और 10वीं योजनाओं के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा जिन स्थानों पर ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन स्वीकृत किए गए हैं, निम्न प्रकार हैं:

1. साबरमती, गुजरात
2. ओरछा, मध्य प्रदेश
3. हम्पी, कर्नाटक
4. कुम्भलगढ़, राजस्थान
5. चितौड़गढ़, राजस्थान
6. लालकिला, दिल्ली (उन्नयन किया)
7. पुराना किला, दिल्ली
8. हरिद्वार, उत्तरांचल
9. अम्बेर किला, राजस्थान
10. विवेकानन्द रॉक, तमिलनाडु
11. सारनाथ, उत्तर प्रदेश
12. आगरा किला, उत्तर प्रदेश
13. रेजिडेंसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

एशियाई शहरों में वायु प्रदूषण

3522. श्री उदय सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस अध्ययन की जानकारी है जिसमें एशियाई शहरों में अधिक वायु प्रदूषण स्तर का पता लगाया गया है जैसाकि दिनांक 8 दिसंबर, 2004 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई शहरों में श्वास्य वायु प्रदूषण के प्रभाव में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। हैल्थ इफेक्ट्स इन्स्टीट्यूट (एच.ई.आई.) बोस्टन ने 'एशिया के विकासशील देशों में बाहरी वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव' संबंधी एक अध्ययन किया है जिसमें अधिकतर एशियाई शहरों में दहन को वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत बताया गया है। अध्ययन के प्रक्षेपणों के अनुसार संभावित आर्थिक वृद्धि कोयले तथा मोटर वाहन ईंधनों के प्रयोग में महत्पूर्ण बढ़ोतरी हासिल कर सकती है।

(ग) और (घ) वायु प्रदूषण के उपशमन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान।
- वायु गुणवत्ता तथा उत्सर्जन मामलों की अधिसूचना तथा प्रवर्तन।
- वायु गुणवत्ता की नियमित मॉनीटरिंग।
- उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा स्वच्छतर ईंधनों की शुरूआत।
- दोषी इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए नोटिस/दिशानिर्देश जारी करना
- प्रदूषण उद्योगों की 17 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए निगमित दायित्व संबंधी चार्टर का क्रियान्वयन।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में रिसर्च एसोसिएट्स फेलोज

3523. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई) अनुसंधान कार्य कराने के लिए अनेक रिसर्च एसोसिएट/फेलोज को अस्थायी आधार पर काम में लगा रहा है;

(ख) यदि हां, इस संस्थान में ये रिसर्च एसोसिएट/फेलोज कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या आई ए आर आई का विचार इन्हें रिक्त पदों पर नियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी नहीं। रिसर्च एसोसिएट/फेलोज को अस्थायी/नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता है। उनको परियोजना में को-टर्मिनस या संस्थान/परिषद् द्वारा निर्धारित कम अवधि के लिए लगाया जाता है। उनको लगाने के लिए विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। आई.ए.आर.आई. में यह स्कीम वर्ष 1985 में शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) उपयुक्त के अनुसार को-टर्मिनस आधार पर रिसर्च एसोसिएट को लगाने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि में उपज घाटा

3524. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उपज की कटाई के बाद का घाटा दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत के बीच है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्षों में उक्त घाटे को कम किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गेहूं, चावल, फलों और सब्जियों की फसल की कटाई के बाद के घाटे में कितनी कमी दर्ज की गई; और

(घ) अगले दस वर्षों में उपर्युक्त कृषि उपज की कटाई के बाद के घाटे को कितना प्रतिशत कमी किए जाने का लक्ष्य है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा गठित शीतागारों और भण्डारों संबंधी एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने अनुमान लगाया है कि कटाई पश्चात प्रोद्योगिकी, परिवहन, भण्डारण और विपणन सुविधाओं के न होने के कारण 25% से 30% फल और सब्जियां तथा 8 से 10% खाद्यान्न हर वर्ष नष्ट हो जाते हैं।

(ख) धान, गेहूं, ज्वार और बाजरा जैसी कुछ जिंसों के लिए फार्म स्तर पर कटाई पश्चात हानि में पिछले वर्षों में कमी आई है।

(ग) विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कटाई पश्चात हानि के अंतर्गत रजिस्टर की गई कमी निम्नलिखित है:

1.	धान	1972-73	4.34%	1998-99	2.70%
2.	गेहूं	1973-74	5.00%	1998-99	1.78%
3.	ज्वार	1974-75	6.02%	1998-99	2.20%
4.	बाजरा	1974-75	2.17%	1998-99	1.89%

फलों और सब्जियों में कटाई पश्चात हानि पर हाल ही में कोई अध्ययन नहीं किया गया।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का लक्ष्य अगले दस वर्षों में जिसों में कटाई पश्चात हानियों को वर्तमान हानियों का आधा करना है।

[अनुवाद]

किसानों की उपज की बिक्री

3525. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्या किसान अपनी उपज के विपणन में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपनी उपज को खुले बाजार में कतिपय विनिर्दिष्ट एजेंसियों को घाटे में बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र ने विपणन अवसंरचना में कोई निवेश नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि मण्डियों की स्थापना करना राज्य का विषय है। कृषि मण्डी (ए.पी.एम.सी. अधिनियम) से डील किए जा रहे विद्यमान कानून के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में कृषि जिन्सों के लिए मण्डियों की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है। प्रसंस्करण उद्योग किसानों से सीधे खरीद नहीं कर सकता है। किसान को किसी विनिर्माता से सीधे सम्पर्क करने से प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि उत्पादों को विनियमित मण्डियों के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाना अपेक्षित होता है। यह प्रतिबंध किसानों के लिए हतोत्साहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अत: राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे ए.पी.एम.सी. अधिनियम में सुधार करें ताकि सीधे विपणन और ठेका कृषि को अनुमति दी जा सके और प्रतिस्पर्धात्मक मण्डियों की स्थापना करने की अनुमति दी जा सके। निजी और सहकारी क्षेत्रों में वैकल्पिक प्रतिस्पर्धात्मक मण्डियों के विकास से किसानों को अपने उत्पाद बेचने में स्वतंत्रता मिलेगी और वे बेहतर मूल्य/सेवाएं प्राप्त करेंगे।

(ग) और (घ) जी, हां। कृषि मंडियों से डील किए जा रहे राज्य के विद्यमान कानूनों के अधीन, अधिसूचित कृषि जिन्सों के संबंध में मंडियों की स्थापना करने में निजी क्षेत्र पहल नहीं कर सकता है।

(ङ) कृषि विपणन क्षेत्र में कमियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) इस मंत्रालय ने 07.01.2004 को नई दिल्ली में तथा 19.11.2004 को बंगलौर में राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए और कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों की जरूरत पर आम सहमति हुई।

(2) मंत्रालय ने राज्यों को एक आदर्श कानून (मॉडल ला) परिचालित किया ताकि ए.पी.एम.सी. अधिनियम में सुधार के कार्यान्वयन में उनका मार्गदर्शन किया जा सके।

(3) मंत्रालय ने विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/सुबृद्धीकरण के लिए 20.10.2004 से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वित की। इस स्कीम के तहत, उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जो मॉडल ला में सुझाए गए तरीकों पर ए.पी.एम.सी अधिनियम को संशोधित करते हैं, कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए सहायता मुहैया कराई जाएगी।

[हिन्दी]

सरसों की खरीद

3526. श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मो. ताहिर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरसों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है जैसाकि 17 मार्च, 2005 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि., जो तिलहनों व दलहनों की वसूली के लिए

केन्द्रीय नोडल एजेंसी है, को सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों की वसूली पर प्रतिबंध लगाने के अनुदेश नहीं दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. ने 11.04.2005 तक मूल्य समर्थन योजना के तहत 7.63 लाख टन सरसों की पहले ही वसूली कर ली और सरसों की वसूली चल रही है।

[अनुवाद]

दालों का उत्पादन

3527. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में दालों का दालवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में दालों का कुल कितना उपभोग होता है;

(ग) क्या दालों का उत्पादन उनकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में दाल का निर्यात किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र रूप से दलहन के कुल उत्पादन सहित तुर, चना और अन्य दलहन जैसे उड़द, मूंग, मसूर, मटर, इत्यादि के अखिल भारतीय उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

उत्पादन (मिलियन टन)

कृषि वर्ष (जुलाई-जून)	तुर	चना	अन्य दलहन	कुल दलहन
2001-02	2.26	5.47	5.64	13.37
2002-03	2.19	4.24	4.70	11.13
2003-04	2.37	5.79	6.78	14.94

(ख) और (ग) दलहन की अनुमानित घरेलू खपत और उत्पादन का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

(मिलियन टन)

वर्ष	खपत	उत्पादन
2001-02	15.43	13.37
2002-03	12.99	11.13
2003-04	16.84	14.94

टिप्पणी: वार्षिक कुल घरेलू खपत उत्पादन + निवल आयात (आयात - निर्यात) के रूप में आंकी गई है। जैसा कि उक्त सारणी से पता चलता है कि उत्पादन घरेलू खपत मांग को पूरा करने की दृष्टि से अपर्याप्त है।

(घ) दलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए "समेकित तिलहन, दलहन, आयल पॉम और मक्का विकास" (आइसोपोम) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1.4.2004 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत प्रजनक बीज के उत्पादन, आधारी बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीज का उत्पादन, गुणवत्ता बीज उत्पादन के क्रैश कार्यक्रम, प्रमाणित बीज वितरण, मिनीकिट वितरण, अवसंरचना विकास, ब्लाक प्रदर्शन, समेकित कीट प्रबंध इत्यादि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गयी दलहन की कुल मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख मीटरी टन)

अवधि	मात्रा
अप्रैल 2001-मार्च 2002	1.62
अप्रैल 2002-मार्च 2003	1.48
अप्रैल 2003-मार्च 2004	1.51

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए होटल और होस्टल

3528. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु तथा राष्ट्रमंडल खेलों में सुविधा प्रदान करने के लिए होटलों और होस्टलों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी तीन वर्षों में किन स्रोतों से धनराशि जुटाए जाने का प्रस्ताव है तथा केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) देश में होटलों के निर्माण की गतिविधि निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जाती है।

[अनुवाद]

मैसूर में चमुंडी हिल्स और जोगफाल्स में रज्जू मार्ग

3529. श्री एम. शिवन्ना: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर में चमुंडी हिल्स और शिमोगा जिलें में जोगफाल्स में रज्जू मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई पर्यटन परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को उक्त परियोजना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के अंतर्गत 3130.75 लाख रु. की कुल लागत पर कर्नाटक में चमुंडी हिल्स, जोगफाल्स तथा लालबाग गार्डन्स में यात्री रज्जू मार्ग की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत की है। यह परियोजना प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरा नहीं था। अत: 2004-05 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अनुदान हेतु इस पर विचार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए विश्व बैंक से सहायता

3530. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूध की मांग और पूर्ति के अंतर को पाटने के मद्देनजर दिल्ली में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में दूध की मांग के अनुसार पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार को दिल्ली में दूध की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। दिल्ली में तरल दूध की सप्लाई मुख्यत: दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेयरी, दिल्ली तथा दिल्ली में अन्य निजी यूनिटों द्वारा की जाती है। दिल्ली के आस-पास के राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि से संबंधित निजी और सरकारी संगठनों से भी दूध प्राप्त किया जा रहा है।

हाइटेक बागवानी

3531. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाइटेक बागवानी के क्षेत्र में नई योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विद्यमान योजनाओं के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार ने हाई-टैक हर्टीकल्चर और प्रिसिंशन फार्मिंग से संबंधित एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव किया था। तथापि, इस प्रस्ताव को वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी जिसमें हाई-टेक हर्टीकल्चर से संबंधित कार्यक्रम भी शामिल होंगे को शुरू करने की घोषणा के पश्चात वापस ले लिया है।

(ग) विद्यमान स्कीमों के अंतर्गत (1) वृहद कृषि प्रबन्ध कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण (2) पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन तथा जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों में समेकित बागवानी विकास, हाई-टैक हस्तक्षेप जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के अंतर्गत 24643 हेक्टेयर क्षेत्र का कवरेज शामिल है और 2055 ग्रीन हाऊसों का निर्माण किया गया है।

सिक्किम में 'आर्किड फ्लावर' का विकास और अनुसंधान

3532. **श्री नकुल दास राई:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिक्किम में 'आर्किड फ्लावर' के विकास और अनुसंधान हेतु अनुसंधान केन्द्र शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सिक्किम में आर्किड पुष्पों के अनुसंधान और विकास के लिए वर्ष 1996 में पाक्योंग (सिक्किम) में राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता

3533. **श्री राकेश सिंह:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) ने खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाजार में बेची जा रही कुछ खाद्य वस्तुएं भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) के विनिर्देशनों के अनुरूप नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घटिया खाद्य वस्तुओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो ने खाद्य मदों की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रारूप रिपोर्ट जारी नहीं की है। खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानकों से अनुरूपता सहित गुणवत्ता नार्म नियत करने की जिम्मेदारी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमि लवणता

3534. **श्री जसुभाई दानाभाई धारड़:**
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात और कर्नाटक में भूमि लवणता में वृद्धि कृषि के लिए चिंता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल कितना क्षेत्र अनुपयोगी हो गया है;

(ग) लवणता में वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) तटीय क्षेत्रों के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की लवण भूमि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक राज्य के कमान क्षेत्र में 1.946 लाख हेक्टेयर का अनुमानित क्षेत्र लवणता प्रभावित था। गुजरात राज्य में लवणता से प्रभावित क्षेत्र 8.2 लाख हैक्टेयर अनुमानित था।

(ग) सरकार ने लवणता से बचाव और उसके नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कदम उठाए हैं। केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा एकत्रित सूचना राज्य कृषि, सिंचाई और वानिकी विभाग के तकनीकी कार्मिकों को प्रसारित की गई है।

कृषि और सहकारिता विभाग के पास देश में क्षारीय मृदा के पुनरुद्धार के लिए विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि, वृहद कृषि प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को वर्ष में राज्य के लिए कुल आवंटन के 10% तक के किसी नए कार्यक्रम को प्रस्तावित करने हेतु लचीलापन प्रदान किया गया है।

(घ) राज्य/संघ शासित प्रदेशों में क्षारीय मृदा का ब्यौरा निम्नलिखित है:

राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षारीय मृदा का क्षेत्र विस्तार (लाख हैक्टेयर)
पश्चिम बंगाल	8.2
गुजरात	8.2
उड़ीसा	4.0
आन्ध्र प्रदेश	2.76
तमिलनाडु	1.0
कर्नाटक	1.95
महाराष्ट्र	0.63
केरल	0.26
गोआ	0.18
पांडिचेरी	0.01
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.15
कुल	27.34

उत्तर प्रदेश में बागवानी तथा कृषि का विकास

3535. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश में बागवानी परियोजनाओं, कृषि, पशु-पालन तथा डेयरी के विकास के लिए आवंटित तथा जारी की गई केन्द्रीय धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि सहित बागवानी तथा पशु-पालन एवं डेयरी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित और निर्गत योजना धनराशि का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II पर दिया गया है। "वृहद कृषि प्रबंध" नामक स्कीम विभिन्न बागवानी स्कीमों सहित 27 स्कीमों को शामिल करके बनाई गई है। इन स्कीमों की सूची विवरण-III पर दी गई है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों में फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए खेतों पर जल प्रबन्ध नामक स्कीम के अंतर्गत धनराशि आवंटन के आंकड़े अनुबंध-I पर भी दिए गए हैं।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में बागवानी सहित कृषि के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु आवंटित और निर्गत धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06
		आवंटन	निर्गत	आवंटन	निर्गत	आवंटन	निर्गत	आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि का वृहद प्रबंध	6885.00	6885.00	6800.00	7375.00	7000.00	8889.00	7800.00
2.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन का उप मिशन-2	16.00	15.46	130.00	92.92	80.00	40.00	65.00
3.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.)*	100.00	100.00	298.00	297.00			
4.	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन.डी.डी.पी.)*	60.00	60.00	172.00	172.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	समेकित तिलहन दलहन, आयल पॉम तथा मक्का स्कीम (आईसोपोम)*	–	–	–	–	785.00	785.00	
6.	पूर्वोत्तर राज्यों में फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए खेतों पर जल प्रबंध	1919.64	–	4020.75	–	1794.60	–	अभी तक आवंटित नहीं किया गया है

*1 अप्रैल, 2004 से ओ.पी.पी. और एन.पी.डी.पी. को आइसोपोम में मिला दिया गया है।

विवरण-II

पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए उत्तर प्रदेश को निर्गत धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	निर्गत 2002-03	निर्गत 2003-04	निर्गत 2004-05
1.	गोपशु और भैंस प्रजनन से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना	1063.00	0.00	841.15
2.	कुक्कुट विकास के लिए राज्यों को सहायता	68.00	0.00	0.00
3.	चारा वर्धन के लिए राज्यों को सहायता	-0.00	0.00	337.66
4.	पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए सहायता	403.26	414.15	263.33
5.	व्यावसायिक कार्यक्षमता का विकास	6.43	6.08	6.00
6.	रीन्डर पेस्ट के उन्मूलन से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना	50.00	20.00	20.00
7.	खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	282.00	425.00
8.	सहकारी समितियों को सहायता	351.04	46.00	443.41
9.	समेकित डेयरी विकास परियोजना	0.00	325.09	364.82

टिप्पणी: पशु पालन और डेयरी विभाग ने धनराशि का आवंटन राज्यवार नहीं किया है बल्कि राज्यों को जारी धनराशि राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता और पहले प्राप्त धनराशि और उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

विवरण-III

बृहत प्रबंधन स्कीम के तहत आने वाली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

1. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता
2. महिलाओं की सहकारी समितियों को सहायता
3. गैर-अतिदेय कवर स्कीम
4. कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष
5. अनु. जाति/अनु. जनजातियों के लिए विशेष योजना
6. चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
7. गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
8. मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम
9. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम
10. गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत विकास
11. उर्वरकों का सन्तुलित एवं समेकित उपयोग
12. छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
13. समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क क्षेत्रीय फलों का समेकित विकास
14. सब्जी बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति
15. वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
16. औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास
17. मूल एवं कन्द फसलों का विकास
18. कोको तथा काजू का विकास
19. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम
20. खुम्बी का विकास
21. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
22. मधुमक्खी पालन
23. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम
24. सब्जी फसलों के आधारी एवं प्रमाणित बीज उत्पादन संबंधी स्कीमें
25. नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
26. क्षारीय मृदा का सुधार एवं विकास
27. राज्य भूमि उपयोग बोर्ड।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्यों को सहायता

3536. श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) को सुदृढ़ करने तथा गोदामों के निर्माण के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बढ़ाई गई भंडारण-क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में गरीबी की रेखा (बी पी एल) से नीचे रहने वाले परिवारों के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विशेषकर ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बी पी एल परिवारों को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की नियमित तथा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम "गोदामों का निर्माण" 1.4.2002 से बंद कर दी गई है। इस स्कीम के अधीन छोटे गोदामों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50% राजसहायता और 50% ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इसके अलावा, भारत

सरकार की सहायता से भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम भी खाद्यान्नों आदि का भंडारण करने के लिए क्षमता का सृजन करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा बढ़ाई गई भंडारण क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्र सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरिंग के लिए सहायता भी प्रदान करती है तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पजबूत करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहाड़ी ढुलाई छूट प्रदान करती है।

(घ) योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों के अनुसार, जिन्हें 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित आबादी आधार पर लिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे 6.52 करोड़ परिवार होने का अनुमान है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी की जाने वाली मात्रा 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह है। गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में निर्धनतम परिवारों की जरूरत पूरी करने के लिए चलाई गई अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें 2.00 करोड़ परिवार कवर किए गए हैं, में 50 लाख और परिवार शामिल करके इसका और विस्तार किया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं।

(ङ) जहां तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन चावल और गेहूं की आपूर्ति करने का संबंध है, इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारतीय खाद्य निगम को सभी केन्द्रों पर हर समय दो माह के उठान के बराबर स्टॉक का स्तर बनाए रखने का अनुदेश दिया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बढ़ाई गई भण्डारण क्षमता (भा.खा.नि., के.भ.नि.) (लाख टन में)					
		2002-03		2003-04		2004-05	
		भा.खा.नि.	के.भ.नि.	भा.खा.नि.	के.भ.नि.	भा.खा.नि.	के.भ.नि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	45,000	1,40,810	15,000	10,000	15,000	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	20,000	–	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	5,000
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	13,340	–
6.	दिल्ली	–	–	–	25,300	–	10,000
7.	गोवा	–	–	–	–	–	–
8.	गुजरात	–	–	15,000	73,800	10,000	–
9.	हरियाणा	–	31,100	16,670	–	10,000	–
10.	हिमाचल प्रदेश	1,670	–	–	1,670	–	–
11.	जम्मू-कश्मीर	7,500	–	–	–	–	–
12.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	–
13.	कर्नाटक	7,800	20,000	15,000	10,400	15,000	11,140

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	केरल	–	5,000	–	25,000	–	–
15.	मध्य प्रदेश	–	–	–	10,000	–	6,000
16.	महाराष्ट्र	–	–	6,680	38,400	11,920	47,100
17.	मणिपुर	–	–	–	–	2,500	–
18.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
19.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
20.	नागालैंड	–	–	–	–	2,500	–
21.	उड़ीसा	–	29,300	15,000	–	–	–
22.	पंजाब	5,000	17,200	23,340	–	–	–
23.	राजस्थान	20,000	25,000	–	12,589	–	17,300
24.	सिक्किम	2,500	–	–	–	–	–
25.	तमिलनाडु	5,000	8,900	3,340	1,550	3,340	–
26.	त्रिपुरा	–	–	2,500	–	–	–
27.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–
28.	उत्तर प्रदेश	–	61,480	20,000	12,000	13,340	5,000
29.	पश्चिम बंगाल	–	20,000	–	57,400	–	12,800
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	2,700
31.	चण्डीगढ़	–	--	–	–	–	–
32.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
33.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–

[हिन्दी]

नदियों में जल प्रवाह

3537. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नदियों के औसत जल-प्रवाह में प्रति वर्ष कोई कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान जल-प्रवाह का राज्य-वार तथा नदी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2005-06 में देश में एक बड़े जल संकट की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) देश की नदियों में जल के औसत वार्षिक प्रवाह के आंकड़ों से गिरावट के किसी रुख का पता नहीं चलता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोस्को तथा उड़ीसा सरकार के बीच इस्पात संयंत्र समझौता

3538. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाहांग इस्पात कंपनी (पोस्को) तथा उड़ीसा सरकार के बीच 40,000 करोड़ रुपए का इस्पात संयंत्र समझौता करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पोस्को द्वारा लौह अयस्क की कितनी आवश्यकता का अनुमान है;

(घ) क्या इस समझौते के बाद अन्य इस्पात कंपनियां, अपने-अपने संयंत्रों के लिए लौह अयस्क प्राप्त कर पाएंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो राज्य के अन्य इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पोस्को ने उड़ीसा में पत्तन आधारित 12 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाले एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की रुचि जाहिर की है। पोस्कों के प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2009 तक 3 मिलियन टन क्षमता वाले संयंत्र के प्रथम मोड्यूल के पूरा होने की संभावना है। तत्पश्चात, प्रत्येक दो वर्ष में प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता जोड़ी जाएगी ताकि 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष की पूरी क्षमता प्राप्त की जा सके। पोस्को तथा उड़ीसा सरकार के मध्य आज की तारीख तक किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) उद्योग के मानकों के अनुसार एक मिलियन टन तप्त धातु के उत्पादन के लिए सामान्यत: 1.6 मिलियन टन लौह अयस्क ढ़ेलों/चूरे की आवश्यकता होती है। तदनुसार, 12 मिलियन क्षमता के इस्पात संयंत्र के लिए प्रतिवर्ष 19.2 मिलियन टन लौह अयस्क ढ़ेलों/चूरे की आवश्यकता होगी।

(घ) और (ङ) चूंकि, संबंधित एजेंसियों के मध्य आज की तारीख तक किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, अत: प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन

3539. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पर्यटन क्षेत्र में नियोजित लोगों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन क्षेत्र में और अधिक रोजगार सृजन के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में भारत के हिस्से का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद् द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार, भारत की यात्रा एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था, देश में कुल रोजगार के 5.6 प्रतिशत को रोजगार प्रदान करती है।

(ख) और (ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन अवसंरचना, आदि के विकास हेतु निम्नलिखित

विस्तृत योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनसे अधिक रोजगार सृजन होना संभावित है;

(1) उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्य विकास।

(2) पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास।

(3) भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता।

इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन हमारे पर्यटन उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रचार, दोनों कर रहा है।

(घ) से (च) योजना आयोग ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के लिए कोई वर्ष-वार लक्ष्य निश्चित नहीं किया है। तथापि, उन्होंने 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विश्व पर्यटक आगमनों में भारत के शेयर के रूप में 0.62 प्रतिशत के लक्ष्य की परिकल्पना की है।

[अनुवाद]

खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति

3540. **श्री हितेन बर्मन:**
श्री सुव्रत बोस:
श्री रनेन बर्मन:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निरीक्षण तथा भंडारण अनुरक्षण कार्य में अधिकारियों की गलतियों/लापरवाही का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) समय पर निरीक्षण न होने, निरीक्षण के बिना प्रमाण-पत्र जारी करके, अनुचित खाद्यान्न गुणवत्ता नियंत्रण उपायों तथा भंडारण प्रबंधन योजना के अभाव के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान आज की तारीख तक किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खराब गुणवत्ता का "चमकहीन" गेहूं जारी करने के बारे में शिकायत की थी जबकि कर्नाटक और केरल की सरकारों ने 2002-03 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अधीन खराब गुणवत्ता का चावल जारी करने के बारे में शिकायत की। इसी प्रकार, 2003-04 के दौरान केरल सरकार ने पंजाब से घटिया गुणवत्ता का चावल प्राप्त होने के बारे में शिकायत की थी। इस अनिच्छा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए "चमकहीन" गेहूं जारी करना बंद कर दिया गया था और भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल अच्छी गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया गया था। 2004-2005 के दौरान जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को क्षतिग्रस्त गेहूं का वितरण करने के बारे में अध्यक्ष, शहीदे आजम सरदार भगत सिंह बलिदान दिवस संयोजन समिति, मेरठ और सचिव देशभक्त सोसायटी, मेरठ से प्राप्त शिकायत की जांच राज्य सरकार के माध्यम से करवाई गई थी और इसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वर्षा

3541. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रति वर्ष जून माह से सितम्बर माह तक होने वाली वर्षा को मानसून वर्षा कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान मानसून के समय और मानसून से पहले तथा बाद में वर्षा के माध्यम से अनुमानत: कुल कितना जल उपलब्ध हुआ;

(घ) क्या उक्त वर्षों के दौरान प्राप्त वर्षा का जल नब्बे के दशक के प्रारंभिक तीन वर्षों की तुलना में कम है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कितना कम है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2000, 2001, 2002 और 2003 की मानसून पूर्व, मानसून और मानसून के बाद की अवधियों के दौरान देश में देखी गई औसत वर्षा नीचे दिए गए अनुसार है:

अवधि	2000	2001	2002	2003
मानसून पूर्व (जाड़े सहित) (मिमी.)	171.9	145.9	156.5	160.9
दक्षिण-पश्चिम मानसून (मिमी.)	833.7	823.2	737.1	947.3
मानसून के बाद (मिमी.)	64.1	137.7	83.4	134.6
वार्षिक (मिमी.)	1069.7	1106.8	977.0	1242.8

(घ) और (ङ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार औसत वार्षिक वर्षा क्रमशः वर्ष 2002 से 2003 तक के दौरान 1099 मिमी. और वर्ष 1990 से 1993 तक के दौरान 1166 मिमी. आंकी गई है।

[अनुवाद]

चीन जाने वाले पर्यटकों के लिए पैकेज

3542. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन जाने वाले घरेलू पर्यटकों के लिए कोई पैकेज देने का विचार; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी नहीं। सरकार द्वारा बहिर्गामी पर्यटन के लिए किसी पैकेज की योजना नहीं बनाई जाती है। तथापि, निजी टूअर ऑपरेटरों ने चीन सहित बाहरी देशों के लिए ऐसे पैकेजों की शुरूआत की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण बेरोजगारी पर प्रभाव

3543. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से देश के बेरोजगारी परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से बेराजगारी पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अखिल भारत स्तर पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण पुरातन प्रकार के उद्यमों में घटती हुई कुशलता के कारण कुछ रोजगार अवसर अवश्य कम हुए हैं परन्तु साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं आदि जैसे नए क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर सृजित हो रहे हैं। कुल मिलाकर, सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार जोकि 1993-94 में 374 मिलियन के लगभग था वह वर्ष 1999-2000 के दौरान बढ़कर 397 मिलियन हो गया।

[अनुवाद]

लेवी के रूप में चावल की खरीद

3544. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) पर धान खरीदने की बजाय एक

विशेष योजना के अंतर्गत कर्नाटक के कुछ जिलों में लेवी के रूप में चावल खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में चावल की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेवी मूल्य पर मिल मालिकों से 12.4.2005 तक 9000 टन सेला चावल की वसूली की है। राज्य एजेंसी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के तहत 12.4.2005 तक 9674 टन धान की वसूली की है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की गई थी और दोषी अधिकारियों को दण्ड किया गया था।

कृषि अवसंरचना परियोजनाओं में पूंजी निवेश पर राजसहायता

3545. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि अवसंरचना परियोजनाओं में पूंजी निवेश पर राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना आरंभ की है;

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा कृषि क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त योजना से निवेशक उत्साहित होंगे;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) कृषि अवसंरचना क्षेत्र में किन-किन परियोजनाओं को शामिल किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय ने 190.00 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय से कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए 20.10.2004 से एक केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम कार्यान्वित की है। इस स्कीम के अधीन प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रुपये की सीमा की शर्त पर अवसंरचना परियोजना की पूंजी लागत की 25% की दर पर राजसहायता मुहैया कराई जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों और उनकी सहकारी समितियों के मामले में 60 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक राजसहायता पूंजी लागत की 33.3 प्रतिशत की दर पर होगी। राज्य एजेंसियों की परियोजनाओं के संबंध में कोई उच्चतम सीमा नहीं है। इस स्कीम के अधीन परियोजनाओं को व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं, भागीदारी/स्वामित्व, गैर-सरकारी संगठनों, कम्पनियों, सहकारी समितियों निगमों आदि द्वारा चलाया जा सकता है। उद्यमी आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक महत्वों के आधार पर निर्धारित अपनी पसंद के किसी स्थान पर परियोजना स्थापित करने को स्वतंत्र होंगे।

(ग) जी, हां। यह स्कीम सुधार संबद्ध है और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए सहायता उन राजयों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध कराई जाएंगी जो वैकल्पिक मंडियों की स्थापना के लिए निजी और सहकारी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए ए.पी.एम.सी. अधिनियम को संशोधित करते हैं।

(घ) इस स्कीम को दसवीं योजना की शेष अवधि अर्थात 2006-07 तक के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

(ङ) इस स्कीम के अंतर्गत ''मंडी अवसंरचना परियोजनाओं'' में निम्नलिखित में से किसी को शामिल किया जा सकता है:

(1) पुरजे जोड़ने, ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण, लेबल लगाने, पैकेजिंग, रिपेनिंग, चैम्बर्स, खुदरा बिक्री और थेक बिक्री, मूल्य वर्धन सुविधाएं (उत्पाद की दशा को बिना बदले) आदि के लिए कार्यात्मक अवसंरचना।

(2) मंडी अहाते, लदान/पुरजे जोड़ने हेतु प्लेटफार्म तथा उत्पाद की नीलामी, वजन तोलने और मैकेनिकल हैंडलिंग उपकरण आदि जैसी मंडी उपभोक्ता संबंधी सामान्य सुविधाएं।

(3) उत्पादकों से उपभोक्ताओं/प्रसंस्करण एककों/बड़े खरीदारों आदि को कृषि जिन्सों के सीधे विपणन हेतु अवसंरचना।

(4) किसानों को उत्पादन आदानों की आपूर्ति हेतु अवसंरचना और आवश्यकता आधारित सेवाएं।

(5) ई-ट्रैडिंग, मंडी आसूचना, विस्तार और मंडी उन्मुख उत्पादन नियोजन हेतु अवसंरचना (उपकरण, हार्डवेयर, गैडगेट्स आदि); और

(6) फसल कटाई पश्चात प्रचालनों (परिवहन उपकरणों को छोड़कर) हेतु मोबाइल अवसंरचना।

[हिन्दी]

स्पन्ज लौह संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

3546. **श्री पुन्नूलाल मोहले:**
श्री जुएल ओराम:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान किए गए स्पन्ज लौह संयंत्रों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ स्पन्ज लौह संयंत्रों ने उड़ीसा सहित देश में वायु तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रदूषण फैलाने वाले इन संयंत्रों की पहचान करने तथा इनमें पर्याप्त प्रदूषण रोधी उपाय करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोड़ा, उड़ीसा राज्य में मैसर्स टाटा स्पन्ज लौह लि. के केवल एक स्पन्ज लौह संयंत्र को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखण्ड राज्यों में कुल 78 स्पन्ज लौह संयंत्र हैं जिनमें से 19 छत्तीसगढ़, 1 मध्य प्रदेश, 02 गोवा, 26 उड़ीसा, 16 पश्चिम बंगाल, 04 आंध्र प्रदेश और 10 झारखण्ड में हैं। इन स्पन्ज लौह संयंत्रों ने स्टैक उत्सर्जन के लिए इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रीसीपीटेटर्स या बैग फिल्टर/वैट स्क्रबिंग प्रणाली जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए हुए हैं। कच्ची सामग्री और उत्पाद हथालन इकाई उद्योगों को आशुलोपी उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लगाने के लिए कहा गया है। जल प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के लिए ठण्डे जल का सैटलिंग टैंक के द्वारा पुनर्चक्रण किया जाता है और मलजल अपशिष्टों का सिक्टन गर्तों के द्वारा निपटान किया जाता है। तथापि, किए गए प्रदूषण निवारण उपाय पर्याप्त नहीं हैं।

(घ) स्पन्ज लौह संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आरम्भ किए गए कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) सभी स्पन्ज लौह संयंत्रों को पर्याप्त प्रदूषण निवारण सुविधाएं स्थापित करने और निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

(2) प्रदूषण भार के आकलन के लिए स्पन्ज लौह इकाईयों की सूची तैयार की जी रही है।

(3) स्पन्ज लौह उद्योगों के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास और पर्यावरणीय मानकों के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है।

(4) जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

[अनुवाद]

हिल स्टेशनों का विकास

3547. **श्री जे.एम. आरून रशीद:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के विश्वप्रसिद्ध कोडईकनाल, कुमबम मेतु, बोदी मेतु, हिल स्टेशनों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन स्थानों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन एक अनवरत प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय विदेश में स्थित 13, भारत में स्थित अपने 20 भारत पर्यटन कार्यालयों तथा 'इन्क्रेडिबल इंडिया' अभियान के माध्यम से पर्यटक रुचियों/स्थलों वाले स्थानों का संवर्धन करता है।

रसायन की उत्पादक इकाइयां

3548. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में इस समय विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित रसायन उत्पादक इकाइयों का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित किसी रसायन का उत्पादन तो नहीं कर रहीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड, बेयर क्रॉपसायंस इंडिया लिमिटेड, ई.आई.ड्यू पॉन्ट इंडिया लिमिटेड, जीई बेट्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सनोफी एवेंटिस फार्मा लिमिटेड, ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, मेसर्स अस्ट्रा-जेनेका लिमिटेड इत्यादि जैसी अनेक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिन्होंने भारत के विभिन्न भागों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं।

(ख) और (ग) संसद के विभिन्न अधिनियमों यथा "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986", "कीटनाशक अधिनियम, 1968", "नार्कोटिक्स ड्रगस एंड साइक्रोट्रोपिक सब्सटांसेज अधिनियम, 1986", "औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940", के माध्यम से देश में प्रतिबंधित रसायनों के विनिर्माण को रोका जाना सुनिश्चित किया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण में महिला संगठनों की भूमिका

3549. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री निखिल कुमार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिला संगठनों ने सरकार से पर्यावरण संरक्षण में उन्हें शामिल करने का कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला संगठनों ने पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ बनाने हेतु और अधिक शक्तियों की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन एम डी सी द्वारा लौह अयस्क की आपूर्ति तथा खनन

3550. श्रीमती करूणा शुक्ला:
श्री अजीत जोगी:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लौह अयस्क की आपूर्ति हेतु लौह अयस्क आधारित उद्योगों के उद्यमियों द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन एम डी सी) से कितनी मांग की है तथा एन एम डी सी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में उन्हें कितनी मात्रा में लौह अयस्क की आपूर्ति की गई;

(ख) एन एम डी सी द्वारा उक्त अवधि के दौरान छततीसगढ़ की खानों से कितनी मात्रा में लौह अयस्क का खनन किया गया;

(ग) छत्तीसगढ़ के उद्योगों तथा देश के अन्य राज्यों को इसमें से कितनी मात्रा में अलग-अलग लौह अयस्क उपलबध कराया गया तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(घ) एन एम डी सी द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थित उद्योगों की लौह अयस्क की मांग पूरी न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त उद्योगों की लौह अयस्क की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) छत्तीसगढ़ राज्य से गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खनन किए गए लौह अयस्क की मात्रा और निर्यात हेतु तथा राज्य के भीतर और राज्य से बाहर विभिन्न घरेलू पार्टियों को प्रेषित की गई मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा: लाख टन)

		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
(क)	रिक्लेमेशन सहित उत्पादन	138	154	151	173
(ख)	निर्यात हेतु प्रेषित मात्रा	49	47	48	57
(ग)	राज्य से बाहर आपूर्ति की गई मात्रा	80	107	115	118
(घ)	राज्य के भीतर आपूर्ति की गई मात्रा	0.09	0.5	0.6	1.43

(घ) और (ङ) घरेलू और निर्यात, दोनों बाजारों में दीर्घावधि ग्राहकों की वचनबद्धता को पूरा करने के पश्चात लौह अयस्क की उपलब्ध मात्रा छत्तीसगढ़ राज्य की इकाइयों सहित अन्य पात्र इकाइयों को दी जाती है।

वर्ष 2003-04 के दौरान, छत्तीसगढ़ में स्थित स्पंज लोहा इकाइयों का 1.4 लाख टन मात्रा की पेशकश की गई थी किंतु अंततः उन्होंने केवल 65 हजार टन लौह अयस्क ही उठाया। वर्ष 2004-05 के दौरान, 5.6 लाख टन मात्रा की पेशकश की गई है, जिसकी तुलना में 1.43 लाख टन मात्रा का ही उठान हुआ है।

विवरण

(मात्रा: लाख टन)

क्र.सं.	पार्टी का नाम	2004-05		2003-04		2002-03		2001-02	
		मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1.	विशाखापत्तन इस्पात संयंत्र	64.0	60.03	63.0	57.97	58.0	54.84	52.2	50.88
2.	एस्सार	38.0	39.70	38.0	38.81	38.0	35.05	52.0	23.10
3.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	24.0	11.68	22.0	12.15	18.0	12.15	8.00	10.86
4.	विक्रम इस्पात	8.1	5.82	6.0	5.44	4.5	5.15	4.55	3.96
5.	स्पंज आयरन इंडिया लि.	0.06	0.06	0.05	0.0	0.3	0.18	1.0	0.59
6.	गोल्ड स्टार स्टील एंड एलॉय (इंडिया) लि.	0.5	0.21	0.5	0.14		0.28		0.59
7.	छत्तीसगढ़ आधारित स्पंज लोहा संयंत्र	75.0	1.43	2.4	0.65		0.59		0.09

[अनुवाद]

वृंदावन की पारिस्थितिकी

3551. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन (मथुरा) में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों को श्री बांके बिहारी मंदिर की पवित्र परिक्रमा के मार्ग में भीड़-भाड़ तथा गंदे वातावरण के कारण पारिस्थितिकीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं तथा प्रतिदन आने वाले श्रद्धालुओं की औसत संख्या के कोई आंकड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भीड़-भाड़ कम करने तथा स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) और (ख) वृंदावन के मुख्य क्षेत्र में बांके बिहारी मंदिर सहित 39 मुख्य मंदिर हैं। मार्गों की बदहाल स्थिति, अनियमित पार्किंग क्षेत्र और यातायात से तीर्थयात्रियों को परेशानी होती है। पेयजल की कमी, स्वच्छता का अभाव, घरेलू कचरे के ढेर से तीर्थयात्रियों की दिक्कतें अत्यधिक बढ़ रही हैं और इनसे परिक्रमा के मार्ग के आस-पास अस्वास्थ्यकर पर्यावरणीय स्थितियां होती हैं।

(ग) और (घ) वृंदावन शहर में हर रोज 10,000 से 25,000 तक पर्यटक आते हैं। जन्माष्टमी, राधाष्टमी और होली जैसे पर्वों के दौरान यह संख्या 10 लाख तक बढ़ जाती है।

(ङ) सरकार ने भीड़-भाड़ को कम करने और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात और परिवहन, रोपण कार्य और भू-दृश्य तैयार करने और जल-मल व निकासी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पर्यावरण में सुधार लाने के समग्र उद्देश्य सहित एक इको सिटी वृंदावन परियोजना।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के परामर्शदाताओं द्वारा वृंदावन के अभिज्ञात क्षेत्रों के लिए इको सिटी विकास योजना पर एक तकनीकी दस्तावेज तैयार किया गया है जिसमें सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों में व्यापक सुधार, गांधी पार्क, ब्रह्मकुंड का पुनरुद्धार/विकास, और बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र और परिक्रमा मार्ग के सुधार पर बल दिया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पशुपालन तथा मुर्गी-पालन योजनाएं

3552. श्री देविदास पिंगले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पिछले दो वर्षों के दौरान पशुपालन तथा मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग महाराष्ट्र में पशुपालन तथा कुक्कुट पालन से संबंधित बहुत सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का ब्यौरा तथा महाराष्ट्र को विगत दो वर्षों के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को जारी धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2003-04	2004-05
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना	860.00	0.00
2.	चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	8.44	46.53
3.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	0.00	150.00

1	2	3	4
4.	पशु रोग नियंत्रण	91.20	665.65
5.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	25.00	35.00
6.	व्यावसायिक दक्षता विकास	28.84	2.00
7.	खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	122.00	140.00
	कुल	1135.48	1039.18

कर्मचारी पेंशन योजना को बन्द करना

3553. श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अब तक उपलब्ध कर्मचारी पेंशन योजना को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे बंद करने के क्या कारण हैं तथा कर्मचारियों पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नकदी फसलों के अंतर्गत भूमि

3554. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री वी.के. तुम्मर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश के कई क्षेत्रों में किसानों ने बड़े पैमाने पर पारम्परिक फसलों की जगह नकदी फसलों पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत दस वर्षों के दौरान नकदी फसलों के अंतर्गत लाए गए भूमि क्षेत्र का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारत में किसान विशेष तौर पर सीमान्त एवं छोटे किसान, जो भारतीय कृषि समुदाय का 80% हैं, के खाद्य सुरक्षा कारणों से अपनी फसलन पद्धति में खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रमुख महत्ता देते हैं जिसमें अपेक्षाकृत कम जोखिम और सुगम मण्डी पहुंच भी शामिल है। तथापि, हाल के वर्षों में तिलहन के उत्पादन और क्षेत्र में अपेक्षाकृत अत्यधित वृद्धि परिलक्षित हुई है। 2000-01 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान तिलहनों के अर्न्गत अनुमानित क्षेत्र और उत्पादन में औसतन वार्षिक वृद्धि दर क्रमश: 2.50% और 8.55% थी। इसी समय 2000-01 से 2004-05 के दौरान चावल के अन्तर्गत अनुमानित क्षेत्र और उत्पादन में औसतन वार्षिक वृद्धि दर क्रमश: (-) 1.61 और 0.63% थी जबकि उसी अवधि के दौरान गेहूं के सहसंबंधी आंकड़े क्रमश: (-) 0.53% और (-) 0.32% थे।

(ख) और (ग) पिछले 10 वर्षों के दौरान नकदी फसलों के अन्तर्गत लाई गई भूमि क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि भूमि उपयोग सांख्यिकी के भाग के रूप में नकदी फसलों के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों से प्रकट होता है कि 1997-98 से 2001-02 के दौरान सकल फसलन क्षेत्र में नकदी फसलों का भाग 24 से 25% तक रहा। नकदी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1997-98 से 2001-02 तक की अवधि के लिए नकदी फसलों के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र

(हजार हैक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4642	5180	4789	4756	4626
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	31	35	34	35
3.	असम	850	848	853	836	834
4.	बिहार	548	559	537	444	442
5.	छत्तीसगढ़					
6.	गोआ	29	30	30	31	29
7.	गुजरात	5039	5180	5052	5073	5181
8.	हरियाणा	1395	1244	1151	1122	1346
9.	हिमाचल प्रदेश	31	29	29	28	30
10.	जम्मू-कश्मीर	71	74	79	76	81
11.	झारखण्ड					95
12.	कर्नाटक	4070	4327	3841	3848	3811
13.	केरल	1841	1838	1904	1911	1896
14.	मध्य प्रदेश	7155	7129	7009	6270	6387
15.	महाराष्ट्र	6410	6619	6772	6440	6273
16.	मणिपुर	11	15	12	13	12
17.	मेघालय	56	63	66	71	71
18.	मिजोरम	14	14	13	13	14
19.	नागालैण्ड	33	42	48	54	62
20.	उड़ीसा	1249	1231	1198	998	1178
21.	पंजाब	1008	1021	975	689	844
22.	राजस्थान	5620	5428	4622	3636	4417
23.	सिक्किम	39	28	31	35	39

1	2	3	4	5	6	7
24.	तमिलनाडु	2079	2117	2030	1958	1905
25.	त्रिपुरा	55	57	49	51	50
26.	उत्तरांचल					
27.	उत्तर प्रदेश				158	162
28.	पश्चिम बंगाल	3259	3619	3567	3509	3401
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1460	1419	1419	1588	1630
30.	चंडीगढ़	29	30	30	31	31
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	2	2	2	2	2
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0
34.	लक्ष्यद्वीप	5	4	3	2	3
35.	पाण्डिचेरी	3	3	3	3	3
	अखिल भारत	6	7	7	7	7
		47039	48185	46154	44076	45286

लीची का उत्पादन

3555. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में लीची का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) देश में राज्यवार इसकी खेती कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. के कारण आई चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट योजनाएं तैयार की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में लीची के क्षेत्र व उत्पादन संबंधी उपलब्ध राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) से (ङ) सरकार वृहद कृषि प्रबंधन कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसमें लीची सहित फलों का विकास भी एक घटक है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकार अपनी महसूस की गई जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार कार्यक्रम चला सकती है। नर्सरियों के माध्यम से उन्नत किस्मों की पैध समग्री के उत्पादन और वितरण, प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण तथा रोग पूर्वानुमान यूनिटों और पौध स्वास्थ्य क्लीनिकों हेतु अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता मुहैया कराई जा रही है ताकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर अच्छी गुणवत्ता के फलों के उत्पादन में सक्षमता प्राप्त की जा सके।

विवरण

भारत में लीची का क्षेत्र व उत्पादन

क्षेत्र (000' हे. में)
उत्पादन (000' टन में)

क्र.सं.	राज्य	2000-01		2001-02	
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1.	बिहार	25.3	303.3	27.7	221.7
2.	पश्चिम बंगाल	4.2	42.0	5.9	61.4
3.	असम	4.1	18.4	4.1	18.7
4.	पंजाब	1.2	11.5	1.2	11.6
5.	त्रिपुरा	1.6	9.8	1.7	9
6.	उत्तरांचल	8.9	8.8	8.8	7.5
7.	नागालैण्ड	0.8	4	0.8	4
8.	अन्य	7.5	15.1	8	22.3
	कुल	53.6	412	58.2	356.2

वेदान्त एल्यूमिना लिमिटेड द्वारा वन नियमों का उल्लंघन

3556. श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री जुएल ओराम:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेदान्त एल्यूमिना लिमिटेड ने उड़ीसा में लान्जीगढ़ में परियोजना स्थल पर वन संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे क्या राज्य में नियामगिरि पहाड़ियों की जैव विविधता नष्ट होने की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) से (ग) केन्द्र सरकार को मैसर्स वेदान्त एल्युमिना लिमिटेड द्वारा लांजीगढ़ तहसील, जिला कालाहान्डी में एल्युमिना रिफाइनरी स्थापित करने के लिए 58.943 हैक्टेयर वन भूमि का वानिकी मंजूरी का प्रस्ताव 19.10.2004 को उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय सरकार जब मामले की जांच कर रही थी तभी राज्य सरकार ने 28.3.2005 को यह स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव को वापिस ले लिया कि प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के लिए किसी वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, केन्द्रीय सरकार को हाल ही में लांजीगढ़ माइन्स, उड़ीसा मे बाक्साइट खनन के लिए उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि. के लिए कालाहान्डी (दक्षिण) वन डिवीजन और रायगढ़ वन डिवीजन में 660.749 हैक्टेयर वनभूमि का वानिकी मंजूरी का एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात भी आई है कि प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स वेदान्त लिमिटेड की एल्युमिना रिफाइनरी परियोजना से सम्बद्ध है। केन्द्रीय सरकार परियोजना के आस-पास की नदियों/जल निकायों और क्षेत्र में जनजाति निवासियों पर पड़ने वाले प्रभावों सहित सभी पहलुओं से सावधनीपूर्वक जांच कर रही है। इसके अलावा, वानिकी और पर्यावरण से सम्बंधित न्यायालयी मामलों में उच्चतम न्यायालय की सहायता कर रही केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति द्वारा भी इस मामले की जांच की जा रही है। केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति ने मंत्रालय को उच्चतम न्यायालय के निर्देश होने तक खनन परियोजना को वानिकी मंजूरी का कोई निर्णय न लिए जाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस आशय से संबंधित अपनी सहमति

की सूचना केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति को दे दी है। अभी तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत परियोजना को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

पारिस्थितिकी की बहाली

3557. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पारिस्थितिकी की बहाली हेतु क्रियान्वित की जा रही नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के कतिपय क्षेत्रों के पारिस्थितिकी की बहाली के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में अब तक और क्या कर्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 पारिस्थतिकीय अवक्रमण को रोकने तथा पारि-प्रणाली के पुनरुद्धार के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक/पारि-संवेदनशील घोषित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसकी प्राप्ति इस प्रकार के क्षेत्रों के पारिस्थितिकी विकास तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्योगों तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों के नियमन द्वारा की जाती है।

उपरोक्त उपायों के अलावा उन्नत वैज्ञानिक जानकारी, एकीकृत प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु उनकी प्रभावात्पादकता को जाने तथा समस्त भारतीय हिमालय क्षेत्र (आई.एच.आर.) में पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान) जी.बी.पी.आई.एच.ई.डी.) की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान ने भारतीय हिमालय क्षेत्र (आई. एच. आर.) में चुनिंदा क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय बहाली तथा जैव-विविधता संरक्षण के लिए अनेक अध्ययन कार्य शुरू किए हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अनुबंध में उल्लिखित स्थलों में उपयुक्त वृक्षों और अन्य फसलों की रोपाई तथा मृदा एवं जल संरक्षण उपायों के माध्यम से भी, पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार कार्य चल रहे हैं।

विवरण

जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान (जी. बी. पी. आई. एच. ई. डी.) द्वारा किए गए अध्ययनों सी सूची:

1. उत्तरांचल के अल्मोड़ा (मुनाओ, कटारमल गांव), बागेश्वर (आराह गांव, भेटागडा-गरूड़गंगा जल-विभाजक) तथा पौड़ी (डोभ-श्रीकोट गांव, डुगर गड जल-विभाजक) जिलों में पहचान किए गए गांवों में अवक्रमित भूमियों का पुनरुद्धार।
2. भीरी-बांसवाड़ा (चमोली जिला, उत्तरांचल) में परती भूमियों का पुनरुद्धार।
3. पर्वत जोखिम अभियांत्रिकी तकनीक के प्रयोग के माध्यम से अल्मोड़ा जिले में चुनिंदा भू-स्खलन स्थलों का पुनरुद्धार।
4. बद्रीनाथ पूजास्थल (उत्तरांचल में) पर धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रयोग से बद्रीवन का पुनरुद्धार।
5. कुमाऊं क्षेत्र (उत्तरांचल) के चिन्हित स्कूलों के कुछ स्कूल परिसरों में अवक्रमित भूमियों का पुनरुद्धार।
6. सिक्किम राज्य में ममले जल-विभाजक में अवक्रमित भूमियों का पुनरुद्धार।
7. हिमाचल प्रदेश में चक्कीनाल जल विभाजक में भूमियों का पुनरुद्धार।
8. मिढ़पु, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में अवक्रमित भूमि का पुनरुद्धार।

बेरोजगारी की दर

3558. श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के बाद विभिन्न राज्यों ने बेरोजगारी की वार्षिक बढ़ोतरी दर अलग-अलग दर्शाई है; और

(ग) यदि हां, तो रोजगार सृजन में बढ़ोतरी की वार्षिक दर क्या है और देश में बेरोजगारी की राज्य-वार दर क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी हां।

(ख) नई आर्थिक नीति के कार्यान्वयन से पूर्व एवं पश्चात् राज्य-दर-राज्य बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भिन्न रही है।

(ग) वर्तमान दैनिक स्थिति आधार पर प्रमुख राज्यों का वर्ष 1993-94 से 1999-2000 के दौरान रोजगार वृद्धि तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान बेरोजगारी दरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(वर्तमान दैनिक स्तर आधार पर)

चुनिंदा राज्य	1993-94 से 1999-2000 तक रोजगार वृद्धि (% प्रति वर्ष)	बेरोजगारी दर 1999-2000 (%)
आन्ध्र प्रदेश	0.35	8.03
असम	1.99	8.03
बिहार	1.59	7.32
गुजरात	2.31	4.55
हरियाणा	2.43	4.77
हिमाचल प्रदेश	0.37	2.96
कर्नाटक	1.43	4.57
केरल	0.07	20.97
मध्य प्रदेश	1.28	4.45
महाराष्ट्र	1.25	7.16
उड़ीसा	1.05	7.34
पंजाब	1.96	4.03
राजस्थान	0.73	3.13
तमिलनाडु	0.37	11.78
उत्तर प्रदेश	1.02	4.08
प. बंगाल	0.41	14.99
अखिल भारत	1.07	7.32

[हिन्दी]

पशुपालन विकास

3559. मोहम्मद शाहिद: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पशुपालन के विकास के लिए क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार पशुपालन के विकास हेतु राज्यों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान मांस उद्योग से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(च) इस क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में पुशपालन विकास के लिए क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग पशुपालन से संबंधित किसी योजना के तहत कोई राज्यवार आबंटन नहीं करता है। तथापि, राज्य सरकारों को निधियां, धनराशि की उपलब्धता तथा उनसे प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता के आधार पर जारी की जाती है। विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान योजनावार आबंटन दर्शाने वाला विवरण भी उक्त विवरण में दिया है।

(ङ) 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान मीट उद्योग से अर्जित कुल राजस्व राशि क्रमश: 1365.17 करोड़ तथा 1683.78 करोड़ रुपए है।

(च) मौजूदा योजनाओं को मानीटर करके तथा नई योजनाओं आदि को शामिल करके विभाग ने उक्त क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं। उक्त क्षेत्र के लिए विभाग का बजटीय आबंटन 2002-03 के 117.00 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005-06 में 341.45 करोड़ रुपए तक हो गया है।

विवरण

2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान योजनावार आवंटन

क्र.सं.	योजना का नाम	ब. प्रा. 2002-03	बं.प्रा. 2003-04	ब.प्रा. 2004-05	ब.प्रा. 2005-06
1.	राष्ट्रीय मेवपशु एवं पैस प्रजनन परियोजना कार्यक्रम	50.00	48.00	55.00	95.00
2.	आहार एवं चारा उत्पादन संवर्द्धन कार्यक्रम (नयी)	1.00	0.10	5.50	15.50
3.	आहार एवं चारा के लिए राज्यों को सहायता (पुरानी)	0.00	3.50	0.00	0.00
4.	राज्य कुक्कुट एवं बत्तख फार्मों को सहायता	5.00	5.00	8.67	12.00
5.	ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास (नयी)	0.00	0.00	0.00	23.00
6.	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का एकीकृत विकास (नयी)	0.00	0.00	0.00	20.00
7.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण	0.50	0.50	6.00	6.00
8.	सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	0.00	0.00	0.50	20.00
9.	पशुधन बीमा	0.00	0.00	0.00	50.00
10.	पशु रोग नियंत्रण	15.30	21.00	43.00	55.00
11.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	12.00	7.00	7.00	7.00
12.	व्यावसायिक दक्षता विकास	3.20	2.50	2.50	2.95
13.	खुरपका एवं मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	30.00	40.00	50.00	35.00
	कुल	117.00	127.60	178.17	341.45

अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु महाराष्ट्र की फसलें

3560. श्री बापू हरी चौरे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में कतिपय फसलों की पहचान की है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल

भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय मंडी के लिए अंगूर, अंगूरी शराब (ग्रेप वाइन), अल्फांसो आम, केसर आम, अनार (पोमेग्रेनेट), केला, संतरा, प्याज आदि जैसी फसलों की पहचान की है।

[अनुवाद]

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन

3561. **श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) वर्तमान में, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आनुवंशिक रूप से परिष्कृत तिलहनों का आयात

3562. **श्री एम.पी. वीरेंद्र कुमार:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य तेलों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आनुवंशिक रूप से परिष्कृत तिलहनों का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विशेषज्ञों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा देश में इन खाद्य पदार्थों के प्रवेश के बारे में संदेह प्रकट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) तिलहन का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित तिलहनों के आयात के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) देश में आनुवांशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थों के प्रवेश के बारे में कोई अभ्यावेदन अथवा आशंका आनुवांशिक इंजिनियरिंग अनुमोदन समिति को प्राप्त नहीं हुई है।

गन्ने तथा कपास का उत्पादन

3563. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-2004 तथ 2004-2005 के दौरान गन्ने तथा कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार दूसरे देशों से चीनी का आयात कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) गन्ने के अनुसंधान में हाल की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान गन्ने का उत्पादन क्रमश: 237.31 मिलियन टन और 234.67 मिलियन टन था। इन दो वर्षों के दौरान कपास का उत्पादन क्रमश: 138.66 लाख गांठें और 160.66 लाख गांठें प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम का।

(ख) और (ग) चीनी एक खुले सामान्य लाइसैंस के अन्तर्गत आने वाली जिन्स है और इसका आयात आयातकों के वाणिज्यिक विवेक के अनुसार मुक्त रूप से किया जा सकता है। तथापि, सरकार की मौजूदा निर्यात आयात नीति के अनुसार कच्ची चीनी सहित सभी जिन्सों का आयात वास्तविक उपयोगकत्ताओं द्वारा शुल्क मुक्ति पात्रता प्रमाणपत्र स्कीम के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम लाइसेंस लेकर किया जा सकता है, जिसके तहत ऐसे आयात पर शुल्क से छूट दे दी जाती है परन्तु निर्धारित अवधि में निर्यात वचनबद्धता को पूरा करने की शर्त रखी जाती है। वर्ष 2002-03 और 2003-04 में चीनी का उत्पादन क्रमश: 41.43 हजार टन और 50.65 हजार टन था।

(घ) गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि करने से संबंधित अनुसंधान कार्यनीतियां गन्ने से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत नियमित और

स्वैच्छिक अनुसंधान केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के सतत विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1995-96 में शुरू की गई और इसका कार्यान्वयन 21 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में किया गया। तथापि, अक्टूबर, 2000 से गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के सतत विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को अन्य 26 स्कीमों के साथ कृषि के वृहद प्रबंध प्रणाली के साथ मिला दिया गया है तथा इसमें प्रत्येक राज्य की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्ववयन के लिए राज्यों को और अधिक सुविधा प्रदान की गई है। इस स्कीम का मुख्य जोर फील्ड प्रदर्शन, कृषकों को प्रशिक्षण, कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, बीज उत्पादन बढ़ाने और कीटनाशक उपायों इत्यादि में वृद्धि के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी के अंतरण पर है।

(ङ) गन्ना अनुसंधान में हाल ही में हुए विकास कार्यकलाप निम्नवत हैं:

* गन्ना रातून में खरपतवार प्रबंधन के लिए समेकित दृष्टिकोण का विकास।
* गन्ने के रिंग/पिट रोपण का मशीनीकरण।
* गन्ने में स्टाक बोरर, इन्टर बोरर और शीघ्र शूट बोरर के जैव नियंत्रण के लिए त्रिकोड्स का विकास।
* बीज तथा रोपक और जीरो टिल रोपक का विकास।
* कीटों तथा रोगों को रोकने के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देना।

पेंशन योजना का विस्तार

3564. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में पेंशन केवल संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को ही दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी वर्गों के लोगों को पेंशन का लाभ देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत आने वाले लाभ सभी फैक्ट्रियों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं, जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू होता है अथवा धारा 1 की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) अथवा धारा 3 लागू होती हैं।

(ख) जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधान समाज के सभी वर्गों के लिए हैं जिनके बढ़ाए जाने संबंधी किसी भी प्रस्ताव का विचार नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन हेतु सात-सूत्री योजना

3565. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में सात-सूत्री योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु उचित महत्व दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) "अतिथि देवो भव" नामक एक अभियान-सामाजिक जागरूकता अभियान चरणबद्ध तरीके से पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह अभियान आतिथ्य एवं प्रशिक्षण का एक सात सूत्री कार्यक्रम है, जिसमें भारत के पर्यटन उद्योग के प्रमुख स्टेकहोल्डर्स को संवेदनशील बनाना, स्क्रीनिंग करना, शामिल करना, प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, प्रमाणीकरण करना तथा फीडबैक शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) अभियान का उद्देश्य, देश में कदम रखते ही विदेशी पर्यटकों को यह अनुभूति प्रदान करना है कि उनका स्वागत है और आप्रवासन एवं सीमाशुल्क पदाधिकारियों, टैक्सी ड्राइवरों, गाइडों, होटल कर्मचारियों, आदि द्वारा मैत्रीय एवं ध्यानपूर्वक तरीके से उनसे बर्ताव करना है।

उर्वरकों पर राजसहायता

3566. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन पर उर्वरक राजसहायता को समाप्त करने के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी नहीं

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली कपास की खेती

3567. **श्री काशीराम राणा:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली कपास की खेती करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार एक कपास अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) कपास की उन्नत किस्मों तथा संबंधित प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी किस प्रकार कपास उत्पादक किसानों तक पहुंचाई जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) के अधीन, 3 केन्द्रों के साथ केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सी आई सी आर), 22 केन्द्रों के साथ अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना (ए आई सी सी आई पी) और 7 केन्द्रों के साथ केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सिरकोट) देश में अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली कपास की किस्में और संकरों के वाणिज्यिक विमोचन के लिए अनुसंधान और परीक्षण करते हैं। इसके अलावा, कपास पर केन्द्रीयकृत प्रायोजित प्रौद्योगिकी मिशन आगे और केन्द्रीय कृषि तथा कपड़ा मंत्रालयों के जरिए कपास उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियों को सुदृढ़ करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्रों, किसानों के खेतों में अग्रपंक्ति प्रदर्शनों तथा किसानों को प्रशिक्षण देने के माध्यम से सूचना प्रदान की जाती है जिसके बाद राज्य प्रसार मशीनरी प्रसार के कार्य को करती है।

गन्ना पिराई क्षमता

3568. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी मिलों की राज्य-वार विद्यमान पिराई क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 2004-2005 के पिराई सीजन के दौरान कितने गन्ने की पिराई की गई;

(ग) क्या आगामी पिराई सीजन में सारे उत्पादित गन्ने की पिराई करने के लिए चीनी मिलों के पास पर्याप्त क्षमता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू सीजन के दौरान गन्ने की अनुमानित पैदावार कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चीनी मिलों की पिराई क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गन्ने की संस्थापित वार्षिक पेराई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 2004-2005 मौसम (01 अक्टूबर, 2004 से 30 सितम्बर, 2005) के दौरान चीनी मिलों द्वारा लगभग 1233.71 लाख टन गन्ने की अनुमानित पेराई करने की संभावना है।

(ग) से (ङ) वर्तमान मौसम के दौरान गन्ने की अनुमानित पैदावार लगभग 2418.18 लाख टन होगी। आगामी मौसम में पेराई क्षमता की पर्याप्तता गन्ने के उत्पादन और पेराई के लिए उपलब्ध की गई मात्रा पर निर्भर करेगी।

विवरण

देश में चीनी मिलों की गन्ने की संस्थापित वार्षिक पेराई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

(31.5.2005 को स्थिति के अनुसार)

गन्ने की वार्षिक पेराई क्षमता (लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1.	पंजाब	68.62
2.	हरियाणा	57.45
3.	राजस्थान	2.47
4.	उत्तर प्रदेश	481.56
5.	उत्तरांचल	44.02
6.	मध्य प्रदेश	16.80
7.	छत्तीसगढ़	2.42
8.	गुजरात	103.68
9.	महाराष्ट्र	637.98
10.	बिहार	53.93
11.	असम	2.35
12.	उड़ीसा	12.01
13.	पश्चिम बंगाल	0.85
14.	नागालैंड	0.77
15.	आंध्र प्रदेश	99.15
16.	कर्नाटक	141.77
17.	तमिलनाडु	166.77
18.	पांडिचेरी	4.40
19.	केरल	1.26
20.	गोवा	1.04
	कुल जोड़ सभी राज्य	1899.3

[अनुवाद]

गेल से सेल को एल एन जी की आपूर्ति

3569. श्री निखिल कुमार: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) के साथ अपने संयंत्रों के लिए एल एन जी की आपूर्ति हेतु समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेल के उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जहां गेल द्वारा एल एन जी प्रदान की जाएगी;

(घ) क्या सेल के संयंत्रों के लिए एल एन जी उपलब्ध कराई जाने से इस्पात के उत्पादन तथा मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, हां।

(ख) सेल ने इसके चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों को लगभग 3.563 एमएमएससीएमडी (मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए 10.02.2005 को गेल के साथ एक "करार शीर्ष" (एचओए), (समझौता ज्ञापन के समकक्ष) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एचओए में गेल के साथ अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए गैस बिक्री करार पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया गया है। प्राकृतिक गैस वर्ष 2007 के दौरान उपलब्ध होने की संभावना है।

(ग) गैस की आपूर्ति, सेल के बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों को की जाएगी।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक गैस का उपयोग शुरू करने से धमन भट्टियों में तप्त धातु की उत्पादकता में सुधार होगा। कम ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण पर्यावरण प्रबंधन में भी सुधार होगा। तथापि, इस्पात की लागत पर प्रभाव, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण पर निर्भर करेगा, जो वास्तविक गैस बिक्री करार को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही ज्ञात होगा।

असम में बोर्डिकोरई सिंचाई परियोजना

3570. श्री किरिप चालिहा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के सोनितपुर जिले में बोर्डिकोरई सिंचाई परियोजना बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के पुनर्निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार असम के सोनितपुर जिले में बोर्डिकोरई सिंचाई परियोजना जुलाई, 2004 में अचानक आई बाढ़ के दौरान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए 47.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत सहित पुनर्निर्माण कार्य के वास्ते एक प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया था। इसे स्वीकार कर लिया गया था और कार्य तत्काल शुरू किया गया था तथा 10 करोड़ रुपये की आबंटित राशि की तुलना में मार्च, 2005 तक पुनरुद्धार कार्य की प्रगति 25% थी।

केरल में औषधीय एवं सुगन्धित पौधों के लिए कृषि निर्यात जोन परियोजना

3571. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार द्वारा राज्य में औषधीय तथा सुगन्धित पौधों के लिए कृषि निर्यात जोन परियोजना को कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना में शामिल किए गए केरल के जिलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य में औषधिक और सुगन्धित पौधों के एक कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जेड) की स्थापना के प्रस्ताव को संचालन समिति ने 24.09.04 को ही अनुमोदित कर दिया था। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) और केरल राज्य सरकार के बीच 01.01.2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। प्रक्षेपित निवेश इस प्रकार है:

	लाख रु. में	% हिस्सा
केन्द्र सरकार की एजेन्सियां	988.15	37.65
राज्य सरकार की एजेन्सियां	785.00	29.91
निजी एजेन्सियां	851.00	32.43
कुल:	2624.15	99.00

(ग) सरकार द्वारा अधिसूचित जिले हैं: मल्लपुरम, पलक्कड़, थ्रिसूर, इड्डुकी, पठानमथिट्टा, कोलम, तिरूवन्तपुरम और एर्नाकुलम।

(घ) से (च) अपेडा, जो कृषि निर्यात जोन की एक नोडल एजेन्सी है, ने धन को स्वीकृत करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

[हिन्दी]

पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन

3572. श्री सज्जन कुमार: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, बंग्लादेश और भूटान के पर्यटन मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिसिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एण्ड टेक्नीकल कोआपरेशन) राउंड टेबल और वर्कशॉप फरवरी, 2005 में कोलकाता में आयोजित की गई थी, जिसमें बंग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाइलैंड और श्रीलंका, प्रत्येक ये पर्यटन मंत्रियों, अन्य संबंधित मंत्रियों, पर्यटन के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा पांच प्रमुख टूअर ऑपरेटरों को आमंत्रित किया गया था। इस राउंड टेबल की समाप्ति पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें क्षेत्र के भीतर और बाहर से इनबाउंड पर्यटकों के लिए एक कम्पोजिट डेस्टीनेशन के रूप में बिम्सटेक के संवर्धन के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर सहमति थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पार्कों में बाघों की स्थिति

3573. डा. सिबैस्टियन पॉल:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टाइगर रिजर्व के बाघ घातक रोग का शिकार हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इनकी संख्या कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो टाईगर रिजर्व के प्रबंधन और वन्यजीव विशेषज्ञों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ राष्ट्रीय पार्कों विशेषकर कान्हा राष्ट्रीय पार्क में बाघों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है और उनकी उचित देखभाल नहीं हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) हालांकि, कुछ बाघ रिजर्वों ने अपने पशुओं की चिकित्सा की स्थापना की हुई है, फिर भी जब कभी आवश्यकता होती है स्थानीय पशु चिकित्सा विभाग की सेवाएं ली जाती हैं।

(ग) बाघ रिजर्वों में बाघों को भोजन नहीं दिया जाता बल्कि वे अपना भोजन अपने वासस्थलों में शिकार के लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जानवरों से करते हैं। वन्यजीव प्रवासों का सुधार और उनका बचाव स्थल विशिष्ट प्रबंधन योजना पर आधारित वन्यजीव प्रबंधन के मुख्य घटक हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क से संबंधित कोई रिपोर्ट ध्यान में नहीं आई है जैसा कि दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमान्त किसानों पर ऋण भार

3574. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के निर्धन और सीमान्त किसानों पर ऋण का भार बढ़ता जा रहा है जबकि उनकी आय के स्रोत कम होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रया क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धन और सीमान्त किसानों की औसत आय और उन पर औसत ऋण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने किसानों के 10 हजार रुपए तक के ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण, 1991 के अनुसार किसानों पर ऋण का बोझ 1971 में 605 रुपये से बढ़कर 1991 में 2294 रुपये हो गया है। ऋण के बोझ तले दबे किसानों को संस्थागत तथा गैर-संस्थागत स्रोतों से रहत प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने 18 जून, 2004 को उपयों संबंधी एक पैकेज की घोषणा की है। इस घोषण के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं और ऐसे ही दिशा-निर्देश राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी) को भी जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित शामिल है: (1) ऋण की पुन:रचना करना तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को नये ऋण प्रदान करना; (2) छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए एकबारगी निपटान; (3) जिन किसानों के ऋणों का निपटान समझौते अथवा ऋण माफी के माध्यम से पहले ही कर लिया गया है, उन्हें पुनर्वित प्रदान करना, तथा (4) गैर-संस्थागत रूप से ऋण देने वाले साहूकारों के ऋण से ग्रस्त किसानों के लिए राहत उपाय।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) एकबारगी उपाय के रूप में भारत सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के किसानों के लिए खरीफ 2002 फसल पर प्रथम वर्ष के ब्याज की स्थगित देयता को पूर्णत: माफ करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

फसल बीमा राशि का भुगतान

3575. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों के किसान समुदाय से वर्ष 2002 की खरीफ और रबी की फसलों से संबंधित फसल बीमा राशि के भुगतान के संबंध में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2002 (खरीफ और रबी दोनों ही मौसमों के लिए) फसल बीमा दावे के भुगतान के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, कर्नाटक, उड़ीसा व गुजरात जैसे कुछ राज्यों में दावों के निपटान में थोड़ा विलम्ब जरूर हो गया था क्योंकि एकरेज कवरेज में हुई तेजी से वृद्धि, बुआई क्षेत्र के प्रमाण-पत्र, फसल ऋण की शिपिंटग, संशोधित उद्घोषणाओं को अपनाने आदि के कारण पैदा हुई कई विसंगतियों को दूर करना पड़ा था। एक बाहरी एजेन्सी -एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन लि. के निष्कर्षों के आधार पर इन राज्यों के अनुज्ञेय दावों का निपटान किया गया।

वर्तमान फसल बीमा योजनाओं में आवश्यक सुधार पर अध्ययन करने के लिए गठित किये गये एक संयुक्त दल ने अन्य बातों के साथ-साथ दावों के समय पर निपटान किये जाने से सम्बन्धित मुद्दों पर भी विचार किया है। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार दल की सिफारिशों पर विभिन्न 'स्टेक होल्डरों' से परामर्श कर रही है।

उर्वरक संयंत्रों के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया जाना

3576. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक संयंत्रों में कब से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की गई है;

(ख) आज की तिथि तक संयंत्रवार और राज्वार कितने कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई है; और

(ग) आज की तिथि तक कर्मचारियों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ग) उर्वरक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष जिससे स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना लागू हुई	आज की तारीख तक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या	स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारियों को दी गई कुल राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1989	महाराष्ट्र-716	22.28
2.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	1988	झारखण्ड-468 उत्तर प्रदेश-589 आन्ध्र प्रदेश-199 उड़ीसा-105 छत्तीसगढ़-21 अन्य-316 कुल-1698	39.20

1	2	3	4	5
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2001	पंजाब-536 हरियाणा-223 मध्य प्रदेश-45 अन्य-122 कुल-926	50.12
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1983	तमिलनाडु-578	30.12
5.	प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेन्ट इण्डिया लिमिटेड	1989	बिहार/झारखण्ड-1507 उत्तर प्रदेश-117 गुजरात-52 पश्चिम बंगाल-48 महाराष्ट्र-15 तमिलनाडु-13 कुल-1752	104.46
6.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	1989	असम-439 बिहार-267 पश्चिम बंगाल-1152 उत्तर प्रदेश-61 कुल-1919	46.20
7.	फाइराइट्स फॉस्फेटस एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1988-89	बिहार-720 उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल-284 राजस्थान-59 अन्य-84 कुल-1147	19.17
8.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	1989	केरल-1750	62.73

भोजन की उपलब्धता

3577. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अधिसंख्य परिवारों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भोजन संबंधी प्रति व्यक्ति व्यय में गिरावट का रूझान दिखाई देता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए 59वें दौर (जनवरी-दिसम्बर, 2003) के सर्वेक्षण के अनुसार अनाज, चना, दलहन, दूध और दूध उत्पाद आदि सहित खाद्य संबंधी उपभोग की प्रति व्यक्ति औसत कीमत, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 1987-88 में 100.82 रुपये थी, बढ़कर 299.86 रुपये हो गई है तथा शहरी क्षेत्रों में 139.73 रुपये से बढ़कर 429.12 रुपये हो गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन का विकास

3578. प्रो. एम. रामदास:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यटन के विकास से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी कमियों के कारणों का पता लगाया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अब भी सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की हिस्सेदारी में भारत का 140वां स्थान है;

(घ) यदि हां, तो भारत में पर्यटन के विका में कौन-कौन सी बाधाएं हैं; और

(ङ) पर्यटन विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) 2003 के दौरान विश्व भर में कुल पर्यटक आगमानों में 1.2 प्रतिशत की कमी की तुलना में भारत ने विदेशी पर्यटक आगमन में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। इसी प्रकार, 2004 के दौरान विश्वभर में मात्र 10 प्रतिशत की तुलना में भारत के लिए विदेशी पर्यटक आगमानों में भारत ने लगभग 24 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हासिल की। डॉलर के मामले में पर्यटन से आय में भी 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) वर्ल्ड ट्रेवल एण्ड टूरिज्म काउंसिल द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार विश्वभर में 10.4 प्रतिशत की तुलना में 2004 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में भारत के पर्यटन एवं यात्रा का योगदान 4.9 प्रतिशत था।

(घ) पर्यटन क्षेत्र के समक्ष मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक बाधाएं, हवाई सीट क्षमता की कमी, ऊंचे हवाई किराए, होटल आवास की कमी और ऊंचे होटल शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा भारत में प्रवेश की सुविधा, करों की बहुलता और उच्च स्तर, राज्य सरकारों की प्रतिबंधित भूमि उपयोग नीतियां, आदि हैं।

(ङ) पर्यटन विकास में निजी क्षेत्र निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा बजट होटल आवास की स्थापना हेतु होटल मालिकों को पूंजी अनुदान देना; विदेशी मुद्रा में प्राप्त लाभों पर आयकर में विशेष छूट प्रदान करना; पहाड़ी/ग्रामीण क्षेत्रों या तीर्थस्थानों में स्थित होटलों के लिए व्यय कर को आस्थगित करना; विदेशी पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष खाद्य सामग्रियों पर आयात शुल्क में कटौती करना; होटल की शुरूआती स्थापना अथवा पर्याप्त विस्तार हेतु अपेक्षित विशिष्ट सामग्रियों पर सीमा शुल्क में कटौती; पर्यटन को एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्रदान करना; 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आदि जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास योजना

3579. श्री अजीत जोगी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में चल रही केन्द्र प्रायोजित डेयरी विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य में उक्त अवधि के दौरान डेयरी उत्पादों में कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भारत सरकार देश के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। इस समय छत्तीसगढ़ राज्य में दो परियोजनाएं काम कर रही हैं। इस परियोजनाओं को 1549.79 लाख रुपए के परिव्यय से वित्तीय वर्ष 2001-02 में स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार ने इस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2001-02 के दौरान 379.20 लाख रुपए की राशि जारी की है। राज्य सरकार केवल 7.12 लाख रुपए का ही इस्तेमाल कर सकी है, जैसाकि उन्होंने बताया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों के लिए विशेष पैकेज

3580. श्री जुएल ओराम:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों की दयनीय स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उड़ीसा के सिमलीपोल राष्ट्रीय उद्यान को ऐसा पैकेज देने पर विचार किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) और (ख) राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबन्धन राज्य/संघ शासित सरकारों की जिम्मेदारी है। जब कभी अनुरोध किया जाता है भारत सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। तथापि, केवलादेव और सरिस्का जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रीय कर्मचारियों तथा अवसंरचना आदि की कमी के कारण वन्यजीवों के पर्यावास बिगड़ने तथा अपर्याप्त सुरक्षा के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं।

(ग) और (घ) 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' नामक केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को उनकी अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रचालन की वार्षिक योजना के आधार पर निधियां उपलब्ध होने पर आवश्यक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के लिए ऐसे किसी प्रकार के विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) राष्ट्रीय उद्यानों में गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन्यजीवों के शिकार और वाणिज्यिक विदोहन के संबंध में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्यजीवों की कई विरल और संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की अनुसूचियों में शामिल किया गया है इससे उन्हें अधिकतम सुरक्षा मिली है।

(3) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 का संशोधन करके उसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराध के मामलों में सजा बढ़ाई गई है। इस अधिनियम में ऐसे किसी भी उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का प्रावधान है जिसका इस्तेमाल वन्यजीव अपराध को करने के लिए किया गया हो।

(4) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्तियां प्रदान की गई है।

(5) वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

(6) वन्यजीवों की प्रभावी सुरक्षा के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(7) भारत सरकार, जैव विविधता संरक्षण और वन्य वनसंपतजात और प्राणिजात के अवैध व्यापार के नियंत्रण से सम्बन्धित कई अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशनों की हस्ताक्षरकर्त्ता है।

नेशनल वेटेरिनरी बायोलॉजीकल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल सेंटर

3581. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल वेटेरिनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में केन्द्र के स्थापना कार्य की क्या स्थिति है और इसको स्थापित किए जाने की निर्धारित तिथि क्या है; और

(ग) प्रयोगशाला में टीके का परीक्षण कब तक शुरू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रयोगशाला का निर्माण कार्य पूरी तरह से चल रहा है। इसकी स्थापना की लक्ष्य तारीख 2006-07 है और टीके का परीक्षण तत्काल शुरू हो जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विदेशों के साथ करार

3582. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पर्यटन मंत्री** पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विदेशों के साथ करार के बारे में 16.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4081 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 देशों के साथ पर्यटन सहयोग करार की जांच प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में लोनार स्थित क्रेटर और झील का विकास

3583. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के लोनार में स्थित क्रेटर विश्व के सबसे बड़े पांच क्रेटरों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र के लोनार में इस क्रटर और झील को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाल ही में राज्य सरकार से लोनार क्रेटर और झील के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 1998-99 के दौरान लोनार क्रेटर, बुलढाना में सुविधाओं के सुधार हेतु 49.82 लाख रुपयों की लागत की एक परियोजना स्वीकृत की थी। परियोजना अब पूरी हो गई है। इसके अलावा, लोनार क्रेटर के संरक्षण और विकास हेतु एक परियोजना प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है जिसे जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल कोआपरेशन द्वारा निधिकृत अजंता एलौरा विकास कार्यक्रम चरण-2 परियोजना में शामिल किया गया है।

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य के पक्ष में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 1620.69 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

[हिन्दी]

श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं हेतु धनराशि

3584. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई धनराशि का योजना-वार व्यय नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रमिक कल्याण की योजनाओं के लिए पूरी धनराशि को जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या श्रम और रोजगार मंत्रालय उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को धनराशि का वितरण कर चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनका व्यय बजटीय आबंटन से कम है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (च) वर्तमान में, राज्य सरकारों को केन्द्र प्रायोजित दो योजना स्कीमों अर्थात् (1) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में नए आई. टी. आई. की स्थापना, तथा (2) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के अंतर्गत निधियां निर्गत की जा रही हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के लिए राज्यों को आबंटन, वास्तविक निर्गतराशि तथा इनके उपयोग में कमी/अधिकता के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं। राज्यों को आबंटन और वास्तविक निर्गत राशि में अंतर इस वजह से है कि इन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष के दौरान निधियों की अपेक्षा व्यय की गति को ध्यान में रखकर धनराशि जारी की जाती है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राज्यों के लिए बजटीय आबंटन और निर्गत निधियां

(1) पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर में नए आई टी आई की स्थापना

(क) बजटीय आबंटन

(रुपये लाखों में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के लिए वास्तविक व्यय का प्रतिशत	गिरावट/अधिकता का प्रतिशत
2002-03	1700.00	1250.00	1149.34	91.95	(-)8.05
2003-04	1700.00	1500.00	1497.08	99.81	(-)0.19
2004-05	1810.00	1700.00	1559.21	91.72	(-)8.28

(ख) राज्य सरकारों को जारी निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
अरुणाचल प्रदेश	114.75	11.38	132.62
असम	360.49	584.77	437.63
मणिपुर	132.80	112.84	294.34
मेघालय	52.12	18.75	33.05
मिजोरम	135.18	125.77	151.82
नागालैंड	152.15	438.41	164.49
त्रिपुरा	184.39	193.92	331.97
सिक्किम	17.46	11.24	13.09
कुल	1149.34	1497.08	1559.21

(2) बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

(क) बजटीय आबंटन

(लाख रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के वास्तविक व्यय का प्रतिशत	गिरावट/अधिकता का प्रतिशत
2002-03	200.00	278.00	344.81	124.03	(+)2403
2003-04	300.00	250.00	269.91	107.96	(+)7.96
2004-05	300.00	200.00	99.96	49.98	(-)50.02

(ख) राज्य सरकारों को जारी निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपये में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
महाराष्ट्र	0.50	24.00	-
पंजाब	6.90	-	-
कर्नाटक	185.40	-	6.40
छत्तीसगढ़	44.40	-	-
हरियाणा	0.11	-	-
बिहार	24.50	31.40	28.10
झारखंड	24.00	-	19.60
मध्य प्रदेश	25.00	-	16.91
अरुणाचल प्रदेश	8.00	-	-
उत्तरांचल	26.00	0.50	-
उत्तर प्रदेश	-	39.80	4.05
आंध्र प्रदेश	-	169.90	-
उड़ीसा	-	3.31	1.90
राजस्थान	-	1.00	-
मणिपुर	-	-	5.00
दिल्ली	-	-	18.00
कुल	344.81	269.91	99.96

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश की लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

3585. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के पास आंध्र प्रदेश की पुलिचिन्तला, पुशकरन (पोलावटन) एल.आई. गुण्डाकमना, अलीगर गुप्ता एल.आई. योजना, वेल्लीगल्लू, मल्हादिवागू, रलीवागू और पेड्डावागु मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी हेतु लम्बित हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है और प्रत्येक परियोजना की कुल लागत कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) तीन परियोजनाओं नामत: पुलिचिन्तला, वेलीगल्लू, और पेड्डावगु को जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकार कर लिया है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इन टिप्पणियों के संतोषजनक अनुपालन के पश्चात ही योजना आयोग द्वारा इन तीनों परियोजनाओं की निवेश स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। दो परियोजनाओं नामत: रलीवागू और मथाडिवागू के संबंध में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति के लिए विचार किए जाने से पहले इन परियोजनाओं के लिए गोदावरी जल विवाद अभिकरण के पंचाट की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार को जल की उपलब्धता और इनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करनी होगी । उपर्युक्त पांच परियोजनाओं की लागत संलग्न विवरण में दी गई है। तीन परियोजनाओं नामत: पुशकारा, अलीसागर और गुत्पा जो कि लिफ्ट सिंचाई स्कीमें हैं, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इन तीनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत को इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित अंतिम रूप दिया जाना है। चूंकि गुण्डलाकम्मा सिंचाई परियोजना का अन्तर्राजीय विस्तार नहीं है, अत: इसकी लागत को अन्तिम रूप देने के वास्ते इस परियोजना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

इन परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरण की टिप्पणियों की अनुपालना में राज्य सरकार की तत्परता पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र.सं.	नाम	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)
1.	रल्लीवागु	26.75
2.	माथादिवागु	26.44
3.	पुलीचिंतला	506.20
4.	वलिगल्लू	143.67
5.	पेड्डावागू	202.60
	कुल:	905.66

[हिन्दी]

जोधपुर के शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान का कार्य निष्पादन

3586. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जोधपुर स्थित शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से कोई सरोकार नहीं है और इसकी उपलब्धियां संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संस्थान द्वारा अपनी स्थापना के बाद से किए गए अनुसंधान का ब्यौरा क्या है और इस अनुसंधान कार्य से राज्य की समस्याएं कहा तक हल हो पाई हैं;

(घ) क्या इस संस्थान में प्रशासनिक खामियों, आर्थिक अनियमिततओं और भ्रष्टाचार संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कर्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामो नारायन मीना): (क) शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान (ए एफ आर आई), जोधपुर की स्थापना, राजस्थान, गुजरात और दादर एवं नगर हवेली के गर्म, शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में जैव-उत्पादकता में

वृद्धि, वनस्पति क्षेत्र में वृद्धि और जैव-विविधता संरक्षण हेतु प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान कार्य करने के लिए की गई थी। 1988 में इसको शुरूआत से, ए एफ आर आई ने वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान सलाहकार ग्रुप द्वारा जिसमें विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधि शामिल हैं जैसे संबंधित राज्य के वन विभाग, विश्वविद्यालय, वन आधारित उद्योग, किसान, गैर-सरकारी संगठनों ने अपेक्षित अनुसंधान कार्य किए हैं और सरकार संस्थान की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ए एफ आर आई की प्रमुख अनुसंधान गतिविधियों, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिली है, विवरण में दी गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ए.एफ.आर.आई, जोधपुर की उपलब्धियां

- व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर जोधपुर जिले के ओरान तथा गोचर्स (क्षेत्र, अतिक्रमण, अवक्रमण आदि) कल स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा इन साझा सम्पत्ति स्रोतों के पुन: स्थापना के लिए उचित कार्य नीतियां तैयार की गई थीं।
- स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर क्षेत्र की लघु जलवायु में सुधार के लिए जोधपुर शहर में शहरी सौन्दर्यपरक वनीकरण मॉडल विकसित किया गया था।
- 150 महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के साथ औषधीय पौध जर्म प्लाजम बैंक स्थापित किया गया है। पौधों की पहचान, जीन पूल के संरक्षण, शिक्षा प्रदान करने तथा लोक जागरूकता के उद्देश्य से अर्बोरेटम भी स्थापित किया जा रहा है तथा 83 पौध प्रजातियां पहले ही रोपी जा चुकी हैं।
- व्यापार किए गए पौधों की संख्या तथा उनकी मात्रा के मूल्यांकन के लिए राजस्थान में औषधीय पौधों का व्यापार कर रहे 350 से अधिक व्यापारियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। केसिया अंगुस्टीफोलिया के लिए रोपाई पद्धति विकसित की जा चुकी है तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के संबंध में इस पर कार्य चल रहा है।
- शीशम, खेजड़ी, रोहिडा, बबूल, नीम, कैर तथा पिलू जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियों के लिए बीज जांच तथा भंडारण प्रोटोकाल विकसित किया गया है।
- गुणवत्ता वाली नर्सरी पौध उगाने के लिए एक हाई-टेक नर्सरी स्थापित की गई है। पोटिंग मीडिया तथा रूट ट्रेनर्स के साइज का मानकीकरण किया गया है। कृषि भूमियों तथा गैर-कृषि भूमियों पर रोपण के लिए किसानों तथा इसमें रुचि रखने वाले अन्य समूहों को पौध वितरित की गई है।
- वृक्ष की बेहतर बढ़ोत्तरी तथा सतत चारा उपज के लिए प्रोसोपिस सिनेरेरिया और आइलांथस एक्सेलसा के लिए कांट-कांट प्रबंधन निर्धारित किया गया।
- राजस्थान एवं गुजरात राज्य वन विभागों द्वारा किए गए अनुरोध पर पकी हुई फसल को काटने तथा सतत प्रबंधन के लिए आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में डलबेरगिया सिसू तथा यूकेलिप्टस कमालडूलेन्सिस के लिए वोल्यूम टेबल तैयार किया गया तथा बढ़ोत्तरी एवं उपज मॉडल विकसित किया गया।
- अनुसंधानकर्ताओं तथा उन द्वारा उत्पन्न सूचना के प्रयोगकर्ताओं के मध्य संचार तथा अंत:क्रिया प्राय: अपर्याप्त होती है। इस कमी के महत्व को देखते हुए मूल्यांकन तकनीकों, आनुवांशिक सुधार, बहु उद्देशीय वृक्षों की मॉडलिंग तथा प्रबंधन और ए.एफ.आर.आई. द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के अंतिम प्रयोगकर्ताओं तक अन्तरित करने के मूल्यांकन की स्थिति के आकलन के लिए विश्व भर से वैज्ञानिकों, वनपालों तथा अन्य सभी स्टेकहोल्डरों को एकत्र करने के उद्देश्य से बहु उद्देश्यीय वृक्षों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- जल भराव परिस्थितियों में किसी पौधा प्रजाति की उत्तरजीविता में बढ़ोत्तरी के लिए डबल रिज माउंड तथा सर्कुलर डिश्ड माउंड प्लांटिंग तकनीकों को अंगीकार करके राजस्थान के किसी बंजर अवक्रमित लवण प्रभावित शुष्क क्षेत्र के लिए विकसित प्रौद्योगिकी। यह कार्य भारत वर्ष में प्रथम बार शुरू किया गया है।
- इमारती लकड़ी की तीन प्रजातियों, जिनके बारे में कम जानकारी थी अर्थात् प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा, अकोसिया टोरटिलिस एंड प्रोसोपित सिनेरेरिया का सी. सी. ए. +

क्लोरोपाइरोफोस के साथ शोधन किया गया। स्थानीय हथकरघा उद्योगों तथा स्थानीय लोगों द्वारा लागत प्रभावी उपयोग के लिए सोफा-सैट, उपयोगिता बॉक्स, मोमबत्ती स्टैंड, पेंसिल/पेन स्टैंड जैसी हथकरघा वस्तुओं जैसे कीमती उत्पाद तैयार किए गए।

- विभिन्न अकाल भोजन (सामान्यत: भोजन के तौर पर प्रयोग न किए जाने वाले) में कच्चे प्रोटीन की मात्रा अभिज्ञात की गई, खेजड़ी छाल, बुई पत्ते तथा कुमट बीज में अकाल के समय में उनकी उपयोगिता दर्शाते हुए कच्चे प्रोटीन की मात्रा क्रमश: 23, 32 तथा 36 पाई गई।

- ग्यारह महत्वपूर्ण वानिकी वृक्ष प्रजातियों का पत्ता प्रोटीन सांद्रण तैयार करने के लिए (विशेषकर नीम तथा मोरिंगा) विधि विकसित की गई।

- उन्नत चारा उत्पादन के लिए नागौरा, रोहट (पाली), तुलेसर और ऑस्ट्रान (जोधपुर) में परीक्षण में विभिन्न स्पेसिंग्स में जिजीफस मोरीसियाना (वृक्ष) और सेन्चस सिलिरस (घास) पर आधारित विभिन्न वन चारागाह मॉडल विकसित किए गए और ग्रामवासियों लिए उनका प्रदर्शन किया गया।

- स्थानीय लोगों की मंग को पूरा करने के अधिकाधिक उत्पादकता हेतु ऐल्नथस, एकशिया, नीम, रोहिडा और दलबेरिगिआ (शीशम) जैसे चारा और इमारती लकड़ी की प्रजातियों के वृक्षों के सुधार के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण किए।

- अधिक तेल और अजाडिरटिन मात्रा के लिए नीम वृक्षों की पहचान की गई और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्राचलों पर उनका अध्ययन किया गया।

- लोगों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न देशों में आई एप एन परीक्षणों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नीम नेटवर्क पर सम्मेलन अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्योन्यक्रिया के रूप में आयोजित किया गए।

- राजस्थान के विभिन्न भागों से रोहिडा की 38 सी पी टी की पहचान की गई है और यह हेरिटेबिलिटी स्थापित करने की प्रकिया में है।

- राजस्थान और गुजरात राज्यों में शीशम, युकेलिप्टस और बबूल के संबंध में वृक्ष सुधार कार्यक्रम के लिए 263 सी पी टी, 186 हेक्टेयर सीड स्टैंड और 29 हेक्टेयर क्लोनल सीड ऑर्चड और 55 हेक्टेयर सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड चुने गए।

- नीम, ऐल्नथस और बबूल टिशु क्लचर प्रोटोकॉल स्थापित किए गए।

- यू एन डी पी परियोजना के अंतर्गत (वानिकी अनुसंधान और शिक्षा को सुदृढ़ व विकसित बनाना) 1992 से 2000 तक जोधपुर जिले और ए एफ आर आई जोधपुर के 10 अंगीकृत गांवों (दिओलिआ, बिशनोई की ढानी, जलेई फौजदरन, जलेई चंपावतन, जलेई अहिन्या, कुरी भगतसनी, सन्गरिया, डांड की ढानी, मेलन की ढानी, बिचली ढानी) को चुना गया और रोपण तकनीकों पर प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया जिसमें 5000 किसानों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिला। 60 किसानों को राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में अध्ययन दौरे पर ले जाया गया।

- क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और जीवन रक्षक तंत्रों, जल विभाजक प्रबंधन इत्यादि के विकास और सतत प्रबंधन पर किसानों, ग्रामीण निर्धनों, पंचायत राज संस्थान के कार्यकर्ताओं, वन क्षेत्र के स्टाफ को पारिस्थतिकी तौर पर सुग्राही बनाया गया।

- स्थानीय लोगों को वृक्षों की भूमिका, वन्यजीव और जैवविविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी आयोजित किए गए।

- दिल्ली सेन्ट्रल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए डेजर्ट लर्निंग कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- नागौर, सीकर, चुरू और झुंझनु में खेजड़ी की मर्त्यता पर एक परियोजना आरंभ की गई और कुछ जैविक और अजैविक का पता लगाया गया। सुझाए गए उपचारी उपाय हैं (1) वृक्षों की पुन: बहाली के लिए एक वर्ष छोड़कर खेजरी वृक्षों की कांट-छांट सुझाया गया (2) कांट-छांट किए गए भागों को एफरी पेस्ट से चिपकाया/उपचार किया जाएगा ताकि फन्गल/बोरर इन्फेसटेशन का पता लगाया जा सके।

- आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों/कीटों के उपचारी उपायों की संस्तुतियों सहित नर्सरियों और रोपणों में महत्वपूर्ण शुष्क क्षेत्र के वृक्ष प्रजातियों के पेस्ट और रोग स्पेक्ट्रम तैयार किए गए।

- पश्चिम बंगाल (मुक्त) परियोजना के अंतर्गत शुष्क क्षेत्र के वृक्ष प्रजातियों पर बायों-फर्टिलाइजर परियोजना आरंभ की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत, उपयोकर्ता अभिकरणों की आवश्यकतानुसार मास इनोक्युलम प्रोडक्शन वी ए एम फन्गी और अन्य बॉयो फर्टिलाइजर्स लिए गए।

- रोहिडा डिफोलियेटर और कुछ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पेथोजन्स की तुलना में शुष्क वृक्षों की प्रजातियों जैसी नीम, केर, आक और अन्जन की बायोस्टीसिडल क्षमता का परीक्षण किया गया।

- स्व-स्थाने जल संग्रह ढांचा (माइक्रो कैचमेंट) जैसे रिंग-पिट, खाई और टीला, सोसर विकास। रिंग पिट और खाई एवं टीला उत्तम परिणाम देते हैं।

- वृक्ष प्रजातियों और सतही वनस्पति दोनों का उपयोग करते हुए रेत के टीलों का स्थिरीकरण अर्थात रेत के बहाव के प्रभावी नियंत्रण के लिए कासिया एन्गुस्टिफोलिया और सेन्चरस एग्जिलियरी औषधीय जड़ी-बूटी घासों का विकास किया गया है।

- प्रोसोपिस सिनेरारिया (खेजड़ी) और टेकोमेला अन्डूलाता (मारवार टीक) आधारित कृषि वानिकी मॉडलों का विकास किया गया है। शुष्क क्षेत्र में कृषि वानिकी तंत्र के संपूर्ण उत्पादन को अधिकतम करने के लिए विभिन्न आयु और श्रेणी की कृषीय फसलों की अधिकाधिक वृक्ष सघनता तैयार की गई है।

- शुष्क रेतीले समतल भाग में अकेशिया निलोटिका, डेलबर्गिया सिस्यू और यूकेलिप्टस, केमलडुलेंसिस द्वारा जल उपयोग सामर्थ्य सिंचाई स्तरों, सिंचाई अंतरालों और पोषक-निकास का ब्यौरा तैयार किया गया है।

- उपयुक्त संशोधन तकनीकों के उपयोग द्वारा औद्योगिकी बस्त्रिावों और नागर मलजल का उपयोग करके वृक्षारोपण की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है।

- आई जी एन पी में अत्यधित उपजाऊ जला-क्रांत (वॉटर-लाग्ड)/लवण क्षेत्र के सुधार के लिए बायो-ड्रेनिंग और ट्रांसपायरेशनल लॉस से संबंधित परियोजना।

[अनुवाद]

वेयरहाउस विकास और विनियमन

3587. श्री पी. करूणाकरन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव वेयरहाउस प्राप्तियों पर आधारित उधार देने और वस्तु व्युत्पन्न संव्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए वेयरहाउस के विकास और विनियमन के लिए किसी विधान को लाने का है; और

(ख) यदिह हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) सरकार का भांडागारों का विकास तथा विनियमन करने और भांडागार रसीद को एक पूर्ण निगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि हो सके तथा वस्तुओं के वैज्ञानिक भांडागारण को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रस्तावित अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए एक भांडागारण विनियमन और विकास प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

औषधियों के मूल्यों का अनुवीक्षण

3588. श्री अधीर चौधरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औषधियों के मूल्यों के अनुवीक्षण के लिए अधिकतम मूल्य के मानकों में बदलाव के संबंध में लिए गए नीतिगत निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) नियंत्रित और नियंत्रणमुक्त श्रेणी की उन औषधियों का ब्यौरा क्या है जिनकी कुल बिक्री प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए है;

(ग) क्या आर्गनाइजेशनल रिसर्च ग्रुप जेनेटिक औषधियों की बिक्री का अनुवीक्षण नहीं करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) औषधियों के एक्स-फैक्ट्री क्लियरेंस मूल्य, थोक मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुवीक्षण के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (ङ) सरकार ने विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का गठन किया है जिसे औषधों के मूल्य निर्धारण/संशोधन और विनियंत्रित औषधों के मूल्यों की मानीटरिंग जैसे अन्य संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। प्राधिकरण को इसे सौंपे गए कार्यों के

निष्पादन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया के विनियमन का अधिकार है। विनियंत्रित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मानीटरिंग हेतु प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के बारे में प्राधिकरण में समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं और इनका ओ आर जी-आई एम एस रिसर्च प्रा. लि. की मासिक खुदरा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर समग्र फार्मा बाजार की मानीटरिंग के लिए एकसमान रूप से पालन किया जाता है। इस रिपोर्ट में लगभग 30,000 फार्मूलेशन पैकों को कवर किया जाता है जिसमें से लगभग 4500 फार्मूलेशन पैकों की 1 करोड़ रु. से अधिक मूविंग वार्षिक कारोबारी कीमत है। उक्त रिपोर्ट में देश की प्रमुख कंपनियों द्वारा विनिर्मित जेनरिक तथा ब्रांड वाली दोनों औषध निहित हैं। राजस्व विभाग की दिनांक 23.2.2005 की अधिसूचना सं. 4/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन टी) के साथ पठित दिनांक 7.1.2005 की अधिसूचना सं. 2/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन टी) के माध्यम से औषधियों के खुदरा मूल्यों के 60% पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। कारखाना-बाह्य मूल्य के बारे में अन्य कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

संकटापन्न वनस्पतियों और वन्य जीव प्रजातियों का संरक्षण

3589. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वनस्पतियों और वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए विश्व व्यापार करारों के उचित उपबंधों के अनुसार समुचित व्यवस्था करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। आयात-निर्यात नीति (2004-2009) में जंगली वनस्पति जात तथा प्राणिजात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन तथा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुरूप संकटग्रस्त प्रजातियों के निर्यात की मनाही तथा प्रतिबंध के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया गया है। आयात-निर्यात नीति 2004-2009 इन ब्यौरों का उल्लेख करती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम को प्रतिपूर्ति

3590. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्य संबंधी क्रियाकलापों हेतु प्रतिपूर्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिपूर्ति किस आधार पर की जाती है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई राजसहायता का वर्षवार और मदवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत खरीद के लिए राज्य सरकारों को राजसहायता प्रदान की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अदा की गई राजसहायता का राज्यवार, वर्षवार और खाद्यान्नवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों का पता लगा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार विभिन्न खाद्यान्न प्रचालन चलाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता रिलीज करती है। खाद्य राजसहायता खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, केन्द्रीय निर्गम मूल्य, औसत बिक्री प्राप्ति, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा राजसहायता के लिए पात्र अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन और खाद्यान्नों के उठान, राज्यों को अदा किए जाने वाले रखरखाव प्रभार और बफर स्टॉक की रखरखाव लागत के आधार पर तय की जाती है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम को वर्षवार और मदवार रिलीज की गई राजसहायता के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) विकेन्द्रीयकृत वसूली योजना के अधीन केन्द्र सरकार वसूली, भण्डारण और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के संबंध में

अनुमोदित लागत गणना के अनुसार आर्थिक लागत तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को राजसहायता रिलीज करती है।

(ङ) विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन राज्यों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रिलीज की गई राजसहायता के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(च) और (छ) हरियाणा क्षेत्र में 2003 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के बैंक खाते से 64 लाख रुपये की अनधिकृत निकासी की वित्तीय अनियमितता के एक मामले का पता चला था। प्राथमिकी सूचना दर्ज कराई गई थी और दोषी को गिरफ्तार किया गया था तथा 60 लाख रुपये वसूल कर लिए गए थे। यद्यपि पुलिस ने भारतीय खाद्य निगम के किसी कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं पाया था लेकिन भारतीय खाद्य निगम के दो कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया था और आरोप-पत्र दिया गया था। बैंक के खिलाफ रिकवरी का मुकदमा दायर किया जा रहा है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2002-03 से 2004-05 (फरवरी, 2005 तक) में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितता और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम को वर्ष-वार और मद-वार जारी की गई राजसहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है

(करोड़ रुपए में)
(अनंतिम)

	गेहूं	चावल	मोटे अनाज	रखरखाव लागत	अग्रनयन प्रभार
2002-03	6374.67	10325.96	0.00	3291.49	2681.60
2003-04	8358.83	11903.32	114.21	1550.62	1947.06
2004-05*	8166.49	12255.03	238.89	835.57	894.99

*इसके अतिरिक्त, वर्ष 1996-97 से 2001-02 के दौरान नियमित की गई कमियों के लिए दावों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को 889.03 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार, वर्ष-वार और खाद्यान्न-वार, राज्यों को जारी की गई राजसहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)
(अनंतिम)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	-	158.60	-	89.94	-	628.87
मध्य प्रदेश	128.27	-	66.74	-	118.75	-
उड़ीसा	-	-	-	-	-	40.96

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	–	0.00	–	45.82	–	27.21
उत्तरांचल	13.97	–	6.06	74.37	9.65	83.08
उत्तर प्रदेश	728.39	392.31	537.18	438.44	690.86	687.10
पश्चिम बंगाल	–	81.19	–	27.41	–	179.97

विवरण-II

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-03 से 2004-05 (फरवरी, 2005 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	अनियमितता का स्वरूप	मामलों की संख्या			
		2002	2003	2004	2005 (फरवरी, 2005 तक)
1.	अवैधानिक परितोषण ग्रहण करना/आय से अधिक परिसम्पत्तियां	6	9	8	7
2.	खाद्यान्नों का दुर्विनियोजन	98	153	95	86
3.	लेखाओं का गबन/दुर्विनियोजन	23	13	18	20
4.	बेकार स्टॉक का दुर्विनियोजन/गोदामों का निर्माण	23	13	15	15
5.	घटिया स्टॉक की खरीद	651	729	480	469
6.	हैंडलिंग और ढुलाई ठेकों का आवंटन	14	6	12	15
7.	मार्गस्थ/भंडारण हानियां	760	713	488	473
8.	प्रशासनिक खामियां/विविध	191	206	103	88
	जोड़	1766	1842	1219	1173

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-03 से 2004-05 (फरवरी, 2005 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ की-गई-कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	लगाए गए दंड का स्वरूप	मामलों की संख्या			
		2002	2003	2004	2005 (फरवरी, 2005 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	बर्खास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति	55	56	37	8
2.	रैंक में कमी	87	66	39	5

1	2	3	4	5	6
3.	समय-वेतनमान में कमी	435	420	361	64
4.	वेतनवृद्धि को रोकना	262	146	168	8
5.	भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि की वेतन से वसूली	1149	964	1346	192
6.	प्रोन्नति रोकना	12	12	6	0
7.	निन्दा	425	427	489	53
	जोड़	2425	2091	2446	330

[अनुवाद]

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास

3591. श्रीमती पी. सतीदेवी:
श्री सांताश्री चटर्जी:
श्री प्रशान्त प्रधान:
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के प्रभावों के कारण कितने व्यक्ति निशक्तता से पीड़ित हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त व्यक्तियों के इलाज हेतु अध्ययन केन्द्रों को विकसित किया है;

(ग) क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों हेतु राहत और पुनर्वास उपायों के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों के मार्गदर्शन हेतु कोई सलाहकार समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी बैठकें हुई हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अनुसंधान अध्ययन केन्द्रों के कर्मचारियों हेतु सेवाशर्तें और शासी नियमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सचित किया है कि चिकित्सा प्रलेखन के अनुसार गैस पीड़ितों में से विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 2553 है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) अनुसंधान कार्यकलापों के दिशा-निर्देशन हेतु भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रो. एन.के. गांगुली, महानिदेशक, आई सी एम आर, नई दिल्ली की अध्ययक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की है। सलाहकार समिति की पहली बैठक कमला नेहरू अस्पताल, भोपाल (म.प्र.) में 16 मार्च, 2005 को हुई।

(च) कर्मचारी ठेके पर कार्य कर रहे हैं अत: निविदात्मक नियमावली से शासित होते हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन

3592. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री नकुल दास राई:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का है जिससे कि महिलाएं देर रात्रि पालियों में कार्य कर सकेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाना अधिनियम, 1948 में प्रस्तावित संशोधन में महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कामगार संगठनों की मांगों के आधार पर और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का रात्रिकालीन पाली में कार्य महिला अभिसमय (संशोधित), 1948 के नयाचार 1990 तथा मौजूदा आर्थिक वैश्वीकरण की भावना को ध्यान में रखते हुए, सांय 7.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक के बीच महिला कामगारों के नियोजन की अनुमति प्रदान करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित संशोधन के लिए विधेयक में 'अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि नियोजक को इस तरह से स्वयं द्वारा नियोजित किए जाने वाले महिला कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा और पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित करना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अजगर पार्क का विकास

3593. श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश में झाली में अजगर पार्क के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है और इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

टूर ऑपरेटरों को पैकेज

3594. श्री एम. अप्पादुरई: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ाने के लिए निजी टूर ऑपरेटरों को कोई पैकेज/रियायतें देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) विदेश में निम्नलिखित पर्यटन संवर्धनात्मक गतिविधियां चलाने के लिए मार्केटिंग डेवलपमेंट असिसटेंस स्कीम (एमडीए) के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय मान्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं (अर्थात् होटल मालिकों, ट्रेवल एजेंटो, टूर आपैरटों, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों आदि, जिनके टर्नओवर में विदेशी मुद्रा आय भी शामिल हैं) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(1) बिक्री-सह-अध्ययन यात्रा

(2) मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

(3) छपी हुई सामग्रियों के माध्यम से प्रचार।

बांग्लादेश को चीनी का निर्यात

3595. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेश को वर्षवार कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया है; और

(ख) यह निर्यात किस मूल्य पर किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बंगलादेश को निर्यात की गई चीनी की कुल मात्रा और उसका मूल्य निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (लाख रुपये में)
2001-2002	158340	17998.90
2002-2003	281084	30872.84
2003-2004	150411	14484.97
2004-2005 (जनवरी, 2005 तक)	8202	865.63

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एंड एस., वाणिज्य विभाग, कोलकाता

चीनी एक स्वतंत्र रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तु है और चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उनके पास उपलब्ध चीनी के स्टाक की स्थिति, चीनी के उत्पादन की संभावनाओं और देश में खपत के लिए चीनी की आवश्यकता, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों तथा निर्यात-आयात नीति के उपबंधों सहित अन्य संगत तथ्यों का आकलन करने के पश्चात अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार चीनी का निर्यात किया जाता है।

[हिन्दी]

गेहूं का निर्यात

3596. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं का निर्यात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने देशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) विगत वर्ष के दौरान भारतीय गेहूं खरीदने के लिए सरकार को किसी भी देश से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

नलकूपों की स्थापना

3597. श्रीमती नीता पटैरिया:
श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री गणेश सिंह:
श्री अशोक अर्गल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नल कूपों की स्थापना के लिए सहायता धनराशि को वर्तमान में 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने पर विचार कर रही है क्योंकि मध्य प्रदेश की पहाड़ी और पठारी भूमि में नल कूप खोदने की लागत 50,000 रुपये आती है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश हेतु इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार आगामी वित्त वर्ष अर्थात 2005-06 से लक्ष्य/आवंटन आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को समाप्त करने जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अपर्याप्त पेयजल सुविधा वाली बस्तियों में पेयजल सुविधा किस तरीके से उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से ग्रामीण निवासियों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने में उनके प्रयासों को बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। राज्यों को प्रत्येक ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की आयोजना, मंजूरी, कार्यान्वयन और निष्पादन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा इसके लिए कोई विशेष लागत मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस, 2002 को की गई घोषणा के अनुसार, सरकार ने दो वर्षों में (2003-04 एवं 2004-05) एक लाख ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के लिए एक लाख हैंडपम्पों को लगाने, एक लाख परम्परागत स्रोतों के पुनरुद्धार तथा पेयजल सुविधाओं के प्रावधान के लिए वर्ष 2003-04 में तीन स्कीमें शुरू की हैं। इनके लिए लागत मानक अखिल भारत औसत आधार पर निर्धारित किए गए थे और ये प्रत्येक हैंडपम्प के लिए 34,750 रुपये, प्रत्येक परम्परागत स्रोत के लिए 15,250 रुपये और प्रत्येक स्कूल के लिए 30,000 रुपये थे। राज्यों को इन मानकों के अनुसार राशि जारी की गई थी। वास्तविक व्यय लागत मानकों से अधिक हो जाने की स्थिति में राज्यों को एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य) तथा राज्य स्रोतों से निधियों का समन्वय करने के लिए प्राधिकृत भी किया गया था। ये स्कीमें केवल 31.3.2005 तक के लिए थी।

(घ) और (ङ) ऊपर बताये गए अनुसार, राज्यों को प्रत्येक ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की आयोजना, मंजूरी, कार्यान्वयन और निष्पादन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

पर्यटन स्थलों का विकास

3598. डा. राजेश मिश्रा:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए पर्यटन स्थलों का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों में ऐसे स्थलों को विकसित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की अपनी योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटक स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान 31.12.2004 तक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004-05 (31.12.2004 तक) के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनाएं

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05 (31.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	2750.81	2191.92
2.	असम	6	955.88	742.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू-कश्मीर	2	805.00	644.00
11.	झारखण्ड	1	474.97	379.97

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	3	1081.28	927.09
19.	नागालैण्ड	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	4	846.41	561.26
22.	राजस्थान	2	39.31	31.45
23.	सिक्किम	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	480.04	384.03
29.	अण्डमान एवं निकोबार	0	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	1	457.00	365.60
31.	दादर एवं नगर हवेली	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	1	500.00	400.00
33.	दमन एवं दीव	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	451.00	360.00
	कुल	130	32784.16	25320.26

[अनुवाद]

स्वर्ण आभूषणों हेतु नए मानक

3599. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विनिर्माताओं द्वारा अपमिश्रित स्वर्ण आभूषण बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वर्ण आभूषणों और शिल्पकृतियों में कुछ अपमिश्रणों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के संबंध में संशोधन जारी किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त संशोधन के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यताप्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों द्वारा हॉलमार्किंग के प्रयोजनार्थ स्वर्ण आभूषणों की एसेइंग करते समय उनमें रथनियम और इरिडियम जैसे कम मूल्य के प्लेटिनम समूह के धातुओं की मौजूदगी पाई गई।

(ख) और (ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने आई एस-1417: 1999- गोल्ड एंड गोल्ड एलॉय ज्वैलरी/आर्टिफेक्ट्स-फाइननैस एंड मार्किंग-स्पेसिफिकेशन में संशोधन सं. 1 जारी किया है ताकि स्वर्ण आभूषणों की एसेइंग करने से पहले ऐसे तत्वों का पता लगाया जा सके और यदि उनमें रथेनियम और इरिडियम का अपमिश्रण पाया जाता है, तो उनको हॉलमार्किंग के लिए नामंजूर किया जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह संशोधन 7 जनवरी, 2005 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मिर्च उत्पादन

3600. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितनी मात्रा में और किन-किन किस्मों की मिर्च का उत्पादन हुआ है; और

(ख) मिर्च के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पैदा की गई मिर्च की प्रमात्रा और उसके किस्म को विवरण-I तथा II में दर्शाया गया है।

(ख) भारत सरकार राज्यों की आवश्यकता के अनुसार "कृषि में वृहद् प्रबन्धन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण" नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना चला रही है। इसमें मिर्च सहित मसाला विकास कार्यक्रम भी शामिल है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान मिर्च के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

उत्पादन '000 टन में

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष		
		2000-01	2001-02	2002-03 (अ.)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	526.2	591.0	409.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.1	2.1	2.3
3.	असम	9.7	10.0	9.8

1	2	3	4	5
4.	बिहार	4.6	4.3	2.3
5.	छत्तीगढ़	1.4	3.8	1.5
6.	गुजरात	11.0	12.1	10.5
7.	हरियाणा	1.7	1.7	1.6
8.	हिमाचल प्रदेश	0.3	0.0	0.1
9.	जम्मू-कश्मीर	1.0	1.0	1.0
10.	कर्नाटक			
11.	केरल	151.0	126.4	153.4
12.	मध्य प्रदेश	0.2	0.2	0.7
13.	महाराष्ट्र	13.3	22.0	31.7
14.	मणिपुर	60.7	59.0	53.0
15.	मेघालय	4.3	4.5	6.1
16.	मिजोरम	1.1	1.2	1.2
17.	नागालैण्ड	1.8	2.1	0.9
18.	उड़ीसा	8.0	1.2	7.9
19.	पंजाब	59.0	59.2	62.9
20.	राजस्थान	4.7	5.4	4.5
21.	तमिलनाडु	33.6	49.1	14.6
22.	त्रिपुरा	55.3	42.0	43.0
23.	उत्तर प्रदेश	2.4	2.8	2.4
24.	पश्चिम बंगाल	14.2	13.4	13.9
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	16.0	54.5	13.9
	दिल्ली	–	–	0.4
	अखिल भारत	0.1	–	–
		983.7	1069	896.9

अ - अनन्तिम

स्रोत - अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली

विवरण-II

राज्य	किस्म
महाराष्ट्र	फूल ज्वाला, फूल ज्योति, अग्निरेखा ईलाइचीपुर सन्नम एस4 टाइप इत्यादि
आन्ध्र प्रदेश	गंटूर सन्नम एस4 टाइप, हिंदूरपुर-, एस7, मद्रास पारी, एस9 मुद्दु, टाडापल्लई-बिग लौंग, टोमेटो चिली
मिजोरम एवं मणिपुर के कुछ क्षेत्र	बर्ड्स आई चिली
कर्नाटक	ब्यादगी (कड्डी)
दक्षिण गुजरात	ज्वाला
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जी टी सन्नम

कृषि उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

3601. श्री मदन लाल शर्मा:
श्री अनंत गुढे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष आयात किए जा रहे कृषि उत्पादों पर भारी उत्पाद शुल्क लगाने में समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में किसानों को उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) आयातित कृषि उत्पादों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कृषि उत्पाद के लिए सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। प्रत्येक मौसम में सरकार प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की घोषणा करती है और राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये अन्य एजेन्सियों के अलावा सार्वजनिक एवं सहकारी एजेन्सियों जैसे—भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) (धान, गेहूं और मोटे अनाज), भारतीय जूट निगम (जे.सी.आई.) (जूट), भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई) (कपास), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नेफेड) (दलहन एवं तिलहन) और तम्बाकू बोर्ड (तम्बाकू) के माध्यम से खरीद प्रचालनों का आयोजन करती है।

गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों हेतु राशन कार्ड

3602. श्री अतीक अहमद: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों से राशन कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण की सुविधा वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी खाद्य राजसहायता की बचत होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में पर्यटन विकास

3603. श्री एस. के. खारवेलनथन: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में पर्यटन के विकास हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है अथवा उसका दक्षिणी राज्यों में किसी सर्कुलर दौरे का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ क्या उपाए किए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित/जारी की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने मार्च, 2003 में तमिलनाडु राज्य के लिए एक 20-वर्षीय भावी पर्यटन योजना तैयार करके, राज्य सरकार को उनके अवलोकनार्थ तथा उपयोग हेतु भेज दिया था। इसमें निम्नलिखित सिफारिशें निहित थी:

(1) एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण, पर्यटन पूर्वानुमान, आदि।

(2) पर्यटन संवर्धन, उत्पाद विकास, अवसंरचना तथा रोजगार संभाव्यता में वृद्धि के लिए रणनीतियों का सुझाव

(3) पर्यावरण, प्रबंध योजना, निवेश योजना तथा निधिकरण का स्रोत

(4) योजना से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ

(5) 20-वर्षीय भावी योजना के लिए कार्यान्वयन तंत्र, जिनमें प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाएं, संस्थागत तंत्र, निजी भागीदारी, मार्केटिंग रणनीतियां, शामिल हैं।

(ग) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को कोई विशिष्ट आवंटन निर्धारित/रिलीज नहीं किया जाता है। फिर भी, प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से, प्रस्तावों की प्राथमिकता के आधार पर निधियां स्वीकृत/रिलीज की जाती हैं। सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों, पर पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है और क्रमिक शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर धनराशि रिलीज की जाती है।

वर्ष 2004-05 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 1308.92 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

[हिन्दी]

नदियों को जोड़ने की योजना

3604. श्री नंद कुमार सिंह चौहान:
श्री धावर चन्द गेहलोत:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की दो परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव भी इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रथम चरण में विचार हेतु शामिल हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश ने इन दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपनी सहमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने में विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक शुरू किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन कृषि मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक नामक दो घटकों को शामिल करते हुए वर्ष 1980 में जल संसाधन विकास के एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की, जिसमें अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के हस्तांतरण की योजना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों की व्यावहार्यता स्थापित करने और इसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी अध्ययन करने के लिए वर्ष 1982 में जल संसाधन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का गठन किया गया था। एनडब्ल्यूडीए ने विभिन्न अध्ययनों के आधार पर व्यवहार्ता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों की पहचान की है। एनडब्ल्यूडीए ने प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत दो संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूर्ण कर ली हैं। दो संपर्क प्रस्तावों अर्थात मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के संबंध में केन-बेतवा और मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के संबंध में पारबती-कालीसिंध-चंबल को इन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से आम सहमति के लिए प्राथमिकता वाले संपर्क के रूप में चुना गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन संपर्कों का कार्यान्वयन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनाने में की गई तत्परता पर निर्भर करेगा।

चीनी विकास कोष से सहायता

3605. **श्री सुशील कुमार मोदी:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री प्रकाशबापू वी. पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार चीनी विकास निधि की वर्तमान धनराशि कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विकास कोष से सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरा स्वीकृत ऋणों तथा संवितरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) चीनी विकास कोष से ऐसे ऋणों की स्वीकृति हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में रुग्ण चीनी मिलों के लिए सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार निधि का शेष जमा 1316.25 करोड़ रुपये था।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से सहायता के लिए प्राप्त हुए राज्य-वार आवेदनों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित ऋण और संवितरित राशि के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: विवरण-II और विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) चीनी विकास निधि से ऐसे ऋणों की मंजूरी के लिए विहित मानदण्ड विवरण-IV में दिए गए हैं।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार में रुग्ण चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

चीनी विकास निधि से सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे

(1) गन्ना विकास

क्र.सं.	चीनी मिल के नाम	चीनी विकास निधि से मांगी गई राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
वर्ष 2002-2003		
महाराष्ट्र		
1.	श्री गणेश एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	269.84
2.	क्षत्रपति सम्भाजी राजे साखर उद्योग लि., जिला औरंगाबाद	269.98
3.	पूर्णा एस.एस.के. लि., जिला हिंगोली	270.00

1	2	3
4.	साईकृपा एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	270.00
5.	नागर लालुका एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	269.95
6.	चन्द्रभागा एस.एस.के.लि., जिला शोलापुर	270.00
7.	विट्ठलराव सिंदे एस.एस.के.लि., जिला शोलापुर	270.00
8.	श्री विठ्ठल एस.एस.के.लि., वेणुनगर, पंढारपुर, जिला शोलापुर	269.99
9.	रायत एस.एस.के.लि., जिला सतारा	270.00
10.	अजिंक्यात्रा एस.एस.के.लि., जिला सतारा	270.00
11.	बालाघाट एस.एस.के.लि., जिला लातूर	269.82
12.	विकास एस.एस.के.लि., जिला लातूर	269.86
13.	डा. बाबासाहेब अम्बेडकर एस.एस.के.लि., जिला उस्मानाबाद	269.88
14.	श्री विठ्ठल एस.एस.के.लि., जिला उस्मानाबाद	269.71
15.	सदाशिवराव मांडलिक एस.एस.के.लि., जिला कोल्हापुर	268.23
16.	श्री छत्रपति राजाराम एस.एस.के.लि., कासाबा-बावाडा, जिला कोल्हापुर	270.00
17.	वेनगंगा एस.एस.के.लि., जिला भांडर	270.00
18.	देशभक्त रत्नापाना पंचंगगा एस.एस.के.लि., जिला कोल्हापुर	270.00
19.	भोगवती एस.एस.के.लि., जिला कोल्हापुर	269.99
20.	शरद एस.एस.के.लि., जिला कोल्हापुर	270.00
21.	मनगंगा एस.एस.के.लि., जिला सांगली	270.00
22.	जय अम्बिका एस.एस.के.लि., जिला नांदेड	270.00
23.	हुतात्मा जयवंतराव पाटील एस.एस.के.लि., जिला नांदेड	280.71
24.	रामेश्वर एस.एस.के.लि., जिला जालना	269.97
25.	अनुराधा चीनी मिल्स लि., जिला बुलदाना	265.46
26.	श्री वृद्धेश्वर एस.एस.के.लि., जिला अहमदनगर	261.40
27.	चोपड़ा एस.एस.के.लि., जिला जलगांव	262.26
उत्तर प्रदेश		
1.	केशर इंटरप्राइजेज लि., जिला बेरली	300.37
2.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., यूनिट मोहिद्दीनपुर, मेरठ	113.81

1	2	3
3.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., यूनिट, बिजनौर	174.41
4.	यू.पी. स्टेट शुगर कोरपोरेशन लि., यूनिट सहारनपुर	89.08
5.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., यूनिट रेहान कलां, मोहननगर	54.09
6.	यू.पी. स्टेट शुगर कोरपोरेशन लि., यूनिट जरवाल रोड, बहराइच	102.41
7.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., यूनिट सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज	164.41
8.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., यूनिट खाड्डा, जिला कुशीनगर	88.47
9.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., यूनिट बुलंदशहर	237.46
10.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., यूनिट चांदपुर, जिला बिजनौर	258.12
11.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., यूनिट अमरोला, जे.पी. नगर	269.09
12.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लि., यूनिट सकोती टांडा, मेरठ	250.43
13.	छाता शुगर कं. लि., यूनिट छाता, जिला मथुरा	211.01
14.	नंदगंज सिहोरी सुगर कं. लि., जिला रायबरेली	247.59
उत्तरांचल:		
1.	राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स, जिला हरिद्वार	270.00
2.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सितारागंज, जिला यू.एस. नगर	221.22
3.	बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., बाजपुर, जिला यू.एस. नगर	249.57
4.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., रायपुर-नादेही, यू.एस. नगर	107.41
5.	किच्छा शुगर कं. लि., किच्छा, यू.एस. नगर	249.50
6.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गदरपुर, यू.एस. नगर	193.14
हरियाणा		
1.	चौ. देवी लाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि., जिला सोनीपत	271.09
2.	चौ. देवी लाल कोआपेटिव शुगर मिल्स लि., सिरसा	297.81
मध्य प्रदेश		
1.	कृषक सहकारी साखर कारखाना, जिला गुना	275.09
2.	ग्वालियर शुगर कं. लि., ग्वालियर	229.50

1	2	3
तमिलनाडु:		
1.	ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लि., जिला त्रिचुरापल्ली	270.00
आन्ध्र प्रदेश:		
1.	डेक्कन शुगर्स, समालकोट, ईस्ट गोदावरी जिला	300.00
2.	किरलामपुडी शुगर्स लि., ईस्ट गोदावरी जिला	294.00
2003-04		
महाराष्ट्र		
1.	घोड़गंगा एस.एस.के. लि., जिला पुणे	269.99
2.	नीरा भीमा एस.एस.के. लि., तालुक इंदापुर जिला पुणे	270.00
3.	श्री तात्या साहेब कोरे वारना एस.एस.के. लि., वारनानगर, जिला कोल्हापुर	270.00
4.	शिवाजीराव पाटील नीलांगेकर एस.एस.के. लि., अम्बुलगा, जिला लातूर	270.00
5.	प्रतापगढ़ एस.एस.के. लि., जिला सतारा	269.98
6.	निफाड़ एस.एस.के. लि., जिला नासिक	269.77
7.	बड़ाशिव हनुमान एस.एस.के. लि., जिला हिंगोली	269.96
8.	शंभू महादेव शूगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि., जिला उस्मानाबाद	266.92
9.	दोंगराई सागेश्वर एस.एस.के. लि., जिला सांगली	299.95
10.	सर्वोदय एस.एस.के. लि., जिला सांगली	270.00
11.	मकाई एस.एस.के. लि., जिला शोलापुर	269.80
आन्ध्र प्रदेश		
1.	एनसीएस शुगर्स लि., जिला विजयानगरम	291.40
2.	सुदालगुंटा शुगर्स लि., जिला चित्तूर	300.00
3.	जैपोर शुगर कं. लि., जिला पश्चिम गोदावरी	299.00
4.	के.सी.पी. शुगर एंड इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि., जिला कृष्णा	290.33
उत्तरांचल		
1.	दोईवाला शुगर्स कं. लि., जिला देहरादून	238.50
2.	लक्ष्मी शुगर्स कं. लि., जिला हरिद्वार	270.00

1	2	3
कर्नाटक		
1.	घटप्रभा एस.एस.के. नियमित, जिला बेलगाम	300.00
2.	प्रभुलिंगेश्वर शुगर्स एंड केमिकल्स लि., जिला बागलकोट	300.00
तमिलनाडु		
1.	श्री अम्बिका शुगर्स लि., जिला कुड्डालोरे	297.00
2.	धरमपुरी जिला कोआ. शुगर्स लि. जिला धरमपुर	280.70
मध्य प्रदेश		
1.	जवाहर लाल नेहरू सहकारी साखरी एग्री. प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लि., जिला खरगौन	270.00
वर्ष 2004-2005		
महाराष्ट्र		
1.	कुक्काडी एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	270.00
2.	प्रियदर्शनी एस.एस.के. लि., जिला लातूर	269.86
3.	रावेर तालुका एस.एस.के. लि., जिला जलगांव	269.95
4.	मोहनराव शिंदे एस.एस.के. लि., जिला सांगली	270.00
5.	श्री महाकाली एस.एस.के. लि., जिला सांगली	269.86
6.	तेरना एस.एस.के. लि., जिला उस्मानाबाद	269.99
7.	श्री गुरूदत्त शुगर्स लि., जिला कोल्हापुर	270.17
8.	आदिवासी एस.एस.के. नवापुर लि., जिला नन्दूरबार	265.36
9.	श्रीगोंडा एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	269.01
10.	पद्मश्री डा. विठ्ठलराव पाटील एस.एस.के. लि., जिला बीड	266.69
11.	क्रांति एस.एस.के. लि., जिला सांगली	269.95
12.	सोनहीरा एस.एस.के. लि., जिला सांगली	269.86
13.	शिवशक्ति एस.एस.के. लि., जिला उस्मानाबाद	266.41
14.	जयशिवशंकर एस.एस.के. लि., जिला नांदेड़	266.41
कर्नाटक:		
1.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., मैसूर	299.88

1	2	3
आंध्र प्रदेश:		
1.	कोवुर कोआ. शुगर फैक्ट्री, नेल्लौर	234.85
2.	थांडवा कोआ. शुगर्स लि., विशाखापतनम	291.72
3.	अनकापाले कोआ. शुगर्स लि., विशाखापतनम जिला	90.54
गुजरात:		
1.	श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., जिला नर्मदा	270.00
पंजाब:		
1.	दि नकोदर कोआ. शुगर मिल्स लि., जिला जालंधर	299.90
तमिलनाडु:		
1.	चेय्यर कोआ. शुगर मिल्स, तिरूवन्नामलाई जिला	67.92

(2) आधुनिकीकरण

क्र.सं.	चीनी मिला का नाम	आवेदित ऋण की राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
वर्ष 2002-03		
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. जे.के. शुगर्स (जे.के. इंडस्ट्रीज लि. का एक प्रभाग), जिला बरेली, उ.प्र.	600.00
2.	मै. त्रिवेणी इंजी. एंड इंडस्ट्रीज लि., शूगर यूनिट-देवबंद जिला सहारनपुर	1885.00
कर्नाटक		
1.	मै. एससीएम शुगर्स लि., कोप्पा विलेज, जिला मांड्या, कर्नाटक	5380.00
वर्ष 2003-04		
मध्य प्रदेश		
1.	मै. ग्वालियर शुगर कं. लि., डाबरा, जिला ग्वालियर	1381.92
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. मंसूरपुर शुगर मिल्स लि., मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर	2185.00

1	2	3
उत्तरांचल		
1.	मै. उत्तम शुगर्स मिल्स, लिब्बरहेड़ी विलेज, तहसील रूड़की,	जिला हरिद्वार 1790.00
वर्ष 2004-05		
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. त्रिवेणी इंजी. एंड इंडस्ट्रीज लि., शुगर यूनिट-खतौली, जिला सहारनपुर	3382.00
आंध्र प्रदेश		
1.	मै. जीएसआर शुगर्स (प्रा.) मागी विलेज, निजाम सागर मंडल, जिला निजामाबाद	2500,00
महाराष्ट्र		
1.	श्री पांडुरंग एसएसके लि., श्रीपुर, मालसिरस तहसील, जिला शोलापुर	210.00

(3) खोई आधारित विद्युत सह-उत्पादन परियोजना

राज्य	चीनी यूनिट का नाम	आवेदित ऋण की राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
वर्ष 2002-03		
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. बलरामपुर चीनी मिल्स, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश	2000.00
2.	मै. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि., देवबंद, सहारनपुर	2500.00
तमिलनाडु		
1.	श्री अंबिका शुगर्स लि., कुड्डालौर जिला	2537.00
2.	श्री अंबिका शुगर्स लि., पुविदाईमोरूर, थंजावुर जिला	525.70
आन्ध्र प्रदेश		
1.	मै. गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., संगारेड्डी, जिला-मेडक, आं.प्र.	1500.00
कर्नाटक		
1.	मै. बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., अलांगाची, नंजागुड, मैसूरी जिला	2100.00
2.	मै. श्री दूधगंगा कृष्ण एस.एस.के. नियमित, चिक्कोडी, बेलागाम जिला	1140.00

1	2	3
वर्ष 2003-04		
उत्तरांचल		
1.	मै. रायबहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि., लस्कर	979.00
कर्नाटक		
1.	मै. चामुडेश्वरी शुगर्स लि., माड्डूर तालूक, मंड्या जिला, कर्नाटक	1353.00
2.	मै. श्री रेणुका शुगर्स लि., बेलगाम, कर्नाटक	1180.00
3.	मै. दि मैसूर शुगर कम्पनी लि., मांड्या, कर्नाटक	1508.72
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. हरिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि., जिला-बिजनौर, उ.प्र.	330.00
2.	मै. डी.सी.एम. श्री राम कंसोलिडेटेड लि. (पूर्वनाम घाघरा शुगर लि.), ग्राम-अजबापुर, पोस्ट-जंग बहादुरगंज, जिला-लखीमपुर-खीरी	2000.00
तमिलनाडु		
1.	मै. राजश्री शुगर एंड कैमिकल्स लि., तमिलनाडु	2540.00
वर्ष 2004-05		
महाराष्ट्र		
1.	मै. श्री पांडुरंग एस.एस.के. लि., श्रीपुर, मालसिरस, जिला-शोलापुर, महाराष्ट्र	1466.90
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. एल.एच. शुगर फैक्ट्री लि., सिविल लाइंस, पीलीभीत	936.00
2.	मै. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि., खतौली शुगर यूनिट, जिला-मुजफ्फनगर	1914.00
3.	हैदरगढ़ चीनी लि., (मै. बलरामपुर चीनी मिल्स लि. की इकाई) जिला-बलरामपुर	1100.00
4.	मै. जे.के. शुगर (जे.के. इंडस्ट्रीज लि. का एक प्रभाग), मीरगंज जिला-बरेली, उत्तर प्रदेश	1000.00
पंजाब		
1.	मै. नाहर शुगर एंड एलाएड इंडस्ट्रीज लि., शुगर फैक्ट्री-ग्राम-सालाना जेओन सिंह वाला, तहा.-अमलोह, जिला-फतेहगढ़ साहिब, पंजाब	750.00

1	2	3
(4) एथनॉल का उत्पादन		
वर्ष 2002-03		
	शून्य	शून्य
वर्ष 2003-04		
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. शाकम्भरी शुगर्स एंड एलाएड इंडस्ट्रीज लि., जिला सहारनपुर	789.00
2.	मै. द्वारिकेश सुगर इंडस्ट्रीज लि., जिला-बिजनौर	480.00
कर्नाटक		
1.	मै. श्री दूधगंगा कृष्णा एस.एस.के. नियमित, चिकोडी, बेलगाम जिला	139.50
महाराष्ट्र		
1.	मै. श्री दयानेश्वर एस.एस.के. लि., तहसील-नेवासा, जिला-अहमदनगर	75.00
आन्ध्र प्रदेश		
1.	मै. जी.एम.आर. टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज लि., संकिली गांव, जिला-श्रीकाकुलम	867.00
वर्ष 2004-05		
महाराष्ट्र		
1.	श्री विघ्नहर एस.एस.के. लि., तहसील-चुन्नार, जिला-पूणे	406.20
कर्नाटक		
1.	मै. बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., अलांगाची, नंजागुड, मैसूर जिला	1200.00

विवरण-II

चीनी विकास निधि से सहायता के लिए मंजूर किए गए ऋणों के ब्यौरे

(1) गन्ना विकास

क्र.सं.	चीनी यूनिट का नाम	चीनी विकास निधि द्वारा स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
वर्ष 2002-2003		
महाराष्ट्र		
1.	हुतात्मा किसान अहीर एस.एस.के. लि., जिला सांगली	300.00
2.	श्री संत तुकाराम एस.एस.के. लि., जिला पुणे	279.00

1	2	3
3.	मंजारा शेतकारी एस.एस.के. लि., जिला लातूर	269.75
4.	यशवंत एस.एस.के. लिं., जिला सांगली	298.08
5.	श्री संत एकनाथ एस.एस.के. लि., जिला औरंगाबाद	262.30
6.	श्री जारनादेश्वर एस.एस.के. लि., जिला सतारा	224.64
आंध्र प्रदेश		
1.	एटीकोप्पका कोआ. एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसायटी लि., जिला विशाखापतनम	188.70
हरियाणा		
1.	करनाल कोआ. शुगर मिल्स लि., करनाल	270.00
2.	सरस्वती शुगर मिल्स, यमुना नगर	299.51
तमिलनाडु		
1.	ई.आई.डी. पैरी (इं) लि., कुरूम्बूर शुगर फैक्ट्री	269.78
उत्तर प्रदेश		
1.	जे.के. शुगर्स (जे.के. इंडस्ट्रीज लि. का एक प्रभाग), जिला बरेली	300.00
वर्ष 2003-04		
महाराष्ट्र		
1.	श्री दन्यानेश्वर एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	189.00
2.	कृष्णा एस.एस.के. लि., जिला सतारा	157.50
3.	महात्मा एस.एस.के. लि., जिला वर्धा	132.80
4.	नेचुरल शुगर एंड इंड. लि., जिला उस्मानाबाद	137.36
5.	मधुकर एस.एस.के. लि., जिला जलगांव	88.20
6.	रायत एस.एस.के. लि., जिला सतारा	184.39
7.	छत्रपति राजाराम एस.एस.के. लि., कसाबा बावाड़ा, जिला कोल्हापुर	136.30
8.	श्री गणेश एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	115.11
9.	श्री रामेश्वर एस.एस.के. लि., जिला जालना	268.18
10.	लोकमंगल एग्रो इंड. लि., जिला शोलापुर	193.34
11.	विकास सहकारी एस.एस.के. लि., जिला लातूर	215.47
12.	देशभक्त रत्नपन्ना कुम्हार पंचगंगा एस.एस.के. लि., जिला कोल्हापुर	110.25

1	2	3
13.	श्री सोमेश्वर एस.एस.के. लि., जिला पुणे	131.33
14.	आजिंक्यतारा एस.एस.के. लि., जिला सतारा	153.31
15.	भोगवती एस.एस.के. लि., जिला कोल्हापुर	155.52
16.	सदाशिवराव मांडलिक एस.एस.के. लि., कागल, जिला कोल्हापुर	86.79
17.	वैद्यनाथ एस.एस.के. लि., जिला बीड	105.57
18.	छत्रपति सम्भाजी राजे साखर उद्योग लि., जिला औरंगाबाद	243.80
19.	डा. बाबासाहेब अम्बेडकर एस.एस.के. लि., जिला उस्मानाबाद	239.99
20.	स्वामी समर्थ एस.एस.के. लि., जिला शोलापुर	275.73
आंध्र प्रदेश		
1.	एन.सी.एस. शुगर्स लि., जिला विजियानगरम	250.56
हरियाणा		
1.	चौ. देवी लाल कोआ. शुगर मिल्स, जिला सोनीपत	116.54
कर्नाटक		
1.	भद्रा एस.एस.के. लि., जिला दावनगेरे	231.30
2.	श्री रेणुका शुगर्स नि., जिला बेलगाम	294.73
3.	श्री मालाप्रभा एस.एस.के. (नि.), मुगुतखान, जिला हुबली	251.21
मध्य प्रदेश		
1.	नवल सिंह एस.एस.के. मर्यादित, जिला खंडवा	257.90
2.	जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रोड्यूस सोसायटी लि., जिला खरगौन	186.08
तमिलनाडु		
1.	ई.आई.डी. पैरी (इं) लि., तिरूचिरापल्ली	270.00
उत्तर प्रदेश		
1.	यू.पी. स्टेट शुगर कापोरेशन लि., यूनिट अमरोहा, जिला जे.पी. नगर	22.81
2.	यू.पी. स्टेट शुगर कापोरेशन लि., यूनिट चांदपुर, जिला बिजनौर	76.73
वर्ष 2004-05		
महाराष्ट्र		
1.	नीरा-भीमा एस.एस.के. लि., जिला पुणे	206.32
2.	श्री तात्यासाहेब कोरे वारना एस.एस.के. लि., जिला कोल्हापुर	203.40

1	2	3
3.	शंभू महादेव शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि., जिला उस्मानाबाद	237.93
4.	साईकृपा साखर कारखाना लि., जिला अहमदनगर	64.66
5.	बड़ाशिव हनुमान एस.एस.के. लि., जिला हिंगोली	163.96
6.	घोड़गंगा एस.एस.के. लि., जिला पुणे	127.48
7.	नगर तालुका एस.एस.के. लि., जिला अहमदनगर	269.95
8.	सर्वोदय एस.एस.के. लि., जिला हिंगोली	153.54
9.	प्रियदर्शनी एस.एस.के. लि., जिला लातूर	49.36
10.	मकाई एस.एस.के. लि., जिला शोलापुर	44.86
11.	निफाड़ एस.एस.के. लि., जिला नासिक	52.25
12.	श्री विठ्ठल एस.एस.के. लि., जिला शोलापुर	148.90
13.	पगनेश्वर शुगर मिल्स लि., जिला लातूर	173.99
हरियाणा		
1.	पलवल कोआ. शुगर मिल्स लि., जिला फरीदाबाद	161.10
कर्नाटक		
1.	प्रभुलिंगेश्वर शुगर्स एंड केमिकल्स लि., जिला बागलकोट	118.73
मध्य प्रदेश		
1.	कृषक एस.एस.के. (मर्यादित), जिला गुना	164.44
तमिलनाडु		
1.	धरमपुरी जिला कोआ. शुगर मिल्स लि., जिला धरमपुरी	256.89
उत्तर प्रदेश		
1.	दया शुगर (दया इंजी. वर्क्स स्लीपर लि. की एक यूनिट), जिला सहारनपुर	156.25
उत्तरांचल		
1.	लक्ष्मी शुगर मिल्स कं. लि., जिला हरिद्वार	133.28
2.	किच्छा शुगर कं. लि., जिला उधमसिंह नगर	113.95
3.	किसान सहकारी मिल्स लि., राजपुर-नदेही, जिला उधमसिंह नगर	96.26

(2) आधुनिकीकरण

क्र.सं.	चीनी मिल के नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
वर्ष 2002-03		
महाराष्ट्र		
1.	मै. श्री सिद्धेश्वर एसएसके लि., कुमाथे, जिला शोलापुर	1264.465
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. सिम्भौली शुगर मिल्स लि., जिला गाजियाबाद	972.12
कर्नाटक		
1.	मै. दावनगेरे शुगर कं. लि., जिला दावनगेरे	1217.68
गुजरात		
1.	श्री तलाला तालूक सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., तलाला, जिला जूनागढ़	534.00
वर्ष 2003-04		
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. मंसूरपुर शुगर लि., मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर	2134.33
2.	त्रिवेणी इंजी. एंड इंडा. लि., शुगर यूनिट देवबंद, जिला सहारनपुर	1879.00
3.	मै. जे.के. शुगर लि., सिधौली रोड, मीरगंज, जिला बरेली	339.08
महाराष्ट्र		
1.	मै. जवाहर शेतकारी एसएककके लि., हुपरी, जिला कोल्हापुर	1589.00
2.	मै. राजारामबापू पाटील एसएसके लि., जिला राजाराम नगर	1730.912
कर्नाटक		
1.	मै. दि इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लि., चितवडगी, होस्पेट, जिला बेल्लारी	528.00
2.	मै. एससीएम सुगर लि., उलसूर रोड, बंगलौर	3164.40
उत्तरांचल		
1.	मै. उत्तर शुगर मिल्स, विलेज लिबेरहेड़ी, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार	1664.562
वर्ष 2004-05		
आंध्र प्रदेश		
1.	मै. जी.एस.आर. शुगर्स प्रा.लि., बेगमपेट, हैदराबाद	1991.60

1	2	3
	बिहार	
1.	मै. ईस्टर्न शुगर इंडस्ट्री लि., पो.आ. हनुमान शुगर मिल्स, मोतीहर, जिला पूर्वी चम्पारन	463.00
	(3) खोई आधारित विद्युत-सह-उत्पादन परियोजना	
	वर्ष 2002-03	
1.	शून्य	शून्य
	वर्ष 2003-04	
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., सांगारेड्डी, जिला मेडक	1050.60
	उत्तर प्रदेश	
1.	मै. बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बलरामपुर, जिला बलरामपुर	1431.00
2.	त्रिवेणी इंजी. एंड. लि., यूनिट देवबंद, जिला सहारनपुर	1425.00
	तमिलनाडु	
1.	श्री अम्बिका शुगर्स लि., जिला कुड्डालोरे	2120.00
	कर्नाटक	
1.	मै. रेणुका शुगर्स लि., विलेज मुनोली, तालुक सौंदती, जिला बेलगाम	594.60
2.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., जिला मैसूर	1590.00
3.	श्री दूधगंगा कृष्णा एसएसके नियमित, चिकोड़ी, जिला बेलगाम	1060.00
4.	मै. चामुण्डेश्वरी शुगर्स लि., जिला माण्ड्या	1166.00
	वर्ष 2004-05	
	उत्तर प्रदेश	
1.	द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि., द्वारिकेश नगर, जिला बिजनौर	330.00
2.	मै. डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड, जिला लखीमपुर खीरी	1192.50
	उत्तरांचल	
1.	राय बहादुर नरायण सिंह सुगर मिल्स लि., लक्सर	979.00
	तमिलनाडु	
1.	मै. राजश्री शुगर एंड केमिकल्स लि., विलेज मुंडियामपाक्कम, तालुक और जिला विल्लुपुरम	1749.00

1	2	3
(4) एथनाल का उत्पादन		
वर्ष 2002-03		
1.	शून्य	**शून्य**
वर्ष 2003-04		
1.	शून्य	**शून्य**
वर्ष 2004-05		
उत्तर प्रदेश		
1.	शाकुम्बरी शुगर एलाइड इंडस्ट्रीज लि., जिला सहारनपुर	**605.85**
2.	द्वारिकेश शुगर इंड. लि., जिला बिजनौर	**443.60**
कर्नाटक		
1.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., जिला मैसूर	**1096.00**
आन्ध्र प्रदेश		
1.	जीएमआर टेक्नालॉजी एंड इंडस्ट्रीज लि., जिला श्रीकाकुलम	**835.00**
महाराष्ट्र		
1.	मै. श्री दन्यानेश्वर एसएसके लि., जिला अहमदनगर	**52.50**

विवरण-III

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान चीनी विकास निधि से संवितरित राशि

(1) गन्ना विकास

क्र.सं.	चीनी यूनिट का नाम	राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
वर्ष 2002-2003		
महाराष्ट्र		
1.	मै. दि संजीवनी (तकली) एस.एस.के. लिमिटेड, ताल कोपरगांव	**108.00**
2.	मै. सहकार महर्षि शकरराव मोहिते पाटील एस.एस.के. लिमिटेड, ताल मालसिरस, जिला-शोलापुर	**148.50**
3.	मै. विश्वासराव नायक एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-शिराला, जिला सांगली	**95.74**

1	2	3
4.	मै. मालेगांव एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-बारामती, जिला पुणे	113.76
5.	मै. हुतात्मा किसान अहीर एस.एस.के. लिमिटेड, तालुक-वाल्वे, जिला सांगली	192.28
6.	मै. श्री संत तुकाराम एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-मुल्शी, जिला-पुणे	139.50
7.	मै. दूधगंगा वेदगंगा एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-कागल, जिला-कोल्हापुर	133.75
8.	मै. मंजारा एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका/जिला-लातूर	100.75
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. जे.के. शुगर लिमिटेड, मीरगंज, जिला-बरेली	82.00
2.	मै. मोनेट इंडस्ट्रीज लि., जिला-मुजफ्फनगर	115.54
हरियाणा		
1.	मै. करनाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, करनाल	90.00
2.	मै. सरस्वती शुगर मिल्स, यमुनानगर, हरियाणा	57.59
आन्ध्र प्रदेश		
1.	मै. गणपति शुगर्स इंडिया लि., तालुका-संगरेड्डी, जिला-मेडक	80.96
तमिलनाडु		
1.	मै. ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड, पुडुकोट्टई जिला	117.92
वर्ष 2003-2004:		
महाराष्ट्र		
1.	मै. जारंदेश्वर एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-कोरेगांव, जिला सतारा	136.08
2.	मै. संगमनेर भाग एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-संगमनेर, जिला-अहमदनगर (महा.)	73.39
3.	मै. सहकार महर्षि मोहते पाटील एस.एस.के. लिमिटेड, शंकरनगर, जिला-शोलापुर (महा.)	148.50
4.	मै. संजीवनी (ताकली) एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-कोपरगांव, जिला-अहमदनगर (महा.)	57.60
5.	मै. दयानेश्वर एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-नेवासा, जिला-अहमदनगर (महा.)	63.00

1	2	3
6.	मै. श्री संत तुकाराम एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-मुल्शी, जिला-पुणे (महा.)	139.50
7.	मै. भीमशंकर एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-अंगगांव, जिला-पुणे (महा.)	103.37
8.	मै. छत्रपति शंभाजी राजे साखर उद्योग लि., तालुका/जिला-औरंगाबाद (महा.)	84.24
हरियाणा		
1.	मै. पिक्काडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि., तहसील-इन्द्री, जिला-करनाल, हरियाणा	54.35
मध्य प्रदेश		
1.	मै. नवल सिंह एस.एस.के. मर्यादित, बुरहानपुर, जिला-खंडवा, मध्य प्रदेश	63.14
गुजरात		
1.	मै. श्री गणेश खंड उद्योग सहकारी मंडली, तालुका-वालिया, जिला-भड़ूच, गुजरात	46.57
वर्ष 2004-2005:		
महाराष्ट्र		
1.	मै. रायत एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-कारद, जिला-सतारा	83.10
2.	मै. छत्रपति राजाराम एस.एस.के. लिमिटेड, तालुक-करवीर, जिला-कोल्हापुर	117.43
3.	मै. स्वामी समर्थ एस.एस.के. लिमिटेड, (पूर्व नान इन्दिरा एस.एस.के.), तालुका-अक्कलकोट, जिला-शोलापुर	206.80
4.	मै. संगमनेर भाग एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-संगमनेर, जिला अहमदनगर	68.58
5.	मै. देशभक्त रत्नापन्ना कुंभर पंचगंगा एस.एस.के. लिमिटेड, जिला-कोल्हापुर	63.00
6.	मै. सदाशिवराव मांडलिक कागक तालुका एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-कागक, जिला-कोल्हापुर	54.43
7.	मै. गणेश एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-राहता, जिला-अहमदनगर	
8.	मै. विकास एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका/जिला-लातूर	100.37
9.	मै. नीरा भीमा एस.एस.के. लिमिटेड, इंद्रापुर, जिला-पुणे	169.27

1	2	3
10.	मै. लोक मंगल एग्री इंडस्ट्रीज लि., तालुका-नार्थ शोलापुर, जिला-शोलापुर	94.74
11.	मै. डा. बाबासाहेब अम्बेडकर एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका/जिला-ओस्मानाबाद	129.55
12.	मै. नगर तालुका एस.एस.के. लिमिटेड, वाल्की, तालुका-नागर, जिला-अहमदनगर	149.76
13.	मै. श्री सोमेश्वर एस.एस.के. लिमिटेड, तालुका-बारामती, जिला-पुणे	97.35
हरियाणा		
1.	मै. करनाल कोआपेरटिव शुगर मिल्स लि., जिला-करनाल	90.00
2.	मै. चौ. देवीलाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि. ग्राम-अहुलाना, जिला-सोनीपत	88.38
3.	मै. पलवल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पलवल, जिला-फरीदाबाद	36.90
आन्ध्र प्रदेश		
1.	मै. गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., सांगारेड्डी मंडल, जिला-मेडक	115.92
उत्तरांचल		
1.	मै. लक्ष्मी शुगर मिल्स लि., इकबालपुर जिला-हरिद्वार	107.26
2.	मै. राय बहादुर नारायण सिंह मिल्स लि., लक्सर, जिला-हरिद्वार, उत्तरांचल	106.38
(2) आधुनिकीकरण		
	वर्ष 2002-03	
आन्ध्र प्रदेश		
1.	मै. दि चोदावरम कोआपरेटिव शुगर्स लि., चोदावरम मंडल, जिला-	746.155 (प्रथम)
	विशाखापट्टम	746.155 (द्वितीय)
2.	मै. वरलक्ष्मी शुगर्स (डि. जी.एम.आर. टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज लि.,	191.52 (प्रथम)
	संकीली, जिला-श्रीकाकुलम	191.52 (द्वितीय)
महाराष्ट्र		
1.	मै. मुला एस.एस.के. लिमिटेड, सोनल तहसील-नेवासा, जिला-अहमदनगर	467.85
2.	मै. रायलगांव शुगर फार्म लि., पोस्ट-रायलगांव, तहसील-मालेगांव, जिला-नासिक	105.80

1	2	3
3.	मै. विठ्ठल एस.एस.के. लिमिटेड, वेणुनगर, तहसील-पंढारपुर, जिला-शोलापुर	393.20 (प्रथम) 393.20 (द्वितीय)
4.	मै. दि संजीवनी (ताकली) एस.एस.के. लिमिटेड, कोपरगांव, जिला-अहमदनगर	379.404 (प्रथम) 379.404 (द्वितीय)
5.	मै. दंयानेश्वर एस.एस.के. लिमिटेड, नेवासा, जिला-अहमदनगर	446.902
6.	मै. श्री सिद्धेश्वर एस.एस.के. लिमिटेड, कुमाथे, जिला-शोलापुर	632.232 (प्रथम)
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. घागरा शुगर लि., आजादपुर, जिला-लखीमपुर-खीरी	485.624
2.	मै. रामगढ़ चीनी मिल्स, रामगढ़, जिला-सीतापुर	672.446 (प्रथम) 672.446 (द्वितीय)
3.	मै. मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला-मेरठ	381.738
4.	मै. सिम्भौली शुगर मिल्स लि., जिला-गाजियाबाद	486.06
तमिलनाडु		
1.	मै. बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., सत्यमंगलम, जिला-इरोड	775.39
2.	मै. ई.आई.डी. पैरी (इं.) लि., पुगुलर, जिला-करूर	201.71
कर्नाटक		
1.	मै. गोदावरी शुगर मिल्स लि., समीरावाड़ी, जिला-बागलकोट	470.00
वर्ष 2003-04		
उत्तर प्रदेश		
1.	मै. मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला मेरठ	381.738
2.	मै. सिम्भावली शुगर मिल्स लि., जिला गाजियाबाद	486.06
3.	मै. जे.के. शुगर लि., सिंधौली रोड, मीरगंज, जिला बरेली	169.54
महराष्ट्र		
1.	मै. जवाहर शेतकारी एस.एस.के. लिमिटेड, हुपरी, जिला कोल्हापुर	795.00 (प्रथम)
2.	मै. राजारामबापू पाटील एस.एस.के. लिमिटेड, राजारामनगर	865.456 (प्रथम) 865.456 (द्वितीय)
कर्नाटक		
1.	मै. दावनगेरे शुगर कं. लि., जिला दावनगेरे	608.84
2.	मै. दि इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लि., चितवडगी, होसपेट, जिला-बेल्लारी	264.00

1	2	3
	वर्ष 2004-05	
	उत्तर प्रदेश	
1.	मै. मंसूरपुर शुगर मिल्स लि., मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर	1067.165 (प्रथम) 1067.165 (द्वितीय)
2.	मै. त्रिवेणी इंजी. एंड इंडस्ट्रीज लि., शुगर यूनिट-देवबंद, जिला सहारनपुर	939.50 (प्रथम) 187.90 (द्वितीय)
	महाराष्ट्र	
1.	मै. जवाहर शेतकारी एस.एस.के. लिमिटेड, हुपरी, जिला कोल्हापुर	794.00 (द्वितीय)
2.	मै. श्री सिद्धेश्वर एसएसके. लि., कुमाथे, जिला शोलापुर	632.232 (द्वितीय)
	उत्तरांचल	
1.	मै. उत्तम शुगर्स मिल्स, लिबरहेड़ी विलेज, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार	832.281 (प्रथम) 832.281 (द्वितीय)
	कर्नाटक	
1.	मै. दि इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लि., चितवडगी, होसपेट, जिला बेल्लारी	264.00 (द्वितीय)
2.	मै. एससीएम शुगर्स लि., कोप्पा विलेज, जिला मांडया, कर्नाटक	1582.20 (प्रथम) 1582.20 (द्वितीय)
3.	मै. दावनगेरे शुगर कं. लि. कुक्कुवाड़ा विलेज, जिला दावनगेरे	608.84 (द्वितीय)
	(3) खोई आधारित विद्युत-सह-उत्पादन परियोजना	
	वर्ष 2002-03	
1.	शून्य	शून्य
	वर्ष 2003-04	
	कर्नाटक	
1.	श्री दूधगंगा कृष्णा एसएसके नियमित, चिकोड़ी, जिला बेलगाम	1060.00
	वर्ष 2004-05	
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि., सांगारेड्डी, जिला मेडक	1050.60 (एकमुश्त)

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि., द्वारिकेश नगर, जिला बिजनौर	275.00 (प्रथम) 55.00 (द्वितीय)
2.	मै. बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बलरामपुर जिला बलरामपुर	1431.00 (एकमुश्त)
3.	त्रिवेणी इंजी. एंड इंड. लि., यूनिट देवबंद, जिला सहारनपुर	712.50 (प्रथम) 712.50 (द्वितीय)
कर्नाटक		
1.	मै. रेणुका शुगर्स लि., विलेज मुनोली, तालुक सौदती, जला बेलगाम	297.30
2.	नन्नारी अम्मान शुगर्स लि., मैसूर	1450.86 (एकमुश्त)
3.	श्री दूधगंगा कृष्णा एसएसके नियमित, चिकोड़ी, जिला बेलगाम	1060.00
तमिलनाडु		
1.	मै. राजश्री शुगर एंड केमिकल्स लि., विलेज मुंडियाम्पाक्कम, तालुक और जिला विल्लुपुरम	874.50
2.	श्री अम्बिका शुगर्स लि., जिला थंजावुर	432.80 (एकमुश्त)
(4) एथनाल का उत्पादन		
वर्ष 2002-03		
1.	शून्य	शून्य
वर्ष 2003-04		
1.	शून्य	शून्य
वर्ष 2004-05		
उत्तर प्रदेश		
1.	शाकुम्बरी शुगर एलाइड इंडस्ट्रीज लि., जिला सहारनपुर	302.925 (प्रथम) 302.925 (द्वितीय)
कर्नाटक		
1.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि., जिला मैसूर	548.25 (प्रथम)
आंध्र प्रदेश		
1.	जीएमआर टेक्नालॉजी एंड इंडस्ट्रीज लि., जिला श्रीकाकुलम	794.00 (प्रथम)

विवरण-IV

चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर करने के लिए विहित मानदण्ड

चीनी उपक्रमों/फैक्ट्रियों को निम्नलिखित 4 स्कीमों के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किया जाता है, जिसके लिए चीनी विकास निधि नियम में विहित मानदण्ड पूरे करने होते हैं, इनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन के लिए ऋण

किसी भी उस चीनी फैक्ट्री को ऋण मंजूर किया जाता है, जो अपने प्लांट और मशीनरी के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के प्रयोजनार्थ आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के "चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकी पर मिशन मोड परियोजना" की स्कीम के संबंध में वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित होती है अथवा प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद द्वारा प्रायोजित होती है।

2. गन्ना विकास के लिए ऋण

निम्नलिखित एक अथवा अधिक स्कीमों के लिए क्षेत्र में गन्ना विकास के लिए किसी भी चीनी उपक्रम को ऋण दिया जाता है:

(क) हीट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए

(ख) बीज नर्सरियां लगाने के लिए

(ग) गन्ने की उन्नत किस्में लगाने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन

(घ) जन्तुबाधा नियंत्रण उपाय (केवल औजारों के लिए)

(ङ) सिंचाई योजनाएं (ट्यूबवैल/बोरिंग, ड्रिप/लिफ्ट सिंचाई, नए ट्यूबवैल लगाना/पुराने कुंओं को गहरा करना)

(च) रैटून प्रबंधन

(छ) उत्तक कृषि प्रयोगशाला/मृदा परीक्षण प्रयोगशाला/जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला

(ज) गन्ना विकास का कम्प्यूटरीकरण

(झ) फीडर सड़क का निर्माण

3. खोई आधारित विद्युत सह-उत्पादन परियोजना के लिए ऋण

जिस किसी चीनी फैक्ट्री की स्थापित क्षमता 2500 टी.सी.डी. अथवा उससे अधिक होती है, जिसके लिए वित्तीय संस्थान अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर की गई है, वह खोई आधारित विद्युत सह-उत्पादन परियोजना के लिए ऋण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगी।

4. एल्कोहल अथवा शीरे से एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा ईथानाल का उत्पादन करने के लिए ऋण

कोई भी चीनी फैक्ट्री, जो वित्तीय संस्थान/अनुसूचित बैंक द्वारा सहायता के लिए अनुमोदित हो अथवा इस प्रयोजनार्थ वित्तीय संस्थान/अनुसूचित बैंक या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी द्वारा मूल्यांकित परियोजना को क्रियान्वित कर रही हो, एल्कोहल से एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा ईथानाल का उत्पादन करने के लिए इस स्कीम के अधीन ऋण के लिए पात्र होगी। तथापि, शीरे से एनहाइड्रस इल्कोहल अथवा ईथानाल का उत्पादन करने के लिए इस स्कीम के अधीन ऋण लेने के लिए चीनी फैक्ट्री की स्थापित क्षमता 2500 टी.सी.डी. होनी चाहिए।

5. सक्षमता के रूप में व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रमों के लिए ऋण

(क) एक व्यवहार्य रुग्ण चीनी फैक्ट्री प्लांट और मशीनरी के आधुनिकीकरण अथवा पुनर्स्थापन के लिए ऋण हेतु पात्र होती है, बशर्ते कि निधि से ऋण की संस्तुति बी.आई.एफ.आर. (प्राइवेट चीनी उपक्रमों के लिए) अथवा पुनर्स्थापन समिति (सहकारी चीनी उपक्रमों के लिए), जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई हो।

बशर्ते यह भी कि परियोजना अथवा स्कीम का अनुमोदन वित्तीय संस्थान अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा किया गया हो या इसे इसकी प्लांट और मशीनरी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के "चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकी पर मिशन मोड परियोजना" की स्कीम के संबंध में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद द्वारा प्रायोजित किया गया हो।

(ख) सक्षमता के रूप में व्यवहार्य रुग्ण उपक्रम गन्ना विकास के लिए ऋण हेतु पात्र होंगे, बशर्ते कि सक्षमता के रूप में व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रमों के लिए पुनर्स्थापना हेतु स्कीम अथवा परियोजना की संस्तुति बी.आई.एफ.आर. अथवा पुनर्स्थापना समिति द्वारा की गई हो।

सभी स्कीमों के लिए निधि से ऋण तभी मंजूर किया जाता है जब चीनी उपक्रम में उन सभी राशियों का भुगतान कर दिया हो, जो निधि और लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि के संबंध में देय हों।

[अनुवाद]

उचित दुकानों से अवैध बिक्री

3606. डा. के. धनराजू: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उचित दर दुकानों के मालिकों द्वारा उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बाध्य करने की जानकारी है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन के साथ खरीदे जाने की सूची में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई औचक जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को इस प्रक्रिया को समाप्त करने हेतु कुछ दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) ऐसी कोई घटनाएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करना केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने, उचित दर दुकानों को लाइसेंस जारी करने और लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। यह प्रणाली संपूर्ण देश में फैली 4.77 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिए कार्य करती है। उचित दर दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए उन्हें इन दुकानों से उपयोगिता की वस्तुएं बेचने की अनुमति दी गई है। तथापि, सरकार ने दिनांक 31.8.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया है, सभी राज्यों के लिए नागरिक अधिकार-पत्र जारी किया है और उन्हें प्रणाली को बेहतर और सक्षम बनाने के लिए तथा ऐसे किसी प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए पंचायती राज संस्थाओं आदि को साथ में लेने का परामर्श दिया है।

वन्यजीव अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना

3607. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और अन्य शहरों में वन्यजीव अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष आवंटन किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी उद्योग हेतु पुनरुद्धार पैकेज

3608. श्री विक्रम केशरी देव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के बजट में चीनी उद्योग के लिए पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेजे गए निजी क्षेत्र की रुग्ण चीनी मिलों के पुनर्वास और पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत कालाहांडी में चीनी मिल का पुनरुद्धार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसका पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) यह उद्यमी की जिम्मेदारी है कि वह रुग्ण चीनी मिलों को दोबारा खोलने/पुनरुज्जीवित करने के उपाय करे। निजी क्षेत्र वाली रुग्ण चीनी मिलें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं। ऐसी चीनी मिलों के मामले को, जब कभी उनकी संचयी हानि उनकी नेट-वर्थ के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजना अपेक्षित होता है। यदि औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुन:स्थापना योजनाओं में इस मंत्रालय से किसी राहत/छूट का प्रावधान हो तो इस पर मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाता है। संभावित व्यहार्यता वाली कोई भी रुग्ण चीनी मिल संयंत्र तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण अथवा पुनर्स्थापन के लिए या गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि नियमावली के अनुसार चीनी विकास निधि से ऋण लेने की भी पात्र है।

(ग) और (घ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपने दिनांक 10.2.2003 के आदेश द्वारा कालाहांडी जिले में चीनी मिल, अर्थात मैसर्स वेस्टर्न उड़ीसा शुगर लि. को केवल बंद करने की सिफारिश की है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इस मिल की पुनर्स्थापना के लिए कोई मंजूरी नहीं दी है।

कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु निजी क्षेत्र

3609. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कानूनों में कब तक संशोधन किए जाने की सम्भावना है;

(ग) लघु कृषकों हेतु इसके किस तरह से लाभकारी होने की संभावना है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हासिल करने, रोजगार के सृजन तथा आर्थिक समृद्धि लाने के लिए कृषि क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली मण्डियों की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने तथा खास तौर से फसलोपरान्त प्रबंध एवं शीत श्रृंखला के लिए बड़े पैमाने पर अपेक्षित निवेश को आकर्षित करने के लिए कृषि मण्डियों पर राज्य के एकाधिकार को शिथिल करना पड़ेगा। अत: (क) निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक मण्डियों के विकास; (ख) किसानों के खेतों से कृषि जिन्सों की सीधी खरीद की अनुमति देने; तथा (ग) खेतों पर उत्पादन एवं खुदरा श्रृंखला तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच कारगर संबंध स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को कृषि विपणन से संबंधित कानून (कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम) में समुचित संशोधन करने के सलाह दी गई है।

(ख) कृषि विपणन क्षेत्र में प्रस्तावित सुधान करने के लिए सभी राज्य सामान्यत: सहमत हैं। अनुबंधित खेती तथा प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देने एवं/अथवा कृषि मण्डियों की स्थापना के लिए निजी एवं सहकारी निवेश की अनुमति देने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब ने अपने-अपने कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम/नियमों में पहले ही संशोधन कर लिया है।

तमिलनाडु के कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम में प्रस्तावित सुधारों का प्रावधान पहले से ही है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, नागालैण्ड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मेघालय, गुजरात, उत्तरांचल व जम्मू-कश्मीर ने अपेक्षित सुधार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) सुधारों का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र में वैकल्पिक प्रतिस्पर्धात्मक मण्डियों का विकास करना है ताकि बेहतर मूल्य/सेवाएं प्रदान करने वाली मण्डियों में किसानों को अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की जा सके।

(घ) विभाग द्वारा नये कार्यक्रमों/नई स्कीमों को अन्य चालू कार्यक्रमों के साथ वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, और इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2004-05 में 2945.00 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन की तुलना में योजना परिव्यय में उल्लेखनीय वृद्धि करके इसे 4179.32 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए नये पैकेज में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, छोटी सिंचाई, राष्ट्रीय बांस मिशन, बरानी खेती/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली की सततता में वृद्धि करना तथा ग्रामीण ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करना शामिल है। भातीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्रम नीतिगत अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना तथा 100 अतिरिक्त जिलों को कवर करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने से संबंधित हैं। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, कृषि उत्पादों के विपणन, विविधिकरण, मूल्य वर्धन एवं रोजगार सृजन में राज्यों के लिए सहायक होंगे।

[हिन्दी]

सहकारी क्षेत्र से ऋण

3610. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में करीब 40 प्रतिशत ऋण सहकारी क्षेत्र से प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण का कितना प्रतिशत किसानों को आसान ऋण के रूप में मुहैया कराया जाता है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्ष 2000-01 में कृषि क्षेत्र में आधारभूत स्तर पर दिये जाने वाले कुल ऋण में सहकारी ऋण संस्थाओं का हिस्सा 39 प्रतिशत है जो कम होकर 2003-04 में 31 प्रतिशत हो गया है।

(ग) नियंत्रणमुक्त ब्याज के इस दौर में देश के सहकारी बैंक संस्थान अपने ऋणों पर ब्याज निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, ज्यादातर राज्यों में सहकारी बैंक 9 से 16.5% के बीच ब्याज लगाते हैं।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) वित्त मंत्री द्वारा 18 जून 2004 को की गई उद्घोषणा, जिसमें कृषि ऋण को प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाने और किसानों को ऋण सम्बन्धी राहत प्रदान करने से सम्बन्धित उपायों की बात शामिल थी, के अनुसरण में सहकारी बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी गई है:

1. पिछले वर्ष के मुकाबले 30% अधिक ऋण प्रदान करना
2. 2004-05 के कृषि ऋण के उच्च लक्ष्य की तरह इस वर्ष भी के.सी.सी. समेत सभी संस्थागत ऋण के कवरेज को बढ़ाना
3. चालू वर्ष के दौरान असामी किसानों और मौखिक पट्टाधारकों के ऋण प्रदान करने के लिए असमी किसानों और मौखिक पट्टा धारकों के स्वसहायक दलों का गठन करना और उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
4. वित्तीय सहायता के पैमाने की समीक्षा करना ताकि किसानों की ऋण सम्बन्धी वास्तविक जरूरतों को पूरा किया जा सके, विशेषकर कृषि प्रचालन कार्य में पूंजीनिवेश की जरूरत पूरी की जा सके।
5. नाबार्ड द्वारा जारी नये दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ऋण की पुनर्संरचना करना।

* **संकटग्रस्त किसान**—राज्य सरकार द्वारा आपदा ग्रस्त घोषित जिलों में किसानों के 31 मार्च 2004 तक के ऋणों का पुनर्निर्धारण/पुनर्संरचना पुनर्निर्धारित ऋण की वसूली वर्तमान ब्याज दर पर पांच वर्ष की अवधि में की जायेगी जिसमें दो वर्ष की प्रारम्भिक आस्थगन अवधि भी शामिल है।

* **बकायाग्रस्त किसान**—ऐसे किसानों जो ऋण की अदायगी नहीं कर पाये हैं और अपने पुराने ऋण के कारण नया ऋण पाने के पात्र नहीं रह जाते हैं क्योंकि उनको मानक स्तर से निम्न या सन्देहास्पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को नाबार्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पुन: वर्गीकृत किया जायेगा जिससे कि ऐसे किसान नये ऋण पाने के लिए पात्र बन सकें।

* **छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बारगी निपटान**—ऐसे किसान, जो डिफाल्टर घोषित कर दिये गये हैं और ऋण संस्थाओं से नये ऋण प्राप्त करने के पात्र नहीं रह गये हैं, के ऋणों का एक बारगी निपटान करने के लिए नाबार्ड ने सहकारी समितियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं। सहकारी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उन मामलों की समीक्षा करें जहां ऋण केवल इस आधार पर नहीं दिया गया है कि इसके पहले ऋण का निपटान या तो समझौते द्वारा किया गया है या उसे माफ करना पड़ा है।

* देश के कुछ भागों में गैर-संस्थागत साहूकारों (उधार देने वालों) के भारी कर्ज के कारण किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे किसानों को ऋण प्रदान करें जिससे कि उनको उपयुक्त साम्पार्श्विक या ग्रुप सेक्युरिटी के प्रति ऋण ग्रस्तता से राहत प्रदान की जा सके।

(ख) ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यबल की सिफारिशों के क्रियान्वित करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

[अनुवाद]

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का कार्यकरण

3611. श्री रघुनाथ झा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लिखित परीक्षा में अंक प्रणाली को सुधार कर 75 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तथा साक्षात्कार हेतु 25 प्रतिशत से 60 प्रतिशत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रिमंडल ने वर्ष 1974 में यह निर्णय लिया था कि कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ए. एस. आर. बी.) संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कार्य करेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या ए. एस. आर. बी. द्वारा उपरोक्त निर्णय को क्रियान्वित किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उपरोक्त कमियों को दूर करने तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रिमंडल ने दिनांक 1.11.1973 को एक स्वतंत्र नियुक्ति एजेंसी के रूप में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की स्थापना का निर्णय लिया था, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों के सभी पदों की भर्ती के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में एक कृषि वैज्ञानिक की व्यवस्था की गई।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु लघु-बागवानी मिशन

3612. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु लघु बागवानी-मिशन के अंतर्गत लघु किसान कृषि-व्यवसाय कंसोर्टियम (एस.एफ.ए.सी.) को कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं;

(ख) इस निधि के उपयोग हेतु निर्धारित तौर-तरीकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम की कोई समीक्षा की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत उप मिशन 2, 3 तथा 4 के कार्यान्वयन के लिए लघु कृषक व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) को वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान निर्गत राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये)

उप मिशन	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
उप मिशन 2	4744.96	7500.00	8439.00	10772.295
उप मिशन 3	618.14	775.00	200.00	920.00
उप मिशन 4	350.00	75.00	-	-
कुल	5713.10	8350.00	8639.00	11692.295

(ख) राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजनाएं/परियोजनाएं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति के अनुमोदन के उपरांत भेजी जाती हैं। कार्य योजनाओं/परियोजनाओं के अनुमोदन के आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सियों को धनराशि निर्गत की जाती है। उप मिशन-1 के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों, जो अनुसंधान से संबंधित हैं, के कार्यान्वयन हेतु धनराशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को निर्गत की जाती है। उप मिशन-2, 3 तथा 4 के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों, जो उत्पादन एवं उत्पादकता, विपणन एवं प्रसंस्करण से संबंधित हैं, के कार्यान्वयन के लिए धनराशि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) को निर्गत की जाती है। एस.एफ.ए.सी. द्वारा यह धनराशि राज्य सरकारों को उनके द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं/परियोजनाओं के आधार पर निर्गत की जाएगी।

इसके अलावा उप मिशन-3 के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों, जो फसलोपरान्त प्रबंध जैसे कोल्ड स्टोरेज, रेफर वाहनों से संबंधित हैं, के कार्यान्वयन के लिए धनराशि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को निर्गत की जा रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा यह धनराशि परियोजनाओं के अनुमोदन के आधार पर संबंधित राज्यों के लाभानुभोगियों को निर्गत कर दी जाती है।

विभिन्न उप मिशनों के अन्तर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए धनराशि के उपयोग के उपरान्त संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सियां अर्थात लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है।

(ग) वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान हासिल प्रगति का ब्यौरा विवरण I तथा II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2002-03 के दौरान कृषि वित्त निगम लि. नामक एक बाहरी एजेन्सी द्वारा एक मूल्यांकन एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया। अध्ययन में बताया गया कि यह प्रौद्योगिकी मिशन एक सुविचारित, सुरचित स्कीम है और इसने आर्थिक विकास की क्षमता के बारे में उल्लेखनीय जागरूकता उत्पन्न की है।

विवरण-I

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान निर्गत धनराशि

(लाख रुपये)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
उप मिशन-1	250.00	175.00	100.00	700.00
उप मिशन - 2				
1. अरुणाचल प्रदेश	728.85	1099.00	1220.00	1645.55
2. असम	611.12	1092.15	1400.00	871.00
3. मणिपुर	487.03	685.00	638.00	1286.25
4. मेघालय	625.71	775.60	850.00	1395.99
5. मिजोरम	508.95	1099.73	1089.00	1801.16
6. नागालैण्ड	551.70	979.00	1256.00	1467.30
7. सिक्किम	616.77	855.00	1000.00	1150.00
8. त्रिपुरा	512.40	785.00	900.00	1111.30
9. तकनीकी सहायता/इसरो/सेवा आदि	102.43	129.52	101.28	43.745
उप मिशन - 3	1380.00	1350.00	700.00	1480.49
उप मिशन - 4	350.00	75.00	*	*
कुल:	6724.96	9100.00	9239.00	12952.785

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिशन कार्यक्रमों हेतु अपने परिव्यय के 10% आवंटन से अपनी स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा। पारम्परिक आवश्यकताओं, यदि कोई हों, की पूर्ति मिशन द्वारा की जाएगी।

विवरण-II

बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन की विशेष उपलब्धियां

I.	**क्षेत्र विस्तार (हैक्टेयर)**	55082
II.	**गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री का उत्पादन**	
1.	नर्सरियों की स्थापना (सं.)	295
III.	**जल संसाधनों का सृजन**	
1.	सामुदायिक जलाशय (सं.)	2095
2.	नलकूल (सं.)	951
3.	ड्रिप सिंचाई (हैक्टेयर)	1049
4.	मल्चिंग (हैक्टेयर)	412
IV.	**उन्नत प्रबंधकीय कार्यों हेतु सुविधाएं**	
क.	संरक्षित खेती	
1.	ग्रीन हाऊस (500 वर्ग मीटर) (संख्या)	614
2.	ग्रीन हाऊस (100 वर्ग मीटर) (संख्या)	1385
3.	आदर्श पुष्पकृषि केन्द्र (संख्या)	8
V.	**आई.पी.एम./आई.एन.एम.**	
1.	आई.पी.एम. (हैक्टेयर)	10465
2.	रोग पूर्वानुमान यूनिटें (सं)	23
3.	जीवविज्ञान प्रयोगशालाएं (सं.)	2
4.	पूर्ण विश्लेषण प्रयोगशालाएं (सं.)	8
5.	पौध स्वास्थ्य क्लीनिक (सं.)	9
VI.	**जैविक खेती**	
1.	जैविक खेती (हैक्टेयर)	3118
2.	केंचुआ यूनिटें (सं)	691
VII.	**प्रशिक्षण हेतु आधारभूत संरचना**	
1.	माली प्रशिक्षण केन्द्र (सं.)	25
2.	पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (सं.)	16
VIII.	**मण्डियों की स्थापना (सं.)**	
	(क) थोक मण्डियां	29
	(ख) ग्रामीण प्राथमिक मण्डियां	199
	(ग) अपनी मण्डियां	26
	(घ) ग्रेडिंग प्रयोगशालाएं	16
IX.	**प्रसंस्करण यूनिटें (सं.)**	9

[हिन्दी]

सरसों के समर्थन मूल्य की घोषणा

3613. प्रो. महादेवराव शिवंनकर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के दौरान सरसों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मूल्य निर्धारित करने से पहले तेल की कीमतों का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तेल का बाजार मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सहकारी संस्थानों ने सरसों की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो कुल कितने टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) क्या किसानों के उत्पाद में नमी दिखाकर सरसों की खरीद में कोई अनियमितता बरती जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार द्वारा, वर्ष 2005-06 में विपणित की जाने वाली 2004-05 मौसम की रबी फसलों, जिसमें सरसों भी शामिल है, के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) नवम्बर, 2004 में घोषित किए गए। वर्ष 2005-06 में बेची जाने वाली सरसों के वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1700 रुपये प्रति क्विंटल हैं, में सरसों की उत्पादन लागत भी शामिल है और इसमें सरसों का ऑयल कन्टेनट भी शामिल है,

जो प्रति क्विंटल सरसों बीज से तेल के निष्कर्षण के रूप में सामान्यत: 33% माना जाता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरसों के बीज की खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। जब तक बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रहते हैं, खरीद जारी रखी जाएगी। चालू वर्ष के दौरान दिनांक 12.04.2005 तक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा 7.84 लाख मी. टन सरसों बीज की खरीद की गई।

(च) और (छ) किसानों के उत्पाद में नमी बताकर अनियमितता बरतने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

सेल द्वारा लौह अयस्क का खनन

3614. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री राजेन्द्र कुमार:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने रावघाट और चिर्वा खानों से लौह अयस्क का खनन करने हेतु स्वीकृति देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृति दे दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति देने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण है और यह स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी, हां। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड (सेल) ने छत्तीसगढ़ सरकार से रावघाट खान के लिए नए खनन पट्टे की मांग की है। सेल की सहायक कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) ने झारखंड सरकार से चिरिया खान के खनन पट्टे के नवीकरण की मांग की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) रावघाट खान के संबंध में खनन पट्टे की मंजूरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 7.4.2005 को आवेदन को वन संबंधी स्वीकृति हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को संस्तुति सहित भेज दिया है।

चिरिया खानों के संबंध में झारखंड सरकार ने अजितबुरू और सुकरी लाटूर खनन पट्टों के नवीकरण के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है जिसके संबंध में इस्को ने झाखंड उच्च न्यायालय से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्राप्त कर लिया है और यह मामला न्यायाधीन है। इस्को ने उपर्युक्त नवीकरण के आवदेन को अस्वीकार किए जाने के संबंध में माइनिंग ट्रिब्यूनल के विचारार्थ एक पुनर्विचार आवेदन भी दाखिल किया है। चिरिया खानों के धोबिल, टाटीबुरू और अंक्वा के अन्य तीन खनन पट्टों की अवधि बढ़ी हुई मान ली गई है। इन पट्टों के नवीकरण पर झारखंड सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

यूरिया की नई इकाइयों की स्थापना

3615. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूरिया की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के उद्देश्य से यूरिया की नई इकाइयों की स्थापना करने और वर्तमान इकाइयों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार के लिए आमतौर पर किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। देश में कहीं भी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उद्यमी स्वतंत्र हैं बशर्ते कि इस संबंध में पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक पूंजी व्यय करने के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, यूरिया की नई परियोजनाएं स्थापित करने, परियोजनाओं का विस्तार करने और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उर्वरक विभाग का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है जो जनवरी, 2004 में अधिसूचित यूरिया की नई, विस्तार और कठिनाइयां दूर करने वाली परियोजनाओं में किए गए निवेश के लिए मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार फीडस्टॉक और ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस और द्रवित प्राकृतिक गैस पर आधारित हो।

(ग) यूरिया की मांग को पूरा करने के मामले में देश लगभग आत्म-निर्भर है। जब कभी यूरिया की मांग आपूर्ति स्थिति में अन्तर आता है, तब सरकार राज्य-व्यापार निगम के माध्यम से यूरिया का

आयात करती है। सरकार, उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नीतियां अपनाती रही है ताकि मुख्य उर्वरकों की मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार

3616. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, चोरी और घोटालों की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रणाली को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है, जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक इनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशनकार्ड जारी करने और सम्पूर्ण देश में फैले 4.77 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिये खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं। इतने विशाल नेटवर्क में अनियमितताओं के अवसरों से इंकार नहीं जा सकता है। तथापि केन्द्र सरकार को जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे जांच करने तथा आवश्यक उवचारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सक्षमता, जबाबदेही और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए इसमें सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित करने, पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने, नागरिक अधिकार पत्र जारी करने और अनियमितताओं को रोकने तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अंत्योदय अन्न योजना का निरीक्षण और मानीटरिंग करने के लिए कार्यबल दल तैनात करने के अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में राज्य खाद्य सचिवों, राज्य खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन और सभी संसद सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई थी।

[अनुवाद]

मोन्सैंटो मैको बायोटेक पर वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट

3617. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर आकर्षित किया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मोन्सैंटो मैको बायोटेक का क्षतिपूर्ति बोझ 2 करोड़ रुपये से अधिक तक कम करने हेतु संबंधित वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट के साथ छेड़-छाड़ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश जनता किसान मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक (कृषि), आन्ध्र प्रदेश ने सर्वेक्षण रिपोर्ट में तथाकथित छेड़-छाड़ किये जाने के बारे में जांच के आदेश दिये थे। वारंगल के जिलाधिकारी ने सूचना दी है कि वारंगल के संयुक्त कृषि निदेशक ने जो जिले के साधारण उपज को 3.5 क्विंटल प्रति हैक्टेयर माना है वह गलत है और उन्होंने राज्य स्तरीय एम.ओ.यू. समिति से अनुरोध किया है कि जिले की औसत उपज 10 क्विंटल प्रति हैक्टेयर मानने पर विचार किया जाये। यह कहा जा रहा है कि प्रक्षेपित उपज आंकड़ा कम रखने के कारण मुआवजे में कमी आयी है। वारंगल के जिलाधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच के आधार पर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि कुल 16327 प्रविष्टियों में से 7812 प्रविष्टियों में छेड़छाड़ की गई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य कृषि विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है जो इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं।

रोजगार के अवसरों का सृजन

3618. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कामगारों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों/चुनौतियों के कारण उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) ने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भारत सहित अन्य विकासशील देशों में लागू करने हेतु कोई परियोजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में महिलाओं हेतु और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई नीति बनायी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) सरकार ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की मुश्किलों को कम करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। सरकार ने कामगारों की कुछ श्रेणियों अर्थात् बीड़ी कामगारों कतिपय और गैर-कोयला खान कामगारों और सिने कामगारों के सामाजिक सुरक्षा/कल्याण उपाय मुहैया कराने के लिए कल्याण निधियां स्थापित की हैं। कल्याण उपायों में स्वास्थ्य देखरेख, आवास, बच्चों के लिए शिक्षा की सहायता, पेयजल आपूर्ति आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार विभिन्न गरीबी उन्मूलन/रोजगार सृजन योजनाएं चला रही है। साथ ही, गरीबी रेखा से नीचे अथवा थोड़ा ऊपर वाले लोगों को बीमा कवर प्रदान करने हेतु जनश्री बीमा योजना भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उपलब्ध है। सर्वजन स्वास्थ्य बीमा योजना (यू एच आई एस) में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अस्पताल में लगने वाली लागत के रूप में 30,000 रुपये प्रतिवर्ष बीमा हेतु व्यवस्था है। सरकार ने असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों को पेश आ रही समस्याओं की जांच करने के लिए राष्ट्रीय असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यम आयोग का भी गठन किया है। सरकार ने संसद के पिछले सत्र के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक भी प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य परिसंपति सृजन सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम के संबंध में प्रत्येक ग्रामीण को घर से कम से कम एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है।

(ग) और (घ) भारत में अनेक आई एल ओ परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लक्ष्य सभी के लिए उन्नत कामकाजी और रहन-सहन दशाओं के लिए हालात उत्पन्न करना है। परियोजनाओं/कार्यक्रमों का सीधा संबंध मर्यादित रोजगार हासिल करन के लिए महिलाओं हेतु उन्नत अवसरों को सृजन करने से है। परियोजनाओं में भारत में महिलाओं के लिए मर्यादित रोजगार ग्रामीण कामगार संगठनों में महिला सदस्यों को एकीकृत करने के लिए श्रमिक शिक्षा, आदि शामिल है।

(ङ) और (च) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश में महिलाओं के लिए और अधिक रोजगार अवसरों को सृजन के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। तथापि, सरकार के लिए विभिन्न रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के प्रस्ताव किए जाते हैं।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करना

3619. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि भूमि और भौगोलिक परिदृश्य के रूप में कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु कृषि उत्पादों की लागत की गणना करने का आधार क्या है;

(ख) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषि उत्पादों हेतु क्षति-पूर्ति निर्धारित करने के तौर-तरीके का आधार क्या है; और

(ग) कृषि ऋणों पर ब्याज दर, उनके भुगतान और अनुदानों के प्रावधान क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) खेती की लागत से सम्बन्धित आंकड़े उन नमूना किसानों से ग्रहण किये जाते हैं जो पांच विभिन्न आकार वाले वर्गों (जैसे 1 हैक्टेयर से कम, 1 और 2 हेक्टेयर के बीच, 2 और 4 हैक्टेयर के बीच, 4 और 6 हैक्टेयर के बीच और 6 हैक्टेयर से अधिक) में आते हैं और उन फसलों को पैदा करते हैं जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के अंतर्गत कवर किया गया है। नमूना किसानों का चयन मृदा के प्रकार वर्षा, फसल पद्धति के आधार पर राज्यों के विभिन्न कृषि जलवायुवीय जोनों में से यादृच्छिक नमूना विधि से किया जाता है जिससे किसी प्रकार का पक्षपात न हो पाये और उत्पादन लागत का विश्वसनीय अनुमान प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार पैदा की जाने वाली एकल फसल का लागत अनुमान कृषि लागत और मूल्य आयोग के पास भेज दिया जाता है ताकि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य के बार में सिफारिश दे सके।

(ख) आपदा राहत कोष (सी. आर. एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता के

लिए व्यय की मदों और मानकों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों को सलाह दी गई है कि वे कृषि ऋण पर ब्याज की दर में इस प्रकार कटौती करें कि ब्याज की दर अधिकतम 50,000 रुपये के फसल ऋण तक 9% वार्षिक से ज्यादा न हो। इसके अलावा, वाणिज्यिक बैंकों के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि अंतिम उधारकर्ता पर भारित ब्याज की दर अधिकतम 2 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में प्राइम लेण्डिंग रेट (पी.एल.आर.) से अधिक नहीं होना चाहिये। इस समय पी.एल.आर. 10% से 11% तक है। अक्टूबर, 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज की दर को नियंत्रणमुक्त कर दिये जाने पर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता मिल गई है कि वे अपना निजी ब्याज दर निर्धारित कर सकें और इसी लिए कृषि ऋण पर उनकी ब्याज दर अधिकतर राज्यों में 9% से 16.5% तक बीच रहती हैं।

विवरण

आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से 2000-2005 अवधि में सहायता हेतु मदों एवं व्यय संबंधी मानदण्डों की संशोधित सूची (गृह मंत्रालय का पत्र सं. 32-22/2004-प्रा.आ.प्र.-1 दिनांक 10 सितम्बर, 2004)

क्र.सं.	मदें	आपदा राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता हेतु व्यय संबंधी मानदण्ड
1	2	3
1.	अनुग्रह राहत	
	(क) मृत व्यक्तियों के परिवारों का अनुग्रह राशि का भुगतान	50,0000 रुपये प्रति मृतक।
	(ख) एक हाथ/पैर अथवा आंख के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान	25000 रुपये प्रति व्यक्ति 1 (हाथ/पैर आदि के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि तभी दी जाए जब विकलांगता 40% से अधिक हो और किसी सरकारी डाक्टर अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के डाक्टर द्वारा प्रमाणित हो)
	(ग) गम्भीर रूप से घायल होना जिसके लिए एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रहना जरूरी हो।	25,000/ रुपये प्रति व्यक्ति।
	(घ) वृद्ध, विकलांग तथा बेसहारा बच्चों को राहत	20/ रुपये प्रति वयस्क, 10 रुपये प्रति बालक प्रति दिवस।
	(ङ) जिनके मकान प्राकृतिक आपदा के कारण बह गए/पूरी तरह नष्ट हो गए हों, उन परिवारों के लिए वस्त्र एवं बर्तन	प्रत्येक परिवार को वस्त्रों के लिए 500 रुपये तथा बर्तनों के लिए 500 रुपये।
	(च) प्राकृतिक आपदा आने पर तुरन्त जीवन यापन शुरू करने के लिए परिवारों को अनुग्रह राहत। अनुग्रह राहत उन्हीं को दी जाए जिनके पास भोजन न हो अथवा जिनका खाद्यान्न प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया हो और जिनके पास अन्य कोई साधन न हो।	20 रुपये प्रति वयस्क तथा 10 रुपये प्रति बच्चा, केवल वस्तु रूप में (केवल आटा, खाद्यान्न, मिट्टी के तेल, सब्जी, माचिस, नारियल के तेल आदि जैसी अनिवार्य वस्तुओं के लिए) अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए अथवा केन्द्रीय दल द्वारा यथा संस्तुत।

1	2	3
2.	अनुपूरक पोषाहार	आई.सी.डी.एस. मानदण्डों के अनुसार 1.05 रुपये प्रति दिवस प्रति व्यक्ति।
	निम्नलिखित के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता:	
	(क) गाद निकालना आदि (ख) पर्वतीय क्षेत्रों से मलबा हटाना, और	5000 रुपये प्रति हैक्टे. सीमा के अधीन नाबार्ड के पैटर्न के आधार पर छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए क्रमश: 25% तथा 33-1/3%
	(ग) मत्स्य फार्मों से गाद निकालना/पुनरुद्धार/मरम्मत	
	(घ) जहां फसल का नुकसान 50% अथवा अधिक हुआ हो, वहां कृषि आदान सब्सिडी	
	(1) कृषि फसलों, बागवानी फसलों तथा वार्षिक रोपण फसलों को लिए	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
	(2) लगातार दूसरे वर्ष (अथवा इसके बाद के वर्ष) गम्भीर प्राकृतिक आपदा के मामले में छोटे तथा सीमान्त किसानों से इतर अन्य किसानों के लिए आदान सब्सिडी	प्रति कृषक 2 हेक्टे. की सीमा के अधीन 1000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से।
	(3) बारहमासी फसलें	4000/ रुपये प्रति हैक्टेयर।
	(4) रेशम कीट पालक किसानों को सहायता	मूगा के लिए 2000/ रुपये प्रति हैक्टेयर। ईरी तथा शहतूत के लिए 1500/ रुपये प्रति हेक्टेयर।
	(ङ) भूस्खलन, बर्फीले तूफान अथवा नदी का रुख बदल जाने के कारण भूमि के बहुत बड़े भाग को हुआ नुकसान।	10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
4.	रोजगार सृजन (योजना के अन्तर्गत/रोजगार सृजन तत्व सहित विभिन्न योजना स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि पर विचार करने के बाद केवल अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)	दैनिक मजदूरी संबंधित राज्य सरकार द्वारा अकुशल मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के समान होगी। राहत कोष से अंशदान 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिवस की दर से अनाज (एस.जी.आर.वाई. विशेष घटक) तथा एक माह में 10 दिनों के लिए 15 रुपये प्रति व्यक्ति (जिन क्षेत्रों में रोजगार सृजन से संबंधित स्कीमें/परियोजनाएं प्रचालित नहीं हैं, वहां 15 दिन) तक समिति होगा। न्यूनतम मजदूरी तथा इस सहायता के बीच की गुंजाईश, यदि कोई हो, की पूर्ति संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में मामले दर मामले के आधार पर वास्तविक मांग के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार से एक व्यक्ति को कम दिया जाए।

1	2	3
5.	छोटे और सीमान्त किसानों/खेतिहर मजदूरों को पशुपालन सहायता	
	(1) मालवाही/दुधारू गोपशुओं अथवा गाड़ी खींचने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन	ग्रामीण विकास मंत्रालय की संबंधित स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार।
	(2) पशु शिविरों में चारे का प्रावधान	बड़े पशु - 12 रुपये प्रति दिन छोटे पशु - 6.00 रुपये प्रति दिन
	(3) पशु शिविरों में जल आपूर्ति	मामले-दर-मामले के आधार पर मूल्यांकन के अनुसार।
	(4) औषधियों एवं टीकों (आपदा से संबंधित आवश्यकताएं) की अतिरिक्त लगात	मामले-दर-मामले के आधार पर मूल्यांकन के अनुसार
	(5) पशु शिविरों से बाहर चारे की आपूर्ति	मूल्यों में आपदा के कारण वृद्धि को रोकने के लिए परिवहन हेतु अतिरिक्त व्यय मामले-दर-मामले के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
	(6) उपयोगी पशुओं को अन्य क्षेत्रों में ले जाना	इस बारे में संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा रही स्कीम के अनुसार पशुपालन एवं डेयरी विभाग के विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर।
6.	मछुआरों को सहायता	
	(क) नावों, जालों की मरम्मत/प्रतिस्थापन तथा क्षतिग्रस्त अथवा गुमशुदा:	एस.जी.एस.वाई. पैटर्न के अनुसार प्रति परिवार सब्सिडी की सीमा के अधीन अन्य उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी।
	- नाव -डाऊट कैनो -कैटामारान -जाल	एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत अनुमोदित लागत के सन्दर्भ में नाव की लागत निर्धारित की जाएगी।
	(ख) मत्स्य बीज फार्म के लिए आदान सब्सिडी	2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
7.	हस्तशिल्प क्षेत्र में शिल्पकारों को क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के रूप में सहायता	
	(क) पारम्परिक शिल्प:	
	(1) क्षतिग्रस्त उपकरणों हेतु	1000 रुपये प्रति व्यक्ति
	(2) कच्चे माले हेतु	1000 रुपये प्रति व्यक्ति
	(ख) हथकरघा बुनकरों हेतु:	
	(1) करघा उपकरणों तथा पुर्जों की मरम्मत/प्रतिस्थापन	1000 रुपये प्रति करघा
	(2) धागे व अन्य सामग्री की खरीद	1000 रुपये प्रति करघा

1	2	3
8.	क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए सहायता	
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त घर (जहां घर मरम्मत से परे है और पुनर्निर्माण की जरूरत है)	
	(1) पक्का घर	10000 रुपये प्रति घर
	(2) कच्चा घर	6,000 रुपये प्रति घर
	(ख) अधिक क्षतिग्रस्त घर	
	(1) पक्का घर	2000 रुपये प्रति घर
	(2) कच्चा घर	1,200 रुपये प्रति घर
	(ग) अंशत: क्षतिग्रस्त घर (जहां क्षति 15% से कम हुई है।)	800 रुपये प्रति घर
9.	ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आकस्मिक आपूर्ति	एन.सी.सी.एफ. हेतु केन्द्रीय दल द्वारा/सी.आर.एफ. हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना
10.	महामारियों को फैलने से रोकने हेतु दवाओं, रोगाणु नाशियों, कीटनाशियों का प्रावधान	तदैव
11.	महामारियों के खिलाफ पशु एवं मुर्गी हेतु चिकित्सीय देखभाल	तदैव
12.	प्रभावित/प्रभावित होने वाले लोगों का बाहर निकलना	तदैव
13.	तत्काल राहत और जीवन रक्षण करने के लिए नावों या किराये पर लेना	तदैव
14.	प्रभावित/निष्क्रमित लोगों के अंशकालिक आवास, खाद्य, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल आदि के लिए प्रावधान	तदैव
15.	आवश्यक आपूर्तियों का हवाई जहाज से गिराया जाना	तदैव
16.	सामाजिक क्षेत्र में संचार, ऊर्जा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा और समुदाय धारित परिसम्पत्तियों से जुड़ी क्षतिग्रस्त अवसंरचना की तत्काल प्रकृति की मरम्मत/पुनर्स्थापना।	
17.	सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों की क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपकरणों और लुप्त दवाईयों की पुनर्व्यवस्था।	तदैव
18.	एम्बुलेन्स सेवा, मोबाइल चिकित्सीय दलों और अंशकालिक दवाखानों हेतु प्रचालनात्मक लागत (केवल पी.ओ.एल. की)	तदैव
19.	मलवा निष्कासन की लागत	तदैव
20.	प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के जल का निकाला जाना	तदैव

1	2	3
21.	खोज और बचाव उपाय की लागत	तदैव
22.	लाशों/ठठरियों का निकाला जाना	तदैव
23.	विभिन्न काडरों/सेवाओं से लिए गये राज्य कर्मचारियों की विशेष बहु विषयी समूहों/दलों को प्रशिक्षण।	सी.आर.एफ. से व्यय का दिया जाना
24.	संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव और निष्क्रमण उपकरणों का अधिप्रापण जो वर्ष के.सी.आर.एफ. आवंटन के 10% की सीमा की शर्त पर है।	सी.आर.एफ. की राज्य स्तरीय समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जायेगा।
25.	सार्वजनिक प्रयोग वाले चार अंकों वाली टेलीफोन कोड की स्थापना (काल का मापन नहीं)	सी.आर.एफ. से व्यय दिया जायेगा।

सी.आर.एफ. - आपदा राहत कोष
एन.सी.सी.एफ. - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष
पी.ओ.एल. - पेट्रोल, तेल और लुर्बीकेन्ट

[अनुवाद]

सिंधु जल समझौता

3620. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हुए सिंधु जल समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत पश्चिमी नदियों के कितने हिस्से जल का उपयोग घरेलू और कृषि प्रयोजनों हेतु कर सकता है;

(ग) क्या भारत द्वारा पश्चिमी नदियों का जल एकत्रित किए जाने पर कोई प्रतिबंध है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हुए सिंधु जल समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- पूर्वी नदियों के जल का जब तक अन्यथा स्पष्ट उल्लेख न हो, भारत के निर्बाध उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। जल के घरेलू और गैर-खपतकारी उपयोग को छोड़कर, पाकिस्तान को ऐसे स्थानों पर सतजल मुख्य और रावी मुख्य को बहने देना होगा, और उसे हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी जहां ये पाकिस्तान में बहती तो हैं परंतु उन्होंने अंतिम रूप से पाकिस्तान की सीमा पार नहीं की है।

- पाकिस्तान पश्चिमी नदियों के उस जल का निर्बाध उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसे भारत निम्नलिखित प्रावधान के तहत जल को बहने देने के लिए बाध्य है:

भारत पश्चिमी नदियों के जल को बहने देने के लिए बाध्य हैं, और वह सिंधु, झेलम तथा चेनाब के मामले में उनके जल निकास बेसिनों के लिए निम्नलिखित निर्बाध उपयोगों को छोड़कर (संधि में किए गए प्रावधान को छोड़कर) इस जल में उसे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी:

(1) घरेलू उपयोग;

(2) गैर-खपतकारी उपयोग;

(3) संधि में यथा निर्धारित कृषि उपयोग; और

(4) संधि में यथा निर्धारित हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर

(ख) घरेलू उपयोग के अंतर्गत आने वाले पारिवारिक उपयोग सिन्धु, झेलम और चेनाब नदी से संबंधित जल निकास बेसिन तक सीमित है। ऐसे उपयोग की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नही है। पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा कृषि उपयोग के संबंध में, इस संधि में यह व्यवस्था है कि निर्धारित अवधियों में जल की निर्धारित अधिकतम निकासी के अंतर्गत रणबीर और प्रताप नहरों से सिंचाई को छोड़कर, भारत पश्चिमी नदियों से उन क्षेत्रों, जो प्रभावी तरीख (1.4.1960) को सिंचित किए गए थे, की सिंचाई को जारी रख सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत सिंचित फसल क्षेत्र के संबंध में निर्धारित प्रत्येक पश्चिमी नदियों के संबंध में क्षेत्रों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार सीमा तक पश्चिमी नदियों स और सीमित निकासी कर सकता है। यह अतिरिक्त उपलब्ध अधिकतम सिंचित फसल क्षेत्र 7,01,000 एकड़ है, सिंचाई का विकास जिसमें नदी प्रवाह से निकासी और सामान्य भंडारण व नदी प्रवाह से निकासी किए जाने के संबंध में आगे बताया गया है। इस संधि में इस प्रयोजन के लिए न तो जल के निर्धारित हिस्से/मात्रा और न ही फसलों की किसी किस्म का उल्लेख किया गया है।

(ग) प्रत्येक नदी प्रणाली (पश्चिमी नदियों की) पर प्रभावी तारीख के बाद भारत द्वारा निर्मित कराये जा सकने वाले सभी एकल प्रयोजन और बहु-उद्देश्यीय जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता निर्धारित श्रेणियों अर्थात सामान्य भंडारण, विद्युत भंडारण और बाढ़ भंडारण प्रत्येक के लिए संधि में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार भारत के लिए कुल भंडारण क्षमता 3.6 मिलियन एकड़ फीट है।

(घ) यह इस संधि के प्रावधानों के अनुसार है।

पर्यटन का विकास

3621. श्री सुव्रत बोस: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में पर्यटन के विकास हेतु केन्द्र सरकार के पास काफी संख्या में प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या नए प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास तथा उत्पाद अवसंरचना, गंतव्य विकास तथा वृहद राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसी सभी परियोजनाओं को, जो सभी प्रकार से पूर्ण थीं, निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया गया।

वर्ष 2004-05 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	एक पर्यटक स्थल के रूप में रंगभांग (मिरिक के पास) का विकास	171.54	137.23
2.	रोहिणी पर्यटक परिसर, करसियांग में रोहिणी झील का विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण	218.50	174.80
3.	दार्जिलिंग जिले में सोनाडा ग्राम का विकास	50.00	40.00
4.	बंकुरा ज़िले में मुकुटमोनीपुर ग्राम में जीओआई-यूएनडीपी इंडोजिनियस पर्यटन परियोजना	20.00	16.00
5.	बीरभूम जिले में बल्लवपुर डांगा ग्राम में जीओआई-यूएनडीपी इंडोजिनियस पर्यटन परियोजना	20.00	16.00
6.	पश्चिम बंगाल पर्यटन उत्सव, 2004	5.00	4.00
7.	दार्जिलिंग कार्निवल, 2004	8.00	6.40
8.	पश्चिम बंगाल महोत्सव, 2004	10.00	5.00
9.	तिस्ता और तोरसा पर्यटन उत्सव, 2005	6.00	4.00

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित निधियों का उपयोग

3622. **श्री हरिन पाठक:**
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्री प्रदीप गांधी:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में क्या नीति अपनायी जा रही है;

(ग) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वन में किस हद तक वृद्धि हुई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि के व्यय की निगरानी और उस पर नियंत्रण रखने हेतु किसी समिति/संस्थान के गठन का प्रावधान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार किस तरीके से यह सुनिश्चित करती है कि उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि का समुचित शीर्ष में व्यय हो?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वन विकास अभिकरणों को जारी की गई धनराशियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। वर्तमान वर्ष (2005-06) के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के आबंटन सहित 280.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वनीकरण और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वन विकास अभिकरणों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कोई आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक मांग-प्रवृत्त स्कीम है। वन विकास अभिकरणों द्वारा उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उनका अनुमोदन किए जाने के आधार पर चरणबद्ध तरीके से निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण वन क्षेत्र में वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, वैज्ञानिक क्रियाविधि अपनाकर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्लांटेशन/वनीकरण के क्षेत्र को मॉनीटर करने का दायित्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय को सौंपा गया है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करना इस योजना का एक अनिवार्य अंग है। इस योजना के अंतर्गत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्रमश: राज्य स्तरीय समन्वयन समिति और राष्ट्रीय स्तरीय विषय-निर्वाचन समिति द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत राज्यवार जारी धनराशि (2002-03 से 2004-05)

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33.00
2.	छत्तीसगढ़	33.59
3.	गुजरात	15.84
4.	हरियाणा	25.80
5.	हिमाचल प्रदेश	18.15
6.	जम्मू-कश्मीर	16.22
7.	कर्नाटक	52.41
8.	मध्य प्रदेश	41.91
9.	महाराष्ट्र	29.90

1	2	3
10.	उड़ीसा	30.36
11.	पंजाब	2.13
12.	राजस्थान	14.18
13.	तमिलनाडु	36.52
14.	उत्तर प्रदेश	59.51
15.	उत्तरांचल	18.69
16.	गोवा*	0.64
17.	झारखंड	19.29
18.	बिहार	4.62
19.	केरल	5.57
20.	पश्चिम बंगाल	13.84
	कुल (अन्य राज्य)	472.80
21.	अरुणाचल प्रदेश	8.01
22.	असम	13.57
23.	मणिपुर	12.91
24.	नागालैंड	23.05
25.	सिक्किम	11.76
26.	त्रिपुरा	11.78
27.	मिजोरम	35.91
28.	मेघालय*	2.45
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	119.44
	कुल योग	592.24

[अनुवाद]

दुग्ध क्रीम का उत्पादन

3623. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में कुल कितनी मात्रा में दुग्ध क्रीम का उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या दुग्ध क्रीम का आयात बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दुग्ध क्रीम का आयात बंद करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) दुग्ध क्रीम का मुख्यत: बटर तथा घी के उत्पादन के लिए माध्यम उत्पादन के रूप में उत्पादन किया जाता है। देश में दुग्ध क्रीम के उत्पादन के लिए कोई प्रमाणिक आंकड़े नहीं हैं। तथापि, देश में विगत तीन वर्षों तथा वर्ष 2004-05 (अनन्तिम) के लिए अनुमानित दुग्ध उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	(000 मी. टन)
2001-02	84406
2002-03	86159
2003-04	88082
2004-05 (अनन्तिम)	91000

(ख) और (ग) वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक तथा वर्ष 2004-05 (नवम्बर, 2004 तक) के दौरान दूध तथा क्रीम के आयात के संबंध में सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) डेयरी उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार डेयरी उत्पादों सहित पशुधन उत्पादों के आयात को इसकी परिसीमा में लाया गया है। इन उत्पादों के आयात की निर्यात करने वाले देशों में रोग दशा के साथ-साथ आयात करने वाले देश में रोग की दशा के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद स्वच्छता आयात परमिट से अनुमति दी जाती है ताकि देश में विदेशी रोगों के प्रवेश को रोका जा सके।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 2004-05 (नवम्बर, 2004 तक) के दौरान दुग्ध उत्पादों के आयात को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा मी. टन में)
(मूल्य लाख रुपए में)

क्र. सं.	चार संख्या स्तर पर एक्जिम कोड	दुग्ध उत्पाद	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05 (नवम्बर, 2004 तक)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	0401	दूध तथा क्रीम जो गाढ़ा न हो जिसमें शूगर या अन्य कोई मीठा पदार्थ न हो (तरल दूध)	6.2	0.98	0.30	0.26	207.99	24.17	2.88	0.85
2.	0402	शूगर/अन्य मीठा पदार्थ युक्त गाढ़ा दूध (दूध चूर्ण)	381.35	386.75	487.43	523.87	9539.63	8007.94	315.86	286.93
3.	0403	छांछ, कर्डल्ड मिल्क तथा क्रीम, योगर्ट, केफीर तथा अन्य खमीरीकृत या अम्लीकृत दूध तथा क्रीम, योगर्ट	7.77	10.71	15.37	60.54	29.17	28.35	81.65	42.19

गेंदा की खेती

3624. श्री दुष्यंत सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेंदा की खेती व उसका निर्यात करने की व्यापक क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो गेंदा की पैदावार क्षमता का दोहन करने तथा उसका उत्पादन व निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्तमान में देश में गेंदा का उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य कौन-कौन हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार अपनी महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार "कृषि में वृहद् प्रबंधन—कार्य योजना के जरिए राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण" पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसमें गेंदा सहित समेकित पुष्प कृषि के विकास पर एक कार्यक्रम शामिल है। निर्यात के लिए, एपेडा अपनी वित्तीय सहायता स्कीमों के माध्यम

से प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। ताजे गेंदें के फूलों का निर्यात नहीं किया जाता है लेकिन सह-उत्पाद जैसे-गेंदे के तेल और गेंदे के अर्क का निर्यात किया जा रहा है।

(ग) गेंदे के उत्पादन वाले अग्रणी राज्य है - तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश।

जल मानचित्र

3625. श्री जोवाकिम बखला: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की चट्टानों, ताजा जल की आपूर्ति तथा जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट और लोह तत्व के उच्च सांद्रण का पता लगाने हेतु एक जल मानचित्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त जल मानचित्र को कब तक तैयार किया जाएगा और जनता हेतु जारी किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) तैयार किए गए भूजल प्रयोक्ता मानचित्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मानचित्र जारी किए जा चुके हैं और प्रयोक्ता अभिकरणों को वितरित किए जा चुके हैं।

विवरण

तैयार किए गए भूजल प्रयोक्ता मानचित्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन जिलों की कुल संख्या जिनके लिए मानचित्र तैयार किए गए हैं
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	8
3.	असम	23
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	16
6.	दादरा और नगर हवेली	1
7.	दिल्ली	9
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	25
10.	हरियाणा	19
11.	हिमाचल प्रदेश	12
12.	जम्मू-कश्मीर	14
13.	झारखंड	22
14.	कर्नाटक	27
15.	केरल	14
16.	लक्षद्वीप	9 द्वीप
17.	मध्य प्रदेश	22
18.	महाराष्ट्र	34
19.	मणिपुर	6
20.	मेघालय	7
21.	मिजोरम	4
22.	नागालैंड	4
23.	उड़ीसा	30
24.	पांडिचेरी	2
25.	पंजाब	17
26.	राजस्थान	32
27.	सिक्किम	2
28.	तमिलनाडु	29
29.	त्रिपुरा	4
30.	उत्तर प्रदेश	70
31.	उत्तरांचल	5
32.	पश्चिम बंगाल	18

[हिन्दी]

वन में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार

3626. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री महेश कनोड़ीया:
श्री पी. मोहन:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री टी.के. हमजा:
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्री हरिन पाठक:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक जनजातियों और वनों में रहने वाले अन्य लोगों को अधिकारियों द्वारा उन्हें बेदखल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वन उत्पाद (वन आश्रित समुदाय का स्वामित्व) अधिनियम, 2005 के प्रारूप मॉडल कानून को अंतिम रूप दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसमें वन उत्पाद की निगरानी करने हेतु जनजातियों सहित वन में रहने वाले अन्य लोगों को अधिकार दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित कानून का ब्यौरा क्या है;

(च) यह वन भूमि पर जनजातीय लोगों के विवादित दावों के निपटान हेतु वर्ष 1990 में जारी किए गए दिशानिर्देशों से किस हद तक अलग है;

(छ) इस कानून को कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ज) यह किस हद तक मददगार होगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत वन भूमि का अतिक्रमण एक अपराध है। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्य/संघ शासित सरकारों को एक बार छूट देते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 1980 से पूर्व के पात्र अतिक्रमणों को नियमित करने का अवसर प्रदान किया था और 18.9.1990 को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए थे। साथ ही साथ दिशानिर्देशों में अपात्र अतिक्रमणों को और 1980 के बाद के सभी अतिक्रमणों से बेदखली शामिल है। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.11.2001 के आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने 3 मई, 2002 को सभी राज्य/संघ शासित सरकारों को वन भूमि से अपात्र अतिक्रमणकर्ताओं और 1980 के बाद के सभी अतिक्रमणकर्ताओं को समयबद्ध तरीके से बेदखल करने के अनुदेश दिए। राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई से अपात्र तथा 1980 के बाद के अतिक्रमणकर्ताओं और वास्तविक आदिवासियों और वन में रहने वाले, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लागू होने से पहले वन भूमियों पर रह रहे हैं, के बीच अन्तर नहीं रखा गया है। वन भूमियों पर आदिवासियों और वन में रहने वालों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने 21.12.2004 को राज्य/संघ शासित सरकारों से अनुरोध किया कि वे अपात्र अतिक्रमणकर्ताओं के अलावा आदिवासियों और वन वासियों को बेदखल न करे जब तक कि वन भूमियों पर ऐसे लोगों और उनके अधिकारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता जैसा कि केन्द्र सरकार के दिनांक 18.9.90 और 30.10.2002 के दिशानिर्देशों में दोहराया गया है।

(ग) से (ज) जी हां, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ''राज्य/संघ शासित लघु वन उत्पाद (वन आश्रित समुदाय का स्वामित्व) अधिनियम, 2005'' नामक प्रारूप माडल कानून तैयार किया है जो कि वन आश्रित समुदायों के सरकारी वन भूमियों के लघु वन उत्पाद पर स्वामित्व अधिकारों के प्रबंध से संबंधित है। 1990 में जारी दिशानिर्देश वन भूमियों पर आदिवासियों के विवादास्पद दावों के निपटान से संबंधित थे जबकि प्रस्तावित माडल कानून आदिवासियों और वन में रहने वाले आदिवासियों के लघु वन उत्पाद पर स्वामित्व अधिकार की पुष्टि करता है। प्रक्रियानुसार प्रारूप माडल कानून पर राज्य/संघ शासित सरकारों सहित सभी स्टेक होल्डरों के साथ विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सिन्धु समिति और कृतिक बल की रिपोर्ट

3627. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':
श्री टी. के. हमजा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सही मूल्य पर जीवनरक्षक दवाओं की आसानी से उपलब्धता कराने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश अभी भी कतिपय जीवनरक्षक दवाओं के लिए आयात पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में विकल्पों का सुझाव देने हेतु एक कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(छ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (छ) समय-समय पर यथासंशोधित औषध नीतियों का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली औषधों की उचित कीमत पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 95) जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों के बीच कोई भेद नहीं करता है। यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड अथवा मार्गदर्शी रूपरेखा नहीं है जिससे कि कौन-कौन से औषधों को जीवन रक्षक औषध के रूप में वर्गीकृत किया जाए। आमतौर पर सभी औषधें जीवन रक्षक और दीर्घायु बनाने में उपयोगी मानी जाती हैं।

औषधों का आयात लागू विदेश व्यापार नीति द्वारा अभिशासित होता है और यह विभिन्न सांविधि के प्रावधानों जैसे औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम और उसके तहत बनी नियमावली पर निर्भर होता है।

देश अधिकांश औषधों के विनिर्माण में आत्मनिर्भर है। औषधों का आयात देश में उत्पादन की कमी से जुड़ा नहीं हो सकता क्योंकि विनिर्माताओं द्वारा किए गए आयात भिन्न-भिन्न कारणों से हो सकते हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती औषधियों की उपलब्धता, विदेशी मूल से प्रापण को आयात से जोड़ना आदि है।

जीवनरक्षक औषधें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूल्य नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य विकल्पों का पता लगाने के लिए प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य-बल का भी गठन किया गया है। कार्य-बल का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2005 तक बढ़ा दिया गया है।

दवाओं के खुदरा मूल्य

3628. श्री सनत कुमार मंडल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दवाओं की उत्पादन और पैकेजिंग लागत की तुलना में उनका खुदरा मूल्य अधिक अंकित किया जा रहा है तथा उन्हें ग्राहकों को अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रवृत्ति रोकने तथा आम आदमी को ऐसे शोषण से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 1995) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापारिक कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद सुधार, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में सरकार द्वारा उपचारी उपाए किए जाते हैं।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संख्या (सी) 3668/2003 पर सर्वोच्च न्यायालय के मत के आलोक में मूल्य नियंत्रण (ट्रेड मार्जिन सहित) की सीमा की जांच करने और उचित मूल्यों पर जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपय सुझाने हेतु संयुक्त सचिव (फार्मा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ चयनित बास्केट (आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003) के उन सभी औषधों जो मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, की गहन मानिटरिंग, औषधों के ट्रेड मार्जिन की सीमा, नए पेटेंटशुदा औषधों के मूल्य सौदों का एक तंत्र, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए विशेष योजनाएं,

विनिर्माताओं से औषधों की थोक खरीद और उन्हें कम दाम पर बेचने के लिए लाइफ लाइन फ्लयूड स्टोर्स (मेडिकेयर सोसायटियों द्वारा चालित अस्पताल फार्मेसी स्टोर्स) के राजस्थान मॉडल का प्रचालन, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए दंड, कर्नाटक के मॉडल पर सभी राज्यों में डी पी सी ओ प्रकोष्ठों की स्थापना, जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास, सरकार और एन पी पी ए के फैसलों और नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार आदि शामिल हैं।

जीवन रक्षक दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु मूल्य नियंत्रण के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रधान सलाहकार (पी पी), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

बाघों के अवैध शिकार में तिब्बतियों का हाथ

3629. **श्री उदय सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बाघों के अवैध शिकार में कुछ अवैध तिब्बती शिकारी लिप्त हैं जैसाकि 23 मार्च, 2005 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाघों की गणना तीन दशक पुरानी पग निशान गिनती के आधार पर की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो गणना की यह पद्धति किस सीमा तक सही है; और

(ङ) बाघों की गणना में नवीनतम पद्धति अपनाए जाने तथा देश में तिब्बतियों की अवैध शिकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) और (ख) बाघ, चीता, ऊदबिलाव और अन्य वन्यजीवों के शरीर के भाग तिब्बत मूल के लोगों से अनेक बार जब्त किए गए हैं।

(ग) से (ङ) पग-निशान के माध्यम से बाघों की संख्या का अनुमान लगाने की प्रचलित प्रद्धति से सांख्यकी अनुमान की तुलना में कुल संख्या का पता चलता है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर इसमें सुधार किया गया है और अब इस सुधार से बाघ की उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति के लिए पग निशान को एक मापदण्ड के रूप में प्रयोग के द्वारा बाघ वितरण का नक्शा तैयार करके समस्या का निपटान किया गया है। कुल अनुमानित संख्या वैज्ञानिक रूप से अनुमोदित और श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा समीक्षित तकनीकों के प्रयोग द्वारा सैम्पल ब्लाक में सैम्पलिंग और गहन अनुसंधान स्तर डाटा संग्रह करके निकाली गई है।

देश में वन्यजीवों के बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत बाघों सहित वन्यजीवों के शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध वैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

(2) वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षमता एवं अवसंरचना को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(4) वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को फील्ड-संरचनाओं को सहायता देने के लिए कहा है।

(5) देश में वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अनेक कार्य-बिन्दुओं और प्राथमिक परियोजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) आरम्भ की गई है।

गुजरात में कपास अनुसंधान केन्द्र

3630. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात राज्य में कपास अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना गुजरात राज्य में पहले ही जूनागढ़ और सूरत अनुसंधान केन्द्रों पर चल रही है। इसके अतिरिक्त, गुजरात में आनन्द, भड़ौच और विरामगम स्थित स्वयंसेवी केन्द्रों को भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

गन्ना किसानों की बकाया राशि

3631. **श्री रेवती रमन सिंह:**
श्री काशीराम राणा:
योगी आदित्यनाथ:
श्री वाई. जी. महाजन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय चीनी मिल संघ (आई.एस.एम.ए.) से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें गन्ना मूल्य प्रणाली में कतिपय परिवर्तन तथा संशोधनों की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान गन्ने का देय मूल्य, किया गया भुगतान तथा चीनी मिलों पर बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गन्ने की अत्यधिक बकाया राशि से गन्ना उत्पादन में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संकट का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन ने गन्ना मूल्य निर्धारण प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन करने के लिए कहा है:

(1) ऊष्ण कटिबंधीय और ऊपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए;

(2) मूल गन्ना मूल्य से संबद्ध मूल रिकवरी को बढ़ाकर 9.25 प्रतिशत किया जाए;

(3) उद्योग और गन्ना किसानों के बीच उच्चतर रिकवरी के प्रीमियम को 50:50 के अनुपात में बराबर-बराबर बांटा जाए;

(4) फैक्ट्री-वार सांविधिक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण उच्चतम रिकवरी की बजाय औसत रिकवरी के आधार पर किया जाए; और

(5) रिकवरी दर को सामान्य सांख्यिकीय पद्धति के अनुसार पूर्णांक बनाया जाए।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान देय कुल गन्ना मूल्य, अदा की गई राशि और चीनी मिलों की ओर बकाया राशि के राज्य-वार ब्यौरे बताने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सूखा पड़ने और वूली एफिड्स जन्तुबाधा होने के कारण गन्ने के उत्पादन में गिरावट हुई थी।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान गन्ने की निम्नलिखित मात्रा का उत्पादन हुआ है:

(मिलियन टन में)

2002-03	-	287.38
2003-04	-	237.31
2004-05	-	234.67

(च) सामान्य मानसून होने से गन्ने के अधीन क्षेत्र में बढ़ोतरी होने की सूचना मिली है, जिससे वर्ष 2005-2006 में अधिक चीनी का उत्पादन होने की आशा है।

विवरण

चीनी मौसम 2004-05 (28.2.2005 की स्थिति के अनुसार) में देय, भुगतान किया गया और बकाया गन्ना मूल्य

(आंकड़े लाख रुपये में)
(अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य	देय गन्ना मूल्य	भुगतान किया गया गन्ना मूल्य	बकाया गन्ना मूल्य
1.	पंजाब	32561.49	32056.25	505.24
2.	हरियाणा	34378.00	31495.00	2883.00
3.	राजस्थान	260.66	260.66	0.00
4.	उत्तर प्रदेश	397823.00	345695.00	52128.00
5.	उत्तरांचल	34178.29	27441.79	6736.50
6.	मध्य प्रदेश	3784.15	3687.03	97.12
7.	गुजरात	37728.28	35593.60	2134.68
8.	महाराष्ट्र	145679.33	144567.70	1111.63
9.	बिहार	23805.67	22291.40	1514.27
10.	असम	0.00	0.00	0.00
11.	आंध्र प्रदेश	65290.13	57722.70	7567.43
12.	कर्नाटक	86835.00	77084.00	9751.00
13.	तमिलनाडु	43488.84	35789.74	7699.10
14.	केरल	0.00	0.00	0.00
15.	उड़ीसा	2200.74	1664.54	536.20
16.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00
18.	पांडिचेरी	1224.46	759.17	465.29
19.	गोवा	611.03	611.03	0.00
	कुल	909849.07	816719.61	93129.46

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच

3632. श्री इलियास आजमी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.), लखनऊ के कर्मचारियों के विरुद्ध उनके पदनाम सहित की गई सतर्कता जांच का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चावल की खरीद के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ क्षेत्र के चावल खरीदने की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनके पदनाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सुपारी उत्पादक

3633. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर कर्नाटक में उत्पादन लागत बढ़ने तथा कम मूल्य मिलने के कारण सुपारी उत्पादक बहुत कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सुपारी (लाल तथा सफेद) उत्पादकों को सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। सुपारी के लिए एक राज्य स्तरीय कृतक बल का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है ताकि सुपारी के किसानों की समस्याओं का पता लगाया जा सके।

(ग) और (घ) भारत सरकार "कृषि में वृहद् प्रबंधन-कार्य योजना के जरिए राज्य के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण" पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत राज्य सरकार के अनुरोध पर सहायता दी जाती है। इसके अलावा, संघ सरकार ने वर्ष 2002-03 के दौरान सफेद और लाल सुपारी के अधिप्रापण हेतु कर्नाटक राज्य में एक मंडी हस्तक्षेप स्कीम लागू किया है और कुल 3097 टन सफेद सुपारी का अधिप्रापण किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान एक समर्थन मूल्य स्कीम भी कार्यान्वित किया है और 670 मिट्रिक टन लाल सुपारी का अधिप्रापण किया है जिसका मूल्य 6.00 करोड़ रु. है। वर्ष 2005-06 के दौरान यह स्कीम कार्यान्वित की जा रही है और क्रमश: 85 रु./प्रति किग्रा. की दर से लाल और सफेद सुपारी के अधिप्रापण के लिए 10.00 करोड़ रु. का आवंटन भी किया गया है।

कर्नाटक में छात्रों को पैकेज टूर

3634. श्री एम. शिवन्ना: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने शिक्षा विभाग तथा कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम (के एस टी-डी सी) के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए विशेष पैकेज टूर बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार विभाग को अपनी चिन्नारा कर्नाटक स्कीम के लिए लोजिस्टिक सहायता भी प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त योजना के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) यह कार्यक्रम 'चिन्नारा कर्नाटक दर्शन' के रूप में जाना जाता है और कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जाता है। राज्य के 27 जिलों के सभी 202 शैक्षणिक ब्लॉकों (प्रत्येक ब्लॉक से 50 बच्चे) को कवर किया जा रहा है। यह टूर कार्यक्रम 5 दिनों का है और परियोजना की कुल लागत 185 लाख रुपए है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता जिसमें चिन्नारा कर्नाटक दर्शन भी सम्मिलित था जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, 9वीं योजना के दौरान 85:15 शेयरिंग व्यवस्था और 10वीं योजना के दौरान 75:25 शेयरिंग व्यवस्था और उसके पश्चात् 50:50 शेयरिंग पर था।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पशुधन नीति

3635. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त मसौदे को सुझावों हेतु राज्य सरकारों को भेजा जा चुका है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इसकी घोषणा कब तक हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) जी, हां। पशुधन उत्पादों, आहार और चारा संसाधनों में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने तथा भावी नीतियों और कार्यक्रमों को निर्देशित करने के लिए विभिन्न प्रबंधकीय हस्तक्षेपों तथा पशुपालन विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से प्रजनन, पोषण तथा स्वास्थ्य देखभाल के बारे में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए भी राष्ट्रीय पशुधन नीति बनायी जा रही है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय पशुधन नीति के प्रारूप पर राज्यों के पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि पशुधन और पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करके इसे विश्व स्तर का बनाया जाए।

(छ) राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाने में समय लगता है।

[अनुवाद]

वन्य जीव संरक्षण में लगे गैर-सरकारी संगठन

3636. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में बाघों सहित वन्य जीव संरक्षण में सक्रिय रूप से लगे अग्रणी गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या कतिपय राज्यों विशेषकर उड़ीसा द्वारा वन्य जीव स्कंध, पुलिस अग्रणी-वाघ संरक्षण, गैर-सरकारी-संगठनों, वन्य जीव विशेषज्ञों आदि को शामिल करके कोई बाघ संकट या निगरानी प्रकोष्ठ-खोले गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) राज्य स्तर पर वन्य जीव संरक्षण में लगे गैर-सरकारी संगठनों के संकलन का रखरखाव नहीं किया गया है, इस मंत्रालय के पास कुछ गैर-सरकारी संगठनों की जानकारी है जो बाघ सहित वन्य जीव संरक्षण में लगे हुए हैं: (1) वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर-भारत (2) वाइल्डलाइफ प्रौटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया (3) बंबई नेच्युरल हिस्ट्री सोसाइटी (4) वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया।

(ख) और (ग) कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में एक 'टाइगर सेल' का गठन किया गया है। तथापि, उड़ीसा राज्य में बाघ संकट या निगरानी प्रकोष्ठ गठन के संदर्भ में कोई रिपोर्ट नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य अपमिश्रण

3637. श्री राकेश सिंह: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में खाद्य अपमिश्रण सुरक्षोपाय संबंधी नियमों के वर्तमान उपबंधों का ब्योरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितने मामले दर्ज किये गए तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या खाद्य अपमिश्रण सुरक्षोपाय संबंध नियमों में कोई कमी है जिसके कारण खाद्य अपमिश्रण की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण संबंधी उपबंधों का उल्लेख खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों में है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरणों द्वारा उनकी अपनी वार्षिक रिपोर्टों के जरिए उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2003 के दौरान दर्ज किए गए मामलों के ब्योरे उन पर की गई कार्रवाई समेत विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के तहत की जाती है। वैसे खाद्य सुरक्षा के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समेकित खाद्य कानून तथा संबंधित विनियमन तैयार करने के लिए आवश्यक समझे गए विधायी तथा अन्य परिवर्तन प्रस्तावित करने हेतु एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है।

विवरण

वर्ष 2003 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत दर्ज किए गए मामलों की संख्या से संबंधित ब्योरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 2003 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं	अदालत में मामले दायर किये गये है
आंध्र प्रदेश	927	
अरुणाचल प्रदेश	2	
असम	उपलब्ध नहीं	
बिहार	उपलब्ध नहीं	
चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं	
छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं	
दादरा और नगर हवेली	उपलब्ध नहीं	
दमन और दीव	शून्य	
दिल्ली	उपलब्ध नहीं	
गोवा	08	
गुजरात	उपलब्ध नहीं	
हरियाणा	485	
हिमाचल प्रदेश	85	
जम्मू-कश्मीर	66	
कर्नाटक	शून्य	
केरल	249	
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	
मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं	
महाराष्ट्र	485	
मणिपुर	शून्य	
मेघालय	3	
मिजोरम	शून्य	
नागालैंड	उपलब्ध नहीं	
उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	
पांडिचेरी	उपलब्ध नहीं	
पंजाब	291	
राजस्थान	286	
सिक्किम	उपलब्ध नहीं	
तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	
त्रिपुरा	8	
उत्तर प्रदेश	2076	
उत्तरांचल	13	
पश्चिम बंगाल	251	
झारखण्ड	48	

उपलब्ध नहीं: संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरणों ने अब तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

[अनुवाद]

एम.एस. स्वामीनाथन समिति के अधीन कृषि-जैव प्रौद्योगिकी नीति संबंधी कृतिक बल

3638. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य मंत्रियों से भी परामर्श किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या उक्त समिति ने कृषि-जैव प्रौद्योगिकी तथा परीक्षण बुनियादी संरचना के विस्तार के लिए एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कुल कितने निवेश की आवश्यकता होगी; और

(च) इसके कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों ने कृतक बल की सिफारिशों का समर्थन किया है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और कुछ अन्य कार्यप्रणाली संबंधी मामलों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के कुछ भिन्न दृष्टिकोण हैं।

(घ) और (ङ) कृतक बल ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है ताकि औषधियों और कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग [illegible] किया जा सके। कृतक बल के आकलन के अनुसार रा[illegible] प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु तीन [illegible] अवधि के लिए अपेक्षित कुल निवेश 150 करोड़ रु. थ[illegible]

(च) सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधि[illegible] की स्थापना के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि

3639. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मिल-वार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान 2001-02 में चीनी विकास निधि से एक चीनी कारखाने अर्थात मै. श्री मारोली विभाग खंड उद्योग सहकारी मंडली लि., कल्याण नगर, मारोली, बाजार, जिला नवसारी, गुजरात को 831.264 लाख रुपये ऋण मंजूर किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राचीन विरासत शहरों को पर्यटन स्थल के रूप में प्रोत्साहन

3640. **श्री पी. मोहन:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्राचीन विरासत शहरों को पर्यटन स्थलों के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे शहरों के लिए शहर-वार, वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई; और

(घ) मदुरै-मीनाक्षीयामन मंदिर को विश्व के सात अजूबों में से एक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटक गंतव्यों के अभिनिर्धारण, विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, घरेलू एवं विदेशी मार्केटों में अपने इन्क्रेडिबल इंडिया अभियान के माध्यम से गंतव्यों के संवर्धन में भी सहायता करता है। यह चुनिंदा परिपथों और गंतव्यों की अवसंरचना में सुधार के लिए राज्य सरकारों की सहायता भी करता है, जिसमें महत्वपूर्ण विरासत शहर और स्मारक शामिल हैं। यह सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है।

(घ) मदुरै में मीनाक्षी मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य है। राज्य सरकार और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुदरै में मीनाक्षीयामन मंदिर के संवर्धन हेतु उठाए गए कदमों की वजह से यह विश्व के अत्यधिक लोकप्रिय केन्द्रों में से एक बन गया है।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, दुर्गापुर के क्वार्टरों के आबंटन में देरी

3641. श्री सुनील खां: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक विभाग ने गृह मंत्रालय के साथ ए डी डी ए की सहमति से हिन्दुस्तान उर्वरक लिमिटेड (एचएफसीएल) दुर्गापुर को 400 क्वार्टर सौंपने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों के आबंटन में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में मत्स्य बंदरगाह

3642. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में क्रियाशील मत्स्य बंदरगाहों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पश्चिम बंगाल में विगत तीन वर्षों के दौरान 4 मत्स्यन बंदरगाह अर्थात् 24 परगना (दक्षिण) जिले में फ्रेशरगंज, पूर्बा मिदनापुर जिले में दिघा (चरण-2), 24 परगना (दक्षिण) जिले में सुल्तानपुर (डायमंड हारबर) कार्य कर रहे हैं।

(ख) भारत सरकार पश्चिम बंगाल में मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

(1) पश्चिम बंगाल के तट के साथ 4 (चार) मत्स्यन बंदरगाहों के अलावा केन्द्रीय सहायता से 12 मछली उतारने के केन्द्रों का विकास किया गया है तथा उन्हें उपयोग के लिए दे दिया गया है। इसके अलावा, दो नए मत्स्यन बंदरगाहों जिनमें एक 24 परगना (दक्षिण) जिले में हारवुड प्वाइंट में और दूसरा पूर्बा मिदनापुर जिले में पेतुआघाट में निर्माण के लिए क्रमशः मार्च, 2001 तथा मार्च, 2005 में अनुमोदन किया है।

(2) पारंपरिक नौकाओं के मोटरीकरण संबंधी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 100 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(3) ताजा जल जलकृषि का विकास कार्यक्रम 18 (अठारह) ताजा जल मत्स्यपालक विकास एजेंसियों (एफ एफ डी ए) तथा 3 (तीन) खारा जल मत्स्यपालक विकास एजेंसियों (एफ एफ डी ए) के जरिए क्रियान्वित किया गया है। वर्ष 2003-04 तक, 3,83,640 लाभार्थियों को शमिल करते हुए 116483 हैक्टेयर क्षेत्र को मछली पालन के तहत लाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत उन्नत मत्स्यपालन व्यवसाय में कुल 2,05,225 मत्स्यपालकों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

(4) बचत-सह-राहत कार्यक्रम के तहत 2002-03 से 2004-05 तक तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 40 हजार समुद्री मछुआरों को कवर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 120 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(5) मछुआरा बीमा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 4.8 लाख मछुआरों के बीमा के लिए फिशकॉपफेड के जरिए 33.60 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

(6) मछुआरा गांवों के विकास संबंधी कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दो वित्तीय वर्षों के लिए 1890 मछुआरा घरों, 84 ट्यूबवैलों तथा 4 सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए 160.4 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों में पीठासीन अधिकारी के रिक्त पद

3643. श्री हितेन बर्मन:
श्री रामदास आठवले:
श्री रनेन बर्मन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम न्यायालयों तथा अधिकरणों में पीठासीन अधिकारी के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पदों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पदों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित मामलों को निपटाने के लिए इन पदों को कब तक भर लिये जाने की संभावना है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार देश में श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों में लंबित पड़े मामलों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ग) वर्तमान में मुम्बई-1 मुम्बई-2 और नागपुर स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं। भर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार शीघ्र ही इन पदों के भर लिए जाने की संभावना है।

(घ) लम्बित मामलों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ङ) सरकार ने औद्योगिक विवादों के निपटान में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(1) औद्योगिक विवादों के निपटान में तेजी लाने के लिए 17 विद्यमान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के अलावा वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान अहमदाबाद, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में पांच नए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(2) लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के न्याय निर्णयन के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निपटान तंत्र के रूप में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नई योजना शुरू की गई है।

विवरण

आदिनांक राज्यवार 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लम्बित मामलों की कुल संख्या

क्रमांक	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के नाम	मामले	आवेदन पत्र	राज्यवार क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	मुंबई संख्या 1$	233	80	महाराष्ट्र (अंशत:) गोवा (अंशत:) दमन और दीव संघ क्षेत्र (अंशत:)
2.	मुंबई संख्या 2	344	406	महाराष्ट्र (अंशत:) गोवा (अंशत:) दमन और दीव संघ क्षेत्र (अंशत:)
3.	नागपुर	824	7	महाराष्ट्र (अंशत:) गोवा (अंशत:) दमन और दीव संघ क्षेत्र (अंशत:)

1	2	3	4	5
4.	धनबाद संख्या 1	1874	391	बिहार (अंशत:) झारखण्ड (अंशत:)
5.	धनबाद संख्या 2	1040	51	बिहार (अंशत:) झारखण्ड (अंशत:)
6.	जबलपुर	1503	635	मध्य प्रदेश
7.	कानपुर	685	281	उत्तर प्रदेश (अंशत:) (गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों के अलावा)
8.	नई दिल्ली संख्या 1	556	181	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली केवल
9.	नई दिल्ली संख्या 2	556	102	उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले तथा हरियाणा में गुडगांव और फरीदाबाद जिले
10.	आसनसोल	471	94	पश्चिम बंगाल (अंशत:) बिहार (अंशत:)
11.	कोलकाता $	219	130	पश्चिम बंगाल
12.	चण्डीगढ़ संख्या 1	2041	329	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश
13.	चण्डीगढ़ संख्या 2	54	7	जम्मू और कश्मीर, हरियाणा (अंशत:) (गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों के अलावा)
14.	जयपुर	123	57	राजस्थान
15.	लखनऊ	435	36	उत्तर प्रदेश (अंशत:) (गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों के अलावा)
16.	बंगलौर	356	31	कर्नाटक
17.	एर्णाकुलम	4	0	केरल लक्षद्वीप
18.	चेन्नई	588	22	तमिलनाडु पांडीचेरी
19.	हैदराबाद	665	1282	आन्ध्र प्रदेश
20.	भुवनेश्वर	418	108	उड़ीसा
21.	गोहाटी	25	5	पूर्वोत्तर राज्य
22.	अहमदाबाद	1666	833	गुजरात
	कुल	14680	5068	

$इन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों को राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के रूप में भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

बच्चों का शोषण

3644. श्री रामदास आठवले:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बाल श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है जिससे श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बच्चों के शोषण तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में सरकार को कुल कितनी शिकायतें मिली हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कठोर कदम उठाए जाने की संभावना है ताकि बच्चे शोषण से बचाये जा सकें?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) सरकार देश में हो रहे बच्चों के शोषण के बारे में सतर्क है और ऐसे बच्चों को काम से हटा कर उनका पुनर्वास करने और नियोजकों पर मुकदमा चलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकारें उपयुक्त सरकार हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रम के संबंध में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए नियोजकों पर चलाए गए मुकदमों संबंधित आंकड़े निम्नवत् हैं;

वर्ष	चलाए गए मुकदमें
2002-03	8930
2003-04	2650
2004-05	8246*

*अनन्तिम

(च) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 में पहले ही पर्याप्त निवारक प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे को नियोजित करता है तो कम से कम तीन माह की अवधि के कारावास की सजा का पात्र होगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा जिसे 20,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पर्यटन प्रोत्साहन बोर्ड

3645. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने के लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र, दोनों के वित्त पोषण से राष्ट्रीय पर्यटन प्रोत्साहन बोर्ड का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यटन प्रोत्साहन बोर्ड के गठन के मामले का परीक्षण पूर्व में भी किया जा चुका है लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इस मामले का पुन: परीक्षण किया जा रहा है।

शीतागार की स्थापना

3646. श्री सुग्रीव सिंह:
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा उड़ीसा में और शीतागारों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) चालू-वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उनकी क्षमता सहित स्थापना किए जाने वाले शीतागारों की राज्य-वार संख्या क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देश में शीत भंडागारों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेन्सी है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उड़ीसा राज्य सरकारों से उन राज्यों में और शीत भंडागारों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष जो दिनांक 01.04.2005 से शुरू हो रहा है प्रत्येक राज्य को शीत भंडागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु प्रदत्त राज सहायता के संबंध में ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) बोर्ड की स्कीम मांग/उद्यम चालित है इसलिए स्कीम के तहत शीत भंडागारों की स्थापना हेतु कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

मुल्ला पेरियार बांध

3647. **श्री जे.एम. आरुन रशीद:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को मुल्ला पेरियार बांध के काफी समय से लंबित विवाद को निपटाने के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तकनीकी समिति ने बांध के ढांचे तथा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं। मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा और जलाशय मे जल स्तन बढ़ाने संबंधी विवाद भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

(ख) मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा का अध्ययन करने और मुल्ला पेरियार जलाशय में जल स्तर को 136 फीट (41.45 मीटर) से आगे बढ़ाने के संबंध में माननीय जल संसाधन मंत्री को सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा जून, 2000 में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मार्च, 2001 में सरकार को प्रस्तुत कर दी और उनके निर्देशों के अनुसार इसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

(ग) आगे की कार्रवाई भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करती है।

मिर्च के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना

3648. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के किसानों को बाजार में मिर्च की बिक्री में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य के मिर्च उत्पादक किसानों को राहत पहुंचाने हेतु मिर्च की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कितनी राहत दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में मिर्च की खेती करने वाले किसानों को राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 23.03.05 से 31.05.05 तक प्रीमियम क्वालिटी की 30,000 मी. टन मिर्च की खरीद 2700/- रुपये प्रति क्विंटल तथा सामान्य क्वालिटी की मिर्च की खरीद 2500/- रुपये प्रति क्विंटल मंडी हस्तक्षेप मूल्य पर करने के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) का कार्यान्वयन किया गया। चालू वर्ष के दौरान अब तक आंध्र प्रदेश में 1500 मी. टन मिर्च की खरीद की गई हैं, जो सामान्य क्वालिटी की है। वर्ष 2003-04 के दौरान मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के अंतर्गत 30,000 मी. टन के लक्ष्य की तुलना में 27,910 मी. टन मिर्च की खरीद की गई। वर्ष 2003-04 के दौरान गुणवत्ता का संदर्भ दिए बिना मिर्च के लिए केवल एक मूल्य अर्थात 2650/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।

[हिन्दी]

लौह अयस्क संबंधी रायल्टी का निर्धारण

3649. **श्रीमती करूणा शुक्ला:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने लौह अयस्क की रॉयल्टी का निर्धारण बिक्री मूल्य के एक प्रतिशत के आधार पर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) जैसाकि खान मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, परंपरानुसार ईंधन तथा गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन करने के लिए अपर सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया जाता है, जिसमें बारी-बारी से प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय "भारतीय खान ब्यूरो" और भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। राज्य सरकारों सहित सभी स्टेक होल्डर्स से टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। स्टेक होल्डर्स से प्राप्त सभी सूचनाओं पर विचार करते हुए तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ समानता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन दल द्वारा दरों की अनुशंसा की जाती है। नवीनतम अध्ययन दल को राज्य सरकारों से प्राप्त हुई अनुशंसाएं, टनेज आधार पर लौह अयस्क के लिए रॉयल्टी निर्धारण हेतु सामान्य प्रकृति की थीं।

(ग) अध्ययन दल द्वारा की गई अनुशंसानुसार लौह अयस्क के लिए रॉयल्टी की दरें टनेज आधार पर निर्धारित की गई हैं और 14.10.2004 को निम्नानुसार अधिसूचित की गई हैं:

लौह अयस्क	
(1) ढेले	
(क) 65% या अधिक लौहांश वाले	27 रुपए प्रति टन
(ख) 62% या अधिक किंतु 65% से कम लौहांश वाले	16 रुपए प्रति टन
(ग) 62% से कम लौहांश वाले	11 रुपए प्रति टन
(2) चूरा	
65% या अधिक लौहांश वाले	19 रुपए प्रति टन
62% या अधिक किंतु 65% से कम लौहांश वाले	11 रुपए प्रति टन
62% से कम लौहांश वाले	8 रुपए प्रति टन
(3) सज्जीकरण द्वारा तैयार सांद्रण और/या 40% अथवा कम लौहांश वाले निम्न श्रेणी के अयस्क का सांद्रण	4 रुपए प्रति टन

(स्रोत: खान मंत्रालय)

[अनुवाद]

निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की स्थिति

3650. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर राज्यों ने देश में भवन और अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत 17.6 मिलियन से अधिक कामगारों के कल्याण हेतु लागू किए गए (1) दि बिल्डिंग एंड अदर कन्सट्रक्शन-वर्कर्स (रेगूलेशन ऑफ इम्लायमेंट एंड कंडिशन्स-ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996 और (2) दी बिल्डिंग एंड अदर कन्सट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेयर सेस अधिनियम, 1996 के उपबंधों को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियमों के उपबंधों का शब्दश: कार्यान्वयन किया जाए ताकि निर्माण कार्य में कार्यरत कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकें?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) जी हां। सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार

(नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 को सही भावना से क्रियान्वित करने के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास कर रही है। प्रधान मंत्री कार्यालय के निर्देशों के अनुसरण में, इन अधिनियमों के क्रियान्वयन की गहन निगरानी तथा समीक्षा के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। विशेष दल की बैठकों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों पर राज्य नियमों को अंतिम रूप देने तथा इन अधिनियमों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए जोर दिया गया था। अभी तक आयोजित विशेष दल की बैठकों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	विशेष दल की बैठक की तारीख तथा स्थान	क्षेत्र	बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य
1.	11.10.2004 (कोलकाता)	पूर्वी क्षेत्र	बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप
2.	19.10.2004 (शिलांग)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, और नागालैण्ड
3.	18.2.2005 (मसूरी)	उत्तर-क्षेत्र	दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, और उत्तरांचल
4.	11.4.2005 (अहमदाबाद)	पश्चिमी क्षेत्र	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दमन, दीव और दादरा नगर हवेली, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात

[हिन्दी]

मेलों एवं उत्सवों को राष्ट्रीय दर्जा

3651. श्री देविदास पिंगले: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसी मेले, यात्रा उत्सवों अथवा अन्य मान्य उत्सवों को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में कुंभ मेलों को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) शर्त में यह प्रावधान है कि पर्यटन से संबंधित उत्सव का राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होना चाहिए और यह भारत के लिए एक ब्रांड इक्विटी का निर्माण करे। यह उत्सव राज्य की सीमाओं से परे हो और स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से पर्यटन से संवर्धन पर केन्द्रित हो।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि को समवर्ती सूची में सम्मिलित करना

3652. श्री डी. विट्ठल राव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों से कृषि को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों से परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यों से प्राप्त सुझाव क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) भारतीय उद्योग महासंघ के श्री पी. चेंगल रेड्डी तथा गुजरात प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के श्री सनत मेहता से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया गया है।

यद्यपि राज्यों में कृषि के विकास से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है, तथापि संघ सरकार भी कृषि क्षेत्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझती है। तदनुसार कार्रवाई भी की जाती है और किसानों की आय में वृद्धि हेतु विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजना राशि का प्रावधान किया जाता है। योजना आवंटन में फसल उत्पादन कार्यक्रमों, विपणन सुधार तथा विपणन एवं भंडारण के आधारभूत ढांचे जैसे गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का सृजन, मृदा एवं जल संरक्षण, पौध संरक्षण उपाय, सहकारिता, बागवानी विकास एवं बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को प्रोत्साहन देना शामिल है। अनुसंधान एवं शिक्षा, ऋण की उपलब्धता एवं कृषि में जोखिम प्रबंध के क्षेत्र में भी भारत सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने में संघ सरकार की सहभागिता उल्लेखनीय है, अत: यह महसूस किया गया कि कृषि को राज्य सूची से भारत के संविधान की समवर्ती सूची में अंतरित कर देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ऐसा करने से राज्यों तथा संघ सरकार के उत्तरदायित्वों के बारे में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कृषि प्रचालनों का बेहतर प्रबंध स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और वृहद स्तर पर भारत सरकार के हस्तक्षेप से इनका कारगर कार्यान्वयन क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है।

विशेष बागवानी जोन का गठन

3653. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बागवानी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष बागवानी जोन सृजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन संभावित क्षेत्रों की पहचान की है जहां फल एवं फूल प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवान और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) बागवानी उत्पादों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कौन सा है;

(ङ) क्या भारतीय फल अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) फलों की खेती में अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश के विभिन्न भागों में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार राष्ट्रीय बागवानी मिशन संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाने का है।

(ख) और (ग) इस स्कीम के अंतर्गत एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाये जाने का प्रस्ताव है ताकि फल और फूलों समेत सभी क्षमता प्रधान फसलों के लिए "इंड टू इंड एप्रोच" अपनायी जा सके। राज्य इनका पता लगायेंगे और फिर इसके विकास के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जायेंगी।

(घ) फलों और सब्जियों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। केला, आम, पपीता और सपोटा के उत्पादन में इसका पहला स्थान है। मटर, ओकरा जैसी सब्जियों के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और प्याज के उत्पादन में दूसरे स्थान पर। भारत सुपारी के उत्पादन में पहले और नारियल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आता है।

(ङ) और (च) सेब, आम, अंगूर, अनार, सपोटा, लीची जैसे कई फलों को उनकी मानक गुणवत्ता को पूरा करते हुए भारत से निर्यात किया जा रहा है।

(छ) कृषि में बृहद प्रबंधन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के अनुपूरण/संपूरण नाम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आधुनिक उच्च तकनीकी उपायों, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस कृषि, प्लास्टिक मल्चिंग, रोगों के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, फलों सहित सभी बागवानी फसलों के लिए पादप स्वास्थ्य क्लीनिक की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है।

''हाथियों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति''

3654. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को काम में लगाए गए हाथियों के गिरते स्वास्थ्य और संतुलित पोषाहार और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण उनके कमजोर होने की जानकारी है जैसा कि दिनांक 27 फरवरी, 2005 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारण किसी हाथी की मौत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हाथियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) असम में, काम में लगाए गए हाथियों के गिरते स्वास्थ्य और संतुलित पोषाहार तथा डाक्टरी देखभाल की कमी के कारण उनके कमजोर होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है जैसा कि दिनांक 27 फरवरी, 2005 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित किया गया है। असम सरकार ने भी ऐसी कोई सूचना मिलने से इंकार किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) असम सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) हाथियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत उनके शिकार और हाथी-दांत व्यापार की भी मनाही है। जहां तक काम में लगाए गए हाथियों का संबंध है, उनके मालिकों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी सुरक्षा और खान-पान की व्यवस्था करें तथा उन्हें पशु-चिकित्सक परिचर्या मुहैया करें। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन से स्वामित्व प्रमाणपत्र लिए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा हाथी को अपने अधिकार में रखना वर्जित है। इस अधिनियम में यह उपबंध भी किया गया है कि स्वामित्व प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि आवेदक के पास पशु के आवासन, रख-रखाव और परिरक्षण की पर्याप्त सुविधाएं हैं। असम सरकार ने रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पर्यटन के प्रयोजनार्थ प्राइवेट हाथियों को काम पर लगाने की अनुमति प्रदान की है। रोजगार प्राप्त करने के लिए मालिकों को अपने हाथी असम से बाहर ले जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2004-2005 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने हाथी परियोजना के अंतर्गत असम सरकार को 1.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की है जिसमें पालतू हाथियों के पंजीकरण, वन्य और पालतू हाथियों की पशु-चिकित्सा संबंधी सहायता और महावतों तथा पशु-चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु 11.50 लाख रुपये की राशि भी शामिल है।

एन.पी.पी.ए. में रिक्त पदों को भरना

3655. मो. मुकीम: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में लागत सलाहकार के पद को नही भरा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसको कब तक भरे जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है जिसके अध्यक्ष को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त है, सदस्य भेषजों, अर्थशास्त्र तथा लागत लेखांकन क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं तथा सदस्य सचिव का दर्जा भारत सरकार के संयुक्त सचिव/अपर सचिव का है। लागत, भेषज और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञता एन पी पी ए द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निम्नांकित तीन पदेन सदस्यों से प्राप्त की जाती है:

1. अपर मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग
2. भारत के औषध महानियंत्रक, स्वास्थ्य मंत्रालय
3. आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग

[हिन्दी]

जल के उपयोग संबंधी नीति

3656. श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जल के समुचित उपयोग हेतु कोई नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ और अतिवृष्टि के समय नदियों के माध्यम से समुद्र में बह जाने वाले जल का संग्रहण करने हेतु कोई योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में देश में जल के समुचित उपयोग की व्यवस्था है। राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के सम्बंधित पैरा इस प्रकार हैं:

3.1 देश के लिए उपलब्ध जल संसाधनों को यथासंभव सीमा तक उपयोज्य संसाधनों की श्रेणी में लाया जाना चाहिए।

3.2 उपयोज्य जल संसाधनों को और बढ़ाने के लिए जल के उपयोग के लिए गैर-परम्परागत पद्धतियों जैसे अन्तरबेसिन राज्यों, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और खारे अथवा समुद्री जल का अलवणीकरण के साथ-साथ परम्परागत जल संरक्षण प्रयासों जैसे छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन सहित वर्षा जल का संचयन जैसे जल संरक्षण प्रयासों की भी आवश्यकता है। इन तकनीकों के लिए अग्रणी अनुसंधान और विकास को संकेन्द्रित ढंग से बढ़ावा देना आवश्यक है।

3.4 व्यापक मृदा संरक्षण, आवाह क्षेत्र सुधार, वनों का संरक्षण तथा वन क्षेत्र को बढ़ाने तथा चेक बांधों के निर्माण के जरिए वाटर शेड प्रबन्धन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आवाह क्षेत्र में जल को संरक्षित करने के प्रयास करने होंगे।

3.5 क्षेत्रों/बेसिनों की जल जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में हस्तांतरण सहित अन्य क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को हस्तांतरण करके जल उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार उपयुक्त स्कीमें तैयार की जाती है। जल संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में "कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" नामक एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की है और "भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन" संबंधी एक स्कीम पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

3657. श्री सुबोध मोहिते: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 संगठन को ब्याज का भुगतान करने हेतु किसी स्रोत से धन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंशधारकों को ब्याज की बढ़ी हुई दर पर भुगतान करने के लिए किसी स्रोत से धन जुटाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) ब्याज का भुगतान भविष्य निधि निवेशों मात्र पर होने वाली, आय में से किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में ब्याज का भुगतान करने के लिए किसी अन्य स्रोत से निधियों को स्वीकार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

(ग) सरकार ने वर्ष 2004-2005 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं हेतु ब्याज की दर अधिसूचित नहीं की है। अत:, बढ़ाई गई ब्याज की दर का भुगतान करने के लिए निधि में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता है।

कर्मचारी भविष्य निधि हेतु वैश्विक सलाहकार की नियुक्ति

3658. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास अपने धन को विदेश में निवेश करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मजदूर संघों द्वारा विदेशी सलाहकार की नियुक्ति के विरुद्ध किए गए भारी विरोध के बावजूद वैश्विक सलाहकार की नियुक्ति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ब्याज में 8 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत के अंतर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधियों के निवेश प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलूओं का एकबारगी अध्ययन करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से खुली बोलियां आमंत्रित की थी। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने विभिन्न प्रतिभागियों का वस्तुनिष्ठ तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद कार्य के लिए मैसर्स/मर्सर ह्यूमन रिसोर्स कन्सलटिंग को नियुक्त करने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया था।

(घ) सरकार ने अभी तक वर्ष 2004-05 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को दिए जाने वाले ब्याज की दर अधिसूचित नहीं की है।

बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूजल का निष्कर्षण

3659. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहु-राष्ट्रीय कंपनियां भू-जल का व्यवसायीकरण और इसका दोहन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(ग) देश में जल के व्यवसायीकरण और दोहन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल के अति दोहन को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करना मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों और राज्य में अनुज्ञापन प्राधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपायों की भी योजना बनाई गई है:

(1) भूजल निकासी का विनियमन।

(2) कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाना।

(3) औद्योगिक गंदे जल का उपचार और पुन:चक्रण।

[हिन्दी]

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग

3660. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (घ) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट 29.06.2002 को प्रस्तुत की थी, ने विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया है। इसकी सिफारिशों में श्रम संबंधी विषय अर्थात् कानूनों की समीक्षा, असंगठित क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल श्रम, कौशल विकास, श्रम प्रशासन आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आगे कार्रवाई करने के लिए इन सिफारिशों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, जो एक निरन्तर प्रक्रिया है। अत: द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कर्मचारी भविष्य निधि का विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निवेश

3661. श्री बालेश्वर यादव:
श्री रामजी लाल सुमन:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि से शेयर बाजार सहित विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत निवेश के प्रावधान को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उन शीर्षों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत इन निधियों का निवेश किया जाएगा और प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी निधि का निवेश किया जाएगा;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत शीर्षवार कितनी निधियों का निवेश किया जाएगा; और

(घ) उक्त निवेश से मिलने वाले लाभांश का आकलन किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि राशि का निवेश कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 52 (1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुसार किया जाएगा।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि राशि के निवेश की विभिन्न श्रेणियों एवं किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत अनुमेय निवेश की सीमा निम्नवत् है:

श्रेणी	प्रतिशत
केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति	25%
राज्य सरकार/सरकार गारंटीशुदा प्रतिभूतियां	15%
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के बांड/सावधि जमा प्राप्तियां	30%
शेष श्रेणियां (उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में से कोई)	30%

(घ) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान अर्जित की गई कुल ब्याज से अनुमानित आय 8% संभावित है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा चिरिया में खनन

3662. श्री बसुदेव आचार्य: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क की मांग, घरेलू उत्पादन एवं आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा झारखंड के चिरिया में खनन के मुद्दे पर गौर करने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या चिरिया में खनन संबंधी विवाद का समाधान कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल द्वारा लौह अयस्क की मांग, स्वदेशी उत्पादन और आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

इकाई: दस लाख टन

	2002-03	2003-04	2004-05
मांग	19.91	20.33	21.40
स्वदेशी उत्पादन	18.31	21.06	19.91
आयात	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की सहायक कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के पास चिरिया (झारखंड) में छः खनन पट्टे हैं। दिनांक 15.6.2004 को रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री तथा झारखंड के मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान चिरिया के खनन पट्टे की जांच करने और चिरिया के विकास के लिए एक समिति गठित की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) झारखंड सरकार ने चिरिया खानों के अजितबुरू और सुकरी लाटूर खनन पट्टों के नवीकरण के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है जिसके संबंध में इस्को ने झारखंड उच्च न्यायालय से

यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्राप्त कर लिया है और यह मामला न्यायाधीन है। इस्को ने उपर्युक्त नवीकरण के आवेदन को अस्वीकार किए जाने के संबंध में माइनिंग ट्रिब्यूनल के विचारार्थ एक पुनर्विचार आवेदन भी दाखिल किया है। चिरिया खानों के धोबिल, टाटीबुरू और अंक्वा के अन्य तीन खनन पट्टों की अवधि बढ़ी हुई मान ली गई है। इन पट्टों के नवीकरण पर झारखंड सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूर

3663. **श्री बापू हरी चौरे:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के तिरूवल्लूर जिले में स्थित रेड हिल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बंधुआ मजदूरी की प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने और उनका पुनर्वास करने तथा उक्त गतिविधियों में संलिप्त दोषी व्यक्तियों को दंडित करने हेतु क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) तमिलनाडु में तिरूवेल्लूर जिले के रेड हिल्स क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी की तथाकथित घटनाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न चावल मिलों और चावल संसाधन इकाईयों में वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप तिरूवेल्लूर जिले से 316 मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवाया गया था जिसमें पोन्नेरी प्रभाग का रेड हिल्स क्षेत्र भी शामिल है। नियोजकों के विरुद्ध मुकदमें आरम्भ किए गए हैं, 6 मामलों में एफ आई आर दर्ज की गई है और उपर्युक्त अवधि के दौरान उनसे 8000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि मालिक कर्ज को दासता के रूप में प्रयोग न करें, राज्य सरकार कारखाना अधिनियम लागू करते हुए रेड हिल्स क्षेत्र में स्थित सभी चावल मिलों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कर रही है।

पर्यटन स्थलों का विकास

3664. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों के कतिपय जिलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को मंजूरी देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय, गंतव्यों तथा परिपथों, मेलों एवं उत्सवों और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर पर्यटक स्थलों के विकास को हाथ में लेता है।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 के दौरान 872.21 लाख रुपए जारी कर मध्य प्रदेश की आठ परियोजनाओं तथा 832.32 लाख रुपए जारी कर झारखण्ड की 10 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

[अनुवाद]

पशु परिचर्या

3665. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषकों में इस संबंध में जागरूकता लाने हेतु व्यापक और गहन अभियान शुरू किए हैं कि पशुओं की बेहतर परिचर्या से उनको ठोस आर्थिक लाभ होंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) देश के विभिन्न भागों में अपने प्रजाति विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से बेहतर पशु स्वास्थ्य तथा उनके नियमित देखभाल के लिए देश के किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने का काम कर रही है। ये संस्थान पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनुसंधान संबंधी काम कर रहे हैं। अनुसंधान प्रयासों के परिणामस्वरूप सामने आई प्रौद्योगिकियों को कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा संस्थागत गांवों से

जुड़े कार्यक्रमों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों तक पहुंचा दिया जाता है। इनमें से अधिकतर संस्थानों के ऐसे प्रभाग/अनुभाग हैं जो विस्तारित क्रियाकलापों को आयोजित करते हैं तथा पशु स्वास्थ्य शिविर, किसान मेलों, प्रदर्शनियों, अल्प अवधि के प्रशिक्षण आयोजित करते हैं तथा वृत्त चित्र दिखाते है और साथ ही किसानों के साथ परस्पर संपर्क भी रखते हैं। जहां उत्पादन वृद्धि पर बल देकर संतुलित आहार, वैज्ञानिक प्रजनन, अनुकूल प्रबंधन, तथा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष बल दिया जाता है।

[हिन्दी]

'समेकित वन संरक्षण योजना'

3666. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान समेकित वन संरक्षण योजना के अन्तर्गत कितने धन की मांग की गई है;

(ख) उक्त योजना में केन्द्र और राज्यों का अंशदान कितना-कितना प्रतिशत है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत एकमुश्त के बजाय किश्तों में धन जारी करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या किश्तों में प्राप्त धन का उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसके अंतर्गत प्राप्त धन व्यपगत हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त धन से वन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए का आबंटन उपलब्ध था।

(ख) एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम हिस्सेदारी आधार पर एक केन्दीय प्रायोजित स्कीम है पूर्वोत्तर तथा सिक्किम सहित विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए निधिकरण पद्धति 90:10 तथा अन्य राज्यों के मामले में संघ तथा राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों के मध्य 75:25 है

(ग) यह वित्तीय नियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) राज्यों द्वारा धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग में लाया जाना अपेक्षित होता है। यदि राज्य धनराशि को उपयोग में नहीं ला पाते हैं तो इसे भारत सरकार से पुन: वैधीकरण के पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है।

(च) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को वनों की सुरक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण कार्य योजनाएं तैयार करने, वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण तथा सीमाकंन, दावानलों के निवारण तथा नियंत्रण, संचार मोबिलिटी, आग्नेय शस्त्रों तथा गोला-बारूद आदि के लिए धनराशियां प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

कृषि परियोजनाओं हेतु अन्य देशों से समझौता

3667. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों, विशेषकर कर्नाटक सरकार ने कृषि परियोजनाओं हेतु अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) परियोजनाओं से अपेक्षित उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

प्राणी उद्यानों का विकास

3668. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के छोटे प्राणी उद्यान धन की कमी के कारण बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको बंद होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का रिक्त पद

3669. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई पी एफ ओ में काफी समय से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पद रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पद को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पद अक्टूबर, 2004 से रिक्त पड़ा है।

(ग) तत्कालीन पदधारी के अपने मूल संवर्ग में वापस जाने पर, इस पद का विज्ञापन किया गया और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया। भर्ती नियमों के अनुसार, उक्त पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

फसल क्षेत्र की मिश्रित वार्षिक वृद्धि

3670. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फसल क्षेत्र की मिश्रित वार्षिक वृद्धि, चावल, गेहूं, अनाज, कपास और गन्ने का उत्पादन एवं उत्पादकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान फसलों की उपज में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो फसल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाज, कपास और गन्ने की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर विवरण तालिका II में दी गई है।

(ख) और (ग) विवरण की तालिका I से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2001-02 की तुलना में वर्ष 2002-03 में चावल, गेहूं, मोटे अनाज की उपज दर में गिरावट आई है जो सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तथापि, अच्छे मानसून के कारण स्थिति में सुधार आया और वर्ष 2003-04 में उपर्युक्त फसल की उपज दर की तुलना वर्ष 2001-02 से की जा सकती है। कपास के संबंध में तीन वर्षों में उपज में चढ़ाव का रूप देखा गया है जैसा कि कपास की उपज में वर्ष 2001-02 में 0.18 टन प्रति हैक्टेयर से वर्ष 2003-04 में 0.31 टन प्रति हैक्टेयर की वृद्धि हुई है। गन्ने के संबंध में उपज में गिरावट का रूख देखा गया है। वर्ष 2001-02 में गन्ने की उपज दर 67.37 टन प्रति हैक्टेयर थी जो वर्ष 2003-04 में घटकर 58.99 टन प्रति हैक्टेयर हो गयी।

विवरण

तालिका I : उपज (कि./है.)

फसल	2001-02	2002-03	2003-04
चावल	2079	1744	2077
गेहूं	2762	2610	2713
मोटे अनाज	1980	1753	1987
कपास	186	191	309
गन्ना	67370	63576	58986

तालिका II : वृद्धि दर (%)

(ए: क्षेत्र, पी उत्पादन, वाई: उपज)

फसल	2001-02			2002-03			2003-04			वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर		
	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई
चावल	0.43	9.84	9.37	-8.30	-23.06	-16.09	3.21	22.92	19.11	-1.68	1.28	3.01
गेहूं	2.39	4.43	1.99	-4.36	-9.63	-5.51	5.50	9.65	3.94	1.09	1.15	0.06
मोटे अनाज	0.07	7.40	7.32	-7.35	-17.96	-11.46	6.98	21.31	13.39	-0.27	2.24	2.52
कपास	7.00	4.97	-1.90	-16.01	-13.74	2.71	-0.52	60.79	61.63	-3.67	13.34	17.65
गन्ना	2.22	0.42	-1.76	2.46	-3.31	-5.63	-11.00	-17.42	-7.22	-2.31	-7.10	-4.90

एनसीएलपी के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव

3671. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें शामिल होने वाले बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है और इसके लिए वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और चालू वर्ष में कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है तथा इस मांग की तुलना में कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) इन प्रस्तावों की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस वर्ष कितनी अनुदान सहायता प्रदान की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम के अंतर्गत बाल श्रम शिक्षा और पुनर्वास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती रही है। महाराष्ट्र में 9वीं योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत शोलापुर और थाणे नामक दो जिले थे। ग्यारह और जिले नामत: नादेड़, नासिक, यवतमाल, धूले, बीड़, पुणे, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापुर, जलगांव और नान्दूरबार को दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में शामिल किया गया है।

(ग) वर्ष 2003-03 से 2004-05 के दौरान दायरे में लिए जाने वाले बाल श्रमिकों की संख्या और प्रदत्त केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है:

	2002-03	2003-04	2004-05
महाराष्ट्र राज्यों में बाल श्रमिकों की संस्वीकृत कवरेज	3700	3700	8500
सरकार द्वारा जारी सहायता-अनुदान (लाख रुपये में)	134	102	168

(घ) महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लिए पहचान किए गए जिलों तथा इन जिलों को जारी सहायता अनुदान के पूर्ण प्रस्तावों के निस्तारण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

बीज प्राधिकरण की स्थापना

3672. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घटिया बीजों के परिचालन को रोकने लिए "बीज प्राधिकरण" की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीज प्राधिकरण का गठन हो गया है तथा घटिया बीज विनिर्माता कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीजों की विश्वसनीयता की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं। हालांकि बीज अधिनियम 1966 देश में बिक्री किये जाने वाले बीज की गुणवत्ता के नियंत्रण के लिये एक विनिधिक ढांचा प्रदान करता है। बीज नियम के प्रर्वतन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती हैं तदनुसार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों ने बीज निरीक्षकों को अधिसूचित किया है जो बीजों का नमूना लेकर और उसका परीक्षण करके बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रित रखेंगे और देश में नकली बीजों के प्रचलन पर नियंत्रण रखेंगे।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) जी हां। बीजों की सच्चाई की जांच करने के लिए बीज अधिनियम 1966 की धारा 4(2) के अंतर्गत राज्य बीच परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया गया है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

विवरण

भारत की राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं

(अधिसूचित)

आंध्र प्रदेश

*1. असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर
सीड टेस्टिंग लैब,
तादेपल्लीगुडम-534101
जिला-वेस्ट गोदावरी

*2. असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर
सीड टेस्टिंग लैब,
राजेन्द्रनगर
हैदराबाद-500030

*3. असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर
सीड टेस्टिंग लैब,
1/561 ए, स्मिथ रोड
कुडप्पा

अरुणाचल प्रदेश

*4. सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
एट-सोनाजुली, पीओ-भागलपुर
चराली डिस्ट्रिक्ट, लोवर सुबनसिरी-787033

असम

*5. सीड टेस्टिंग लैब,
असम स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी, उलुबरी
गोहाटी-781007

बिहार

*6. सीड टेस्टिंग लैब,
बिहार राज्य बीज निगम
प्रेमिसेस, कुंद्रा-821108
पीओ चिल्चिली, जिला रोहतास

*7. डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर
(सीड एनालेसिस)
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
लालबहादुर शास्त्री नगर
पटना-23

*8. असिस्टेंट सीड टेस्टिंग आफिसर
रीजनल सीड टेस्टिंग लैब
राजेन्द्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस सुबौर,
जिला भागलपुर

*9 रीजनल सीड टेस्टिंग लैब
एग्री. कालेज कैंपस, एट धोली
डिस्ट्र मुजफ्फरपुर

*10 आफिसर इन चार्ज
रीजनल सीड टेस्टिंग लैब
एल-लहेरिया सराय
डिस्ट्र-दरभंगा

*11 रीजनल सीड टेस्टिंग लैब
अगवानपुर फार्म, पीओ सीसल
डिस्ट्र-सहरसा

गुजरात

*12 आफिसर इन चार्ज
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
नियर मोतीबाग एग्री यूनिवर्सिटी
कैंपस, जूनागढ़-362001

*13 आफिसर इन चार्ज
सीड टेस्टिंग लैब, सेक्टर 5
गांधीनगर-382015

*14 आफिसर इन चार्ज
सीड टेस्टिंग लैब, इरूचर
रास्ता, नवसारी-396450
डिस्ट्र वलसाड

हरियाणा

*15 सीड एनालिस्ट
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब (आईएडीपी)
सी/ओ डिप्टी डयरेक्टर आफ एग्री
करनाल

हिमाचल प्रदेश

*16. इन चार्ज, सीड टेस्टिंग लैब
(होल्टा), आईएडीपी,
पालमपुर 176061

*17 असिस्टेंट सीड टेस्टिंग आफिसर,
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
चांबाघाट 173213
डिस्ट्र सोलन

जम्मू और कश्मीर

*18 सीड एनालिस्ट
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
डिपार्टमेंट आफ एग्री लालमंडी
श्रीनगर

*19 सीड एनालिस्ट
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
डिपार्टमेंट आफ एग्री तलब तिलो
जम्मू 180002

कर्नाटक

*20 असिस्टेंट डायरेक्टर आफ एग्री
सीड टेस्टिंग लैब,
हेबल फार्म पोस्ट
बंगलौर 560024

*21 असिस्टेंट डायरेक्टर आफ एग्री
सीड टेस्टिंग लैब, पीबी
रोड धारवाड़ 580008

*22 डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हार्टीकल्चर
सीड टेस्टिंग लैब लालबाग
बंगलौर 560004

केरल

*23 असोसिएट डायरेक्टर
रीजनल एग्री रिसर्च
स्टेशन, सीड टेस्टिंग लैब
पत्तंबी 679306 डिस्ट्र पालघाट

*24 सीड एनालिस्ट
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
कालरकोड
पीओ अलेप्पी 688003

मध्य प्रदेश

*25 सीड टेस्टिंग आफिसर
सीड टेस्टिंग लैब
एमपी स्टेट सर्टिफिकेशन एजेन्सी, कृषिनगर
अधरतल, जबलपुर

*26 सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब,
डिपार्टमेंट आफ एग्री इन फ्रंट
आफ मेलाग्राउंड, ग्वालियर 474002

*27 सी टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
डिपार्टमेंट आफ एग्री मोतीबेला,
इंदौर

महाराष्ट्र

*28 सीड टेस्टिंग आफिसर,
सीड टेस्टिंग लैब, महराजबाग
स्क्वैयर, नागपुर 440001

*29 सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
डिपा, आफ एग्री, न्यू मोधा,
परभनी 431401

*30 सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
डिपा, आफ एग्री, आशिर्वाद बिल्डिंग
राउतवाड़ी, अकोला 444005

*31 सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
डिपा. आफ एग्री, एग्री इंजीनियरिंग
वर्कशाप प्रेमिसेस, दरगाह रोड
औरंगाबाद 431005

*32 चीफ सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब, डिपा. आफ एग्री
न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, शिवाजी नगर
पुणे 111005

उड़ीसा

*33 सीड सर्टिफिकेशन आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब,
समंतरपुर
भुवनेश्वर 751002
डिस्ट्र-पुरी

*34 असि. सीड सर्टिफिकेशन आफिसर,
इंचार्ज सीड टेस्टिंग लैब
एट और पीओ बलिया,
डिस्ट्र बालासोर

*35 सीड टेस्टिंग लैब
उड़ीसा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी,
बरगढ़ एट एकमरहा चक पीओ
सरासरा डिस्ट्र संबलपुर

पंजाब

*36 सीड इंस्पेक्शन आफिसर,
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
पंजाब एग्री यूनि. कैंपस,
लधियाना 141001

राजस्थान

*37 सीड टेस्टिंग लैब,
डिपार्टमेंट आफ एग्री दुर्गापुरा
जयपुर 314001

*38 सीड टेस्टिंग लैब
डिपा. आफ एग्री श्रीगंगानगर

तमिलनाडु

*39 सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
डिपा. आफ सीड सर्टिफिकेशन, वयलगम
पोस्ट कुदुमनिया मलाई 622104
डिस्ट्र पुड्डुकोट्टई

*40 सीड टेस्टिंग आफिसर
सीड टेस्टिंग लैब
डिपा. आफ सीड सर्टिफिकेशन, सुब्रहमण्यमपुरम
कोयबटूर 641040

*41 सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
डिपा. आप सीड सर्टिफिकेशन,
तिरूनगर, मदुरै 625006

उत्तर प्रदेश

*42 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री
टेस्टिंग और डिमांस्ट्रेशन स्टेशन, बाराबंकी

*43 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री टेस्टिंग
और डिमांस्ट्रेशन स्टेशन, आजमगढ़

*44 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री टेस्टिंग
और डिमांस्ट्रेशन स्टेशन, इटावा 206001

*45 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री टेस्टिंग
और डिमांस्ट्रेशन सेटर, इंडस्ट्रियल स्टेट,
वाराणसी 221106

*46 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री टेस्टिंग
और डिमांस्ट्रेशन सेंटर, 95/5 सिविल लाइंस,
झांसी 284001

*47 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री टेस्टिंग
और डिमांस्ट्रेशन सेंटर,
103 धनवंतरि मार्ग बरेली,

*48 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री टेस्टिंग
और डिमांस्ट्रेशन सैंटर,
32/8 सिविल लाइंस मथुरा

*49 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री टेस्टिंग
और डिमांस्ट्रेशन सेंटर इन फ्रंट आफ
ब्लॉक आफिस दिल्ली रोड मेरठ

*50 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री टेस्टिंग
और डिमांस्ट्रेशन सेंटर, हरदोई

*51. डायरेक्टर, यूपी स्टेट सीड सर्टिफिकेशन
एजेन्सी, ए-264 इंदिरानगर
लखनऊ 226006

*52 डिप्टी चीफ सीड प्रो. आफिसर
यूपी सीड एंड तराई डिवलपमेंट
कार्पो लि., पंतनगर,
पीओ हल्दी, डिस्ट्र नैनीताल 263146

*53 प्रो. एवं हेड डिपा. आफ सीड टेक्नोलॉजी,
सीएस आजाद यूनिवर्सिटी आफ एग्री
एंड टेक, कानपुर 208002

*54 आफिसर इन चार्ज, सीड टेस्टिंग लैब
जीबी पंत यूनि. आफ एग्री एंड टेक,
एट एंड पीओ पंतनगर
डिस्ट्री नैनीताल

*55 डायरेक्टर (एग्री इक्सपेरीमेंट स्टेशन)
सीड टेस्टिंग लैब, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी
आफ एग्री एंड टेक
नरेंद्र नगर (कुमारगंज)
फैजाबाद 224229

*56 डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्री कम
आफिसर इन चार्ज, रेज एग्री टेस्टिंग
और डिमांस्ट्रेशन सेंटर,
एट एंड पीओ हलद्वानी
डिस्ट्र नैनीताल

पश्चिम बंगाल

*57 असिस्टेंट सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
(टालीगंज) नेताजी सुभाष चंद्र
बोस रोड कलकत्ता 700040

*58 सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
डिस्ट्र एग्री फार्म, कलना रोड
बर्दवान

*59 असिस्टेंट सीड टेस्टिंग आफिसर
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब
गौर रोड, रोड मकदूमपुर
माल्दा

दिल्ली

*60 हेड, सेंट्रल सीड लैब,
इंडियन एग्री रिस, इंस्ट,
पूसा कांप्लेक्स
नई दिल्ली 110012

*61 क्वालिटी कंट्रोल लैब (नार्थ)
नेशनल सीड्स कार्पो. लि.
बीज भवन, पूसा कांप्लेक्स
नई दिल्ली 110012

अन नोटीफाइड लैब्स विथ प्राइवेट

62 ज्वांइट मैनेजर
क्वालिटी कंट्रोल लैब (नार्थ)
नेशनल सीड्स कार्पो. लि.
लालागुड, सिकंदराबाद 17

63 सीड रिसर्च लैब
हिंदुस्तान लिवर लि. 1-68 सेरबाग
कंडलकोया विले, डिस्ट्र रनागरेडी (एपी)

64 सीड टेस्टिंग लैब
पायोनियर सीड को (पी) लि.
8-1-39, तालीचोक
हैदराबाद 500008

65 सीड टेस्टिंग लैब
इंदर सीड को (पी) लि. 2-35/1, इंडस्ट्रियल
स्टेट श्रंगपोर, निजामाबाद 503186

66 सीड टेस्टिंग लैब
महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड को (पी) लि.
19-9-2A, नायडू बिल्डिंग त्रिभापार
रोड, तिरूपति 517501

67 सीड टेस्टिंग लैब,
आईटीसी लि. एग्री बिजनेस डिवी.
बी कैंप पोस्ट आफिस
कुर्नूल 518002

68 सीड टेस्टिंग लैब
चांदमारी रोड सिलचर 3
डिस्ट्र कचर (असम)

69 सीड टेस्टिंग आफिसर
असम स्टेट सीड सर्टिफिकेशन
एजेन्सी, कुशल कंवर पथ जोरहट-4 (असम)

70. असि. सीड टेस्टिंग आफिसर
सीड टेस्टिंग लैब, कृषि भवन लक्ष्मी निवास,
कांके रोड, रांची 834008 (बिहार)

71 रीजनल सीड टेस्टिंग लैब
किसान विद्यापीठ दुमका (बिहार)

72 रीजनल सीड टेस्टिंग लैब
गोलपहाड़ी, टाटानगर
जमशेदपुर (बिहार)

73 रीजनल सीड टेस्टिंग लैब
पिपरा कोठी ईस्ट चंपारन
(बिहार)

74 फार्म सुप्रीटेंडेन्ट, सीड
टेस्टिंग लैब, एग्री एंड हार्टी रिसर्च
स्टेशन, इला, ओल्ड गोवा (गोवा)

75 सीड टेस्टिंग लैब
नर्मदा वैली हाइब्रिड सीड को. (पी.) लि. गोधरा
वडोधरा स्टेट हाइवे वेजलपुर 389340
डिस्ट्र पंचमहल

76 सीड रिसर्च आफिसर
सीड टेक्नोलॉची यूनि., डिपा.
आफ प्लांट ब्रीडिंग, एचएयू, हिसार, हरियाणा

77 क्वालिटी कंट्रोल लैब, हरियाणा सीड डिवलपमेंट
कार्पो लि., जिटी रोड नियर पिपली,
उमरी डिस्ट्र कुरूक्षेत्र हरियाणा

78 सटन एंड संस (आई) प्रा. लि.
रामुंशी बाग श्रीनगर कश्मीर

79 एम/एस महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड (पी)
नियर गवर्मेंट हास्पिटल, पीबी रोड,
रानीबेन्नूर 581115 डिस्ट्र धारवाल

80 सटन सीड फार्म
सटन ग्राम पीओ अगलकोटा
(वाया सुलकुटबा मदरमंगला)
बंगलौर, डिस्ट्र कोलार कर्नाटक

81 एमपी फ़ॉडर सीड प्रोडक्शन
एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
प्रोजेक्ट पचमा डिस्ट्र सिहोर

82 क्वालिटी कंट्रोल लैब
एमपी आयलफेड एरिया एग्रोनोमिक
सेंटर अमलहा 466113

83 सेंट्रल क्वालिटी कंट्रोल लैब
महाराष्ट्र स्टेट सीड कार्पो. लि.
प्लाट न. 8 शास्त्री नगर अकोला (एमएस)

84 मिनी क्वालिटी कंट्रोल लैब
प्रोसेंसिंग प्लांट, महाराष्ट्र
स्टेट सीड कार्पो. लि. चिखली
डिस्ट्र बुलढाना महाराष्ट्र

85 मिनी क्वालिटी कंट्रोल लैब
सीड प्रोसेसिंग प्लांट, महाराष्ट्र
स्टेट सीड कार्पो. लि. इर्नाडोल
डिस्ट्र जलगांव महाराष्ट्र

86 मिनी क्वालिटी कंट्रोल लैब
सीड प्रोसेसिंग प्लांट, सतना
डिस्ट्र नासिक महाराष्ट्र

87 मिनी क्वालिटी कंट्रोल लैब
सीड प्रोसेसिंग प्लांट, महाराष्ट्र
स्टेट सीड कार्पो. लि. श्रीरामपुर
डिस्ट्र अहमदनगर, महाराष्ट्र

88 मिनी क्वालिटी कंट्रोल लैब
सीड प्रोसेसिंग प्लांट,
महाराष्ट्र स्टेट सीड कार्पो. लि.,
परभनी, महाराष्ट्र

89 मिनी क्वालिटी कंट्रोल लैब
सीड प्रोसेसिंग प्लांट, महाराष्ट्र
स्टेट सीड कार्पो. लि., धोकी, डिस्ट, ओस्मानाबाद
महाराष्ट्र

90 एम/एस महाराष्ट्र एचवाई सीड को. (पी) लि.,
बी-4 इंडस्ट्रियल स्टेट,
जलना 431203

91 क्वालिटी कंट्रोल लैब,
एम/एस नाथ सीड्स (पी) लि.,
पोस्टबाक्स नं. 318, अदालत रोड
औरंगाबाद 431203

92 एम/एस महेंद्र एचवाई सीड को (पी) लि.,
महावीर मार्ग, पीबी नं. 52
जलना 431203

93 एम/एस निंबकर सीड (पी) लि.,
लोनांद रोड, जिन्ती ब्रिज्स
पीबी नं. 23 फलतन 415523
डिस्ट्र सतारा

94 सीड एनालिस्ट
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब,
डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर
मत्रिंपुखरी 795002

मणिपुर

95 रिसर्च आफिसर
डिस्ट्र एंड लोकल रिसर्च स्टेशन
एंड लैब डिपा. आफ एग्री फ्रूट
गार्डेन, ईस्ट खासी हिल्स
शिलांग 793003

96 सीड टेस्टिंग लैब-कम-सर्टिफिकेशन आफिसर,
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब,
डिपा. आफ एग्री एट मरचक पीओ,
रानीपूल ईस्ट सिक्किम

97 सीड टेस्टिंग आफिसर
सीड टेस्टिंग लैब रिस-कम-डिमांरट्रेशन
फार्म, अरूंदुतीनगर त्रिपुरा (वेस्ट) 799003

98 एम/एस बंकिम प्रसाद घोस एंड को. बेलूर
स्टेशन रोड बेली 711201 डिस्ट्र हावड़ा

99 एम/एस सटन एंड संस (आई)(पी) लि.
130 रसल स्ट्रीट कलकत्ता 71

100 सीड टेस्टिंग लैब सी/ओ आफिस ओफ
ज्वांइट डाइरेक्टर आफ एग्री. दिल्ली
एड. खैबर पास दिल्ली

101 एम/एस सटन एंड संस (आई)
(पी) लि. बी 178 देरवल
नगर दिल्ली 110034

102 सीड टेस्टिंग लैब,
डिपा. आफ एग्री, कृषि विज्ञान
केन्द्र कैंपस, इयनकुट्टीपाल्यम,
पांडिचेरी 605010

103 सेट्रल इंस्टीट्यूट आफ काटन रिसर्च
इंडियन काउंसिल आफ एग्री. रिसर्च
नागपुर

(बीटी कपास बीज के लिए संदर्भित प्रयोगशाला के रूप में काम करने के लिए)

जल क्षेत्र में बजटीय आबंटन में कटौती

3673. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय आबंटन में कोई कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन सभी परियोजनाओं की पहचान के लिए कोई कदम उठाए हैं जिनसे 90 प्रतिशत तक क्षमता प्राप्त करने की सम्भावना है और उन्हें पूर्ण घोषित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वृहद और मध्यम सिंचाई कार्यक्रम संबंधी कार्यदल ने सिफारिश की है कि ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाओं, जिन्होंने निर्धारित क्षमता का 90% या उससे अधिक प्राप्त, कर लिया है, को पूर्ण माना जाना चाहिए। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसी 41 वृहद और मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया है। तथापि, किसी परियोजना को पूर्ण घोषित किए जाने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

'पशुओं के कल्याण हेतु पद्मश्री पुरस्कार'

3674. श्रीमती मेनका गांधी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पद्म पुरस्कारों की श्रेणी के लिए पशु कल्याण की स्थापना की है,

(ख) यदि हां, तो क्या केवल एक बार के अलावा, गत दो वर्षों में इस क्षेत्र में किसी को भी पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) पद्म पुरस्कार किसी क्षेत्र में असाधारण/विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किये जाते हैं।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान, पशु कल्याण के क्षेत्र में किसी को पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(ग) पद्म पुरस्कार प्रदान करने में किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए कोई आरक्षण नहीं है। पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकनों/संस्तुतियों को पद्म पुरस्कार कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह कमेटी का विशेषधिकार है कि प्रत्येक मामलें में विशिष्टता को ध्यान में रखकर उपयुक्त व्यक्तियों का पुरस्कार के लिए चयन करें।

[हिन्दी]

बायोटेक कृषि हेतु कृषकों को शिक्षा एवं सहायता

3675. श्री नरेंद्र कुमार कुशवाहा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बायोटेक कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कृषकों को सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान बी.टी. कपास उगाने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र शामिल किया गया है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जहां बी.टी. कपास अधिकतम मात्रा में उगाई जा रही है तथा बायोटेक फसल उगाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारत में अभी तक केवल कपास ही ट्रांसजेनिक फसल के रूप में अनुमोदित है। कपास मिशन के तहत किसानों को उपलब्ध सभी लाभ और सहायता बीटी कपास के लिए भी उपलब्ध है।

(ख) और (ग) उत्तर निम्नानुसार है:

राज्य के नाम	चालू वर्ष (खरीफ 2004 के दौरान बीटी कपास के तहत क्षेत्र)	कुल कपास क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार बीटी कपास (खरीफ, 2004) के तहत क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	1,76,000	7.1
गुजरात	3,11,157	6.2
कर्नाटक	84,764	7.5
मध्य प्रदेश	2,12,798	15.2
महाराष्ट्र	3,99,000	5.2
तमिलनाडु	29,640	6.5
कुल	12,13,359	6.7

उपरोक्त छ: राज्यों के अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बायोटेक फसल उगाने का काम भी अभी हाल ही में शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

खाद्य एवं पोषाहार कार्यक्रम

3676. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा कार्यक्रम के लिए यूएनडीपी विकास सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के लिए सहायता हेतु निबन्धन एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) सरकार को अब तक राज्य-वार प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कार्यक्रमों से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"ग्रामीण क्षेत्रों में बागान परियोजनाएं"

3677. श्री किरिप चालिहा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बागान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषत: पूर्वोत्तर राज्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) जी, नहीं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस मंत्रालय द्वारा अवक्रमित वन क्षेत्रों और आस-पास की भूमियों पर वृक्ष रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम, क्षेत्रीय वन प्रभाग स्तर पर यन विकास अभिकरण के माध्यम से और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) स्वीकृत की गई वन विकास अभिकरण परियोजना का सारांश और पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधिया संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में बागान परियोजना

(31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एक डी ए परियोजनाओं की संख्या	परियोजना क्षेत्र (हेक्टे)	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये)
1.	अरुणाचल प्रदेश	13	19476	9.41
2.	असम	24	24015	13.57
3.	मणिपुर	12	17874	12.91
4.	मेघालय	7	7400	2.45
5.	मिजोरम	19	26770	35.91
6.	नागालैंड	16	25528	25.22
7.	सिक्किम	7	15280	14.19
8.	त्रिपुरा	12	19405	12.04
	कुल	110	155748	125.70

रोजगार लाभ योजना

3678. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपये वाली रोजगार लाभ योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) उन बीमाकृत व्यक्तियों को भत्ता प्रदान करने के लिए, जो पांच वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार में थे और छंटनी, कारखानों/प्रतिष्ठानों के बंद होने और स्थायी अपंगता के कारण बिना इच्छा के अपनी नौकरी खो देते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 1.4.2005 से एक बेरोजगारी भत्ता स्कीम आरंभ की गई है। भत्ते का भुगतान मानक हितलाभ दरों (बीमारी हितलाभ दर) के आधार पर किया जायेगा जो कि बीमांकृत व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाने वाली औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 50 प्रतिशत है, जिसका भुगतान कामगार की पूरी बीमांकृत अवधि के दौरान अधिकतम छह माह की अवधि के लिए किया जायेगा।

(ग) और (घ) मजदूरी प्रदान करने वाले और संवितरण कार्यालयों के लिए बेरोजगार भत्ता स्कीम के संबंध में फार्म और प्रक्रियाएं तैयार कर ली गई हैं।

संतरे और नारियल की नई किस्म

3679. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल प्लांटेशन काप्स रिसर्च (सी पी सी आर आई) कासरगोड, केरल के वैज्ञानिकों को संतरे की छोटी किस्म (सी ओ डी) तथा नारियल की चौघाट किस्म का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषताएं एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संतरे और नारियल की उक्त किस्मों को लोकप्रिय बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। चौघाट आरेंज ड्वार्फ (सी ओ डी) किस्म जो एक देशी बौने नारियल का कल्टीवर है, को कच्चे नारियल के पानी के लिए जारी किया गया।

(ख) यह कल्टीवर कच्चे नारियल के पानी के लिए जारी किया गया था और केरल में व्यावसायिक खेती के लिए इसकी सिफारिश की गई। इसके पर्णवृन्त, स्पेडिकल्स और फल आरेंज रंग के होते हैं। पौद लगाने के 4 वर्ष के बाद पेड़ पर फूल आने लगते हैं और 9 वर्ष में पूरी तरह फल आने लगते हैं। इसकी औसत पैदावार 63 नारियल/पेड़/वर्ष है। कच्चे नारियल का पानी (350 मि.ली./नारियल) मीठा होता है जिसमें शर्करा की मात्रा 7 मि.ग्रा./100 मि.ली. होती है। पोटैशियम की मात्रा 2000 पी पी एम और सोडियम की मात्रा 20 पी पी एम होती है। यह कच्चे नारियल के रूप में और एक फल के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त है।

(ग) और (घ) इस किस्म की सिफारिश व्यावसायिक खेती के लिए उन्नत किस्म के रूप में की गई है, ताकि कच्चे नारियल के पानी की क्षमता को बढ़ाया जा सके। केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान इस किस्म को कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से लोकप्रिय बना रहा है और किसानों को पौद सामग्री की आपूर्ति कर रहा है।

"संयुक्त वन प्रबंधन"

3680. प्रो. एम. रामदास:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन (जे एफ एम) संबंधी प्रस्ताव को पारित किया है जिसमें वनों के संरक्षण एवं अतिक्रमित वन भूमि के विकास में स्थानीय ग्रामवासियों एवं समुदायों की भागीदारी का उल्लेख है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और जे एफ एम को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्तमान में कितनी जे एफ एम समितियां है और प्रत्येक समिति के अन्तर्गत राज्य-वार औसतन कितना क्षेत्र है;

(घ) वर्तमान में जे एफ एम में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या गत दशक के दौरान मध्य प्रदेश में जो एफ एम योजना सफल हुई हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(छ) जे एफ एम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार ने अवक्रमित वन भूमियों की सुरक्षा, पुन: सदभव और विकास के लिए ग्राम समितियों की भागीदारी के माध्यम से व्यापक जन आंदोलन को आरंभ करने के लिए एक खाका तैयार करके उससे राज्य सरकारों को अवगत

किया है। संयुक्त वन प्रबंधन (जे एफ एम) का मुख्य कार्य लाभानुभोगियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों और सीमा के अनुसार अंश प्रदान करना है।

(ग) राज्य-वार संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध समितियों की संख्या और क्षेत्र का विवरण संलग्न है।

(घ) राज्यों के संयुक्त वन प्रबंधन संकल्पों के अनुसार, संयुक्त वन प्रबंध समितियों की आम/कार्यकारी निकाय में महिलाओं का समानुपात 33% से 50% के तक है।

(ङ) और (च) जी हां, 31 मार्च 2004 तक मध्य प्रदेश में 59,46,800 हेक्टेयर के वन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास कार्य में 14,173 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से सन्निहित है।

(छ) संयुक्त वन प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने वन विकास अभिकरण की आम सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% तक बढ़ा दिया गया है जो मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रेषण तंत्र हैं। वन विकास अभिकरण वन प्रभाग स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन का एक परिसंघ है।

विवरण

देश में संयुक्त वन प्रबंधन की प्रगति
(10.9.2003 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की सं.	संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7245	1886764
2.	अरुणाचल प्रदेश	308	80217
3.	असम	503	79251
4.	बिहार	493	267240.94
5.	छत्तीसगढ़	6881	2846762.16
6.	गोवा	26	13000
7.	गुजरात	1424	160525.41
8.	हरियाणा	875	56000
9.	हिमाचल प्रदेश	835	290922.8
10.	जम्मू और कश्मीर	935	49544
11.	झारखंड	3358	847967.93
12.	कर्नाटक	3470	232734
13.	केरल	323	170712
14.	मध्य प्रदेश*	13698	5500000
15.	महाराष्ट्र	5322	1411215
16.	मणिपुर	205	93941
17.	मिजोरम	249	10980
18.	नागालैंड	306	22930
19.	उड़ीसा	15985	821504
20.	पंजाब	287	56243.95
21.	राजस्थान	3667	376766
22.	सिक्किम	158	600
23.	तमिलनाडु	1816	445965
24.	त्रिपुरा	234	34154
25.	उत्तर प्रदेश	2030	112652.93
26.	उत्तरांचल	10107	859028
27.	पश्चिम बंगाल	3892	604334
	कुल	84632	17331955.1

*मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2004 के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की संख्या और क्षेत्र क्रमशः 14,173 और 59,46,800 हेक्टेयर है।

बोनस संदाय अधिनियम, 1985

3681. श्री जुएल ओराम: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राऊरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राऊरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों अथवा किसी मजदूर संघ ने इस संबंध में कोई ज्ञापन/सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) से (ङ) इस्पात मंत्रालय के क्षेत्र कार्यालय से इस संबंध में आवश्यक सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संदूषित भू-जल

3682. **श्री कुलदीप बिश्नोई:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) भू-जल में फ्लोराईड और नाइट्रेट की मात्रा का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करता है और राज्य सरकारों को सम्बन्धित सूचनाएं प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) जलभूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों, भूजल अन्वेषण कार्यक्रमों और भूजल निगरानी के दौरान, जल स्तर मापने के उद्देश्य से बनाए गए प्रेक्षण कुओं से जल के नमूने संग्रह करता है। भूजल के इन नमूनों को फ्लोराईड और नाइट्रेट सहित इसकी रासायनिक गुणवत्ता का पता लगाने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन ब्यौरों को संबंधित राज्य के विभागों को उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) फ्लोराईड (1.5 एम जी/एल से अधिक), और नाइटेट (45 एम जी/एल से अधिक) की अधिकता से प्रभावित जिलों के भागों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, लोगों को संदूषण रहित जल मुहैया कराने की स्कीमें तैयार करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों का होता है। तथापि, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) ने राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराये हैं और इस प्रयोजन के लिए लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कई जन जागरूकता कर्यक्रमों का आयोजन किया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड इसमें परिवर्तनों का पता लगाने के लिए भूमि जल गुणवत्ता की आवधिक मानीटरी भी करता है और आवश्यक सुधारात्मक उपायों को करने के लिए इसे राज्य सरकारों को अवगत कराता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने संदूषण मुक्त जलभृत क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई भी की है और उपयोग के वास्ते इन कुओं को राज्य सरकारों को सौंप दिया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, पेय जल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 की वित्त पोषण पद्धति पर राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। गुणवत्ता समस्या का समाधान करने के लिए परियोजनाओं को संस्वीकृत और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को 1.4.1998 से शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। गुणवत्ता संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के तहत राज्य सरकारों को 15% की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है।

विवरण

फ्लोराईड और नाइट्रेट की अधिकता से प्रभावित जिलों के भागों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नाइट्रेट की अधिकता से प्रभावित जिलों का नाम (45 एमजी/एल से अधिक)	फलोराईड की अधिकता से प्रभावित जिलों का नाम (1.5 एमजी/एल से अधिक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्रकाशम, खम्माम, नेल्लौर, नालगोंडा, निजामाबाद, गुन्टूर, करनूल, करीमनगर महबूबनगर, विजयवाड़ा	प्रकाशम, अनन्तपुर, नेल्लौर, नालगोंडा, रंगारेड्डी, अदिलाबाद, कृष्णा, करनूल, कुडप्पा, गुन्टूर, करीमनगर

1	2	3	4
2.	असम	लखीमपुर	कामरूप, नौगांव, कारबी-आंगलोंग
3.	बिहार	गया, पटना, नालंदा, नवादा भागलपुर, बांका	मुंगेर, नवादा
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर	बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, कन्केर, कोरबा, कोरिया, रायपुर, राजनंदगांव
5.	दिल्ली	पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम	उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम,
6.	गुजरात	अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, गांधी नगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, जूनागढ़, राजकोट, सुरेन्दरनगर, वडोदरा कच्छ, पंच महल, मेहसाना, साबरकांठा
7.	हरियाणा	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कुरूक्षेत्र, करनाल, महेन्द्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, सिरसा	रोहतक, झज्जर, जींद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, रिवाड़ी, फतेहाबाद, पानीपत
8.	हिमाचल प्रदेश	ऊना	
9.	जम्मू-कश्मीर	कथुआ	
10.	झारखण्ड	पलामू, साहेबगंज	गिरिडीह, बोकारो
11.	कर्नाटक	बीजापुर, बंगलौर, बेलगांव, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, धारवाड़, गुलबर्गा, हासन, कोलार, मण्डया, रायचूर, सिमोगा	बीजापुर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर, चित्रदुर्गा, कोलार, गडग
12.	केरल	इदुक्की, कोट्टायम, पालघाट, पाथनमथिट्टा, मल्लपुरम	पालघाट, अलेप्पी
13.	मध्य प्रदेश	भिण्ड, भोपाल, छिन्दवाड़ा, धार, देवास, ग्वालियर, इन्दौर, खण्डवा, मन्दसौर, मुरैना, शिवपुरी, शिहोर, उज्जैन	भिण्ड, मुरैना, होशंगाबाद, गुना, झबुआ, टीकमगढ़, छिन्दवाड़ा, सीवनी, मण्डला, डिंडोरी, शिवपुरी, धार, जबलपुर शहर
14.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, भण्डारा, बीड, बुल्दाना, चन्दरपुर, गडचिरौली, धुले, जलगांव, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, उस्मानाबाद, पुणे, सांग्ली, सतारा शोलापुर, थाने, वर्धा	भण्डारा, चन्दरपुर, नान्देड, गडचिरौली, यवतमाल, शोलापुर

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	अंगुल, बारागढ़, बोलनगीर, बौध, कटक, गंजम, जगतसिंहपुर, कालाहांडी, क्योंझर, मलकानगिरी, नावापाड़ा, रायगदा, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़	बोलनगीर, खुर्दा, कालाहांडी,
16.	पंजाब	भटिण्डा, फरीदकोट, फिरोजपुर, पटियाला, संगरूर	भटिण्डा, संगरूर, मनसा, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, पटियाला
17.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बून्दी, चुरू, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, उदयपुर	अजमेर, बाड़मेर, भीलवाडा, बीकानेर, डूंगरपुरय, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही
18.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, पेरियार, सलेम, एनए अम्बेडकरनगर, टी कोट्टाबोम्मन डिण्डीगुल-अन्ना, वी. आर. पदायाची	धर्मपुरी, सलेम, इरोड, वेल्लौर, नामक्कल, तिरूचिरापल्ली, रामनाथपुरम, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, तिरूनेलवेली
19.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़, आगरा, बांदा, इटावा, गाजियाबाद, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, मैनपुरी, मथुरा, पीलीभीत	फतेहपुर, रायबरेली, लखीमपुर, खीरी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, बुलंदशहर, अलीगढ़, अगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, ऐटा, फतेहगढ़, मैनपुरी, महोबा, इलाहाबाद, वाराणसी
20.	उत्तरांचल	नैनीताल	
21.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दीनाजपुर, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नदिया, बांकुडा, पुरूलिया, हावड़ा, मेदिनीपुर	बीरभूम, हावड़ा, उत्तर 24 परगना
22.	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	चण्डीगढ़	

[अनुवाद]

गन्ने की उच्च पैदावार किस्म का विकास

3683. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के कुडालोर स्थित गन्ना अनुसंधान केन्द्र (एस आर एस) के वैज्ञानिकों ने गन्ने की उच्च पैदावार वाली किस्म (सी ओ सी एस सी (22) का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो गन्ने की इस किस्म पर सरकार की क्या राय है; और

(ग) क्या यह किस्म मृदा के अनुकूल रहेगी और कम पानी की खपत करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु की राज्य सरकार की किस्म रिलीज समिति ने, इस किस्म को किसानों द्वारा खेती करने के लिए जारी किया गया।

(ग) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार यह किस्म बलुई दुमट और चिकनी मिट्टियों के लिए अनुकूल है; सूखा सहिष्णु है तथा इसमें पानी का उपयोग भी कम होता है।

(घ) यह किस्म मध्यम देरी से 330-360 दिनों की फसल अवधि में परिपक्व होती है। यह समान्यतया लाल गलन रोग की प्रतिरोधी, पेड़ी फसल के लिए उपयुक्त तथा अच्छी गुणवत्ता का गुड़ प्रदान करती है।

[हिन्दी]

उर्वरक नीति

3684. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दीर्घकालिक उर्वरक नीति और नई उर्वरक नीति लागू हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं और संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त नीतियों के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य विनियमन और विनियंत्रण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नई उवरक नीति कि क्रियान्वयन के पश्चात् विश्व व्यापार संगठन पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त नीति के अंतर्गत यूरिया सहित उर्वरकों के मूल्य नियमित अंतराल पर बढ़ाये जायेंगे;

(ज) यदि हां, तो क्या उर्वरकों के मूल्यों में उक्त वृद्धि से खाद्यान्नों के उत्पादन में कृषकों को मूल्य वृद्धि की समस्या का सामना करना पड़ेगा;

(छ) यदि हां, तो नई उर्वरक नीति के अंतर्गत मूल्य वृद्धि को सरकार किस प्रकार रोकेगी?

(ञ) विकसित देशों और भारत में कृषि अनुदानों की दर का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): (क) से (घ) यूरिया के स्वदेशी उत्पादकों को राजसहायता का भुगतान यूरिया इकाइयों की नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों को रियायत नियंत्रणयुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत योजना के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है। नई मूल्य निर्धारण योजना को तत्कालीन प्रतिधारण मूल्य योजना के स्थान पर दिनांक 1.4.2003 से लागू किया गया था। नई मूल्य निर्धारण योजना को चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। चरण-I की अवधि एक वर्ष अर्थात् 1.4.2003 से 31.3.2004 तक थी। चरण-II की अवधि दो वर्ष अर्थात् 1.4.2004 से 31.3.2006 तक है।

नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-I और चरण-II की प्रभावकारिता की समीक्षा करने तथा यूरिया इकाइयों के लिए चरण-III अर्थात् 1.4.2006 के बाद नीति निर्धारण करने के लिए डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में 10.12.2004 को एक कार्य दल गठित किया गया है। कार्य दल विशेषकर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यूरिया की प्रकृति, मूल्य निर्धारण तथा उपलब्धता, मांग और आपूर्ति, मौजूदा नेफ्था तथा एफओ/एलएसएचएस आधारित

इकाइयों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित करने के मानदण्ड निर्धारित करना, यूरिया इकाइयों को रियायत के भुगतान की निर्धारण पद्धति तथा कार्यप्रणाली, यूरिया के संचलन तथा वितरण को नियंत्रणमुक्त करना, यूरिया मूल्य-निर्धारण के जरिए संतुलित उर्वरण आदि से संबंधित फीडस्टॉक नीति बनाने से संबंधित मुद्दों की भी जांच करेगा। कार्यदल को उसके गठन की तारीख से छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

यूरिया की घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नई यूरिया परियोजनाओं और विद्यमान यूरिया परियोजनाओं की स्थापना हेतु एक नीति की घोषणा की गई है जिससे देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। नई/विस्तार परियोजनाएं फीडस्टॉक के रूप में केवल प्राकृतिक गैस/एलएनजी पर आधारित होंगी जो कि आज उर्वरक क्षेत्र में सर्वाधिक लागत प्रभावी तथा न्यूनतम प्रदूषण वाला फीडस्टॉक है। नई नीति से उद्यमी उर्वरक क्षेत्र में अपनी निवेश योजनाओं के बारे में निर्णय ले सकेंगे।

मौजूदा यूरिया इकाइयों में अवरोध दूर करने/पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण की अनुमति तभी दी जाएगी यदि अतिरिक्त उत्पादन, फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस/एलएनजी का उपयोग करते हुए किया जाएगा।

सरकार ने मौजूदा नेफ्था/ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित यूरिया संयंत्रों को प्राकृतिक गैस/एलएनजी में परिवर्तन करने की एक नीति भी बनाई है। नेफ्था/ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित संयंत्र कम ऊर्जा दक्ष हैं और इनकी उत्पादन लागत अधिक है। इसलिए, यह नीति प्राकृतिक गैस/एलएनजी में शीघ्र परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है ताकि ये नियंत्रणमुक्त तथा उदारीकृत आर्थिक परिदृश्य में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकें। फीडस्टॉक के रूप में एनजी/एलएनजी में परिवर्तन करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेशक को यह आश्वासन दिया जाता है कि परिवर्तन के बाद ऊर्जा दक्षता के कारण होने वाली बचत को संयंत्रों द्वारा नेफ्था आधारित संयंत्रों में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए और ईंधन तेल/एलएसएचएस आधारित संयंत्रों में अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

(ङ) और (च) जहां तक यूरिया का संबंध है यह विश्व व्यापार संगठन का मुद्दा नहीं है।

(छ) और (झ) उर्वरकों के विक्रय मूल्यों में दिनांक 28.2.2002 से वृद्धि नहीं की गई है। उर्वरकों के विक्रय मूल्यों में दिनांक 28.2.2003 को मामूली सी वृद्धि की गई थी जिसे दिनांक 12.3.2003 को वापिस ले लिया गया था।

(ञ) और (ट) विकसित देशों में कृषि अनुदानों की दर संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

91वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्रियान्वयन

3685. श्री सुरेश चन्देल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को कम करने के लिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 पूरे देश में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 32 विधायकों वाली सिक्किम विधानसभा में मुख्यमंत्रियों सहित 12 कैबिनेट मंत्री तथा कैबिनेट रैंक के 6 विधायक सलाहकार के रूप में शामिल हैं जिन्हें एक मंत्री के बराबर पूर्ण भत्ते एवं सुविधाएं प्राप्त हैं जो कि संविधान की भावना तथा दायरे की परिवंचना है तथा उसके विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) सिक्किम में 32 विधायकों में से, मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री है। सिक्किम सरकार ने 8 विधायकों को, कैबिनेट मंत्रियों के दर्जे और सुविधाओं के साथ चैयरमेन के रूप में नियुक्त किया है। विधायकों की चैयरमेन के रूप में नियुक्ति, वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है।

विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

3686. श्री जुएल ओराम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार विश्वविद्यालय-वार रिक्त पदों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं के संबंध में ऐसी कोई केन्द्रीयकृत सूचना का ब्यौरा नहीं रखता है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यद्यपि शिक्षणेतर पदों को भरने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तथापि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक शिक्षणेतर पदों का अभिनिर्धारण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय 'कार्यकारी परिषद' जैसे अपने सक्षम प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसूची का अनुसरण करते हुए भर्ती अथवा पदोन्नति, जैसा भी मामला हो, के द्वारा शिक्षण पदों को भरते हैं।

विवरण

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत शिक्षण रिक्त पदों की कुल संख्या					31.3.2004 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत शिक्षणेतर रिक्त पदों की कुल संख्या				
		प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	अन्य	कुल	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	22	46	शून्य	13	81	13	18	200	107	338
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	215	228	288	–	731	140	146	900	903	2089
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	88	138	146	11	383	74	37	247	173	531
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	19	22	24	8*	73	12	6	35	60	113
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	2	17	22	15*	56	14	4	55	64	137
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	46	56	39	–	141	36	52	65	91	244
7.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	25	29	13	–	67	6	शून्य	60	22	88
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	12	8	22	1	43	15	4	37	55	111
9.	विश्व भारती	13	21	42	6*	82	15	21	82	183	301
10.	असम विश्वविद्यालय	15	17	58	1	91	6	–	3	3	12
11.	तेजपुर विश्वविद्यालय	9	12	10	–	31	3	1	4	शून्य	8
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय	12	शून्य	11	शून्य	23	4	5	1	1	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	मिजोरम विश्वविद्यालय	8	14	37	शून्य	59	11	10	62	15	98
14.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	1	शून्य	3
15.	महात्मा गांधी अर्न्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	1	शून्य	शून्य	3
16.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	शून्य	1	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	486	609	712	55	1862	353	305	1752	1677	4087

*स्कूल शिक्षक

राजसहायता

3687. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उद्योग विकास तथा निर्यातों के लिए दी जा रही राजसहायता विश्व व्यापार के अनुकूल है;

(ख) यदि नहीं, तो इन्हें विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा उद्योग अथवा निर्यातों के लिए किसी कार्यक्रम को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में भारत द्वारा की गयी वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार तथा कार्यान्वित किया जाना आवश्यक होता है। डब्ल्यू टी ओ के सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के अनुसार कृषि संबंधी करार में किए गए प्रावधानों को छोड़कर निर्यात निष्पादन पर आधारित सभी सब्सिडियां (निर्यात सब्सिडियां) और/अथवा आयातित के बाजार घरेलू वस्तुओं के प्रयोग पर आधारित सभी सब्सिडियां प्रतिबंधित हैं। तथापि, सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार की अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन यह प्रतिबंध 1000 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति से कम जी एन पी वाले भारत जैसे विकासशील सदस्यों पर लागू नहीं होगा। अधिकतर अन्य सब्सिडियां, मुख्य रूप से उत्पादन सब्सिडियां "कार्यवाही योग्य" श्रेणी में आती हैं। कार्यवारी योग्य सब्सिडियां प्रतिबंधित नहीं हैं। तथापि, दूसरे सदस्य के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के मामले में डब्ल्यू टी ओ सिद्धांतों के अनुसार वे बहुपक्षीय विवाद निपटान अथवा प्रतिसंतुलनकारी कार्यवाहियों के जरिए चुनौती के अधीन हैं। कुछ सरकारी स्कीमें/कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी कार्यवाहियों के अधीन रहे हैं।

(ख) और (ग) कुछेक देशों द्वारा प्रतिसंतुलनकारी कार्यवाहियों के अधीन रखी जा रही सरकार की शुल्क तटस्थीकरण स्कीमों में से एक स्कीम शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डी ई पी बी) है डी ई पी बी स्कीम तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसे निर्यातकों के परामर्श से तैयार की जाने वाली किसी स्कीम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को सेवा से हटाया जाना

3688. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालयों के कई अध्यापकों जिनके नौकरी से हटाने सम्बन्धी आदेश को 2004 के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रधान खण्डपीठ), नई दिल्ली द्वारा निरस्त कर दिया गया था, उन्हें न तो पुन: सेवा में लिया गया है और न ही नौकरी से हटाए जाने की अवधि के लिए बकाया वेतन का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां। ऐसा एक मामला है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रधान खण्डपीठ), नई दिल्ली ने दिनांक 5 जुलाई, 2004 के आदेश द्वारा एक शिक्षक को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है और आवेदक को परिणामी लाभ तथा पिछला पूर्ण भुगतान देते हुए पुन: नियुक्त करने का निदेश दिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की अपील पर माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने अपने 10 फरवरी, 2005 के आदेश द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि अपील वापस लेने तथा संबंधित शिक्षक को बहाल करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का पार्किंग शुल्क

3689. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी पार्किंग स्थानों तथा ठेकेदारों, जिनके नाम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के पांच लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है, का ब्यौरा क्या है जैसा कि दिनांक 13 जनवरी, 2005 के 'पंजाब केसरी' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार ऐसे ठेकेदारों को दिये गए सभी ठेकों को रद्द करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) पार्किंग स्थलों और ठेकेदारों, जिन पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के पांच लाख रुपए से अधिक बकाया हैं, का ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	ठेकेदार का नाम	पार्किंग स्थल	बकाया राशि (रुपए)
1.	डी. जे. सिंह	हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग के पीछे	21,69,466
2.	राजवीर सिंह	एफ-ब्लॉक, इनर सर्किल कनॉट प्लेस	10,75,143
3.	जंकल राज	नव विकसित क्षेत्र, सरोजनी नगर	5,58,690
4.	रमेश कुमार	पटियाला हाउस बाउंड्री वाल	6,72,353
5.	पी. जी. गौतम	बी. के एस. मार्ग, टू टीयर पार्किंग स्थल	5,69,884

(ख) और (ग) उपरिलिखित ठेके पहले ही समाप्त हो गए हैं।

[अनुवाद]

हडको द्वारा वित्तीय सहायता

3690. श्री सुबोध मोहिते: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास तथा शहरी विकास निगम को नागपुर शहर में तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में बुनियादी संरचना के विकास तथा भूमि अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार से 500 करोड़ रुपये की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हडको की वित्तीय सहायता से महाराष्ट्र सरकार कौन सी परियोजनाएं शुरू करेगी;

(घ) क्या हडको नागपुर शहर में प्रस्तावित सांत्रा मार्केट एवं कलमाना रेलवे ऊपरिपुल के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) वित्तीय सहायता कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, हडको ने 35610.34 करोड़ रुपए की परियोजना लागत तथा 4528.49 करोड़ रुपये की ऋण राशि की 12 स्कीमें सीधे महाराष्ट्र सरकार को स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 2951.88 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

(घ) से (च) महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लि. ने हडको को औपचारिक ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लि. ने संतरा मार्केट फ्लाई ओवर और कलमाना रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 100 करोड़ रु. का अवधि ऋण प्राप्त करने हेतु केवल रुचि दिखायी है।

राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग अधिनियम

3691. श्री गिरिधर गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अधिनियम में पंचायतों के विस्तार के प्रावधानों के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यों में पंचायतों के विस्तार हेतु राज्य अधिनियम लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग अधिनियम वाले तथा राज्य के कानून के सरल बनाने वाले राज्यों के क्या नाम है;

(ग) क्या राज्यों ने पंचायत अधिनियम में छठे अनुसूचित क्षेत्रों की तर्ज पर प्रशासनिक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए अनुसूचित क्षेत्रों में स्व-शासन के लिए राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्य सरकारों ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार), अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विस्तार के लिए अपने राज्य अधिनियमों में संशोधन किए हैं।

(ग) और (घ) छठी अनुसूची के प्रावधान केवल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों पर लागू है न कि पांचवां अनूसूची के राज्यों पर।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जाति प्रमाणपत्रों का सत्यापन

3692. श्री परसुराम माझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक विकलांग उत्थान संघ" जुलाई, 2004 से आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय से जाति प्रमाणपत्रों की जांच के लिए अनुरोध कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या इस संघ के कुछ और सम्बन्धित मामलें भी बिना किसी कार्रवाई/उत्तर के दिल्ली विश्वविद्यालय के पास लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों को दाखिला देने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के विभिन्न अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों को उन्हें जारी करने वाले प्राधिकरणों से सत्यापित कराया जाता है। शैक्षिक सत्र 2004-2005 के दौरान किए गए दाखिलों से संबंधित लगभग 6300 प्रमाणपत्रों को सत्यापन हेतु जारी करने वाले विभिन्न प्राधिकरणों के पास भेजा गया था। तथापि, विश्वविद्यालय ने इस बात से इनकार किया है कि उसे इस संबंध में 'अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. एवं शारीरिक विकलांग उत्थान संघ' से कोई विशेष अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसे कोई मुद्दे लम्बित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात संवर्धन परिषद

3693. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक निर्यातक को निर्यात कार्य करने की अनुमति प्राप्त करने से पूर्व निर्यात संवर्धन परिषद का सदस्य बनना तथा वार्षिक शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है;

(ख) आर सी एम सी के नवीकरण के लिए प्रत्येक निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा कितना वार्षिक शुल्क संग्रहीत किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केमेक्सिल/फार्मेक्सिल निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा फार्मा निर्यातकों के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) इन परिषदों के कार्यकरण को उपयोगी तथा निर्यातक अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। निर्यात की अनुमति दिए जाने से पूर्व यह अनिवार्य नहीं है कि किसी निर्यात संवर्धन परिषद का सदस्य बना जाए तथा वार्षिक फीस का भुगतान किया जाए। यह विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लाभों का दावा करने के लिए ही है कि किसी निर्यातक को विशिष्ट निर्यात संवर्धन परिषद से पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और वार्षिक सदस्यता फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आर सी एम सी) के नवीनीकरण हेतु वार्षिक फीस परिषद-दर-परिषद अलग-अलग होती है। कुछ निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा इसे समान दर से वसूल किया जाता है जबकि अन्य परिषदें विनिर्माण/निर्यातों की मात्रा के आधार पर इसकी वसूली करती हैं।

(ग) और (घ) यह कहना सच नहीं है कि केमेक्सिल/फार्मेक्सिल द्वारा भेषज निर्यातकों के कल्याण का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। निर्यातकों द्वारा प्रबंधित व्यापार निकाय होने के नाते इन दोनों निर्यात संवर्धन परिषदों ने भेषजीय निर्यातों के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सरकार द्वारा निर्यातों के संवर्धन हेतु क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने, विदशों में प्रदर्शनियों एवं मेलों आदि में भाग लेने के लिए इन दोनों परिषदों को सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

3694. **श्री कैलाश बैठा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नेपाल की सीमा से लगे बिहार के क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यिद हां, तो इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त धनराशि किस एजेंसी के जरिए खर्च किये जाने की संभावना है तथा क्या संसद सदस्य की सिफारिशों को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सात (07) जिलों के सीमावर्ती ब्लाकों, जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, में विकासात्मक कार्यों के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के अधीन बिहार राज्य को निधियां जारी की जा रही हैं। भारत सरकार, राज्य सरकारों को निधियां जारी करती हैं और फिर राज्य सरकार, बी ए डी पी के दिशानिर्देशों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में निष्पादक एजेंसियों को आगे इनका आवंटन करती है। भारत सरकार ने गत दो वर्षों अर्थात 2003-04 और 2004-05 के दौरान प्रत्येक वर्ष 728.00 लाख रुपए जारी किए हैं।

बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 और 2004-05 में जिले-वार आवंटित की गई योजनाओं की राशि नीचे दी गई है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिले का नाम	2003-04 के दौरान आवंटित राशि	2004-05 के दौरान आवंटित राशि
1.	मधुबनी	389.695	440.068
2.	सीतामढ़ी	77.605	66.550
3.	किशनगंज	78.895	48.160
4.	सुपौल	27.775	30.690
5.	अररिया	39.490	63.086
6.	पूर्वी चम्पारण	57.880	31.700
7.	पश्चिमी चम्पारण	42.880	44.918

दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बी ए डी पी के अधीन शुरू की जाने वाली योजनाओं/कार्यों को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जहां तक निष्पादन एजेंसियों का संबंध है, राज्य सरकार निम्नलिखित में से किसी को भी चुन सकती है:

(1) राज्य सरकार;

(2) केन्द्र सरकार;

(3) राज्य में स्थित केन्द्रीय अर्ध-सैनिक संगठन;

(4) स्वयंसेवी एजेंसियां; और

(5) पंचायती राज संस्थान/जिला परिषदें तथा परंपरागत परिषदें।

[अनुवाद]

विधवाओं के पुनर्वास के लिए योजना

3695. श्री रघुनाथ झा:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेसहारा विधवाओं विशेषत: अपने परिवारों द्वारा धार्मिक स्थलों में परित्यक्त विधवाओं, जेल की महिला कैदियों तथा उन महिलाओं जिन्हें परिवार से सहायता नहीं दी जाती है आदि के पुनर्वास के लिए कौन सी योजनाएं हैं तथा ये योजना किस सीमा तक सफल हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा इसके बाद हासिल उपलब्धियों की प्रगति तथा लाभान्वितों का राज्य-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद वांछित परिणाम देने वाली एजेन्सियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (एन.सी.सी.एफ.) को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) स्वाधार स्कीम बेसहारा विधवाओं विशेषकर अपने परिवारों द्वारा धार्मिक स्थलों पर छोड़ी गई विधवाओं, जेल की महिला कैदियों तथा उन महिलाओं, जिन्हें परिवार से सहायता नहीं दी जाती है, आदि के पुनर्वास से सम्बन्धित है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् हासिल उपलब्धियों की प्रगति तथा लाभार्थियों का राज्य-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) उन अभिकरणों, जिनके माध्यम से विगत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके पश्चात् इस स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है, कि राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 के दौरान इस स्कीम को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य सरकारों के नाम	लाभाथियों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)	प्रथम किस्त के रूप में निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)
1.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि., 2/5बी, विश्वास खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ-10 (जिलाधिकारी, मथुरा)	150	12.96	8.13

वर्ष 2002-03 के दौरान स्वाधार स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त राशि

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन/राज्य सरकार का नाम	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये (लाखों में)	प्रथम किस्त के रूप में निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	200	61.26	32.83
2.	अरुणाचल प्रदेश			
3.	असम			
4.	बिहार			
5.	छत्तीसगढ़			
6.	गोवा			
7.	गुजरात	680	109.05	95.50
8.	हरियाणा	100	10.20	7.90
9.	हिमाचल प्रदेश			
10.	जम्मू कश्मीर	100	13.66	7.65
11.	झारखण्ड			
12.	कर्नाटक	100	37.20	19.70
13.	केरल			
14.	मध्य प्रदेश			
15.	महाराष्ट्र	400	100.00	50.00
16.	मणिपुर			
17.	मेघालय			
18.	मिजोरम			
19.	नागालैण्ड			
20.	उड़ीसा			
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान	50	15.58	3.99
23.	सिक्किम			
24.	तमिलनाडु	370	50.60	29.35

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा			
26.	उत्तर प्रदेश	663	165.75	82.87
27.	उत्तरांचल			
28.	पश्चिम बंगाल	50	8.08	4.23
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह			
30.	चण्डीगढ़			
31.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	150	13.18	6.70
32.	दादरा व नगर हवेली			
33.	दमन व दीव			
34.	लक्षद्वीप			
35.	पाण्डिचेरी			
36.	के.स.क.बो., नई दिल्ली	हैल्पलाइन	111.69	63.52
	कुल	2863	698.88	404.24

वर्ष 2003-04 के दौरान स्वाधार स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन/राज्य सरकार का नाम	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत राशि	प्रथम किस्त के रूप में निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश			–
2.	अरुणाचल प्रदेश			–
3.	असम			–
4.	बिहार			–
5.	छत्तीसगढ़			–
6.	गोवा			–
7.	गुजरात	–	16.69	–
8.	हरियाणा	–	12.88	–

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश			–
10.	जम्मू-कश्मीर			–
11.	झारखण्ड			–
12.	कर्नाटक	150	26.88	–
13.	केरल			–
14.	मध्य प्रदेश			–
15.	महाराष्ट्र			–
16.	मणिपुर	50	9.10	5.10
17.	मेघालय			–
18.	मिजोरम	50	9.10	–
19.	नागालैण्ड			–
20.	उड़ीसा	50	7.60	4.35
21.	पंजाब			–
22.	राजस्थान	50	8.07	4.58
23.	सिक्किम			–
24.	तमिलनाडु			–
25.	त्रिपुरा			–
26.	उत्तर प्रदेश			–
27.	उत्तरांचल	हैल्पलाइन	2.31	1.21
28.	पश्चिम बंगाल	125	20.02	11.66
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह			–
30.	चण्डीगढ़			–
31.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली*	50	–	3.25
32.	दादरा व नगर हवेली			–
33.	दमन व दीव			–
34.	लक्षद्वीप			
36.	के.स.क.बो., नई दिल्ली*	हैल्पलाइन	–	30.56
	कुल	525	112.65	110.47

वर्ष 2004-05 के दौरान स्वाधार स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निर्मुक्त राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन/राज्य सरकार का नाम	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	600 एवं 4 हेल्पलाइन	55.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	100	10.20
4.	बिहार	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–
6.	गोवा	–	–
7.	गुजरात	50	24.89
8.	हरियाणा	–	8.85
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	–	2.58
11.	झारखण्ड	–	–
12.	कर्नाटक	550	63.57
13.	केरल	–	–
14.	मध्य प्रदेश	–	–
15.	महाराष्ट्र	100	7.71
16.	मणिपुर	400 एवं 1 हेल्पलाइन	42.05
17.	मेघालय	–	–
18.	मिजोरम	–	–
19.	नागालैण्ड	–	–
20.	उड़ीसा	725 एवं 2 हेल्पलाइन	73.46
21.	पंजाब	–	–
22.	राजस्थान	–	–
23.	सिक्किम	–	–

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	150	18.28
25.	त्रिपुरा	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	10.68
27.	उत्तरांचल	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	03.52
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–
30.	चण्डीगढ़	–	–
31.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–	–
32.	दादरा व नगर हवेली	–	–
33.	दमन व दीव	–	–
34.	लक्षद्वीप	–	–
35.	पाण्डिचेरी	–	–
	कुल	2675 एवं 7 हेल्पलाइन	–

विवरण-II

वर्ष 2001-02 के दौरान स्कीम को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों का ब्यौरा

क्र.सं.	संगठन/कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण का नाम
1.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लि., 2/5बी, विश्वास खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ-10 (जिलाधिकारी, मथुरा)

वर्ष 2002-03 के दौरान स्कीम को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों का ब्यौरा

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	आन्ध्र प्रदेश सरकार
	गुजरात
2.	सेवा-शान्ता परियोजना (स्व-नियोजन महिला संघ) 'सेवा' स्वागत केन्द्र, विक्टोरिया गार्डन भद्रा के सामने, अहमदाबाद, फोन न. 25506446 (फैक्स न. 25506441)
3.	गुजरात मुस्तुरत (महिला) सेवा न्यास, जावेद पार्क, प्राचीन समिति के पास, जुहापुरा सरखेज रोड, अहमदाबाद-380055, फोन न. 26828375
4.	गैर-सरकारी संगठन "गिल्ड ऑफ सर्विस" द्वारा चलाया जा रहा विधवा गृह हाजी जी.यू. पटेल हाई स्कूल, मधवास दरवाजा, डाकघर लूनावाड़ा, जिला पंचमहल, फोन न. 224307
5.	'अवाग घर' विधवा गृह, जनरल हॉस्पिटल के सामने वृन्दावन फ्लैट्स के पास, बापू नगर, अहमदाबाद, फोन न. 2747029 (1/8/03 से बंद)
	हरियाणा
6.	कोएलिशन फार रूरल एम्पावरमेंट (कोर), एच. 3/74 श्यामा प्रसाद मुखर्जी एन्कलेव, पालम डाबरी रोड, नई दिल्ली (गुड़गांव, हरियाणा)

1	2
	जम्मू व कश्मीर
7.	(1) गिल्ड ऑफ सर्विस-राहत घर गांव मारतगाम, हडवारा, जिला कुपवाड़ा, जम्मू व कश्मीर
	(2) गिल्ड ऑफ सर्विस-राहत घर, ओल्ड गागरी बाल जेरोड (शाह अब्बास होटल के पीछे, बाउलीवार्ड रोड,) बुचवाड़ा, श्रीनगर
	कर्नाटक
8.	ओडनाडी सेवा संस्था (पंजीकृत), 15/2बी, एस.आर.एस. कालोनी, हूटागली गांव, बेलावड़ी पोस्ट, हुनसूर-मैसूर रोड, मैसूर-571186
	महाराष्ट्र
9.	महाराष्ट्र राज्य सरकार
	राजस्थान
10.	राजस्थान राज्य सरकार (दिल्ली से छुड़ायी गयी बेड़िया लड़कियां)
	तमिलनाडु
11.	बनियान, छठा मेन रोड, मोगापेयर, ई.आर.आई., स्कीम, मोगापेयर वेस्ट, चेन्नई-600058
12.	सीडा ट्रस्ट, 98ए, कूटुरावु नगर, बेश्ची कालेज के सामने, डिंडीगुल-624005, तमिलनाडु
13.	समाज सुरक्षा विभाग, न. 153, पुरासवालकम हाई रोड, कैलीज, चेन्नई-600010
14.	सीजोफेर्निया रिसर्च फाउंडेशन (इण्डिया), प्लॉट न. आर/7ए, नॉर्थ मेन रोड, अन्ना नगर, (वेस्ट एक्सटेंशन) चेन्नई
	उत्तर प्रदेश
15.	उत्तर प्रदेश सरकार
	पश्चिम बंगाल
16.	ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, कोलकाता
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
17.	कोइलिशन फॉर रूरल एम्पावरमेंट (कोर), एच 3/74, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एन्कलेव, पालम डाबरी रोड, नई दिल्ली-110054 (गुड़गांव, हरियाणा)
18.	समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
19.	कोर, नई दिल्ली केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
20.	के.स.क.बो. बी.-12, तारा क्रिसेंट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली को अनुमोदित 51 हैल्प लाइनें
21.	महिलाओं हेतु हैल्पलाइनों के आयोजन के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम

2003-04 के दौरान स्कीम को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों का ब्यौरा

क्र.सं.	संगठन एवं राज्य का नाम
1	2
	हरियाणा
1.	कोइलिशन फॉर रूरल एम्पावरमेंट (कोर), एच 3/74, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एन्कलेव, पालम डाबरी रोड, नई दिल्ली-110054
2.	कोइलिशन फॉर रूरल एम्पारमेंट (कोर), एच 3/74, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एन्कलेव, पालम डाबरी रोड, नई दिल्ली -110054
	गुजरात
3.	गुजरात मुस्तुरत (महिला) सेवा ट्रस्ट, बुखारा मौहल्ला, धलगडवाड, खामसा, अहमदाबाद
	पश्चिम बंगाल
4.	मलीपुकुर समाज उन्नयन समिति गांव व डाक-जुजेरसा, जिला हावड़ा-711306, पश्चिम बंगाल
5.	सौजात्य, 112 आशुतोष कालोनी, कोलकाता-700078, जिला कोलकाता, पश्चिम बंगाल
6.	ऑल बंगाल वीमेन्स यूनियन, 89, इलियट रोड, कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल
	मिजोरम
7.	मिजोरम हेमेथाई (विडोज) एसोसिएशन, 10 ए, अपर रिपब्लिक रोड, जिला आइजोल, मिजोरम

1	2
	उड़ीसा
8.	नीलांचल नारी सेवा समिति, स्थान-हवेली गली, डाकघर-पुरी, जिला-पुरी, उड़ीसा
	उत्तरांचल
9.	रूरल लिटीगेशन एण्ड एनटाइटलमेंट 68/1, राजपुर रोड, सूर्यलोक कालोनी, देहरादून
	मणिपुर
10.	रूरल वॉलेंट्री सर्विस वांग्बल मायाई लेईकई, जिला थाउबल, मणिपुर-795138
	कर्नाटक
11.	सेवा (सोशल एज्युकेशनल एण्ड वोकेशनल एसोसिएशन) 12.11.61, अरब मौहल्ला, रायचूर, कर्नाटक
12.	विद्यारण्य एज्युकेशन एण्ड डवलमेंट सोसायटी, मंडूर, विगो आगर वाया बंगलौर
13.	श्री अक्षय निकेतन ट्रस्ट, सोनाघल्ली, तालुक-मान्डया, जिला-मान्डया, कर्नाटक-571403
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
14.	कोएलिशन फॉर रूरल एम्पावरमेंट, एच-3/74, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एन्कलेव, पालम डाबड़ी रोड, नई दिल्ली-045
15.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण भवन, नई दिल्ली
	राजस्थान
16.	आदर्श समाज विद्या समिति दौसा, राजस्थान
	2004-05 के दौरान स्कीम को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों के नाम
	आन्ध्र प्रदेश
1.	शांति एज्युकेशन सोसायटी, 15/81, शरीन नगर, कुरनूल-518002 (अ.प्र.)
2.	दसारी आदिविहा मैमोरियल एलीमेंट्री, स्कूल कमेटी, उलवापाडु विलेज एण्ड मण्डल, जिला प्रकासम, आन्ध्र प्रदेश-523292
3.	वासव्य महिला मण्डली बेंज सर्कल, विजयवाड़ा, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश-520010
4.	चैतन्य भारती, प्लॉट न. 754, गोवथामीनगर, वुडा कालोनी, नियर फेज-III, डिस्ट्रिक्ट-विजयनगरम्, आन्ध्र प्रदेश-535003
5.	ग्राम विकास (वॉलेंट्री ऑर्गेनाजेशन) अय्याग्रीपेट, साटुपल्ली, नियर बी.सी. होस्टल, जिला खम्माम, आन्ध्र प्रदेश-507303
6.	कस्तरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट, हैदरशेकोट, हैदरशेकोट विलेज, राजेन्द्रनगर मण्डल, जिला रंगारेड्डी, आन्ध्र प्रदेश
7.	कम्यूनिटी एसोसिएशन फॉर रूरल डवलपमेंट, मन्नारपोलूर गांव व डाक सुलूरपेट मण्डल, जिला नैल्लौर, आंध्र प्रदेश-524121
8.	श्री हर्ष एज्युकेशनल सोसायटी, विद्रेशवरम् रोड, रावुलापालेम मण्डल, जिला पूर्वी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश
	असम
9.	वुडविची पी.ओ. लक्षीरवांड, जिला-हैलाकांडी, असम-788153
10.	रागुरटूक क्लब एण्ड लाइब्रेरी, पी.ओ. असलकांडी, जिला करीमगंज, असम-788723
	गुजरात
11.	चेयरमेन, गिल्ड ऑफ सर्विस, सी-25, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, साउथ, नई दिल्ली-16 (गुजरात में स्वाधार गृह चलाने हेतु)
12.	गुजरात मुस्तुर्त (महिला) सेवा ट्रस्ट, बुखारा मौहल्ला, धलगडवाड, अहमदाबाद-380001
13.	सोसायटी फॉर द ट्रेनिंग एण्ड वोकेशनल रीहैबिलीटेशन ऑफ द डिसेबल्ड, ऑफ तारासली बाईपास, तारासली, वड़ौदरा, स्वामी नारायण गुरूकुल विद्यालय के समीप, वड़ौदरा, गुजरात
	पश्चिम बंगाल
14.	द ऑल बंगाल वीमेन्स यूनियन, 89, इलियट रोड, कोलकाता-16, पश्चिम बंगाल

1	2
15.	सोशियो लीगल इन्फोंमेशन सेंटर (ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क), कोलकाता ब्रांच 98, एन, दासपाड़ा, जेम्स लांग सारनी, ठाकुरपुकुर, कोलकाता-700063
	दिल्ली
16.	कोएलिशन फॉर रूरल एम्पावरमेंट, एच-3/74, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एन्कलेव, पालम डाबड़ी रोड, नई दिल्ली-45 (दिल्ली में स्वाधार गृह चलाने हेतु)
	हरियाणा
17.	कोएलिशन फॉर रूरल एम्पावरमेंट, एच-3/74, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्कलेव, पालम डाबड़ी रोड, नई दिल्ली-45
	जम्मू व कश्मीर
18.	गिल्ड ऑफ सर्विस, नई दिल्ली (जम्मू व कश्मीर में स्वाधार गृह चलाने हेतु), श्रीनगर
	कर्नाटक
19.	भारतीय विकास ट्रस्ट, ''अनन्त'' पेरमपल्ली शिवाली, उडुपी, जिला उडुपी, कर्नाटक
20.	ज्ञान सिंधू एज्युकेशनल एवं कल्चरल सोसायटी, 22/6, 7वां मेन ब्लॉक 4, राजाजी नगर, बंगलौर
21.	ओडनडी सेवा संस्था (पंजीकृत), 15/2बी, एस.आर.एस. कालोनी , हुटागली गांव, बेलावड़ी, पोस्ट हुनसूर, मैसूर रोड, मैसूर
22.	यूनाइटेड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बेलगाम, गोरेखा बिल्डिंग, इन्कम टैक्स कालोनी, महन्तेश नगर, जिला बेलगांम, कर्नाटक
23.	द श्री शक्ति एसोसिएशन, गुटूर कालोनी, हरिहर-577601, जिला देवनगिरी, कर्नाटक
24.	किटटूर रानी चिनम्मा महिला मण्डल, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड कालोनी, एम.आई.जी., जिला बिहार, कर्नाटक
25.	प्रजना काउंसिलिंग सेंटर फाल्निर रोड कांकानाडी पोस्ट, मंगलौर, जिला-दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक
26.	श्री मैत्री एसोसिएशन, शुगर फैक्टरी रोड, डोडावाथी-577666, जिला देवनगिरी, कर्नाटक

1	2
27.	विद्यारण्य एज्युकेशन एण्ड डवलपमेंट सोसायटी, मंडूर, विरगो आगर वाया बंगलौर ईस्ट, बंगलौर-560049
28.	महादेवी ताई महिला विद्या वर्धक संघ, अलांद कालोनी, अलांद रोड, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक-585103
29.	समृद्धि सर्विस सोसायटी, हाउस न. 211, सैकेण्ड मेन, 6 क्रॉस, लास्ट बस स्टॉप, सदाशिव नगर, बेलगाम
30.	विद्यारण्य एज्युकेशन एण्ड डवलपमेंट सोसायटी, मंडूर, विरगो आगर वाया बंगलौर ईस्ट, बंगलौर-560049
	उड़ीसा
31.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, दया विहार (कनास), जिला-पुरी, उड़ीसा
32.	द एसोसिएशन फॉर हैल्थ, एज्युकेशन एण्ड डवलपमेंट, प्लॉट न. बी-12, बी.जे.बी. नगर, भुवनेश्वर
33.	महर्षि दयानन्द सर्विस, मिशन स्थान-जोरांदा, पी.ओ. महिमागढ़ी, जिला-धेंकनाल, उड़ीसा
34.	जंयती पथागार, स्थान शाहपाड़ा, डाकघर-ग्रहमाबारदा, जिला-जाजपुर, उड़ीसा-755005
35.	सिहादा (सोशियो-इक्नोमिक हैल्थ एग्रीकल्चरल डवलपमेंट एसोसिएशन), स्थान ओल्ड पावर हाउस रोड, डाकघर/ जिला-झारसुगड़ा, उड़ीसा
36.	प्रकल्प स्थान-पी.ओ. ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर, उड़ीसा
37.	आदिवासी हरिजन इंटीग्रटिड मास सोशल एजेंसी, जिला कंधामल, फुलबनी, उड़ीसा
38.	सोसायटी फॉर वीकर कम्यूनिटी, जिला भद्रक, उड़ीसा-756100
39.	राधाकृष्ण क्लब, अर्बन बैंक, पी.ओ. जिला-जगतसिंहपुर, उड़ीसा-754103
40.	पालीसरी महिला समिति स्थान/पी.ओ. कोरूआ, वाया तेंदकुरा, जिला केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा-754134
41.	एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन, स्थान-दामपुर, पी.ओ. बेरबोई, जिला-पुरी, उड़ीसा

1	2
42.	एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एण्ड सोशल रिसर्च इन उड़ीसा, स्थान सेवा विहार, पी.ओ. बुटुपाली, जिला-बौध, उड़ीसा
43.	सेंटर फॉर पब्लिक हैल्थ एण्ड एन्वायरमेंट एज्युकशन, स्थान हारापारबती, छाक, पी.ओ. जाजपुर टाउन, जिला-जाजपुर, उड़ीसा-755001
44.	गांधियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एडवांसमेंट, विम-818, शैलश्री विहार, भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, उड़ीसा
	उत्तर प्रदेश
45.	प्रबन्ध निदेशक, यू.पी., महिला कल्याण निगम लि., 2/5बी, विश्वास खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ-10 (डी.एम. मथुरा)
46.	उत्तर प्रदेश सरकार, मथुरा, प्रस्ताव, (प्रबन्ध निदेशक, यू.पी., महिला कल्याण निगम लि., 2/5बी, विश्वास खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ)
	मणिपुर
47.	द रूरल डवलमेंट सोसायटी, आर.डी.एस., भवन, वांग्जिंग बाजार, पी.ओ. वांग्जिंग, जिला थाउबल, मणिपुर-795148
48.	ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति की महिला एवं बाल विकास संगठन, थाउबल खनोऊ, जिला थाउबल, मणिपुर-795138
49.	रूरल वॉटिंट्री सर्विस वांग्बल मायाई लेईकई, जिला थाउबल, मणिपुर, 795138
50.	पब्लिक योगा एवं नेचर क्योर एसोसिएशन काकचिंग चुमांग लेइकई, नार्थ-ईस्ट इण्डिया, जिला थाउबल, मणिपुर
51.	समाज कल्याण विभाग मणिपुर सरकार, इम्फाल
52.	एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक्स मेनेजमेंट एसोसिएशन, (बी.ओ.) केईसामपेट जंक्शन, केईसामपेट लेईरम्बी के निकट, जिला इम्फाल वेस्ट-II, मणिपुर-795001
53.	मणिपुर सीमावर्ती क्षेत्र विकास समिति, चकपिक्रोंग पी.ओ. चकपिक्रोंग बाजार-795102, जिला चंदेल, मणिपुर-795102
54.	इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डवलपमेंट फॉर वीकर सेक्शन्स, वहंगबेम लेईकई खोंगांग हांगाईबी, एन.सी. रोड, इम्फाल, जिला पश्चिमी इम्फाल, मणिपुर-795001
55.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली
	तमिलनाडु
56.	अव्वाई विलेज वेलफेयर सोसायटी 260, पब्लिक ऑफिस रोड, वेलीपाल्यम, नागापट्टीनम, जिला नागापट्टीनम, तमिलनाडु-611001
57.	रूरल एज्युकेशन फॉर एक्शन एण्ड डवलपमेंट, एच-27, 5वां क्रॉस, आर.एम. कालोनी, जिला डिंडगुल, तमिलनाडु-624001
58.	द बेनयान 6 मेन रोड, मोगापेयर, ई.आर.ओई. स्कीम मोगापेयर वेस्ट, चेन्नई-600058
	महाराष्ट्र
59.	सरस्वती शिक्षण महिला मण्डल, महात्मा ज्योतिबाफूले सदन, कृष्णानगर चौक, मूल रोड, जिला चन्दरपुर, महाराष्ट्र

दिल्ली गोल्फ क्लब की सदस्यता

3696. श्री मधु गौड यास्खी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय में अपनी तैनाती के दौरान दिल्ली गोल्फ क्लब की सदस्यता प्राप्त करने वाले सेवारत या सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इन्हें क्लब की सदस्यता किन आधारों पर दी गयी; और

(ग) दिल्ली गोल्फ क्लब की सदस्यता संबंधी नियम क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) गत पांच वर्षों के दौरान शहरी विकास मंत्रालय में उनकी तैनाती के दौरान नौ अधिकारियों को दिल्ली गोल्फ क्लब की आवधिक सदस्यता के लिए नामित किया गया था।

इन नामित व्यक्तियों में से केवल श्री पंकज जैन को क्लब के उप-नियमों के अनुसार आवधिक सदस्य के रूप में दर्ज किया गया है।

इस मंत्रालय में उनकी तैनाती के दौरान दो अधिकारियों को नियमित सदस्यता के लिए नामित किया गया था।

क्लब के उप-नियमों के अनुसार इसमें से केवल श्री एन.एन. खन्ना का नाम नियमित सदस्य के रूप में दर्ज किया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली गोल्फ क्लब में भारत सरकार के पास 175 सदस्यों का कोटा है जो निदेशक तथा उससे ऊपर के उन पदाधिकारियों के लिए है जो भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं, सरकारी उपक्रमों/भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्त हैं तथा दिल्ली में तैनात हैं, संसद सदस्यों, उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के महान्यायवादी (अटार्नी जनरल), सॉलिसीटर जनरल, अपर सॉलिसीटर जनरल इत्यादि के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए हैं बशर्ते गोल्फिंग नियमों के अनुसार वे प्रवीण हों।

इसके अलावा प्रत्येक वित्त वर्ष में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किए गए दो नामांकनों को क्लब द्वारा ''बिन बारी की नियमित सदस्यता'' के लिए स्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार पात्र माने गए उपर्युक्त अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा दिल्ली गोल्फ क्लब की आवधिक सदस्यता के लिए नामित किया गया था।

[हिन्दी]

बड़े बाजारों को स्थानीय निकायों को सौंपना

3697. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में मंत्रालय की भूमि पर बने मॉल/बड़े बाजारों को स्थानीय निकायों को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) इस समय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय तथा संपदा निदेशालय दिल्ली में विभिन्न श्रेणी के बाजारों की देखरेख करते हैं जैसे कि पूर्ववर्ती पुनर्वास विभाग द्वारा विकसित बाजार, नाजूल क्षेत्रों में भूमि और विकास कार्यालय द्वारा नीलाम दुकानें, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित दुकानें आदि। तथा इन्हें पट्टा/लाइसेंस आधार पर देते हैं। इन बाजारों के प्रशासन का कार्य स्थानीय निकायों को अंतरित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

[अनुवाद]

आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश

3698. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हाल में जारी दिशा-निर्देश को लागू करने हेतु कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में सभी राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं तथा इन्हें कारगरता के साथ कार्यान्वित करने के लिए देश के सभी पुलिस स्टेशनों को परिचालित किया है। दिशा निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई है कि गिरफ्तारी के मामले में, संबंधित प्राधिकारियों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा तभी गिरफ्तारी करनी चाहिए जब वे अपनी कार्रवाई की प्रमाणिकता से पूरी तरह संतुष्ट हों, गिरफ्तारी का अधिकार केवल उन्हीं के मामलों में न्यायोचित है जो जघन्य अपराधों में संलिप्त हों अथवा जहां संदेहास्पद व्यक्ति के साक्ष्य नष्ट करने अथवा गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने से रोकना आवश्यक हो, आदि, गिरफ्तारी करते वक्त न्यूनतम बल का इस्तेमाल करना तथा व्यक्ति की मान-मर्यादा को बनाए रखना, कानून में यथा उपबंधित के अलावा हथकड़ी अथवा बेडियों के इस्तेमाल से बचना जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला या महिलाएं हों, ऐसे मामलों में जहां तक व्यवहार्थ हो महिला पुलिस अधिकारियों का सहयोग लेना, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच महिलाओं की गिरफ्तारी से बचना आदि। गिरफ्तारी को प्रभावपूर्ण बनाने के बारे में दिशानिर्देशों में जोगिन्द्र कुमार के मामले (1994) 4 एस सी सी 260 तथा डी. के. बसु के मामले (1997) 1, एस सी सी में उच्चतम न्यायालय के आदेशों में यथानिर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने का भी उल्लेख किया गया है।

सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को भी सुझाव दिया हैं कि जब कभी गिरफ्तारी की जाती है तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन किया जाए।

चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वे यथापेक्षित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें।

लापता पाकिस्तानी नागरिक

3699. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-पाकिस्तान मैच देखने के लिए मैचवार कितने पाकिस्तानी नागरिक आए;

(ख) क्या कुछ पाकिस्तानी नागरिक लापता हो गए थे और वापस नहीं गये;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की मैच-वार संख्या, जो भारत-पाक क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए भारत आए, निम्न प्रकार है:

मैच का स्थान	पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या
मोहाली	2754
बंगलौर	641

(ख) और (ग) क्रिकेट मैच देखने के बाद 42 पाकिस्तानी राष्ट्रिक अभी तक वापस नहीं गए हैं।

(घ) संबंधित आप्रवासन जांच-चौकियों को उनका पता लगाने के लिए सुग्राही किया गया है और राज्य सरकारों से कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

3700. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर हैदराबाद में इंजीनियरिंग कॉलेजों की सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से और अधिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु एक प्रस्ताव अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आदिम जनजातियां

3701. श्री महावीर भगोरा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कौन-कौन सी जनजातियों को आदिम जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया है;

(ख) क्या सर्वेक्षण कराकर इन जनजातीयों की जनसंख्या का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन जनजातीयों के उत्थान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) आदिम जनजातीय समूहों के राज्यवार नाम और वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उपलब्ध उनकी अद्यतन आबादी अनुबंध में दी गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातिवार आबादी के आंकड़े भारत के महापंजीयक द्वारा अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

(घ) आदिम जनजातीय समूहों सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के अतिरिक्त मंत्रालय विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूहों के लाभ के लिए वर्ष 1998-99 से "आदिम जनजातीय समूहों का विकास" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। योजना के अधीन आदिम जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अधीन वर्ष 2004-05 के दौरान 21.26 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई।

विवरण

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिम जनजातीय समूह और उनकी जनसंख्या

(वास्तविक आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिम जनजाति समूह का नाम	जनसंख्या 1991
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. चेचू	40869
	2. बोडो गाडाबा	33127
	3. गुटोब गाडाबा	
	4. डोंगरिया खोण्ड	66629
	5. कुलतिया खोण्ड	
	6. कोलाम	41254
	7. कोण्डा रेड्डी	76391
	8. कोण्डासवारा	
	9. बोण्डो पोरजा	
	10. खोण्ड पोरजा	24154
	11. पारेंगी पोरज	
	12. थोटी	3654
	योग	286078
	बिहार (झारखण्ड सहित)	
	13. असुर	9623
	14. बिरहोर	8083
	15. बिरजिया	6191
	16. हिल खारिया	151634
	17. कोरवा	24871
	18. मल पहारिया	86790
	19. परहइया	30421
	20. सौरिया पहारिया	48761
	21. सावर	4264
	योग	370638
	गुजरात	
	22. कोलघा	82679
	23. काथोडी	4773
	24. कोतवालिया	19569
	25. पधार	15896
	26. सिद्दी	6336
	योग	129253
कर्नाटक	27. जेनू कुरूबा	29371
	28. कोरागा	16322
	योग	45693
केरल	29. चोलानाइकान	–
	30. कदार	2021
	31. कट्टूनायकन	12155
	32. कोरागा	1651
	33. कुरूम्बा	1820
	योग	17647
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया	–
	35. बैगा	317549
	36. भारिया	–
	37. बिरहोर	2206
	38. हिल कोरबा	–
	39. कमार	20565
	40. सहरिया	332748
	योग	673068

1	2	3
महाराष्ट्र	41. कथारी/कथोडी	202203
	42. कोलाम	147843
	43. मारिआ गोण्ड	–
	योग	350046
मणिपुर	44. मरम नागा	9592
उड़ीसा	45. चुकतिया भूंजिया	–
	46. बिरहोर	825
	47. बोनाडो	7315
	48. डिडाई	5471
	49. डोंगरिया खोण्ड	–
	50. जुआंग	35665
	51. खारिया	–
	52. कुटिया खोण्ड	–
	53. लानजिया सावर	–
	54. लोधा	7458
	55. मनकिरडिया	1491
	56. पौड़ी भूयान	–
	57. साउरा	–
	योग	58225
राजस्थान	58. सहरिया	59810
तमिलनाडु	59. इरूलर	138827
	60. कट्टूनायकन	42761
	61. कोटा	752
	62. कोरूबा	4768
	63. पानियान	7124
	64. टोडा	1100
	योग	195332
त्रिपुरा	65. रियांग	111606
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	66. बुकसा	34621
	67. राजी	1728
	योग	36349
पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर	855
	69. लोधा	68095
	70. टोटो	–
	योग	68950
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अण्डमानीज	32
	72. जरावा	89
	73. ओन्गे	101
	74. सेंटिनलेस्ट	24
	75. शोम पेन	131
	योग	377
अखिल भारत	कुल योग	2412664

[अनुवाद]

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाना

3702. श्री अनन्त नायक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आज की तिथि के अनुसार यह मामला किस चरण में है; और

(ग) इस मामले को कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव, अधिकारियों की अन्तर-मंत्रालयी समिति, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का एक प्रतिनिधि भी शामिल है,

को गहराई से जांच करने के लिए भेजा गया है। इस संबंध में कोई भी निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कृषि आयात हेतु लम्बित आवेदन

3703. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अदरक सहित कुछ कृषि उत्पादों के आयात के लिए स्वीकृति हेतु आवेदन लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनको कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार नीति के अनुसार कृषि वस्तुओं जिनमें से कुछ वस्तुएं आयात की प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत आती हैं, के आयात की अनुमति एक्जिम सुविधा समिति (डी जी एफ टी कार्यालय में गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति) की स्वीकृति के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयात लाइसेंस पर प्रदान की जाती है। जई (बीजगुणवत्ता से भिन्न) तथा अदरक के आयात हेतु आयात लाइसेंस प्रदान के करने के लिए कुछ मामलों पर संबंधित सरकारी विभागों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

डी.डी.ए. द्वारा हरियाली बनाये रखने हेतु किया गया व्यय

3704. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में हरियाली बनाये रखने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(ख) इस व्यय की गयी धनराशि की सहायता से वृक्षारोपण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उक्त अवधि के दौरान वास्तविक रूप से कितने वृक्ष लगाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष के आरम्भ में संजीदा पौधों के आंकड़े मांगे हैं, जिससे कि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए वर्षवार खर्च इस प्रकार दिया है।

वर्ष	राशि
2002-03	70.40 लाख रु.
2003-04	73.23 लाख रु.
2004-05 (फरवरी, 2005 तक)	65.00 लाख रु.

(ख) वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक वृक्षारोपण इस प्रकार है:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2002-03	490000 अदद	461301 अदद
2003-04	460000 अदद	471114 अदद
2004-05	450375 अदद	447010 अदद

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार के फ्लैट्स

3705. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार के फ्लैटों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में रह रहे सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को फ्लैट्स आबंटित किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उन्हें आबंटित फ्लैटों का टाइपवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रतीक्षा सूची वाले कर्मचारियों को कब तक फ्लैट्स आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) महाराष्ट्र में सामान्य पूल रिहायशी आवास केवल मुंबई और नागपुर में उपलब्ध हैं। मुम्बई और

नागपुर में सामान्य पूल रिहायशी आवास के टाइपवार ब्यौरे ओर उनका आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान में मुंबई में 1696 कर्मचारी और नागपुर में 122 कर्मचारी विभिन्न प्रकार के फ्लैटों का आवंटन पाने के लिए प्रतीक्षा सूची में है।

(घ) प्रतीक्षारत कर्मचारियों को आबंटन रिक्त आवासों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

किए गए आबंटन के ब्यौरे

मुंबई

टाइप	क्वार्टरों की कुल सं.	आबंटित यूनिट	प्रतीक्षारत आवेदकों की संख्या (आवंटन किए जा रहे हैं)
I	2568	2200	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं
II	3457	3055	1227
III	1569	1330	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं
IV	440	419	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं
IV (विशेष)	28	28	159
V	261	249	195
VI	93	93	100
होस्टल	144	97	15
कुल	8560	7471	1696

नागपुर

टाइप	क्वार्टरों की कुल सं.	आबंटित यूनिट	प्रतीक्षारत आवेदकों की संख्या (आवंटन किए जा रहे हैं)
I	247	222	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं
II	871	871	120
III	417	378	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं
IV	173	164	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं
V	93	88	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं
VI	12	12	2
ऑट-हाउस	12	12	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं
कुल	1825	1747	122

भारत-श्रीलंका व्यापार

3706. श्री सुरेश कलमाडी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय किन-किन विशेष क्षेत्रों में भारत-श्रीलंका व्यापार संबंध हैं;

(ख) क्या सरकार का भारत-श्रीलंका व्यापार संबंध बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 हेतु क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और अब तक इनकी उपलब्धि क्या रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) इस समय भारत और श्रीलंका एक मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षरकर्ता देश हैं जो 1 मार्च, 2000 से लागू है। इस करार पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार की मात्रा हर वर्ष बढ़ रही है। वर्ष 2003-04 में व्यापार की कुल मात्रा 1512 मिलियन अमरीकी डालर थी और अप्रैल-जनवरी, 2004-05 की अवधि में 1357.78 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ था। यदि हम वर्ष 2004-05 (अप्रैल-जनवरी) के व्यापार में वृद्धि की तुलना वर्ष 2003-04 (अप्रैल-जनवरी) 1125.29 मिलियन अमरीकी डालर की तदनुरूपी अवधि के साथ करें तो व्यापार में 20.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो इस तथ्य को उजागर करती है कि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार में सकारात्मक वृद्धि हुई है। भारत श्रीलंका में चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है।

(ख) और (ग) भारत-श्रीलंका व्यापार संबंधों का विस्तार करने के लिए अप्रैल, 2003 में ये सिफारिश करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल की नियुक्ति की गयी थी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी ई पी ए) कर के द्विपक्षीय आर्थिक कार्यकलापों पर नया बल देने और सहयोग करने के लिए व्यापार से आगे और अधिक एकीकरण की ओर दोनों अर्थव्यवस्थाओं को कैसे ले जाया जाए। इस दल ने अक्टूबर, 2003 के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 10-11 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में सी ई ए पर हस्ताक्षर करने के संबंध में भारत और श्रीलंका के बीच वाणिज्य सचिव स्तर पर दूसरे दौर की वार्ताएं की गयी थीं जिसमें दोनों पक्ष इस रिपोर्ट को एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज के रूप में प्रयोग करने तथा सी ई पी ए को समय पर पूरा करने के लिए सहमत हुए थे, यह निर्णय लिया गया था कि (1) वस्तुओं में व्यापार (2) सेवाओं में व्यापार (3) निवेश और आर्थिक सहयोग से संबंधित तीन कार्यदल गठित करने के लिए वाणिज्य सचिवों के स्तर पर वाणिज्य वार्ता समिति (टी एन सी) गठित की जाए। यह भी सहमति हुई थी कि वस्तुओं में व्यापार से संबंधित कार्य दलों के अधीन (क) सीमाशुल्क सहयोग; (ख) उद्गम के नियमों; और (ग) व्यापार रक्षोपाय के लिए उप दल गठित किए जाएंगे। वित्तीय सेवाओं और दोहरे कराधार को रोकने, वित्तीय अपवंचन, वरीयता करार के संबंध में भी उप दल गठित किए गए थे। इस बैठक के दौरान सभी दलों/उप-दलों के लिए विचारार्थ विषयों (टी ओ आर) पर भी परस्पर सहमति हुई थी और इन पर मई, 2005 के पहले सप्ताह में आगे विचार-विमर्श किया जाएगा। वाणिज्य सचिव स्तर पर व्यापार वार्ता समिति का गठन करने से सी ई पी ए में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है जिसके बाद (क) वस्तुओं में व्यापार, (ख) सेवाओं में व्यापार; और (ग) निवेश एवं आर्थिक सहयोग किया जाएगा।

दोनों सरकारें सेवाओं को शामिल करने के लिए वस्तु व्यापार से आगे जाने तथा दोनों देशों के बीच अधिक निवेश प्रवाह को सुकर बनाने के लिए भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आई एस एल एफ टी ए) के दायरे को विस्तृत करने की आवश्यकता के लिए वचनबद्ध हैं।

मध्य प्रदेश में संस्थाओं की स्वीकृति

3707. श्री अशोक अर्गल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मुरैना, मध्य प्रदेश में ग्राम चेतना समिति, चम्बल विकास संस्थान, गैर-आवासीय विद्यालय और जन समिति शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं ने किसी केन्द्रीय अनुदान हेतु आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुदान कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. खिन्डिया): (क) से (ग) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चम्बल विकास संस्थान और ग्राम चेतना समिति को क्रमश: वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान गैर-आवासीय स्कूलों की परियोजना की स्वीकृति दी गई थी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जन सेवा समिति को वर्ष 2000-01 के दौरान निटिंग, विविंग और हैण्डलूम प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना की स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 2001-02 में मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया और ये कार्यशील नहीं पाए गए। अत: इन संगठनों के प्रस्तावों पर आगे अनुदान निर्मुक्ति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।

आर्थिक सहयोग समझौता

3708. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की और अधिक व्यापक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अधिमान्य व्यापार समझौता गैर-टैरिफ बाधाओं से निजात पाने में सहायक हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत ने वर्ष 2003-04 के दौरान आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की एसोसिएशन), थाईलैंड तथा बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी की पहल) के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी कार्यढांचा करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन करारों में वस्तुओं, सेवाओं में अधिमानी बाजार पहुंच तथा निवेश पर वार्ताओं का प्रावधान है। भारत द्वारा सिंगापुर एवं श्रीलंका के साथ वस्तु/सेवा तथा निवेश को शामिल करते हुए एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर भी बातचीत की जा रही है।

(ग) और (घ) आज की स्थिति के अनुसार भारत विकासशील देशों के बीच वैश्विक व्यापार अधिमान प्रणाली (जी एस टी पी) संबंधी करार, सातों दक्षिण एशियाई देशों के बीच सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) तथा भारत, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, कोरिया गणराज्य तथा लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच बैंकाक करार में भागीदारी कर रहा है। ये प्रवृत्त क्षेत्रीय अधिमानी व्यापार व्यवस्थाएं हैं जिनमें सेवाओं पर समिति टैरिफ अधिमानों का आदान-प्रदान किया गया है। यद्यपि इनमें टैरिफ एवं गैर टैरिफ दोनों प्रकार के उपायों पर वार्ताएं करने के प्रावधान हैं तथापि हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने अपनी बातचीत केवल टैरिफ उपायों तक ही सीमित कर ली हैं।

आठवीं अनुसूची में भोटे भाषा को शामिल किया जाना

3709. श्री छेवाग थुपस्तन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में 'भोटे' भाषा को शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव/मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए विषयपरक मानदंड का एक सेट तैयार करने हेतु श्री सीताकांत महापात्र के अधीन एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और कतिपय सिफारिशें की हैं। आठवीं अनुसूची में भोटी सहित भाषाओं को शामिल करने की लंबित मांगों पर, समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस विषय में अन्तर्ग्रस्त मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की जरूरत हैं और इस अवस्था में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

उत्तर प्रदेश को अनुदान सहायता

3710. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पेय जलापूर्ति करने, निकासी व्यवस्था में सुधार करने तथा मलिन बस्तियों के विकास हेतु अनुदान सहायता के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य के लिए वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गयी है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद के लिए मंत्रालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50: 50 आधार पर वित्तपोषण पद्धति के साथ 1991 व 2001 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों के लिए जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मुहैया

कराई है। गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त स्कीमों, मंजूर की गई राशि तथा जारी राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में है।

वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में सीवरेज/ड्रेनेज प्रणालियों के सुधार के लिए सहायता मुहैया कराने हेतु केन्द्र सरकार की कोई स्कीम नहीं है।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय स्लम वासियों के लिए रिहायशी यूनिटों के निर्माण तथा उनके सुधार में मदद करने तथा समुदाय शौचालयों के मार्फस स्वस्थ्य व अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया कराने के लिए वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को मंजूर व जारी राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार है:

वर्ष	जारी/मंजूर राशि (लाख रु.में)
2002-03	1108.80
2003-04	1912.48
2004-05	1991.95

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सहित समूचे देश के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही स्कीमों के लिए प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 2005-06 के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 95.24 करोड़ रु. का बजट प्रावधान रखा गया है।

जहां तक "वाम्बे" का संबंध है, वर्ष 2005-06 के लिए अभी तक कोई नियतन नहीं किया गया है।

विवरण

राज्य: उत्तर प्रदेश स्थिति-10.04.2005

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत वर्ष 2002-03 से
क. अब तक मंजूर परियोजनाएं

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना लागत (लाख रु. में)	केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
		2002-03 के दौरान मंजूर परियोजना		
1.	अमन पुर#	एटा	28.53	14.27
2.	भरगई	एटा	78.71	39.36
3.	अमेठी	सुलतानपुर	13.25	6.63
4.	फातेहाबाद	आगरा	70.78	35.39
5.	चुर्कगुरमा	सोनभद्र	110.75	55.38
6.	जारवाल	बहराइच	82.00	41.00
7.	निवाडी	गाजियाबाद	60.44	30.22
8.	मनियाड	बलिया	63.03	31.52
9.	धोसिया बाजार	रविदास नगर	72.05	36.03
10.	बिलठारा रोड	बलिया	79.57	39.79
11.	सहतबार	बलिया	26.70	13.35

1	2	3	4	5
12.	हंडिया	इलाहाबाद	135.59	67.80
13.	सादात	गाजिपुर	75.65	37.83
14.	पचपेवरा	बलरामपुर	64.80	32.40
15.	बरसाना	मथुरा	71.42	35.71
16.	नाकुर	सहारनपुर	105.46	52.73
17.	खमरिया	रविदास नगर	112.05	56.03
18.	महाराजगंज	गोरखपुर	82.61	41.31
19.	बिलराम	एटा	58.78	29.39
20.	आवागढ़	एटा	68.50	34.25
21.	धनौरा	जेपी नगर	133.22	66.61
22.	शाहसपुर	बिजनौर	46.88	23.44
23.	जोया	जेपीनगर	124.82	62.41
24.	मरियाहु	जौनपुर	88.77	44.39
25.	पट्टी	प्रतापगढ़	77.86	38.93
26.	बहुआ	फतेहपुर	45.96	22.98
27.	दसना	गाजियाबाद	69.85	34.93
28.	केमारी	रामपुर	161.00	80.50
29.	कदौरा	जालौना	108.90	54.45
30.	दातागंज	बदायूं	79.26	39.63
31.	महावन	मथुरा	71.56	35.78
32.	किरौली	मैनपुरी	139.20	69.60
33.	इकदिल	इटावा	110.14	55.07
34.	कंपिल	फरूखाबाद	86.61	43.31
35.	कटरामेदनीगंज	प्रतापगढ़	79.60	39.80
36.	जंगीपुर	गाजीपुर	120.16	60.08
37.	करौथा	झांसा	31.00	15.50
38.	जनसथ	मुजफ्फर नगर	77.26	38.63

1	2	3	4	5
39.	रामपुरा	जालौन	80.70	40.35
40.	बालदेव	मथुरा	40.06	20.03
41.	फराह	मथुरा	70.35	35.18
42.	गोवर्धन	मथुरा	56.40	28.20
43.	कोडा जहानाबाद	फतेहपुर	77.53	38.77
44.	जसवंत नगर	इटावा	103.20	51.60
45.	कुरारा	हमीरपुर	75.75	37.88
46.	अंटु	प्रतापगढ़	75.20	37.60
47.	सखानी	बदायूं	61.39	30.70
48.	रोदयन	बदायूं	50.89	25.45
49.	जैथरा	एटा	40.03	20.02
50.	कुसुमारा	मैनपुर	42.49	21.25
51.	कोटारा	जालौन	72.39	36.20
52.	काधोगढ़	जालौन	53.96	26.98
53.	उमारी	जालौन	57.42	28.71
54.	बेसावन	अलीगढ़	64.40	32.20
55.	मुंडिया	बदायूं	47.20	23.60
56.	बेवर	मैनपुरी	97.77	48.89
57.	बाबेरू	बांदा	62.47	31.24
58.	जगनेर	आगरा	79.39	39.70
59.	बाह	आगरा	69.67	34.84
60.	रूरा	कानपुर देहात	151.17	75.59
61.	सिकंद्रा	कानपुर देहात	74.38	37.19
62.	सिवाली	कानपुर देहात	62.77	31.39
63.	अमरौधा	कानपुर देहात	52.50	26.25
64.	मेंडु	हथरस	70.35	35.18
65.	सुमेरपुर	हमीरपुर	134.92	67.46

1	2	3	4	5
66.	जलालाबाद	बिजनौर	104.22	52.11
67.	कमालगंज	फरूखाबाद	66.44	33.22
68.	उझारी	जेपीनगर	38.69	19.35
69.	कंडरकी	मुरादाबाद	134.47	67.24
70.	गंगापुर	बनारस	74.71	37.36
71.	सिद्धपुरा	एटा	46.35	23.18
72.	छाता	मथुरा	107.00	53.50
73.	किसनी	मैनपुरी	67.76	33.88
74.	कुरसथ	उन्नाव	44.65	22.33
75.	बिघपुर	उन्नाव	50.66	25.33
76.	ज्ञानपुर	रविदास नगर	52.78	26.39
77.	मिलाक	रामपुर	53.06	26.53
78.	टिकरी	बागपत	27.63	13.82
79.	अलापुर	बदायूं	110.98	55.49
80.	वजीरगंज	बदायूं	120.24	60.12
81.	महोना	लखनऊ	53.60	26.80
82.	भोगांव	मैनपुर	83.06	41.53
83.	इटौंजा	लखनऊ	47.27	23.64
84.	दोघट	बागपत	26.03	13.02
85.	शिवराजपुर	कानपुर	45.87	22.94
86.	उगु	उन्नाव	65.95	32.98
87.	औरंगाबाद	बुलंदशहर	61.97	30.99
88.	किशनपुर	फतेहपुर	21.66	10.83
89.	बहसुमा	मेरठ	22.24	11.12

1	2	3	4	5
		2003-04 में स्वीकृत परियोजना		
90.	इरीच	झांसी	125.69	62.85
91.	गुरसराय	झांसी	310.76	155.38
92.	महाराजगंज	रायबरेली	61.05	30.53
93.	परसादेपुर	रायबरेली	61.50	30.75
94.	टिटरों	सहारनपुर	82.15	41.08
95.	बछरावन	रायबरेली	66.00	33.00
96.	गुनौर	बदायूं	100.94	50.47
97.	सालोन	रायबरेली	88.61	44.31
98.	कुंडा	प्रतापगढ़	140.70	70.35
99.	ओएल ढाकुवा	लखीमपुर खीरी	75.54	37.77
100.	नानौता	सहारनपुर	45.42	22.71
101.	अनुप शहर	बुलंदशहर	115.66	57.83
102.	धौरहारा	लखीमपुर खीरी	72.00	36.00
103.	काठघर लालगंज	आजमगढ़	91.54	45.77
104.	बिलसंडा	पीलीभीत	69.23	34.62
105.	गढ़ीपुख्ता	मुजफ्फर नगर	27.92	13.96
106.	कंठ	शाहजहांपुर	75.17	37.59
107.	थिरिया-निजामतखान	बरेली	92.98	46.49
108.	बाघादुरगंज	गाजीपुर	126.95	63.48
109.	भरवारी	कौशांबी	146.00	73.00
110.	मांझनपुर	कौशांबी	58.40	29.20
111.	भगवंत नगर	उन्नाव	59.96	29.98
112.	लाल गोपाल गंज	इलाहाबाद	145.54	72.77
113.	नेवरिया हुसैनपुर	पीलीभीत	72.92	36.46
114.	शीशगढ़	बरेली	102.68	51.34
115.	रीछा	बरेली	170.24	85.12

1	2	3	4	5
116.	महोली	सीतापुर	50.68	25.34
117.	खाग	फतेहपुर	81.06	40.53
118.	मानिकपुर	चित्रकूट	301.37	150.69
119.	फतेहगंज (पूर्व)	बरेली	47.43	23.72
120.	तंबौर	सीतापुर	65.97	32.99
121.	दलमाऊं	रायबरेली	96.94	48.47
122.	सिरसा	इलाहाबाद	72.78	36.39
123.	पैतेपुर	सीतापुर	47.75	23.88
124.	भोकरहेरी	मुजफ्फर नगर	33.60	16.80
125.	मऊइम	इलाहाबाद	103.29	51.65
126.	प्रतापगढ़ सिटी	प्रतापगढ़	105.95	52.98
127.	कछौना	हरदोई	77.55	38.78
128.	बेनीगंज	हरदोई	58.16	29.08
129.	गोपीगंज	संत रविदास नगर	129.43	64.72
130.	मिसरिख कमनिमसार	सीतापुर	73.35	36.68
131.	देवान	बाराबंकी	66.02	33.01
132.	अल्लागंज	शाहजहांपुर	30.22	15.11
133.	नंद गांव	मथुरा	113.36	56.68
134.	छैल	कौशांबी	65.52	32.76
135.	मैलानी	लखीमपुर खीरी	46.15	23.08
136.	गोपामऊ	हरदोई	24.98	12.49
137.	साही	बरेली	94.29	47.15
138.	गोसाईगंज	लखनऊ	106.10	53.05
139.	अजुआ	कौशांबी	75.14	37.57
140.	सिकंदरपुर	कन्नौज	24.47	12.24
141.	कुवरगांव	बदायूं	32.16	16.08

1	2	3	4	5
		2004-05 में स्वीकृत परियोजना		
142.	सिराथु	कौशांबी	123.20	61.60
143.	बिलसी	बदायूं	56.46	28.23
144.	स्वामीबाग	आगरा	27.55	13.78
145.	बंकी	बाराबंकी	80.68	40.34
146.	मसवासी	रामपुर	30.38	15.19
147.	खैटा सराय	जौनपुर	104.09	52.05
148.	पुवायन	शाहजहांपुर	64.48	32.24
149.	उन	मुजफ्फर नगर	49.38	24.69
150.	झिनझाना	मुजफ्फर नगर	38.95	19.48
151.	किरौली	आगरा	59.87	29.94
152.	दनकौर	जीबी नगर	32.66	16.33
153.	नरौली	मुरादाबाद	38.30	19.15
154.	गोकुल	मथुरा	69.59	34.80
155.	पटला	गाजियाबाद	26.62	13.31
156.	बजाना	मथुरा	45.36	22.68
157.	गवन	बदायूं	67.40	33.70
158.	समथार	झांसी	45.53	22.77
159.	बिसंदाबुर्जुग	बांदा	76.14	38.07
160.	कुरसत नगर	हरदोई	50.68	5.34
161.	शैयद राजा	चंदौली	47.57	23.79
162.	फरीद नागर्न	गाजियाबाद	28.56	14.28
163.	जाफराबाद	जौनपुर	77.14	38.57
164.	पीपरी	सोनभद्र	455.46	227.73
			12870.08	6435.04

आरंभ की गई स्कीम

2002-03 से अभी तक राज्य को वापस की गई
ख. परियोजनाएं

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	परियोजना लागत (लाख रु. में)
1.	राया फेज-II	मथुरा	75.68
2.	सहजनवा	गोरखपुर	288.99
3.	नंदीगांव	जालोन	19.52
4.	एतमादपुर	आगरा	43.95
5.	मोगराबादशाहपुर	जौनपुर	68.76
6.	कटरा बाजार	गोंडा	20.06
	कुल		516.96

ग. गत तीन वर्षों में स्वीकृत तथा जारी राशि

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	जारी राशि** (लाख रु.)
1.	2002-03	3282.38	2426.09
2.	2003-04	2304.63	2710.48
3.	2004-05	847.52	1664.93
		6434.53	6801.50

**चल रही स्कीमों के लिए जारी राशि भी शामिल है।

जन शिक्षण संस्थान

3711. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31.12.2004 और आज की तिथि के अनुसार देश में जन शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत राज्यवार कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) दिनांक 31.12.04 के अनुसार योजना के अन्तर्गत कुल कितने प्रौढ़ व्यक्तियों को गैर-औपचारिक शिक्षा और कुशाग्रता प्रदान की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत राज्यवार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत/व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) 31.12.04 तक तथा 31.3.05 तक संस्वीकृत जन शिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्नक में दिया गया है।

वर्ष 1992-2004 के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से कुल 19,60,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसके अलावा उक्त अवधि में जन शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित जीवन-संवृद्धि, शिक्षा तथा जागरूकता-निर्माण कार्यक्रमों से 66,03,767 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

विवरण

जन शिक्षण संस्थानों की संख्या तथा पिछले तीन वर्षों में संस्वीकृत राशि की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	जन शिक्षण संस्थानों की संख्या		संस्वीकृत राशि (रु. लाख में)		
		31.12.04 तक	31.3.05 तक	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	09	09	217.18	209.39	227.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	01	–	15.25	10.00
3.	असम	03	03	38.60	37.04	47.55
4.	बिहार	05	06	50.21	56.05	67.76

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	01	01	22.67	21.78	14.64
6.	दिल्ली	02	02	24.99	20.92	20.04
7.	गोवा	01	01	16.50	24.01	12.13
8.	गुजरात	06	06	138.76	130.25	115.79
9.	हरियाणा	04	05	48.83	39.43	45.13
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	–	–	–
11.	जम्मू व कश्मीर	01	01	15.09	21.41	14.20
12.	झारखण्ड	05	05	69.16	54.14	65.53
13.	कर्नाटक	09	10	185.52	150.85	169.86
14.	केरल	07	08	100.28	117.31	116.37
15.	मध्य प्रदेश	10	14	213.89	172.48	189.71
16.	महाराष्ट्र	12	14	196.69	193.84	225.21
17.	मणिपुर	01	02	–	15.25	10.00
18.	मेघालय	शून्य	–	–	–	–
19.	मिजोरम	01	01	13.00	14.00	–
20.	नागालैंड	01	01	–	–	15.00
21.	उड़ीसा	08	09	140.96	146.79	160.74
22.	पंजाब	02	02	22.19	24.24	37.29
23.	राजस्थान	06	06	162.35	137.08	141.64
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	–	–	–
25.	तमिलनाडु	08	08	153.04	150.29	149.10
26.	त्रिपुरा	01	01	–	–	15.00
27.	उत्तर प्रदेश	27	30	510.59	441.88	547.53
28.	उत्तरांचल	02	03	–	12.00	27.57
29.	पश्चिम बंगाल	06	06	112.37	98.78	108.27
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
31.	चंडीगढ़	01	01	26.88	26.98	32.13
32.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	–	–	–
33.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	–	–	–
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	–	–	–
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	–	–	–
	कुल	140	156	2479.75	2331.44	2585.89

माओवादियों के साथ आतंकवादियों के संबंध

3712. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिबंधित आतंकवादी गुट उल्फा का संबंध कथित रूप से नेपाल के माओवादियों से है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) उल्फा के नेपाल के माओवादियों के साथ संबंध होने के बारे में कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई खेल, 2014

3713. श्री मोहन सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2014 के एशियाई खेल आयोजित करने के लिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) को निमंत्रण भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मेजबानी करने का अवसर मिलने की कितनी संभावना है;

(ग) क्या एशियाई खेल की मेजबानी करने के लिए भारत के पास पर्याप्त सुविधाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुशील दत्त): (क) सरकार ने 17वें एशियाई खेल 2014 की दावेदारी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) के प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया है। तदनुसार, सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ को खेलों के आयोजन के लिए दावे प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर दिए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने अपनी इच्छा (इंटेंट) संबंधी पत्र प्रस्तुत कर दिया है और एशिया ओलंपिक काउंसिल (ओसीए) द्वारा उसे प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) खेलों के आबंटन का निर्णय सितंबर-अक्टूबर, 2005 में चीन में आयोजित एशिया ओलंपिक संघ की जनरल एसेम्बली में लिया जाएगा।

(ग) और (घ) वर्तमान में भारत सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए सुविधाओं के सृजन करने की प्रतिक्रिया में लगे हैं। यदि एशियाई खेल, 2014 का आबंटन भारत को कर दिया जाता है तो इन सुविधाओं को उपयुक्त रूप से उन्नयन करने की जरूरत होगी। इसके अलावा, एशियाई खेलों में अधिक संख्या में होने वाली खेल विधाओं और भाग लेने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों के कारण नई अवस्थापना का निर्माण किया जाना भी अपेक्षित होगा।

पूर्वोत्तर राज्यों में शहरों का विकास

3714. श्री नकुल दास राई: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न शहरों के विकास के लिए इस वर्ष के दौरान प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम की सरकारों ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे बारे में क्या निर्णय लिया जा रहा है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजनावार तथा राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन.यू.आर.एम.) की स्थापना करने तथा पूर्वोत्तर राज्यों के शहरों सहित विभिन्न शहरों के विकास के लिए छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू आई डी एस एस एम टी) नामक एक नई स्कीम तैयार करने का एक प्रस्ताव है। उनके ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। छोटे एवं मझौले कस्बों का एकीकृत विकास (आई डी एस एम टी) तथा त्वरित शहरी जलापूर्ति स्कीम (ए यू डब्ल्यू एस पी) की मौजूदा स्कीमों को एन. यू. आर. एम. तथा यू. तथा यू. आई. डी. एस.एस.एम.टी. में मिला दिया जायेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी अवस्थापना परियोजनाओं/स्कीमों के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान की दूसरी मौजूदा स्कीम चलती रहेगी।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी अवस्थापना परियोजनाओं/स्कीमों के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान की स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों तथा विचाराधीन प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य-वार प्राप्त प्रस्ताव तथा उनकी स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	अरुणाचल प्रदेश में 20 कस्बों के लिए शहरी नियोजन एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली	980.00 लाख रु.	परियोजना बंद करने के लिए दिनांक 27.4.2004 को राज्य सरकार को भेजा गया
2.	कारसिंगसा कैपिटल काम्प्लेक्स, अरुणाचल प्रदेश में कब्रिस्तान और शमशान घाट	331.40 लाख रु.	विचाराधीन
3.	अरुणाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों तथा जनगणना कस्बों के लिए सफाई कार्य योजना	2685.87 लाख रु.	विचाराधीन
4.	सेप्पा, अरुणाचल प्रदेश में जलापूर्ति स्कीम	814.00 लाख रु.	विचाराधीन
5.	अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त "इटानगर एवं नाहर लगन" में जल निकास का निर्माण	237.00 लाख रु.	विचाराधीन
6.	अलोंग में सेनिटेशन एवं सीवरेज तंत्र	2000.00 लाख रु.	विचाराधीन

1	2	3	4
7.	इटानगर में कार पार्किंग सह शॉपिंग कम्प्लेक्स	4507.20 लाख रु.	विचाराधीन
8.	बॉमडिला में पार्किंग तथा शॉपिंग कम्प्लेक्स	484.00 लाख रु.	विचाराधीन
9.	नाहरलगुन उपनगर, अरुणाचल प्रदेश का अवस्थापना विकास	7.00 करोड़ रु.	विचाराधीन
10.	अनिनि उपनगर, अरुणाचल प्रदेश का अवस्थापना विकास	6.64 करोड़ रु.	विचाराधीन
11.	बॉमडिला उपनगर, अरुणाचल प्रदेश का अवस्थापना विकास	7.83 करोड़ रु.	विचाराधीन
12.	सेप्पा उपनगर, अरुणाचल प्रदेश का अवस्थापना विकास	15.36 करोड़ रु.	विचाराधीन
13.	नाहरलगुन कस्बे में बेरोजगार महिलाओं के लिए शॉपिंग परिसर सह रिहायशी भवन का निर्माण	14.04 करोड़ रु.	विचाराधीन
14.	जीरो का अवस्थापना विकास	15.00	विचाराधीन
15.	रोइंग का अवस्थापना विकास	6.32	विचाराधीन
16.	हवाई का अवस्थापना विकास (सड़क)	16.96	विचाराधीन
17.	नाहरलगुन में पार्किंग का विकास	3.50	विचाराधीन
18.	तवांग में अवस्थापना विकास	6.13	विचाराधीन
19.	बसर में अवस्थापना विकास	9.00	विचाराधीन
		असम	
1.	गोहाटी-फातासिल सड़क, असम का सुधार	2354.24 लाख रु.	विचाराधीन
2.	जोरहट, असम में जोरहट विकास प्राधिकरण की ट्रकटर्मिनस परियोजना	1451.30 लाख रु.	विचाराधीन
3.	मार्घेरिटा उपनगर, असम के लिए सड़कों/बाइलेनों का विकास	1152.00 लाख रु.	विचाराधीन
4.	गणेशपुरी एवं उदलबकारा के बीच सड़क का सुधार (एनबीसीसी)	2314.98 लाख रु.	विचाराधीन
5.	डेरगांव, असम में सड़क तथा जल निकास नेटवर्क का विकास	2499.00 लाख रु.	विचाराधीन

1	2	3	4
6.	तेजपुर एवं पलटन बाजार, गौहाटी में असम राज्य परिवहन निगम के परिसर में बहु उपयोगी परियोजना के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें	1006.98 लाख रु. 1073.16 लाख रु.	विचाराधीन
7.	तिनसुकिया, असम में ट्रक अड्डा	353.91 लाख रु.	विचाराधीन
8.	धेमाजी, असम में सड़क एवं जल निकास नेटवर्क का विकास	998.16 लाख रु.	विचाराधीन
9.	सिलचर कस्बे में जल निकास की स्कीम	7434.00 लाख रु.	विचाराधीन
		मणिपुर	
1.	केशमपाट ब्रिज, इम्फाल, मणिपुर के समीप फ्लाईओवर का निर्माण (एनबीसीसी)	2255.72 लाख रु.	विचाराधीन
2.	इम्फाल, मणिपुर में एम एफ डी सी परिसर का निर्माण (एनबीसीसी)	1558.00 लाख रु.	विचाराधीन
3.	इम्फाल, मणिपुर में पोलोग्राउन्ड और पेलेस कम्पाउंड का विकास (एनबीसीसी)	855.00 लाख रु.	विचाराधीन
4.	इम्फाल, मणिपुर में दूसरे खवाई ब्रिज, मेक्थल और पाओना मार्केट को जोड़ने के लिए पथयात्री उपमार्ग तथा संबंधित कार्यों का निर्माण (एनबीसीसी)	973.53 लाख रु.	विचाराधीन
		मेघालय	
1.	मांवलोंग हट शिलांग, मेघालय में बस/एल एम बी पार्किंग एवं मार्केट कम्प्लेक्स का निर्माण (एनबीसीसी)	1347.00 लाख रु.	विचाराधीन
2.	शिलांग, मेघालय में पथ यात्री मार्ग को अलग करने वाली फेन्सिंग का निर्माण (एनबीसीसी)	571.00 लाख रु.	विचाराधीन
3.	खेलीह लेवदुह, बड़ा बाजार, शिलांग में भारी वाहनों के लिए पार्किंग स्थान एनबीसीसी	497.93 लाख रु.	विचाराधीन
		मिजोरम	
1.	चम्पई, मिजोरम में डिविजनल कार्यालय परिसर की स्थापना	168.477 लाख रु.	विचाराधीन

1	2	3	4
2.	ममिट, मिजोरम में डिविजनल कार्यालय परिसर की स्थापना	158.797 लाख रु.	विचाराधीन
3.	आइजोल शहर, फेज-I में कृत्रिम जल निकासों का पुनस्थापन और विकास	3470.03 लाख रु.	विचाराधीन
4.	बाईपास नामत: रामथर (सिंहपुरी) से जेम्बाक तक वाया चिते नदी, का निर्माण	398.58 लाख रु. में	विचाराधीन
5.	आईजोल जल आपूर्ति का नवीकरण/उन्नयन	2035.00 लाख रु.	विचाराधीन
6.	आइजोल शहर के अंदर प्राकृतिक जल निकास का विकास और पुनर्निर्माण	23560.00 लाख रु.	विचाराधीन
		नागालैंड	
1.	कोहिमा सांस्कृतिक केन्द्र	741.00 लाख रु.	विचाराधीन
2.	तेनसांग नगर में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण	98.95 लाख रु.	विचाराधीन
3.	पार्कों का विकास, कोहिमा, नागालैंड	35.00 लाख रु.	राशियां जारी
4.	भुगतान आधारित शौचालय, कोहिमा, नागालैंड	25.00 लाख रु.	राशियां जारी
5.	स्वागत द्वार, कोहिमा, नागालैंड	15.00 लाख रु.	वित्त विभाग ने बताया है कि हडको स्वागत गेट बनाने के लिए सहमत है
6.	नगर सड़कों का सुधार, मोकोचुंग, नागालैंड	180.00 लाख रु.	विचाराधीन
7.	नगर सड़कों का सुधार, फेक, नागालैंड	150.00 लाख रु.	विचाराधीन
8.	न्यूलैंड, नागालैंड में विश्रामगृह का निर्माण	56.00 लाख रु.	विचाराधीन
9.	कोहिमा नागालैंड में बहुमंजिला कार पार्क सह शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण	4606.00 लाख रु.	विचाराधीन
10.	कोहिमा में पैदल यात्री पुल, कोहिमा	200.00 लाख रु.	विचाराधीन
11.	नया सचिवालय परिसर ग्राउंड, नागालैंड	200.00 लाख रु.	विचाराधीन
12.	कोहिमा के लिए कचरा प्रबंधन स्कीम	2390.00 लाख रु.	विचाराधीन
13.	दीमापुर के लिए कचरा प्रबंधन स्कीम, नागालैंड	1100.40 लाख रु.	विचाराधीन

1	2	3	4
14.	कोहिमा, नागालैंड में जलनिकासी और सुरक्षा कार्य	502.00 लाख रु.	विचाराधीन
15.	कोहिमा स्ट्रीट लाइटिंग	35.00 लाख रु.	विचाराधीन
16.	लांगलेंग, नागालैंड में नगर सड़कों का सुधार	49.00 लाख रु.	विचाराधीन
17.	कोहिमा नागालैंड फेज-I सीवरेज स्कीम	2300.00 लाख रु.	विचाराधीन
18.	कोहिमा, नागालैंड सीवरेज स्कीम फेज-II	1993.00 लाख रु.	विचाराधीन
19.	विश्रामगृह, लांगलेंग, नागालैंड	51.30 लाख रु.	विचाराधीन
20.	कोहिमा नगर, नागालैंड में जुवुरू नाले की सुरक्षा के लिए परियोजना प्रस्ताव	1571.12 लाख रु.	विचाराधीन
21.	मोकोचुंग नगर, नागालैंड में मुख्य जंक्शन के लिए पैदल यात्री पुल	20.00 लाख रु.	विचाराधीन
22.	मोकोचुंग जिले में लांगचेग नगर और मोकोचुंग नगर के सुगक्यूमेन, टांगडेनस्योंग तथा अलेमपांग वार्डों का विकास	469.46 लाख रु.	विचाराधीन
23.	मोकोचुंग नगर में वाहन पार्किंग सह शॉपिंग मार्केट परिसर के निर्माण का परियोजना प्रस्ताव	3518.00 लाख रु.	विचाराधीन
24.	मोकोचुंग नगर से नोकसेन नगर तक सड़क का सुधार	941.00 लाख रु.	विचाराधीन
25.	जलूकी नगर, नागालैंड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	110.50 लाख रु.	विचाराधीन
26.	दीमापुर नगर, नागालैंड में ऑडीटोरियम का निर्माण	321.00 लाख रु.	विचाराधीन
27.	मोन जिला, नागालैंड में रिटेनिंग वाल तथा प्रोटेक्शन वाल का निर्माण	498.09 लाख रु.	विचाराधीन
28.	मोनजिला नागालैंड में फुटपाथ तथा फूटस्टैप्स का निर्माण	268.27 लाख रु.	विचाराधीन
		सिक्किम	
1.	गंगतोक में नए सचिवालय और राजभवन (स्टाफ क्वार्टर सहित) का निर्माण (राज्य सरकार)	14359.00 लाख रु.	विचाराधीन

1	2	3	4
		त्रिपुरा	
1.	त्रिपुरा में 12 नगर पंचायतों में कचरा प्रबंधन	566.00 लाख रु.	विचाराधीन
2.	उदयपुर नगर पंचायत में सड़कें तथा नालियां	455.00 लाख रु.	विचाराधीन
3.	कैलाशहर नगर पंचायत में सड़कें और नालियां	942.00 लाख रु.	विचाराधीन
4.	रानी बाजार नगर पंचायत में नालियों का निर्माण	673.00 लाख रु.	विचाराधीन

श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस के यात्रियों की सूची का लीक होना

3715. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस यात्रा के लिए पंजीकृत यात्रियों की सूची, आतंकवादी संगठनों को लीक कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने तथा यह सब किस प्रकार हुआ, इसके लिए कोई जांच की गई है; और

(ग) सामान्य रूप से तथा विशेषकर श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस यात्रियों की सुरक्षा कड़ी करने के लिए क्या उपाए किए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस यात्रा के लिए पंजीकृत यात्रियों की सूची, आतंकवादी संगठनों को हमारी ओर से लीक नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर जांच-पड़ताल/ जांच करने का प्रश्न ही नहीं है।

(ग) व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है जिनमें पूरे बस मार्ग में यात्रियों को सुरक्षित रखना, रोड ओपनिंग पार्टी (आर ओ पी) और बस की सुरक्षा शामिल है।

पारे का आयात

3716. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पारे का आयात वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के आयात के रूप में देश में एक तरह से बेकार सामग्री आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पारे के आयात में मिली जुली प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। पारे का उपयोग थर्मामीटरों, बैरोमीटरों, इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट, आर्क रेक्टिफायर, ऑटोमैटिक स्विचों, मर्करी वेपर लैंपों तथा उच्च विद्युत संस्थापना वाले मर्करी वेंपर बॉयलरों आदि के निर्माण में लगे उद्योगों द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग क्लोरीन, कास्टिक सोडा, एसेटिक एसिड एवं एसीटोन आदि के इलेक्ट्रोलिटिक सम्पाक में भी किया जाता है।

(ग) और (घ) पाटनरोधी जांच की शुरूआत पाटन, क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के आधार पर की जाती है। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी) द्वारा पाटन की मौजूदगी एवं मात्रा की जांच की जाती है, पाटित वस्तुओं को अभिज्ञात किया जाता है और जहां उचित होता है लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए वित्त मंत्रालय में अनंतिम और/अथवा अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा पाटन एवं क्षति का आरोप लगाते हुए प्रस्तुत आवेदनों पर 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार तथा समय-सीमाओं के भीतर कार्यवाही की जाती है।

डी.जी.ए.डी. को पारे के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से आज की तारीख तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

आई. जी. आई. विमानपत्तन पर विदेशियों के साथ अभद्र व्यवहार

3717. **श्री मधु गौड यास्खी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर विदेशी यात्रियों और अप्रवासी भारतीयों के साथ सुरक्षा कर्मचारियों/सी आई एस एफ अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात आज की तारीख तक सरकार की जानकारी में आए इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर 2 अप्रैल, 2003 से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के बाद से केवल एक घटना हुई है।

(ख) 4 अप्रैल, 2005 को, कनाडा जाने वाले एक यात्री और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा स्टाफ के बीच कहा-सुनी की एक घटना हुई थी।

(ग) इस यात्री के बयान के आधार पर तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रारम्भिक पूछताछ के बाद, सी आई एस एफ के चार उप अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और विमानपत्तन के सुरक्षा प्रभारी वरि. कमांडेंट का तबादला कर दिया गया है।

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति से बेहतर ढंग से निपटने के लिए पर्यवेक्षी ढांचे में सुधार किया गया है, इसके अलावा, नियमित रूप से ब्रीफिंग और डिब्रीफिंग की एक प्रणाली और यात्रियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के लिए कार्य स्थल पर ही प्रशिक्षण देना भी शुरू किया गया है।

आदिवासियों को वृद्धावस्था पेंशन

3718. **श्री रूपचन्द्र मुर्मू:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 60 वर्ष से अधिक आयु के आदिवासियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को 500 रुपए की मासिक पेंशन देने की केन्द्र सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने इसी प्रकार की योजना आरंभ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) 60 वर्ष से अधिक आयु के तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों को 500 रुपये मासिक पेंशन देने की जनजातीय मंत्रालय की कोई स्कीम/योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रहा था जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल थे जब तक कि यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2002-03 से अन्नपूर्णा स्कीम के साथ राज्य योजना को हस्तांतरित नहीं कर दिया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजनाओं के चयन और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित लचीलापन प्राप्त है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को किसी राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही ऐसी किसी योजना के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यपगत न होने वाला केन्द्रीय पूल कोष

3719. **डा. अरुण कुमार शर्मा:**
श्री किरिप चालिहा:

क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत बजटीय आबंटन में से खर्च न की गई राशि के बारे में सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) को हस्तांतरण हेतु कुल कितनी धनराशि देय है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान एन एल सी पी आर को कितनी वास्तविक धनराशि हस्तांतरित की गई;

(ग) एन एल सी पी आर के गठन के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपयोग के लिए योजना आयोग द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों ने भी पूल के वित्तपोषण के तरीके में 10 प्रतिशत ऋण घटक समाप्त करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) का सृजन 1998-99 में विभिन्न गैर छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सकल बजटीय सहायता के अधिदेशित 10 प्रतिशत में से खर्च न किय गये शेष से किया गया था। पूल में अन्तरित की जाने वाली राशि और पूल की वास्तव में अन्तरित की गई राशि एक सम्मान है और एन एल सी पी आर में वर्षवार जमा राशि इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	जमा राशि राशि (रुपये करोड़ में)
1.	1998-99	1189.85
2.	1999-2000	1571.78
3.	2000-01	1440.60
4.	2001-02	1603.84
5.	2002-03	1339.70

(ग) एल एल सी पी आर के तहत 1998-99 से 2004-05 तक 3067.12 करोड़ रुपये की कुल राशि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जारी की गई है।

(घ) और (ङ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों का चयन

3720. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री टी.के. हमजा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के कुछ प्रधानाध्यापकों पर धोखेबाजी से प्रधानाध्यापकों के पद पर चयन होने का आरोप है तथा उन्हें काठमांडू और मॉस्को में शानदार पोस्टिंग दी गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से प्राप्त आरोपों की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार के प्रधानाध्यापकों को विदेशों में नियुक्त करने का क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठता।

विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां

3721. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कमियों पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों अर्थात स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना

(एसजेएसआरवाई) और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) के कार्यान्वयन के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, और अन्य हितबद्ध पक्षों के सुझावों को देखते हुए और स्कीमों को ज्यादा कारगर बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय का मत है कि दोनों स्कीमों के मौजूदा दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन अपेक्षित हैं और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रतिभा प्रेरणा योजना के अंतर्गत पुरस्कार

3722. श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातीयों के लिए चलाई जा रही प्रतिभा प्रेरणा योजना के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रति कक्षा 43 पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य में जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार पर्याप्त हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने निर्धारित 172 पुरस्कारों के स्थान पर 425 पुरस्कारों के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) क्या प्रतिभा प्रेरणा योजना के अंतर्गत 77.40 लाख रुपए की धनराशि का एक प्रस्ताव, केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) और (ख) प्रतिभा उन्नयन योजना के अधीन संबंधित राज्यों की जनजातीय आबादी के अनुपात में सभी संबंधित राज्यों में कुल 4 × 370 अर्थात 1480 अवार्ड वितरित किए गए हैं। इस वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कुल 172 अवार्ड आबंटित किए गए हैं। यह वितरण उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध निधियों पर आधारित है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त 77.40 लाख रुपये का प्रस्ताव अपूर्ण था। राज्य सरकार ने पूर्ण सूचना वर्ष 2004-05 के अन्त में उपलब्ध कराई थी। इसलिए वर्ष 2004-05 में अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सका। तथापि, 77.40 लाख रुपयों में से 7.4.2005 को 59,97,306 की राशि पहले से ही संस्वीकृत कर दी गई है। शेष धनराशि भी चालू वित्त वर्ष में निर्मुक्त कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्टाम्प शुल्क

3723. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार काले धन के सृजन तथा परिचालन को रोकने के लिए जमीन जायदाद संबंधी सौदों पर से स्टाम्प शुल्क कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके लिए राज्यों को राजस्व नुकसान पर मुआवजा देने का है यदि वे कम स्टाम्प शुल्क दरों पर सहमत हो जाते हैं, तो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र और दिल्ली ने कम स्टाम्प शुल्क पर अधिक राजस्व जुटाकर तथा जमीन जायदाद सौदों में कालेधन के परिचालन को रोककर अच्छे परिणाम दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) राज्य विषय होने के कारण, जमीन जायदाद संबंधी सौदों पर स्टम्प शुल्क केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

(ग) और (घ) सरकार ने 28.6.2003 को शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष स्कीम अनुमोदित की थी, जो उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी गयी है जो कि विशिष्ट सूची में से शहरी सुधार करने के इच्छुक हैं। इन सुधारों में से एक सुधार वर्ष 2006-07 (दसवीं पंचवर्षीय योजना) के अंत तक स्टम्प शुल्क कम करने से संबंधित है, यह कमी 5% से अधिक नहीं होगी। तथापि, शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष के अंतर्गत जारी धनराशि प्रोत्साहन के रूप में है तथा किसी राजस्व हानि के लिए प्रतिपूरक नहीं है।

(ङ) और (च) दिल्ली सरकार ने वर्ष 2003 में स्टम्प शुल्क को 8% से कम करके 5% कर दिया है तथा इससे बाद के वर्षों में स्टम्प शुल्क एकत्र करने में वृद्धि हुई है।

महाराष्ट्र सरकार ने भी पहली जुलाई, 2004 से अधिकतम 5% तक स्टम्प शुल्क कम किया है जिससे रिकार्ड में लाये जा रहे सौदों में वृद्धि हुई है। इसका राजस्व की वसूली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

टोलुइन डी-आइसोसाइयानेट का आयात

3724. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टोलुइन डी-आइसोसाइयानेट का सामान्य मूल्य से कम पर चीन, जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ तथा अमरीका से आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) मै. नर्मदा कैमेटर पैट्रोकेमिकल लि., गुजरात द्वारा एक आवेदन के आधार पर पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी.जी.ए.डी.) ने चीनी ताइपेई, जापान, कोरिया गणराज्य, ई यू और यू एस ए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टोलुइन डाईआइसोसाइनेट के संबंध में 20.10.2003 को पाटनरोधी जांच शुरू की थी। संगत साक्ष्यों एवं पाटनरोधी जांच में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की विधिवत जांच करने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 18.1.2005 को अंतिम जांच परिणाम जारी किये थे। किसी पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की गयी है क्योंकि जांच से घरेलू उद्योग को हुई किसी वास्तविक क्षति का पता नहीं चला है।

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सी पी एम एफ) का दिल्ली पुलिस में आमेलन

3725. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सी पी एम एफ) का दिल्ली पुलिस अथवा किसी अन्य राज्य पुलिस संगठन में स्थायी आमेलन के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली पुलिस में नई बटालियनें बनाने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नई बटालियनें बनने तक सी पी एम एफ को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली पुलिस में लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) अराजपत्रित कर्मचारियों के स्थाई आमेलन के मामलों पर संबंधित बल और उधारकर्ता संगठन द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाता है जब कि गृह मंत्रालय द्वारा अधिकारियों के अलग-अलग मामलें के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने हाल में दिल्ली के लिए तीन इंडिया रिजर्व बटालियनें स्वीकृत की हैं।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत-नेपाल व्यापार

3726. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल स्थित बीरगंज अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो को 1 फरवरी, 2005 से भारत-नेपाल द्विपक्षीय व्यापार हेतु खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत-नेपाल व्यापार में किस हद तक सुधार होने की संभावना है; और

(ग) भारत और नेपाल, दोनों के लिए कौन सा मार्ग सहायक सिद्ध होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। भारत और नेपाल के बीच बरास्ता रक्सौल बीरगंज से और बीरगंज तक रेल द्वारा द्विपक्षीय यातायात 1 फरवरी, 2005 से खोल दिया गया है।

(ख) और (ग)

(1) भारतीयों रेलों में रेक हैंडल करने के लिए खुले सभी स्टेशनों से बीरगंज के लिए द्विपक्षीय यातायात बुक किया जा सकता है और ऐसा ही वहां से हो सकता है।

(2) भारत और नेपाल के बीच सड़क द्वारा होने वाला यातायात रेल द्वारा किया जाएगा।

(3) इससे पारगमन समय में कमी आएगी और बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस सुविधा से द्विपक्षीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

3727. **श्रीमती पी. सतीदेवी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैर-प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अशोक विहार, दिल्ली स्थित समुदाय भवन हेतु निर्धारित कतिपय भूखण्डों को अवैध रूप से कवर करके उस पर अधिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन भूखण्डों पर पक्के कमरे भी बना लिये गये हैं और ऐसी भूमि के एक भाग को अतिक्रमण करने वालों ने किराये पर दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन तथाकथित अतिक्रमणों को रोकने हेतु कोई जांच की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अशोक विहार में अतिक्रमण का ऐसा कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है, तथापि स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी विभाग ने सूचित किया है कि वजीरपुर (जे जे कालोनी के निकट भारत नगर के समीप एक भूखंड पर अतिक्रमण था। उक्त अतिक्रमण को जनवरी, 2004 में हटा दिया गया है और वर्तमान में उस स्थल पर कोई पक्का ढांचा नहीं है।

दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं के मामले दर्ज न करना

3728. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली पुलिस महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध में कमी दर्शाने हेतु उनके सभी मामले दर्ज नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिना किसी बहाने के सभी मामले दर्ज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वैवाहिक समस्याओं, जहां शिकायतकर्ता मेल-मिलाप करने के इच्छुक होते हैं, से संबंधित मामलों को छोड़ कर महिलाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त होते ही उन सभी को दर्ज कर दिया जाता है। ऐसे मामलों को तभी दर्ज किया जाता है जब मेल-मिलाप के सभी प्रयास असफल हो जाते हैं और शिकायतकर्ता मामला दर्ज करने पर जोर डालता है।

बालिका शिक्षा

3729. **श्री विनोद खन्ना:**
श्री अशोक अर्गल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में खराब अध्यापक-छात्र अनुपात के कारण बालिका शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छात्राओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर काफी अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) लड़कों और लड़कियों को शिक्षा एक समान आधार पर दी जाती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि शिक्षक-छात्र अनुपात सही न होने के कारण बालिका शिक्षा प्रभावित हो रही है। विशेषकर लड़कियों के संबंध में शिक्षक-छात्र अनुपात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थाओं के संबंध में शिक्षक छात्र अनुपात समग्र रूप में 27 है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 22 है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इन्टर कालेजों में यह अनुपात 24 है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 35 है, उच्च बेसिकोत्तर स्कूलों के मामले में यह 30 के अखिल भारतीय औसत के विरुद्ध 24, मिडिल/वरिष्ठ बेसिक स्कूलों के मामले में 34 के अखिल भारतीय औसत के विरुद्ध 15 तथा प्राथमिक/जूनियर बेसिक स्कूलों के मामले में 42 के अखिल भारतीय औसत के विरुद्ध यह अनुपात 22 है। (चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2002-03)।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर लड़कों की तुलना में लड़कियों की अधिक है। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से ऐसा है। हिमाचल प्रदेश में लडकियों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर कक्षा 1-5 के मामले में 33.72 की अखिल भारतीय दर के विरुद्ध 14.08, कक्षा 1-8 के मामले में 53.45 की अखिल भारतीय दर के विरुद्ध 11.32 और कक्षा 1-10 के मामले में 64.97 की अखिल भारतीय दर के विरुद्ध 31.23 है। (चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2002-03 के अनुसार)। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। केरल, मणिपुर, मेघालय, पंजाब जैसे ऐसे अनेक राज्य हैं जहां लड़कियों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर लड़कों से काफी कम है।

(घ) कई राज्यों में लड़कियों की शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं आरंभ की गई है। इस योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:- माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग एवं छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना, महिला समाख्या, शिक्षाकर्मी परियोजना, लोक जुम्बिश परियोजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल), सामुदायिक पालिटेक्निकल, महिला छात्रावास और महिला छात्रों के लिए अवसंरचना, विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी।

गुरू रामदास समेकित मलिन बस्ती कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता

3730. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अमृतसर, पंजाब से गुरू रामदास समेकित मलिन बस्ती कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) पंजाब सरकार से उनके दिनांक 4 मार्च, 2005 के पत्र द्वारा अमृतसर के लिए 255.00 करोड़ रु. की लागत की श्री गुरू रामदास विकास परियोजना के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तत्पश्चात पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (पी.डब्ल्यू एस.एस.बी) से दिनांक 17 मार्च, 2005 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्ताव में उसे तकनीकी अनुमोदन देने के लिए आवश्यक कुछ डिजायन संबंधी ब्यौरे नहीं थे। मंत्रालय द्वारा की गई तकनीकी टिप्पणियों के आलोक में परियोजना को संशोधित करने के लिए पी.डब्ल्यू एस.एस.बी से अनुरोध किया गया है। पी.डब्ल्यू एस.एस.बी द्वारा अभी संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तथापि परियोजना पर सैद्धांतिक रूप से विचार कर् लिया गया है तथा जे बी आई सी (जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन) द्वारा वित्तपोषण हेतु आर्थिक कार्य विभाग से इसकी सिफारिश की गई है।

तिहाड़ जेल में विदेशी

3731. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल में काफी विदेशी अपराधी बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तिहाड़ जेल में ऐसे कैदियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त कैदियों में कुल कितने कैदी बंगलादेशी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) 14 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार तिहाड़ जेलों में 413 विदेशी कैदी बंद थे जिनमें से 108 बांग्लादेशी राष्ट्रिक थे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम

3732. डा. राजेश मिश्रा: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) इसके अंतर्गत कितना क्षेत्र कवर किया गया/कवर किए जाने की संभावना है;

(ङ) केन्द्र सरकार के पास लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(च) दूसरी किस्त कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत "संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम" नामक कोई केन्द्रीय कार्यक्रम नहीं है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

बोडो उग्रवादियों की गतिविधियां

3733. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005 के दौरान बोडो उग्रवादियों ने असम और बंगाल में कई ट्रकों को जला दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घटना में हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त ट्रकों के मालिकों को कोई मुआवजा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, असम की ऑल आदिवासी स्टूडेंटस एसोशियन द्वारा 24 घंटे के बंद के आह्वान के दौरान 11 जनवरी, 2005 को बंद कार्यकर्ताओं द्वारा कोयले से लदे पांच ट्रकों को जला दिया गया था।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार का इस तरह की घटनाओं में मुआवजे की अदायगी का कोई प्रावधान नहीं है।

अपराधियों को पद्मश्री और पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान करना

3734. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कुछ ऐसे व्यक्तियों को पद्मश्री और पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों से ये पुरस्कार वापस लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) सरकार के नोटिस से यह बात लाई गई थी कि एक व्यक्ति, जिसे 2001 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म श्री प्रदान किया गया था, के विरुद्ध कुछ अपराधिक मामले लम्बित है। पुरस्कार प्रदान करने के समय कथित पुरस्कार प्राप्तकर्ता के विरुद्ध अपराधिक मामले लम्बित होने के बारे में सरकार को सूचना नहीं थी। संबंधित राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। राज्य सरकार की रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया कि पुरस्कृत व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न अपराधिक मामले या तो न्यायालयों में लम्बित है अथवा जांचाधीन है। आगे की कार्रवाई करने पूर्व पुरस्कृत व्यक्ति के विरुद्ध लम्बित अपराधिक मामलों के नतीजों की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

कोडवा भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

3735. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कोडवा भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसी भाषा को भारत के संविधान में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान।

आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए विषयपरक मानदंड का एक सेट तैयार करने हेतु श्री सीताकांत महापात्र के अधीन एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और कतिपय सिफारिशें की हैं। आठवीं अनुसूची में कोडवा सहित भाषाओं को शामिल करने की लंबित मांगों पर, समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस विषय में अन्तर्ग्रस्त मुद्दों पर सावधानीपूर्वक

विचार किए जाने की जरूरत है और इस अवस्था में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक

3736. श्री कैलाश मेघवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई पाकिस्तानी नागरिक, जो वीजा लेकर भारत आते हैं, वापस पाकिस्तान नहीं जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय वीजा की अवधि बढ़वाकर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपने वीजा की अवधि बढ़वाए कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं। अधिकांश पाकिस्तानी राष्ट्रिक जो वीजा पर भारत आते हैं अपने देश वापस चले जाते हैं। तथापि, निम्नलिखित श्रेणी के पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को, यदि वे आवेदन करते हैं, तो उन्हें उनके वीजा की अवधि बढ़ाकर दीर्घकालिन आधार पर भारत में ठहरने की अनुमति दी जाती है।

(1) पाकिस्तानी में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य (हिन्दु और सिख);

(2) पाकिस्तानी महिलाएं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रिकों से विवाह किया है;

(3) ऐसी भारतीय महिलाएं जिन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से विवाह किया है और वे विधवा/तलाक के कारण भारत वापस आती हैं और पाकिस्तानी में उनकी मदद के लिए कोई पुरूष सदस्य नहीं है।

(ख) 31.01.2005 की स्थिति के अनुसार, कुल 17,335 पाकिस्तानी राष्ट्रिक अपने वीजा की अवधि बढ़ाकर भारत में ठहरे हुए हैं। राज्य-वार ब्योरे दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 31.01.2005 की स्थिति के अनुसार भारत में 4,612 पाकिस्तानी राष्ट्रिक अवैध रूप से रह रहे है।

विवरण

31.01.2005 के स्थिति के अनुसार भारत में दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक

क्र.सं.	राज्य	पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	222
2.	बिहार	53
3.	महाराष्ट्र	2,327
4.	पश्चिम बंगाल	3
5.	दिल्ली	2,810
6.	गुजरात	1,049
7.	हरियाणा	233
8.	कर्नाटक	42
9.	केरल	127
10.	मध्य प्रदेश	3,723
11.	उड़ीसा	2
12.	पंजाब	281
13.	राजस्थान	5,093
14.	तमिलनाडु	218
15.	उत्तर प्रदेश	1,096
16.	जम्मू-कश्मीर	25
17.	गोवा	28
18.	पांडिचेरी	2
19.	हिमाचल प्रदेश	1
	कुल	17,335

रोजगारोन्मुख व्यावसायिक शिक्षकों का वेतनमान

3737. श्री संतोष गंगवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश से केन्द्र द्वारा प्रायोजित रोजगारोन्मुख व्यावसायिक शिक्षकों को कोठारी आयोग की सिफारिशों

के आधार पर 1989 से +2 स्तर का वेतनमान नहीं दिए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने 400 पूर्णकालिक और 400 अंशकालिक व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग को वित्तीय स्वीकृत दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को उत्तर प्रदेश राज्य में 1987-88 से कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान योजना के विस्तार का अनुमोदन करते हुए अन्य स्कूलों के साथ-साथ 100 स्कूलों में 400 पूर्णकालिक शिक्षकों तथा 400 अंशकालिक शिक्षकों के पद संस्वीकृत किए गए। राज्य सरकार ने योजना को संचालित करने के लिए शिक्षकों को मानदेय देकर केवल अंशकालिक शिक्षक नियुक्त किए है। राज्य सरकार ने न तो नियमित शिक्षक नियुक्त किए हैं और न ही योजना के तहत नियमित शिक्षक नियुक्त करने के लिए कोई कार्रवाई की है। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों को दिए जाने वाले मानदेय की वर्तमान दर को बढ़ाने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। योजना के अनुसार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई संबद्ध राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

[अनुवाद]

पुलिस/सैन्य वर्दी की उपलब्धता

3738. श्री दिनशा पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ स्थानों पर पुलिस, सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों की वर्दियों की उपलब्धता की बात सरकार के ध्यान में आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बाजारों में इन वर्दियों की प्रचूर उपलब्धता के कारण देश और जनता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इन वर्दियों की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुलिस, मिलिट्री और अर्द्ध सैनिक बलों जैसी वर्दियां खुले बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

(ग) केन्द्र सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे लोगों जो पुलिस, मिलिट्री और अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दियों जैसे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की सलाह देती रही है। उन लोगों, जो पुलिस, मिलिट्री और अर्द्ध सैनिक बलों से मिलती-जुलती वर्दियां पहनते हैं, पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 140, 170, 171 और 416 तथा शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है।

आई.आई.ए.एस.

3739. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी (आई.आई.ए.एस.), शिमला संबंधी डी. बंदोपाध्याय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई अंतरिम रिपोर्ट की जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों/टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी हां। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के मामलों की जांच करने वाली बन्दोपाध्याय समिति ने अभी तक निम्नलिखित तीन विषयों पर अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है:

(1) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में 'भारतीय सभ्यता के अध्ययन सम्बन्धी परियोजना'

(2) पिछले तीन वर्षों के दौरान फेलोशिप की स्वीकृति तथा विशेषकर स्वीकृत फेलोशिप की संख्या में अचानक तथा असामान्य वृद्धि की जांच; और

(3) पिछले 3 वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा/इसकी आर्थिक सहायता से आयोजित सेमिनारों की जांच।

(ख) समिति ने 'भारतीय सभ्यता के अध्ययन सम्बन्धी परियोजना' विषयक अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि यह परियोजना प्रयासों का दोहराव/तिहराव है और परियोजना की मौलिकता

का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, यहां तक कि परियोजना का निर्माण ही दोषपूर्ण था और कार्यान्वित करने के लिए इसकी कोई योजना नहीं है। समिति ने संस्थान के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला सहित परियोजना अधिकारियों की कतिपय प्रशासनिक एवं वित्तीय त्रुटियों को उजागर किया है साथ ही भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष जो विभिन्न लिपियों के प्रकाशन में परियोजना निदेशक भी थे, की स्वेच्छाचारिता का उल्लेख किया है जिन्होंने अपने मूल्यांकन तथा कार्य सौंपने की प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना इन्हें मुद्रकों/प्रकाशकों को दिया। समिति ने वेतन को छोड़कर परियोजना सम्बन्धी सभी व्यय को रोकने तथा प्रकाशन को तब तक रोकने की संस्तुति की है जब तक पांडुलिपियां समुचित रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती तथा इनका विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसने अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना की वांछनीयता तथा संभाव्यता का नए शासी निकाय द्वारा पुनर्मूल्यांकन करने की भी संस्तुति की।

समिति ने 'फेलोशिप' के मुद्दे से संबंधित अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि फेलोशिप प्रदान करने की प्रक्रिया में नियमों और कार्यविधियों का उल्लंघन हुआ, समिति ने उम्मीदवारों की खोज तथा चयन सम्बन्धी दोनों विषयों में पक्षपात पाया, मुस्लिमों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तथा आयु के आधार पर भी पक्षपात किया गया। फेलोशिप के विस्तार में मनमाने ढंग से मंजूरी दी गई। लब्धप्रतिष्ठ राष्ट्रीय फेलोशिप प्रदान करने में भी नियमों का निरादर किया गया। समिति ने शैक्षणिक समिति के सुदृढ़ीकरण, फेलोज के निबंधन एवं शर्तों में संशोधन, विभिन्न आयु समूह के विद्वानों में फेलोशिप का उचित वितरण सुनिश्चित करने, सुझावों के क्षेत्र, फेलोशिप अवार्ड समिति द्वारा अनुसंधान के लिए विषय वस्तुओं अथवा विषयों, पुस्तकालय का डिजिटाइजेशन तथा राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए अनुसंधान खोज समिति का गठन जिसमें अध्यक्ष, निदेशक तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल हों, की सिफारिश की। समिति की सिफारिशें प्रेक्षणाधीन है।

संस्थान की सहायता से आयोजित सेमिनारों से संबंधित मुद्दों के संबंध में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने नोट किया कि राष्ट्रीय एकता संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के संबंध में कोई कार्य करने में पिछले पांच वर्षों में संस्थान के शैक्षिक व्यवस्थापकों द्वारा अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, संस्थान प्राचीन भारतीय सभ्यता की भव्यता, वैभव और महिमा के विषय जैसे अनुसंधान के एक मात्र व्यापक क्षेत्र की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करके अनुसंधान कर रहा है। संस्थान ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसाइटी के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करने हेतु अपने संगम ज्ञापन के तहत इस प्रावधान का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया है। समिति ने शासी निकाय के अनुमोदन से पूरे वर्ष के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का एक कलेन्डर तैयार करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय एकता विषय पर एक सेमीनार सहित तीन राष्ट्रीय सेमिनार शिमला में आयोजित किए जाने चाहिए जैसा कि संगम ज्ञापन में अधिदेशाधीन है। सेमिनारों में देश के दूर-दराज क्षेत्रों से भागीदारी होने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान न केवल एक वित्तपोषित एजेंसी के रूप में काम करे बल्कि सहयोगात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। समिति ने गैर शैक्षिक कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने तथा प्रायोजित करने में निष्फल तथा व्यर्थ व्यय के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने की भी सिफारिश की है।

(ग) 'भारतीय सभ्यता का अध्ययन संबंधी परियोजना' पर समीक्षा समिति द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पास कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है। "पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षावृत्तियों को संस्वीकृत करने और विशेष रूप से संस्वीकृत शिक्षावृत्तियों की संख्या में अचानक तथा असामान्य वृद्धि की जांच" और "पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा/इसकी आर्थिक सहायता से आयोजित सेमिनारों की जांच" पर समिति की अंतरिम रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय परिवार राहत कोष

3740. श्री प्रहलाद जोशी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय परिवार राहत कोष के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार आवंटित/जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस शीर्ष के अंतर्गत धनराशि जारी करने में राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) विभाग द्वारा ऐसी कोई स्कीम नहीं चलायी जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आपदा पर प्रतिवेदन

3741. **श्री किशन सिंह सांगवान:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुनामी से प्रभावित बालक और बालिका विद्यार्थियों की संख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन सी ई आर टी ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित विद्यालयों को हुए नुकसान का आकलन करने तथा उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) ऐसे विद्यालयों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) सूनामी से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे प्रभावित विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 12,000 तमिलनाडु में 2,70,000 और पांडिचेरी में 3000 है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं: पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को परामर्श देना, बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कार्यकलापों का समन्वयन एवं पुन: समयसूची तैयार करना।

(च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने थियोरी परीक्षाओं के उपरांत होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षाओं की समयसूची पुन: तय की है। बोर्ड ने सूनामी प्रभावित विद्यार्थियों हेतु परीक्षा केन्द्रों के स्थान परिवर्तन की अनुमति दे दी है। अनुरोध प्राप्त होने पर मार्कशीटों की अनुलिपि जारी की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने विद्यार्थियों को पुस्तकों तथा परीक्षा से संबंधित सहायता दी हैं। इस प्रक्रिया में परिषद् ने गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया है।

[अनुवाद]

दि.वि.प्रा. द्वारा प्राप्त शिकायतें

3742. **श्री लालमणि प्रसाद:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इंडिया एसोसिएशन फॉर एससी/एसटी एक फिजिकली हैण्डीकैप्ड पीपुल्स अपलिफ्टमेंट ने 9 फरवरी, 2004 और 10 फरवरी, 2004 को दि.वि.प्रा. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों संबंधी अनुरोध विस्तार से प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शिकायतों/मुद्दों पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राधिकरण द्वारा एसोसिएशन की सभी शिकायतों का निपटान कब तक किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि "आल इंडिया एसोसिएशन फॉर एससी/एसटी एण्ड फिजिकली हैण्डीकैप्ड पीपुल अपलिफ्टमेंट" से दिनांक 9.2.2004 और 10.2.2004 के अनुरोध उन्हें प्राप्त हुआ था जिसमें रोहिणी रिहायशी स्कीम, 1981, दुकानों और भूखण्डों के आवंटन तथा अ.जा./अ.ज.जा. तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पदोन्नति आदि के संबंध में उल्लेख किया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि जहां तक रोहिणी रिहायशी स्कीम का संबंध है, इसमें अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदकों के लिए 25% तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण की व्यवस्था है। इस समय अ.जा./अ.ज.जाति श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में शेष पंजीकृत व्यक्तियों के आवंटन मौजूदा नीति के अनुसार किया जायेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि दुकानों के आवंटन में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 25% तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 5% का निर्धारित आरक्षण पहले से ही मौजूद है। जहां तक अ.ज./अ.ज.जा. तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पदोन्नति का संबंध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण इस संबंध में आरक्षण नीति का पालन कर रह है।

सूनामी प्रभावित व्यक्तियों को आश्रय

3743. **श्री किन्जरपु येरनायडु:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी संपत्ति तथा घर गंवा चुके सूनामी पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय बनाने का प्रस्ताव कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने व्यक्तियों को ऐसे स्थान आबंटित किये जायेंगे;

(घ) क्या मानसून शुरू होने से पहले यह कार्य पूरा होने की संभावना है;

(ङ) क्या पीड़ितों को नये सिरे से अपनी आजीविका शुरू करने के लिए अवसंरचना उपलब्ध करायी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इस कार्य की पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) 10,100 मध्यम आश्रयों में 40,650 लोगों (लगभग) को समायोजित किया जाना है। निर्माण की मौजूदा योजना के अनुसार मानसून के प्रारंभ से पूर्व मध्यम आश्रय तैयार हो जायेंगे। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 821.88 करोड़ रु. का विशेष पैकेज अनुमोदित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्य उद्योगों और कृषि क्षेत्र के पुनरूत्थान, राहत, रोजगार तथा आहार भत्ते की व्यवस्था है। सुनामी प्रभावित लोगों को पहले ही फार्म उपकरण, बढ़ई/लोहार के औजार, घरेलू सामान तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों में नियोजन, उपलब्ध कराये गये हैं। आबादी की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अस्थायी आश्रय के अलावा, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल के मैदान तथा जनजातीय परिषद के लिए कार्यालय परिसर के प्रावधान के साथ सुनियोजित तरीके से स्थाई मकानों की भी परिकल्पना की गई है।

सफाई-कर्मचारियों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान

3744. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु कोई एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आय अर्जन और व्यवहार्य परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी सहायता प्राप्त करने की निबंधन व शर्तें तथा मानदण्ड क्या हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं तथा उन्हें कितनी सहायता दी गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए है। यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियों के जरिये समग्र देश में रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता (ऋण) मुहैया कराता है।

(ग) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) आय अर्जन और व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) कुछ क्षेत्र, जिन्हें वित्तपोषित किया जा सकता है, वे कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां, कारीगर, उद्योग, लघु व्यापार आदि है।

(ङ) एनएसएलआरएस/सर्वेक्षण/सफाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी समिति/कानूनी रूप से गठित एसोसिएशन/लक्षित समूह द्वारा समर्थित फार्म के अंतर्गत उचित प्रकार से अभिज्ञात सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति/सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित व्यक्ति तथा वे सभी व्यक्ति जो स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगर निगम अधिकारी/कैंटोनमेंट कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी, जो कि राजपत्रित अधिकारी से निचले स्तर का न हो, से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम ने 117.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है जिसमें 44792 लाभार्थियों को शामिल किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई राज्यवार वित्तीय सहायता तथा इसमें शामिल लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2002-03, 2003-04, और 2004-05 के दौरान वितरित राज्यवार धनराशि तथा इसमें शामिल लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु. में)

क्र. सं.	एससीए	2002-03		2003-04		2004-05		कुल	
		वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	1610.58	21532	1035.30	5877	390.00	3650	3035.88	31059
2.	असम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.	बिहार	0.00	0	0.00	0	122.03	129	122.03	129
4.	चण्डीगढ़	14.65	35	0.00	0	0.00	0	14.65	35
5.	छत्तीसगढ	62.50	16	217.59	431	364.48	186	644.57	635
6.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	350.00	583	350.00	583
7.	गुजरात	0.00	0	196.13	27	442.07	423	638.20	450
8.	हिमाचल प्रदेश	13.53	40	90.88	560	4.50	5	208.91	635
9.	हरियाणा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
10.	झारखण्ड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	कर्नाटक	261.79	809	50.00	83	557.93	921	869.77	1813
12.	केरल	21.10	32	0.00	0	0.00	0	21.01	32
13.	मध्य प्रदेश	168.75	450	282.50	810	247.50	638	698.75	1988
14.	महाराष्ट्र	35.05	22	434.54	237	404.92	402	874.51	661
15.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18.	उड़ीसा	0.00	0	28.39	34	0.00	0	28.39	34
19.	पांडिचेरी	28.27	82	0.00	0	0.00	0	28.27	82
20.	पंजाब	99.88	250	0.00	0	11.57	31	111.45	281
21.	राजस्थान	335.29	417	247.03	213	232.79	275	815.11	905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	तमिलनाडु	55.85	134	200.00	333	0.00	0	255.85	467
23.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
24.	उत्तर प्रदेश	1154.20	1932	553.78	620	1190.10	2185	2898.08	4737
25.	उत्तरांचल	43.56	58	31.00	200	59.30	109	133.86	369
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	31.11	19	0.00	0	31.11	19
	कुल	4004.90	25809	398.26	9444	4377.23	9539	11780.39	44792

[हिन्दी]

दिल्ली मेट्रो रेल में वरिष्ठ नागरिकों को किराया रियायत

3745. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल की तर्ज पर दिल्ली मेट्रो रेल में वरिष्ठ नागरिकों को कोई रियायत दिये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दिल्ली मेट्रो रेलवे (प्रचालन एवं रखरखाव) अधिनियम 2002 के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो के यात्री किरायों का निर्धारण, सेवारत अथवा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात समिति ने वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी यात्रियों के लिए एक समान किराया ढांचे की सिफारिश की है और मेट्रो रेल प्रशासन में तदनुसार किराए निर्धारित किए हैं।

कैंची उद्योग

3746. मो. शाहिद: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 और 2004-05 में सरकार द्वारा कैंची उद्योग को कोई सहायता दी गयी है;

(ख) कितने राज्यों में यह उद्योग है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन्हें राज्यवार दी गयी केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिलें में इस उद्योग में पुनरुद्धार हेतु किसी पैकेज पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) विभिन्न राज्यों में किन क्षेत्रों द्वारा सर्वाधिक संख्या में कैंची का निर्यात किया जा रहा है;

(छ) क्या हाल के वर्षों में इस उद्योग में निर्यात में कमी आई है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ङ) कैंचिओं का विनिर्माण विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस उद्योग का संकेन्द्रण ज्यादातर उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा बिहार के राज्यों में है। इस क्षेत्र को कोई विशिष्ट केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(च) से (ज) निर्यात के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। मूल्य के संदर्भ में कैंचियों के निर्यात में वर्ष 2001-02 में 96.4 लाख रुपये से वर्ष 2003-04 में 58.19 लाख रुपये तक कमी आयी है। सरकार कैंचियों सहित विभिन्न मदों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और किये गये उपायों

में अन्य बातों के साथ-साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाना, निर्यात उत्पादों में प्रयोग किये गये आगतों पर सभी लेवियों तथा करों को निष्प्रभावी बनाना, विनिर्माणकारी क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकीय तथा अवसंरचनात्मक उन्नयन सुविधाजनक बनाना शामिल हैं।

[अनुवाद]

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता

3747. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के स्तर को बढ़ाने के लिए वर्तमान साउथ एशियन प्रफ्रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (साप्टा) के स्थान पर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) को अपनाने हेतु दक्षिण एशियाई देशों द्वारा विशेष प्रयास का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर दक्षिण एशियाई देशों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु विद्यमान साप्टा के साफ्टा में उन्नयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) से संबंधित करार के अंतर्गत व्यापार वार्ताओं का चौथा दौर दिसंबर, 2003 में समाप्त हुआ था। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) से संबंधित करार पर 4-6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में 12वें सार्क शिखर सम्मलेन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। साफ्टा को 1 जनवरी, 2006 से लागू करने का निर्धारण किया गया है। साफ्टा पर हस्ताक्षर करने के बाद साफ्टा के अंतर्गत व्यापार वार्ताओं का और कोई दौर नहीं होगा। सभी सार्क देशों के सदस्यों की साफ्टा से संबंधित विशेषज्ञ समिति इस समय चार बकाया मुद्दों अर्थात् संवेदनशील सूचियों, अल्पविकसित संविदाकारी देशों को तकनीकी सहायता, उद्गम के नियमों और अल्प विकसित संविदाकारी देशों के लिए राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए तंत्र पर साफ्टा के समय पर कार्यान्वयन के लिए इन मुद्दों से संबंधित सहमति प्राप्त करने के लिए वार्ताएं कर रही है।

साफ्टा के कार्यान्वयन के फलस्वरूप एक सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनेगा और इससे कृषि क्षेत्र सहित अंतर सार्क व्यापार में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

[हिन्दी]

आतंकवादी गतिविधियां

3748. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
डा. राजेश मिश्रा:
मो. ताहिर:
श्री सज्जन कुमार:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री मुंशीराम:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री हितेन बर्मन:
चौधरी लाल सिंह:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:
श्री राजनारायण बुधौलिया:
श्री सुरेश कलमाडी:
श्री वाई. जी. महाजन:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान आज तक राज्यवार हुई घुसपैठ/आतंकवादी गतिविधियों की घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों की तथा मारे गए/गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) देश में आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) वर्ष 2004 और 2005 (31 मार्च, 2005 तक) के दौरान जम्मू और कश्मीर में 2953 घटनाओं में 806 सिविलियन, 312 सुरक्षा कार्मिक तथा 1145 आतंकवादी, पूर्वोत्तर राज्यों में 1340 घटनाओं में 449 सिविलियन, 124 सुरक्षा कार्मिक तथा 471 अतिवादी तथा नक्सल प्रभावित राज्यों में 2010 घटनाओं में 577 सिविलियन, 149 सुरक्षा कार्मिक तथा 146 नक्सलवादी मारे गए हैं। जबकि उक्त अवधि के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों में 1078 विद्रोही तथा नक्सल प्रभावित राज्यों में 1484 नक्सलवादियों को गिरफ्तार किया गया है, 2004 में जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार आतंकवादियों की संख्या 329 है। 2004 तथा 2005 (31 मार्च, 2005 तक) में जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की 104 घटनाएं हुई।

केन्द्र सरकार द्वारा घायल व्यक्तियों के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) केन्द्र सरकार की आतंकवाद से मुकाबला करने की रणनीति में बातचीत, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा विधि सम्मत शासन को प्राथमिकता देने की है। आतंकवाद/उग्रवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए दृष्टिकोण यह है कि इसे समग्र रूप से राजनैतिक, विकास तथा सुरक्षा मोर्चे पर निपटाया जाए।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं जैसे, घुसपैठ की रोकथाम के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, सुरक्षा बलों के लिए सुधरी हुई प्रौद्योगिकी, हथियार तथा उपकरण उपलब्ध करवाना, आतंकवादी गुटों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करना तथा ऐसे आतंकवादी गुटों की गतिविधियों को मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग। इसके अलावा, केन्द्र सरकार आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति की सूची में जनजातियों को शामिल करना

3749. श्री पी. करुणाकरन: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनजातियों के विभिन्न वर्गों से उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न संगठनों/राज्यों से प्राप्त चालू प्रस्तावों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

(ग) और (घ) "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002" द्वारा 20 राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 142 संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं और शेष प्रस्तावों पर ऐसे दावों के निर्धारण के लिए अनुमत प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	95
2.	अरुणाचल प्रदेश	24
3.	असम	113
4.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2
5.	झारखंड सहित बिहार	50
6.	चंडीगढ़	17
7.	दिल्ली	1
8.	दादरा व नगर हवेली	3
9.	दमन व दीव	2
10.	गोवा	13
11.	गुजरात	14
12.	हरियाणा	4
13.	हिमाचल प्रदेश	14
14.	जम्मू व कश्मीर	11
15.	कर्नाटक	54
16.	केरल	59
17.	लक्षद्वीप	1
18.	छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश	37
19.	मणिपुर	28
20.	मेघालय	17
21.	महाराष्ट्र	90
22.	मिजोरम	7
23.	नागालैंड	24
24.	उड़ीसा	88
25.	पांडिचेरी	11

1	2	3
26.	पंजाब	13
27.	राजस्थान	18
28.	सिक्किम	8
29.	तमिलनाडु	70
30.	त्रिपुरा	12
31.	उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश	70
32.	पश्चिम बंगाल	20
	योग	990

अर्द्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण

3750. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री राजनारायण बुधौलिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अर्द्धसैनिक बलों को अधिक प्रभावी तथा हल्के स्वदेशी राइफल एवं अन्य उपकरणों से लैस करके आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गयी है; और

(ग) ऐसे उपकरणों/सुरक्षा यन्त्रों की आपूर्ति हेतु किन एजेंसियों की पहचान की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को, अधुनातन हथियार प्रणाली, आधुनिक संचार/निगरानी उपकरण, वाहन और उचित वस्त्र देकर आधुनिक बनाया जा रहा है।

(ख) फरवरी, 2002 में, सरकार द्वारा 3740 करोड़ रु. के परिव्यय से केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सी पी एम एफ) हेतु एक पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना स्वीकृत की गई थी। एस एस बी के आधुनिकीकरण हेतु लगभग 445 करोड़ रु. की लागत का एक प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा इन उपकरणों को प्रापण, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों से किया जा रहा है।

शिक्षा केन्द्रों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

3751. **श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में जनजातीय महिलाओं के लिए शिक्षा केन्द्र चला रहे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान जारी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समय पर अनुदान प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या स्वैच्छिक संगठनों से अनुदान सहायता को बढ़ाने के लिए और भुगतान को वर्ष में एक बार ही देने संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) से (ग) जी हां। संगठनों को निर्धारित फार्मेट में अलेखापरीक्षित/लेखापरीक्षित लेखों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रथम किस्त पर कार्यवाही पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। लेखापरीक्षित लेखों, सम्बद्ध स्टाफ की सूची और लाभार्थियों की सूची आदि जैसे दस्तावेजों सहित जिला समाहर्ता की निरीक्षण रिपोर्ट एवं अनुदान वर्ष के लिए राज्य सरकार की सिफारिश की प्राप्ति पर दूसरी किस्त पर कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार सहायता अनुदान दो समान किस्तों में जारी किया जाता है।

(घ) जी, नहीं। सहायता अनुदान पर कार्यवाही योजना के अनुमोदित वित्तीय-मानदण्डों के अनुसार की जाती है। वित्तीय-मानदण्डों में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

3752. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बाह्य वाणिज्यिक उधार मानकों में छूट देने का है ताकि भारतीय कारपोरेट्स न्यून दर पर विदेशों से उधार प्राप्त कर सकें।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मानक और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसकी घोषणा किस तिथि तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्ष 2005-06 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईबीसी) विण्डो तक पहुंचने के लिए सूक्ष्म वित्त में लगे हुए योग्य गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओएस) को सक्षम बनाने हेतु एक विण्डो खोली गई है।

(ख) और (ग) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय बिचोलियों को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत सभी कारपोरेटस स्वत: मार्ग के अन्तर्गत 500 मिलियन अमेरिकी डालर तक ई.सी.बी.एस. हेतु उधार लेने के पात्र हैं। स्वत: मार्ग के अन्तर्गत न आनें वाले प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गठित एक समिति विचार करती है। केवल अवसंरचना अथवा निर्यात वित्त का काम करने वाले वित्तीय संस्थान अनुमोदन मार्ग के जरिये ई.सी.बी. ले सकते हैं। उन बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों जिन्होंने सरकार द्वारा यथा अनुमोदित वस्त्र अथवा इस्पात क्षेत्र के पुनर्निर्माण पैकेज में भाग लिया था, को भी पैकेज में उनकी निवेश की सीमा तक तथा विवेकाधीन मानदण्डों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन पर अनुमति होगी।

ई.सी.बी. केवल संपदा क्षेत्र में निवेश (जैसे पूंजीगत वस्तुओं का आयात, नई परियोजनाएं, मौजूदा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार) के लिए जुटाई जा सकती है अर्थात भारत में लघु उद्योग तथा मध्यम दर्जे के उपक्रमों (एसएमई) तथा अवसंरचना क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र/ई.सी.बी. राशियों का उपयोग उधार देने (आनलैडिंग), एकीककृत कस्बे के विकास को छोड़कर कारपोरेट द्वारा पूंजी बाजार में तथा स्थावर संपदा में निवेश के लिए अनुमति नहीं है। कार्यशील पूंजी सामान्य कार्पोरेट प्रयोजन तथा मौजूदा रुपये ऋणों की पुन: अदायगी के लिए ई.सी.बी. परिणामी प्रयोग की अनुमति नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मसालों का उत्पादन और निर्यात

3753. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के मसालों के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है:

(ख) देश में मसालों की कुल खपत का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मसालों का कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(घ) देश में मसालों का निर्यात बढ़ाने तथा मसालों के निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान देश में मसालों का कुल उत्पादन क्रमश: 2873.18 हजार टन और 3172.71 हजार टन था। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में मुख्य मसालों का उत्पादन निम्नानुसार है:

मसाले का नाम	उत्पादन (हजार टन में)		
	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
काली मिर्च	63.67	62.44	63.95 (अ)
इलायची	14.5	17.8	15.6 (अ)
मिर्च	983.7	1069.0	896.9 (अ)
अदरक	288.0	318.6	उ.त.
हल्दी	714.3	562.8	573.9 (अ)

1	2	3	4
लहसुन	247.1	386.3	411.4 (अ)
धनिया	231.3	319.4	164.9 (अ)
जीरा	128.5	196.8	उ.न.
सौंफ	26.1	26.0	उ.न.
मेथी	45.9	127.9	उ.न.
लौंग	1.5	1.6	उ.न.
जायफल	2.3	2.5	उ.न.
केसर	0.004	0.008	उ.न.

(अ): अनन्तिम
स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग
(उ.न.): उपलब्ध नहीं

(ख) देश में मसालों की घरेलू खपत के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, मोटे अनुमानों (अनुमानित उत्पादन घाटा अनुमानित निर्यात) के अनुसार वर्ष 2001-02 के दौरान देश में प्रमुख मसालों की घरेलू खपत 29,29,507 टन थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मसालों का अनुमानित निर्यात निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2001-02	243,203	1940.55
2002-03	264,107	2086.71
2003-04	246,566	1905.09
2004-05 (अप्रैल-फरवरी)	303,166	1866.29

स्रोत: मसाला बोर्ड

(घ) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में प्रशिक्षण एवं अवसंरचना विकास के जरिए फसलोत्तर सुधार; व्यापार संवर्धन; प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए सहायता प्रदान करना; उच्च तकनीक मसाला प्रसंस्करण प्रारंभ करना; प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन; उत्तम विनिर्माण प्रथा (जी एम पी)/जोखिम मूल्यांकन एवं नाजुक नियंत्रण प्रक्रिया (एच ए सी सी पी)/अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ) में इकाइयों को मान्यता: पैकेजिंग विकास; कारोबार विवरणिकाओं का मुद्रण; विदेशी कारोबारी दौरे; विदेशों में कारोबारी नमूने भेजना; मसालों की जैविक कृषि के लिए सहायता; उत्तम विनिर्माण प्रथाओं; उत्तम स्वच्छ प्रथाओं एवं ब्रॉडेड मसाला उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए मसाला घराना प्रमाण पत्र और भारतीय मसाला लोगो प्रदान करना शामिल है।

मॉरीशॅस में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3754. श्री एम. जनार्दन रेड्डी:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के क्या नाम है जहां पर इस समय केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे है;

(ख) क्या मारीशॅस सरकार ने भारत सरकार से मारीशॅस में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध किया है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) क्या मारीशॅस सरकार ने भारत सरकार से विश्वविद्यालय स्तर पर साझेदारी कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने और मारीशॅस में आईआईटी खोलने के लिए भी अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या भारत सरकार ने मारीशॅस में भारतीय उच्चायुक्त से इस संबंध में ब्यौरा मांगा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार को विगत और वर्तमान में अन्य देशों से भी ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या भारत के केन्द्रीय विद्यालय के छात्र अन्य देशों के केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों से एक दूसरे के देशों में आते-जाते रहते है और विचारों का आदान-प्रदान भी करते है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आदान-प्रदान से छात्रों को कितनी मदद मिलेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) इस समय रूस, ईरान और नेपाल में भी केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) 15 मार्च, 2005 को आयोजित की गई बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री ने मारीशॅस में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए मारीशॅस के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री के अनुरोध को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

(घ) मारीशॅस के मंत्री ने विज्ञान और गणित में सुदृढ़ आधार तैयार करने के लिए मारीशॅस में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की बात फिर से दोहराई है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मारीशॅस में परिसर की स्थापना करने पर विचार करें।

(ङ) मारीशॅस में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि प्रस्तावित संस्थान का नाम 'मारीशॅस प्रौद्योगिकी संस्थान' रखा जा सकता है। इससे उसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश हेतु 'संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)' आयोजित करने से छूट मिल जाएगी। मारीशॅस में दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा परिसर की स्थापना के अनुरोध के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि मारीशॅस पहले इस बात की जांच कर ले कि क्या वह भारतीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और अकादमिक नियंत्रण के अन्तर्गत 'भारतीय विश्वविद्यालय परिसर' की स्थापना करने पर सहमत है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) जी, हां। उन देशों की सूची संलग्न विवरण में है जिनके साथ 'शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम' पर हस्ताक्षर किए गए है।

(ञ) जी, नहीं।

(ट) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1.	अर्मेनिया	3 अक्टूबर, 2002
2.	आस्ट्रेलिया	23 अक्टूबर, 2003
3.	चीन	23 जून, 2003
4.	गुयाना	25 अगस्त, 2003
5.	हंगरी	3 नवम्बर, 2003
6.	इजराइल	9 सितम्बर, 2003
7.	मंगोलिया	9 जुलाई, 2002
8.	म्यांमार	2 नवम्बर, 2003
9.	तंजानिया	27 अप्रैल, 2003
10.	सीरिया	15 नवम्बर, 2003
11.	उजबेकिस्तान	5 अप्रैल, 2005

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में जिला परामर्श समितियां

3755. श्री देविदास पिंगले: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा महाराष्ट्र में विशेषकर नासिक में जिला परामर्श समितियों को गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समितियों में कौन-कौन लोग शामिल हैं; और

(ग) यह समितियां राज्य में क्या भूमिका निभाएगी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां। नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा नासिक सहित महाराष्ट्र के सभी जिलों में युवा कार्यक्रम पर जिला परामर्श समितियां गठित की गई हैं।

(ख) जिला परामर्श समितियों की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) युवा कार्यक्रमों पर जिला परामर्श समितियों की भूमिका, नेहरू युवा केन्द्रों को उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के समन्वय में मदद और मार्गदर्शन देने की है। समिति नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन भी करती है तथा आगे सुधार के लिए उपाय सुझाती है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	सरकारी सदस्य	गैर सरकारी सदस्य
1	2	3	4
1.	अकोला	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकरी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्री गजानन हर्ने एनजीओ के प्रमुख श्री किशोर वहाने, प्रिंसिपल एमएसडब्ल्यू श्रीमती छायाबाई देशमुख, सदस्य श्री प्रशांत भटकर, युवा नेता श्रीमती अमिता शिंदे, युवा नेता श्री चिलास तायले, एनएसवी
2.	नागपुर	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकरी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्री मोहन राव गोलपलवर, सदस्य श्री बहु देयेदर कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस श्रीमती संध्या नरेन्द्र दगड़े राष्ट्रीय युवा पुरस्कारकर्ता श्री प्रदीप एस खनरेदकर, अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद क्रीड़ा मंडल श्री प्रभाकर एल कपसे, अध्यक्ष शैक्षणिक क्रीड़ा मंडल श्री मोहन पटेल, एनएसवी
3.	यवतमाल	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	श्री अमर दिनकर एनजीओ प्रमुख श्रीमती एच जी खडसे, गैर सरकारी

1	2	3	4
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	श्री यू एस पाटील गैर सरकारी सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	श्री शंकर कदम, युवा नेता
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	श्री एच वी इनगोलकर, युवा नेता
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	श्री नामदेव गोम्वामी, एनएसवी
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
4.	बुलडाना	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	श्रीमती इन्दुमत लहाने, एनजीओ
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	प्रमुख
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	श्री एन जे दंडगे, गैर-सरकारी
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	श्रीमती साहिना पठान
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	गैर-सरकारी सदस्य
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	श्रीमती किलास करवंडे
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	युवा नेता
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	श्री गोविन्द राहटे, युवा नेता
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	श्री अंकुश जादी, एनएसवी
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
5.	अमरावती	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	श्री सदानंद जादौ एनजीओ
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	प्रमुख
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	श्री दादराव तवड़े, गैर सरकारी
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	श्री वसुधा गुर्जर, गैर सरकारी
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	सदस्य
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	श्री यशोदा महोरे, युवा नेता
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	श्री नीतिन सिरशत, युवा नेता
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	श्री विशाल तिजारे, एनएसवी
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	

1	2	3	4
6.	गड़चिरौली	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	प्रक्रियाधीन
7.	वर्धा	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्री मुरलीधर बलखोड़े, एनजीओ प्रमुख श्री हेमचन्द्र वैद्य, गैर सरकारी सदस्य डा. अशोर मेहरे, गैर सरकारी सदस्य श्री सतीश जी इंगोले, युवा नेता सुश्री माधुरी एम कोहेले, युवा नेता सुश्री नीता के. कुटे, एनएसवी
8.	भंडारा	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी -सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्री यादोरत कपगेट, एनजीओ प्रमुख श्री महेश नेहाले, गैर सरकारी सदस्य श्री सुरेश तिचकाले, युवा नेता श्री अनिल बोरकार, युवा नेता कुमारी रोशनी खंगर, एनएसवी सायु माया येलनी, एनजीओ प्रमुख

1	2	3	4
9.	चन्द्रपुर	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्रीमती ताराभाई पोतुधके एनजीओ प्रमुख डा. ए पी पिल्लई, गैर सरकारी सदस्य श्री सुशील देशपांडे, गैर सरकारी सदस्य श्री अरुण नेतराम, युवा नेता श्री सदानंद अगबतनवार, युवा नेता श्री सतीश मुंगनतीवार, एनएसवी
10.	औरंगाबाद	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	सुश्री साधना सुरडकर, सदस्य सुश्री संगीता धारूकर, सदस्य श्री संजय कंबाटे, सदस्य श्री मधुकर गायली, वाईडीसी अध्यक्ष सुश्री सवीता वाघमेरे, एनएसवी
11.	जालना	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	सायु विमलताई अगलवे, एनजीओ प्रमुख सायु कांताबी एन कलवारे, सदस्य भुटाकेर, सदस्य श्री संजय थोराट, युवा नेता श्री विजय पोखरकर, युवा नेता श्री दीपक परवे, एनएसवी

1	2	3	4
12.	पूणे	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	श्रीमती मधुरंड देशमुख, सदस्य
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	श्री राजेश कुमार खरात, सदस्य
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	श्री दाबासाहेब जगताब, सदस्य
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	एनएसवी सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	एनएसवी सदस्य
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	एनएसवी सदस्य
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
13.	नासिक	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	श्रीमता सुभाष देशमुख, एनजीओ
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	प्रमुख
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	श्री नीकंठ बंडल, सदस्य
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	श्री संजय एन वाघ, सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	श्री एम ए खान, सदस्य
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	श्री राजेन्द्र वाई सरसवासे, सदस्य
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	श्री सनपत आर जगताप, सदस्य
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	श्री गोकनी ए पलुगले, सदस्य
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	श्री संजय एस शोलाके, सदस्य
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	श्री निरंजन पी टाकले, सदस्य
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	श्री हुसेन बी शेख, सदस्य
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
14.	परभनी	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	श्रीमती जिया सय्यद, सदस्य
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	प्रो. वी एम कुलकर्णी, सदस्य
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	डा. नागराव कुंभर, सदस्य
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	श्री वेंकटेश हेलींग, सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	श्रीमती सुजाता माने, सदस्य
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी. सदस्य	एनएसवी
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	

1	2	3	4
15.	थाणे	जिला कलेक्टर-अध्ययक्ष	श्री किरन नाचित, सदस्य
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	श्री संजय निरभजने, सदस्य
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	श्रीमती अनिता किने, सदस्य
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	श्री सिराम पटवर्धन, सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	
		जिला वन संपर्क अधिकारी-सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
16.	लातूर	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	श्रीमती जिया सय्यद साथ संस्था
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	लातूर
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	प्रो. वी एम कुलकर्णी मदीन
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	अबुरद
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	डा. एन कुंभर, एम बी
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	महाविद्यालय
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	श्री वेंकटेश हेलींग, सचिव महर्षि
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	दयानंद युवक मंडल
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	श्रीमती सुजाता माने, युवा
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	पुरस्कार प्राप्तकर्ता
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	एनएसवी एनवाईके लातूर
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
17.	जलगांव	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	श्री एस जी धंगर, सदस्य
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	श्री मोती लाल एफ जोगी, सदस्य
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	श्री डा. मिलिंद वालकोन, सदस्य
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	सायू वैशाली अंधले, सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	कुमारी शिल्पा पाटील, एनएसवी
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी. आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	

1	2	3	4
18.	अहमदनगर	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्री पपटरोजी पवार, सदस्य प्रो. जे.आर. भोर, सदस्य प्रो. पी.एम. वासवे, सदस्य कुमारी तसमीन लाला भाऊ शेख, युवा नेता कुमारी सुनीता शिवनाथ गोरदे, एनएसवी श्री बापूसाहेब श्रीधर बचकार, युवा नेता
19.	मुम्बई	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	प्रक्रियाधीन
20.	धूले	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्री विठटल कदम सामाजिक कार्यकर्ता श्री शशिकांत शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता श्री चन्द्रकांत पेशीराव, सदस्य कयू कुडा केशुवाबी, एनएसवी

1	2	3	4
21.	अलीबाग	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	श्री प्रशांत आर ठाकुर, सदस्य
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	श्री अजय सालगारे, सदस्य
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	श्री डा. किशोर देशमुख, सदस्य
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	श्री प्रदीप महात्रे, सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	श्री भरत भागवे, सदस्य
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	श्री प्रकल्प वानी, सदस्य
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
22.	शोलापुर	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	श्री रामकृष्णन माने, सदस्य
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	प्रो. विलास वेठ, सदस्य
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	श्रीमती अपर्णा रामतीर्थकर,
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	सदस्य
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	अनिल जामदादे, युवा नेता
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	संताजी सावंत, युवा नेता
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	विलास राठौर, एनएसवी
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
23.	उस्मानाबाद	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	प्रक्रियाधीन
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	
		मुख्य चिकित्साधिकार-सदस्य	
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	

1	2	3	4
24.	रत्नागिरी	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्री मिलिंद रघुनाथ कांबले, एनजीओ प्रमुख श्री संजय महादेव खमकर, सदस्य श्रीमती प्रादन्या पी. खनविलकर, सदस्य श्री संदीप पाण्डुरंग खमकर, युवा नेता श्रीमती अनीता हरीश चन्द्र पाटील, युवा नेता
25.	सिंधुदुर्ग	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्री गणेश प्रसाद गावस, युवा नेता सुहास देसाई, युवा नेता सचिन शेट्टी, एनएसवी
26.	कोल्हापुर	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	प्रो. श्रीमती विदुला स्वामी, केआईटी इंजीनियरिंग कालेज कोल्हापुर श्री विजय सलोके सरदार, फुटबाल कोच कोल्हापुर श्री नाथजी तुकाराम पाटील, युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री दनियानदो बाबर, युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता एनएसवी एनवाईके पंचायत राज, जिला परिषद कोल्हापुर के प्रतिनिधि

1	2	3	4
27.	सतारा	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	शून्य
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य,	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
28.	बीड	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	डा. सतीस सलुंके, एनजीओ
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	प्रमुख
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	डा. एन डी सोनोने, सदस्य
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	श्रीमती प्रीति नायकवाड़े, युवा
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	नेता
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	श्री नाना भाऊ गवाने, एनएसएस
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	श्री एस पी देशमुख, युवा ग्राम
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	सदस्य
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	
29.	नानदेड़	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष	एनजीओं प्रमुख सदस्य
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	गैर सरकारी सदस्य
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	गैर सरकारी सदस्य
		महा प्रबंधक-डी.आई.सी.-सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	युवा नेता
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	युवा नेता
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक सदस्य
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.सी.ए.-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	

1	2	3	4
30.	सांगली	जिला कलेक्टर-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-डी.आइ.सी.-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.-सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस.-सदस्य	श्री प्रमोद लाल, सामाजिक कार्यकर्ता डा. नतिना नायक, शिक्षा विभाग

[अनुवाद]

नकली हाऊसिंग सोसायटी

3756. श्री हरिन पाठक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजीयक सहकारी समितियों द्वारा 135 सहकारी हाउसिंग समितियों को नकली पाया गया है, जैसाकि 14 मार्च, 2005 से ''दी हिन्दुस्तान टाइम्स'' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन सोसाइटियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इनमें से कुछ नकली सोसाइटियों को भूमि आबंटित की थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार इस कुप्रबंधन के उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है; और

(छ) उन लोगों की क्या नियति है, जिन्होंने इन हाउसिंग सोसाइटियों में वास्तव में निवेश किया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज ने यह सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सदस्यों के साथ-साथ कार्यालय कर्मचारियों, दोनों की प्रमाणिकता की पुन: पुष्टि करने के लिए 135 कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों की एक सूची वापिस भेजी गई है। परिणामस्वरूप, रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज ने इन 135 ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के सभी सदस्यों तथा उनके मैनेजमेंट को आवश्यक दस्तावेज/ सूचना प्रस्तुत करने हेतु निदेश देते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की है।

(ग) इन 135 सोसायटियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) और (ङ) डीडीए ने यह सूचित किया है कि इन 135 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में से किसी को भी भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(च) और (छ) रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज ने यह बताया है कि इस मामले में आगे कार्रवाई संगत कानूनों के अंतर्गत सोसायटियों के सदस्यों तथा प्रबंधक समितियों से प्राप्त सूचना पर निर्भर करेगी। यह मामला योगी राज कृष्णा ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाम डीडीए तथा अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट याचिका सं. 10066/2004 के तहत न्यायाधीन भी है।

विवरण

क्र.सं.	नाम	पता	पंजीकरण सं.
1	2	3	4
1.	हयात नगर सीजीएचएस	के-86, लाजपतनगर-II नई दिल्ली 1	1455-जीएच
2.	सरताज सीजीएचएस	70-हरगोविंद एंकलेव, दिल्ली 1	1362-जीएच
3.	द न्यू ओखला इंटरप्रिनोर सीजीएचएस	बी-160, सादतपुर कालोनी, गली न. 2, दिल्ली-94	1454-जीएच
4.	लोक विट सीजीएसएस	34/13, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	1229-जीएच
5.	द विजेता सीजीएचएस	291/1 पाकेट सी, मयूर विहार फेस-II, नई दिल्ली	1460-जीएच
6.	मानसरोवर सीजीएचएस	2 फ्लोर, 86-विनोबापुरी, लाजपत नगर, नई दिल्ली	1005-जीएच
7.	अंजली वूमेन सीजीएचएस	4/103 सोना अपार्टमेंट, कौशल्या पार्क, हौजखास, नई दिल्ली	1433-जीएच
8.	नवयुग सीजीएचएस	128, विनोबापुरी, लाजपत नगर, नई दिल्ली-24	64-एच
9.	श्रीवेंकटश्वरा सीजीएचएस	सी-73, नीति बाग, नई दिल्ली-49	1287-जीएच
10.	प्राइड सीजीएचएस	876/6, महरौली, नई दिल्ली-30	1388-जीएच
11.	द गौतम सीजीएचएस लि.	बी-7, अशोका निकेतन, मेन रोड, (समीप एचडीएफसी बैंक) दिल्ली	9499-जीएच
12.	श्री चित्रकूट सीजीएचएस	ई/26, राधेपुरी दिल्ली	1241-जीएच
13.	नवजोत सीजीएचएस	ए/11, फ्रेंडस कालोनी ईस्ट, नई दिल्ली-65	87-जीएच
14.	सन्नी सीचीएचएस	4720/47, रैगरपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-5	1206-जीएच
15.	द नरमाड सीजीएचएस	ई-20 डिफेंस कालोनी, दिल्ली	126-जीएच
16.	अकोवेल सीजीएचएस	12 बी, अनुपम प्लाजा, अरबिंदो मार्ग, आजाद अपार्टमेंट के सामने, समीप आईआईटी, महरौली नई दिल्ली-16	1104-जीएच
17.	श्री शिवपुरी सीजीएचएस	110 श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-65	578-जीएच
18.	ब्ल्यू वेल्ससीजीएचएस	ई-421, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली 48	778-जीएच
19.	सर्विस आफिसर सीजीएचएस	एम-46, II फ्लोर, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-48	162-एच
20.	न्यू हिंद सीजीएचएस	एच-51, डा. इकबाल लेन, बुराड़ी रोड, बाटला हाऊस, जामिया नगर, नई दिल्ली-25	1425-जीएच

1	2	3	4
21.	भाईबनो सीजीएचएस	114 नामधारी चैंबर्स, 9/54, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	1457-जीएच
22.	रीलनल प्रोविजनल फंड इम्पालाइज सीजीएचएस	1727 औटराम लांइस किंग्सवे कैंप, दिल्ली-7	1427-जीएच
23.	साहिबजादा अजीत सिंह सीजीएचएस	11/71, गीता कालोनी, दिल्ली	1416-जीएच
24.	पवन धाम सीजीएचएस	20/2, कांति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली	32-जीएच
25.	मऊहर वैश्य सीजीएचएस	बी/137, शास्त्री नगर, दिल्ली-52	1441-जीएच
26.	द एम वी जनहित सीजीएचएस	फ्लैट न. 9, से. 15, रोहिणी, दिल्ली-85	1219-जीएच
27.	द विक्रमादित्य सोजीएचएस	बी-5, नामधारी चैम्बर 9/54, देशबंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	1453-जीएच
28.	द मृग सीजीएचएस	59 चारधाम अपार्टमेंट, फ्लाट न. 38, से. 9, रोहिणी, दिल्ली-85	1446-जीएच
29.	द योगीराज कृष्णा सीजीएचएस	सागर चैंबर्स, सैनी इंकलेव, 11/16, कडकडडूमा, दिल्ली-92	1358-जीएच
30.	नव वैशालिनी सीजीएचएस	195, राम विहार, दिल्ली-92	1437-जीएच
31.	द न्यू सिवानी सीजीएचएस	एचजीटीबी खालसा कालेज, पीजी (इवनिंग), देवनगर, करोल बाग, नई दिल्ली	1461-जीएच
32.	डायरेक्टोरेट आफ अडल्ट एजुकेशन सीजीएचएस	ब्लाक न. 10, जामनगर हाऊस, नई दिल्ली-11	1256-जीएच
33.	डिफेंस एकाउंटस इम्पालाइज सीजीएचएस लि.	34/13, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	1150-जीएच
34.	जिंदल सीजीएच सोसायटी लि.	185, सैनिक विहार पीतमपुरा, दिल्ली-88	1199-जीएच
35.	रॉयल फ्रेंडस सीजीएचएस	ए-302, विद्युत अपार्टमेंट, फ्लाट न. 81, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92	1310-जीएच
36.	स्वीट ड्रीम होम सीजीएचएस	एफ-ए, इस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	1260-जीएच
37.	रेल मंत्रालय सीजीएचएस	रूम न. 28, रेल भवन, नई दिल्ली-1	1086-जीएच
38.	प्रीति परिषेद सीजीएचएस	फ्लाट सं. 53, शुभ इंकलेव, पीतमपुरा, दिल्ली	1451-जीएच
39.	साना कोआप-जीएच सोसा.	मार्फत सादिक एंड कंपनी, 15/1, आसफअली रोड, नई दिल्ली	1464-जीएच

1	2	3	4
40.	चारूलता सीजीएचएस	मकान न. 114-115, एक्सटेंशन न. 3, नांगलोइ, दिल्ली-41	1440-जीएच
41.	केनरा बैंक वर्क्स सीजीएचएस	जी 55 मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली	1467-जीएच
42.	सीएसआईआर सीजीएचएस लि.	अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-1	994-जीएच
43.	एंजल सीजीएचएस	1642, पहाड़गंज, नई दिल्ली	1438-जीएच
44.	चंदर सीजीएचएस	डी-11/105, से 8, रोहिणी दिल्ली-85	1449-जीएच
45.	सरताज सीजीएचएस	पाकेट-13, से, 2 रोहिणी,	136-एच
46.	नवशक्ति मार्ग सीजीएचएस	ब्लाक न. 1, पाकेट-बी, फेस-III, अशोक विहार, दिल्ली-52	1268-जीएच
47.	मरटांड सीजीएचएस	1/2 (8) मलिकपुर ग्राम, माडल टाउन, दिल्ली	10-एच
48.	शिव ज्योति सीजीएचएस	203, कुमार हाऊस, ब्लाक डी, सेट्रल मार्किट, प्रशांत विहार, दिल्ली	1220-एच
49.	तक्षिला सीजीएचएस	बी-5/201 चिंतपूर्णी हाऊस, सेट्रल मार्किट, प्रशांत विहार, दिल्ली	1492
50.	यूनाइटेड नेशनस स्टाफ सीजीएचएस	के-5/24ए, माडल टाउन-II दिल्ली	160-जीएच
51.	बीना पानी सीजीएचएस	बी-1428, शास्त्री नगर, नई दिल्ली-52	596-जीएच
52.	श्रेयस सीजीएचएस	पाकेट-ई 16/182, से. 8 रोहिणी, दिल्ली	23-जीएच
53.	संजय विकास सीजीएचएस	बी एच 135, ईस्ट शालीमार, दिल्ली	1435-जीएच
54.	स्वर्ण सीजीएचएस	52, समयपुर रोड, लिबासपुर, दिल्ली	117-एच
55.	इम्पीरियल रेजोडेंसी अपार्टमेंट (एनसीईआरटी सोसायटी)	एफ-2/44, से. 16, रोहिणी दिल्ली	145-एच
56.	यूएनआई इम्पालाइज सीजीएचएस	डी-14/187, से. 7, रोहिणी, दिल्ली	57-जीएच
57.	सहयाद्री सीजीएचएस	डी-12, रिंग रोड, राजौरी गार्डन, दिल्ली	1114-जीएच
58.	कमलानी सीजीएचएस	227 सी पाकेट-सी, मयूर विहार फेस-II, दिल्ली	1276-जीएच
59.	बिरला उद्योग इम्पालाइज सीजीएचएस	डब्ल्यूजेड 3352, महेन्द्र पार्क, रानी बाग, नई दिल्ली	47-जीएच
60.	टक्नोक्रेटस सीजीएचएस	49 शिवम अपार्टमेंट, से. 15 रोहिणी, दिल्ली	1463-जीएच

1	2	3	4
61.	राधावल्लम सीजीएचएस	सी-369, विकासपुरी, नई दिल्ली	1517-जीएच
62.	गोदावरी सीजीएचएस	20/36, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली	28-जीएच
63.	आवासदीप सीजीएचएस	127/बी, एमआईजी फ्लैट, राजौरी गार्डन, दिल्ली	640-जीएच
64.	दिल्ली सेंसस सीजीएचएस	डब्यू जैड-1198/1 मेन बाजार रानीबाग, दिल्ली-34	128 (जीएच)
65.	बिहार बंधु सीजीएचएस	ई-26 न्यू दिलहन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुसा नई दिल्ली	940(जीएच)
66.	गोल्डेन वेली सीजीएचएस	बी-3/66 अशोक विहार फेज-II न्यू दिल्ली-52	135 (जीएच)
67.	पतांजली विहार सीजीएचएस	2266 राजा पार्क दिल्ली-34	1452 (जीएच)
68.	इनलासा सीजीएचएस	एस-203, विकास चेम्बर्स, डी ब्लॉक सेन्ट्रल मार्केट, प्रशान्त विहार, रोहिणी, दिल्ली	1130 (जीएच)
69.	भानुभाष्कर सीजीएचएस	सी.बी.-19-बी, शालीमार बाग दिल्ली-52	1436 एच
70.	ब्लू स्काई सीजीएचएस	114, नामधारी चेम्बर, 9/54 डीबी गुप्ता रोड करोल बाग, नई दिल्ली-5	1432 एच
71.	हैप्पी फ्रेंडस सीजीएचएस	डी-5/202 चिंतपुरनी हाउस, प्रशान्त विहार, दिल्ली	614 एच
72.	राधे कुंज सीजीएचएस	विलेज एंड पोस्ट खेरा, दिल्ली-82	4 एच
73.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सीजीएचएस	फ्लाट न. 65, पॉकिट न. बी-3, सेक्टर-6 रोहिणी, नई दिल्ली-85	1382
74.	अशोका होटल कर्मचारी सीजीएचएस	ए-603 अशोक आपर्टमेंट फ्लाट न. 36/2, सेक्टर-9 रोहिणी दिल्ली-85	123
75.	जिनियस कोपरेटिव सीजीएचएस	बी-1/117 अशोक विहार फेज-II दिल्ली-52	1444
76.	कला संगम सीजीएचएस	बी-12, जीटी कर्नाल रोड इंड एरिया, दिल्ली-33	1370
77.	हिन्दुस्तान स्टील इम्पलायकॉ. सीजीएचएस	जेयू-70-बी पीतमपुरा दिल्ली-34	63
78.	द एलजी ऑफिस एम्पलाइज सीजीएचएस	डी-790 सरस्वती विहार, दिल्ली 34	92
79.	आनन्द सीजीएचएस	21 सारसपुर, दिल्ली-42	11
80.	नव सर्वप्रिया सीजीएचएस	398 नीमरही कालोनी अशोक विहार, दिल्ली-52	1293
81.	कार्मिक सीजीएचएस	7-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-54	1325

1	2	3	4
82.	श्री शान्ति सागर सीजीएचएस	717 मुकीम पुरा सब्जी मंडी, दिल्ली	1439
83.	सुमन सीजीएचएस	99/1 ईस्ट मोती बाग, दिल्ली	1428
84.	पुंज विहार सीजीएचएस	बी-6/68 सेक्टर-8 रोहिणी, दिल्ली-54	1198
85.	सनयुकट सीजीएचएस	ई-15, भगवानदास नगर, इस्ट पंजाबीबाग, नई दिल्ली	1257
86.	सनफ्लावर सीजीएचएस	310 ओल्ड रोहतक रोड, दिल्ली	1271
87.	ध्रुव संगम सीजीएचएस	डीसीएम टैंट फैक्ट्री बिल्डिंग्स किशनगंज, दिल्ली	1205
88.	सिटीजन वेलफेयर सीजीएचएस	सेक्टर-6 फ्लाट-5 द्वारका, दिल्ली	663
89.	ड्रीम हाउस सीजीएचएस	23/1 हरिनगर, शक्तिनगर, दिल्ली	1238
90.	श्री गुरूगोविंद सिंह सीजीएचएस	931 पंजाबी बाग मोहल्ला सब्जी मंडी, दिल्ली	1431
91.	नोर्थ साउथ सीजीएचएस	21-ए कमला नगर, दिल्ली	1447
92.	भारतीय कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लि.	21/81, लोदी कालोनी, नई दिल्ली	80
93.	केवलिया विहार कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	बी-8/6146, वसंत कुंज, नई दिल्ली	71
94.	रामजस कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	रामजस स्कूल न. 3, चांदनी, चौक, दिल्ली-6	1050
95.	कवर कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	बी-35, प्रथम तल, से. 8, पवन कलां, द्वारका	1320
96.	रामनगर कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	14-बी, सत्य निकेतन, नई दिल्ली-21	129
97.	पदमिनी कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	यूनिट न. पी 106, फ्लाट न. 12 वर्धमान, एयरपोर्ट नई दिल्ली-45	1282
98.	भाग्यशाली कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	253, सत्य निकेतन नानक पुरा, दिल्ली-21	1456
99.	एनएसआईसी इम्प. कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	ओल्ड हनुमान मन्दिर, राजनगर पालम, नई दिल्ली-45	37
100.	राजेश्वरी कोआपेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लि.	बी-510, पालम विलेज, नई दिल्ली-45	1189

1	2	3	4
101.	गीतांजली विहार कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	1253, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली	1274
102.	आचल कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	फ्लैट न. 64, से. 7, पाकेट-1 मेन इन., द्वारका, नई दिल्ली-45	655
103.	सीबीएससी इम्प. कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	शाप न. 25 सीएससी-1 डीडीए मार्केट, पाकेट-ई-15-16, से. 8 रोहिणी, दिल्ली-85	1587
104.	हरबंरा लाल परवाना कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	द्वारा ओरियंटल बैंक आफ कोमर्स 4/5, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली	1434
105.	वेनोबो कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	702 संतोष अपार्टमेंट, से.6, द्वारका, नई दिल्ली	1489
106.	जगजीवन कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	15/13, कृष्णा नगर, दिल्ली	1312
107.	सिद्धा कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	274 बी., पाकेट सी. फेज-II, मयूर विहार, नई दिल्ली	1450 जीएच
108.	संत विवेकान्द कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंह सोसाइटी लि.	सी 48, झिलमिल कालोनी, दिल्ली	1445 जीएच
109.	जनप्रिय कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि. 3, दिल्ली	ई-34, सत्यवती कालोनी, अशोक विहार, फेस-III, नई दिल्ली	1343
110.	इममिया कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	सी-16, न्यू ब्रिजपुरी, दिल्ली	1224
111.	चाणक्य कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	ए-72, फ्लाट न. 92, विकल्प अपार्टमेंट, आईपी एक्स., दिल्ली	134
112.	कबीरधाम कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	बी-2/22, यमुना विहार, शाहदरा, दिल्ली	51
113.	दिल्ली गल्ला कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	बी-8, सुभाष चौक, लक्ष्मीनगर, दिल्ली	93
114.	जुबली कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	न्यू लक्ष्मी स्वीट, 33 सेट्रल मार्केट, अशोक विहार, फेस-I, दिल्ली 110052	1412
115.	बुनकर कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	डी-118, अशोक विहार, फेस-I, दिल्ली-52	863
116.	इंडियन आयल इम्प. कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	ई-1087, सरस्वती विहार, दिल्ली	125

1	2	3	4
117.	मारूति महिमा कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	ए-67, केवल पार्क, एक्स., आजादपुर, दिल्ली	587
118.	माया विहार कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	शाप न. 25, डीडीए मार्केट, से. 8, रोहिणी, दिल्ली	116
119.	श्रीमधुबना कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	सी-26, शक्ति आपार्ट., फ्लाट न. 5, से.-9, रोहिणी, दिल्ली	156
120.	आर्ट होम कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	361, कोहाट इनकलेव, पीतमपुरा, दिल्ली	72
121.	बाबा नानक कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	681, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली-6	1443
122.	सेंट्रल वेयर हाऊस कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	190, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली	156
123.	एनसीईआरटी कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	एफ 2/24, से. 16, रोहिणी, दिल्ली	145
124.	जानकी कुंज कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	3/109, लैला पार्क, नई दिल्ली	22
125.	कंधारी कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	आरयू/176, पीतमपुरा, दिल्ली-85	30
126.	मूनलाइट	बी-24, साउथ एक्स. पार्ट-I नई दिल्ली-49	1448
127.	न्यू एकता कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	46, विवेक विहार, फेज-II दिल्ली	1212
128.	रंगमहल (सिलवर व्यू)	147 जी, पाकेट ए, मयूर विहार, फेस-III, दिल्ली	152
129.	रूचिका अपार्टमेंट कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	सी-90, जनता गार्डन, पांडव नगर, नई दिल्ली	127
130.	साइमैंस इम्प. कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	24/4, ईस्ट एवन्यु मार्किट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	105
131.	श्री मधुबना	सी-26, शक्ति अपार्टमेंट, फ्लाट न. 5, से. 9, रोहिणी	155
132.	श्री नारायण	बी-1299, घोरी, डेरी फार्म, दिल्ली	107

1	2	3	4
133.	उज्जवल कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	322, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली	19
134.	विनय विहार	डी-42, कोंडली, दिल्ली	1462
135.	यसको कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लि.	711, गुरू अपार्ट., फ्लाट-9, से. 14, रोहिणी, दिल्ली	1465

पाटनरोधी शुल्क

3757. श्री बालासोवरी बल्लभनेनी:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू एस ए द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से भारत के समुद्री खाद्य पदार्थ विशेषज्ञ प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय झींगा उद्योग द्वारा यू एस सरकार से पाटनरोधी शुल्क को रद्द करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है तथा इस पर यू एस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या एमपीईडीए और एफएओ ने सुनामी के कारण इस उद्योग को हुई भारी क्षति का आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस उद्योग (सुनामी से प्रभावित और सुनामी से अप्रभावित क्षेत्रों) को अपने उत्पादों का निर्यात करने तथा एफएओ की सिफारिशों पर भी उनकी सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ज) क्या विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत वार्षिक अनुपूरक सहायता में समुद्री क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की आशा है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समुद्री क्षेत्र के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाए किए गए हैं तथा तीन वर्षों के निर्यात का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) अमरीका द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के कारण भारत से अमरीका को झींगे के निर्यात प्रभावित हुए हैं।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम निर्यात आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 के दौरान अमरीका को हमारे समुद्री उत्पादों के निर्यात 292.66 मिलियन अमरीकी डॉलर के हुए थे जिनमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई। मात्रा के अनुसार यह 42,488 टन था जिसमें उसी अवधि के दौरान 10.4 प्रतिशत की कमी मालूम हुई।

(ग) जी, हां।

(घ) एम्पीडा और भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन (एस ई ए आई) भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग के हितों की रक्षा कर रहे हैं। सरकार इस संबंध में समस्त आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है, इस मामले को राजनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री तथा वाणिज्य सचिव का एक उच्च स्तरीय दल अमरीका पर सुनामी तबाही के कारण परिवर्तित परिस्थिति समीक्षा को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क को हटाने के लिए दबाव डालने हेतु वहां भेजा गया था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अमरीकी सरकार द्वारा यह विचार किए जाने की संभावना है कि उसे अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए क्या परिवर्तित परिस्थितियां पर्याप्त हैं।

(ङ) से (छ) एम्पीडा, पशुपालन और डेयरी विभाग तथा संबंधित राज्य सरकारों के कार्य स्थल अधिकारियों द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में सूचित अनुमानित

क्षति इस प्रकार है:- गुम अथवा क्षतिग्रस्त हुई परम्परागत और यंत्रीकृत नौकाएं (68,000), मछली पकड़ने के जाल (2,02,000); क्षतिग्रस्त जलकृषि फार्म (5700 हेक्टेयर); और अंडज उत्पत्तिशाला (57)। झींगा फार्मों और अंडज उत्पत्तिशाला इकाइयों को अनुमानित रूप से क्रमश: 16.42 करोड़ रुपए और 3.01 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त, समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण सुविधाओं को भी क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है। कुछेक अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ खाद्य और कृषि संगठन (एफ ए ओ) ने भी प्रभावित देशों में सुनामी के असर का सर्वेक्षण किया है। रिपोर्ट से भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में व्यापक क्षति होने का संकेत मिलता है।

सरकार बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार एम्पीडा के जरिए समुद्री उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आर्थिक सहायता देने की स्कीमें, स्वास्थ्य और गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु कदम, जल कृषि का विस्तार, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए उत्तम प्रबंधन, प्रथाओं को अपनाने हेतु जल कृषि कृषकों को प्रशिक्षण देना, निर्यात के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता, विपणन सहायता आदि शामिल हैं।

(ज) और (छ) घोषित विदेश व्यापार नीति (2004-09) के वार्षिक अनुबंध में सरकार ने समुद्री क्षेत्र के लिए पहले ही एक पैकेज की घोषणा की है जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:-

(1) पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के 1 प्रतिशत एफ ओ बी मूल्य की सीमा तक विनिर्दिष्ट विशिष्ट निविष्टियों/रसायनों और सुवासित तेलों आदि के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी।

(2) शुल्क की रियायती दर पर ट्यूना फिशिंग के लिए मोनो फिलामेंट लॉग लाइन सिस्टम के आयात की अनुमति।

(3) निर्धारित छीजन मानकों के अध्यधीन लागू होने वाले समुद्री खाद्य अपशिष्ट की सफाई के लिए एक स्वत: सफाई प्रक्रिया।

एम्पीडा द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम निर्यात आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे समुद्री उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार हैं:

वर्ष	समुद्री उत्पादों का निर्यात (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
2002-03	1424.90
2003-04	1330.76
2004-05 (फरवरी, 05 तक (अनंतिम)	1299.88

[हिन्दी]

महिला खेल प्रशिक्षक

3758. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सह-शिक्षा विद्यालयों/महाविद्यालयों में महिला खेल प्रशिक्षकों की काई प्रबंध नहीं है जिसके कारण बालिका खेल प्रतिभा इससे वंचित रह जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में बालिकाओं के बीच खेलों का प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बालिकाओं में खेल प्रतिभा सहित, प्रतिभा का पता लगाया जाता है और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण प्रदान कर के तैयार किया जाता है। विभिन्न योजनाएं निम्नलिखित हैं:

* राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता
* भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र
* उत्कृष्टता केन्द्र
* विशेष क्षेत्र खेल

इसके अतिरिक्त खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजना के एक घटक के रूप में खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं:

(i) वरिष्ठ महिला चैम्पियनशिपों के लिए छात्रवृत्ति, इसके अंतर्गत 1500/- रुपए प्रतिमाह अर्थात 18,000/- रुपए प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(2) भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्र में खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा कर रही महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति, इसके अंतर्गत 7500/- रुपए प्रति पाठ्यक्रम की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(3) शारीरिक शिक्षा में एम.फिल./पी.एच.डी. कर रही महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति, इसके अंतर्गत 10,000/- रुपए प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 3 वर्षों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त सभी योजनाएं सह-शिक्षा स्कूलों/कालेजों की बालिकाओं/महिलाओं के लिए खुली हैं।

[अनुवाद]

भूटान की सीमाओं को सुदृढ़ करना

3759. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूटान में लगी सीमाओं को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भूटान से लगे सीमा क्षेत्रों में कुछ और बटालियनों को तैनात करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। सरकार ने इस सीमा पर सीमा चौकसी बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) को तैनात किया है। भूटान से लगी सीमा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार का और अधिक बलों को तैनात करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्काउट गाइड

3760. श्री अतीक अहमद: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रों के लिए स्काउट गाइड प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के सभी युवाओं और किशारों को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि युवाओं और किशोरों में देशभक्ति और अनुशासन का जज्बा पैदा किया जा सके?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के युवाओं में स्काउट और गाइड आंदोलन के संवर्धन के लिए भारत स्काउट और गाइड, एक पंजीकृत निकाय को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। स्काउट और गाइड में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए संगठन को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि उनके मन में अनुशासन की भावना बिठाई जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट रैकेट

3761. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार पासपोर्ट जारी करने में बिचौलिए की प्रथा को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली, जिसमें श्रीमती गीता देवी कपूर, श्री राजेश वोहरा और श्री रोहित कुमार के नाम से अलग-अलग फोटोग्राफों और हस्ताक्षरों के साथ अतिरिक्त बुकलेट जारी की गई थीं, में हाल में एक जाली पासपोर्ट

रैकेट का पता चला था। केन्द्रीय जांच ब्यूरों, क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय और दिल्ली पुलिस, विशेष शाखा ने इस संबंध में मामले/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की हैं।

(ग) और (घ) प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली के दो कर्मचारी गिरफ्तार किए गए और बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया और विदेश मंत्रालय द्वारा तब से इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है।

(ङ) और (च) पासपोर्टों को जारी करने में कोई बिचौलिए नहीं होते हैं क्योंकि आवेदन, पासपोर्ट कार्यालय को सीधे ही या प्राधिकृत प्रतिनिधियों और मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3762. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री सुरेश कलमाडी:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अभी तक लक्ष्य प्राप्त कर पाई है;

(ग) चालू वर्ष (2004-05) के पहले दस माहों के दौरान कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) तीन वर्षों में अभी तक अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों में प्राप्त हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक स्थिति, बाजार दशा तथा वैश्विक एफ.डी.आई. प्रवाहों द्वारा किया जाता है। सरकार का प्रयास एक उदार और पारदर्शी नीतिगत ढांचा प्रदान करके एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों को इष्टतम करना है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत:मार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है।

(ग) चालू वर्ष (2004-2005) के पहले 10 महीनों अर्थात् अप्रैल 2004 से जनवरी 2005 तक के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह 15832.62 करोड़ रुपये है। अप्रैल 2004-फरवरी, 2005 की अवधि के दौरान एफ.डी.आई. अन्तर्वाह 17401 करोड़ रुपए है।

(घ) वर्ष 2002, 2003 और 2004 में क्षेत्रवार एफ.डी.आई. अन्तर्वाह को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए कलैंडर वर्ष-वार ब्यौरे
जनवरी, 2002 से जनवरी, 2005 तक प्राप्त अन्तर्वाह

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2002 (जनवरी-दिसम्बर) एफ.डी.आई. रुपये में	2003 (जनवरी-दिसम्बर) एफ.डी.आई. रुपये में	2004 (जनवरी-दिसम्बर) एफ.डी.आई. रुपये में	2005 (जनवरी) एफ.डी.आई. रुपये में	योग एफ.डी.आई. रुपये में
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग	209.56	145.45	858.38	30.74	1244.13
2.	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	3107.67	741.85	715.98	32.50	4597.99
3.	बॉयलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20

1	2	3	4	5	6	7
4.	प्राइम मूवर्स इलैक्ट्रकल को छोड़कर	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25
5.	विद्युत उपकरण (साफ्टवेयर तथा इलैक्ट्रानिक्स सहित)	3190.86	1355.01	3966.66	168.58	8681.12
6.	दूरसंचार	909.07	727.26	608.78	64.13	2309.24
7.	परिवहन उद्योग	2124.25	1513.38	806.37	81.83	4525.83
8.	औद्योगिक मशीनरी	78.18	47.67	43.08	0.00	168.93
9.	मशीन उपकरण	65.54	38.55	265.27	1.00	370.36
10.	कृषि मशीनरी	69.68	0.11	0.00	0.00	69.79
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	66.12	0.00	0.52	0.00	66.64
12.	विविध (मैकैनिकल और इंजीनियरिंग)	133.36	191.02	71.73	0.03	396.13
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	12.20	49.55	10.82	47.82	120.38
14.	मेडिकल तथा सर्जिकल उपकरण	117.74	9.91	22.93	0.00	150.58
15.	औद्योगिक उपकरण	4.17	6.20	4.95	0.00	15.31
16.	वैज्ञानिक उपकरण	0.92	0.07	0.14	0.00	1.13
17.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा आरेखन	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
18.	उर्वरक	78.63	99.19	62.00	0.00	239.82
19.	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	579.96	284.91	867.71	34.13	1766.71
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	1.70	2.39	1.28	18.50	23.87
21.	रंजक सामग्री	0.87	2.00	5.42	0.00	8.29
22.	ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स	251.05	279.33	1571.11	5.47	2106.96
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	220.39	83.82	178.48	0.85	483.54
24.	कागज उत्पाद सहित, कागज तथा लुगदी	54.46	33.77	17.56	0.00	105.79
25.	चीनी	19.08	0.25	13.51	0.00	32.84
26.	किण्वन उद्योग	37.63	9.12	33.94	7.71	88.39
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	946.96	307.63	369.02	13.50	1637.11
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	0.00	5.55	27.14	16.13	48.82

1	2	3	4	5	6	7
29.	साबुन, सौंदर्य और टॉयलेट प्रसाधन	0.00	0.00	4.09	0.00	4.09
30.	रबड़ की वस्तुएं	222.10	83.41	201.26	0.32	507.09
31.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	0.35	32.17	2.04	0.00	34.56
32.	ग्लू और जिलेटिन	29.58	0.00	0.00	0.00	29.58
33.	कांच	215.06	25.09	38.47	0.00	278.63
34.	सिरेमिक	1.39	6.60	120.82	2.13	130.94
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	110.35	44.04	0.73	0.00	155.12
36.	काष्ठ उत्पाद	0.00	0.70	0.07	0.00	0.77
37.	परामर्शदायी सेवाएं	100.30	248.03	1184.35	5.48	1538.16
38.	सेवा क्षेत्र	1543.14	1390.36	1145.58	65.41	4144.49
39.	होटल तथा पर्यटन	223.79	259.42	152.72	19.07	655.01
40.	ट्रेडिंग	182.42	83.15	68.22	1.54	335.32
41.	विविध उद्योग	1214.81	1456.86	1340.03	50.22	4061.91
42.	शेयरों की प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.	अन्तर्वाह का अग्रिम	1977.12	1880.76	2485.15	933.13	7276.16
44.	विनिमय स्टॉक	84.00	172.50	0.00	0.00	256.50
45.	एनआरआई-आरबीआई योजनाएं	11.08	0.00	0.00	0.00	11.08
	कुल योग	18195.56	11617.26	17266.52	1600.20	48679.54

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों की तरह सीमा सुरक्षा बल को सुविधाएं देना

3763. **श्री थावर चन्द्र गेहलोत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सीमा पर तैनात अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को दी जा रही सुविधाओं की तरह सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) सीमा प्रबंधन संबंधी मंत्रियों के ग्रुप की सिफारिशों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में राशन भत्ता और 12000 फुट से अधिक ऊंचाई वाली फार्वर्ड डिफेंडेड लोकेलिटीज (एफ डी एल) में सेना के कार्मिकों को मिलने वाली राशन की 12 विशेष वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को, सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के कार्मिकों को मिलने वाले डिटैचमैंट भत्ते और रिमोट भत्ते के समान ही

तदनुरूपी भत्ते भी मिलते हैं यद्यपि इन भत्तों की दरें सेना के कार्मिकों को मिलने वाले भत्तों की दरों से भिन्न होती हैं। सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों या केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों को नए भत्ते मंजूर करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

प्रमुख संपत्तियों के पट्टे को निरस्त करना

3764. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **शहरी विकास मंत्री** 14 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2212 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्रित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां।

(ख) से (घ) 1947 से पहले पट्टे पर दी गई और भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा प्रबंधित रिहायशी/वाणिज्यिक संपत्तियों, जिनकी 1975-85 अवधि के दौरान पुन: प्रविष्टि की गई, का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	संपति संख्या	पुन: प्रविष्टि की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	23, कर्जन रोड	22.12.82	दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन
2.	जी-7 कनॉट प्लेस	3.2.1975	सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत शुरू की गई कार्रवाई
3.	6 टोडरमल रोड	31.3.1975	पीपीई अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

ये सभी मामले इस समय न्यायाधीन हैं। पूर्व पट्टेदार को किराएदार द्वारा किराए, यदि हों, के भुगतान अथवा पॉवर ऑफ अटार्नी पर आधारित संपत्तियों के किसी भी लेन-देन आदि के ब्यौरे, पुन: प्रविष्टि वाली संपत्तियों के मामले में नहीं रहे जाते हैं।

[हिन्दी]

तालकटोरा तरणताल

3765. श्री सज्जन कुमार: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षकों की कमी के कारण दिल्ली में तालकटोरा तरणताल में युवाओं को प्रशिक्षण देने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तरणताल में प्रशिक्षकों की स्वीकृत संख्या कितनी है और वर्तमान में कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, विशेषकर राष्ट्रमंडल खेल 2010 के मद्देनजर क्या प्रबंध किए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं। वर्ष 2004-05 के दौरान, नियमित प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 275 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया था इसके अलावा "शुल्क देकर खेलें" योजना के अंतर्गत लगभग 163 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

(ख) प्रत्येक तरणताल के लिए कोई विशिष्ट स्वीकृत पद नहीं है। वर्तमान में, तालकटोरा तरणताल में पांच तैराकी प्रशिक्षक तैनात हैं।

(ग) प्रशिक्षकों की तैनाती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की मांग की आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित होती है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर मामले की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

रोटरडम कन्वेंशन

3766. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित रोटरडम कन्वेंशन की अभिपुष्टि करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी अभिपुष्टि करने से पूर्व कोई बैठक बुलाई है;

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में की गई चर्चाओं और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमत प्रक्रिया (पी आई सी) को लागू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता दस्तावेज के लिए रोटरडम कंवेशन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक कोर ग्रुप का गठन किया था। इस कोर ग्रुप में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कंवेशन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस ग्रुप ने इस कंवेशन में शामिल होने के लिए सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की।

संबंधित मंत्रालयों ने भी इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कंवेशन का अनुसमर्थन करने/इसमें शामिल होने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। कंवेशन में शामिल होने का दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में जमा करने के लिए विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है।

चाय उद्योग संकट

3767. **श्री राजेन्द्र कुमार:**
श्री नकुल दास राई:
श्री मणीकुमार सुब्बा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में चाय उद्योग कोयले की कमी के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चाय उद्योग पर कुल कितना कर लगाया गया और कितना वास्तविक उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क अर्जित किया गया; और

(घ) इन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर के त्वरित विकास और अन्यथा हेतु 10 प्रतिशत योजना बजट के अंतर्गत चाय उद्योग को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एनईसी) द्वारा चाय उद्योग को कोयले की सीधी बिक्री बंद किए जाने के कारण असम में अनेक चाय बागान, जो कोयले पर निर्भर हैं, गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार कोल इंडिया ने यह निर्णय लिया है कि एनईसी का समग्र कोयला ई-नीलामियों के जरिए बेचा जाएगा। एनईसी के कोयले की दो ई-नीलामियां की जा चुकी हैं तथा आगे ई-नीलामियों की योजना भी बनाई जा रही है। बागान संघों की परामर्शदात्री समिति (सीसीपीए) से अनुरोध किया गया है कि वह अपने सदस्य चाय बागानों को ई-नीलामियों में भाग लेकर कोयले की अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की सलाह दें।

(ग) चाय के उत्पादन पर कोई सीमाशुल्क नहीं है। अन्य करों और शुल्कों के संबंध में, सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) विभिन्न योजना स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु चाय बोर्ड के लिए 10वीं योजना हेतु अनुमोदित कुल 350 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 10वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि निर्दिष्ट की गई है। 10वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में निधियों के वितरण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वितरण	2002-2003	2003-2004	2004-2005
कुल	65.06	47.49	86.18*
पूर्वोत्तर क्षेत्र	31.79	25.01	34.52*
कुल राशि का प्रतिशत	49%	53%	40%

*अनुमानित संशोधन के अध्यधीन।

शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण

3768. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक नई योजना लाई है जिसके अनुसार 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं और कुछ केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित संस्थानों में भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों/व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों हेतु 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों/व्यक्तियों तथा अप्रवासी भारतीयों के लिए 15% सीटें आरक्षित की जाती हों। तथापि, एम इ ए/सी टी एस ए तथा आई सी सी डब्ल्यू के माध्यम से मनोनीत विदेशी छात्रों के लिए डिग्री स्तर पर 397 सीटें तथा डिप्लोमा स्तर पर 78 सीटें आवंटित की जाती है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों/व्यक्तियों/खाड़ी देशों में भारतीय क्षमिकों के बच्चों के लिए अतिरिक्त कोटे के अंतर्गत प्रवेश) विनियम, 2004 के अंतर्गत इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा टाऊन प्लानिंग, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त आर्ट्स, एम बी ए तथा एम सी ए, होटल प्रबन्धन तथा कैटरिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों के सिलसिले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालय के विभागों में 15% सीटें, अनुमोदित प्रवेश के अतिरिक्त, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों/व्यक्तियों/खाड़ी देशों में भारतीय क्षमिकों के बच्चों में से अतिरिक्त आधार पर स्वीकृत की जाएंगी, बशर्ते कि 15% की एक तिहाई सीटें शिक्षण संस्था के विभिन्न संकायों में खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएं। तथापि, एक तिहाई श्रेणी में से कोई रिक्त सीट भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी नागरिकों के लिए अभिप्रेत दो तिहाई कोटे को लौटा दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालयों के विभागों में विदेशी छात्रों के प्रवेश हेतु 15% अतिरिक्त स्थान निर्धारित किया है जिसमें से 5% सीटें खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय क्षमिकों के बच्चों के लिए निर्धारित की जाती हैं।

व्यापार विस्तार

3769. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की आर्थिक नीति के परिणाम आने आरंभ हो गए हैं और भारत का अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार में महत्वपूर्ण विस्तार इन देशों के साथ निकट संबंधों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है;

(ख) क्या चीन हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है;

(ग) क्या पावरफूल पैन एशियन इकोनोमिक ग्रुपिंग जेएसीआईके (जापान एशियन चाइना एंड कोरिया) की रूपरेखा तेजी से सामने आ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत और चीन ने जनवरी, 2005 में नई दिल्ली में अपनी सबसे पहली सामरिक वार्ता की है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत और चीन दोनों किसी सीमा तक जेएसीआईके के बीच अपने व्यापार में सहयोग और सुधार करने के लिए सहमत हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) चीन सहित अपने पड़ोसी देशों के साथ दीर्घावधि एवं सतत धारणीय आर्थिक संबंध बनाने का सरकार का निरंतर प्रयास रहता है।

(ग) जेएसीआईके जैसे एक पैन एशियाई आर्थिक समूह की अवधारणा अलग-अलग मंचों पर विचाराधीन आसियान प्लस 1, आसियान प्लस 3 आदि जैसे इसी प्रकार के अनेक सुझावों में से एक है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पुलिस बल आधुनिकीकरण

3770. श्री विक्रम केशरी देव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा मे पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए राज्य को बी-2 राज्य से बी-1 राज्य की श्रेणी में रखने हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने की योजना में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें उड़ीसा सहित ख-2 श्रेणी के राज्यों के संबंध में 60% केन्द्रीय निधि को बढ़ा कर 75% करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रतिबंधित क्षेत्र अनुमति

3771. **श्री खीरिन रिजीजू:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विदेशियों को प्रतिबंधित क्षेत्र अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है;

(ख) क्या सरकार इस शर्त में छूट देने पर विचार कर रही है ताकि विदेशी पर्यटक असानी से यात्रा कर सके; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों और सिक्किम के कुछ भागों में प्रवेश करने और ठहरने के लिए विदेशियों को प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आर ए पी) प्राप्त करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पी ए पी), जो देश के कुछ अन्य भागों में विदेशियों के प्रवेश और आवाजाही को प्रतिबंधित करती है, भी लागू है।

(ख) और (ग) आर ए पी/पी ए पी व्यवस्था की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्र सरकार के विचारार्थ अपने प्रस्ताव/सुझाव प्रस्तुत करें।

जनजातीय क्षेत्रों में आशुलिपि, टंकण एवं कंप्यूटर केन्द्र

3772. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनेक राज्यों में कुछ जनजातीय क्षेत्रों में आशुलिपि, टंकण एवं कंप्यूटर केन्द्रों की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या ऐसे केन्द्रों को बीच में सहायता देना बंद कर दिया गया है और इन केन्द्रों की सहायता कर रहे गैर-सरकारी संगठन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों को जारी रखने और जनजातियों को कंप्यूटर और आशुलिपि प्रशिक्षण देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी आर. खिन्डिया): (क) से (ङ) जनजातीय क्षेत्रों में टंकण एवं आशुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों और कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों सहित क्रियान्वयन हेतु परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। गैर सरकारी संगठनों की सभी चल रही परियोजनाओं के लिए गठित परियोजना जांच समिति ने वर्ष 2004-05 के दौरान जारी रखने हेतु निर्धारित मानदण्डों के आधार पर कई परियोजनाओं का अनुमोदन किया है, जिसमें विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों सहित ऐसी 23 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों से ऐसे जनजातीय क्षेत्रों एवं क्रियाकलापों की पहचान करने का अनुरोध किया है, जिन पर गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

व्यापार पर वैट का प्रभाव

3773. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैट प्रणाली के लागू होने से देश के आयात-निर्यात व्यवसाय के प्रभावित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और उपर्युक्त प्रणाली देश में कब तक पूरी तरह से लागू किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के. एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) देश से किए जाने वाले सभी निर्यातों के लिए राज्यों के भीतर अदा किये गये कर का पूर्ण रूपेण वापसी भुगतान करना होता है। इसे ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि निर्यात और अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगे।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1 अप्रैल, 2005 से कार्यान्वित की गई मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली (वैट) एक राज्य का विषय है। इसलिए इस मामले पर पुन: विचार करने और देश में उक्त प्रणाली को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए संभावित समय से संबंधित कोई निर्णय लेना संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

पुलिस बल द्वारा अपराध

3774. श्री गिरिधारी यादव:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में पुलिसकर्मियों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है जैसाकि मीडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार सामने आए आपराधिक मामलों की संख्या माह-वार एवं पुलिस स्टेशन-वार कितनी है;

(ग) ऐसे अपराधों में वृद्धि के क्या कारण है;

(घ) सरकार द्वारा राजधानी के पुलिस बल को अनुशासित बनाने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) 2002, 2003, 2004 और 2005 (31 मार्च तक) के दौरान मामलों की संख्या और अपराध करने में संलिप्त दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। 2002, 2003, 2004 और 31 मार्च, 2005 तक के दौरान सूचित किए गए माह-वार और पुलिस स्टेशन-वार मामलों का ब्योरा तथा उन मामलों में संलिप्त दिल्ली पुलिस कार्मिकों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को आपराधिक कृत्यों में संलिप्त होने से रोकने के लिए किए गए उपायों में गश्त लगाने की ड्यूटी और पुलिस पिकटों में तैनात किए गए कार्मिकों के क्रियाकलापों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक जांच करना; संदिग्ध चरित्र वाले पुलिस कार्मिकों पर नजर रखना; आपराधिक मनोवृत्ति वाले पुलिस कार्मिकों को गैर-संवेदनशील पदों पर स्थानांतरित करना; उन कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई करना जिन्हें आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त पाया गया हो; पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतों को सीधे ही संयुक्त पुलिस आयुक्त ओर इससे उच्च रैंक के अधिकारियों द्वारा निपटाना; पुलिस कार्मिकों पर कड़ी नजर रखने के लिए जिलों/यूनिटों में लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना; जो पुलिस कार्मिक संवेदनशील पदों पर तैनात हो उनकी आपराधिक गतिविधियों पर सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी रखना; पुलिस कार्मिकों द्वारा शोषण किए जाने के विरुद्ध शिकायत करने के लिए आम जनता को दूरभाष संख्या 23319922 और पोस्ट बॉक्स संख्या 171 की सुविधा प्रदान करना; जिलों के पुलिस उपायुक्त द्वारा शिकायत रजिस्टर रखना; और ई-मेल के माध्यम से भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायत करने के लिए आम जनता को सुविधा प्रदान करना शामिल है।

विवरण-I

2002		2003		2004		2005 (31 मार्च तक)	
मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या
83	104	85	110	83	93	14	15

विवरण-2

क्र.सं.	पुलिस स्टेशनों के नाम	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
		मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या	मामलों की संख्या	संलिप्त पुलिस कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
											वर्ष 2002														
पूर्वी जिला																									
1.	न्यू अशोक नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	मयूर विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	प्रीत विहार	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
4.	शकर पुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
नई दिल्ली जिला																									
1.	पं. मार्ग	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	तिलक मार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
उत्तर पूर्वी जिला																									
1.	भजनपुरा	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	गोकुलपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	खजूरी खास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
4.	एस.एस. मार्क	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
केन्द्रीय जिला																									
1.	दरियागंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	कमला मार्केट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
3.	पहाड़ गंज	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4.	डी.बी.जी. रोड	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरी जिला																									
1.	सिविल लाईन	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	मॉरीश नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3.	सब्जी मंडी	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	गुलाबी बाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बड़ा हिन्दू राव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6.	कश्मीरी गेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	लाहोरी गेट	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	चांदनी चौक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरी पश्चिमी जिला																									
1.	अशोक विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	केशव पुरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सरस्वती विहार	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	माडल टाऊन	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	मुखर्जी नगर	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	नरेला औद्योगिक क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
7.	अली पुर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	समयपुर बादली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	बवाना	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जहांगीरपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0
11.	रोहिणी विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
12.	प्रशांत विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	सुल्तानपुरी	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
14.	मंगोलपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15.	कांझेवाला	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
दक्षिणी दिल्ली																									
1.	मालविय नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
2.	मेहरौली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.	श्रीनिवासपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4.	न्यू फ्रेंडस कॉलोनी	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	संगम विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
6.	कालकाजी	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिणी-पश्चिमी जिला																									
1.	आनंद पर्वत	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	मोती नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	विकासपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	उत्तर नगर	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	नांगलोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा																									
1.	विशेष प्रकोष्ठ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.	नारकोटिक्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	10	10	5	7	4	4	7	8	7	7	9	11	8	8	8	15	6	9	5	6	10	15	4	4

वर्ष 2003

पूर्वी जिला																									
1.	पांडव नगर	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	विवेक विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	प्रीत विहार	1	2	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
नई दिल्ली जिला																									
1.	चाणक्यपुरी	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2.	तुगलक रोड	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3.	कनाट प्लेस	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर-पूर्वी जिला																									
1.	भजनपुरा	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	गोकुलपुरी	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	खेजूरी खास	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सन्दरा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	एम.एस. पार्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	सीमापुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
7.	नन्द नगरी	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
केन्द्रीय जिला																									
1.	दरियागंज	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	कमला मार्केट	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	आई.पी. स्टेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	करोल बाग	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरी जिला																									
1.	सिविल लाईन	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
2.	लाहोरी गेट	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर-पश्चिमी जिला																									
1.	केशवपुरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	मॉडल टाऊन	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	मुखर्जी नगर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	नरेला औद्योगिक क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
5.	अलीपुर	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	बवाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
7.	शालीमार बाग	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	प्रशान्त विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
9.	सुल्तानपुरी	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10.	मंगोलपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कांझेवाला	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0
दक्षिणी जिला																									
1.	मालवीय नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2.	मेहरौली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3.	लोधी कॉलोनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	अम्बेडकर नगर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
5.	बदरपुर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर-पश्चिमी जिला																									
1.	नारायणा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	नजफगढ़	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	कापसहेड़ा	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	डाबरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
पश्चिमी जिला																									
1.	जनकपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	उत्तम नगर	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	पंजाबी बाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0
4.	पश्चिम विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	नांगलोई	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई हड्डा																									
1.	विशेष प्रकोष्ठ	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	9	10	8	10	8	11	9	11	8	12	3	7	14	17	11	11	6	6	5	9	0	0	4	6
											वर्ष 2004														
पूर्वी जिला																									
1.	कल्याणपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	मयूर विहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3.	मंडावली	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4.	फर्स बजार	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	शकरपुर	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											नई दिल्ली जिला														
1.	चाणक्यपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.	तिलक मार्ग	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर-पूर्वी जिला																									
1.	भजनपुरा	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	एम.एस. पार्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3.	नन्द नगरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
केन्द्रीय जिला																									
1.	दरियागंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	हौज काजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	करोल बाग	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरी जिला																									
1.	सिविल लाईन	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	6	0	0	0	0
2.	रूप नगर	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	कश्मीरी गेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर-पश्चिमी जिला																									
1.	मॉडल टाऊन	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2.	मुखर्जी नगर	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3.	नरेला औद्योगिक क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	अली पुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5.	समयपुर बादली	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	बवाना	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	जहांगीरपुरी	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8.	रोहिणी	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9.	प्रशान्त विहार	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	सुल्तानपुरी	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	मंगोलपुरी	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कांझेवाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
	दक्षिणी जिला																								
1.	हौज खास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
2.	डिफेंस कॉलोनी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3.	लोधी कॉलोनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4.	श्रीनिवास पुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	कालकाजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6.	ओखला	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दक्षिण-पश्चिमी जिला																								
1.	नजफगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	कापसहेड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	डाबरी	2	1	2	-	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4.	द्वारका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
5.	जफरपुर कलान	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	पश्चिमी जिला																								
1.	जनकपुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2.	विकास पुरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	1
3.	नांगलोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	रेलवे																								
1.	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा																								
1.	विशेष प्रकोष्ठ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	कुल	8	7	7	5	5	5	7	8	5	6	7	8	14	17	3	3	5	7	13	17	2	2	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
											वर्ष 2005 (31 मार्च तक)														
उत्तर-पूर्वी जिला																									
1.	गोकुलपुरी	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	एम.एस. पार्क	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	नन्द नगरी	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
केन्द्रीय जिला																									
1.	दरियागंज	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आई.पी. स्टेट	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरी जिला																									
1.	रूप नगर	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	सब्जी मंडी	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर-पश्चिमी जिला																									
1.	सरस्वती विहार	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	मंगोलपुरी	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	कांझेवाला	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिणी-जिला																									
1.	हजरत निजामुद्दीन	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिणी-पश्चिमी जिला																									
1.	आर.के. पुरम	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेलवे																									
1.	दिल्ली मेट्रो	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	5	5	5	5	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

रबड़ का आयात

3775. श्री पी.सी. थामस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन निर्यात और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्यात में वृद्धि करने और आयात में कमी करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या कतिपय औद्योगिक उत्पादों के कच्चे माल के सीमा शुल्क में कमी करने से प्राकृतिक रबड़ (क्रम्प रबड़, लेटेक्स, ब्लाक रबड़, अथवा रबड़ शीट्स) पर दुष्प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाए किए गए हैं;

(ङ) क्या सीमाशुल्क में कमी से प्राकृतिक रबड़ के आयात में वृद्धि होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के लिए प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, निर्यात और आयात का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(मात्रा टन में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	आयात
2002-2003	649,435	55,311	26,217
2003-2004	711,650	75,905	44,199
2004-2005 (अनन्तिम)	750,000	45,815	66,198

(ख) प्राकृतिक रबड़ का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार/रबड़ बोर्ड ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें प्राकृतिक रबड़ के निर्यात संवर्धन की एक स्कीम का कार्यान्वयन, विभिन्न देशों को निर्यात की संभावना का पता लगाना, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का प्रायोजन और व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों आदि में भाग लेना शामिल हैं।

देश में आने वाली घटिया रबड़ के आयात को रोकने के लिए भारत मानक ब्यूरो (बीआईएस) की विनिर्दिष्टताओं को आयातित रबड़ पर भी लागू कर दिया गया है।

(ग) से (च) सीमाशुल्क की वर्तमान दरों से (रबड़ की सूखी किस्मों के लिए 20% और लेटेक्स के लिए 70%) विद्यमान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्राकृतिक रबड़ के अधिक आयात की संभावना नहीं है।

अर्द्ध-सैनिक बलों को सेवाकालीन और सेवानिवृत्ति लाभ

3776. **श्री पी. मोहन**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को रक्षा कार्मिकों के समान सेवा-कालीन लाभ और सेवानिवृत्ति लाभ देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। अर्द्ध-सैनिक बलों और रक्षा कार्मिकों को सेवा-कालीन और सेवानिवृत्ति लाभ अलग-अलग नियमों के तहत शासित किए जाते हैं।

आबंटितियों को विलंब से कब्जा देना

3777. **श्री मुन्शी राम**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में, विशेषकर द्वारका में कुछ कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां अपनी सुविधानुसार अव्यवस्थित निर्माण कार्य कर रही हैं जिसमें आबंटितियों को फ्लैटों को कानूनी कब्जा मिलने में विलंब हो रहा है और जिसके फलस्वरूप वे किराये के घरों में रहने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपने फ्लेटों का पूरा भुगतान काफी पहले करने वाले आबंटितियों को आवश्यक राहत पहुंचाने हेतु उक्त दोषी सोसायटियों और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कठोर और त्वरित कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):(क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि द्वारका सहित दिल्ली में कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में भवनों में अनधिकृत निर्माण के संबंध में विशिष्ट मामलों में सूचना मिलने पर सुधार और विनियमन के लिए दिल्ली मास्टर प्लान, 2001, भवन उप-नियमों तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के मानदण्डों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

कर्नाटक को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अनुदान

3778. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर**: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अनुदान आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है क्योंकि वर्ष 2001-02 से कर्नाटक को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भारी कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान कर्नाटक को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले वित्तीय आबंटन में कमी करने के क्या मुख्य कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को अतिरिक्त निधियां जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस धनराशि को जारी करने हेतु अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) योजना आयोग/वित्त मंत्रालय द्वारा स्कीम के लिए उपलब्ध कराई गई कुल धनराशि के आधार पर तथा एनएसएसओ सर्वेक्षण के जरिये योजना आयोग द्वारा लगाये गए अनुमान के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी गरीब लोगों की संख्या के आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत राज्यवार आबंटन किया जाता है। स्कीम के लिए कुल आबंटन वर्ष-दर वर्ष भिन्न होता है। तदनुसार राज्यवार आबंटन भी भिन्न-भिन्न होता है। वर्ष 2004-05 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कर्नाटक को अनन्तिम आवंटन 565.15 लाख रुपए था।

(घ) से (ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार ने 12.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया था। धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 565.15 लाख रुपए के अनन्तिम आवंटन के अलावा 6.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि राज्य को जारी की गई थी।

प्रवासियों को नागरिकता

3779. श्री टी.के. हमज़ा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पाकिस्तान से आए कितने प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है;

(ख) केरल में रह रहे पाकिस्तानी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान से आए प्रवासियों और विस्थापित/बेदखल हुए लोगों के लिए एक स्थायी प्रकोष्ठ गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) वर्ष 2002, 2003 और 2004 में जिन पाकिस्तानी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है उनकी संख्या क्रमश: 1072, 723 और 799 है। इन आंकड़ों में, 28.2.2004 से राजस्थान और गुजरात राज्यों को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अधीन इन राज्यों द्वारा प्रदान की गई भारतीय नागरिकता की संख्या शामिल नहीं है। इस बारे में राज्य-वार आंकड़े नहीं रख जाते हैं।

(ख) भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया, नागरिकता नियम, 1956, जो केरल सहित पूरे भारत पर लागू है, में निर्धारित की गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

एन.सी.टी.ई. के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

3780. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कार्यरत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन सी टी ई) के कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में विशेषकर बिहार में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यालयों की स्थापना करने हेतु पहचान किए गए स्थान, स्थल-वार कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार में 20 कम्प्यूटर केन्द्र और उर्दू प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दरभंगा में मौलाना आजाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उपरोक्त सभी केन्द्रों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) दिल्ली में मुख्यालय के अलावा 4 क्षेत्रीय समिति कार्यालय है।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अनुसार यदि परिषद् को आवश्यक लगे तो केन्द्र सरकार के अनुमोदन से वह ऐसी अन्य क्षेत्रीय समितियों की, जिन्हें यह उचित समझे, स्थापना कर सकती है। किसी अन्य क्षेत्रीय समिति की स्थापना का प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) बिहार में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना के लिए अभी तक राष्ट्रीय उर्दू भाषा तरक्की परिषद् द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, दरभंगा में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित कर दिया गया है, जो फरवरी, 2005 से काम कर रहा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण खेल-कूद कार्यक्रम

3781. डा. के. धनराजू: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं को उभारने के विचार से वर्ष 1970-71 में ग्रामीण खेल-कूद कार्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई गतिविधि नहीं चलाई जाती और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कोई टूर्नामेंट आयोजित नहीं किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आयोजित किए गए ग्रामीण टूर्नामेंटों और राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 31.3.2004 तक, राज्य/केन्द्र शासित सरकार द्वारा ब्लाक और जिला स्तर पर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट अपने संसाधनों से आयोजित किए जाते थे। संशोधित योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय टूर्नामेंटों के लिए 30,000/ रुपये प्रति खेल विधा की वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से और गैर सरकारी संगठनों/- नेहरू युवा केन्द्र संगठन को सीधे भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तथापि, टूर्नामेंट केवल राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए। तथापि, अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। यही राज्य सरकार एजेंसियों को इन टूर्नामेंटों के लिए खिलाड़ी चयन करने में सहायता भी प्रदान करती है। तमिलनाडु लगभग सभी अखिल भारतीय खेल टूर्नामेंटों में भाग लेता रहा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण टूर्नामेंटों को ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय स्तरीय खेलों के लिए चयनित तामिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण-I

वर्ष	समूह	दिनांक	स्थान	सहभागियों की की संख्या
1	2	3	4	5
2002-03	समूह-1	24-27 नवंबर, 2002	आनंदपुर साहिब (पंजाब)	1143
	समूह-2	15-18 दिसंबर, 2002	देवेनगिरी (कर्नाटक)	1386
				कुल: 2529
2003-04	समूह-1	8-11 जनवरी, 2004	पांडिचेरी	982
	समूह-2	14-17 नवंबर, 2003	सिलीगुड़ी (प. बंगाल)	906

1	2	3	4	5
	समूह-3	3-6 जनवरी, 2004	रांची (झारखण्ड)	1114 कुल: 3002
2004-05	समूह-1	13-16 जनवरी, 2005	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	1001
	समूह-2	16-19 दिसंबर 2004	आगरा (उ.प्र.)	1046
	समूह-3	4-7 जनवरी, 2005	कोरबा (छत्तीसगढ़)	1052
				कुल: 3099

विवरण-II

राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए चयन किए गए तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों की संख्या

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल
1	2	3
	वर्ष 2002-03	
1.	पी. गायत्री	वालीबाल
2.	एस. प्रिया	वालीबाल
3.	ए. सरिता	वालीबाल
4.	ए. गौरी	वालीबाल
5.	बकिया राज	धालीबाल
6.	बालसुबमणयम	वालीबाल
7.	सुरेश	वालीबाल
8.	राजा पंडी	वालीबाल
9.	विगेश	एथलेटिक्स
10.	पी. दिव्या प्रिया	एथलेटिक्स
11.	पी. राधिका	एथलेटिक्स
12.	आर. सुगन्या	एथलेटिक्स
13.	ए. अनितहम	एथलेटिक्स
14.	आर. एसाक्की	कबड्डी
15.	एन. प्रकाश	कबड्डी
16.	बेबी संगीता	हाकी
17.	एस. धनलक्ष्मी	हाकी
	वर्ष 2003-04	
1.	टी. विनोथ	खो-खो
2.	एस. विवेकी	खो-खो
3.	आर. विजयानंद	खो-खो
4.	पी. इलामथ्थी	खो-खो
5.	एन. मुथामिल	खो-खो
6.	रसना	हाकी
7.	जे. कलैवानी	हाकी
8.	एम. जी. सारन्या	हाकी
9.	जी. मंजुनाथम	भारोत्तोलन
10.	एम. थंगराज	भारोत्तोलन
11.	डी. कालेदन तेंजिंग	फुटबाल
12.	डी. सेल्या प्रभु	वालीबाल
13.	एस. सुरेश कुमार	वालीबाल
14.	आर. जी. रामा सुबमणियम	वालीबाल

1	2	3
15.	आर. इलायसम	वालीबाल
16.	सी. माथिलगम	वालीबाल
	वर्ष 2004-05	
1.	ए. मरियप्पम	भारोत्तोलन
2.	बी. गोपाल कृष्ण	एथलेटिक्स
3.	एस. सारनाथ कुमार	एथलेटिक्स
4.	सी. निखिल चित्रारोश	एथलेटिक्स
5.	पी. पेटचियाम्मल	एथलेटिक्स
6.	पी. जमित शिरी	एथलेटिक्स
7.	एस. सुवेशनी	एथलेटिक्स
8.	शकुंतला देवी	एथलेटिक्स

राष्ट्रीय युवा उत्सव

3782. श्री के.एस. राव:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हैदराबाद में दसवां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उत्सव पर कितना व्यय किया गया तथा आयोजित स्थल के बारे में भाग लेने वाले लोगों द्वारा अभिव्यक्त विचारों का सार क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) 10वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 21 से 25 फरवरी, 2005 तक हैदराबाद में आयोजित किया गया था। सामान्यतया, यह महोत्सव, 12 से 16 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की वर्षगांठ की याद में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष, महोत्सव को सुनामी आपदा के कारण स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव एक बृहत राष्ट्रीय एकीकरण शिविर है। इस महोत्सव में, आंध्र प्रदेश सहित समूचे देश के 5451 सहभागियों ने विभिन्न प्रतियोगितात्मक, गैर-प्रतियोगितात्मक प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। 21 फरवरी, 2005 का उद्घाटन समारोह के दौरान, समुदाय के लिए उत्कृट कार्य हेतु 25 व्यक्तियों तथा एक स्वैच्छिक संगठन को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए।

योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार तथा मेजबान राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में व्यय का वहन करते हैं बशर्ते केन्द्र सरकार के अनुदान की अधिकतम सीमा 1.00 करोड़ रु. तक हो। महोत्सव के आयोजन पर लगभग 3.50 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की गयी। केन्द्र सरकार ने महोत्सव के आयोजन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 1.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए थे। महोत्सव के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों तथा साहसिक गतिविधियों के आयोजन के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा बैलूनिंग इंडिया एसोसिएशन को 31,14,026/ रु. की धनराशि स्वीकृत की गया थी।

महोत्सव में भाग लेने वाले सहभागियों ने महोत्सव के दौरान केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्थान तथा किये गए अन्य प्रबंधों के बारे में अपना संतोष व्यक्त किया।

[हिन्दी]

व्यापार उदारीकरण नीति

3783. श्रीमती अनुराधा चौधरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत सरकार से सेवा क्षेत्र से संबंधित अपने प्रस्ताव को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार व्यापार उदारीकरण नीति को तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यूरोपीय संघ ने भारत सरकार को भारत के चीनी निर्यात कोटे में वृद्धि करने का आश्वासन दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सेवाओं में दोहा दौर की

वार्ताओं के अंतर्गत यूरोपीय संघ (ईयू) सहित सदस्यों द्वारा उनके व्यापारिक भागीदारों के बाजारों में और अधिक पहुंच हेतु अनुरोधों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। वार्ताओं में इन अनुरोधों एकल वचनबद्धता का भाग माना जाता है।

(ग) और (घ) विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य विश्व व्यापार में भारत के हिस्से को बढ़ाना है और यह मुख्यत: भारत के विदेश व्यापार के विकास हेतु एक मार्गदर्शिका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनशील अनिवार्य परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इसे निरन्तर अद्यतन किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्राम सभा की भूमि से अतिक्रमण हटाना

3784. श्री विजय कृष्ण: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कब्जा वारंट प्राप्त किए बिना ग्राम सभा की भूमि से हटाए गए अतिक्रमणों की संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ में फुटपाथ कामगार

3785. श्री पवन कुमार बंसल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कुछ समय पूर्व जूता मरम्मत, साईकिल मरम्मत के कार्य में लगे लोगों, नाईयों, धोबियों, रंगरेजों इत्यादि जैसे छोटे व्यवसाय में लगे फुटपाथ कामगारों का सर्वेक्षण कराया था;

(ख) चंडीगढ़ में उक्त व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उन लोगों को अलग किए जा सकने वाले डिसमेंटेबल बूथ आबंटित करने का प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान। 1998 में ऐसा सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) 2274

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) 2002 की सी डब्ल्यू पी सं. 6206 में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003 में फुटपाथ कामगारों को बूथ प्रदान करने की योजना रद्द कर दी गई थीं। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा और उन लोगों, जिन्होंने सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है या जिन्होंने विशिष्ट लोक प्रयोजनार्थ विधिसम्मत अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा कर रखा है, को विकल्प स्थल के आबंटन हेतु नियम/योजनायें तैयार करेगा।

[हिन्दी]

जासूसी

3786. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मुन्शी राम:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना ब्यूरो ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में जासूसी गतिविधियों में शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने असूचना ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या दिसम्बर, 2004 के मध्य में दोनों देशों के रेंजरों के बीच बैठक हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में सीमा सुरक्षा बल और असूचना ब्यूरो के बीच सहयोग के अभाव की बात आयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलबध रिपोर्टों के अनुसार, हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में निष्क्रिय किए गए जासूसी माडयूल्स के संचालक आई एस आई के कार्यकर्ता तथा पाक रक्षाबलों के आसूचना एजेंट पाए गए हैं।

(ग) पाक आई.एस.आई. समर्थित आतंकवाद तथा जासूसी गतिविधियों को समाप्त करने के उद्देश्य से, सरकार ने बहुउद्देशीय दृष्टिकोण अपनाया है जिससे कूटनीतिक पहलों के अलावा घुसपैठ की रोकधाम के लिए सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, केन्द्र और राज्यों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार तथा उपकरण उपलब्ध करवाना, समन्वित आसूचना आधारित आपरेशनों के द्वारा आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र विरोधी तत्वों/आई एस आई एजेन्टों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल है।

(घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) से (छ) आसूचना ब्यूरो सहित सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक समान काल दर और एकीकृत परिवहन प्रणाली

3787. श्री अखिलेश यादव:
श्री सीता राम यादव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 33000 वर्ग कि.मी. के लिए एक समान काल दर और एकीकृत परिवहन प्रणाली पर विचार करने हेतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन दो आवश्यक जन सेवाओं के पुनरीक्षण के लिए बोर्ड की मांग पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने यह बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक समान कॉल दरों तथा एकीकृत परिवहन प्रणाली से संबंधित मसले पर विभिन्न मंचों (फोरम) पर चर्चा की गयी। एक समान कॉल दरों से संबंधित मसले को दूर संचार विभाग, भारत सरकार के साथ उठाया गया था जिन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एकीकृत रेल सह बस परिवहन प्रणाली के संबंध में तीन कॉरीडोरों अर्थात शाहदरा-गाजियाबाद, साहिबाबाद-मिन्टो रोड तथा दयाबस्ती-गुड़गांव को चुना गया है। इस परियोजना को सैद्धांतिक अनुमोदन देने के लिए योजना आयोग को एक प्रस्ताव दिया गया है। अतः इस स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए एक समय-सीमा बता पाना इस समय संभव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सरकारी आवास/इकाइयां

3788. मो. मुकीम: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में श्रेणी-वार और टाइप-वार सरकारी आवास/इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या खराब रखरखाव के कारण उनमें से अधिकांश खराब स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो इन क्वार्टरों के रखरखाव के लिए, यदि कोई है, तो क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन क्वार्टरों के श्रेणी-वार और टाईप-वार रखरखाव पर कितनी राशि व्यय की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) वार्षिक मरम्मत कार्य सरकारी क्वार्टरों के रखरखाव के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक हो वहां विशेष मरम्मत कार्य भी किया जाता है।

(घ) सामान्य पूल रिहायशी आवास जिसका रखरखाव के.लो.नि.वि. द्वारा किया जाता है के संबंध में सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए समग्र खर्च का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है।

वर्ष	खर्च
2001-2002	123.95 करोड़ रु.
2002-2003	126.72 करोड़ रु.
2003-2004	133.24 करोड़ रु.

श्रेणी-वार और टाइप-वार अलग से कोई लेखा नहीं रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली में सामान्य पूल में सरकारी आवास की संख्या

टाइप	यूनिटों की संख्या
I	16204
II	23460
III	11887
IV	5918
IV (विशेष)	802
डी-II	1558
डी-I	881
सी-II	452
सी-I तथा बंगले	143
VII	86
VIII	101
होस्टल यूनिटें	1771

राजसहायता की वसूली

3789. श्री रामसेवक सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन उद्योगों की जानकारी है जो बंद पड़े है और ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हों राजसहायता का लाभ उठाया है;

(ख) क्या सरकार उन उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ग) बंद पड़े हुए उन उद्योगों से राजसहायता की वसूली हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दी जा रही शिक्षा

3790. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी संगठन बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बच्चों को न्याय प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) एक समवर्ती विषय होने के नाते शिक्षा का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों द्वारा वहन किया जाता है। बच्चों को उचित शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त सहायता प्रदान की जाती है।

1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि उचित प्रबंधन तथा प्रदत्त वित्तीय सहायता के आधार पर सामाजिक कर्मठ कार्यकर्ता दलों सहित

गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयास बढ़ाये जाएंगे। साथ ही साथ शिक्षा का वाणिज्यीकरण करने के लिए बनी संस्थाओं की स्थापना को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को संपूरित करने में गैर-सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनकी भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही उसे नकारा जा सकता है। हालांकि कुछ गैर-सरकारी संगठन अच्छा कार्य कर रहे है, कुछ अन्य ऐसे भी है जिनका कार्य निष्पादन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। ऐसे उदाहरणों पर उचित ध्यान दिया जाता है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

कुछ ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी मंत्रियों, जिनसे गैर-सरकारी संगठनों की संबद्धता है तथा योजना आयोग के साथ दिनांक 17.3.2005 को आयोजित गृह मंत्री की एक बैठक में गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र के कार्यकरण तथा संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिये गये;

(1) गैर-सरकारी संगठनों को जारी रखने की आवश्यकता है ताकि वे समाज को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचा सकें।

(2) देश में कार्यरत सभी गैर-सरकारी संगठनों के लिए आंकड़ों का संकलन किया जाना चाहिए।

(3) देश में गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र के कार्यकरण की राष्ट्रीय नीति को शिक्षाविदों, विख्यात गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य पणधारियों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाना चाहिए।

(4) गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण तथा मानीटरन एवं उनके कार्याकलापों के विनियमन के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है।

प्रौढ़ शिक्षा

3791. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है और असफल साबित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य वर्ष 2007 तक 75% साक्षरता की पोषणक्षम प्रभावसीमा स्तर को प्राप्त करना है। प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन देश की साक्षरता दर में सुधार लाने की दोहरी कार्यनीति हैं। इन कार्यक्रमों के तहत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले दशक के दौरान देश की साक्षरता दर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई है। वर्ष 2001 की जनगणना के परिणामों से ज्ञात कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न प्रकार है:

श्रेणी	साक्षरता दर (%)		प्रतिशतता वृद्धि
	1991	2001	
व्यक्ति	52.21	64.84	12.63
महिला	39.29	53.67	14.38
पुरूष	64.13	75.26	11.13
अनुसूचित जाति	37.41	54.71	17.30
अनुसूचित जनजाति	29.60	47.11	17.51

[अनुवाद]

नर्सरी शिक्षा

3792. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र और राज्य स्तर पर बच्चों को प्रदान की जा रही नर्सरी शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है एवं इसके लिए क्या भावी योजनाएं है तथा इस संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नर्सरी शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने पर विचार कर रही है और संविधान (86वां) संशोधन विधेयक में प्रावधान कर देश में इसे सर्व शिक्षा अभियान में शामिल करने है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 को पहले ही संशोधित करके यह प्रावधान किया जा चुका है कि "छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य प्रयास करेंगे।"

1992 में यथा-संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह विहित किया गया है कि प्रारंभिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा जहां संभव होगा वहां इस समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के साथ उपयुक्त रूप में एकीकृत किया जाएगा।

समेकित बाल विकास योजना

3793. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री काशीराम राणा:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत खरीद में बड़े पैमाने पर दुर्विनियोजन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर बिहार और गुजरात में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तथ्यों को सामने लाने के लिए जांच का आदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) विभाग की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

युवक विकास केन्द्र

3794. **प्रो. एम. रामदास: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी खण्डों को युवक विकास केन्द्रों के अंतर्गत कवर किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रों के अंतर्गत सभी ब्लाकों को कवर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या "यूथ क्लब मूवमेंट" ने देश में छः लाख गांवों में से 50 प्रतिशत को कवर कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त करने के दृष्टि से कवरेज बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यकलापों का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं।

(ख) युवा विकास केन्द्र (वाई.डी.सी.) की योजना के अंतर्गत देश में सभी ब्लाकों को कवर करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन को वार्षिक लक्ष्य दिये गये हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे युवा क्लबों को पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उन्हें युवा विकास केन्द्र में अप-ग्रेडिड किया जा सके।

(ग) जी, नहीं। इस समय पूरे देश में दो लाख तीस हजार छः सौ युवा क्लब नेहरू युवा केन्द्रों से सम्बद्ध हैं। नेहरू युवा केन्द्र से सम्बद्ध युवा क्लबों की संख्या वाली राज्य-वार सूची संलग्न है।

(घ) देश में युवा क्लब आंदोलन के संवर्धन और विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

1. प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ब्लाक स्तरीय जागरूकता शिविरों का आयोजन;
2. युवा क्लब विकास कार्यक्रम (वाई.सी.डी.पी.); का आयोजन, और
3. युवा क्लबों की बनावट की निगरानी

(ङ) जी, हां।

(च) योजना आयोग की ओर से स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हाल ही में आयोजित किये गये मूल्यांकन अध्ययन (2003) के अनुसार मुख्य परिणाम निम्नलिखित थे:

1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने ज्यादातर लक्षित उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं।
2. युवा समन्वयकों द्वारा अन्य विभागों/एजेंसियों के अच्छे संपर्क स्थापित किये गए हैं।
3. गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम/गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया गया है।
4. गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं की बड़ी संख्या ने स्वरोजगार में प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने स्वयं के लघु उद्योग प्रारंभ किये हैं।
5. गांवों में परिसम्पति के सृजन के लिए युवा क्लबों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विवरण

युवा क्लब

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	केन्द्रों की संख्या	पंजीकृत	गैर-पंजीकृत	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6	200	110	310
2.	आन्ध्र प्रदेश	23	22621	4258	26879
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	65	440	505
4.	असम	23	6552	2956	9508
5.	बिहार	34	625	11711	12336
6.	चंडीगढ़	1	15	39	54
7.	छत्तीसगढ़	8	1161	5845	7006
8.	दादरा व नगर हवेली	1	151	0	151
9.	दमन व दीव	2	22	19	41
10.	गोवा	3	84	37	121
11.	गुजरात	19	3393	1859	5252
12.	हरियाणा	16	6966	14	6980
13.	हिमाचल प्रदेश	12	4984	268	5252
14.	जम्मू-कश्मीर	14	229	3119	3348
15.	झारखंड	16	109	4487	4596
16.	कर्नाटक	20	4690	11501	16191
17.	केरल	14	15114	4	15118
18.	लक्षद्वीप	1	50	0	50
19.	मध्य प्रदेश	40	2959	18393	21352
20.	महाराष्ट्र	30	8804	4887	13691
21.	मणिपुर	9	2088	745	2833
22.	मेघालय	5	1015	233	1248
23.	मिजोरम	3	529	157	686

1	2	3	4	5	6
24.	नागालैंड	7	229	377	606
25.	नई दिल्ली	3	54	104	158
26.	उड़ीसा	16	7443	1258	8701
27.	पांडिचेरी	4	747	81	828
28.	पंजाब	14	2147	3884	6031
29.	राजस्थान	30	2103	8624	10727
30.	सिक्किम	4	187	48	235
31.	तमिलनाडु	29	5475	12456	17931
32.	त्रिपुरा	3	442	146	588
33.	उत्तर प्रदेश	55	1578	18238	19816
34.	उत्तरांचल	9	167	2902	3069
35.	पश्चिम बंगाल	22	3916	4486	8402
	कुल	500	106914	123686	230600

[हिन्दी]

आय सृजन करने वाली परियोजनाओं के लिए धनराशि

3795. श्री अजीत जोगी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान और उसके बाद जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि में से आदिवासियों के लिए राज्य-वार विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में आय सृजन करने वाली परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) इस परियोजना पर व्यय की गई राशि से राज्यवार कितने आदिवासी लाभान्वित हुए।

(ग) क्या सरकार का विचार भूमिहीन जनजातियों और वन भूमि पर रह रही जनजातियों को भूमि नियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) यह मंत्रालय रोजगार-सह-आय सृजन क्रियाकलापों तथा आनुषंगिक आधारभूत ढांचे के लिए महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करने के लिए जनजातीय उपयोजना वाले विभिन्न राज्यों को जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां जारी करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (ख) के अंतर्गत निगरानीकृत अनुसूचित जनजातीय परिवारों की संख्या दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय "अनुसूचित जनजाति (वन्य अधिकारों को मान्यता) विधेयक" नामक एक विधेयक का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन जनजातियों के

साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को उनके अधिकारों की पहचान कर उनके वन्य अधिकारों एवं पेशे को मान्यता देकर दूर करना है, जो पीढ़ियों से वनों में रह रही है किन्त उनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-2003 निर्मुक्त धराशि	2003-2004 निर्मुक्त धनराशि	2004-2005 निर्मुक्त धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	2732.80	2459.52	2459.52
2.	असम	3058.99	2753.09	2064.82
3.	बिहार	556.56	500.90	250.45
4.	गुजरात	3930.91	3743.09	3537.82
5.	हिमाचल प्रदेश	643.53	612.79	750.87
6.	जम्मू-कश्मीर	971.94	925.50	874.75
7.	कर्नाटक	771.33	694.19	899.97
8.	केरल	273.70	260.62	319.35
9.	मध्य प्रदेश	7833.22	7458.93	9139.70
10.	महाराष्ट्र	3723.83	3351.45	3351.45
11.	मणिपुर	761.96	725.55	685.76
12.	उड़ीसा	6495.30	6184.94	7578.63
13.	राजस्थान	3649.56	3284.60	3284.60
14.	सिक्किम	108.02	102.86	126.04
15.	तमिलनाडु	323.32	290.99	377.25
16.	त्रिपुरा	1041.03	991.29	1214.66
17.	उत्तर प्रदेश	32.10	30.57	37.45
18.	पश्चिम बंगाल	2202.57	1982.31	1982.31
19.	झारखंड	5870.24	5283.22	5283.22
20.	छत्तीसगढ़	4626.18	4405.12	5397.76
21.	उत्तरांचल	92.91	88.47	83.62
22.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	200.85	0.00	0.00
23.	दमन व दीव	99.15	0.00	0.00
	कुल	50000.00	46130.00	49700.00

*वर्ष 2003-04 से संघ प्रदेशों के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का बजट गृह मंत्रालय से दिया जा रहा है।

विवरण II

2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (ख) के अंतर्गत राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-2003 अनु.जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता	2003-2004 अनु. जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता	2004-2005 अनु. जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता दिसम्बर, 2004 तक
1.	आन्ध्र प्रदेश	96440	1,71,538	
2.	असम	42928	42,667	23223
3.	बिहार	5429	6,588	3998
4.	गुजरात	96762	1,35,482	–
5.	हिमाचल प्रदेश	4888	4743	99060
6.	जम्मू और कश्मीर		216	6328
7.	कर्नाटक	16589	29,106	–
8.	केरल	1066	5,269	–
9.	मध्य प्रदेश	220299	197,408	504
10.	महाराष्ट्र	53799	26,574	105615
11.	मणिपुर	2425	शून्य	–
12.	उड़ीसा	75732	89,458	33150
13.	राजस्थान	87217	88,167	1500
14.	सिक्किम	3979	6,192	41063
15.	तमिलनाडु	9870	29,843	48583
16.	त्रिपुरा	10616	9,772	3454
17.	उत्तर प्रदेश	486	130	107546
18.	पश्चिम बंगाल	32234	30,422	1066
19.	झारखंड	–		886
20.	छत्तीसगढ़			918
21.	उत्तरांचल	2415	1,091	17802
22.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1881	1,630	326
23.	दमन व दीव	783	772	1113
	कुल	765838	8,77,018	496135

[अनुवाद]

सेना द्वारा जब्त हथियार

3796. श्री सुव्रत बोस: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा जब्त किए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है और उनके उपयोग/निपटान हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(ख) इन हथियारों का उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने और उनके दुरूपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कार्रवाई गई है कि इन राज्यों में ऐसे हथियार कैसे पहुंच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) गत तीन वर्षों (31 मार्च, 2005) के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा बरामद किए गए और सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पित हथियारों के ब्योरे इस प्रकार है:

वर्ष	बरामद किए गए/समर्पित हथियारों की संख्या
2003	1195
2004	618
2005 (31.3.2005 तक)	219

सुरक्षा बलों द्वारा बरामद/जब्त किए गए हथियार प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ एक अभिग्रहण ज्ञापन पर पुलिस स्टेशन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जब्त किए गए हथियार सुरक्षा बलों के शस्त्रागारों की अभिरक्षा में उस समय तक रखे जाते हैं जब तक उनकी साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। न्यायालय कार्यवाहियों के समापन के पश्चात, सेना/असम राइफल्स द्वारा जब्त हथियार असम की नारंगी छावनी में जमा कराए जाते हैं। उसके पश्चात, ऐसे हथियार केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर भेजे जाते हैं। जाकि अनुपयोज्य हथियार नष्ट कर दिए जाते हैं और उपयोज्य हथियार इस्तेमाल हेतु विभिन्न यूनिटों को जारी कर दिए जाते हैं। कुछेक नॉन-सर्विस पैटर्न हथियार किसी व्यक्ति के आवेदन करने पर और हथियार के लाइसेंस के प्रापण के आधार पर भुगतान के आधार पर सेना कर्मियों को भी जारी किए जाते हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया अन्य केन्द्रीय पुलिस बलों/राज्य पुलिस बलों द्वारा अपनाई जाती है। आसूचना एजेंसियों द्वारा किए गए आकलन से पता चलता है कि शस्त्रों की कुछेक पड़ोसी देशों में स्थित स्रोतों सहित विभिन्न स्रोतों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध रूप से तस्करी की जाती है और उसके आधार पर सरकार ने इस क्षेत्र में ऐसे शस्त्रों के प्रवाह को रोकने हेतु कई कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुख इकाईयां

3797. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयां/उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में ऐसी फर्मों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें अनुमति दे दी गई है लेकिन अभी तक स्थापित नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक शिक्षा

3798. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.जी.सी. ओर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कम्पनियों (नैसकॉम) ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी-ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से बी.ए., बी.कॉम. और बी.एससी. के छात्रों को किस तरीके से लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और प्रथम चरण में कितने महाविद्यालयों को शामिल किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 16 मार्च, 2005 को 'नैसकाम' (नेशनल एसोसिएशन ऑफ साफ्टवेयर एंड सर्विस कम्पनीज) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। समझौता ज्ञापन के तहत दोनो पक्षकर 'सूचना प्रौद्योगिकी' उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय उच्चतर शिक्षा के सुढ़ढ़ीकरण (पाठ्यचर्या, संकाय, आधारभूत ढांचे, शिक्षा शास्त्रीय सुधारों के माध्यम से) की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, इससे विशेषकर विश्वविद्यालयों और कालेजों में शैक्षिक संस्थाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं के बीच बेहतर संपर्क के द्वारा उद्यमशीलता और ज्ञान-आधारित उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ग) कला और विज्ञान पाठ्यक्रम लेने वालों छात्रों को 'टेक्नो-बिजनेस स्किल्स डेवलपमेंट सेन्टर्स' और आई.टी./बीपीओ उद्योग की साझेदारी में विश्वविद्यालयों और कालेजों के 'उद्यमशीलता विकास प्रकोष्ठों' के माध्यम से आईटीईएस/बीपीओ उद्योग में आवश्यक कौशलों से भी परिचित कराया जाएगा।

(घ) जबकि संकाय विकास हेतु एक पायटल कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया गया है, विश्वविद्यालय आयोग अन्य कार्यकमों का ब्यौरा तैयार कर रहा है।

[हिन्दी]

पाठ्यक्रम में 'कार्टोग्राफी' विषय को शामिल किया जाना

3799. श्री बापू हरी चौरे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्कूल पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषय के रूप में 'कार्टोग्राफी' की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) देश के कितने स्कूलों में इसे शुरू किए जाने की संभावना है और इससे संबंधित अन्य ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या में मानचित्र कला को एक विशेष विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तथापि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सूचित किया है कि उसने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम में मानचित्रकला को एक घटक के रूप में शामिल किया है।

[अनुवाद]

अधिगृहीत भूमि पर वास्तविक रूप से कब्जा

3800. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री दिनांक 23 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संबद्ध हल्का पटवारियों के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक भूमि अधिग्रहण समाहर्ता एलएसी (दक्षिण), नई दिल्ली, द्वारा अधिगृहीत उस जमीन का ब्यौरा क्या है जिन पर संबद्ध विभागों/एजेंसियों को कब्जा दे दिया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में राजस्व रिकार्ड में की गई प्रतिष्टियों के अलावा अधिगृहीत भूमि का कब्जा संबद्ध विभागों/एजेंसियों को कभी नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और अधिगृहीत भूमि से अवैध कब्जा/अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण हटाने के पश्चात उन्हें वास्तविक रूप से संबद्ध विभागों/एजेंसियों को सौंपे जाने के लिए एलएसी (दक्षिण) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना

3801. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना (प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड स्कीम) के अंतर्गकत काली मिर्च, इलायची, अदरक, और सुपारी को लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) वर्तमान में कीमत स्थिरीकरण तिथि स्कीम के अंतर्गत काली मिर्च, इलायची, अदरक एवं सुपारी जैसी अतिरिक्त फसलों को शामिल करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इग्नू ओर विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच समझौता

3802. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते के अंतर्गत किन-किन विषयों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) इससे भारतीय छात्रों को किस तरीके के लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) इन विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों का दर्जा क्या होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने 30 देशों के विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए है। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्धन बोर्ड ने 24.3.05 को आयोजित अपनी बैठक में छः विदेशी संस्थाओं के साथ संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनुमोदित किया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समझौते के अंतर्गत चलाए जा रहे मुख्य विषय कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और कृषि है।

(घ) और (ङ) जबकि सभी मामलों में डिग्रियां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी परंतु फिजी विश्वविद्यालय के मामले में डिग्री प्रदान करने के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदित विदेशी संस्थाओं की सूची

- केपिटल नार्मल यूनिवर्सिटी, बीजिंग, चीन
- मॉरीशस इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन (एम आई ई) मॉरीशस
- इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपी आरआई), वाशिंगटन, अमेरिका
- शानडांग टेक्सटाईल वोकेशनल कालेज (एसटीवीसी), चीन
- द यूनिवर्सिटी आफ फिजी लाओटोका, फिजी द्वीपसमूह
- कॉमन वेल्थ आफ लर्निंग (सीओएन), कनाडा

फार्म हाउसों में समारोह

3803. श्री कैलाश बैठा: क्या शहरी विकास मंत्री दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 945 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक सूचना एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) संबंधित एजेंसियों से पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मामले पर ध्यान दिया जा रहा है और सूचना प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

आई.आई.टी., दिल्ली

3804. श्री सुग्रीव सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या आई.आई.टी., दिल्ली ने ऊर्जा के क्षेत्र में उद्योग और अकादमियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया के साथ किसी मसौदे पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते से ऊर्जा के क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों की कैम्पस ट्रेनिंग और उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इसी तरह की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों समेत ऊर्जा के क्षेत्र में परिचर्या एवं सहयोग के अवसर तलाशने के प्रयोजनार्थ बिजनेस/उद्योगपतियों तथा प्रोफेसरों/शिक्षाविदों के बीच मेलजोल हेतु एक मंच प्रदान करके द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर इस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता ज्ञापन में ऊर्जा संबंधी अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के परिसर प्रशिक्षण तथा नियोजन की व्यवस्था है। हालांकि, किसी भी उद्योग पर किसी भी विद्यार्थी को नियोजित करने की कोई बाध्यता नहीं है। इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों द्वारा तीन महीने की लिखित नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। भारतय प्रौद्योगिकी संस्थान सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विदेशी शिष्टमंडल

3805. **श्री अधीर चौधरी**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्योग द्वारा आयोजित सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में भाग लेने के लिए विदेशी शिष्टमंडलों को आमंत्रित करने हेतु क्या मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं तथा, सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वित्तपोषित यहां आने वाले शिष्टमंडलों सहित इन सम्मेलनों/विचारगोष्ठियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) बाजार विकास सहायता स्कीम के फोकस क्षेत्र संघटक तथा बाजार पहुंच पहल स्कीम के अंतर्गत उद्योग जगत द्वारा आयोजित क्रेता-विक्रेता बैठकों/प्रदर्शनियों/सेमिनारों में भाग लेने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित किया जाता है तथा वापसी वायु भाड़े के लिए 100% आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो लैटिन अमरीकी देशों से प्रति-प्रतिनिधि अधिकतम 90,000/- रुपए तथा विश्व के अन्य भागों से प्रति प्रतिनिधि अधिकतम 60,000/- रुपए होती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ध्वज का अनादर

3806. **श्री ब्रजेश पाठक**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उस घटना की जानकारी है जिसमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलें में राष्ट्रीय ध्वज का अनादर किया गया था जैसा कि दिनांक 31 जनवरी, 2005 के 'हिन्दुस्तान', लखनऊ संस्करण में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार की जानकारी में ऐसे कुछ और मामले भी आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला पंचायत उन्नाव द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति 26.01.2005 को गणतन्त्र दिवस के अवसर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया था। तथापि, 29.01.2005 और 30.01.2005 के बीच किसी समय कुछ शरारती तत्वों ने जिला पंचायत की छवि को धूमिल करने की नियत से राष्ट्रीय ध्वज का गलत ढंग से फोटो खींचा। संचालन समिति, जिला पंचायत, उन्नाव, ने समाचारपत्रों के माध्यम से स्थिति को स्पष्ट किया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गई है। इन सभी घटनाओं में संगत अधिनियम के तहत दोषी लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

[अनुवाद]

8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लिए वित्तीय सहायता

3807. **श्री रूपचन्द मुर्मू**: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अलग-अलग कितना अनुदान दिया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): गत तीन वर्षों के दौरान संविधान की आठवीं अनुसूची की विभिन्न

भाषाओं पर विभिन्न भाषा संस्थानों द्वारा प्रदान की गई राशि के ब्योरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न भाषाओं पर केन्द्रीय/राज्य के विश्वविद्यालयों/संस्थानों जैसे महात्मा गांधी हिन्दी अतंर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा, जे एन यू, दिल्ली इत्यादि द्वारा भी व्यय किया जाता है। ऐसे व्यय के ब्यौरे गृह मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

संविधान की आठवीं अनुसूची की विभिन्न भाषाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई राशि

(रु. लाखों में)

भाषा		2002-03	2003-04	2004-05
हिन्दी	योजना	2351.00	2485.00	2544.00
	गैर-योजना	1355.00	1450.00	1394.00
संस्कृत	योजना	3107.00	3107.00	4000.00
	गैर-योजना	1526.00	1600.00	1600.00
सिंधी	योजना	40.00	40.00	85.00
उर्दू	योजना	975.00	975.00	1100.00
अन्य भाषाएं	योजना	598.00	598.00	795.00
	गैर-योजना	893.00	762.00	780.00

सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

3808. **श्री निखिल कुमार:**
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों के परामर्श से ऐसा प्रस्ताव बनाया है जिसके अन्तर्गत एक राज्य के सशस्त्र पुलिस बल को पड़ोसी राज्य में तैनात किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों के बीच सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के तौर-तरीके को तैयार कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने लोक व्यवस्था ड्यूटयों के लिए एक राज्य के राज्य सशस्त्र पुलिस बलों को दूसरे राज्य में तैनात करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर श्रीनगर में 26-28 अगस्त, 2003 को आयोजित 8वीं बैठक में अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा विचार किया गया था। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए अंतर-राज्यीय परिषद ने यह निर्णय लिया कि राज्य सशस्त्र पुलिस के ऐसे आदान-प्रदान के तौर-तरीके पर निर्णय लेना, भाग लेने वाली राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर के चारों ओर गलियारे का निर्माण

3809. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर के चारों ओर गलियारा बनाए जाने के कार्य मे अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई हैं; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) पंजाब सरकार अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर परिसर के आस-पास के क्षेत्र में भीड़-भाड़ को कम करने तथा उसे सजाने हेतु गलियारा परियोजना के कार्यों को कर रही है। सम्पूर्ण परियोजना पांच चरणों में पूरी की जानी है। इनमें से तीन चरणों का कार्य पूरा हो चका है। केन्द्र सरकार ने परियोजना के निष्पादन हेतु पंजाब सरकार को 1988-89 में विशेष अवधि ऋण के रूप में 70 करोड़ रुपए रिलीज किए थे। फरवरी, 2005 में केन्द्र सरकार ने परियोजना के चरण IV ओर V के लिए पंजाब सरकार को 55 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध करने की सहमति दी है 55 करोड़ रुपए की राशि किश्तों में रिलीज की जाती है। 13.75 करोड़ रु. की पहली किश्त 31.3.2005 को रिलीज की जा चुकी है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 1.3.2005 से 30 महीनों के अंदर कार्य के पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बी.सी.सी.आई.

3810. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलियाई और दक्षिण अफ्रीकी टीम के हाल के भारत दौरे के दौरान प्रसारण का अधिकार समय पर न दिए जाने के कारण बी.सी.सी.आई. को लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस नुकसान के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस नुकसान की भरपाई के लिए बोर्ड द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (घ) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएग।

[अनुवाद]

विदेशी भाषा प्रशिक्षण संस्थान

3811. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या मानव संस्थान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार और विशेषकर गुजरात में स्थान-वार कितने विदेशी भाषा शिक्षण संस्थान है और उनके वित्तपोषण का स्रोत क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कोई नया विदेशी भाषा शिक्षण संस्थान खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से उनके यहां ऐसे संस्थान खोलने का निवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद एक मात्र विदेशी भाषा शिक्षण संस्थान है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में आता है। इसके दो क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश में तथा शिलांग, मेघालय में है।

तथापि, देश के बहुत से विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षण विभाग है।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एफ.बी.आई. दल का दौरा

3812. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने देश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने कश्मीर में 1995 में विदेशियों की हत्या का मामला पुन: खोला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एफ.बी.आई. को उक्त मामला पुन: खोलने की अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। आई सी-814 अपहरण मामले की जांच के संबंध में हाल में एफ.बी.आई. के दो सदस्यीय दल ने 17.1.2005 से 3.2.2005 के बीच नई दिल्ली और मुम्बई का दौरा किया था।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारियों के अनुसार एफ बी आई, जम्मू और कश्मीर में 1995 में एक अमेरिकी राष्ट्रिक सहित विदेशियों की हत्या, उत्तर प्रदेश दिल्ली में अमर शेख द्वारा एक अमेरिकन के साथ अन्य विदेशियों के अपहरण तथा 1999 में आई सी-814 के अपहरण से संबंधित मामले की जांच कर रही है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कर्नाटक में जनजातीय कल्याण योजनाएं

3813. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य से जनजातीय लोगों के कल्याण विशेषकर शिक्षा के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने आज की तिथि तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(घ) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति न दिए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) उन क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है; और

(च) राज्य में जनजातीय युवाओं की शिक्षा हेतु क्या विशेष प्रयास किए जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय में कर्नाटक हेतु किसी विशेष स्कीम पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु कई शैक्षिक स्कीमों का संचालन करता है। जिन स्कीमों के तहत कर्नाटक को निधियां जारी की गई है वे इस प्रकार है:

(1) योग्यता स्कीम का स्तरोन्नयन: कर्नाटक से कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(2) बालक तथा बालिकाओं हेतु छात्रावास स्कीम के तहत 1.20 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(3) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत 4.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(4) आश्रम विद्यालयों के लिए 77.51 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(5) कोचिंग तथा संबंधित स्कीम के तहत 1.42 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(6) अनुच्छेद 275(1) के तहत, 957.88 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(7) आदिकालीन जनजातीय समूह के निमित्त अनुदान के रूप में 15.00 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में शहरी विकास संबंधी प्रस्ताव

3814. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को शहरी विकास हेतु योजना-वार कुल कितने प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजे गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो योजना-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) संबंधी स्कीम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा 32 नई परियोजनाओं के अनुमोदन तथा 7 चल रही परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजे गए थे। 27 नई परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदित किए गए तथा 5 चल रही परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी की गई। इस अवधि के दौरान 1405.47 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई। जारी केन्द्रीय सहायता के कस्बावार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। शेष 7 प्रस्ताव, जिनमें 2 चल रही परियोजनाएं तथा नई परियोजनाएं (विवरण-I में क्र.सं. 33 से 39) हैं, मार्च, 2005 के अन्तिम सप्ताह के दौरान प्राप्त हुए थे। चल ही 2 परियोजनाओं के संबंध में धनराशि जारी करने पर वर्तमान वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान विचार किया जाएगा।

सरकार का राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) स्थापित करने और छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) तैयार करने का प्रस्ताव है। जिसमें मौजूदा आइडीएसएमटी स्कीम का विलय किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने पर इन स्कीमों के अंतर्गत नई परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत 31 परियोजनाएं मंजूर की गई तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को धनराशि जारी की गई। ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। वर्ष 2004-05 से पहले, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को एकमुश्त आधार पर राशि जारी की गई थी। तथापि, 2004-05 के दौरान अनुमोदित स्कीमों के लिए 50% केन्द्रीय अंश जारी किया गया था, जिनकी सूची विवरण-II के क्र.सं. 21 से 31 पर दी गई है।

वर्ष 2003-04 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत इन्द्रगढ़ जल आपूर्ति स्कीम वापस कर दी गई थी क्योंकि त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने हेतु यह कस्बा पात्र नहीं था। राज्य सरकार द्वारा श्रीगंगानगर जिले में श्रीविजयनगर स्कीम वापस ले ली गई थी।

वर्ष 2004-05 के दौरान, खेरली जी आपूर्ति स्कीम राज्य सरकार को वापस कर दी गई थी क्योंकि यह स्कीम वर्ष 1995 में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही मंजूर की जा चुकी थी। केन्द्रीय जन स्वास्थ्य पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईओ) द्वारा भेजी गई टिप्पणियों का अनुपालन न होने के कारण गोविंदगढ़ तथा नगर आपूर्ति स्कीमें राज्य सरकार को वापस की गई थी।

10 चुनिन्दा एयरफील्ड कस्बों में कचरा प्रबंधन तथा जल निकासी स्कीम के अंतर्गत जोधपुर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 17.35 करोड़ रु. की लागत पर सीपीएचईओ द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित की गई है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) को दिनांक 12.1.05 को 14.52 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त जारी की गई है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों (2002-03, 2003-04 तथा 2004-05) के दौरान आईडीएसएमटी के अंतर्गत वर्षवार/कस्बावार जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	सालूंबर	21.80		
2.	हनुमानगढ़	100.00		

1	2	3	4	5
3.	रावतफाटा	45.00		
4.	टोक*	45.00		4.05
5.	पोकरण	24.00		
6.	अमेट	24.00		
7.	भीलवाडा*	22.99	82.01	
8.	बालोत्रा		60.00	
9.	अनूपगढ़		45.00	
10.	फालोदी		45.00	
11.	सादुलशहर*		24.00	24.00
12.	सुजानगढ़		75.00	
13.	संगारिया		45.00	
14.	फिलभंगा		45.00	
15.	डिडवाना*			60.00
16.	सूरतगढ़*			45.00
17.	रावतसर			45.00
18.	भद्रा			45.00
19.	मंडलगढ़			24.00
20.	किशोराईपाटन			24.00
21.	बडी-सदरी			24.00
22.	नोहर			45.00
23.	किशनगढ़			52.00
24.	मेहता सिटी			45.00
25.	संचोर			24.00
26.	कुशलगढ़			24.00
27.	लखारी			45.00
28.	झालावाड़			33.62
29.	चिड़ावा			45.00
30.	सोजत सिटी			45.00

1	2	3	4	5
31.	कुछेरा			24.00
32.	श्रीविजयनगर			24.00
	कुल	282.79	421.01	701.67
33.	चितोड़गढ़			
34.	झालरापाटन			
35.	छाबड़ा			
36.	बिहोर			
37.	कूचमान सिटी			
38.	अनूपगढ़*			
39.	पोकरण*			

*चालू कस्बे

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत मंजूर परियोजना व जारी राशि

राज्य: राजस्थान 10.4.2005 तक (लाख रु. में)

क. मंजूर परियोजनाएं

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	मंजूरी की तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	टोडाभीम	करौली	मई, 2002	119.09	59.55	
2.	जहाजपुर	भीलवाडा	जुलाई, 2002	131.86	65.93	
3.	गुलाबपुरा	भीलवाडा	अगस्त, 2002	120.20	60.10	568.48
4.	प्रतापपुर	बांसवाडा	सितम्बर, 2002	100.94	50.47 (2002-03)	
5.	बंदी कुल	दौसा	अक्टूबर, 2002	234.17	117.09	
6.	छबरा	बरन	नवम्बर, 2002	109.42	54.71	1012.85
7.	देशनोक	बिकानेर	दिसम्बर, 2002	121.31	60.66 (2003-04)	
8.	शेवगंज	सिरोही	जनवरी, 2003	182.31	91.16	

1	2	3	4	5	6	7
9.	माउंटआबू	सिरोही	जनवरी, 2003	102.27	51.14	1545.97
10.	बिसौ	झुनझुनू	मार्च, 2003	119.56	59.78 (2004-05)	
11.	नैनवा	बुंदी	दिसम्बर, 2003	213.49	106.75	
12.	बाग्गर	झुनझुनू	जनवरी, 2004	130.00	65.00	0.00
13.	कुशालगढ़	बांसवाडा	जनवरी, 2004	121.17	60.59 (2005-06)	
14.	मंडलगढ़	भीलवाडा	जनवरी, 2004	25.94	12.97	
15.	रिशाबदेव	उदयपुर	जनवरी, 2004	228.00	114.00	
16.	खानपुर	झालावाड़	जनवरी, 2004	580.21	290.11	
17.	मगरौल	बरन	जनवरी, 2004	560.72	280.36	
18.	चिप्पाबोर्ड	बरन	जनवरी, 2004	139.24	69.52	
19.	कुम्हेर	भरतपुर	जनवरी, 2004	591.64	295.82	
20.	कोलवी राजेन्द्रापुर	झालावाड़	फरवरी, 2004	119.85	59.93	
21.	सथालखेड़ी	कोटा	जनवरी, 2005	454.32	227.16	
22.	पिरावा	झालावाड़	जनवरी, 2005	439.93	219.97	
23.	मनोहरथाना	झालावाड़	जनवरी, 2005	314.78	157.39	
24.	अकलेरा	झालावाड़	जनवरी, 2005	565.97	282.99	
25.	सुकेत	कोटा	जनवरी, 2005	617.00	308.50	
26.	उदपुरा	कोटा	जनवरी, 2005	334.00	167.00	
27.	पींडवारा	सिरोही	जनवरी, 2005	111.17	55.59	
28.	भवन	सिरोही	जनवरी, 2005	66.71	33.36	
29.	रतननगर	चुरू	जनवरी, 2005	170.76	85.38	
30.	मंडल	भीलवाड़ा	फरवरी, 2005	193.00	96.50	
31.	पुष्कर	अजमेर	मार्च, 2005	333.14	166.57	
	कुल			7652.17	3826.09	3127.30

राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव

3815. श्री कैलाश मेघवाल: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान धनराशि आवंटन हेतु भेजे गए प्रस्तावों तथा योजना-वार और वर्ष-वार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत/अस्वीकृत और लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं और लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में सरकार द्वारा कोई आकलन कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) स्वस्थ एवं अनुकूल शहरी पर्यावरण वाले स्लमविहीन शहरों लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में शहरी स्लमों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को आश्रय मुहैया कराने या उनके मौजूदा आश्रय के उन्नयन के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के तहत आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) के जरिए राजस्थान सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। किसी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया गया और कोई नया प्रस्ताव लंबित नहीं है। इस स्कीम के तहत दी गयी धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	नियतन की गयी कुल भारत सरकार की सब्सिडी (लाख रुपयें)	दी गयी कुल भारत सरकार की सब्सिडी (लाख रुपये में)	शामिल किये गये रिहायशी यूनिट	शामिल की गयी शौचालय सीटें
2001-02	364.400	300.00	1500	0
2002-03	1356.460	900.00	4000	0
2003-04	1259.550	40.00	200	0
2004-05	1482.00	650.00	2700	0
कुल	4462.410	1890.00	8400	0

स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर या मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिये शहरी बेरोजगार या अल्परोजगार प्राप्त लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत धनराशि का नियतन देश में गरीबी रेखा के नीचे की कुल शहरी आबादी की तुलना में राज्य में गरीबी के अनुपात के आधार किया जाता है। अतिरिक्त नियतन के लिए राज्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। इस स्कीम के तहत दी गई धनराशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	नियतन की गयी भारत सरकार की कुल सब्सिडी (लाख रुपये)	दी गयी भारत सरकार की कुल सब्सिडी (लाख रुपये)	स्थापित किये गये लघु उद्यमों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2001-02	643.53	32.64	5303	3300
2002-03	349.20	402.53	7579	1408
2003-04	347.59	122.96	4008	1696
2004-05	340.19	256.29	4083	1957
कुल	1680.51	814.42	20973	83361

मैला ढोने वालों एवं उनके आश्रितों को इस काम से मुक्त करके उनका पुनर्वास करने की राष्ट्रीय स्कीम (एनएसएलआरएस) एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जिसमें मैला ढोने वालों को वैकल्पिक गरिमापूर्ण व्यवसायों का प्रशिक्षण देने तथा उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। कोई प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया गया तथा कोई नया प्रस्ताव लंबित नहीं है। इस स्कीम के तहत गत तीन वर्षों में राजस्थान सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गयी है।

कम लागत सफाई स्कीम (आईएलसीएस) जो एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, के तहत शुष्क शौचालयों को दो गड्ढे वाले सेनिटरी शौचालयों में बदलने तथा नये सेनिटरी यूनिटों के निर्माण का प्रावधान है। कोई प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया गया तथा कोई नया प्रस्ताव लंबित नहीं है। इस स्कीम के तहत जारी धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
2002-03	-13.63*
2003-04	60.45
2004-05	13.34

*पहले के वर्षों में जारी की गयी धनराशि में से राज्य सरकार द्वारा लौटाई गई धनराशि।

(ङ) से (च) मैला ढोने वालों को इस कार्य से मुक्त करके उनका पुनर्वास करना एक सतत प्रक्रिया है, सरकार ने वर्ष 2007 तक मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-योजना तैयार की है। फील्ड दौरों, राज्य/केन्द्र स्तर की समीक्षा बैठकों तथा राज्य से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के भी जरिए वाम्बे, एसजेएसआरवाई, एनएसएलआरएस तथा आईएलसीएस स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति का समय-समय पर आकलन किया जाता है।

वीजा रैकेट

3816. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नकली वीजा दस्तावेज तैयार करने की अवांछित गतिविधियां निर्बाध रूप से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में इस संबंध में कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा जाली वीजा/पासपोर्टों के मामलों का पता लगाया जाता है। अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2003 में 1824 व्यक्तियों को जाली पासपोर्ट/वीजा पर यात्रा करते हुए पाया गया था। ऐसे प्रत्येक मामले में राज्य/संघ शासित क्षेत्र पुलिस द्वारा कानून के अधीन कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

शिशु खाद्य सुरक्षा हेतु नया विधेयक

3817. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिशु दुग्ध विकल्प (आई.एम.एस.) अधिनियम, 2003 के स्थान पर खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 के नाम से एक नया विधयेक लाने का है;

(ख) क्या आई.एम.एस. अधिनियम का निरसन किए जाने से शिशु दुग्ध विकल्प और शिशु आहार की अस्वास्थ्यकर विपणन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा;

(ग) क्या इस विधेयक को निरसित किए जाने से स्तनपान, जिसके लिए भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन और शिशु के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत प्रतिबद्ध है, को बढ़ावा देने की पहल को भी हानि पहुंचेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा एवं मानक विधेयक, 2005 नामक नये विधेयक का उद्देश्य खाद्य पदार्थों संबंधी सभी मौजूदा कानूनों को मजबूती प्रदान करना है, न कि शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम, 2003 का स्थान लेना या समाप्त करना।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सैनिक फार्म को नियमित करना

3818. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने केन्द्र सरकार से अवैध रूप से निर्मित कालोनी, सैनिक फार्म को नियमित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दिल्ली में अवैध कालोनियों/निर्माणों को नियमित करने हेतु सरकार की क्या नीति है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) अन्य अनधिकृत कालोनियों के साथ-साथ सैनिक फार्म के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए फरवरी, 2005 में दिल्ली की मुख्यमंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की सिफारिशों को जांचने के बाद कोई निर्णय लेगी। इस आयोग के विचारार्थ विषयों में उन परिस्थितियों की जांच-पड़ताल करना भी शामिल है, जिनके परिणामत: जोनिंग विनियमों, भवन उप-नियमों तथा नियोजन मानकों सहित नागरिक व राजस्व कानूनों का उल्लंघन करके अनधिकृत समृद्ध कालोनी सैनिक फार्म तथा अन्य अनधिकृत निर्माण बने हैं।

(ग) कॉमन काज (रजि.) सोसायटी बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में सिविल रिट याचिका सं. 4771/93 के संबंध में फरवरी, 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए दिशानिर्देश दाखिल किए गए थे। फरवरी, 2004 में इन दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इन संशोधित दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों में संशोधन के करने हेतु पुन: अनुरोध किया है।

गंदी बस्तियों हेतु पुनर्वास नीति

3819. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए नई पुनर्वास नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक तैयार करके कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) तत्काल पुनर्वास के प्रयोजन से किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(च) देश की राजधानी को गंदी बस्तियों से कब तक मुक्त कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

3820. श्री रामजी लाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान देश का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) 7 से 8 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कौन-कौन से उद्योगों की पहचान की गई है जो इस विकास दर को बढ़ायेंगे और ऐसे प्रत्येक उद्योग के लिए उद्योग-वार विकास दर के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) प्रत्येक उद्योग की विकास दर को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वार्षिक विकास दर 8 प्रतिशत तथा उद्योगों की विकास दर 10 प्रतिशत निर्धारित है। सकल घरेलू उत्पाद और उद्योग के लिए वर्ष-वार कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए कई नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद-शुल्क की तथा सीमा शुल्क की दरों को योक्तिक बनाना तथा कम करना, कारपोरेट कर की दरों में कमी करना तथा आयातित निवेश

के लिए घरेलू उद्योग की बेहतर पहुंच शामिल है। इसके अलावा, क्रियाशील समूह में गुणवत्ता अवसंरचना सुविधा प्रदान करके घरेलू उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) शुरू की गई है।

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता

3821. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री दुष्यंत सिंह:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री वी.के. दुम्मर:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री उदय सिंह:
श्री अनन्त नायक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और उसके पश्चात राज्यवार देश में कार्यरत कितने गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता मिली है;

(ख) क्या इनमें से कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने इस धन का दुरूपयोग गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन गैर-सरकारी संगठनों के खातों की लेखा-परीक्षा की है जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो जिन गैर-सरकारी संगठनों के खातों की जांच की गई है या की जा रही है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा राज्यवार क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(छ) क्या ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की निगरानी हेतु सरकार की कोई व्यापक विधान लाने की योजना है; और

(ज) यदि हां, तो इसे कब तक अधिनियमित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) "स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति" के संबंध में गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की सूचना देने वाले गैर सरकारी संगठनों के नाम दिए गए हैं। इन वार्षिक रिपोर्टों की वर्ष 2002-03 तक की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कवर गैर-सरकारी संगठनों के ब्योरे गृह मंत्रालय की वैब साइट: mha.nic.in/fcra.htm पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जब कभी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय के दुरुपयोग के बारे में रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, तो उनकी जांच की जाती है तथा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के संगत उपबंधों के अंतर्गत संबंधित संगठन के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इन कार्रवाईयों में, संगठन पर कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर पाबंदी लगाना, बैंक खाते को फ्रिज करना तथा गैर-सरकारी संगठन पर न्यायालय में मुकदमा चलाना शामिल है।

(घ) से (च) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि उसके पास यह संदेह करने का कोई आधार है कि किसी संगठन द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है, तो वह उस संगठन के लेखों और रिकार्ड के निरीक्षण का आदेश दे सकती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(छ) और (ज) विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करने वाले कानून को सुदृढ़ करने हेतु, मौजूदा अधिनियम के स्थान पर एक नया विधायन अधिनियमित करने संबंधी प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

वेनेजुएला के साथ व्यापार

3822. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ विश्व व्यापार संगठन से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने उक्त समझौते से पूर्व भी वेनेजूएला के साथ किन्ही अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोनों देशों के बीच किन मुद्दों से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(च) गत तीन वर्षों में आज की तिथि तक दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित ब्यौरा क्या है और उसे और बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) दिनांक 5 मार्च, 2005 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत और वेनेजुएला ने 6 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:

1. संयुक्त आयोग गठित करने के लिए समझौता ज्ञापन
2. अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग संबंधित समझौता ज्ञापन
3. जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन
4. हाइड्रो कार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए करार
5. ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) और ईडीवीएसए, वेनेजुएला राज्य पेट्रोलियम कम्पनी के बीच समझौता ज्ञापन।
6. इनकॉन और आईएएफई, वेनेजुएला रेलवे प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन

(च) दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात मूल्य	निर्यात वृद्धि %	आयात मूल्य	आयात वृद्धि %	व्यापार संतुलन
2001-2002	55.43	32.12	2.58	-82.07	(+) 52.85
2002-2003	40.54	-26.86	3.71	43.79	-4.25
2003-2004	21.13	-47.87	2.51	-32.34	18.62
2004-2005 (अप्रैल-जून)	10.18		0.53		8.65

वेनेजुएला और अन्य लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने फोकस लैटिन अमरीका और केरिबियाई (एलएसी) कार्यक्रम वर्ष 1997 में शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में निर्यात संवर्धन कार्याकलाप करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, शीर्षस्थ व्यापार मंडलों आदि को सचेत करना है।

रत्न परीक्षण केन्द्र

3823. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत रत्न परीक्षण केन्द्रों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में, विशेषकर दिल्ली में और अधिक परीक्षण केन्द्र स्थापित करने विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) मुम्बई, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार का प्रतिनिधिक स्वायतशासी निकाय है, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, देश में रत्न परीक्षण केन्द्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

महाराष्ट्र	1.	भारतीय रत्न विज्ञान संस्थान 29, गुरूकुल चैम्बर्स, 187/189 मुंबादेवी रोड मुम्बई-400002
	2.	सेंट जेवियर्स कॉलेज रत्न विज्ञान प्रभाग, भू-गर्भ विज्ञान विभाग, महानगर पालिका मार्ग, मुम्बई-400001
	3.	अंतर्राष्ट्रीय रत्न विज्ञान संस्थान, मित्तल कोर्ट नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021
	4.	पैन रत्न परीक्षण प्रयोगशाला, पैन रत्न उद्यम 10 संगीता, पंचरत्न के पीछे तड़ीवाला रोड, पुणे-411011
राजस्थान	5.	रत्न परीक्षण प्रयोगशाला, राजस्थान चैंबर भवन, मिर्जा इस्मायल रोड, जयपुर-302003
पश्चिम बंगाल	6.	रत्न परीक्षण, प्रयोगशाला, सीपीएल, जीएसआई, 27, जे.एन. रोड कोलकाता-700116
तमिलनाडु	7.	रत्न परीक्षण प्रयोगशाला 66, कैथेड्रल रोड चेन्नई-600086
	8.	श्री रामकृष्णा रत्न परीक्षण प्रयोगशाला 70, पेरन नगर, मेन रोड सेलम-636007
	9.	त्रिची रत्न परीक्षण प्रयोगशाला, इप्पूर कॉम्पलेक्स, 86, डायमंड बाजार त्रिची-620002
आन्ध्र प्रदेश	10.	रत्न परीक्षण प्रयोगशाला 4-3-346 राजा भगवान दास मार्ग, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500195
केरल	11.	रत्न परीक्षण प्रयोगशाला केरल खनिज ई एंड डी परियोजना (केरल सरकार) केसवदास पुरम, पोट्टोम पैलेस पी.ओ. त्रिवेन्द्रम-695004
दिल्ली	12.	भारतीयस रत्न विज्ञान संस्थान ''एफ'' ब्लॉक, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्टरीज कॉम्प्लेक्स रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055
गुजरात	13.	भारतीय हीरा संस्थान कतरगाम जीआईडीसी, सुमुल डेयरी रोड, सूरत-395008

(ख) और (ग) सरकार का देश में इस प्रकार के रत्न परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि किसी रत्न परीक्षण प्रयोगशाला अथवा केन्द्र की स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से किसी प्रकार का विशिष्ट अनुमोदन अपेक्षित नहीं होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खेल अकादमी

3824. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए कोई खेल अकादमी नहीं खोल पाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) खेल राज्य का विषय है तथा राज्य स्तर पर उसका संवर्धन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार अपनी योजनाओं तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई) की योजनाओं के जरिए जूनियर, सब-जूनियर तथा सीनियर स्तर पर खेलों के संवर्धन में राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ाती है।

राज्य खेल अकादमी की विद्यमान योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन तथा एक प्रायोजक द्वारा एक सहयोगी उद्यम के रूप में एक अकादमी संयुक्त रूप से स्थापित की जा सकती है। पूंजी के संदर्भ में अकादमी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, 8.30 करोड़ रु. की ऊपरी सीमा सहित अनावर्ती लागत 51:25:24 के अनुपात में प्रायोजक, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वहन की जानी है। इसके अतिरिक्त, 17 लाख रु. प्रति वर्ष तक की आवर्ती लागत अथवा वास्तविक व्यय का 25% इनमें से जो भी कम हो, भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा।

(ख) कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने खेल अकादमी स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा दर्शायी है।

कमल कुमार समिति

3825. श्रीमती जयप्रदा:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पुलिस में सुधार के संबंध में कमल कुमार समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को उक्त रिपोर्ट किस तारीख को प्राप्त हुई;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट में पुलिस में सुधार के संबंध में किसी कमी की पहचान की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट में किन मुख्य मामलों के संबंध में सिफारिश की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) पुलिस सुधारों के संबंध में पहले गठित आयोगों और समितियों की सिफारिशों की समीक्षा करने और उन सिफारिशों, जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है या आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया है, की छंटनी करने तथा इस समय अपेक्षित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने 23 मार्च, 2005 को गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समीक्षा समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

अमेरिका के कपास उत्पादकों को राजसहायता

3826. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने घरेलू कपास उत्पादकों को निर्यात संबंधी भारी राजसहायता प्रदान करने की अमेरिकी सरकार की कार्रवाई का निरनुमोदन करने संबंधी निर्णय को उचित ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सितम्बर, 2002 में ब्राजील की सरकार ने अमरीका द्वारा अपलैंड काटन के अपने उत्पादों, प्रयोक्ताओं और निर्यातकों को प्रदत्त कुछ सब्सिडी के बारे में अमरीका के साथ परामर्श करने की मांग की थी। परामर्शों के बाद फरवरी, 2003 में ब्राजील ने एक पैनल के गठन का अनुरोध किया था। विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) द्वारा अमरीका के ऐसे विभिन्न उपायों जिनके बारे में ब्राजील ने सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के अर्थ के भीतर कार्रवाई योग्य अथवा निषिद्ध सब्सिडी, कृषि करार के अर्थ के भीतर निर्यात सब्सिडी और/अथवा व्यापार एवं टैरिफ संबंधी सामान्य करार (गैट) 1994 के अनुच्छेद

1051 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य सब्सिडी होने का आरोप लगाया था, के संबंध में ब्राजील द्वारा किये गए दावों पर विचार करने के लिए 18 मार्च, 2003 को एक पैनल का गठन किया गया था। पैनल 18 जून, 2004 को यह निर्णय दिया था कि अमरीकी काटन सब्सिडी से कृषि करार एवं सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के अंतर्गत अमरीका के दायित्वों का उल्लंघन हुआ है। मोटे तौर पर पैनल ने यह पाया कि अमरीका के काटन सब्सिडी कार्यक्रमों के तहत प्रदत्त निषिद्ध एवं कार्रवाई योग्य सब्सिडी डब्ल्यूटीओ नियमों के प्रतिकूल है। अमरीका ने पैनल के निष्कर्षों के खिलाफ अपील की थी। अपीलीय निकाय ने 3 मार्च, 2005 को सार्वजनिक की गई अपनी रिपोर्ट में पैनल के निष्कर्षों को बरकरार रखा है अथवा उन्हें संशोधित किया है।

अपीलीय निकाय ने यह सिफारिश की है कि डीएसबी का अमरीका से अनुरोध है कि वह अपनी रिपोर्ट में तथा अपीलीय निकाय की रिपोर्ट द्वारा यथासंशोधित पैनल की रिपोर्ट में उसके जिन उपायों को कृषि करार एवं सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के असंगत पाया गया है, उन्हें इन करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप बनाये।

21 मार्च, 2005 को डीएसबी ने अपीलीय निकाय तथा पैनल की रिपोर्टों को पारित कर दिया है। पैनल तथा अपीलीय निकाय के निष्कर्ष केवल विवाद के पक्षकारों पर ही लागू होते हैं। भारत तीसरे पक्षकार के रूप में इस विवाद में शामिल हुआ है।

डब्ल्यूटीओ प्रावधानों के अनुसार अमरीका के लिए एक उचित समयावधि (आरपीटी) के भीतर डीएसबी के निर्णय को कार्यान्वित करना अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

3827. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुख्य मंत्रियों और संसद सदस्यों सहित अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य संभालने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उस राज्य, जिसमें अति विशिष्ट व्यक्ति होता है, के संबंधित प्रशासन की होती है। जहां तक केन्द्र सरकार से सुरक्षा प्राप्त अतिविशिष्ट व्यक्तियों का संबंध है, 2000-2001 में मंत्रियों के ग्रुप ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अतिविशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का कार्य सौंपा जाना चाहिए। अत: अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों के जो कार्मिक इस समय कुछ अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में स्थानीय पुलिस की सहायता कर रहे हैं उनका स्थान अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में प्रशिक्षित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक ले लेंगे।

(ग) अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए धीरे-धीरे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों की तैनाती की जाएगी और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के जो कार्मिक इस समय अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं वे उस बल विशेष को सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन के लिए अपने बल में वापस चले जाएंगे।

बच्चों और महिलाओं के बीच कैंडी का वितरण

3828. डा. एम. जगन्नाथ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7 मार्च, 2005 के 'दि हिन्दू' समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने गरीब बच्चों और महिलाओं के बीच संवर्धित का वितरण करने के संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार को राज्यों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे विटामिन 'ए', फोलिक एसिड तथा आयोडिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कुपोषण को नियंत्रित करने हेतु कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को अधिकाधिक व्यापक बनाएं।

(ख) दिनांक 7.3.2005 के हिन्दू समाचार पत्र में सही तथ्य नहीं दर्शाये गये हैं।

(ग) राज्यों से सूचना अभी प्राप्त की जानी है।

जम्मू और कश्मीर के प्रवासी परिवारों को मुआवजा

3829. श्री डी. विठ्ठल राव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उन परिवारों को कुछ मुआवजे का भुगतान किया है जो वर्ष 1992 में उग्रवादियों द्वारा उनके मकानों को जला दिए जाने के कारण जम्मू और कश्मीर से पलायन कर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक भुगतान की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास 1992 के प्रवासी परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे संबंधी कोई मामले लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार, अशान्त स्थितियों के कारण नष्ट अचल सम्पत्ति के स्वामियों को अनुग्रह राहत अदा कर रही है। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार 1990 से 5904 मामलों के संबंध में क्षतिपूर्ति के रूप में अनुमानत: 36.70 करोड़ रुपए की अनुग्रह राहत प्रदान की जा चुकी है। हाल ही में, अनंतनाग में चार घरों हेतु 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 11,42,346/- रुपए की राशि भुगतान किया गया है।

(ग) से (ङ) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि 253 मामलों में, फील्ड अधिकारियों की रिपोर्टों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि हुई है, जबकि प्रभावित व्यक्ति दावा कर रहे हैं कि यह सब तोड़-फोड़ के कारण हुआ है। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों को जिला स्तरीय समन्वय समितियों द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

मेगा सिटी योजना में शहरों को शामिल करना

3830. श्री हरिलाल माधवजी भाई पटेल:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा एक नई योजना आरंभ करने की दृष्टि से मेगा शहरों में अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना में चार शहरों को सम्मिलित करने जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को विकास हेतु उक्त योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, संबंधी कोई संशोधित प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने भी बेल्लारी को मेगा सिटी का दर्जा प्रदान किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार ने मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रायोजित स्कीम में अहमदाबाद, बडोदरा, सूरत और राजकोट को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चुनिंदा शहरों/नगरों में अवस्थापना विकास और बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) गठित करने का प्रस्ताव है। मेगा शहरों के लिए अवस्थापना विकास की मौजूदा स्कीम को एनयूआरएम में मिला दिया जाएगा। स्कीम के ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

3831. श्री बी. विनोद कुमार:
श्री पी. मोहन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी आवेदन बड़ी संख्या में सरकार के पास अभी तक लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाया गया है;

(घ) स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान करने तथा उनके पेंशन का संवितरण करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कतिपय श्रेणी के स्वतंत्रता सेनानियों जो भूमिगत हो गए थे, की पेंशन बंद कर दी गई या नहीं दी गयी थी;

(च) यदि हां, तो क्या ऐसे व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। बड़ी संख्या में आवेदन लंबित नहीं है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, 1972 में पेंशन योजना के शुरू होने से अब तक लगभग, 1.69 लाख पेंशन मंजूर की गई हैं और लगभग 4.57 लाख दावे रद्द (31 मार्च, 2005 तक) किए गए हैं। राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त होना और उनकी जांच करना एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में, लगभग 353 राज्य की रिपोर्टों की जांच की जा रही है। राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) पात्रता मानदंड को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान करने हेतु 1972 में एक नियमित योजना शुरू की गई थी। 1980 में इसको स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना नाम दिया गया। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के उपबंधों का व्यापक रूप से प्रचार किया गया है और लगभग गत ढाई दशक से इस योजना को सभी जानते हैं।

अक्तूबर 1990 से, स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु होने पर, उनके पात्र आश्रितों को आश्रित परिवार पेंशन अंतरित करने संबंधी शक्ति पैंशन संवितरित करने वाले प्राधिकारियों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी खजानों) को प्रदान की गई है।

(ङ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी स्वतंत्रता सैनानी की पेंशन न तो बंद की गई है और न ही रोकी गई है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	लंबित मामले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	228
2.	असम	2
3.	बिहार	8
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	महाराष्ट्र	26
6.	मध्य प्रदेश	12
7.	तमिलनाडु	29
8.	उत्तर प्रदेश	3
9.	पश्चिम बंगाल	4
10.	छत्तीसगढ़	1
11.	उत्तरांचल	2
12.	पंजाब	4
13.	केरल	33
	कुल	353

विवरण-II

पात्रता

स्वतंत्रता सेनानियों की निम्नलिखित श्रेणियां सम्मान पेंशन की पात्र हैं:

(क) वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में कम से कम 6 माह की सजा भोगी है (महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में 3 माह)।

(ख) वह व्यक्ति जो छह माह या इससे अधिक अवधि के लिए भूमिगत रहा है।

(ग) वह व्यक्ति जो छह माह या उससे अधिक अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहा या अपने जिले से बाहर किया गया हो।

(घ) वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त या कुर्क कर दी गई हो और बेच दी गई हो।

(ङ) वह व्यक्ति जो गोलीबारी या लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो।

(च) वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी (स्थानीय निकायों में नौकरी सहित केन्द्र/राज्य सरकार) खो दी और इस प्रकार वह आजीविका के साधन से वंचित हो गया हो।

(छ) वह व्यक्ति जिसे बेंत/कोड़े/कोड़ों की मार के 10 प्रहारों की सजा दी गई हो।

2. यदि उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में आने वाला स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है, तब कोई भी पात्र आश्रित अर्थात विधवा/विधुर, अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां, माता और पिता आश्रित परिवार पेंशन के पात्र होंगे।

3. किसी शहीद, अर्थात आई एन ए सहित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान मारे गए या कार्रवाई के दौरान या हिरासत में मारे गए किसी व्यक्ति या जिसे मृत्यु दंड की सजा दी गई हो, या भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया हो, का कोई एक आश्रित सम्मान पेंशन का भी पात्र होगा।

औद्योगिक रुग्णता

3832. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री वी.के. दुम्मर:
श्री रामसेवक सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग और राज्य-वार औद्योगिक रुग्णता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने और उनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्क्रैप का आयात

3833. श्री अतीक अहमद: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खतरनाक स्क्रैप के आयात और प्रयोग पर रोक लगाने के संबंध में कोई कानून है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्क्रैप के उपयोग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए बेसेल संधि के अनुसार कानून अधिनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) निर्यात और आयात मद आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 में यह निर्धारित है कि भारत में खतरनाक अपशिष्ट के आयात खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) संशोधन नियमावली 2003 के उपबंधों के अध्यधीन होंगे।

निर्यात एवं आयात मद आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 में किसी बात के होते हुए भी खतरनाक अपशिष्ट अथवा ऐसे खतरनाक अपशिष्टों वाला अथवा उससे संदूषित कोई पदार्थ जैसा कि खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) संशोधन नियमावली, 2003 की अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट है, का आयात निषिद्ध होगा।

दिल्ली पुलिस के संबंध में समितियां/आयोग

3834. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस कर्मियों के गुणात्मक सुधार और कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक आयोगों/समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे आयोगों/समितियों की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सरकार ने पुलिस कार्मिकों के गुणात्मक सुधार और कल्याण सहित दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए खोसला आयोग और श्रीवास्तव समिति गठित की है। उक्त आयोग और समिति ने इसके कार्मिकों के लिए आवास चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं सहित दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली, दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरूआत; मामलों की जांच, पर्यवेक्षण, भर्ती और पदोन्नति; जन संबंधों के बारे में प्रशिक्षण; पुलिस स्टेशन के कार्य क्षेत्र, कार्मिकों तथा पी सी आर वाहनों में वृद्धि आदि के बारे में व्यापक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। इनमें से

अधिकांश सिफारिशें पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से स्वीकार तथा कार्यान्वित कर ली गई हैं। इस सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने दिल्ली पुलिस कार्मिकों की कार्य स्थितियों को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें उन्हें एक दिन में 12 घंटों से अधिक ड्यूटी पर लगाने के एहतियात सहित दो सप्ताहों के समय मे हरेक और प्रत्येक पुलिस कार्मिक को एक दिन का विश्राम सुनिश्चित करना, मूलभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा यूनिट स्तरीय पाठ्यक्रमों में पुलिस कार्मिकों के व्यवहार के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल करना; आवासीय प्रयोजन के लिए बने बनाए फ्लैटों की खरीद; पुलिस कार्मिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पुलिस स्टेशनों में सम्पर्क सभा आयोजित करना; चिकित्सा दावों, अवकाश यात्रा रियायत, यात्रा/दैनिक भत्तों आदि जैसी देय राशियों की समयबद्ध मंजूरी, उच्च स्तर पर आकस्मिक अवकाश को बहाल करना तथा अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को मासिक राशन मनी की मंजूरी शामिल है।

घरेलू उद्योगों के अंतर्गत आने वाले उद्योग

3835. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जो इस समय घरेलू उद्योगों के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें आवासीय क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार आटा चक्की, ऑटो मरम्मत कार्य और ड्राई क्लीनिंग को घरेलू उद्योगों की श्रेणी में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली सरकार मास्टर प्लान 2001 के अनुसार रिहायशी क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि अधिकतम पांच कामगार लगाए जाएं और बिजली की खपत 5 किलोवाट तक हो। घरेलू उद्योगों के रूप में किसी प्रदूषणकारी औद्योगिक यूनिट की अनुमति नहीं दी जाती। आज तक की स्थिति अनुसार 118 उद्योगों को दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुलग्नक-IIIक में अनुमत्य घरेलू उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। सूची की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) आटा चक्की तथा ड्राइक्लीनिंग (बड़े वर्कशाप को छोड़कर) को हाल ही में दिनांक 16.2.2005 की अधिसूचना के तहत उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। ऑटो रिपेयर वर्कशाप को घरेलू उद्योगों की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1. अगरबत्ती एंड सिमलर प्रोडक्ट
2. एसेम्बली एंड रिपेयर आफ इलैक्ट्रिकल गजेटस
3. एजेम्बली एंड रिपेयर आफ इलैक्ट्रोनिक्स गुटस
4. एसेम्बली एंड रिपेयर आफ स्विंग मशीन
5. बैटिक वर्क्स
6. ब्लाक मैकिंग एंड फोटो इनलार्जिंग
7. बिस्किटस पेपे, केक एंड कुकिज मेकिंग
8. बटन मेकिंग, फिक्सिंग आफ बटन एंड हुक्स
9. कैलको एंड टैक्सटाइल प्रोडक्टस
10. कैन एंड बैम्बों प्रोडक्टस
11. क्ले एंड मोडलिंग
12. क्वायर एंड जूट प्रोडक्टस
13. कार्ड बोर्ड बोक्स
14. कैन्डिल
15. कापर एंड ब्रास आर्ट वेयरस
16. कार्डेज, रोप एंड टविन मेकिंग
17. कार्स्पेंटरी
18. कंटैक्ट लैंस
19. कैनवेस बैग एंड होल्डलस मेकिंग
20. कैंडिलस, शीट, रसमलाई इत्यादि
21. कोटनस/सिल्क प्रिंटिंग (बाई हैंड)
22. डेरी एंड कारपेट विविंग
23. डिटरजेंट (विदाउट बत्ती)
24. इनग्राउडरी
25. फारमिंग आफ पिक्चर्स एंड मेयर्रस
26. फउंटिन पैनस, बाल पैनस एंड फैल्ट पैनस

27. गोल्ड एंड सिलवर थ्रेड काल्तबातू
28. होजरी प्रोडक्टस (बगर डाइंग एंड बिलिचिंग)
29. हैटर, कैप, ड्रबन इनक्लूडिंग एब्रोड्रिज
30. आईवरी कारविंग
31. इंक मैकिंग फार फाउंटिंग पैनस
32. ज्वैलरी आइटम्स
33. खादी एंड हैंडलूम
34. लेस प्रोडक्टस
35. लैदर फूटवेयर
36. लैदर एंड रैक्सीन मेड अपस
37. प्रोडक्शन आफ फोलोइंग आइटम्स
    (1) बलेंको कैक
    (2) ब्रूर्स
    (3) कुलफी एंड कनफैक्सनरी
    (4) क्रेयनस
    (5) जैम, जैली एंड फ्रूट प्रीजर्व
    (6) म्यूजिकल इंसट्रूमेंट (इंक्लुडिंग रिपेयरस)
    (7) लेस वकर्स एंड लाइक
    (8) ओरनामेंट लैदर बूट लाइक पर्स, हैड बैग्स
    (9) इसमाल इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेंटस
38. नेमप्लेट मेंकिंग
39. पेपर स्टेशनरी आइटम्स बुक बाइडिंग
40. पित हट गास्लैड एंड ओथ
41. पी वी सी प्रोडक्टस (विद वन मोडलिंग मशीन)
42. पेपर मशीन
43. प्रफूयूमरी एंडी कोसमैटिक्स
44. फोटो सैटिंग
45. फोटो स्टेट एंड साइक्लोस्टालिंग
46. प्रीप्रेशन आफ वडी और पापड
47. प्रोसेसिंग आफ कैंडीमेंटस, स्पाइस मसाले, ग्राउड नट्स एंड बाल
48. पान मसाला
49. रिपेयर आफ वाच एंड क्लोकस
50. राखी मेकिंग
51. स्टोन इनगारविंग
52. स्पोर्ट गुटस
53. सर्जिकल बैंडेज रोलिंग एंड कटिंग
54. स्टोव पाइप, सेफ्टी पिन एंड इल्यूमुनियम बटन (बाई हैंड गेस)
55. सिलवर फाइनल मेकिंग
56. सारी फाल मेकिंग
57. टेलरींग
58. थ्रेरड बालस एंड कोटन फिलिंगस
59. ट्वाज एंड डाल
60. एम्ब्रेरला एसेम्बली
61. बालवेट इन्नोइडरीज सूज
62. वारमिशीली एंड मैकोरोनी
63. वूडकाविंग एंड डेकोरीटीव वूड वेयरस
64. वूल बालींग एंड लच्छी मेकिंग
65. वूडन कार्ड बोर्ड ज्वैलरी बोक्स
66. वूल निटिंग (विद मशीन)
67. जरी जर्दोजी
68. रिपेयर आफ डामेस्टिक इलैक्ट्रिकल इंड.
69. बुक बाइडिंग
70. कम्प्यूटर रिपेरिंग एंड साइबर इफोरमेशन सेंटर
71. डाटा प्रोसेसिंग
72. कम्प्यूटर साफ्टवेयर
73. डेस्क टाप पब्लिशिंग
74. एलम्यूनियम हैंगर (एक्सलूडिंग वाय ड्राइंग एंड एनओडिजिंग)

75. आयुर्वेदिक/होमोपैथिक/यूनानी मैडिसन

76. एसेम्बली आफ हैंड टूल्स

77. एसेम्बली आफ बैडमिंटन स्टल कोकस

78. ब्रूश एंड ब्रूम्स (बाई हैंड)

79. कैसट रिकार्डिंग

80. इफारमेशन टैक्नलोजी इनेबलिंग सर्विस

81. इंटरलाकिंग एंड बटनिंग

82. निटिंग वर्क्स

83. लैदर बैल्ट एंड एसेम्बली आफ बकल्स (बाई हैंड)

84. प्रोडेक्शन आफ स्वीटस एंड नमकीनस

85. पेपर मैच

86. पेपर कप, प्लेट, फाइल कवर एंड लेटर पैडस (विदाउट प्रिंटिंग)

87. फोटो ग्राफी (डवलपिंग एंड प्रिंटिंग)

88. रिडीमेड गार्मेंटस

89. रिपेयर आफ बाइसिकल्स

90. एसेम्बली एंड रिपेयर आफ कम्प्यूटर हार्डवेयर

91. एसेम्बली एंड रिपेयर आफ इलैक्ट्रीकल्स गजेटस, कूलर/हीटर (एक्सैपट एयरकंडीशनर एंड रैफ्रीरिजेटर)

92. रिपेयर आफ इलैक्ट्रोनिक गुडस

93. एसेम्बली एंड रिपेयर आफ सिविंग मशीन

94. एसेम्बली एंड रिपेयर आफ टाइपरेटर (एक्सक्लिडींग फाउंट कास्टिंग)

95. सूज लेस

96. रिपेयर आफ बैग, ब्रिफ केस, सूट केस एक्सपेट यूज आफ लेदर एंड पीवीसी मैटिरियलस

97. स्पोट्स नेटस

98. स्टैम पैड

99. टाई

100. टमाटो केचप

101. रिपेयरिंग आफ वाटर मीटर स्टैबलाइजर, यूपीएस

102. आटा चक्की

103. एसेम्बली आफ बेक लाइट स्वीच

104. एसेम्बली एंड रिपेयर आफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट (एक्सक्लूडिंग हैंडलिंग आफ मरकरी एंड हैजर्ड मैटिरियल)

105. क्ले एंड मोडलिंग विद प्लास्टर आफ पेयर्स

106. डेरी प्रोडक्टस-क्रीम, घी, पनीर

107. ड्राइक्लिंग (एक्सक्लूडिंग बिग वर्कसशाप)

108. इनेमलिंग विट्रीयस (विदाउट यूज आफ कोल)

109. खुस टाटिस

110. मिल्क क्रीम सपरेशन

111. मनेफेक्चर्स आफ जूट प्रोडक्टस

112. मनेफेक्चर्स आफ बिन्दी

113. फोटो कोपिंग आफ ड्राइंग इनक्लूडिंग इनलाजरमेंट आफ ड्राइंग एंड डिजाइन

114. पेकेजिंग आफ शैपूज

115. पेकेजिंगआफ हेयर आयल

116. रबर स्टैम्स

117. स्क्रीन प्रिंटिंग

118. यूटिनसिल वाशिंग पाउडर (ओनली मिक्सिंग पेकेजिंग)

[अनुवाद]

भारत में प्रवेश करने वाले नेपाल के नागरिक

3836. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नेपाली नागरिकों का ब्यौरा क्या है जो, विशेषकर नेपाल के राजा द्वारा वहां की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद भारत में प्रवेश कर चुके हैं;

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजद्रोह के बाद सीमा क्षेत्रों में नेपाली सेना के साथ झड़प में कोई भारतीय व्यक्ति मारा गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उनके देश में आपातकाल लागू होने के बाद नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले नेपाली लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तथापि, इन व्यक्तियों में से अधिकांश वापिस नेपाल लौट गए हैं। सशस्त्र सीमा बल, जो भारत-नेपाल सीमा की चौकसी कर रही है, ने सीमा पर सतर्कता और गश्त बढ़ा दी है। सरकार गतिविधियों से अवगत है और स्थिति का ध्यानपूर्वक प्रबोधन कर रही है।

(ग) और (घ) सरकार के पास नेपाली सेना के साथ झड़प में किसी भी भारतीय व्यक्ति के मारे जाने की सूचना नहीं है।

युवाओं का आयुवर्ग

3837. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
डा. के. धनराजू:
श्री अनंत कुमार:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 13-35 आयु वर्ग के युवाओं का एक उप-समूह बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयु वर्गों की संख्या कितनी होगी;

(ग) यदि नहीं, तो आयु वर्ग 15-19 और 28-35 के लिए योजना किस प्रकार व्यवहार्य होगी;

(घ) क्या सरकार 15 वर्ष के बच्चों तथा 35 वर्ष के व्यक्तियों के बीच के मनोवैज्ञानिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अंतर को ध्यान में रख रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इन आयु वर्ग के लोगों के समक्ष उपस्थित अनेक कठिनाइयों को स्वीकार करती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) युवा पीढ़ी के लिए खेल-कूद में "कैरियर" को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 में देश में 13 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले सभी व्यक्तियों को "युवा" परिभाषित किया गया है। 13 से 35 वर्ष के आयु समूह में विभिन्न सामाजिक भूमिका और जरूरतों वाले उप-समूहों का समूह शामिल है। अतएव, यह आयु समूह दो मुख्य उप-समूहों नामत: 13-19 वर्ष तथा 20-35 वर्ष में विभाजित है। 13-19 वर्ष के आयु समूह से संबंधित युवाओं में किशोर आयु-समूह का प्रमुख हिस्सा शामिल है।

(ग) चूंकि 13 से 35 वर्ष के आयु-समूह के सभी युवा इस मंत्रालय की चालू योजनाओं में कवर किये जाएंगे अत: 15-19 तथा 20-35 वर्ष के दो उप-समूहों के लिए इस योजना के परिचालन में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) किशोरों की अलग-अलग मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किशोरों (10-19 वर्ष) का विकास और अधिकारिता नामक एक अलग योजना अक्टूबर, 2004 से शुरू की गई है।

(च) जी, हां।

(छ) सरकार ने आठ क्षेत्रों अर्थात शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पर्यावरण पारिस्थितिकी और वन्य जीवन का संरक्षण, मनोरंजन और खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नागरिक शास्त्र और नागरिकता।

इस संबंध में युवा नीति में निम्नलिखित लक्षित समूहों का पता लगाया गया है:

1. ग्रामीण और आदिवासी युवा
2. स्कूल छोड़ चुके युवा
3. किशोर विशेषकर किशोर युवतियां
4. विकलांग युवा
5. विशेष कठिन परिस्थितियों वाले युवा जैसे अवैध खरीद-फरोख्त के शिकार अनाथ और गली के बच्चे

(ज) खेल को जीविका के रूप में अपनाने के लिए युवा पीढ़ी को आकर्षित करने की दृष्टि से निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं-

1. खेल छात्रवृत्ति योजना:- इस योजना के अंतर्गत राज्य, राष्ट्रीय और विश्वविद्यालय/कालिज स्तरों पर खेलों में (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमश: 550/- रु. प्रति माह, 700/- रु. प्रतिमाह तथा 850/- रु. प्रति माह की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वरिष्ठ महिला चैम्पियनों, भारतीय खेल प्राधिकरण में खेल कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने वाली महिलाओं तथा शारीरिक शिक्षा में एम.फिल./ पी.एच.डी. कर रही महिलाओं को महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है।

2. पुरस्कारों से संबंधित योजना: इस योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक खेल, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिपों, एशियाई खेल, एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिपों के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। शतरंज के विजेताओं को विशेष पुरस्कार भी दिए जाते हैं। पुरस्कारों की राशि 30,000/- रु. से 30,00,000/- रु. हैं।

3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निदेशों के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/प्रतिष्ठानों में भर्ती नियमों में छूट देते हुए 5% रिक्तियां श्रेष्ठ खिलाड़ियों द्वारा भरी जानी है।

पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों की गतिविधियां

3838. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जम्मू और कश्मीर में निर्दोष बच्चों को आतंकवादी समूहों में भर्ती होने के लिए धमका रहे हैं जैसा कि 15 मार्च, 2005 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे बच्चों ने राज्य/संघ सरकार से संरक्षण देने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन बच्चों को अब तक कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आतंकवादी समूहों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान। सरकार को समाचार मदों की जानकारी है। दिसम्बर, 2004 के महीनें में जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा भेजी रिपोर्ट के अनुसार सिकन्दर नाम से कोडेड एक आतंकवादी सदा कालाकोटे गांव स्थित अब्दुल मजीद की नानी के घर गया था और अब्दुल मजीद को उनके घर लाने के लिए कहा था जिससे कि उसे हथियारों के प्रशिक्षण हेतु सीमापार भेजा जा सके।

कथित आतंकवादी गांव बाई नामबल सेक्टर कालाकोटे में जनवरी, 2005 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पहले ही मारा जा चुका है।

यह भी सच है कि सीमापार के आकाओं के निर्देशों पर आतंकवादी ग्रुप लगातार निर्दोष बच्चों को प्रलोभन दे रहे हैं तथा उन्हें आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए भयभीत भी कर रहे हैं। ऐसी भर्ती का मुख्य कारण, सीमापार से प्रायोजित चालू आतंकवादी हिंसा को अधिक स्थानीय रंग देना और उसकी कोशिश करना है।

(च) आतंकवादियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदमों सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

(1) जम्मू और कश्मीर पुलिस तथा सुरक्षा बल लगातार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त आतंकवादियों तथा राष्ट्र-विरोधी तत्वों (ए एन ई) के समर्थन ढांचे को निशाना बना रहे हैं तथा उनके विरुद्ध कानून के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं।

(2) ऐसे युवकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करने से पूर्व पकड़ने के लिए अगम्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के साथ मार्गों पर कारगर निगरानी रखना।

(3) ऐसी गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करना तथा सूचनाओं के आधार पर निवारक कार्रवाई करना।

(4) ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने के लिए अलग-थलग पड़े पाकेट में रह रहे लोगों के साथ सुरक्षा बलों/जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा जन सम्पर्क कार्यक्रम।

(5) रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कराने के लिए आर्थिक और विकासात्मक नीतियों को बढ़ाना

कनिष्ठ पहलवान

3839. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा औरंगाबाद के विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में कनिष्ठ पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) पहलवानों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने घटिया सुविधाओं तथा खराब व्यवहार के कारण शिविर छोड़ दिया।

(ग) महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण से कहा गया था कि वह इस मामले में जांच करवाएं। जांच करने पर, यह पाया गया था कि राष्ट्रीय शिविरवासियों को उपलब्ध करवायी गयी खेल सुविधाएं तथा भोजन/आवास के प्रबंध संतोषजनक पाए गए। भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर शिविर में औरंगाबाद में शिविरवासियों के साथ ठहरे हुए 24 अप्राधिकृत व्यक्तियों के साथ 37 पहलवानों ने 1 मार्च, 2005 को शिविर छोड़ दिया क्योंकि 24 अतिरिक्त व्यक्तियों की मौजूदगी पर भारतीय खेल प्राधिकरण के वरिष्ठ कोच ने आपत्ति की थी। पहलवान वापस चले गए तथा शिविर में शामिल हो गए।

अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती

3840. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अर्द्ध-सैनिक बलों में विशेषकर जम्मू-कश्मीर में भर्ती के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हजारों पद भरे जाऐंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, तथा अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं;

(ग) क्या कश्मीरी पंडितों के लिए भी कोई आरक्षण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) केन्द्रीय पुलिस बल, (सी पी एफ) सामान्य रूप से वार्षिक तौर पर रिक्त होने वाले पदों और नई बटालियनें खड़ी करने के कारण उत्पन्न होने वाले पदों को भरेगें। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पुनर्निर्माण योजना के एक हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर से 5000 रिक्तियां भरी जाएंगी। राज्य-वार प्रतिशतता अनुलग्नक में दी गई है। वर्तमान सरकारी अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित राज्य-वार कोटे के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती हेतु अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) से (ङ) कश्मीरी पंडित सामान्य श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए 50% रिक्तियां आबंटित की गई हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिक्तियों की प्रतिशतता
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.03
2.	आन्ध्र प्रदेश	7.37
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.11
4.	असम	2.59
5.	बिहार	8.07
6.	चंडीगढ़	0.09
7.	छत्तीसगढ़	2.02
8.	दमन एवं दीव	0.02
9.	दादरा एवं नगर हवेली	0.02
10.	दिल्ली	1.34
11.	गोवा	0.13
12.	गुजरात	4.93
13.	हरियाणा	2.05
14.	हिमाचल प्रदेश	0.59
15.	जम्मू और कश्मीर	0.98
16.	झारखंड	2.62
17.	कर्नाटक	5.13

1	2	3
18.	केरल	3.1
19.	लक्षद्वीप	0.01
20.	मध्य प्रदेश	5.88
21.	महाराष्ट्र	9.42
22.	मणिपुर	0.23
23.	मेघालय	0.22
24.	मिजोरम	0.09
25.	नागालैंड	0.19
26.	उड़ीसा	3.57
27.	पांडिचेरी	0
28.	पंजाब	2.37
29.	राजस्थान	5.5
30.	सिक्किम	0.05
31.	तमिलनाडु	6.05
32.	त्रिपुरा	0.31
33.	उत्तर प्रदेश	16.17
34.	उत्तरांचल	0.83
35.	पश्चिम बंगाल	7.81

जर्मनी के साथ व्यापार

3841. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जर्मनी के उद्योगपतियों को न केवल स्वास्थ्य देख-भाल, बायोटेक्नोलॉजी, खाद्य-संसाधन, आभूषण तथा रसायन जैसे उभरते क्षेत्रों बल्कि प्रमुख क्षेत्रों में भी निवेश करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2003-04 के दौरान भारत और जर्मनी के बीच 5.46 बिलियन डॉलर का व्यापार था जो प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जर्मनी के पास औद्योगिक मशीनरी और मशीनरी उपकरणों के विनिर्माण के लिए उत्तम प्रौद्योगिकी आधार और विशेषज्ञता है;

(च) यदि हां, तो क्या जर्मनी इन दोनों क्षेत्रों में भारत को मदद करने की सोच रहा है; और

(छ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 4-5 अप्रैल, 2005 को हाल में हुई भारत-जर्मन संयुक्त आयोग की बैठक और जर्मन उद्योगपतियों के साथ संबंधित परस्पर कार्यकलापों के दौरान सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि जर्मन उद्योगपति द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने और दोनों पक्षों के बीच निवेश संबंध बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावित और उभरते हुए क्षेत्रों में भारत में निवेश करने पर विचार करें।

(ग) और (घ) जर्मनी के साथ द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में 2002-2003 के दौरान 18.20% की बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2003-2004 के दौरान दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.43 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था जिसमें पिछले वर्ष (2002-2003) की तुलना में 20.45% की वृद्धि हुई।

(ङ) से (च) जर्मन शिष्टमंडल में जर्मन विनिर्माण और मशीन क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए भारतीय समकक्षों के साथ परस्पर कार्य किए।

[हिन्दी]

भूमि आवंटन हेतु नई नीति

3842. श्री राजनरायन बुधीलिया:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी अस्पतालों तथा धमार्थ संस्थानों को भूमि आवंटित करने के लिए नई नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जहां तक भूमि एवं विकास कार्यालय का संबंध है, संस्थानों तथा अस्पतालों के लिए भूमि का आबंटन पूर्व-निर्धारित दरों पर पंजीकृत सोसायटीयों/ट्रस्टों को किया जाता है बशर्ते वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों तथा भूमि उपलब्ध हों। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पहले अस्पताल सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए नजूल नियमों की धारा 5 में यथा परिभाषित सार्वजनिक संस्थानों की लगभग सात सामान्य श्रेणियों को भूमि आबंटित की थी। वर्ष 2000 से डी डी ए अस्पतालों के लिए संस्थानिक भूमि सार्वजनिक नीलामी के जरिए देता है। डी डी ए ने निजी व्यावसायिक/उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों तथा मनोरंजनात्मक क्लबों के लिए भूमि नीलामी के जरिए देने का निर्णय भी किया है।

विद्यालयों, धार्मिक स्थलों जैसी अन्य श्रेणियों तथा अन्य शेष श्रेणियों के लिए भूमि देने/आबंटन की प्रक्रिया को सख्त तथा पारदर्शी बनाने के लिए नीतिगत समीक्षा की जा रही है।

आतंकवाद से निपटने के लिए वित्तीय सहायता

3843. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सहायता राशि किस प्रकार खर्च की जाने वाली थी तथा किन-किन क्षेत्रों में दी जाने वाली थी;

(घ) इस वित्तीय सहायता के लिए निबंधन और शर्तें क्या थी;

(ङ) क्या यह वित्तीय सहायता सरकार द्वारा पुन: वसूल की जानी थी;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने राशि की वसूली के लिए पंजाब सरकार से कहा है;

(छ) क्या पूर्व प्रधान मंत्री ने इस पूरी राशि को माफ कर दिया था; और

(ज) यदि हां, तो इस सहायता राशि के वसूली के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ज) राज्य में विद्रोह और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 1984-85 से 1993-94 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा पंजाब सरकार को 5799.92 करोड़ रुपए का विशेष अवधि ऋण दिया गया था। ये ऋण मुख्यत: उनकी वार्षिक योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए थे क्योंकि उक्त अवधि के दौरान राज्य में व्याप्त आतंकवाद के कारण राज्य संसाधन नहीं जुटा पा रहा था। इस अवधि के दौरान ऋणों पर ब्याज की दरें 7.5% से 12% के बीच थीं। ये आवधिक ऋण 15 से 20 वर्षों की अवधि में भारत सरकार को वापिस किए जाने थे।

पंजाब सरकार ने 771.24 करोड़ रुपए (मूलधन) तथा 1923.43 करोड़ रुपए (ब्याज) अदा किए हैं। इसके अतिरिक्त, 1995-2000 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कुल 3413.11 करोड़ रुपए (मूलधन और ब्याज) माफ कर दिए गए। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन 3772 करोड़ रुपए था। 11वें वित्त आयोग ने 2000-05 की अवधि के दौरान भुगतान हेतु देय विशेष अवधि ऋण पर ऋण और ब्याज की किश्तों के भुगतान पर ऋण चुकाने की अवधि में मोहलत की सिफारिश की थी जिससे कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सक्षम हो सके और ऋण चुकाने की बेहतर स्थिति में हो सके। 11वें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा पर किए गए व्यय की राशि पंजाब सरकार और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय द्वारा तैयार कर ली जाए इसे इस तरह किया जाए कि राज्य सुरक्षा संबंधी व्यये की प्रतिपूर्ति का पात्र हो जाए, पहले से प्रदान की गई माफी को ध्यान में रखने के पश्चात तथा ऋण चुकाने की मोहलत की अवधि की समाप्ति के बाद राज्य को ऋण पर राहत प्रदान की जा सकती है। 12वें वित आयोग ने सरकार द्वारा ऋण राहत पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक 2006-07 तक ऋण चुकाने की मोहलत बनाए रखने की सिफारिश की है। केन्द्र सरकार ने 11वें और 12वें वित्त आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

[अनुवाद]

लौह-अयस्क का निर्यात

3844. श्री जुएल ओराम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा कितनी है तथा भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या किसी प्रमुख भारतीय आयातक ने इन वर्षों में देश से लौह अयस्क का आयात बढ़ाया है या बढ़ाने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों से सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा के साथ-साथ भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य निम्नानुसार हैं:

(मात्रा लाख मी. टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
2002-2003	480.2	3655.15
2003-2004	625.8	7042.08
2004-2005 (अनंतिम)	781.5	14253.38*

(स्रोत: एमएमटीसी; *अनुमानित मूल्य)

(ख) भारत से लौह अयस्क का प्रमुख आयातक देश चीन है। चीन में लौह अयस्क का आयात वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक 262.7 लाख मी. टन से बढ़कर 594 लाख मी. टन का हो गया है।

(ग) भारत से लौह अयस्क का अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्र में तथा शेष सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अत: निर्यात हेतु प्रस्ताव सरकार के स्तर पर प्राप्त नहीं किये जाते हैं।

[हिन्दी]

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

3845. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई राज्यों में पुलिस बल के पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अनुदान देने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा ऐसी धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए पूर्ण रूप से किया गया जिसके लिए उक्त धनराशियां जारी की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राजस्थान सहित कुछ राज्यों द्वारा पुलिस बल के संबंध में विभिन्न योजानाओं तथा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार से कुछ विशेष अनुदान की मांग की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) राज्य सरकारों की इस मांग को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान। राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों से सुसज्जित करने, गतिशीलता, सुरक्षित पुलिस स्टेशनों और पुलिस आवास इत्यादि हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:-

2002-03	:	695.00 करोड़ रु.
2003-04	:	705.27 करोड़ रु.
2004-05	:	960.00 करोड़ रु.

राज्य-वार जारी सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान में 2005-06 के लिए 900 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ग) राज्यों को केन्द्रीय आबंटन उनकी जनसंख्या, पुलिस बलों की संख्या, पुलिस स्टेशनों की संख्या और अपराध दर के आधार पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, श्रीमान। निधियों का उपयोग, जैसा कि 2000-01 से 2003-04 तक राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) से (ज) मूल रूप से यह योजना 50:50 लागत अंशदान के आधार पर शुरू की गई थी। राज्य सरकारें अधिक केन्द्रीय

आबंटन हेतु अनुरोध करती रही हैं चूंकि वे उनके उतनी ही राशि का अंशदान नहीं कर सकी है। 2003-04 के केन्द्रीय वित्त पोषण, राज्यों द्वारा सीमा पार से सामना किए जा रहे आतंकवाद सहित विद्रोह/उग्रवाद के आधार पर, राज्यों का क, ख 1 और ख 2 श्रेणियों में वर्गीकरण करके, केन्द्रीय वित्त पोषण को 50:50 से बदल कर 100%, 75% और 60% कर दिया गया है। इसके बावजूद भी, बहुत से राज्य, राज्यों का पुनः वर्गीकरण हेतु कहते रहे हैं। इस संबंध में एक नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण-I

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम	2002-03 में केन्द्र द्वारा जारी किया गया	2003-04 में केन्द्र द्वारा जारी किया गया	2004-05 में केन्द्र द्वारा जारी किया गया-(अंनतिम)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	81.32	69.46	81.07
अरुणाचल प्रदेश	5.20	7.24	7.69
असम	16.50	36.52	40.64
बिहार	11.50	0.43[$]	47.97
छत्तीसगढ़	16.70	17.47	28.26
गोवा	2.00	1.40	0.28
गुजरात	50.00	42.21	39.12
हरियाणा	22.10	20.00	20.12
हिमाचल प्रदेश	6.20	0.69	3.66
जम्मू और कश्मीर	28.50	25.00	105.01
झारखण्ड	12.73	8.50	22.22
कर्नाटक	75.00	69.31	59.25
केरल	25.13	22.00	26.44
मध्य प्रदेश	51.33	48.24	40.00
महाराष्ट्र	67.94	62.84	78.88
मणिपुर	0.73	11.50	16.13
मेघालय	0.55	5.29	8.78
मिजोरम	5.50	8.47	7.03
नागालैंड	9.95	21.00	13.45
उड़ीसा	16.76	21.91	25.62

1	2	3	4
पंजाब	32.10	19.34	21.65
राजस्थान	16.17	43.10	46.10
सिक्किम	0.09*	00.94	3.51
तमिलनाडु	68.10	54.98	54.76
त्रिपुरा	5.60	12.83	10.17
उत्तर प्रदेश	60.39	65.02	110.61
उत्तरांचल	6.58	7.41	7.99
पश्चिम बंगाल	0.33*	2.17	33.59
कुल	695.00@	705.27	960.00

*सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सामने दर्शाई गई राशि केवल पोलनेट परियोजना के लिए है।
@इसमें सभी राज्यों में पोलनेट परियोजना के लिए 8.78 करोड़ रु. की राशि भी शामिल है।

विवरण-II

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना—2000-01 से 2003-04 तक—जारी की गई निधियां/उपयोगिता स्थिति (रु. करोड़ में) (31.12.2004 के अनुसार स्थिति)

राज्य का नाम	वार्षिक आवंटन	जारी की गई वास्तविक निधियां (केन्द्रीय मंत्रालय) 2000-01	उपयोगिता निधि 2000-01 (केन्द्रीय और राज्य मंत्रालय)	उपयोगिता का प्रतिशत (केन्द्रीय और राज्य मंत्रालय दोनों मिलाकर)	जारी की गई वास्तविक निधियां (केन्द्रीय मंत्रालय) 2001-02	उपयोगिता निधि-2001-02 (केन्द्रीय और राज्य मंत्रालय)	उपयोगिता का प्रतिशत (केन्द्रीय और राज्य मंत्रालय दोनों मिलाकर)	जारी की गई केन्द्रीय निधियां - पोलनेट वगराति खोज-2002-03	उपयोगिता निधि 2002-03 (केन्द्रीय और राज्य मंत्रालय)	उपयोगिता का प्रतिशत (केन्द्रीय और राज्य मंत्रालय दोनों मिलाकर)	पोलनेट हेतु वगराति खोज जारी की गई केन्द्रीय निधियां 2003-04	केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य मंत्रालय की उपयोगिता	उपयोगिता का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	82.00	72.02	144.04	100%	77.20	154.40	100%	81.32	160.79	98.87%	69.46	21.44	18.52%
अरुणाचल प्रदेश	05.20	01.15	01.39	60.43%	04.45	7.88	89.34%	5.20	2.79	25.43%	7.24	1.72	17.82%
असम	38.70	36.575	34.89	47.69%	38.59	33.53	43.44%	16.50	13.73	59.70%	36.52	27.81	38.08%
बिहार	54.00	57.585	100.80	86.89%	54.00	10.05	17.64%	11.50	13.43	58.39%	0.43$	0.43	100.00%
छत्तीसगढ़	19.00	20.575	41.01	99.67%	21.97	41.48	94.41%	16.70	29.41	88.10%	17.47	11.82	53.00%
गोवा	02.00	02.02	03.54	87.52%	02.00	2.50	62.50%	2.00	2.20	55.00%	1.40	2.09	89.70%
गुजरात	50.00	59.76	111.55	93.00%	50.00	92.59	92.59%	50.00	92.00	92.00%	42.21	70.35	100.00%
हरियाणा	22.10	28.325	56.67	100.00%	24.46	48.92	100%	22.10	44.20	100%	20.00	20.00	100.00%
हिमाचल प्रदेश	06.70	01.34	01.34	100%	06.38	6.32	49.53	6.20	0.30	4.83	0.69	0.69	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जम्मू और कश्मीर	28.50	30.825	61.65	100%	28.50	52.20	92.00%	28.50	43.57	76.44%	25.00	00.00	शून्य
झारखण्ड	18.00	40.15	66.85	83.25%	28.93	55.47	95.85%	12.73	24.84	97.53%	8.50	7.14	63.02%
कर्नाटक	75.00	82.85	165.70	100.00%	76.90	153.62	99.78%	75.00	137.66	91.77%	69.31	107.29	77.39%
केरल	31.50	29.28	53.59	91.49%	31.16	57.48	99.33%	25.13	50.26	100%	22.00	36.67	100.00%
मध्य प्रदेश	53.00	54.49	108.97	100%	53.00	102.63	96.82%	51.33	70.76	68.93%	48.24	31.82	32.98%
महाराष्ट्र	92.10	83.10	140.34	84.44%	92.10	182.55	99.10%	67.94	113.51	98.26%	62.84	30.47	29.09%
मणिपुर	10.50	04.10	3.54	43.17%	04.95	2.37	23.93%	0.73	0.30	20.54%	11.50	4.84	42.09%
मेघालय	5.50	01.54	01.54	50%	05.19	5.49	52.89%	0.55	1.10	100%	5.29	2.63	37.30%
मिजोरम	5.50	04.95	09.91	100%	05.50	11.00	100%	5.50	5.50	50.00%	8.47	1.76	15.59%
नागालैंड	13.50	02.84	05.68	100%	13.46	26.94	100%	9.95	19.90	100%	21.00	0.47	1.68%
उड़ीसा	30.50	30.575	30.575	100%	30.50	30.50	100%	16.76	29.69	88.57%	21.91	16.88	45.85%
पंजाब	32.10	35.76	70.62	98.73%	32.10	30.02	46.77%	32.10	19.97	31.11%	19.34	5.01	15.54%
राजस्थान	61.10	45.525	91.05	100%	61.10	89.19	72.98%	16.17	30.24	94.11%	43.10	7.88	10.97%
सिक्किम	0.3.20	01.83	00.21	05.73%	2.87	1.78	31.01%	0.09*	00.00	00.00	00.94	0.69	55.20%
तमिलनाडु	68.10	76.50	150.20	100.00%	68.10	136.20	100%	68.10	136.20	100.00%	54.98	83.85	91.51%
त्रिपुरा	05.60	06.39	12.79	100%	05.60	10.31	92.05%	5.60	5.07	45.26%	12.83	1.60	12.50%
उत्तर प्रदेश	123.52	123.97	219.69	88.61%	116.05	194.68	83.88%	60.39	103.05	85.32%	65.02	21.72	20.04%
उत्तरांचल	06.58	05.50	10.04	91.18%	08.44	16.88	100.00%	6.58	12.12	92.09%	7.41	7.47	50.40%
पश्चिम बंगाल	56.50	60.475	67.57	5.87%	56.50	41.56	36.78%	0.33*	00.00	00.00	2.17	0.95	26.24%
कुल	1000.0	1000.0	1765.745	88.37%	1000.00	1598.54	79.92%	695.00@	1162.59	83.63%	705.27	525.49	37.80%

*सिक्किम और पश्चिम बंगाल के समाने दर्शाई गई राशि केवल पोलनेट परियोजना के लिए है।
@ इसमें सभी राज्यों में पोलनेट परियोजना के लिए 8.78 करोड़ रु. की राशि भी शामिल है।

[अनुवाद]

निर्यात

3846. श्री अनन्त नायक: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र देशों को फार्मास्यूटिकल तथा रासायनिक वस्तुओं का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रमंडल के प्रत्येक स्वतंत्र देश को निर्यातित वस्तुओं का मूल्य कितना है; और

(ग) अन्य देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ऐसी वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (ग) जी हां। तीन वर्षों के दौरान स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल (सीआईएस) के देशों को निर्यात निम्नानुसार रहे हैं:

(करोड़ रु. में)

देश का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
आर्मेनिया	0.52	0.84	0.74
अजरबैजान	2.14	5.85	9.27
बेलारूस	6.04	18.06	17.22
जार्जिया	3.31	3.45	4.41
कजाकिस्तान	10.25	56.34	48.47
किरगिस्तान	2.62	0.60	3.04
माल्दविया	4.74	10.71	6.40
रूस	481.08	517.65	625.03
ताजिकिस्तान	1.71	4.68	4.46
तुर्कमेनिस्तान	6.84	7.25	6.71
यूक्रेन	112.19	151.19	199.14
उजबेकिस्तान	7.15	8.94	17.34
जोड़	638.59	785.56	942.23

पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधि, भेषज एवं रसायनों का भारत का वैश्विक निर्यात निम्नानुसार रहा था:-

(करोड़ रु. में)

2001-02	2002-03	2003-04
9834.68	12826.10	14321.10

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

3847. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए आवंटन तथा व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान 'मध्याह्न भोजन योजना' के तहत आवंटन तथा 21.3 लाख मेगाटन खाद्यान्न का उपयोग नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक वर्ष इतनी बड़ी आवंटित राशि का उपयोग न कर पाने के बावजूद भी 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर लगाने का औचित्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत आवंटन तथा खाद्यान्नों के लदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

केवल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन ही प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र की योजनाएं नहीं हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना सर्व शिक्षा अभियान के लिए इस अवधि के दौरान पर्याप्त आवंटन उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना को वर्ष 2004-05 में संशोधित किया गया है जिसके तहत इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ रसोई बनाने की लागतों को पूरा करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप मध्याह्न भोजन योजना के लिए ही लगभग 2000 करोड़ रु. प्रति वर्ष की आवश्यकता हुई। अत: विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान तथा संशोधित मध्याह्न भोजन योजना के लिए प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय योजनागत आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हेतु शिक्षा उपकर लगाना आवश्यक हो गया था।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत किया गया राज्यवार आवंटन तथा व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		जारी की गई निधियां (भारत सरकार का हिस्सा)	व्यय	जारी की गई निधियां (भारत सरकार का हिस्सा)	व्यय	जारी की गई निधियां (भारत सरकार का हिस्सा)	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	239.00	170.39	119.60	125.59	94.69	130.02
2.	उत्तरांचल	20.00	17.93	11.52	20.54	13.10	16.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	64.00	40.53	128.33	48.37	37.00	65.25
4.	झारखंड	41.00	50.26	71.50	71.84	77.51	100.10
5.	आन्ध्र प्रदेश	165.00	101.65	90.00	108.40	155.00	106.83
6.	राजस्थान	113.00	135.09	185.00	187.51	105.00	91.51
7.	पश्चिम बंगाल	78.50	66.37	81.40	58.53	62.91	51.18
8.	उड़ीसा	73.00	25.63	61.38	37.49	29.91	41.29
9.	गुजरात	46.68	13.88	28.88	25.19	22.97	23.11
	कुल	840.18	621.73	777.61	683.16	597.91	625.29

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत आवंटन तथा खाद्यान्नों के लदान की स्थिति

(आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	आबंटन	लदान
2001-2002	28.62	20.76
2002-2003	28.37	21.76
2003-2004	26.84	21.30

[अनुवाद]

अनुसंधान क्षेत्र में विदेशी निवेश

3848. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री तथागत सत्पथी:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भेषज और औषध क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधियों की उत्पाद पेटेंट प्रणाली अपनाने से दवाइयों के निर्यात में कमी आएगी;

(घ) यदि हां, तो 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान कितने मूल्य की दवाइयों का निर्यात किया गया;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि/कमी दर्ज की गई; और

(च) देश में उत्पाद पेटेन्ट प्रणाली शुरू करने के कारण किन-किन दवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण

3849. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण की गति तेज करने का है ताकि क्षेत्र 'क' और 'ख' के सभी कर्मचारियों को वर्ष 2005 को संशोधित निर्धारित अवधि के अंत तक हिन्दी प्रशिक्षण दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) ''क'' और ''ख'' क्षेत्र में हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा सघन प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) हिन्दी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक एवं अंशकालिक केन्द्रों, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गहन प्रशिक्षण

वर्तमान में ''क'' और ''ख'' क्षेत्र में हिन्दी भाषा के 6 पूर्णकालिक एवं 13 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं एवं 06 हिन्दी प्राध्यापक कार्यरत हैं।

''क'' क्षेत्र में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपी के 10 पूर्णकालिक एवं 16 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं तथा 10 सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) कार्यरत हैं।

''ख'' क्षेत्र में हिन्दी भाषा के 17 पूर्णकालिक एवं 10 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र है एवं 18 हिन्दी प्राध्यापक कार्यरत हैं।

''ख'' क्षेत्र में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि के 04 पूर्णकालिक एवं 10 अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं तथा 04 सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) कार्यरत हैं।

(2) जिन स्थानों पर हिन्दी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं वहां स्थित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी भाषा एवं हिन्दी टंकण प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई है।

(3) इसके अतिरिक्त प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों को कम्प्यूटर पर स्वयं शिक्षण हेतु राजभाषा विभाग के पोर्टल पर नि:शुल्क उपलब्ध करवा दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त सभी प्रयासों के होते हुए ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्र में हिन्दी प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या इतनी है कि उन सभी को वर्ष 2005 के अंत तक प्रशिक्षित करा पाना संभव नहीं है।

दिल्ली पुलिस कर्मियों को पुरस्कार

3850. श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2004 में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में शामिल दिल्ली पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देने हेतु कोई योजना तैयार की है जैसी कि 07 जनवरी, 2005 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 के दौरान ऐसी मुठभेड़ों का ब्यौरा क्या है जिनमें पुलिस कर्मी शामिल हुए;

(ग) ऐसी मुठभेड़ों में कितने पुलिस कर्मी मारे गए और घायल हुए तथा उन्हें पुरस्कृत करने हेतु क्या योजना तैयार की गई;

(घ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा नकली मुठभेड़ों के संबंध में भी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस एक 'प्रोत्साहन योजना' कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत असाधारण कार्य या बहादुरी का कार्य करने वाले पुलिस कर्मिकों का कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को बिना बारी पदोन्नति प्रदान करके, असाधारण कार्य पुरस्कार, पुलिस आयुक्तों के रोल, प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे, इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के

पुरस्कारों के भी पात्र हैं। वर्ष, 2004 के दौरान मुठभेड़ों और मारे गए दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की संख्या के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:

एफ आई आर सं. और दिनांक	मारे गए अपराधियों/ उग्रवादियों की सं.	मारे गए पुलिस कर्मिकों की सं.
197/2004, 7.4.2004	1	शून्य
217/2004, 11.04.2004	2	शून्य
442/2004, 12.06.2004	2	शून्य
345/2004, 17.08.2004	1	शून्य
413/2004, 30.12.2004	1	1

(घ) जी नहीं श्रीमान। वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 (31.3.2005 तक) के दौरान कोई भी नकली मुठभेड़ ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यान समिति का गठन

3851. मो. मुकीम: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में अपने पार्कों की दशा सुधारने हेतु एक उद्यान समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान डीडीए द्वारा अपने प्रत्येक पार्क के रखरखाव पर कितनी राशि खर्च की गई और पार्कों की वर्तमान स्थिति कैसी है; और

(घ) पार्कों की स्थिति सुधारने हेतु वर्ष 2005-06 के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि उसके पार्कों की स्थिति सुधारने के लिए इंजीनियरिंग सदस्य, डीडीए की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें गैर सरकारी सदस्य और डीडीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

(ग) यह सूचित किया गया है कि डी.डी.ए. के अधीन 3015 पार्क हैं और वर्ष-वार खर्च इस प्रकार है:-

2001-2002	6720.06 लाख रु.
2002-2003	7039.01 लाख रु.
2003-2004	7318.83 लाख रु.

डीडीए के अधीन रखरखाव वाले अधिकांश पार्कों की स्थिति संतोषजनक बताई गई और इसमें और सुधार के लिए प्रयास किए गए हैं।

(घ) डीडीए द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए अपने बजट में से इस प्रयोजन के लिए 114.19 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात व्यवस्था

3852. श्री मोहन सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रमंडल खेलों- 2010 के दौरान यातायात प्रबंधन हेतु अंतरिम कार्य योजना तैयार की है। इसी तरह, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के यातायात विभाग ने भी राष्ट्रमंडल खेलों - 2010 के दौरान परिवहन व्यवस्था करने के लिए अंतरिम कार्य योजना तैयार की है। इन कार्य योजनाओं में परिकल्पित उपायों में शामिल हैं: यातायात का सुरक्षित और सहज प्रवाह; उपयुक्त पार्किंग व्यवस्था; शहर के अंदर और शहर के बाहर यातायात का सहज प्रवाह; वाणिज्यिक वाहनों का विनियमन विपथन, भाग लेने वालों के आगमन और प्रस्थान हेतु उपयुक्त व्यवस्था; मेट्रो रेल प्रणाली का विकास और परिचालन; समेकित रेल-बस परिवहन प्रणाली; परिवहन की वैकल्पिक विधि का विकास; विद्युत ट्रोली बस प्रणाली; लाइट रेल ट्रांसिट प्रणाली; तथा अन्तर-राज्यीय बस टर्मिनलों का निर्माण।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3853. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादक राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल से कितने समुद्री उत्पादों/मत्स्यन उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार समुद्री उत्पादों/मत्स्यन निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रत्येक उत्पादक राज्य को आवश्यक सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो बुनियादी ढांचा सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) समुद्री उत्पादों के निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पश्चिम बंगाल के पत्तनों के जरिए हुए निर्यातों समेत भारत से निर्यातित समुद्री उत्पादों की कुल मात्रा निम्नानुसार रही है:-

मात्रा टनों में

वर्ष	समुद्री उत्पादों का निर्यात	इसमें से पश्चिम बंगाल के पत्तनों के जरिए निर्यातित मात्रा
2001-02	4,24,470	17,692
2002-03	4,67,297	17,619
2003-04	4,12,017	18,001

(ख) जी हां।

(ग) सरकार द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक स्कीमें चलाई जा रही हैं। इन स्कीमों में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीमें; स्वच्छता एवं गुणवत्ता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु कदम; जलकृषि विस्तार; रोगों के प्रकोप की रोकथाम हेतु ठोस प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के लिए जलकृषकों का प्रशिक्षण देने की स्कीम; निर्यात हेतु मूल्यवर्द्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता; विपणन सहायता आदि शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार बुनियादी सुविधाओं की स्थापना हेतु आवश्यक कदम भी उठा रही है।

चंडीगढ़ में अव्यवस्थित साईन बोर्ड

3854. श्री पवन कुमार बंसल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विज्ञापन को विनियमित करने के लिए कोई कानून है जिससे कि अव्यवस्थित साईन बोर्ड लगाये जाने पर अंकुश लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या चुनाव अवधि को छोड़कर इसके अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान। चंडीगढ़ में विज्ञापनों को चंडीगढ़ विज्ञापन नियंत्रण आदेश, 1954 के अधीन विनियमित किया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमान। चंडीगढ़ में अवैध विज्ञापन पट्टों को हटाने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की गई है।

(ग) जून-जुलाई, 2003; अगस्त, 2004 और फरवरी, 2005 में उस समय अवैध विज्ञापन पट्टों को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाए गए थे जब क्रमश: सेक्टर 7, 8, 26, मध्यमार्ग और सेक्टर 17 ई के बाजारों, सेक्टर 18 तथा 22 के बाजारों और सेक्टर 20, 22, 34, और 35 के बाजारों से अवैध विज्ञापन पट्ट हटाए गए थे। सेक्टर 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 23, 22, 30 तथा मणीमाजरा के संबंध में नोटिस जारी करने का अभियान भी चलाया जाएग। शहर के बाकी सेक्टरों को भी वर्तमान चालू अभियान में शामिल करने का प्रस्ताव है।

खेलों को प्रोत्साहन

3855. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री इलियास आजमी:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मूल के खेलों के लिए आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्रिकेट को अत्यधिक वरीयता और बढ़ावा देने के कारण भारतीय मूल के पारस्परिक खेल यथा-कबड्डी, खोखो, अट्यया-पट्यया और अन्य खेल धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए है;

(घ) क्या सरकार का ग्राम खेलकूद अकादमी स्थापित करके और ग्रामीणों को प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ग्रामीण खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्राम खेलकूद अकादमी कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) खेल राज्य का विषय है तथा राज्य स्तर पर उसका संवर्धन संबंधित राज्य सरकार को जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के संवर्धन के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मूल की विधाओं जैसे आत्या-पात्या, कैरम, कबड्डी और खो-खो से संबंधित मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को 1.92 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। तथापि, ऐसे खेलों के लिए प्रतियोगितावार तथा राज्यवार कोई विशिष्ट धनराशि जारी नहीं की जाती। इसके अलावा, ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अंतर्गत खो-खो तथा कबड्डी खेलविधा में खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। क्रिकेट विधा सरकार की अग्रता सूची में नहीं है तथा क्रिकेट (पुरूष) के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती। क्रिकेट (महिला) के लिए सरकार केवल राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। भारतीय मूल की विधाओं तथा ग्रामीण आधार वाली खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को राष्ट्रीय खेल परिसंघ की सहायता की योजना के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण खेल कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं।

(घ) से (च) सरकार ने राज्य खेल अकादमी की योजना 10-13 वर्ष की आयु के बीच सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध सामर्थ्य का चयन करने तथा उनको माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के वर्षों के दौरान वैज्ञानिक रूप से विकसित करने और प्रमाणित एवं परीक्षित सामर्थ्य को कालेज स्तर तक लाने की अवधारणा के साथ शुरू की है। अकादमी को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन और प्रायोजक द्वारा 51: 25: 24 के अनुपात में संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएग। कुछ राज्य सरकारों ने योजना में रूचि दिखायी है। तथापि, अभी तक ऐसी अकादमी को मंजूरी नहीं दी गयी है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सब-जूनियर/जूनियर/सीनियर आयुवर्ग में प्रतिभावान बच्चों का पता लगाने तथा पोषण करने के लिए भारतीय खेल प्रधाकरण निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना
2. सेना बाल खेल कंपनी योजना
3. भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र योजना
4. विशेष क्षेत्र खेल योजना
5. उत्कृष्टता केन्द्र

एकपक्षीय टैरिफ रियायतें

3856. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कम विकसित देशों को एकपक्षीय टैरिफ रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या कृषि वस्तुओं को भी इन रियायतों में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसका भारतीय कृषि वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) ऐसी रियायतें प्रदान करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) अल्प विकसित देशों में कुछ सबसे गरीब और अत्यधिक अविकसित देश हैं। भारत इन देशों को उनके आर्थिक विकास में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता की पेशकश करता है। भारत सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) जैसी अधिमान व्यापार व्यवस्थाओं में भागीदारी करने वाले अल्प

विकसित देशों को अनेक उत्पादों पर अत्यधिक टैरिफ रियायतें प्रदान करता है। इस समय सभी अल्प विकसित देशों को एकतरफा टैरिफ वरीयता प्रदान करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस समय सभी अल्प विकसित देशों की एकतरफा टैरिफ वरीयता प्रदान करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) कुछ देश अल्प विकसित देशों को एकतरफा टैरिफ रियायतें प्रदान कर रहे हैं। इनमें लगभग सभी विकसित देश जैसे अमरीका, ईसी, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल हैं। विकासशील देशों में चीन, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका भी एकतरफा टैरिफ रियायतें प्रदान कर रहे है।

खनिजों का निर्यात

3857. श्री दुष्यंत सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात आज तक विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान से निर्यात के प्रयोजनार्थ खरीदे गए खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस खनिजों का राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या राजस्थान सहित राज्यों की निर्यात क्षमता का पूर्णतया आकलन किया गया और दोहन किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) महोदय, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित खनिज और अयस्क के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(अनंतिम आंकड़े) (मात्रा: लाख टन, मूल्य करोड़ रु)

मद	2002-03		2003-04		2004-05 (अप्रैल-जनवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह अयस्क	570.93	4200.44	903.52	5133.63	525.32	8797.75
अभ्रक	336.08	40.85	697.50	76.67	850.61	51.86
कोयला	15.16	258.29	15.79	266.29	9.55	166.39
प्रसंस्कृत खनिज	आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	2662.87	आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	2827.77	आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	2749.51
अन्य अयस्क एवं खनिज	आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	2497.47	आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	2451.39	आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	2642.42

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस)

खनिज एवं अयस्क के निर्यातों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि निर्यात एवं आयात संबंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र किया जाता है।

ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु योजनाएं

3858. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री एम. अंजन कुमार यादव:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और इस हेतु आवंटित/जारी/प्रयुक्त निधियों का योजना-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्व-शक्ति परियोजना के अंतर्गत क्रमश: विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी.) द्वारा आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

बेल्जियम के साथ व्यापार

3859. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेल्जियम के प्रिंस फिलिप ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बेल्जियम ने फिक्की को संबोधित करते हुए बैंकिंग, विनिर्माण, परामर्श और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश में गहरी रूचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हीरा, रत्न और आभूषण द्विपक्षीय व्यापार के प्रमुख घटक हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा कितना व्यवसाय किया गया; और

(च) दोनों देशों द्वारा इस क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने हेतु क्या भावी योजना तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) बेल्जियम के प्रिंस फिलिप ने 12 और 19 मार्च, 2005 के बीच एक सरकारी एवं व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ भारत का दौरा किया था। भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत के दौरान बेल्जियम के व्यापारियों ने बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, परामर्शी सेवाओं एवं विनिर्माण सहित संभावना वाले क्षेत्रों में भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में रुचि प्रदर्शित की है।

(घ) से (च) रत्न एवं आभूषण, मोती बेशकीमती/कीमती पत्थर भारत एवं बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय व्यापार की प्रमुख मदें हैं। पिछले तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04) के दौरान इस क्षेत्र में भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय व्यापार क्रमश: 3.34 बिलियन अमरीकी डॉलर, 4.24 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 4.49 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा अप्रैल, 2004-जनवरी, 2005 की अवधि के दौरान 4.22 बिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ था।

भारत के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने संबंधी योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग को अन्य कार्यकलापों के अलावा बाजार अध्ययन करने, व्यापार मेलों में भागीदारी इत्यादि हेतु सुविधा प्रदान करना शामिल है। द्विपक्षीय व्यापार में आने वाली किसी बाधा को दूर करने के लिए सरकार व्यापारिक भागीदारों के साथ निरंतर बातचीत भी करती रहती है।

केन्द्रीय भंडार को सामान्य पूल के आवासों का आवंटन

3860. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री 20 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1876 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भंडार को सामान्य पूल आवास आवंटित किये जाने की समीक्षा का क्या परिणाम निकला और आवास कब तक खाली कराये जाने की संभावना है;

(ख) क्या रिहायशी आवासों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देना सरकार की नीति के विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपनी ही निर्दिष्ट नीतियों का उल्लंघन करने का क्या कारण है;

(घ) क्या अपात्र व्यक्तियों/संस्थानों को सामान्य पूल के आवास आवंटित किये जाने के कारण बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी सामान्य पूल आवासों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय भंडार को सामान्य पूल रिहायशी आवास के आवंटन की समीक्षा वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो इस मामले में नोडल प्राधिकारी हैं, के परामर्श से शुरू की गयी है। अंतविभागीय परामर्श के पूरा होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(ख) रिहायशी आवास में वाणिज्यिक कार्यकलापों की अनुमति नहीं देना सरकार की नीति रही है।

(ग) वर्ष 1953 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संरक्षण में केन्द्रीय भंडार की दुकानों को चलाने के लिए प्रति माह एक रुपये की दर से नाममात्र की लायसेंस फीस तथ सेवा शुल्कों के भुगतान पर उपयुक्त सामान्य पूल रिहायशी आवास के आवंटन का निर्णय लिया गया था। केन्द्रीय भंडार भारत सरकार की एक कल्याणकारी परियोजना है तथा इसकी स्थापना विशेषकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा सामान्य जनता को उचितदरों पर अच्छी

गुणवत्ता वाली उपभोक्ता वस्तुएं और सरकारी विभागों को लेखन सामग्री एवं अन्य वस्तुएं मुहैया कराने के उद्देश्य से की गयी थी।

(घ) तथा (ङ) सामान्य पूल रिहायशी आवासों का अभाव है जिसके कारण सरकार सभी पात्र अधिकारियों को सरकारी आवास दे पाने की स्थिति में नहीं है। तथापि, ऐसे कर्मचारियों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर आवास किराया भत्ते का भुगतान किया जाता है। अपात्र व्यक्तियों/संस्थानों को सरकारी आवास का आबंटन सरकार की नीति के अनुसार किया गया है।

आर्थोडोक्स चाय का आयात

3861. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सस्ती वेनिटी आर्थोडोक्स चाय का आयात किया जा रहा है, जिसका ब्लेन्डिंग के बाद पुन: निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयातित मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा आयात का स्रोत क्या है;

(ग) क्या कम इकाई मूल्य पर सस्ती किस्म की ब्लेन्डेड चाय के निर्यात से दीर्घकाल में भारतीय चाय के हितों को नुकसान पहुंचने की कोई आशका है क्योंकि प्रसिद्ध ब्राण्डों का नाम घटिया चाय से जुड़ जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो चाय निर्यात के मामले में देश के दीर्घावधि वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पुनर्निर्यात के लिए भारत में घटिया क्वालिटी की चाय के आयात की कुछ घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के आयातों की अनुमानित मात्रा (मिलि. कि.ग्रा. में) नीचे दी गई है:

देश का नाम	2002	2003	2004
वियतनाम	12.02	1.11	17.28
केन्या	1.47	1.22	3.30
नेपाल	2.63	2.56	2.86
इंडोनेशिया	4.43	2.80	2.65
चीन	0.17	0.36	1.66
अन्य	4.08	1.81	2.77
कुल	24.80	9.86	30.52

(ग) और (घ) चाय के निर्यातों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत पर सरकार ध्यान देती आ रही है। यह निर्णय लिया गया है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि केवल अच्छी क्वालिटी की चाय का ही निर्यात किया जाए चाहे ऐसा घरेलू तौर पर उत्पादित चाय के निर्यात द्वारा हो अथवा आयातित चाय के पुनर्निर्यात द्वारा। क्वालिटी बनाए रखने और भारतीय चाय की ब्रांड इक्विटी को कायम रखने के उद्देश्य से सरकार ने चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के अधिक्रमण में 01.04.2005 को चाय अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अंतर्गत एक नया चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 जारी किया है। नए आदेश में निर्धारित किया गया है कि चाय और सभी प्रकार कि चाय, चाहे वह आयातित हो अथवा निर्यातित हो, के लिए नए आदेश में उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुरूप कठोर मानदण्ड होने चाहिए। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि आयात अथवा निर्यात के लिए नियत चाय की सभी खेपों, को ऐसी प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसके द्वारा चाय की गुणवत्ता और इसके उद्गम के देश का निर्धारण और प्रदर्शन किया जाएगा। चाय बोर्ड उक्त प्रमाणन प्रक्रिया की नोडल एजेंसी होगा। चाय के निर्यात की प्रत्येक खेप के संबंध में उद्गम संबंधी गैर-अधिमानी प्रमाण पत्र चाय बोर्ड अथवा इसकी किसी भी निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा जारी किया जाएगा। नए आदेश में आयातित सभी चायों के निर्यात पर 50% का न्यूनतम मूल्यवर्धन संबंधी मानदण्ड भी निर्धारित किया गया है और आयातित चाय के निर्यात के लिए आयात की तारीख से 6 महीने की समय-सीमा तय की गई है। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत क्रियाविधि पुस्तिका में अनुवर्ती परिवर्तन भी किए गए हैं।

उड़ीसा में जनजातियों का विकास

3862. श्री सुग्रीव सिंह: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा का कांधामल जिला जनजाति बहुल और घना वन क्षेत्र है;

(ख) क्या सरकार की वन से प्राप्त अपने उत्पादों हेतु जनजातियों के लिए कोई कल्याण योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस जिले की जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) जी हां। मंत्रालय वर्ष

1992-93 से राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना चला रहा है। योजना के अंतर्गत राशि की निर्मुक्ति राज्यों को की जाती है, न कि जिलों को। यह सहायता (1) लघु वन उत्पादों के प्रापण के परिमाण में वृद्धि हेतु उनके शेयर आधार को मजबूत करने, (2) वैज्ञानिक वेयर हाऊसों का निर्माण करने, (3) लघु वन उत्पादों के मूल्य वर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने तथा (4) इसके साथ ही निगमों की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को निर्मुक्त राशि का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	निर्मुक्त राशि
2001-02	200.00
2002-03	400.00
2003-04	30.00
2004-05	-

[हिन्दी]

तकनीकी संस्थानों की स्थापना

3863. श्री ब्रजेश पाठक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक भारत-जर्मन सहयोग से स्थापित तकनीकी संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों कुछ और तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संस्थानों की स्थापना हेतु किन क्षेत्रों का चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

3864. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
मो. ताहिर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने उक्त योजना पर सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) सरकार का भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने और देश के नागरिकों को बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। इस समय 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ चुने हुए उप-जिलों में प्रायोगिक आधार पर केवल एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभव और सीख को इस योजना को पूरे देश में शुरू करने से पहले ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया लॉयर्स फोरम फार सिविल लिबर्टीज (एआईएलएफसीएल) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्यों के मामले में 1998 की रिट याचिका (सिविल) सं. 125 के संबंध में 17 मार्च, 2005 को भारत संघ को निदेश दिया था कि वह मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के काउंसल द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में अपने उत्तर दायर करें जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन और कम्प्यूटरीकरण के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन और कम्प्यूटरीकृत करने से संबंधित स्थिति से भारत सरकार की ओर से दायर हलफनामे के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय को 29 मार्च, 2005 को अवगत करा दिया गया था।

आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास

3865. श्री रामदास आठवले:
श्री मित्रसेन यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आत्मसमर्पण करने वाले कुछ आतंकवादियों की केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे आतंकवादियों की संख्या कितनी है और इन बलों में उनकी भर्ती का क्या आधार है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर के कतिपय जिलों में आत्मसमर्पण करने वाले कुछ आतंकवादियों ने पुनर्वास कैम्पों को छोड़ दिया है;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक इनकी संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा इन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) 1997 से 2004 तक केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों की संख्या नीचे दी गई है:

	सीमा सुरक्षा बल	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
जम्मू और कश्मीर	301	627
असम	316	352

आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवदियों की केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती का कारण उनका पुनर्वास करना तथा उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में वापिस लाना है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई आत्मसमर्पण की नीति के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के लिए पुनर्वास केन्द्रों में रहना अनिवार्य नहीं था। उन्हें उनके अपने स्थानों में रहने की अनुमति थी।

(च) जम्मू और कश्मीर सरकार ने आत्मसमर्पण की एक नीति तैयार की है जो 31.1.2004 से लागू हुई है। नई नीति की मुख्य बातों में वित्तीय लाभ प्रदान करना, समर्पित हथियारों हेतु प्रोत्साहन, स्व-रोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है।

[अनुवाद]

बालिका समृद्धि योजना

3866. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत अब तक की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2002-2003 तथा 2003-04 के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को आवश्यक उपयोग प्रमाण पत्र भेज दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से गुजरात राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों को 2003-04 के लिए कब तक निधियों की प्रतिपूर्ति किए जाने तथा निधियां जारी किये जाने की संभावना है;

(ङ) योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के लिए राज्य-वार कितना बजट आवंटित किया गया;

(च) क्या सरकारका विचार पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्यों को अधिक धनराशि आबंटित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) निर्मुक्त राशि तथा लाभान्वित व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्यों द्वारा उपयोग का ब्यौरा विवरण के कॉलम-IV में दिया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने 489.80 लाख रुपये का उपयोग किया, जबकि उन्हें 582.31 लाख रुपये निर्मुक्त किये गये थे। चूंकि राज्य सरकार ने पूरी राशि का उपयोग नहीं किया, इसलिए वर्ष 2004-05 में उन्हें 400.00 लाख रुपये की तदर्थ राशि निर्मुक्त की गयी है।

(घ) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, जिन्होंने पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशि का उपयोग कर लिया है, वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 हेतु राशि की प्रतिपूर्ति तथा वर्ष 2004-05 हेतु राशि की निर्मुक्ति कर दी गयी है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण के कॉलम-V में दिया गया है।

(च) और (छ) सरकार का इस स्कीम को 2005-06 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है। अत: इस स्कीम के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

विवरण

बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत निर्मुक्त राशि, उपयोग में लायी गयी राशि तथा लाभार्थियों की संख्या

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल निर्मुक्त राशि (1997 से 2000)*	उपयोग की गयी कुल राशि	2004-05 के दौरान निर्मुक्त की गयी राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1405.54	1137.33	500.21	2299.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.85	18.27	00	3654
3.	असम	594.02	561.25	00	112250
4.	बिहार	2623.91	690.00	00	138000
5.	गोवा	16.41	8.50	00	1700
6.	गुजरात	982.31	489.80	400.00	104123
7.	हरियाणा	291.74	226.02	63.29	45203
8.	हिमाचल प्रदेश	115.97	93.86	00	18972
9.	जम्मू व कश्मीर	229.99	156.47	00	31294
10.	कर्नाटक	1417.73	927.37	490.36	178508
11.	केरल	875.47	275.47	600.00	128877
12.	मध्य प्रदेश	2247.21	1593.99	258.78	351229
13.	महाराष्ट्र	1146.40	691.21	00	138242
14.	मणिपुर	41.41	21.80	00	4360
15.	मेघालय	57.83	38.19	19.00	5333
16.	मिजोरम	18.72	18.72	30.00	3744
17.	नागालैण्ड	13.22	7.14	00	1428
18.	उड़ीसा	2093.65	1412.42	620.00	282471
19.	पंजाब	432.65	196.43	236.22	32280
20.	राजस्थान	837.62	811.09	00	162218
21.	सिक्किम	15.43	10.49	3.50	2097
22.	तमिलनाडु	575.97	350.40	00	70080

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	144.20	83.20	60.00	16640
24.	उत्तर प्रदेश	3311.77	1636.54	00	327308
25.	पश्चिम बंगाल	924.46	690.22	00	138044
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.15	0.57	00	114
27.	चंडीगढ़	5.50	3.83	00	766
28.	दादर व नगर हवेली	5.91	3.93	1.98	804
29.	दमन व दीव	1.87	0.59	00	118
30.	दिल्ली	50.17	28.08	00	5616
31.	लक्षद्वीप	1.97	0.58	00	116
32.	पाण्डिचेरी	34.51	10.06	18.60	3182
33.	छत्तीसगढ़	593.90	593.90	393.90	78780
34.	झारखण्ड	100.00	63.66	00	12732
35.	उत्तरांचल	379.24	100.00	279.24	30848
	कुल	21615.69	12952.38	3975.08	2661109

*वर्ष 2004-05 के दौरान निर्मुक्त 3975.08 लाख रुपये शामिल हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास

3867. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश सरकार के उस आदेश की ओर आकर्षित किया गया है जिसके द्वारा प्रत्येक नई औद्योगिक इकाई के लिए हिमाचल प्रदेश के कम से कम 70% निवासियों को इन इकाईयों में नियोजित करना आवश्यक कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली और मुम्बई का शंघाई की तरह विकास

3868. श्री बापू हरि चौरे: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली और मुम्बई का विकास शंघाई की तर्ज पर करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस दिशा में यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं और इस योजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) शहरी विकास चूंकि राज्यों का विषय है इसलिए शहरों में अवस्थापना सुविधाओं और अन्य सुख सुविधाओं के विकास पर विचार राज्य सरकारों द्वारा अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार

विभिन्न स्कीमों के तहत परियोजनाओं की सहायता मात्र करती है बशर्ते राशियां उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

जी-20 की बैठक

3869. **श्री डी. विट्टल राव:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री टी.के. हमजा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 20 विकासशील देशों के समूह की प्रथम प्रमुख कांक्लेव में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और बैठक में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में राज सहायता के किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उनका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या इस बैठक से पूर्व प्रभावित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से परामर्श किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत ने 18 और 19 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में जी-20 गठबंधन की एक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की। इस बैठक से पहले 17 मार्च, 2005 को जी-20 के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। इन बैठकों में मुख्य विकासशील देश गठबंधन अर्थात् विशेष उत्पाद और विशेष रक्षोपाय तंत्र संबंधी जी-33 गठबंधन, अफ्रीका, प्रशांत-कैरीबियाई (एसीपी) देश, कैरीबियाई समुदाय (कैरिकॉन) और अल्प विकसित देश (एलडीसीएस) के देश समन्वयकर्ताओं द्वारा भी पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया गया था।

इन बैठकों के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के कृषि संबंधी करार पर चल रही वार्ताओं की स्थिति का मूल्यांकन करना और हित तथा चिन्ताओं के विभिन्न मुद्दों के संबंध में जी-20 गठबंधन की सामान्य स्थिति और दृष्टिकोण विकसित करना शामिल थी। बैठकों में कृषि संबधी वार्ताओं में विकासात्मक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण पहुंच भी निर्धारित की गयी थी। इनमें निर्यात सब्सिडियों को हटाना और विकसित देशों द्वारा अपने कृषि उद्योग को प्रदान की जाने वाली मदद और संरक्षण की अत्यधिक मात्रा द्वारा कृषि उत्पादों में की जाने वाली सभी प्रकार की विकृतियों में पर्याप्त कमी करना तथा यह सुनिश्चित करना शामिल थे कि विकासशील देश उचित दस्तावेजों और उपायों के जरिए अपना ग्रामीण विकास, आजीविका और खाद्य सुरक्षा चिंताओं का निराकरण कर सकें।

(ग) और (घ) कृषि में चल रही वार्ताओं में भारत की स्थिति राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, कृषक एसोसिएशनों और अन्य गैर सरकारी निकायों, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ समय-समय पर सरकार द्वारा किये गये व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित है।

माओवादी गुरिल्लाओं की गतिविधियां

3870. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के माओवादी गुरिल्लाओं ने इस जैसे संगठनों पर केन्द्र सरकार के प्रतिबन्ध के बावजूद हाल ही में दिल्ली में एक गुप्त बैठक की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल के माओवादियों ने देश में कथित रूप से अपनी जड़ें फैला ली हैं और ये पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) ऐसी बैठक की कोई भी रिपोर्ट, सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में माओवादी विद्रोहियों और नक्सल ग्रुपों के बीच संबंध है। सी पी एन (माओवादी) तत्वों के पाकिस्तान के उग्रवादियों के साथ मिलकर कार्य करने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) नेपाल में हाल की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, एस एस बी, सीमा चौकसी बल ने भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता

बढ़ा दी है। नेपाल की सीमा से लगे राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे माओवादी तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की सतर्कता और गश्त तेज कर दें। सी पी एन (माओवादी) के प्रमुख संगठन, अखिल भारत नेपाल एकता समाज (ए बी एन ई एस) पर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंध जारी रहेगा। नेपाल और भारत दोनों देशों ने, अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे कार्यों की अनुमति न देने का संकल्प किया है जो दोनों देशों में से किसी के भी हितों के प्रतिकूल हों।

विकलांग अनुकूल विद्यालय

3871. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 2020 तक सभी विद्यालयों को विकलांग अनुकूल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्यापक-प्रशिक्षण पाठयक्रमों के सिलेबस में विकलांगता संबंधी तत्व पर ज्यादा ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्यालयों को अध्यापकों की सहायता करने तथा अध्यापन सामग्री तैयार करने का संसाधन केन्द्र बनने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विकलांग बच्चों तथा युवाओं की समावेशी शिक्षा के लिए व्यापक कार्रवाई योजना तैयार की है। इस कार्रवाई योजना के अनुसार देश के सभी स्कूलों को वर्ष 2020 तक विकलांगों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा तथा शैक्षिक संस्थाओं जिनमें छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं शामिल है। विभिन्न वर्गों के विकलांग बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री की उपलब्धता हेतु विशेष ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों को विकलांगों हेतु शटल सेवाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षकों को समावेशी शिक्षा (प्रारम्भिक तथा माध्यमिक) में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विकलांगता मॉड्यूल को शामिल किया जाएगा। सेवा पूर्व अध्यापन प्रणाली विज्ञानों तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पुनर्अभिविन्यास शुरू किया जाएगा।

(घ) कार्रवाई योजना के अनुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला स्तरीय योजनाओं में विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है या नहीं। शिक्षक-प्रशिक्षण में सहयोग देने, प्रशिक्षण सामग्री की आपूर्ति तथा मुख्यधारा वाले स्कूलों में नामांकित विकलांग बच्चों को बनाए रखने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में विशेष स्कूल तेजी से संसाधन केन्द्र बन रहे हैं। ये संसाधन केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा के साथ-साथ गृह-आधारित शिक्षण कार्यकलापों में सहायता करेंगे।

व्यापार एवं उद्योग बोर्ड

3872. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार व्यापार एवं उद्योग बोर्ड का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किसी ने विरोध जताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) बोर्ड में प्रस्तावित सदस्यों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जायेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सरकार ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चहुंमुखी विकास में सहायता प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2005 को व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

(ख) व्यापार बोर्ड में अग्रणी निर्यातक, उद्योग एसोसिएशनों के सदस्य, निर्यातक निकाय, आरबीआई, एग्जिम बैंक एवं केन्द्र सरकार के संगत विभाग शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) सदस्यों की सूची सहित व्यापार बोर्ड का ब्यौरा डीजीएफटी की वेबसाइट www.nic.in/eximpol (प्रति संलग्न) पर दिया गया है। इन सदस्यों को नामित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग प्रकार के समूहों के सदस्यों को शामिल किया जाए।

सं. 01/93/180/428/ए एम 99/नीति-IV
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार महानिदेशालय
पीसी-IV अनुभाग

1 अप्रैल, 2005

आदेश

विषय: व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन।

व्यापार एवं उद्योग के साथ सतत संवाद को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार बोर्ड का तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया है। व्यापार बोर्ड, भारत के निर्यातों को बढ़ाने के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ सरकार को विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सलाह देगा।

व्यापार बोर्ड की संरचना निम्नानुसार होगी:

व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष-श्री कुमारमंगलम बिड़ला

1. गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री इशात हुसैन, टाटा सन्स
2. श्री बाबा कल्याणी, भारत फोर्ज
3. श्री मालविंदर सिंह, रैनबैक्सी
4. श्री इरफान अल्लाना, अध्यक्ष, अल्लाना सन्स
5. श्री जगदीश खट्टर, एम डी, मारूति उद्योग
6. श्री रवि रहेजा, अध्यक्ष शॉपर्स स्टॉप लि.
7. श्री प्रशांत रूईया, एस्सार ग्रुप
8. श्री ए.सी. मुथैया, एस पी आइ सी
9. श्री हर्ष न्योतिया, गुजरात अंबुजा
10. श्री राणा कपूर, यस बैंक
11. श्री स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर अर्थशास्त्री
12. अध्यक्ष, सी आई आई
13. अध्यक्ष, फिक्की
14. अध्यक्ष, फिओ
15. अध्यक्ष, एसोचैम
16. अध्यत्र, नास्कॉम
17. अध्यक्ष, रत्न एवं आभूषण ई पी सी
18. अध्यक्ष, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
19. अध्यक्ष, टेक्सप्रोसिल
20. अध्यक्ष, एस आर टी ई पी सी
21. अध्यक्ष, एच एच ई सी
22. अध्यक्ष, भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन
23. अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद
24. अध्यक्ष, केमेक्सिल
25. अध्यक्ष, फार्मेक्सिल

2. सरकारी सदस्य:

1. सचिव, वाणिज्य विभाग
2. सचिव, राजस्व विभाग
   नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. सचिव (ई आर)
   विदेश मंत्रालय
   साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सचिव,
   वस्त्र मंत्रालय,
   उद्योग भवन, नई दिल्ली
5. अध्यक्ष
   इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
   निर्यात ऋण गारंटी निगम
7. प्रबंध निदेशक
   एग्जिम बैंक

8. डिप्टी गवर्नर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई-1

9. सचिव, पोत परिवहन, भारत सरकार

10. डी जी एफ टी-सदस्य सचिव

व्यापार बोर्ड के विचारार्थ विषय होंगे:

उभरते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए निर्यातों को बढ़ाने के लिए लघु एवं दीर्घकालिक योजनाओं को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने के लिए नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना;

विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, अड़चनों को अभिज्ञात करना तथा निर्यात आय को अधिकतम बनाने के लिए उद्योग विशिष्ट उपायों का सुझाव देना;

आयातों एवं निर्यातों के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे की जांच करना तथा अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसे और अधिक सरल तथा कारगर बनाने के लिए व्यावहारिक उपायों का सुझाव देना;

आयात एवं निर्यात के लिए नीति संबंधी दस्तावेजों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इन स्कीमों को उनके इष्टतम उपयोग हेतु युक्तिसंगत बनाने एवं उचित माध्यम से कार्यान्वित करने का सुझाव देना;

ऐसे मुद्दों की जांच करना जिन्हें भारतीय विदेश व्यापार के संवर्धन हेतु प्रासंगिक समझा जाता है, तथा भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना;

उपर्युक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अध्ययन प्रारंभ करना;

बोर्ड प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा अपने विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सिफारिशें करेगा;

व्यापार बोर्ड के पास विशिष्ट क्षेत्रों एवं उद्देश्यों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए उप-समितियां गठित करने एवं उनमें विशेषज्ञों को सहयोजित करने की शक्ति होगी;

(के.टी. चाको)
विदेश व्यापार महानिदेशक

सफदरजंग अस्पताल का सही ढंग से अनुरक्षण न किया जाना

3873. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का सही ढंग से अनुरक्षण न करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी हां।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि सफदरजंग अस्पताल के भवन तथा सेवाओं संबंधी सभी मरम्मत कार्य 30.4.2005 तक पूर्ण किए जाए और सफेदी तथा रंग रोगन कार्य 30.6.2005 तक पूर्ण किए जाएं। इन कार्यों को निर्धारित तारीख के भीतर पूरा करने के प्रयास किये जाएंगे बशर्ते अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा कार्य स्थलों को कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाए।

सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास

3874. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रामदास आठवले:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराया गया है और कितने कर्मचारी/अधिकारी उक्त सुविधा से वंचित हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में श्रेणी-वार केन्द्र सरकार के क्वार्टरों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) आज की तिथि में रिक्त पड़े श्रेणी-वार स्थान-वार कुल क्वार्टर कितने हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी आवासों की संख्या तथा अपनी बारी और आवास-परिवर्तन के लिए प्रतीक्षारत अधिकारियों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) दिल्ली में सामान्य पूल के विभिन्न टाईपों के कुल 1490 क्वार्टर खाली हैं। 1068 क्वार्टरों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। पूर्व आवंटितियों द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड को विद्युत-बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण 193 क्वार्टर खाली हैं। पूर्व आवंटितियों के संबंधित विभागों से बकाया राशि के भुगतान के लिए संबंधित व्यक्तियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। 135 क्वार्टरों तथा 94 हॉस्टल यूनिटों को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये क्वार्टर अपनी अवस्थिति, फ्लाई ओवरों, गांव इत्यादि से निकटता के कारण अलोकप्रिय हैं। पात्र कर्मचारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाने पर इन क्वार्टरों को प्रतीक्षा-सूची में प्रतीक्षारत् अगले व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है।

(घ) और (ङ) दिल्ली में उपलब्ध भूमि पर या मौजूदा क्षेत्र का पुनर्विकास करके केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आवासों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में दिल्ली में मोतीबाग, आर के पुरम, हडको प्लेस (एन्ड्रयूज गंज) इत्यादि में 1000 से अधिक और आवास बनाये गये हैं। दिल्ली में देव नगर, अलीगंज, वसंत विहार, राऊज एवेन्यू, डी आई जेड एरिया, नेताजी नगर इत्यादि में अतिरिक्त रिहायशी आवासों के निर्माण की योजना बनायी गयी है। निर्माण का कार्यक्रम संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा भू-विन्यास योजनाओं इत्यादि के अनुमोदन तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

दिल्ली में सामान्य पूल में सरकारी आवासों की संख्या तथा अपनी बारी तथा आवास-परिवर्तन के लिए प्रतीक्षारत सरकारी कर्मचारियों की संख्या

टाईप	यूनिटों की संख्या	बारी तथा आवास-परिवर्तन के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की सं.
1	2	3
I	16204	470
II	23460	13089
III	11887	4804
IV	5918	3430
IV (स्पेशल)	802	2653
D-II	1558	4007
D-I	881	1868
C-II	452	1300
C-I तथा बंगले	143	374
VII	86	136
VIII	101	136
हॉस्टल यूनिट	1771	405

[अनुवाद]

जनजातीय व्यक्तियों में अल्प साक्षरता दर

3875. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के जनजातीय व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए समेकित जनजातीय विकास परियोजनाएं चलाई गई थी;

(ख) क्या सरकार को जनजातीय व्यक्तियों में अल्प साक्षरता दर की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान करने और उनमें साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार जनजातीय व्यक्तियों का सामाजिक-आर्थिक स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कोई आय-सृजन कार्यक्रम लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1961 से 2001 की साक्षरता प्रवृत्ति जनजातियों में साक्षरता वृद्धि दर्शाती है। फिर भी, सरकार राष्ट्रीय औसत के समक्ष जनजातीय लोगों की कम साक्षरता दर से परिचित है जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से जिसमें भौगोलिक अलगाव

एवं आधारभूत ढांचे का अभाव शामिल है जिनके कारण साक्षरता एवं शिक्षा इत्यादि के संवर्धन के लिए कार्यरत अभिकरण इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाते।

(घ) नोडल मंत्रालय के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारें जनजातियों सहित लोगों की साक्षरता स्तर के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम चलाता है। अनुसूचित जनजातीय छात्रों/छात्राओं के लिए छात्रावास, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसर, अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग एवं सहबद्ध योजनाएं, अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों की प्रतिभा-उन्नयन, आवासीय/गैर-आवासीय विद्यालय चलाने हेतु गैर सरकारी संगठनों को सहायतानुदान, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति एवं जनजातीय विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं के माध्यम से जनजातियों की शिक्षा का संवर्धन करके जनजातीय कार्य मंत्रालय भी उनके प्रयासों में योगदान कर रहा है।

(ङ) और (च) यह मंत्रालय रोजगार सह-आय सृजन क्रियाकलापों एवं आनुषंगिक ढांचे के बीच महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए जनजातीय उपयोजना के विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम चला रहा है, जो जनजातीय क्षेत्रों में परिवार आधारित ही नहीं स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी चलाए जाते हैं। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य मांग आधारित आय सृजन के कार्यक्रमों को तीव्रता देना तथा इस प्रकार जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना है।

चाय निर्यात

3876. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री नकुल दास राई:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चाय निर्यात में कोई कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार, मात्रा-वार और मूल्य-वार निर्यातित चाय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चाय बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय के संबंध में कोई प्रोत्साहन संबंधी अभियान चलाया है;

(घ) यदि हां, तो 2003-04 और 2004-05 के दौरान इस संबंध में चलाये गये प्रोत्साहन संबंधी अभियान तथा आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां ये आयोजित किये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान पाकिस्तान सहित कुछ और अन्य देशों में ऐसे प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रम चलाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नये चाय नियंत्रण आदेश के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त होने वाली चाय को चाय बोर्ड से प्रमाणित करवाया जाना होता है;

(ज) यदि हां, तो क्या व्यापार विदेश व्यापार नीति के अनुसार चलेगा; और

(झ) चाय नियंत्रण आदेश को पारदर्शक बनाने और चाय व्यापार को बाधामुक्त बनाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी हां।

(ख) निर्यातों की मात्रा एवं मूल्य के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख देश-वार चाय का निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान चाय बोर्ड ने 25 और 21 विदेशी मेलों एवं प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता बैठकों आदि में भाग लिया। यू.के., फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे विभिन्न देशों में अन्य विशेष अभियानों का आयोजन किया गया है।

(ङ) जी हां।

(च) चाय बोर्ड ने विदेश में संवर्धनात्मक प्रयोजनों के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 27 कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, यू.के., फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में विशेष संवर्धनात्मक अभियानों का प्रस्ताव किया गया है। शीघ्र ही भारतीय चाय एसोसिएशन की अध्यक्षता वाला एक व्यापार शिष्टमंडल पाकिस्तान का दौरा करेगा।

(छ) और (ज) नए चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयातों अथवा निर्यातों के लिए अभिप्रेत सभी चाय परेषणों को एक प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसके द्वारा चाय की गुणवत्ता और उसके उद्गम के देश का निर्धारण एवं प्रदर्शन किया जाएगा। प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए चाय बोर्ड नोडल एजेंसी होगा। चाय बोर्ड अथवा उसके किसी विनिर्दिष्ट एजेंसी द्वारा चाय निर्यात के प्रत्येक परेषण के लिए गैर-अधिमानी उद्गम संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका में अनुवर्ती परिवर्तन भी दिए गए हैं। चाय के मामले में यह इंगित करते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि सभी निर्यातकों जिनके द्वारा उद्गम संबंधी प्रमाणन (गैर-अधिमानी) प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, को चाय बोर्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी निरीक्षण एजेंसी के समक्ष आवेदन करना होगा।

(झ) चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के प्रावधानों का व्यापक रूप से प्रचार किया जा रहा है और निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य की सूचना के लिए उन्हें चाय बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर भी रखा गया है। निरीक्षण तथा उद्गम संबंधी प्रमाणन जारी करने के लिए चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग निरीक्षण एजेंसियों को भी अनुमोदित किया जा रहा है।

विवरण

(मात्रा मिलियन कि.ग्रा. में; मूल्य करोड़ रु. में)

क्र.सं.	देश	2001-02		2002-03		2003-04	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रूसी सघ	61.88	420.96	46.41	302.74	42.76	274.10
2.	यू ए ई	25.79	315.46	24.73	291.45	25.70	280.84
3.	यू के	16.86	151.56	19.57	177.80	20.75	177.12
4.	इराक	25.32	160.03	33.47	222.41	14.27	87.41
5.	कजाकस्तान	12.48	129.00	12.85	129.64	13.07	120.96
6.	अमरीका	6.07	91.05	7.64	108.19	8.45	110.76
7.	पाकिस्तान	2.61	13.05	3.54	20.46	6.54	28.95
8.	केन्या	0.78	3.82	0.58	2.26	6.48	27.39
9.	पोलैण्ड	8.67	52.59	6.40	33.95	5.71	33.01
10.	जर्मनी	4.41	72.50	4.81	90.53	5.13	107.32
11.	ऑस्ट्रेलिया	0.95	9.35	1.41	21.20	4.49	70.69
12.	अफगानिस्तान	0.44	3.58	0.65	4.42	4.41	21.53
13.	जापान	2.04	43.80	2.27	45.54	3.52	74.65
14.	नीदरलैंड्स	3.46	42.31	2.60	35.23	3.39	39.14
15.	आयरलैंड	2.99	39.24	2.44	37.45	2.55	37.39
16.	श्रीलंका	1.12	9.89	1.33	12.23	2.23	16.46

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	कनाडा	0.86	8.37	1.09	10.93	1.69	16.31
18.	ईरान	1.44	15.21	1.35	10.65	1.63	10.23
19.	यूक्रेन	3.05	28.67	2.36	18.01	1.49	10.29
20.	सिंगापुर	0.43	4.31	0.54	4.64	1.44	10.16
21.	अन्य	8.36	81.04	8.35	85.19	7.37	82.28
	कुल	190.01	1695.79	184.39	1664.92	183.07	1636.99

आंगनवाड़ी केन्द्रों के संबंध में एन.सी.ए.ई.आर. की

3877. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:**
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एन.सी.ए.ई.आर.) द्वारा किये गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि देश में अधिकांश आंगनवाड़ी केन्द्रों में इमारतों, पेयजल, प्रसाधनों, भारतोलक मशीनों, गिलासों और बच्चों को खाना खाने की प्लेटों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किये है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर मूतभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत दिसम्बर, 2004 में किये गये समेकित बाल विकास सेवा स्कीम की अवसंरचना के त्वरित सुविधा सर्वेक्षण की रिपोर्ट के प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ दर्शाये गये कुछ तथ्य इस प्रकार हैं:-

* 46 प्रतिशत से अधिक आंगनबाड़ियां पक्के भवनों में, 21 प्रतिशत आंगनबाड़ियां आधे पक्के भवनों में तथा 15 प्रतिशत आंगनबाड़ियां कच्चे भवनों और 9 प्रतिशत आंगनबाड़ियां खुले स्थानों पर चलायी जा रही थीं।

* 45 प्रतिशत से अधिक आंगनबाड़ियों में शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं थी और 40 प्रतिशत आंगनबाड़ियों में केवल मूत्रालय ही उपलब्ध थे।

* प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 27 प्रतिशत आंगनबाड़ियों में पेयजल सुविधा नहीं है, 39 प्रतिशत आंगनबाड़ियों में पेयजल सुविधा के रूप में केवल हैण्डपम्प उपलब्ध हैं।

* प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत आंगनबाड़ियों में चटाइयां, मेज, कुर्सी, राष्ट्रीय झण्डा, बर्तन, फाइलें, रिकॉर्ड, स्वस्थ्य कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक, काउंटिंग फ्रेम, खिलौने, पुस्तकें, कैंची, स्टोव तथ चम्मच आदि उपलब्ध थे।

(ग) और (घ) पेयजल आपूर्ति विभाग के परामर्श से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं कि वे त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल तथा साफ-सफाई सुविधाएं उपलब्ध करायें। पूर्वोत्तर राज्यों में बाल अनुकूल शौचालयों सहित 20,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गयी है। विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस.-III परियोजनाओं में शौचालयों तथा पेयजल सुविधाओं सहित 24,A56 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भी कराया जा रहा है।

फर्नीचर तथा फिक्सचर, जिनमें बर्तन भी शामिल हैं, आदि के लिए भारत सरकार द्वारा निधियां प्रदान की जा रही हैं।

उजबेकिस्तान के साथ व्यापार

3878. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और उजबेकिस्तान परिधानों, इंजीनियरिंग सामानों, मूल रसायनों एवं भेषजों के संबंध में व्यापार बढ़ाने हेतु और अधिक आर्थिक सहयोग देने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ने में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत-उज्बेक अंतरसरकारी व्यापार आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग आयोग का पांचवां सत्र ताशकंद, उजबेकिस्तान में 11 जनवरी, 2005 को आयोजित किया गया था। इस सत्र के पश्चात उजबेकिस्तान गणतंत्र और भारत गणतंत्र के बीच एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसका उद्देश्य भेषज, वस्त्र और अन्य बातों के साथ-साथ ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुधारना था।

वेंकटचेलैया आयोग

3879. श्री रूपचन्द्र मुर्मू: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार अब तक पहचान की गई घुमन्तू जनजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में घुमन्तू जनजातियों के संबंध में न्यायमूर्ति वेंकटचेलैया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) केवल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के ही जनसंख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं। घुमन्तू जनजातियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि घुमन्तू जनजातियों को संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) से (घ) न्यायमूर्ति वेंकटचेलैया आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 22.11.2003 को भारत के राजपत्र भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित संकल्प के अनुसार अन-अधिसूचित, घुमन्तू एवं अर्ध-घुमन्तू जनजातियों के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का एक वर्ष की अवधि के लिए गठन किया गया। कई कारणों से आयोग इस कार्य में बहुत प्रगति न कर सका तथा इन समूहों की समस्या पर गौर से विचार करने की जरूरत है। इसलिए अब भारत सरकार ने दिनांक 14.3.2005 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-1, खण्ड-2 में प्रकाशित राजपत्रित अधिसूचना संख्या 12016/17/2004-एस.सी.डी (आर.एल सैल) के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की राजपत्रिता अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए उपर्युक्त आयोग के पुन:गठन करने का संकल्प किया है।

राष्ट्रीय खेल विकास कोष

3880. श्री अनन्त नायक: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) वर्ष 2004-2005 के दौरान और इसके पश्चात् इन कोष में सहयोग देने वाले व्यक्ति कौन हैं और प्रत्येक व्यक्ति/संगठन द्वारा प्रदान की गई राशि कितनी है;

(ग) उन खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए अवसंरचना-वार और वर्ष-वार यह राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस कोष हेतु और अधिक संसाधन जुटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एन.एस.डी.एफ.) के प्रमुख उद्देश्य हैं-

(1) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से विशिष्ट खेल विधाओं और अलग-अलग खिलाड़ियों तथा सामान्य रूप से खेलों के संवर्धन के लिए कोषों की राशि को संचालित और लागू करना;

(2) खिलाड़ियों, कोचों और खेल विशेषज्ञों को संबंधित खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण और कोचिंग देना;

(3) खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए अपेक्षित अवस्थापना का निर्माण और रखरखाव;

(4) खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों को उपस्करों की आपूर्ति;

(5) खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए समस्याओं का पता लगाना और अनुसंधान एवं विकास संबंधी अध्ययन करना;

(6) विशेष रूप से, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदान-प्रदान को बढ़ावा देना जिससे उन घरेलू खेलों और मानव संसाधनों और गतिविधियों के विकास को भी बढ़ावा दिया जा सके जो भारत तथा अन्य देशों के बीच किए गए आदान-प्रदान कार्यक्रमों की सीमा में आते हैं; तथा

(7) उपर्युक्त किसी भी उद्देश्य की परियोजना और गतिविधियों के लिए कम ब्याज पर अथवा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।

उद्देश्यों की प्राप्ति दानकर्ताओं से अंशदानों की प्राप्ति, समतुल्य सरकारी अंशदान तथा खेल संवर्धन के लिए निधियों के उपयोग पर निर्भर करेगी। फिर भी राष्ट्रीय खेल विकास निधि के लिए अंशदान का प्रवाह अपेक्षित स्तर तक नहीं रहा है। अनेक विशिष्ट खिलाड़ियों जिनमें से अधिकांश ने एथेंस ओलंपिक-2004 में भाग लिया था, के लिए प्रशिक्षण और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना संभव हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय खेल विकास निधि को अंशदान सहित 2004-2005 के दौरान और उसके बाद समतुल्य सरकारी अंशदान के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता-प्राप्त खिलाड़ियों के अब तक के वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय खेल विकास निधि में उदारतापूर्वक अंशदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा उपक्रमों, फिक्की, सी.आई.आई., ए.एस.एस.ओ.सी.एच.ए.एम. और निगमित घरानों से समय-समय पर कहा गया है। उपर्युक्त के अलावा, 29 अगस्त, 2004 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झंडा वितरण तथा 'खेलों के लिए दौड़' के आयोजन के माध्यम से निधियां एकत्र करने के प्रयास किए गए थे।

विवरण-I

क्र.सं.	अन्य स्रोतों से प्राप्त अंशदान/दान		समतुल्य सरकारी अंशदान
	दानदाता का नाम	दान दी गई धनराशि	
1.	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	5,00,000/- रु.	20,00,000/ रु.
2.	वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि.	1,20,000/- रु.	
3.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	20,000/- रु.	
4.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	3,00,000/- रु.	
5.	पुज्जोलाना मशीनरी फैब्रिकेटर्स, हैदराबाद	4,00,000/- रु.	
6.	राष्ट्रीय खेल दिवस पर झंडा वितरण के माध्यम से एकत्रित धनराशि		
	(क) शास्त्री भवन	10,167/- रु.	
	(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण	1,71,430.50/- रु.	
	(ग) नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2,75,833.75/- रु.	
	(घ) राष्ट्रीय सेवा योजना	2,06,570/- रु.	
	कुल	20,04,001/- रु.	20,00,000/ रु.

विवरण-II

क्र. सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ियों के नाम	जिस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	धनराशि
		2001-02	
1.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	10,00,000/- रु.
		2002-2003	
2.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,00,000/- रु.
3.	श्री अनिल कुमार, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	5,00,000/- रु.
4.	सुश्री बॉबी एलाएसिस, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	7,50,000/- रु.
		2003-2004	
5.	सुश्री अंजू बॉबी जॉर्ज, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	14,91,505/- रु.
6.	ले. कर्नल राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	78,23,496/- रु.
7.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,90,000/- रु.
8.	सुश्री बॉबी एलाएसिस, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	18,67,531/- रु.
9.	श्री अनिल कुमार, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	8,37,794/- रु.
		2004-2005	
10.	श्री मनसेर सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	13,28,108/- रु.
11.	श्री मानवजीत सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	7,99,390/- रु.
12.	श्री अनवर सुल्तान, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,17,573/- रु.
13.	श्री गगन नारंग, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,90,549/- रु.
14.	सुश्री सुमा सिरूर, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	2,73,213/- रु.
15.	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	13,42,506/- रु.
16.	सुश्री बॉबी एलाएसिस, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	7,94,071/- रु.
17.	ले. कर्नल राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,89,932/- रु.
		2005-06	
18.	श्री गगन नारंग, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,92,422/- रु.
		कुल	2,13,88,090/- रु.

महिला एवं बाल विकास योजनाओं का प्रचार-प्रसार

3881. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई केन्द्रीय योजनाओं विशेषत: महिला एवं बाल विकास योजनाओं का बुनियादी स्तर पर ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में उचित प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्वशक्ति की सफलता पर सरकार ने स्वयं सिद्ध योजना चलाई है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल किये गए ब्लाकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश व्यक्तियों को इस योजना के लाभों की जानकारी नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में इन योजनाओं के व्यापक प्रचार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) नौ राज्यों के 335 ब्लॉकों में अक्टूबर, 1998 में आरम्भ की गयी, स्व-शक्ति परियोजना जून, 2005 में समाप्त हो जायेगी। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 650 ब्लाकों में फरवरी, 2001 में आरम्भ की गई स्वयंसिद्धा स्कीम मार्च, 2006 में समाप्त हो जायेगी।

(ङ) और (च) स्वयंसिद्धा एवं स्वशक्ति स्कीमों के विषय में जागरूकता के स्तर में सुधार करने हेतु ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों सहित परियोजना क्षेत्रों में किये गये उपाय इस प्रकार हैं:

1. पोस्टर तथा पर्चे मुद्रित एवं वितरित किये गये।
2. जागरूकता विकास शिविरों का आयोजन किया गया।
3. वीडियो सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
4. रेडियो/टी.वी. कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

तिरूपुर रेलवे स्टेशन का नाम तिरूपुर कुमारन रेलवे स्टेशन में बदलना

3882. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिरूपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण तिरूपुर कुमारन रेलवे स्टेशन और संकागिरी किले में स्थित रेलवे स्टेशन का नाम तैयागी धीरन चिन्नामलाई रेलवे स्टेशन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) तिरूपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण "तिरूपुर कुमारन रेलवे स्टेशन" करने के बारे में तमिलनाडु स्वतंत्रता सेनानी समिति का एक प्रस्ताव रेल मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के विचारार्थ भेजा गया था। उक्त प्रतिवेदन तमिलनाडु सरकार को गांवों, कस्बों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि के नामों में परिवर्तन करने के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सभी संगत ब्योरों के साथ एक स्वत: स्पष्ट प्रस्ताव भेजने हेतु भेज दिया गया है।

संकागिरी किले में स्थित रेलवे स्टेशन का नामकरण तैयागी धीरन चिन्नामलाई रेलवे स्टेशन करने हेतु कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

लीज होल्ड अधिकार को फ्री होल्ड अधिकार में बदलना

3883. श्री पवन कुमार बंसल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ की सम्पति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड अधिकार में बदलने के लिए जारी की गई अधिसूचना इस योजना के अंतर्गत निर्धारित फ्री होल्ड अधिकार सूत्र के निबन्धनों के प्रतिकूल है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तनों को बिना किसी झंझट के लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि चंडीगढ़ में संपत्ति के लीज होल्ड अधिकार को फ्री-होल्ड अधिकार में बदलने के बारे में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रख्यापित अधिसूचना,

इस योजना के अंतर्गत निर्धारित फ्री-होल्ड अधिकार सूत्र के निबन्धनों के विपरीत नहीं है;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण

3884. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और इसके पश्चात आज की तिथि तक कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर कर्नाटक के राज्यवार कौन-कौन से जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों के लिए निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्वस्थ्य और अनुकूल शहरी पर्यावरण वाले स्लम विहिन शहरों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शहरी स्लमों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए मौजूदा आश्रय के उन्नयन या आश्रय प्रदान करने वाली केन्द्र प्रायोजित स्कीम, वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत शौचालय सीटों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य को धनराशि जारी की गई थी। वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	आबंटित कुल भारत सरकार सब्सिडी	जारी कुल भारत सरकार सब्सिडी	जिसमें से शौचालय सीटों के निर्माण के लिए जारी भारत सरकार सब्सिडी
2001-02	198.220	915.000	115.00
2002-03	737.870	1967.600	443.00
2003-04	685.150	3944.100	618.00
2004-05	806.000	406.000	406.00

(ख) यह मंत्रालय राज्य स्तर ही वाम्बे के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।

(ग) और (घ) राज्यवार वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

विवरण-I

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	6900 लाख रु. में राज्यवार आवंटन (2001-02)	वर्ष 2001-02 के दौरान जारी धनराशि	शामिल रिहायशी इकाइयों की संख्या	शामिल शौचालय सीटों की संख्या	वास्तविक प्रगति (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)	
						पूर्ण रिहायशी इकाईयां	पूर्ण शौचालय सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	671.48	1200.00	4000	0	4000	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.19					

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	65.02					
4.	बिहार	296.68					
5.	छत्तीसगढ़	84.24	65.00	325	0	325	0
6.	गोवा	12.73					
7.	गुजरात	383.78	384.00	1536	0	1536	0
8.	हरियाणा	112.35					
9.	हिमाचल प्रदेश	18.01					
10.	जम्मू-कश्मीर	86.86	87.00	387	0	387	0
11.	झारखण्ड	98.89					
12.	कर्नाटक	198.22	915.00	3333	575	3333	575
13.	केरल	183.61	182.00	910	0	910	0
14.	मध्य प्रदेश	227.74	200.75	803	0	693	0
15.	महाराष्ट्र	1198.26	1198.00	4661	597	4661	597
16.	मणिपुर	12.63					
17.	मेघालय	12.96					
18.	मिजोरम	12.90					
19.	नागालैंड	6.80					
20.	उड़ीसा	125.07					
21.	पंजाब	211.33					
22.	राजस्थान	364.40	300.00	1500	0	1500	0
23.	सिक्किम	1.37					
24.	तमिलनाडु	486.43	1172.00	2610	3000	2610	3000
25.	त्रिपुरा	9.97	10.05	45	0	45	0
26.	उत्तरांचल	43.02	36.00	180	0	17	0
27.	उत्तर प्रदेश	817.42	443.45	2217	0	2217	0
28.	पश्चिम बंगाल	734.13	690.60	2529	393	2343	0
29.	अंडमान व नि.द्वी.स.	5.71					

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	23.81					
31.	दादरा व नगर हवेली	0.44					
32.	दमन व द्वीव	1.55					
33.	दिल्ली	363.45	50.00	167	0	167	
34.	पाण्डिचेरी	23.75	33.50	170	40	170	40
35.	लक्षद्वीप	0.80					
	कुल	6900.00	6967.35	25373	4605	24914	4212

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 के लिए अनन्तिम आबंटन	वर्ष 2002-03स के दौरान जारी धनराशि	शामिल रिहायशी इकाइयों की संख्या	शामिल शौचालय सीटों की सं.	वास्तविक प्रगति (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)	
						पूर्ण रिहायशी इकाईया	पूर्ण शौचालय सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2499.55	5535.437	22268	392	18898	148
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.58					
3.	असम	242.04					
4.	बिहार	1104.37					
5.	छत्तीसगढ़	313.58	529.410	2185	462	2185	0
6.	गोवा	47.40					
7.	गुजरात	1428.62	3089.000	18776	1460	18758	1460
8.	हरियाणा	418.22					
9.	हिमाचल प्रदेश	67.05					
10.	जम्मू-कश्मीर	323.34	38.320	170	0	97	0
11.	झारखण्ड	368.12					
12.	कर्नाटक	737.87	1967.600	6979	2215	6979	2215
13.	केरल	683.48	2389.650	11948	0	9405	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	847.75	934.780	4054	170	1311	0
15.	महाराष्ट्र	4460.47	845.600	328	3900	328	3737
16.	मणिपुर	47.03	7.875	35	0	35	0
17.	मेघालय	48.23					
18.	मिजोरम	48.03					
19.	नागालैंड	25.30	9.000	40	0	40	0
20.	उड़ीसा	465.59	61.200	306	0	306	0
21.	पंजाब	786.68					
22.	राजस्थान	1356.46	900.000	4000	0	2978	0
23.	सिक्किम	5.11					
24.	तमिलनाडु	1810.70	2846.500	27226	11880	27209	11880
25.	त्रिपुरा	37.10	144.978	644	0	644	0
26.	उत्तरांचल	160.15	160.150	701	100	184	10
27.	उत्तर प्रदेश	3042.82	1104.055	5412	0	5412	0
28.	पश्चिम बंगाल	2732.77	1160.850	5002	819	3910	850
29.	अंडमान व नि.द्वी.स.	21.27					
30.	चंडीगढ़	88.61					
31.	दादरा व नगर हवेली	1.62					
32.	दमन व द्वीव	5.77					
33.	दिल्ली	1352.93					
34.	पांडिचेरी	88.41					
35.	लक्षद्वीप	2.99					
	कुल	25685.00	21724.405	110074	21398		
	कर्नाटक के लिए प्रदर्शन परियोजना		75.000	125	0		
	कुल योग		21799.495	110199	21396	98679	20300

विवरण-III

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04 के लिए अनन्तिम आबंटन	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी धनराशि	शामिल रिहायशी इकाइयों की संख्या	शामिल शौचालय सीटों की सं.	वास्तविक प्रगति (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)	
						पूर्ण रिहायशी इकाईया	पूर्ण शौचालय सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2320.97	5973.883	27627	0	14644	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.47					
3.	असम	224.74					
4.	बिहार	1025.47	10.00	50	0		
5.	छत्तीसगढ़	291.17	369.99	1850	0	1750	0
6.	गोंवा	44.02					
7.	गुजरात	1326.56					
8.	हरियाणा	388.35	652.80	3263	0		
9.	हिमाचल प्रदेश	62.26					
10.	जम्मू-कश्मीर	300.24	99.45	442	0	149	0
11.	झारखण्ड	341.82					
12.	कर्नाटक	685.15	3944.10	14978	3090	14977	2640
13.	केरल	634.64	1385.20	6926	0	1824	0
14.	मध्य प्रदेश	787.18	255.22	1024	0	1013	0
15.	महाराष्ट्र	4141.82	5286.467	22700	0	15753	0
16.	मणिपुर	43.67	191.92	853	0	853	0
17.	मेघालय	44.79					
18.	मिजोरम	44.59					
19.	नागालैंड	23.49	172.35	766	0	766	0
20.	उड़ीसा	432.32	46.40	232	0	192	0
21.	पंजाब	730.48					
22.	राजस्थान	1259.55	40.00	200	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	4.74					
24.	तमिलनाडु	1681.34	2073.00	14684	0	11871	0
25.	त्रिपुरा	34.45	219.60	976	0	976	0
26.	उत्तरांचल	148.71	205.20	1098	0		
27.	उत्तर प्रदेश	2825.43	1899.00	8462	0	3565	0
28.	पश्चिम बंगाल	2537.54	159.41	797	0	680	0
29.	अंडमान व नि.द्वी.स.	19.75					
30.	चंडीगढ़	82.28					
31.	दादरा व नगर हवेली	1.50					
32.	दमन व द्वीव	5.36					
33.	दिल्ली	1256.27					
34.	पांडिचेरी	82.09	77.20	408	80		
	कुल	23850.00	23061.00	107336	3170		
	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत जारी धनराशि		793.600	1040	0		
	कुल योग		23854.60	108376	3170	69013	2640

विवरण-IV

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 के लिए अनन्तिम आबंटन	वर्ष 2004-05 के दौरान जारी धनराशि (31.3.05 की स्थिति अनुसार)	शामिल रिहायशी इकाइयों की संख्या	शामिल शौचालय सीटों की सं.	वास्तविक प्रगति (31.3.2005 की स्थिति के अनुसार)	
						पूर्ण रिहायशी इकाईया	पूर्ण शौचालय सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2731.00	3492.490	16148			
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.00	18.000	80			
3.	असम	264.00					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	1207.00					
5.	छत्तीसगढ़	343.00					
6.	गोवा	52.00					
7.	गुजरात	1561.00	451.200	250	2006		
8.	हरियाणा	457.00					
9.	हिमाचल प्रदेश	73.00					
10.	जम्मू व कश्मीर	353.00	64.250	210	85		
11.	झारखंड	402.00	718.800	3504	90		
12.	कर्नाटक	806.00	406.000	0	2030		
13.	केरल	747.00	200.000	1000			
14.	मध्य प्रदेश	926.00	376.000	1500	80		
15.	महाराष्ट्र	4873.00	13244.968	40915	21394	1261	4495
16.	मणिपुर	51.00					
17.	मेघालय	53.00					
18.	मिजोरम	52.00					
19.	नागालैंड	28.00	6.200	0	31		
20.	उड़ीसा	509.00	16.400	82			
21.	पंजाब	859.00					
22.	राजस्थान	1482.00	650.000	2700			
23.	सिक्किम	6.00					
24.	तमिलनाडु	1978.00	4705.630	35380	9050		
25.	त्रिपुरा	41.00					
26.	उत्तरांचल	175.00					
27.	उत्तर प्रदेश	3324.00	1991.950	8835	155		
28.	पश्चिम बंगाल	2986.00	470.200	1782	165		
29.	अंडमान व नि.द्वी.स.	23.00					
30.	चंडीगढ़	97.00					

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादरा व नगर हवेली	2.00					
32.	दमन व द्वीव	6.00					
33.	दिल्ली	1478.00					
34.	पांडिचेरी	97.00	123.600	618			
	कुल	29858.00	26935.538	113904	35936	1261	4495
	सूचना के प्रसारण के लिए जारी धनराशि			5.47	0	0	
	कुल योग	28058.00	26941.16	113004	35086	1261	4495

विदेश व्यापार नीति

3885. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कथित रूप से अपनी विदेशी नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति को विकास का प्रभावी औजार बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) विदेश व्यापार नीति 2004-09 का वार्षिक अनुबंध 8 अप्रैल, 2005 को घोषित किया गया था जिसमें अतिरिक्त पहल और प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल था। जिससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुकर बन जाएगा। परिवर्तित हो रही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिशीलताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में कुछ उत्तम परिवर्तन किए गए हैं।

इसके ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं जो डीजीएफटी की वेबसाइट: www.nic.in/eximpol. पर उपलब्ध हैं।

सुदूर क्षेत्रों का औद्योगीकरण

3886. श्री सुग्रीव सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पहाड़ी, सुदूर और अगम्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु परिवहन राजसहायता योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कौन-कौन से जिले शामिल किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा का कंधामल जिला राज्य की पहाड़ी, सुदूर और अगम्य क्षेत्र है;

(ङ) यदि हां तो, क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत उक्त जिले को शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त योजना के अंतर्गत क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी. के.एस. इलेंगोवन): (क) से (छ) देश के पहाड़ी, दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 1971 में परिवहन राजसहायता योजना लागू की गई थी। यह योजना हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल का दार्जलिंग जिला अण्डमान एंड निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश उत्तरांचल के पहाड़ी जिले तथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में स्थापित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में उनके आकार पर ध्यान दिए बिना सभी औद्योगिक इकाईयों (बागवानी, तेलशोधनशालाओं तथा विद्युत उत्पादन एककों को छोड़कर) के लिए लागू है। इस योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रेल स्टेशनों/पत्तनों से औद्योगिक एकक(कों) के स्थापना स्थल तक कच्चा माल और तैयार माल लाने और उसके बाद वापस ले जाने

पर होने वाले परिवहन खर्चे का 50 से 90 प्रतिशत तक अंश राजसहायता के रूप में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वीकार्य होता है। इस योजना को समय-समय पर बढ़ाया जाता है और वर्तमान में यह 31 मार्च, 2007 तक लागू है।

परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के कंधामल जिले को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाजार को अन्यत्र स्थापित किया जाना

3887. श्री रघुनाथ झा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने खतरनाक बाजारों को अन्यत्र स्थापित किए जाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई और इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरोजनी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, चांदनी चौक, सदर बाजार, इत्यादि जैसे नियमित बाजारों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण अग्निशमन गाड़ियों को आग लगने की दुर्घटनाओं के स्थल पर सुगमता से पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं कि अग्निशमन गाड़ियां बाजार इत्यादि के आतंरिक स्थानों पर पहुंच सकें; और

(ङ) सरकार ने नियमित बाजारों में अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने, दिल्ली में आग लगने के मुख्य कारणों का ठीक-ठीक पता लगाने और सुधारात्मक उपायों की सिफारिशें करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) से (ङ) नई दिल्ली नगर परिषद् ने सूचित किया है कि सरोजनी नगर मार्केट का सम्पूर्ण क्षेत्र अतिक्रमण-मुक्त है और मार्केट के किसी भी स्थल पर अग्निशमन गाड़ियों के पहुंचने के लिए कोई बाधा नहीं है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जब कभी भी इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में किसी अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण की जानकारी मिलती है तो ऐसे अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण को हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन

3888. श्री राजेश पाठक: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति अपर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति की दर में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) और (ख) सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते और देय अन्य भत्तों में 1.4.2003 से संशोधन करके 54 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है। इस योजना के अंतर्गत देय अनुरक्षण भत्ते और अन्य भत्तों के अतिरिक्त इस पाठ्यक्रमों की फीस की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दरों में चूंकि हाल ही में वृद्धि की गई है अत: इन दरों में वृद्धि हेतु विचार करना अभी जल्दबाजी होगी।

अर्द्धसैनिक बलों की भर्ती का कोटा

3889. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु जनजातीय, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और इसके पश्चात् ऐसी भर्ती निर्धारित कोटे के अनुसार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या आरक्षित कोटे को भरने के लिए कोई उपचारात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती हेतु देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त विकास योजनाएं

3890. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में लघु और मझौले शहरों में इन दिनों कुल कितनी केन्द्र सहायता प्राप्त विकास योजनाओं को आरंभ किया गया है;

(ख) क्या धनाभाव के कारण उपरोक्त योजनाओं में से किसी योजना को रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के लिए कितना अंशदान दिया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) शहरी विकास मंत्रालय वर्तमान में गुजरात के छोटे एवं मझोले कस्बों में दो स्कीमें नामत: छोटे एवं मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की स्कीम (आई.डी.एस.एम.टी.) तथा त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) चला रहा है। आई.डी.एस.एम.टी. के तहत दिनांक 31.3.05 तक कुल 115 कस्बों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी गयी है जिनमें से 54 कस्बों में परियोजनाएं चल रही हैं। ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत दिनांक 31.3.05 तक कुल 70 कस्बें को केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी गयी है जिनमें से 45 कस्बों में स्कीमें चल रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आई.डी.एस.एम.टी. के तहत वर्ष 1979-80 से 2004-05 तक अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 35.16 करोड़ रुपये का अशंदान दिया गया है। ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत वर्ष 1994-95 से वर्ष 2004-05 तक अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 35.17 करोड़ रुपये का अंशदान दिया गया है।

[हिन्दी]

वेश्याओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3891. श्री बापू हरी चौरे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वेश्याओं के कल्याण के लिए कोई योजना/कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए महाराष्ट्र में कितने गैर-सरकारी संगठन आगे आए हैं और ऐसी योजनाओं/कार्यक्रम कौन-कौन से स्थानों पर कार्यान्वित किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। व्यावसायिक यौन शोषण हेतु महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने तीन प्रायोगिक परियोजना स्कीमें तैयार की हैं। स्कीम के अंतर्गत, बचाव की लागत, अस्थायी आश्रय तथा प्रत्यावर्तन की लागत और कानूनी लड़ाई पर खर्च प्रदान किया जाता है। निवारण कार्यनीतियों हेतु स्कीम में जागरूकता विकास, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास हेतु अस्थायी आश्रय जैसे घटक शामिल हैं। यह स्कीम गन्तव्य क्षेत्रों, स्रोत क्षेत्रों तथा पारम्परिक क्षेत्रों के लिए बनायी गयी है। स्रोत क्षेत्रों तथा पारम्परिक क्षेत्रों में निवारण कार्यनीतियों हेतु 6.77 लाख रुपये तथा गन्तव्य क्षेत्रों हेतु 8.23 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार के माध्यम से 17 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 6 संगठनों को निधियां स्वीकृत की गयी हैं। ये संगठन महाराष्ट्र में मुम्बई, पुणे, परभनी, नागपुर तथा नासिक में कार्यरत हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को धनराशि

3892. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश/गैर-सरकारी संगठनों से जालौन जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए धनराशि आबंटित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव की क्या स्थिति है और अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार से व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजन करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों से 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) 12 प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण-1 पर दी गई है। अभी तक उन्हें कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

विवरण

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	उद्देश्य	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	आशा ग्रामोत्थान संस्थान, ग्राम महियाखास, पो. प्रतापपुरा, जिला जालौन	व्यावसायिक प्रशिक्षण	संबंधित डी.सी./डी.एम.से सत्यापन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
2.	विजय ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम महियाखास, पो. प्रतापपुरा, जिला जालौन	-वही-	संबंधित डी.सी./डी.एम. से सत्यापन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
3.	गांधी शिक्षण संस्थान, स्टेशन रोड कालपी, जिला जालौन	-वही-	-वही-
4.	सरस्वती जनकल्याण शिक्षा समिति, मानवीय नगर, कोंच, जिला जालौन	-वही-	25.11.2004 को आयोजित बैठक में सहायता अनुदान समिति द्वारा संगठन के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अस्वीकृत किया गया।
5.	निखरा शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान समिति, 520 पटेल नगर, ओरई (जालौन)	-वही-	संगठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।
6.	श्री राम शिक्षा प्रसार समिति, गांव नुनसई, तहसील ओरई, जालौन	-वही-	-वही-
7.	जागृति जन कल्याण समिति ग्राम जयपुरा, पो. ओरई, जालौन	-वही-	-वही-
8.	विवेक खादी ग्रामोद्योग, सेवा संस्थान, गांव एवं पो.- अईत, जिला जालौन	-वही-	-वही-

1	2	3	4
9.	नवजागृति संस्था, एच.ओ.- न्यू राम नगर, कोटरा रोड, ओरई जालौन	व्यावसायिक प्रशिक्षण	संगठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।
10.	आईडियल शिक्षा समिति, स्टेशन रोड, कालपि, जिला जालौन	प्रदर्शनी	-वही-
11.	सोनीमोनो ग्रामोद्योग संस्थान, गांव-रेचरा, न्यामतपुर, पो. सिमहारा, कालपि, जिला जालौन	व्यावसायिक प्रशिक्षण	-वही-
12.	नेहरू युवा संगठन, गयर, ग्राम गयर पो. अकोथीदूबे जिला जालौन	-वही-	-वही-

[अनुवाद]

महिला दुर्व्यापार

3893. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने भारत द्वारा महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए प्रभावी कदम न उठाये जाने की स्थिति में भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में महिला और बाल विभाग के साथ कोई चर्चा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क), (ख) और (च) देश में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु उठाए गए कदमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) युनाइटेड स्टेट्स विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग एण्ड वायलेंस प्रोटक्शन एक्ट, 2000 द्वारा यथापेक्षित, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स प्रति वर्ष 'ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स' पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है जिसमें देशों का तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण अनैतिक व्यापार की स्थिति और प्रत्येक देश में स्थिति को सुधारने के लिए मेजबान सरकार के प्रयासों पर आधारित है। यह अधिनियम, अमेरिका सरकार को स्तर-3 के अंतर्गत वर्गीकृत देशों को अपना द्विपक्षीय सहयोग और बहुपक्षीय सहायता बंद करने का अधिदेश देता है। "ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2004" रिपोर्ट में, भारत को स्तर-2 निगरानी सूची में रखा गया है।

विवरण

महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकने हेतु उठाए गए कदम

(क) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इसलिए, महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकने और नियंत्रित करने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। तथापि, गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को समय-समय पर महिलाओं के अनैतिक व्यापर के उन्मूलन हेतु उपाय करने सहित महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध के निवारण हेतु उपाय करने की सलाह देता रहा है।

(ख) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (आई टी पी ए) अनैतिक व्यापार की रोकथाम करने हेतु एक विशेष कानून है और इसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 से मदद मिलती है। एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (1998) में तैयार की गई थी और आई टी पी ए के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु विधायी और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को सक्रिय बनाने तथा देह व्यापार का मुकाबला करने, देह व्यापार तथा वाणिज्यिक रूप से देह शोषण के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए महिला और बाल विकास विभाग (डी डब्ल्यू सी डी) द्वारा सचिव (डी डब्ल्यू सी डी) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति (सी ए सी) गठित की गई है तथा एक राष्ट्रीय कार्य योजना (1998) तैयार की गई थी। इस समिति में 10 से अधिक राज्यों, संयुक्त राष्ट्र तथा द्विपक्षीय एजेंसियों तथा देह व्यापार विरोधी उपायों पर कार्य कर रहे स्वैच्छिक क्षेत्रों सहित गृह मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल है। महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए सी ए सी समय-समय पर बैठकें करती हैं।

(ग) भारत सरकार ने कार्य योजना के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डी डब्ल्यू सी डी नियमित रूप से राज्य कार्रवाई की समीक्षा करता है।

(घ) अनैतिक व्यापार के विरुद्ध लड़ाई के लिए अत्यधिक राज्य संसाधन जुटाने के लिए तथा प्राधिकरण बनाने के लिए अनैतिक व्यापार के बारे में राज्य सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।

(ङ) डी डब्ल्यू सी डी अनैतिक व्यापार के पीड़ितों के संबंध में कार्रवाई करने में न्याय पालिका, चिकित्सा-कानूनी अधिकारियों तथा पुलिस कार्मिकों की सुग्राही बनाने हेतु नियमावली तैयार कर रहा है जोकि तैयारी की अन्तिम अवस्था में है। इस संबंध में राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया जा रहा है।

(च) डी डब्ल्यू सी डी ने पर्यटन मंत्रालय से पर्यटन हेतु नीति शास्त्र की सार्वभौम संहिता का कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया है जो यौन पर्यटन के प्रयोजनार्थ बच्चों के यौन शोषण प्रतिषेध करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा महानिदेशक (पर्यटन) से भी होटलों, लोजिंग/बोर्डिंग हाउसों के लिए अनैतिक व्यापार विरोधी संदेशों तथा यौन शोषण के विरुद्ध दंडात्मक उपबंधों को विशेष रूप से स्वागत काउन्टरों पर प्रदर्शित करने को अनिवार्य बनाने को अनुरोध किया गया है।

(छ) डी डब्ल्यू सी डी ने गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग से सरकारी विभागों, पुलिस और न्यायपालिका, सहित व्यापक रूपसे सभ्य समाज के बीच अनैतिक व्यापार के पहलुओं के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने तथा पीड़ितों के प्रति संवदेनशीलता में वृद्धि करने के लिए क्षेत्रीय प्रयास किए हैं।

(ज) कुछ राज्य सरकारों ने यौन शोषण के देवदासी तथा जोगिन परम्पराओं को निषिद्ध करने के लिए विधायन अधिनियमित किए हैं।

(झ) महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार संबंधी कार्रवाई अनुसंधान के बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 2002-03 की रिपोर्ट के आधार पर कुछ राज्य सरकारों से अनैतिक व्यापार का प्रभावपूर्ण ढंग से रोकथाम, पीड़ितों के राहत और पुनर्वास हेतु व्यापक रणनीति तैयार करने की दृष्टि से अनैतिक व्यापार की समस्या की समीक्षा करने, सभी स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने/प्रशिक्षित करने तथा पीड़ितों की सुरक्षा सुरक्षित करने के अलावा अनैतिक व्यापार करने वालों को गिरफ्तारी तथा शीघ्रता से न्याय सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक संवदेशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया है।

(ञ) गृह मंत्रालय ने ट्रांसिट बिन्दुओं, मार्गों, विधि प्रणाली, परिवहन, वित्त पोषण, व्यक्तियों तथा संगठित परिवहन, वित्त पोषण, व्यक्तियों तथा संगठित गिरोहों के बीच संबंधों का पता लगाने तथा सीमापार से अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु उपाय सुझाने के लिए महिला और बच्चों के सीमापार से अनैतिक व्यापार के बारे में एक कार्य दल गठित किया था। इस ग्रुप ने प्रभावित राज्यों में संगठित अपराध एककों का गठन करने, संगठित अपराध एककों के लिए पहचान शुदा प्रभावित जिलों में कम से कम एक पुलिस उप अधीक्षक की तैनाती करने, अनैतिक व्यापार के मामलों की युक्ति संगत तरीके से सूचना एकत्र करने, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के जरिए सीमावर्ती एजेंसियों/आसूचना एजेंसियों/प्रवासी प्राधिकरणों आदि को नियमित रूप से रिवर्स फीड प्रदान करने हेतु तंत्र को संस्थागत बनाने तथा सीमवर्ती निगरानी चौकियों के सुदृढ़ीकरण, सुग्राहीकरण तथा प्रशिक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है। उन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु, ग्रुप की सिफारिशों सहित पता लगाए गए घुसपैठ के मार्गों तथा दलालों की सूची आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी गई है।

जनजातीय युवाओं के बीच खेलकूद को बढ़ावा

3894. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री अनंत कुमार:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय युवाओं के बीच खेलकूद को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति के अंतर्गत जनजातीय युवाओं के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात जनजातीय युवाओं के विकास के लिए प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी सहायता से राज्यवार कितने युवा लाभन्वित हुए है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) खेल राज्य का विषय है और राज्य स्तर पर खेलों का संवर्धन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में, जनजातीय क्षेत्रों से छिपी प्रतिभा का पता लगाने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए अपनी वचनबद्धता को बताया है। तद्नुसार भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर श्रेणी पर खेल प्रदर्शन को सुधारने के लिए खेलों के संवर्धन में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाती है ताकि राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल की जा सके:-

* राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना
* सेना बाल खेल कम्पनी
* भा.ख.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)
* उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)
* विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)

वर्तमान में, 16 विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र जो कि मुख्य रूप से जनजातीय और तटीय क्षेत्र के युवाओं को लक्षित करते हैं, देश के विभिन्न भागों में प्रचालन में हैं और 21 खेल विधाओं में 1388 खिलाड़ियों को (901 बालक और 487 बालिकाएं) को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ग) योजना के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास और भोजन, खेल किट, प्रतियोगिता प्रदर्शन, शैक्षणिक व्यय, चिकित्सा और बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रशिक्षणार्थियों को नियमित वैज्ञानिक बैक अप के साथ भा.खे.प्रा. प्रशिक्षकों द्वारा आधुनिक खेल उपस्करों के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) राज्य-वार आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों को जारी किया गया कुल अनुदान 12.20 करोड़ रु. है।

(ङ) 2001-2002 से 2003-2004 के दौरान, विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) योजना के अंतर्गत 3582 युवाओं ने लाभ उठाया है।

मोदी अस्पताल द्वारा नियमों का उल्लंघन

3895. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोदी अस्पताल, साकेत, नई दिल्ली ने चैरीटेबल अस्पताल को चलाने के लिए आबंटित भूमि पर एक रेस्तरा-सह-बार और कारपोरेट कार्यालय का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या मोदी अस्पताल, साकेत से इस भूमि को खाली कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उन अस्पतालों और समितियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चैरीटेबल अस्पतालों के लिए भूमि आबंटित की गई और उन्होंने कितने गरीब रोगियों का उपचार किया;

(च) उन अस्पतालों, समितियों इत्यादि का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आज की तिथि तक अस्पताल भवनों का निर्माण नहीं किया है;

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी अस्पतालों, समितियों इत्यादि के आबंटन को रद्द करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि भूमि के एक भाग पर मोदी अस्पताल द्वारा एक रेस्तरा-सह-बार का निर्माण कराया गया था जो आबंटन एवं पट्टा निबंधनों का उल्लंघन है। तद्नुसार आबंटन एवं पट्टे को निरस्त कर दिया गया है तथा इस मामले को लोक परिसर (अनधिकृत

दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के तहत बेदखली के लिए सम्पदा अधिकारी को भेजा गया है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 50 अस्पतालों को भूमि आबंटित की थी जिनमें से 23 मामलों में गरीब रोगियों के लिए नि:शुल्क बिस्तर एवं नि:शुल्क उपचार की शर्त लगायी गयी थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस शर्त को लागू करने की मॉनीटरिंग नियमित रूप से करने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डी एच एस), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है।

(च) से (ज) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2004 में उन 19 अस्पतालों की एक सूची तैयार की थी जिन्होंने उन्हें आबंटित भूमि पर अस्पताल की स्थापना/निर्माण तब तक नहीं किया था। इन 19 अस्पतालों में से एक मामले में कब्जा अभी भी दिया जाना है, एक मामले में पट्टे को निरस्त कर दिया गया है, चार अस्पतालों का बाद में निर्माण हो चुका है, दो अस्पताल पांच वर्ष की रियायत अवधि में हैं तथा एक मामले में अभी भी पट्टे का निष्पादन होना है। शेष मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि वह पट्टे के निबंधनों तथा अपनी नीति के अनुसार कार्रवाई कर रहा है जिसमें मामले के गुण-दोष आधार पर काम्पोजिशन फीस लगाना या पट्टे का निरस्तीकरण शामिल हैं।

[हिन्दी]

दिविप्रा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लंबित मामले

3896. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध काफी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले लंबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्तमान में उसके कार्मिकों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और आर्थिक अपराध शाखा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत भ्रष्टाचार के 115 मामले लंबित हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं: -

(1) न्यायालय में विचाराधीन	-	105
(2) अभियोजन स्वीकृति प्रक्रियाधीन	-	02
(3) जांच अधीन मामले	-	08

[अनुवाद]

फलों का निर्यात

3897. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बाजार में फलों के निर्यात में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी कितनी है;

(ख) क्या कुछ देशों द्वारा खतरनाक कीटों की उपस्थिति के कारण भारतीय फलों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) वर्ष 2003 में विश्व बाजार में भारतीय फलों का हिस्सा निम्नानुसार रहा है:

कुल विश्व निर्यात	35674 मिलि. अम. डॉलर
भारत से निर्यात	547.35 मिलि. अम. डॉलर
विश्व बाजार में भारत का % हिस्सा	1.53%

स्रोत: यूएन कमोडिटीज ट्रेड स्टेटिक्स

(ख) जी, हां। कुछ देशों ने कीटों की मौजूदगी, के कारण भारतीय फलों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) और (घ) ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित कुछ देशों द्वारा फलों की मक्खियों एवं अन्य कीटों की मौजूदगी के कारण आम एवं कुछ अन्य भारतीय फलों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इन देशों की चिंताओं का निवारण किया जा रहा है तथा स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता संबंधी प्रोटोकॉल निष्पादित किए गए हैं ताकि फलों का निर्यात किया जा सके।

आवास और रीयल एस्टेट क्षेत्रों में निवेश

3898. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री (फिक्की) ने आवास और रीयल एस्टेट क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उपाय किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अमरीका और अन्य विकासशील देशों की तर्ज पर रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, रीयल एस्टेट मुचुअल फंड्स जैसी विशेषज्ञता प्राप्त, संगठित पेशेवर और संगठित व्यावसायिक निकायों और निधियों की सहायता भी मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चैम्बर ने यह भी बताया है कि सक्रिय डेवलपर्स तथा विदेशी और घरेलू निवेशक राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति के अंतर्गत रीयलएस्टेट विकास और आवास क्षेत्र में अपने निवेश पर अच्छा-खासा लाभ कमा सकते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार किस हद तक सहमत हुई है तथा उनके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां। इन सिफारिशों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं:-

(1) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 49% तक की अनुमति दी जाए।

(2) 100 एकड़ के मौजूदा मानकों को कम करके 25-50 एकड़ कर दिया जाए।

(3) राज्य सरकार विकास मानकों के अनुसार टाउनशिप की अनुमति दी जाए।

(4) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का दायरा सिर्फ एकीकृत टाउनशिप तक ही सीमित न रखा जाए बल्कि रिहायशी/वाणिज्यिक/रिटेल/मल्टीप्लेक्स/कंवेंशन सेंटर/शापिंग माल के लिए भी अनुमति दी जाए।

(5) संयुक्त होल्डिंग कंपनी की न्यूनतम चुकता पूंजी आवश्यकता 5 मिलियन यूएस डालर होनी चाहिए।

(6) निर्माण अवधि के दौरान लाभांश के देश प्रत्यावर्तन की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

(ख) और (ग) फिक्की (एफआईसीसीआई) ने यह सूचित किया है कि वे रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) स्थापित करने का समर्थन करते रहे हैं।

(घ) रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है।

(ङ) और (च) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीआईपीपी) जो रीयल एस्टेट, एकीकृत टाउनशिप, भवन सामग्री इत्यादि में विदेशी निवेश से संबंधित दिशानिर्देशों सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने हेतु नोडल मंत्रालय है ने विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रेस नोट सं. 2 (2005) (विवरण) के द्वारा दिशानिर्देशों में संशोधन किए हैं।

विवरण

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
एफआईए (एफसी विभाग)

प्रैस नोट 2 (2005)

विषय: टाउनशिप, आवासीय, निर्मित अवस्थापना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

आर्थिक कार्यकलाप सृजन करने, नए रोजगार अवसर पैदा करने तथा उपलब्ध आवास स्टाक तथा निर्मित अवस्थापनाओं में वृद्धि करने के उपाय के रूप में टाउनशिप, आवास, निर्मित अवस्थापना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्सहित करने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अध्यधीन टाउनशिप, आवास, निर्मित अवस्थापना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं (जिनमें आवास, वाणिज्यक परिसर, होटल, रिसार्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, मनोरंजन सुविधाएं, शहर व क्षेत्र स्तरीय अवस्थापना शामिल हैं लेकिन यह केवल इन्हीं तक ही सीमित नहीं है), में स्वचालित रूट से 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

क. प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र इस प्रकार होगा:-

(1) सुविधायुक्त आवासीय भूखंडों के विकास के मामले में, न्यूनतम 10 है. का भू-क्षेत्र।

(2) निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में न्यूनतम 50,000 वर्ग मी. का निर्मित क्षेत्र।

(3) समिश्रित परियोजना के मामले में उपर्युक्त दो शर्तों में से कोई एक काफी होगी।

ख. इसके अलावा निवेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-

(1) पूर्ण स्वामित्व वाली नियंत्रित कंपनी के लिए न्यूनतम 10 मिलियन यूएस डालर तथा भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों के लिए 5 मिलियन यूएस डालर की पूंजी होगी। यह धनराशि कंपनी का कारोबार आरंभ होने के छः माह के भीतर लानी होगी।

(2) न्यूनतम पूंजीकरण पूरा होने से तीन वर्षों की अवधि से पूर्व मूल निवेश स्वदेश प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकेगा। तथापि, एफआईपीबी के मार्फत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निवेशक को इससे पहले वापसी की अनुमति दी जा सकती है।

ग. सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर परियोजना का कम से कम 50% विकास होना चाहिए। निवेशक को अविकसित भूखंड बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से "अविकसित भूखंड" का तात्पर्य उन भूखंडों से है, जहां सड़कें, जल आपूर्ति, पथ प्रकाश, जल निकासी, सीवरेज, तथा निर्धारित विनियमों के अंतर्गत यथा लागू अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। यह आवश्यक होगा कि निवेशक यह अवस्थापना मुहैया कराए और सुविधायुक्त आवासीय भूखंडों के निपटान की अनुमति दिए जाने से पूर्व संबंधित स्थानीय निकाय/सेवा एजेंसी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

घ. परियोजना भू-उपयोग संबंधी अपेक्षाओं तथा सामुदायिक सुविधाओं/साझी सुविधाओं के प्रावधान सहित संबंधित राज्य सरकार/ नगर पालिका/ स्थानीय निकाय के भवन लागू भवन नियंत्रण विनियमों उप नियमों, नियमों तथा अन्य विनियमों में यथा निर्धारित मानदण्डों तथा मानकों के अनुरूप होगी।

ङ. निवेशक, भवन/ विन्यास नक्शों सहित सभी आवश्यक अनुमोदन लेने, आंतरिक व परिधीय क्षेत्रों का विकास करने तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं, विकास, बाहरी विकास व अन्य प्रभारों का भुगतान करने और संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के लागू नियमों/उप नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित सभी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

च. संबंधित राज्य सरकार/ नगर पालिका/स्थानीय निकाय, जो भवन निर्माण/विकास योजनाएं अनुमोदित करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की मानीटरिंग करेंगे।

2. सरकार द्वारा दिनांक 21.5.2001 को जारी प्रैस नोट 4 (2001 सीरिज) पैरा-(IV) तथा दिनांक 4.1.2002 को जारी प्रैस नोट 3 (2002 सीरिज) को अधिक्रमित किया हुआ माना जाए।

हस्ता/
(उमेश कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं. 5 (6)/2000-एफसी दिनांक 3 मार्च, 2005

प्रति: प्रैस सूचना अधिकारी, प्रैस सूचना ब्यूरो-उपर्युक्त प्रैस नोट का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित है।

प्रति प्रेषित:

(1) आईपीएंडआईडी सेल-अनुरोध है कि प्रैस नोट की एक प्रति विभाग की वेबसाइट पर शीघ्र प्रदर्शित की जाए।

(2) संयुक्त सचिव, सीएंडएम कार्यालय।

(3) राज्य मंत्री (सीएंडआई) के निजी सचिव

(4) सचिव, आईपीपी के निजी सचिव

(5) सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन के प्रधान निजी सचिव

(6) सचिव, शहरी विकास के प्रधान निजी सचिव

(7) संयुक्त सचिव (यूके)

अंडमान और निकोबार की जारवा जनजाति

3899. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान की धरोहर जनजाति जारवा को उनकी स्वेच्छा के विरुद्ध मुख्यधारा में न लाने के लिए नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के उद्देश्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) जारवा क्षेत्र में सभी अतिक्रमण हटाने तथा भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) जी, हां। गृह मंत्रालय ने अंडमान द्वीपों की जारवा जनजाति पर एक नीति तैयार की है।

(ख) नीति का लक्ष्य एवं अन्य ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर उपलब्ध है।

(ग) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन-द्वारा जारवा क्षेत्रों में किए गए अनाधिकृत कब्जों को हटाने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में ऐसे अनधिकृत कब्जे न हो, उठाए गए कदम का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर हैं।

विवरण-I

अंडमान द्वीपसमूह में जारवा जनजाति पर नीति

प्रमुख लक्ष्य हैं:

1. जारवा लोग चूंकि बाहरी दुनिया के लोगों से भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संपर्क की स्थिति में नहीं है, अत: उनकी बाह्य संपर्क से होने वाले हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा करना।

2. जारवा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संगठन, जीवन निर्वाह प्रणाली को संरक्षण प्रदान करना।

उपर्युक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जारवाओं की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु कुछ रणनीतियां/ दिशा-निर्देश निरूपित किए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

(1) सरकार ने जारवाओं के लिए न्यूनतम विनियमित हस्तक्षेप एवं अधिकतम स्वायत्तता की नीति अपनाई है। जारवाओं के सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा वे अपनी प्रकृति एवं स्वाभाविक गति से विकास करने हेतु स्वतंत्र होंगे। वर्तमान स्तर पर उनकी स्वेच्छा के विरुद्ध उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने एवं अलग से किसी दूसरे द्वीप/स्थान उनके पुनर्वास हेतु कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

(2) अधिसूचित जारवा क्षेत्र का प्रभावी एवं सुस्पष्ट सीमांकन किया जाएगा तथा उसे कम करने, अथवा उसमें से भूमि-अधिग्रहण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जाएंगे।

(3) जारवा क्षेत्रों से अनधिकृत कब्जे हटाने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) स्वास्थ्य कर्मियों का स्थाई दल जारवा समुदाय की सर्वाधिक स्वास्थ्य जांच करेगा।

(5) जारवाओं के नृजाति-चिकित्सा समेत पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण दिया जाएगा तथा प्रलेखित किया जाएगा।

(6) पौष्टिक आहार एवं खाद्य सुरक्षा का सावधिक सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि जारवाओं के लिए खाद्य संसाधनों एवं पौष्टिक मानकों में कोई कमी न आए।

(7) लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में एएजेवीएस की कार्यकारी समिति, जनजातीय कार्य में अनुभव प्राप्त एवं दक्ष विशेषज्ञों की सहायता से नीति को लागू करेगी तथा इसके अनुपालन का निरीक्षण करेगी।

विवरण-II

जारवा क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने तथा भविष्य में इस प्रकार के अवैध कब्जों को रोकने हेतु अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम

1. विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन आधार अर्थात् जारवा वन क्षेत्र को उनके भोजन के लिए 847 वर्ग कि.मी. से बढ़ाकर 1028 वर्ग कि.मी. कर दिया गया है।

2. 5 कि.मी. तक के उच्च ज्वार बिन्दु के तटीय जल को जनजाति हेतु संरक्षित घोषित कर विशिष्ट समुद्रीय संसाधन आधार को बढ़ाया गया है।

3. जारवा जनजाति संरक्षित क्षेत्र को बनाते समय यथा संभव भौगोलिक विशेषताओं यथा पहाड़ी श्रृंखलाओं, चोटियों, संकरी खाड़ियों को ध्यान में रख गया है ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों को संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं का बोध रहे जिससे संरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण को रोका जा सके। इससे जारवाओं के दैनिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

4. अंडमान ट्रंक रोड को टार रोड के दोनों ओर 200 मीटर से कम करके मध्य रेखा के दोनों ओर 30 मीटर तक ला दिया गया है।

5. पुलिस, प्रशिक्षित मानव-विज्ञानियों तथा अन्य कल्याण कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं को जारवाओं के साथ बाहरी लोगों द्वारा अनधिकृत संपर्क बनाने से रोकने हेतु संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया है।

6. जारवाओं के साथ गैर-जारवाओं की निकटता को रोकने के लिए पुलिस, वन एवं पीडब्ल्यूडी के कार्य-स्थानों की समीक्षा की जाती है तथा यथा संभव इन्हें जारवाओं के क्षेत्र की परिधि से दूर अवस्थित करके युक्तिसंगत बनाया जाता है।

खेल संघ

3900. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के खेल संघों की वर्तमान में कुल कितनी संख्या है;

(ख) प्रत्येक संघ के शीर्ष फंड पदाधिकारियों के नाम क्या है और उनका कार्यकाल कितना है;

(ग) उनमें से खेलों में क्षमता सिद्ध करने वाले पदाधिकारियों की संख्या कितनी है जो संघ का नेतृत्व कर रहे हैं; और

(घ) उक्त संघ में सदस्यों की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) आज की तारीख तक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 63 राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत स्वायत सोसायटीयों के पदाधिकारी अपने संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ के संविधान के अनुसार चुने जाते हैं। उनके संविधान के अनुसार चयन के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति पदाधिकारियों का चुनाव लड़ सकता है।

शहरी अवसंरचना के विकास हेतु विश्व बैंक सहायता

3901. श्री अनंत नायक: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास विश्व बैंक की सहायता से शहरी अवसंरचना विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की कोई परियोजना किसी राज्य में क्रियान्वित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन-किन राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से सहायता की मांग की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) शहरी अवस्थापना के विकास के लिए विश्व बैंक सहायता लेने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों ने शहरी अवस्थापना के विकास के लिए विश्व बैंक सहायता मांगी है।

विवरण

शहरी अवस्थापना के विकास के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना

प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	परियोजना तथा राज्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	कर्नाटक	
	प्रस्तावित कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई क्षेत्र सुधार परियोजना-कर्नाटक	211.59

1	2	3
	तमिलनाडु	
2.	III चेन्नई जल आपूर्ति और सफाई परियोजना चेन्नई	750.00
3.	तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना-III	435 मिलियन अमरीकी डालर
	आन्ध्र प्रदेश	
4.	हैदराबाद मैट्रोपोलिटन जल आपूर्ति तथा सीवरेज परियोजना	2000.00
	हैदराबाद	
5.	आन्ध्र प्रदेश शहरी सुधार और म्यूनिसिपल सेवा परियोजना	उपलब्ध नहीं
	पंजाब	
6.	पंजाब के 12 कस्बों में जल आपूर्ति, सीवरेज तथा सीवेज शोधन का अवर्द्धन और विस्तार और कचरा प्रबंधन	1348.00
7.	पंजाब में 22 कस्बों में जल आपूर्ति तथा सीवेज शोधन तथा कचरा प्रबंधन के अवर्द्धन तथा विस्तार के लिए परियोजना विकास सुविधा ऋण	64.00
	महाराष्ट्र	
8.	मुम्बई सीवेज निपटान परियोजना (एमएसडीपी) स्टेज-II	2376.00
9.	महाराष्ट्र शहरी जल आपूर्ति और सफाई परियोजना के लिए परियोजना प्रस्ताव	7000.00
	गुजरात	
10.	गुजरात शहरी सुधार परियोजना	परियोजना तैयारी सुविधा के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर

दिल्ली में सांड द्वारा लोगों की हत्या

3902. श्री रघुनाथ झा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली में एक सांड द्वारा मारे गए लोगों में से प्रत्येक के शोकाकुल परिवारों को 35 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने तथा इसके लिए जिम्मेवार मानते हुए इस धनराशि को दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के वेतन से काटने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोर्ट आंन इट्स ओन मोशन बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य शीर्षक की 2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 2621 में पूर्वी दिल्ली में एक सांड के हमले से दो व्यक्तियों की मौत से संबंधित 2 मार्च, 2005 की समाचार पत्र की रिपोर्ट को अपनी तरफ से संज्ञान मे लिया और दिल्ली नगर निगम तथा पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किए। तथापि, शोकसंतप्त परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने और दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के लिए उन कर्मचारियों के वेतन से ऐसे मुआवजे की वसूली करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किए गए थे।

विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में भारत-आस्ट्रिया वार्ता

3903. **श्री डी. विट्टल राव:**
श्री एस. के खारवेनथन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु इन्सबुक विश्वविद्यालय, आस्ट्रिया के साथ वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, भारत और चिकित्सा विश्वविद्यालय, इसंब्रुक, आस्ट्रिया के बीच सहयोग के विकास संबंधी समझौता ज्ञापन पर 17 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के तहत प्रस्तावित कार्यकलाप इस प्रकार हैं-मूलभूत चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान, क्लीनिकल विज्ञान, मास्टर तथा डॉक्टरल स्तरीय कार्यक्रम तथा अल्प पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रशिक्षण के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में जन स्वास्थय तथा अनुसंधान में दोनों संस्थाओं के बीच छात्रों तथा शैक्षिक स्टाफ का आदान-प्रदान। समझौता ज्ञापन में भाग लेने वाली संस्थाओं के बीच बारी-बारी से वार्षिक बैठक आयोजित करने, नए कार्यकलाप आयोजित करके विकसित करने और पूरे किए गए कार्यकलापों का मूल्यांकन करने का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम

3904. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितने चमड़ा लघु उद्यमी लाभान्वित हुए हैं;

(घ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान द्वारा संबंधित प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ बनाने, दक्षता बढ़ाने और विपणन सहायता हेतु कितनी निधियां आवंटित की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के मद्देनजर प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाने, दक्षता बढ़ाने और विपणन सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या देश के संबंधित राज्यों में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्यक और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। यू.एन.डी.पी. से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम को 1992 से जून, 2003 की अवधि के दौरान क्रियान्वित किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास, संस्थागत भवन उत्पाद विकास और निर्यात विपणन क्षमताओं में अभिवृद्धि, डिजाइन नवीकरण एवं विपणन विकास को बढ़ावा देने आदि को लक्षित विभिन्न पहलें शुरू की गई थी। अलग-अलग यूनिटों को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

(घ) और (ङ) सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में 400 करोड़ रुपये के परिव्यय से भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) की परिकल्पना की है। इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण तथा चमड़ा क्षेत्र के सभी खण्डों का विस्तार, अवसंरचना विकास, मानव संसाधन विकास तथा विपणन विकास की स्कीमें सम्मिलित हैं। वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2004-05 में विभिन्न योजनाओं में क्रमश: 0.60 करोड़ रुपये तथा 8.125 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और वर्ष 2005-06 में 75 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(च) और (छ) भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश (नैल्लोर जिला) में एक चमड़ा परिसर, तमिलनाडु (चेन्नई) में एक फुटवियर परिसर, दो फुटवियर घटक पार्क (आगरा तथा चेन्नई प्रत्येक में एक-एक) तथा पश्चिम बंगाल (कोलकाता) में एक चमड़ा वस्तु पार्क स्थापित करने के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

राजभाषा नियम

3905. श्री ब्रजेश पाठक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा नियमों के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को हिन्दी में भेजे गए पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना अपेक्षित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजभाषा नियमों का मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को राजभाषा नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं जहां कुछ मंत्रालयों/विभागों ने हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में भेजा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा राजभाषा नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां।

(ख) राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा हिन्दी में दिए जाएंगे;।

(ग) तथा (घ) संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1967 (अधिसूचित 18 जनवरी, 1968) के अनुदेशों की अनुपालना में संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों की उपलब्धि वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2003-04 की मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 22.3.2005 को लोकसभा पटल पर रखी गई थी।

(ङ) जी हां।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान राजभाषा नियमों के उल्लंघन से संबंधित इस तरह की दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को पत्र भेजे गए और उनसे अनुरोध किया गया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएं।

(छ) राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा राजभाषा नीति संबंधी आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रत्येक केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को सौंपी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 23.12.2000 को मंत्रालयों को एक पत्र जारी किया गया जिसमें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इन प्रावधानों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श देकर भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचने का निदेश दिया गया है।

[अनुवाद]

फ्रांस के साथ व्यापार

3906. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस आर्थिक अनुपूरकों तथा व्यवसाय के व्यापक अवसरों को समुचित उपयोग करने हेतु द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने और उनका विविधीकरण करने हेतु ठोस कदम उठाने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत फ्रांस संयुक्त समिति की दिसम्बर, 2004 में नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देश व्यापार एवं निवेश बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने पर सहमत हुए हैं;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(छ) भारत फ्रांस के साथ किस हद तक व्यापार बढ़ाने पर सहमत हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) भारत-फ्रांस संयुक्त समिति और क्षेत्रीय संयुक्त कार्यदलों की बैठकें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) भारत-फ्रांस संयुक्त समिति का 13वां सत्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और फ्रांसीसी विदेश व्यापार मंत्री की सहअध्यक्षता में 9 दिसम्बर, 2004 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि दोनों की सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों को व्यापार संवर्धन, तकनीकी सहयोग, निवेश, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीति गठबंधनों, विशेष तौर पर बुनियादी संरचना, कृषि खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के जरिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए परस्पर मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य और बाजार पहुंच के मुद्दों की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने खनिज दोहन और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, डाक, ऊर्जा, सड़कें, शहरी विकास और रेलवे के क्षेत्रों में संयुक्त कार्यदलों के कार्यकरण की समीक्षा की।

(ङ) और (च) संयुक्त समिति की उक्त बैठक में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(छ) भारत और फ्रांस के बीच व्यापार का सरकारी स्तर पर परस्पर कार्यकलापों, प्रतिनिधिमंडलों को बुलाने और भेजने, व्यापार संवर्धन कार्यकलापों, व्यवसाय से व्यवसाय तक संपर्क आदि के जरिए निरंतर संवर्धन करने पर विचार किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2003-04 के दौरान 2.34 बिलियन अमरीकी-डालर का था जबकि 2002-03 के दौरान यह व्यापार 2.17 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था। अप्रैल-जनवरी, 2004-05 के दौरान भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.41 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था जबकि 2003-04 की उसी अवधि के दौरान इसकी मात्रा 1.84 बिलियन अमरीकी डालर थी।

[अनुवाद]

मिनी इंडिया प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु भूमि

3907. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इंडोनेशिया में चल रही परियोजनाओं की तर्ज पर "मिनी इंडिया" परियोजना की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का यह अनुमान है कि इस परियोजना को मूर्त रूप दिए जाने के पश्चात् विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इंडोनेशिया में चल रही परियोजनाओं की तर्ज पर "मिनी इंडिया" परियोजना की स्थापना हेतु शहरी विकास मंत्रालय को राज्य सरकारों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिक्षा में सुपरिभाषित प्रणाली की स्थापना

3908. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शिक्षा जैसी सेवाओं हेतु एक सुपरिभाषित प्रणाली की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन दिशानिर्देशों का पालन किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत क्या क्रियाकलाप किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसकी कार्य योजना, 1992 एक शिक्षा प्रणाली के निर्धारण और एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के प्रावधान हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों, दोनों के वास्ते दिशा-निर्देश तथा मार्ग-निर्देश के रूप में हैं। इस शिक्षा प्रणाली से

तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है, जो जाति, वर्ण, स्थान अथवा स्त्री-पुरूष का भेदभाव किए बिना सभी छात्रों को एक प्रदत्त स्तर तक गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए एक समान शैक्षिक संरचना, एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तथा न्यूनतम अध्ययन स्तरों की परिकल्पना की गई है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, अत: संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक सार्थक सहभागी के रूप में शिक्षा के संबंध में राज्यों तथा केन्द्र के उत्तरदायित्व तथा भूमिका की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी परिकल्पना की गई है कि यद्यपि शिक्षा के संबंध में राज्यों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व अनिवार्यत: अपरिवर्तित रहेंगे, तथापि संघ सरकार शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समेकित स्वरूप पर अधिक बल देने के महत्तर उत्तरदायित्व को स्वीकार करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्यों तथा केन्द्र, दोनों की संपूर्ण सहभागिता की आवश्यकता होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन दोनों भागीदारों के बीच कारगर तथा सकारात्मक तालमेल होना आवश्यक है। इसके लिए कुछ लचीलापन चाहिए, जिससे कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने संदर्भों तथा उभरते परिदृश्यों के अनुरूप कार्य योजना, 1992 को मूर्तरूप देने में सहायता मिलेगी।

2. राष्ट्रीय स्तर पर, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शैक्षिक विकास की समीक्षा करने, प्रणाली में सुधार लाने हेतु अपेक्षित परिवर्तनों का निर्धारण करने तथा कार्यान्वयन के मानीटरन में प्रमुख भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अनुरूप राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्डों का गठन कर सकती है और यह भी परिकल्पना की गई है कि वे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर उपयुक्त बोर्डों/निकायों का गठन भी कर सकती है। केन्द्र, राज्य तथा जिला और स्थानीय स्तर की एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शैक्षिक विकास के बहु-स्तरीय कार्य-संरचना के अन्तर्गत आयोजना, समन्वयन, मानीटरन तथा मूल्यांकन में सहयोग करें। स्थानीय समुदायों को उपयुक्त निकायों के माध्यम से स्कूल सुधार कार्यक्रमों मे प्रमुख भूमिका निभाने का कार्य सौंपना होगा। उचित प्रबंधन तथा प्रदत्त वित्तीय सहायता के आधार पर सामाजिक कर्मठ कार्यकर्ता समूहों सहित गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयास भी बढ़ाने होंगे।

3. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ताकि संघीय भावना से व्यापक परामर्श तथा सहमति प्राप्त की जा सके और 10-11 अगस्त 2004 को बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी जिसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर सामने आए जिन पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता थी। इन मुद्दों की व्यापक जांच करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सात समितियों का गठन किया गया है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री शामिल है। इनमें से कुछ केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समितियों में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

4. राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना में अन्य घटकों के साथ-साथ एक समान कोर भी निहित हैं जो लचीले है और इसलिए केन्द्र तथा राज्यों के लिए स्कूल शिक्षा संबंधी परामर्शी दिशानिर्देश प्रदान करते है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना के संशोधन का कार्य शुरू करें जो अपेक्षित हो गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना की समीक्षा शुरू करने के लिए अनेक विषयों से संबंधित दलों के गठन के साथ-साथ प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय विषय संचालन समिति का पहले ही गठन कर दिया है।

5. अत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर शिक्षा नीति का प्रवर्तन कराने के बजाय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए एक सहभागितापूर्ण तथा पूरक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

भारतीय खेल प्राधिकरण

3909. श्री अजीत जोगी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकरण को अधिक पेशेवर बना दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में संवर्धन, विकास और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में 1984 में भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न खेल संवर्धनकारी योजनाओं के माध्यम से अपेक्षित अवस्थापना, खेल उपस्कर, वैज्ञानिक बैक-अप के साथ प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन आदि प्रदान करके सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर आयुवर्ग में प्रतिभावान बच्चों का पता लगाने और पोषण करने के लिए की गई है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की कार्य प्रणाली में सुधार लाने और इसे और अधिक पेशेवर निकाय बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहे हैं। इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य कदम उठाये गये है:-

1. क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-केन्द्रों तथा विशेष क्षेत्र खेल केन्द्रों की स्थापना के लिए वैज्ञानिक सहायता के समर्थन द्वारा आधुनिक खेल अवस्थापना का सृजन।

2. विद्यमान केन्द्रों में नई और अतिरिक्त अवस्थापना सुविधा प्रदान करना।

3. विशिष्ट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए आधुनिक उपस्करों की आपूर्ति तथा राष्ट्रीय शिविरार्थियों को आधुनिक खेल प्रशिक्षण।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने और समर्थन देने के लिए विदेशी प्रशिक्षकों को लगाना।

5. भारतीय प्रशिक्षकों के कौशल, कार्यप्रणाली और ज्ञान के उन्नयन के लिए उनका अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन।

6. विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों जैसे गांधीनगर, कोलकाता, बंगलौर और एन.एस.एन.आई.एस. पटियाला और नई दिल्ली स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के मुख्यालय में खेल वैज्ञानिक संकाय की स्थापना।

7. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में स्थित मानव प्रदर्शन प्रयोगशाला (एच.पी.एल.) के तत्वावधान में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और परियोजनाएं चलाना।

8. भारतीय खेल प्राधिकरण के डोप नियंत्रण केन्द्र, जो कि देश में डोप परीक्षण सुविधा का एक ही केन्द्र है, के उन्नयन के उद्देश्य से डोप परीक्षण की योजना।

9. भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों की कम्प्यूटरीकृत खेल डाटा बैंक के सृजन और नेटवर्क के सृजन की पहल।

10. राष्ट्रमण्डल खेल और एशियाई खेल 2006 तथा राष्ट्रमण्डल खेल 2010 में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण देने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

हिरासत में हुई मौतें

3910. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और उसके पश्चात् देश भर में पुलिस हिरासत में यन्त्रणा के कारण हुई मौतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि होंगकोंग स्थित एशियाई विधिक संसाधन केन्द्र (ए.एल.आर.सी.) ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भारत को अन्य देशों के साथ उस सूची में रखा है जहां पुलिस हिरासत में यन्त्रणा के कारण मौतें होती हैं और यह भी उल्लेख किया है कि भारत में पुलिस हिरासत में हुई मौते और यंत्रणा देने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि एशियाई विधिक संसाधक केन्द्र (ए.एल.आर.सी.) ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि इस अमानवीय स्थिति पर काबू पाया जा सकता है यदि भारत वर्ष 1987 से प्रभावी यंत्रणा के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के उपबंधों को स्वीकार करे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2002-2003 से 2004-05 तक (31.3.2005 तक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित हिरासत में हुई मौतों की राज्य-वार संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। न्यायिक हिरासत में हुई मौतें वृद्धावस्था या बीमारी के कारण भी हो सकती हैं।

(ख) से (घ) सरकार को हिरासत में हुई मौतों पर एशिया लीगल रीसोर्सिज सेन्टर (ए एल आर सी) द्वारा संकलित रिपोर्ट की जानकारी है। भारत सरकार ने यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र समझौते की अभी तक अभिपुष्टि नहीं की है क्योंकि मौजूदा विधायन को समझौते के उपबंधों के अनुरूप लाने की आवश्यकता है।

विवरण

वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 (31.3.2005 तक) के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित हिरासत में हुई मौतों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	2002-2003			2003-2004			2004-2005		
	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	कुल	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	कुल	पुलिस हिरासत	न्यायिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	10	112	122	10	114	124	13	116	129
अरुणाचल प्रदेश	2	2	4	2	1	3	–	2	2
असम	15	13	28	6	18	24	4	11	15
बिहार	4	153	157	9	139	148	3	150	1
गोवा	–	1	1	–	–	–	–	4	4
गुजरात	17	34	51	20	37	57	15	54	69
हरियाणा	6	41	47	2	49	51	2	49	51
हिमाचल प्रदेश	–	2	2	–	2	2	–	5	5
जम्म-कश्मीर	–	–	–	–	–		–	–	–
कर्नाटक	16	49	65	4	52	56	9	51	60
केरल	4	50	54	4	51	55	6	51	57
मध्य प्रदेश	1	36	37	3	30	33	2	49	51
महाराष्ट्र	26	117	143	32	148	180	23	138	1
मणिपुर	–	1	1	–	–	–	–	–	–
मेघालय	3	3	6	3	3	6	2	6	8
मिजोरम	–	2	2	–	2	2	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–	0	0	–	–	–
उड़ीसा	1	41	42	1	52	53	3	39	42
पंजाब	9	65	74	7	81	88	6	65	71
राजस्थान	6	55	61	5	45	50	–	50	50
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	17	51	68	12	106	118	9	98	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त्रिपुरा	1	1	2	–	–	–	1	4	5
उत्तर प्रदेश	16	169	185	18	199	217	7	219	226
पश्चिम बंगाल	16	49	65	13	43	56	11	64	75
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–	–	1	1
चंडीगढ़	–	3	3	–	4	4	1	3	4
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	2	30	32	3	22	25	5	27	32
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	1	–	1	1	–	1	1	–	1
छत्तीसगढ़	3	29	32	2	42	44	5	26	31
झारखंड	6	41	47	3	53	56	5	66	71
उत्तरांचल	1	7	8	2	7	9	3	9	12
कुल मामले	183	1157	1340	162	1300	1462	136	1357	149

[हिन्दी]

महिलाओं का यौन शोषण

3911. श्री बापू हरी चौरे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई भागों में महिलाओं को नौकरी देने के झूठे वादे करके प्रलोभन दिया जा रहा है और उनका यौन शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

(1) अवैध व्यापार की रोकथाम, अवैध व्यापार एवं व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों का उद्धार एवं पुनर्वास करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (1998) तैयार की गयी तथा केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित की गयी और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करने के लिए कानूनी एवं विधि प्रवर्तन प्रणालियों को सक्रिय बनया गया।

(2) अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु अधिकारों की प्रत्योजना तथा अधिकाधिक राज्य संसाधनों के संघटन हेतु अवैध व्यापार संबंधी राज्य सलाहकार समितियां गठित की गयीं।

(3) सरकार ने राज्यों को ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे कार्य योजना का कारगर कार्यान्वयन करें तथा राज्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा भी की जाती है।

(4) सरकार ने अवैध व्यापार के अंतरराज्यीय मामलों के अन्वेषण हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तरों के अधिकारियों को अवैध व्यापार पुलिस अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया है।

(5) सरकार निर्धनता उपशमन, आपदा प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा एवं जागरूकता विकास संबंधी कार्यक्रमों तथा बालिकाओं एवं किशोरियों हेतु विशेष कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यक्रम चला रही है।

(6) सरकार ने पर्यटन हेतु वैश्विक आचार नीति संहिता को कार्यान्वित करने का संकल्प लिया है। इस संहिता में यौन पर्यटन हेतु बच्चों के यौन शोषण का निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महासचिवों तथा महानिदेशक (पर्यटन) से भी अनुरोध किया गया है कि वे सभी होटलों, लॉजों/बोर्डिंग हाउसों के लिए अपने स्वागत पटल पर अवैध व्यापार विरोधी संदेश एवं यौन शोषण के लिए दाण्डिक प्रावधानों को सुस्पष्ट अक्षरों में दर्शाना कानूनी रूप से आवश्यक बनायें।

(7) भारत स्थित यूनिसेफ कार्यालय के सहयोग से भारत सरकार पुलिस बल के लिए संचेतना नियमावली तैयार कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग भी यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वावधान में महिलाओं एवं बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार विषय पर जिला एवं तालुका-स्तरीय न्यायिक अधिकारियों के लिए संचेतना नियमावली तैयार कर रहा है। इस नियमावली से तालुका एवं जिला-स्तरीय न्यायाधीशों को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को पहले से अधिक कारगर तरीके से कार्यान्वित में सहायता प्राप्त हुई है। अवैध व्यापार एवं व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित बच्चों के मामलों पर कार्रवाई करने वाले चिकित्सा अधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकताओं के लिए नियमावली तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(8) सरकार गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु सक्रिय समर्थन प्राप्त कर रही है। देश भर में 20 कार्यशालाओं का संचालन किया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान भी 5 कार्यशालाओं का आयोजन किये जाने का प्रस्ताव है।

(9) भारत सरकार ने टी.वी., रेडियो तथा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार अभियान की विस्तृत रूप-रेखा तैयार की है। इसके अतिरिक्त, सरकारें तथा गैर-सरकारी संगठन समर्थन और कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं।

(10) इस विभाग ने स्रोत क्षेत्रों, परम्परागत क्षेत्रों तथा गन्तव्य क्षेत्रों में निवारण, उद्धार तथा पुनर्वास के माध्यम से अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए मॉडल सहायता अनुदान स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में जागरूकता विकास, विभिन्न पक्षों के बीच नेटवर्क बनाने, परामर्श, अनौपचारिक शिक्षा तथा अवैध व्यापार के निवारण हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। दिल्ली, गुडगांव, पांडिचेरी, मैसूर, मुम्बई, आन्ध्र प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त एक दर्जन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त संगठनों को 21.93 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी है। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए देश भर में लगभग 400 अल्पावास गृह तथा 100 स्वाधार गृह स्थापित किये गये हैं।

(11) सरकार अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के उपबंधों को अवैध व्यापारियों के लिए और अधिक कठोर बनाने तथा पीड़ितों के लिए इन्हें मानवीय बनाने हेतु इस अधिनियम में संशोधन करने जा रही है।

भारत-चिली व्यापार

3912. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिली के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लैटिन अमरीकी क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं की विपणन संभाव्यता का दोहन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) भारत और चिली ने 20 जनवरी, 2005 को आर्थिक सहायोग संबंधी कार्यढांचा करार पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे। इस करार से अधिमानी व्यापार करार निष्पादित करने हेतु वार्ताओं के लिए एक आधार उपलब्ध होता है। कार्यढांचा करार में एक संयुक्त अध्ययन दल गठित करने का भी प्रावधान है जो भारत और चिली के बीच मुक्त व्यापार करार की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वस्तु, सेवा व्यापार और निवेश शामिल होंगे।

(ग) सरकार ने भारतीय वस्तुओं के लिए लैटिन अमरीकी बाजारों की संभावना का पता लगाने हेतु वर्ष 1997 में फोकस लैटिन अमरीका तथा कैरिबियन (एल ए सी) कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम की अवधि 31.3.2008 तक बढ़ा दी गई है।

(घ) लैटिन अमरीकी क्षेत्र को भारत के निर्यात वर्ष 1997-98 में हुए 699.83 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 1777.13 मिलियन अमरीकी डालर के हो गए हैं जिनमें छह वर्ष की अवधि के दौरान 154% की वृद्धि हुई है।

नाटक विभागों का कार्यकरण

3913. श्री डी. विट्ठल राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नाटक विभागों को चलाने का ट्रैक रिकार्ड अत्यन्त खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नाटक विभागों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग विश्वविद्यालयों/कालेजों को उनके 'नाटक प्रदर्शन कला विभाग' हेतु निधियां प्रदान करता है। हाल ही में, नाट्यकला को पूर्ण: समर्पित 'राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय' नई दिल्ली को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव

3914. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान बालिका समृद्धि योजना, बस्ती गृह निर्माण योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और सरकारी विद्यालयों में ब्रिज कोर्स में प्रवेश, वर्दियां देने, नर्सरी स्थापित करने की योजनाएं भी लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। राज्य को 258.78 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी तथा 220.00 लाख रुपये की राशि का पुनर्वैधीकरण किया गया। बस्ती गृह निर्माण योजना के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी व्यक्ति विशेष या दल पर दोष नहीं लगा रहा हूं, कृपया मुझसे कुछ न कहलवाएं। लेकिन मैं यहां आज सार्वजनिक सूचना देना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल से सभा स्थगित नहीं करूंगा।

इस सूचना के साथ कि कल से कोई ऐसा स्थगन नहीं होगा मैं कल 20 अप्रैल 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए सभा स्थगित करता हूं।

पूर्वाह्न 11.51 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 अप्रैल, 2005/30 चैत्र, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (18.4.2005)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	डा. राजेश मिश्रा श्री रेवती रमन सिंह	321
2.	श्री गणेश प्रसाद सिंह श्री सीता राम यादव	322
3.	श्रीमती पी. सतीदेवी	323
4.	श्री जुएल ओराम	324
5.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री एन. जर्नादन रेड्डी	325
6.	श्री कीर्तिवर्धन सिंह	326
7.	श्री विजय कुमार खंडेलवाल श्री रवि प्रकाश वर्मा	327
8.	श्री मदन लाल शर्मा श्री अनंत गुढ़े	328
9.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री शिवाजीराव अधलराव पाटील	329
10.	श्री एस.के. खारवेनथन	330
11.	श्री नंद कुमार सिंह चौहान श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	331
12.	श्री बिक्रम केशरी देव श्री डी. विट्टल राव	332
13.	श्री ई. पोन्नुस्वामी श्री पी. करूणाकरन	333
14.	श्री रघुनाथ झा	334
15.	डा. अरुण कुमार शर्मा श्री मधु गौड यास्खी	335
16.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री टी.के. हमजा	336
17.	श्री कैलाश मेघवाल श्रीमती मनोरमा माधवराज	337
18.	श्री बी. विनोद कुमार श्री सी.के. चन्द्रप्पन	338
19.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीमती नीता पटैरिया	339
20.	श्री तथागत सत्पथी श्री रायापति सांबासिवा राव	340

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (19.4.2005)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री रामजी लाल सुमन श्रीमती जयाप्रदा	341
2.	श्री शिवराज सिंह चौहान श्री असादूद्दीन ओवेसी	342
3.	श्री रामदास आठवले श्री बृजेश पाठक	343
4.	श्री सुव्रत बोस	344
5.	श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ श्री जी. करूणाकर रेड्डी	345
6.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	346
7.	श्री दुष्यंत सिंह	347
8.	श्री एस. के. खारवेनथन डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	348
9.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	349
10.	श्री बापू हरी चौरे श्री सुग्रीव सिंह	350

1	2	3
11.	श्री डी. विठ्ठल राव श्री पंकज चौधरी	351
12.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	352
13.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	353
14.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील श्री बालासाहिब विखे पाटील	354
15.	श्री ई. पोन्नुस्वामी श्री बाडिगा रामकृष्णा	355
16.	श्री बी. विनोद कुमार श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	356
17.	श्री काशीराम राणा श्री एम. अंजन कुमार यादव	357
18.	श्री सी. के. चन्द्रप्पन श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	358
19.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री बृज किशोर त्रिपाठी	359
20.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका
(18.4.2005)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आदित्यनाथ, योगी	3631
2.	आरुन रशीद, श्री ए.	3547, 3647
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	3564, 3662
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3583, 3671
5.	अहमद, श्री अतीक	3497, 3602
6.	अजय कुमार, श्री एस.	3508
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	3487, 3594
8.	अर्गल, श्री अशोक	3505, 3597
9.	आठवले, श्री रामदास	3534, 3639
10.	आजमी, श्री इलियास	3483, 3632
11.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3534, 3639
12.	बर्मन, श्री हितेन	3540, 3643
13.	बर्मन, श्री रनेन	3469, 3484, 3540, 3643
14.	बखला, श्री जोवाकिम	3484, 3625
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3528
16.	भगोरा, श्री महावीर	3511
17.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3488
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3457, 3581, 3682
19.	बोस, श्री सुब्रत	3464, 3540, 3621
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3504
21.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3658
22.	चालिहा, श्री किरिप	3570, 3677
23.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	3615
24.	चटर्जी, श्री सांताश्री	3591
25.	चौहान, श्री नंद कुमार सिंह	3604
26.	चौरे, श्री बापू हरी	3560, 3663
27.	चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र	3671
28.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3574
29.	चिन्ता, डा. मोहन	3524
30.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3527
31.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	3517, 3526, 3539, 3545, 3656
32.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3473, 3517, 3669

1	2	3
33.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	3568, 3664
34.	चौधरी, श्री अधीर	3458, 3578, 3588, 3629, 3672
35.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	3561, 3658
36.	देव, श्री बिक्रम केशरी	3608
37.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेश चन्द्र	3531, 3622, 3668
38.	धनराजू, डा. के.	3499, 3606
39.	डोम, डा. रामचन्द्र	3480, 3591
40.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3540
41.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3576
42.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3496, 3577, 3599, 3671
43.	गांधी, श्रीमती मेनका	3492, 3674
44.	गांधी, श्री प्रदीप	3622
45.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3563, 3670
46.	गेहलोत, श्री थावरचन्द्र	3537, 3604, 3660
47.	गोहेन, श्री राजेन	3485
48.	गुढ़े, श्री अनंत	3601
49.	हमजा, श्री टी. के.	3626, 3627
50.	हर्ष कुमार, श्री जी. वी.	3556
51.	जगन्नाथ, डा. एम.	3549, 3648
52.	जय प्रकाश, श्री	3465, 3599
53.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3466, 3619
54.	जयाप्रदा, श्रीमती	3627, 3661
55.	झा, श्री रघुनाथ	3611
56.	जोगी, श्री अजीत	3550, 3579
57.	जोशी, श्री प्रहलाद	3575
58.	कनोडिया, श्री महेश	3516, 3626
59.	करूणाकरन, श्री पी.	3587, 3626
60.	खैरे, श्री चन्द्रकांत	3542
61.	खां, श्री सुनील	3467, 3641
62.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3600
63.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	3482
64.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3553
65.	खारवेनथन, श्री एस. के.	3603
66.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3455, 3584, 3684
67.	कोया, डा. पी. पी.	3501
68.	कृष्ण, श्री विजय	3599
69.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	3557
70.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	3622, 3626
71.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	3548
72.	कुरूप, श्री सुरेश	3523
73.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3539, 3656, 3675
74.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3520, 3541, 3627
75.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3471, 3630
76.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3567
77.	महाजन, श्री वाई. जी.	3504, 3631
78.	महतो, श्री बीर सिंह	3468
79.	महतो, श्री सुनील कुमार	3555, 3558
80.	महतो, श्री टेक लाल	3495
81.	मंडल, श्री सनत कुमार	3521, 3628

1	2	3
82.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	3671
83.	माने, श्रीमती निवेदिता	3496, 3577, 3592
84.	मेघवाल, श्री कैलाश	3498, 3586, 3590, 3682
85.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3661
86.	मिश्रा, डा. राजेश	3598
87.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3498, 3605
88.	मोधे, श्री कृष्ण मुरारी	3493
89.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3546
90.	मोहन, श्री पी.	3475, 3626, 3640
91.	मुकीम, मो.	3460, 3655
92.	मो. ताहिर, श्री	3517, 3526, 3539, 3545, 3656
93.	मोहिते, श्री सुबोध	3463, 3644, 3657
94.	मुन्शी राम, श्री	3517, 3539, 3545, 3613, 56
95.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3490, 3664
96.	मुर्मू, श्री रूपचन्द्र	3536, 3642
97.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	3500, 3679
98.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3513
99.	नायक, श्री अनन्त	3476, 3636
100.	निखिल कुमार, श्री	3549, 3569, 3672
101.	नितीश कुमार, श्री	3520
102.	ओराम, श्री जुएल	3546, 3556, 3580, 3681
103.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3462, 3585, 3658
104.	पलनिसामी, श्री के. सी.	3580
105.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3517
106.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3509, 3618, 3680
107.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	3503
108.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3574
109.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3477, 3486, 3676
110.	पटैरिया, श्रीमती नीता	3505, 3597
111.	पाठक, श्री ब्रजेश	3530, 3635
112.	पाठक, श्री हरिन	3510, 3622, 3626
113.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.	3596
114.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3496, 3538, 3658, 3678
115.	पाटील, श्री प्रकाशबापू वी.	3605
116.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3517
117.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3470, 3653
118.	पॉल, डा. सिबैस्टियन	3573
119.	पिंगले, श्री देविदास	3552, 3651
120.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3609
121.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3451, 3623
122.	प्रधान, श्री प्रशान्त	3591
123.	राई, श्री नकुल दास	3506, 3532, 3592
124.	राजेन्द्र कुमार, श्री	3506, 3614
125.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3571

1	2	3
126.	रामदास, प्रो. एम.	3578, 3680
127.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	3566, 3609, 3676
128.	राणा, श्री काशीराम	3567, 3595, 3631
129.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3507, 3626, 3627, 3638
130.	राव, श्री डी. विट्ठल	3652
131.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3671
132.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3534, 3544, 3667
133.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3617
134.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3468, 3595, 3605
135.	साहु, श्री चंद्रशेखर	3507
136.	सज्जन कुमार, श्री	3572
137.	सांगवान, श्री किशन सिंह	3491, 3610
138.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3459, 3627, 3635, 3645
139.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3612
140.	सीतादेवी, श्रीमती पी.	3591
141.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3558, 3654
142.	सत्पथी, श्री तथागत	3620
143.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्व माधवराव	3515
144.	सेन, श्रीमती मिनाती	3618
145.	शाहिद, मोहम्मद	3559
146.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3472
147.	शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम	3646
148.	शर्मा, श्री मदन लाल	3601
149.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3592, 3620, 3626
150.	शिवन्ना, श्री एम.	3500, 3529, 3634
151.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3517, 3539, 3545, 3613
152.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3550, 3649
153.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3525, 3633
154.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3478, 3573, 3665
155.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3517, 3658, 3673
156.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3489, 3516, 3565, 3597 3666
157.	सिंह, श्री दुष्यंत	3512, 3624
158.	सिंह, श्री गणेश	3505, 3597
159.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	3661
160.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3592, 3599
161.	सिंह, श्री मानवेन्द्र	3535
162.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3551, 3550
163.	सिंह, श्री राकेश	3533, 3637
164.	सिंह, श्री रेवती रमन	3598, 3631
165.	सिंह, श्री सुग्रीव	3536, 3545, 3546
166.	सिंह, श्री उदय	3522, 3629
167.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3461, 3479
168.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	3516, 3626
169.	सुब्बा, एम.के.	3474
170.	सुमन, श्री रामजीलाल	3524, 3541, 3661

1	2	3
171.	स्वाईं, श्री खारवेल	3494
172.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3456, 3582, 3683
173.	थामस, श्री पी. सी.	3518
174.	ठुम्मर, श्री वी. के.	3554, 3605
175.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3517
176.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3566
177.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3502, 3607
178.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3553
179.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	3562, 3659
180.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3481, 3593
181.	वर्मा, श्री राजेश	3521
182.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3614, 3620
183.	विनोद कुमार, श्री बी.	3615
184.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3505, 3597, 3604, 3616
185.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3577, 3592
186.	यादव, श्री बालेश्वर	3514, 3661
187.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3554
188.	यादव, श्री गिरधारी	3468, 3555, 3558
189.	यास्खी, श्री मधु गौड	3477
190.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3519, 3627

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (19.4.2005)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3812, 3871, 3894, 3904
2.	अहमद, अतीक	3760, 3833
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3689
4.	अनंत कुमार, श्री	3837, 3894
5.	अर्गल, श्री अशोक	3707, 3729
6.	आठवले, श्री रामदास	3823, 3865, 3874, 3889
7.	आजमी, श्री इलियास	3855
8.	बैठा, श्री कैलाश	3694, 3803
9.	बंसल, श्री पवन कुमार	3785, 3854, 3883
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3811, 3866, 3890
11.	बर्मन, श्री हितेन	3748
12.	बखला, श्री जोवाकिम	3866
13.	भगोरा, श्री महावीर	3701
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3734, 3814
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3698, 3835
16.	बोस, श्री सुब्रत	3762, 3796
17.	बुधौलिया, श्री राजनारायन	3748, 3750, 3773, 3842
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3764, 3836
19.	चालिहा, श्री किरिप	3719
20.	चन्देल, श्री सुरेश	3685
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	3720
22.	चौरे, श्री बापू हरी	3799, 3868, 3891, 3911
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र	3761
24.	चिन्ता, डा. मोहन	3820, 3825
25.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3753

1	2	3
26.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	3748, 3783, 3786, 3822, 3850
27.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3786
28.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	3821
29.	चौधरी, श्री पंकज	3840
30.	चौधरी, श्री अधीर	3805, 3870, 3893
31.	देव, श्री बिक्रम केशरी	3770
32.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेश चन्द्र	3758
33.	धनराजू, डा. के.	3781, 3837
34.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	3730, 3809
35.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3793, 3858
36.	गमांग, श्री गिरिधर	3691
37.	गंगवार, श्री संतोष	3737
38.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3725
39.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3763
40.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3735
41.	गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	3703
42.	हमजा, श्री टी. के.	3720, 3779, 3869
43.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3752
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	3750, 3821, 3828
45.	जय प्रकाश, श्री	3699, 3704
46.	जयाप्रदा, श्रीमती	3825, 3867
47.	झा, श्री रघुनाथ	3695, 3800, 3860, 3887, 3902
48.	जोगी, श्री अजीत	3795, 3909
49.	जोशी, श्री प्रहलाद	3740, 3855, 3910
50.	कलमाडी, श्री सुरेश	3706, 3748, 3762
51.	करूणाकरन, श्री पी.	3749
52.	खैरे, श्री चन्द्रकांत	3899
53.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3745, 3748, 3849
54.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3733, 3843
55.	खन्ना, श्री विनोद	3729
56.	खारवेनथन, श्री एस. के.	3827, 3882, 3903, 3907
57.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द्र	3790
58.	कृष्ण, श्री विजय	3784
59.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	3722
60.	कुप्पुसामी, श्री सी.	3715
61.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3786, 3822, 3848, 3850, 3864
62.	ललन, श्री राजीव रंजन सिंह	3867
63.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3809
64.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3723, 3817
65.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3695, 3858
66.	महाजन, श्री वाई. जी.	3697, 3748 3773, 3842
67.	महतो, श्री बीर सिंह	3774
68.	महताब, श्री भर्तृहरि	3721
69.	माझी, श्री परसुराम	3692
70.	मंडल, श्री सनत कुमार	3716, 3853

1	2	3
71.	मेघवाल, श्री कैलाश	3736, 3815, 3845
72.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3896
73.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3720
74.	मिश्रा, डा. राजेश	3732, 3748
75.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3780, 3847
76.	मोहन, श्री पी.	3776, 3831
77.	मुकीम, मो.	3788, 3851
78.	मो. ताहिर, श्री	3748, 3822, 3864
79.	मोहिते, श्री सुबोध	3690
80.	मुन्शी राम, श्री	3748, 3777, 3786, 3822, 3850
81.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3834, 3874, 3896
82.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3718, 3807, 3879
83.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3705, 3908
84.	नायक, श्री अनन्त	3702, 3821, 3846, 3880, 3901,
85.	निखिल कुमार, श्री	3808
86.	ओराम, श्री जुएल	3686, 3844
87.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3754, 3798, 3859, 3869
88.	पलनिसामी, श्री के. सी.	3871
89.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3810
90.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3699
91.	पटेल, श्री दिनशा	3738
92.	पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई	3751, 3830
93.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3837, 3876, 3894, 3907
94.	पाठक, श्री ब्रजेश	3806, 3863, 3888, 3905
95.	पाठक, श्री हरिन	3756
96.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	3697, 3748
97.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3856
98.	पिंगले, श्री देविदास	3755
99.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3802, 3821, 3871, 3872
100.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3687
101.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3748, 3855
102.	प्रसाद, श्री लालमणि	3742
103.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3808, 3826
104.	राई, श्री नकुल दास	3744, 3767, 3876
105.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3792
106.	राजेन्द्र कुमार, श्री	3767, 3839
107.	रामदास, प्रो. एम.	3794
108.	रामकृष्ण, श्री बाडिगा	3819, 3821, 3871, 3872
109.	राणा, श्री काशीराम	3793
110.	राव, श्री के.एस.	3782
111.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3757, 3769, 3841, 3878, 3898
112.	राव, श्री डी. विट्ठल	3829, 3869, 3903, 3913
113.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3813, 3820, 3884, 3900

1	2	3
114.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3700, 3757, 3837, 3875
115.	रेड्डी, श्री एन. जर्नादन	3754
116.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3840, 3877
117.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3797, 3821
118.	रिजीजू, श्री किरेन	3771
119.	सज्जन कुमार, श्री	3748, 3765
120.	सांगवान, श्री किशन सिंह	3741
121.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3726
122.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3719
123.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3727
124.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3766, 3872
125.	सत्पथी, श्री तथागत	3786, 3848, 3881, 3907
126.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3762
127.	सेठ, श्री लक्ष्मण	3739
128.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3772
129.	शाहिद, मोहम्मद	3746
130.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3693, 3786
131.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3724, 3838, 3876, 3897, 3906
132.	शिवन्ना, श्री एम.	3735, 3768
133.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3748, 3786, 3822, 3848, 3864
134.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3778
135.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3712, 3848, 3876
136.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3791
137.	सिंह, श्री रामसेवक	3789, 3832
138.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3759
139.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3722, 3824, 3914
140.	सिंह, चौधरी लाल	3748
141.	सिंह, श्री दुष्यंत	3821, 3857, 3904
142.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3710, 3869
143.	सिंह, श्री मोहन	3713, 3852
144.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3728, 3818, 3855, 3873, 3895
145.	सिंह, श्री सुग्रीव	3804, 3862, 3886, 3907
146.	सिंह, श्री उदय	3821, 3870, 3893
147.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3711
148.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	3731, 3816
149.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3767
150.	सुमन, श्री रामजीलाल	3820
151.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3688, 3877
152.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3830
153.	थामस, श्री पी.सी.	3775
154.	तुम्मर, श्री वी.के.	3793, 3821, 3832
155.	थुपस्तन, श्री छेवांग	3709
156.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3810
157.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3744, 3848, 3881, 3912

1	2	3
158.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3757
159.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3750, 3761
160.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	3708, 3801, 3861
161.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3892
162.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3747, 3845, 3871, 3885
163.	विनोद कुमार, श्री बी.	3831
164.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3741
165.	यादव, श्री अखिलेश	3787
166.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3757
167.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3748, 3858
168.	यादव, श्री गिरधारी	3774, 3793
169.	यादव, श्री मित्रसेन	3865
170.	यास्खी, श्री मधु गौड	3696, 3717, 3782, 3893
171.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3743, 3832, 3869

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (18.4.2005)

कृषि	:	329, 331, 332, 333, 338
रसायन और उर्वरक	:	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	322, 323, 328, 340
पर्यावरण और वन	:	321, 324, 326, 327, 330, 337, 339
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
श्रम और रोजगार	:	334, 336
इस्पात	:	
पर्यटन	:	
जल संसाधन	:	325, 335

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (19.4.2005)

वाणिज्य और उद्योग	:	347, 355
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	343, 346, 351, 352, 360
मानव संसाधन विकास	:	341, 342, 344, 348, 349, 353, 356, 358, 359
संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	345
शहरी विकास	:	350, 354
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	357
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (18.4.2005)

कृषि	:	3455, 3457, 3460, 3465, 3468, 3469, 3474, 3475, 3477, 3484, 3485, 3501, 3504, 3506, 3511, 3517, 3523, 3524, 3525, 3527, 3530, 3531, 3532, 3534, 3535, 3545, 3552, 3554, 3555, 3559, 3560, 3563, 3567, 3571, 3574, 3575, 3579, 3581, 3600, 3601, 3609, 3610, 3611, 3612, 3615, 3619, 3623, 3624, 3630, 3633, 3635, 3638, 3642, 3646, 3648, 3652, 3653, 3665, 3667, 3670, 3672, 3675, 3679, 3683

रसायन और उर्वरक	:	3458, 3472, 3478, 3480, 3490, 3493, 3500, 3510, 3512, 3518, 3548, 3566, 3588, 3591, 3615, 3627, 3628, 3641, 3655, 3684
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3482, 3483, 3487, 3520, 3526, 3533, 3536, 3540, 3544, 3562, 3568, 3577, 3587, 3590, 3595, 3596, 3599, 3602, 3605, 3606, 3608, 3616, 3631, 3632, 3639, 3676
पर्यावरण और वन	:	3456, 3461, 3470, 3479, 3481, 3494, 3496, 3502, 3503, 3509, 3513, 3516, 3522, 3546, 3549, 3551, 3556, 3557, 3573, 3580, 3586, 3589, 3607, 3622, 3626, 3629, 3636, 3654, 3666, 3668, 3674, 3677, 3680
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3499, 3508, 3637
श्रम और रोजगार	:	3464, 3466, 3473, 3476, 3489, 3497, 3543, 3553, 3558, 3561, 3564, 3584, 3592, 3618, 3637, 3643, 3644, 3650, 3657, 3658, 3660, 3661, 3663, 3669, 3671, 3678, 3681
इस्पात	:	3463, 3467, 3495, 3538, 3550, 3569, 3614, 3649, 3662
पर्यटन	:	3486, 3491, 3492, 3498, 3507, 3515, 3521, 3528, 3529, 3539, 3542, 3547, 3565, 3572, 3578, 3582, 3583, 3593, 3594, 3598, 3603, 3621, 3634, 3640, 3645, 3650, 3664
जल संसाधन	:	3459, 3462, 3471, 3488, 3505, 3514, 3519, 3537, 3541, 3570, 3585, 3597, 3604, 3620, 3625, 3647, 3656, 3659, 3673, 3682

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (19.4.2005)

वाणिज्य और उद्योग	:	3687, 3693, 3703, 3706, 3708, 3716, 3724, 3726, 3746, 3747, 3752, 3753 3757, 3762, 3766, 3767, 3769, 3773, 3775, 3783, 3789, 3797, 3801, 3805, 3820, 3822, 3823, 3826, 3832, 3833, 3841, 3844, 3846, 3848, 3853, 3856, 3857, 3859, 3861, 3867, 3869, 3872, 3876, 3878, 3885, 3886, 3897, 3904, 3906, 3912
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास	:	3719
गृह	:	3685, 3689, 3694, 3698, 3699, 3702, 3709, 3712, 3715, 3717, 3725, 3728, 3731, 3733, 3734, 3735, 3736, 3738, 3748, 3750, 3759, 3761, 3763, 3770, 3771, 3774, 3776, 3779, 3785, 3786, 3796, 3806, 3807, 3808, 3809, 3812, 3816, 3821, 3825, 3827, 3829, 3831, 3834, 3836, 3838, 3840, 3843, 3845, 3849, 3850, 3852, 3854, 3864, 3865, 3870, 3882, 3887, 3889, 3893, 3902, 3905, 3910

मानव संसाधन विकास	:	3686, 3688, 3692, 3695, 3700, 3711, 3720, 3729, 3737, 3739, 3740, 3741, 3754, 3768, 3780, 3790, 3791, 3792, 3793, 3798, 3799, 3802, 3804, 3811, 3813, 3817, 3828, 3847, 3858, 3863, 3866, 3871, 3877, 3881, 3891, 3903, 3908, 3911, 3913, 3914
संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	3691, 3701, 3707, 3718, 3722, 3749, 3751, 3772, 3795, 3862, 3875, 3879, 3888, 3899
शहरी विकास	:	3696, 3697, 3704, 3705, 3710, 3714, 3727, 3730, 3742, 3743, 3745, 3756, 3764, 3774, 3784, 3787, 3788, 3800, 3803, 3814, 3818, 3830, 3835, 3842, 3851, 3860, 3873, 3874, 3883, 3890, 3895, 3896, 3901, 3907
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	3690, 3721, 3723, 3732, 3744, 3778, 3815, 3819, 3868, 3884, 3898
युवक कार्यक्रम और खेल	:	3713, 3755, 3758, 3760, 3765, 3781, 3782, 3794, 3810, 3824, 3837, 3839, 3855, 3880, 3892, 3894, 3900, 3909.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/9/21/2005 (एन०)
251

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।